

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ

(Foreign Policies of U. S. A., U. S. S. R.,
U. K., China & India)

विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार

(स्व) डॉ मथुरालाल शर्मा

डी. लिट्.

पूर्व कुलपति

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सम्पादन

शशी के. जैन

बी. ए. फॉनर्स (राजनीति), एम. ए.

कॉलेज बुक डिपो

83, त्रिपोलिया बाजार (भ्रातिश गेट के पास)

जयपुर-2 (राजस्थान)

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by College Book Depot, 83, Tripolia Bazar, Jaipur-2

Printed at S. L. Printers, Jaipur.

नए संरचना की अभ्यासिका,

'प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ' रसंशोधित)संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत है। इसमें विदेश नीति के सैद्धान्तिक-धरात्मक पूर्वापेक्षा अधिक विस्तार से स्पष्ट किया गया है, विदेश नीति के तत्त्वों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई है। तत्पश्चात् अलग-अलग अध्यायों में विश्व के छ प्रमुख राष्ट्रों—ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, भारत और चीन की विदेश नीतियाँ तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विवेचन है। इस विवेचन में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। इन देशों की विदेश नीतियों में जो आधुनिकतम प्रवृत्तियाँ उभरी हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणमंच पर ये देश जो नई भूमिकाएँ निभा रहे हैं, उन सबका विवेचन और मूल्यांकन किया गया है। इन देशों की विदेश नीतियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखा गया है और अनेक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षों को उजागर किया गया है। 1987 के अन्त तक हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश पुस्तक में है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में जो नए परिवर्तन आए हैं, रूस-अमेरिका-चीन के बीच जो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नए रूप में उभरे हैं, निर्गुंठ आन्दोलन जो नया मोड़ ले रहा है, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो नई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव की मृत्यु के बाद क्रमशः यूरी आन्ड्रोपोव, चेरनेन्को और फिर गाबॉर्च्योव ने सोवियत विदेश नीति को जो नए दिशा-मार्केत दिये हैं, उन सब पर यथोचित प्रकाश डाला गया है।

आशा है कि विदेश नीति पर यह पुस्तक प्रबुद्ध पाठक-वर्ग को पसन्द आएगी। पुस्तक का बलेबर बढ़ाने के स्थान पर विषय-सामग्री को ठोस, सुगठित और सारगर्भित रूप में सजोने का विशेष प्रयास रखा है। सुधार के लिए सुझाव सहर्षं ग्रामन्वित हैं।

—सम्पादिका

अनुक्रमणिका

विदेश नीति : एक परिचय 1a-48a

(Foreign Policy : An Introduction)

अर्थ एवं परिभाषा (2a) विदेश नीति की प्रकृति (3a) विदेश नीति का विकास अथवा विदेश नीति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में (11a) विदेश नीति का क्षेत्र (12a) विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन (13a) विदेश नीति के दृष्टिकोण (17a) विदेश नीति के तत्त्व (19a) विदेश नीति के उपकरण (26a) विदेश नीति और विचारधारा (30a) विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (35a) आन्तरिक (गृह) नीति और विदेश नीति सम्बन्ध, अन्तर और सामंजस्य (40a) विदेश नीति और शीत युद्ध (43a) सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश नीति (44a) प्रचार और विदेश नीति (47a)

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 1

(Foreign Policy of U. S. A.)

ट्रूमैन युग (2) ट्रूमैन के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ (2) सश्रय और अनुकूलता की नीति (3) प्रसार-निरोध नीति (5) खुले सघर्ष का काल (8) आइजमहॉवर युग (9) आइजमहॉवर काल में अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु (9) आइजमहॉवर युग विदेश नीति की मुख्य घटनाएँ (10) कनेडी युग (13) विदेश नीति का नया मोड़ (13) जानसन युग (16) निक्सन युग (19) फोर्ड युग (23) कार्टर युग (27) रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति (32) रीगन और रूस (32) रीगन और चीन (36) रीगन और पाकिस्तान (39) रीगन और भारत (42) रीगन और लेटिन अमेरिका (43) अमेरिकी विदेश नीति का मूल्यांकन (44) प्रबल सामरिक शक्ति का विकास (45) अमेरिका के पूँजीवादी व्यक्तित्व का निखार (46) सोवियत गुट का विरोध एवं मिन देशों का ग्रन्थ समर्थन (46) अन्तर्राष्ट्रीय सस्याग्रो पर नियन्त्रण (47) स्वहित रक्षण के लिए कुद्द भी करने की तैयारी (47) विश्व-शान्ति व निशस्त्रीकरण के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण (47)

सोवियत संघ की विदेश नीति

(Foreign Policy of U S S R.)

स्टालिन युग (50) विदेश नीति के मुख्य तत्त्व व विशेषताएँ (51) स्टालिन की विदेश नीति का मूल्यांकन (58) मॅलेकोव काल (59) ख्रुश्चेव काल (61) ख्रुश्चेवकालीन विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ (61) ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (67) यूरी आन्ड्रोपोव काल (76) चेरनेवो काल (77) गोर्बाच्योव काल (79) सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन (81)

भारत की विदेश नीति

....?

....

....

(The Foreign Policy of India)

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार (83) भारतीय विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य (84) भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व (86) भारत और गुट-निरपेक्षता (89) भारत और पाकिस्तान (98) नेहरू काल (99) शास्त्री-इन्दिरा काल (101) शिमला समझौता (105) शिमला समझौते के बाद (107) जनता काल (107) इन्दिरा-राजीव काल (108) भारत और श्रीलंका (110) भारत-श्रीलंका समझौता (113) भारत और नेपाल (115) भारत और भूटान (118) भारत और बंगलादेश (119) भारत और चीन (121) नेहरू-युग में भारत-चीन सम्बन्ध (121) शास्त्री काल में भारत-चीन सम्बन्ध (124) इन्दिरा काल में भारत-चीन सम्बन्ध (124) जनता शासन-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (125) इन्दिरा-राजीव गांधी काल (126) भारत और पश्चिमी यूरोप (130) भारत और ब्रिटेन (133) भारत, फ्रांस और पुर्तगाल (136) भारत और जर्मन संघीय गणराज्य (139) भारत और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (141) भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (148) पूर्वी एशिया में जापान और कोरिया के साथ भारत के सम्बन्ध (150) भारत और जापान (150) भारत और कोरिया (152) भारत और अफगानिस्तान (154) भारत-अफ्रीका सम्बन्ध (155) भारत और मधुक्त राज्य अमेरिका (161) शास्त्रीकाल में भारत-अमेरिका सम्बन्ध (163) जनता सरकार और अमेरिका (169) श्रीमती गांधी का दूसरा कार्यकाल और अमेरिका (171) राजीव गांधी काल (175) भारत और दक्षिण तथा मध्य अमेरिका और बरियार्ड देज (176) भारत और सोवियत गण (177) स्टालिन काल (177) ख्रुश्चेव काल (178) ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (180) ब्रेझ्नेव-निखोन्ोव काल (185) यूरी आन्ड्रोपोव-

चेन्नै का ल (185) गोर्बाख्योव का ल (185) भारत रूस सम्बन्धों का मूल्यांकन (187) भारत और पूर्वी यूरोप (188) भारत और राष्ट्रमण्डल (190) भारत और संयुक्त राष्ट्र राष (192) निःशस्त्रीकरण और भारत (195) भारत के वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध (196) हिन्द महासागर और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तथा भारतीय सुरक्षा (200) महाशक्तियों का संघर्ष (200) हिन्द महासागर की शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रयास (203) भारत के लिए हिन्द महासागर का महत्त्व (204) महाशक्तियों का प्रवेश रोकने के उपाय (205) भारत महाशक्तियों के घेरे में एक विश्लेषण (205) भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और इसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव (209) भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन (210)

4 चीन की विदेश नीति 214

(The Foreign Policy of China)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम (214) साम्यवादी चीन की विदेश नीति के आधारभूत तत्त्व (216) चीनी विदेश नीति के साधन (218) चीनी विदेश नीति के लक्ष्य या उद्देश्य (219) चीनी विदेश नीति की प्रधान अवस्थाएँ (221) अन्तरिक पुनर्गठन का युग (222) उदारवादी युग (223) नया उग्रतावादी युग (224) सहयोग और मंत्री की कूटनीति का युग (227) अमेरिका-चीन सम्बन्ध (229) सोवियत संघ और चीन के सम्बन्ध चीन-सोवियत संधि (239) सोवियत संघ और चीन के बीच समझौते के प्रयास (247) चीन और भारत (249) चीन और पाकिस्तान (250) चीन और अन्य राष्ट्र (254) दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीनी महत्वाकांक्षा और हस्त-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न (257)

5 ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति 261

(The British and French Foreign Policy)

ब्रिटेन की विदेश नीति (261) ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल (261) ब्रिटेन और कोलम्बो योजना (262) ब्रिटेन और अमेरिका (262) ब्रिटेन के फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों से सम्बन्ध (265) ब्रिटेन और साम्यवादी देश (266) ब्रिटेन और अन्य देश (268) ब्रिटेन की विदेश नीति का एक विहंगावलोकन (270) ब्रिटेन और अजेण्टाना फाकलैण्ड विवाद (274) फ्रांस की विदेश नीति फ्रांस की 1958 तक कमजोर स्थिति (276) डिगॉलवालीन विदेश नीति (277) डिगॉल के बाद फ्रेंच नीति (281) फ्रांस की विदेश नीति का एक विहंगावलोकन (285)

APPENDIX

A सोवियत विदेश नीति विचारधारा का प्रभाव	290
B सोवियत विदेश नीति की रचना, प्रशासन एव कार्यान्विति, साम्यवादी दल की भूमिका	309
C अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के कुछ पङ्क्तियों पर सोवियत दृष्टिकोण	333
D हिन्द महासागर में सोवियत सैन्य उपस्थिति	354
E ब्रिटिश विदेश नीति : राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, राजनीतिक अनुभव; नीति-निर्माण की प्रक्रिया, विदेश नीति पर गृह नीति का प्रभाव, राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध, सांस्कृतिक एव विचारधारागत बन्धन	365
F राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 1987)	404
G भारत-चीन सम्बन्ध और चीन की सामरिक नीति	406
H सार्क—उद्देश्य तथा उपयोगिता	412
I भारत-अमेरिका सम्बन्ध परस्पर विरोधी छवि की राजनीति	416

विदेश नीति : एक परिचय

(Foreign Policy : An Introduction)

“हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं हैं और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु । केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुसरण-संबद्धन हमारा कर्त्तव्य है ।” — लॉर्ड पामस्टन

आधुनिक राज्य विश्व-समुदाय का लगभग बँसा ही सदस्य बनता जा रहा है जैसा व्यक्ति अपने समाज का सदस्य होता है । बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यह तथ्य विशेष रूप से प्रकट हो रहा है । सम्प्रति सयुक्त राष्ट्र सगठन की सदस्यता राज्य के सम्प्रभु अस्तित्व की एक कमीटी बन गयी है । सयुक्त राष्ट्र किसी मामले में चाहे प्रभावी कार्यवाही करने में अक्षम रहे, किन्तु उसके मंच पर तरसम्बन्धी होने वाले वाद-विवाद को अग्रदोषा कोई राज्य सामान्यतः करना नहीं चाहता । इस परिप्रेक्ष्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के मूल में निहित सिद्धान्तों एवं उनके व्यवहार का अध्ययन अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है । विदेश-नीति राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का मुख्य उपकरण है ।¹

जो नीति राष्ट्र के घरेलू मामलों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है उसे गृह नीति की और जो अन्य राष्ट्रों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है उसे विदेश नीति की मज्ञा दी जाती है । विदेश नीति के अन्तर्गत वे सभी दृष्टिकोण और कार्य सम्मिलित हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों के प्रति करता है । आधुनिक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो औपचारिक या अनौपचारिक, सरकारी या गैर-सरकारी, नियोजित या अनियोजित हो सकते हैं । लेकिन विदेश नीति से इन सभी सम्बन्धों और उनसे प्रेरित व्यवहारों का कोई अन्विषय सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि विदेश नीति के अन्तर्गत केवल उन्हीं सम्बन्धों की गणना होती है जो एक राज्य सरकार दूसरे राज्य के साथ सरकारी स्तर पर

स्थापित करती है। गैर-सरकारी स्तर पर स्थापित किए गए सम्बन्धों को हम विदेश नीति में सम्मिलित नहीं करते।

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

विदेश नीति को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। जॉर्ज मोडेलस्की के अनुसार "विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का वह व्यवस्थित और विकसित रूप है जिसके माध्यम से वे राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने का अथवा (यदि ऐसा सम्भव न हो तो) अपने व्यवहार को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं।" रोडी एन्डरसन तथा क्रिस्टल ने लिखा है कि "विदेश नीति के अन्तर्गत ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्त्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा सबर्द्धन के लिए दूसरे राज्य से बातचीत चलाता है।"

नोर्मन एल हिल की दृष्टि में "विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने अपने हितों के सबर्द्धन के लिए किए जाने वाले एक राष्ट्र के प्रयासों का सार है।"

इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करना है और यदि यह सम्भव न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है जिसमें अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रिया-कलापों के साथ तालमेल बैठ सके। विदेश नीति, इस प्रकार एक गतिशील तत्त्व है जिसका समय और आवश्यकता के अनुसार तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन-सबर्द्धन होता रहा है। राज्य दूसरे राज्यों के साथ, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, व्यवहार के सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण करता है और विदेश नीति बहुत-कुछ इन सामान्य सिद्धान्तों का समुच्चय (Group) है। विदेश नीति में केवल सामान्य सिद्धान्त ही सम्मिलित नहीं है वरन् इस बात का भी सक्रिय विचार सन्निहित रहता है कि इन सामान्य सिद्धान्तों को किस प्रकार अथवा किस विधि से व्यवहार में लाया जाए। यह विधि सुनिश्चित, म्याधी और स्थिर नहीं होती, वरन् राष्ट्रीय हितों और लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है। यह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय नीति के ही पक्ष हैं जिनमें एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा सम्बन्ध है। यह नीति विदेश नीति के लिए वातावरण तैयार करती है और विदेश विभाग की मशीनरी पर घरेलू राजनीति का पर्याप्त नियन्त्रण रहता है। सारांश में, यह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय हित प्राप्ति के साधन मात्र है।

विदेश नीति की प्रकृति (Nature of Foreign Policy)

विदेश नीति की प्रकृति को निश्चित शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस नीति का स्वरूप आवश्यकतानुसार बदलता रहता है। कभी बड़े निर्णयों द्वारा बड़े परिवर्तन होते हैं तो कभी साधारण सशोधनों द्वारा नीति में क्रमशः परिवर्तन लाए जाते हैं। प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया विदेश नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है और विदेश नीति के निर्णयकर्ताओं पर विभिन्न प्रकार की दशाओं का दबाव पड़ता रहता है जिससे उनके निर्णय अनुकूल अथवा प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं। विदेश नीति की प्रकृति का वर्णन करने के लिए हम तीन प्रमुख विचारकों के मतों का उल्लेख करेंगे—

- (क) विलियम कोपलिन के विचार,
- (ख) मोडेलस्की के विचार,
- (ग) रोजेनो के विचार।

(क) विलियम कोपलिन के विचार¹

विलियम कोपलिन ने विदेश नीति की प्रकृति को विदेश नीति निर्णय व्यवहार (Foreign Policy Decision Behaviour) के आधार पर समझाया है। उन्होंने विदेश नीति की प्रकृति का वर्णन करते हुए तीन प्रकार के वैदेशिक निर्णयों की विवेचना की है—

1. सामान्य विदेश नीति निर्णय (General Foreign Policy Decisions)
2. प्रशासनिक निर्णय (Administrative Decisions) एवं
3. संकटकालीन निर्णय (Crisis Decisions)

1 सामान्य विदेश नीति में नीति सम्बन्धी कथनों (Policy Statements) और सीधी कार्यवाही (Direct Actions) द्वारा अभिव्यक्त निर्णयों की शृंखला विद्यमान रहती है। उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी 'अवरोध' की नीति में सामान्य नीति सम्बन्धी कथन (जैसे अघ्यक्षीय भाषण) तथा विशिष्ट कार्यवाहियाँ (जैसे वियतनाम युद्ध) दोनों सम्मिलित थे। विदेश नीति का लक्ष्य सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी हो सकता है जैसा कि 'अवरोध की नीति' (Containment Policy) में था, अथवा राज्यों का विशिष्ट समूह भी हो सकता है जैसा कि कनाडा के साथ सैनिक तथा आर्थिक सहयोग की अमेरिकी नीति में था। बहुधा सामान्य नीतियाँ स्वयं परस्पर समर्थन करने वाली होती हैं।

राजनीति के क्षेत्र में सामान्य नीति का स्वरूप निश्चित करना प्रायः कठिन है। यह नीति सम्बन्धी निर्णयों के विपरीत, विदेश नीति सम्बन्धी अनेक निर्णयों में केवल सार्वजनिक कथन (Public Statements) और यदाकदा आकस्मिक आयोजन ही शामिल होते हैं। प्रायः नीति-विषयक कथन नीति के वास्तविक रूप को स्पष्ट नहीं करते, वरन् राज्यों के बीच अन्तःक्रियाओं में नियोजन स्थापित करते

1 William Coplin : Introduction to International Politics, 1974, pp. 31-34.

हैं। उदाहरणार्थ, प्रेसीडेंट जॉनसन द्वारा दिए गए नीति-विषयक कथन जिनके द्वारा मध्यपूर्व में इजराइल का समर्थन किया गया था, उस क्षेत्र में अरब राष्ट्रों के विरुद्ध अमेरिका की किसी सैनिक कार्यवाही के द्योतक नहीं थे हालांकि नीति विषयक उन कथनों में इस प्रकार का आशय अवश्य निहित था। कभी-कभी विशिष्ट निर्णयों में भ्रान्तरिक संगति दिखाई नहीं देती, चाहे नेतागण स्वयं यह सिद्ध करने का प्रयास करते हों कि एक सगत नीति (A Consistent Policy) क्रियाशील है। उदाहरण के लिए 1950 और 1960 के दशकों में संयुक्त अरब गणराज्य के प्रति रूसी नीति मिश्री विस्तार के प्रोत्साहन तथा उस विस्तार को रोकने के बीच अंधर में भूलती रही। अतः यद्यपि एक राज्य की सामान्य विदेश नीति पर विचार-विनिमय करना लाभदायक है तथापि इसको ठीक तरह पहचानना प्रायः कठिन है।

2. विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय का दूसरा प्रकार प्रशासनिक (Administrative) है। यह निर्णय सरकारी नौकरशाही के उन सदस्यों द्वारा लिया जाता है जो राष्ट्र के वंदेशिक मामलों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विदेश कार्यालय जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विभाग (Department of State) कहलाता है, नौकरशाही का प्रारम्भिक संगठन है, किन्तु अन्य सरकारी संस्थाएँ जैसे सेना, खुफिया विभाग तथा वाणिज्य विभाग भी विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निर्णयों में सम्मिलित होने हैं। प्रशासनिक निर्णय, निम्नस्तर के सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाने के अतिरिक्त, आमतौर से स्थान, क्षेत्र तथा काल में बँधे हुए होते हैं, अर्थात् वे एक विरोधी देश के सम्बन्ध में किसी खास समस्या के बारे में एक निश्चित समय हेतु लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त-राज्य में किमी विशेष वर्ष के लिए एक विशेष देश के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध का निर्णय, राज्य विभाग की नौकरशाही द्वारा निम्न स्तर पर लिया गया प्रशासनिक निर्णय होता है।

सामान्य नीति तथा प्रशासनिक नीति के सम्बन्धों तथा उनकी विशिष्टताओं का स्वरूप 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध तथा 1950 के दशक के पूर्वार्द्ध व पश्चिमी जर्मनी के प्रति अपनाई गई अमेरिकी नीति में दिखाई देता है। संयुक्त राज्य की सामान्य नीति 'अवरोध' (Containment) की थी, इसका अर्थ था पश्चिमी जर्मनी व बर्लिन में सोवियत संघ के नियन्त्रण के विस्तार को रोकना। इस सामान्य नीति के अधीन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे, विशेष रूप से बर्लिन व पश्चिम जर्मनी पर जोष पूर्वी यूरोप से पृथक् करने वाली सीमाओं के पार में आने वाले जन-धन की बहुलता निश्चित करने की विधि के सम्बन्ध में। चूंकि अवरोध की रणनीति का महत्वपूर्ण भाग यह था कि सोवियत संघ को संयुक्त राज्य के हठ इरादों को बचा दिया जाए अतः छोटे से छोटे अमेरिकी निर्णय का दूरगामी परिणाम हो सकता था। इसलिए बहुल-सीमावर्ती घटनाओं में उठने वाले प्रश्नों का समाधान निम्नस्तरीय सैनिक तथा विदेश नीति के अधिकारियों को इस प्रकार करना होता था कि सोवियत संघ को आक्रामकता का नहीं, बल्कि अमेरिकी हठना का बोध हो जाए।

स्पष्टतः प्रशासन निर्णय राज्य की सामान्य विदेश-नीति द्वारा निश्चित होते हैं। राज्य A के राजनीतिक नेताओं से राज्य B के प्रति सामान्य नीति निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है तथा नौकरशाही के सदस्यों से परिस्थिति विरोध में लिए गए निर्णय को लागू करने की आशा की जाती है। दशक 1940 के उत्तरार्द्ध के दरम्यान बर्लिन व पश्चिमी जर्मनी सम्बन्धी अमेरिकी नीति से ऐसा लगता है कि सामान्य विदेश नीति ने अधिकांश प्रशासनिक निर्णयों को नियन्त्रित किया था।

3 तीसरे प्रकार का अर्थात् सकटकालीन निर्णय (The Crisis Decision) उपरोक्त दोनों प्रकार के निर्णयों का मिश्रण है। राज्य की सामान्य विदेश नीति पर सकटकालीन निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वह तत्कालीन नीति को पुनः पुष्टि कर सकता है, जैसा कि 1960 तथा 1970 के दशक में हिन्द-चीन के क्रमिक संकटों में संयुक्त राज्य के हस्तक्षेप द्वारा हुआ था। सकटकालीन निर्णय विदेश नीति में परिवर्तन का संकेत भी दे सकता है जैसा कि 1950 में हुआ था जबकि संयुक्त राज्य ने दक्षिण कोरियाई जनता के पक्ष में हस्तक्षेप कर एशिया में अमेरिकी नीति के सम्बन्ध में परिवर्तन किया था। सकटकालीन निर्णय अपने विश्वव्यापी प्रभावों के बावजूद विशिष्ट निर्णायक परिस्थितियों की ओर भी परिलक्षित हो सकता है जैसा कि उत्तरी कोरिया द्वारा उत्तर कोरियाई जल-सीमा पार करने पर अमेरिकी खुफिया जहाज 'प्यूलो' के जब्त करने के मामले में हुआ था। इस कार्य 'कोन्सेट्रेटरी ऑफ स्टैंट डीन रस्क' ने युद्ध जैसा आक्रमण-कार्य बताया था। साधारणतः सकटकालीन निर्णय प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कुछ ही राष्ट्रों तक एवं तत्कालीन कार्यवाहियों तक ही सीमित रहते हैं यद्यपि उनके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।

सकटकालीन निर्णय सभी प्रकार के कार्यों में हो सकते हैं, किन्तु वे विदेश-नीति के क्षेत्र में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं। चूँकि राज्यों के आधारभूत सम्बन्ध सम्मिलित (उभय) सस्थाओं के व्यवहार के तरीके की अपेक्षा पारस्परिक सौदेबाजी पर निर्भर होते हैं, अतः विदेश नीति विषयक निर्णय लेने में संकट सामान्य बात होती है चाहे यह एक दिन द्वारा जानबूझ कर पैदा किया गया हो अथवा अनजाना प्रभाव हो।

विदेश नीति विषयक संकट (A Foreign Policy Crisis) एक ऐसी स्थिति है जिसमें कम से कम राज्य महसूस करता है कि व्यवस्था (System) के एक या अधिक राज्यों के बीच सम्बन्धों में संकट बिन्दु उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त स्थिति के प्रति अति आवश्यकता का भाव होता है, अर्थात् शीघ्र ही किसी निर्णय की आवश्यकता की मान्यता। चाहे जिसी कार्यवाही का निर्णय नहीं लिया जा रहा हो, संकट की स्थिति ऐसी हालत पैदा कर देती है जो विदेश-नीति-निर्माताओं को विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए उत्तेजित करती है।

चूँकि संकट अपेक्षाकृत विशिष्ट निर्णयों की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो सामान्य विदेश नीति के परिणामों से प्रभावित होते हैं, उनमें भी सामान्यतया निम्न

और उच्च स्तरीय दोनों ही प्रकार के अधिकारी शामिल होते हैं। उदाहरणार्थ वयूवा के प्रक्षेपास्त्र सकट में निम्नस्तरीय युफिया अधिकारियों ने ही सर्वप्रथम वयूवा में प्रक्षेपास्त्र पहुँचाने की सोचियत मध्य की कार्यवाहियों का पता लगाया था। इसकी सूचना उच्चस्तरीय अधिकारियों को प्रेषित की गई थी, किन्तु जिम फुर्ती और सही तरीके से युफिया अधिकारियों ने यह सूचना भेजी थी वह उस पद्धति का महत्वपूर्ण अंग थी जिससे प्रेसीडेंट केनेडी और उनके परामर्शदाताओं ने स्थिति को संभाला था।

स्पष्ट है कि विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लेना, सामान्य नीति, प्रशासनिक तथा सकटकालीन निर्णय लेने का मिश्रण है (Foreign policy decision-making is a mixture of general policy, administrative and crisis decision-making)। सामान्य विदेश नीति सम्बन्धी स्थितियाँ निम्नस्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके दैनिक कार्यक्रम के अंग के रूप में की गई कार्यवाहियों का परिणाम होती है ठीक उसी तरह जैसे कि वे सकटकाल में लिए गए निर्णयों का परिणाम होती हैं। इसके साथ ही सामान्य विदेश नीति प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियमित मामलों में तथा सकट निर्णयकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के मध्य मार्ग-दर्शन का कार्य करती है। प्रशासनिक निर्णय किसी सकटकालीन निर्णय (A crisis decision) को दिशाबोध भी दे सकते हैं—या तो सकट को आरम्भ होने से पूर्व ही रोक दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि जिसमें सकट की सम्भावना बढ़ जाय। अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आभाधारण स्वरूप के कारण, सकट सम्बन्धी निर्णय बहुधा सामान्य विदेश नीति का सम्पूर्ण क्रम ही बदल देते हैं—जैसे कि कोरिया में हस्तक्षेप के निर्णय में संयुक्त राज्य के लिए दृष्टा—तथा उन प्रशासनिक विधियों को रूप देते हैं जिनसे काम लेना है—जैसा कि 1948 में पश्चिम जर्मनी की संयुक्त-राज्यीय सेनाओं के लिए बर्लिन-नाकाबन्दी के समय हुआ।

(ख) मोडेलस्की के विचार

मोडेलस्की के अनुसार विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य अन्य राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास है तथा उस व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त करना है। मोडेलस्की विदेश नीति को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुरूप ढालना चाहता है। यदि राज्य या राज्यों के व्यवहार में सम्भव या अभीष्ट परिवर्तन न लाया जा सके तो वे क्रियाएँ विदेश नीति के क्षेत्र के बाहर हैं। मोडेलस्की का यह अभिमत अमन्तोपजनक व अपर्याप्त है। हम, उनके इस कथन से तो महमत है कि प्रत्येक राज्य का यह उद्देश्य हो कि उसकी विदेश नीति अन्य राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सफल हो परन्तु इस बात से अमहमत है कि जिस व्यवहार को बदलना नहीं जा सकता या जिसे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, उसे विदेश नीति के क्षेत्र से ही बाहर रखना चाहिए। विदेश नीति का उद्देश्य प्रमुखतः अपने बल, प्रभाव, मत्ता एवं अन्य माधनों से दूसरे राज्यों के

व्यवहार में परिवर्तन लाना नहीं होता। जो राज्य अन्य राज्यों के व्यवहार को अपने ही पक्ष या हित में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं वे राज्य आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के युग में नवोदित राष्ट्रों एवं विशेष रूप से उन राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते जो 'दबाव राजनीति' (Pressure Politics), 'आर्थिक साम्राज्यवाद' (Economic Imperialism) व 'सशर्त सहयोग' (Qualified Support) एवं 'बन्धनयुक्त आर्थिक सहायता' के प्रबल शत्रु हैं।

विदेश नीति का उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को नियमित करना है। यह नियमन (Regulation) उस राज्य की आवश्यकताओं, अभिलाषाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, बौद्धिक परिस्थितियों एवं मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। नियमन का अभिप्राय अन्य राज्य के व्यवहार को अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि में रखते हुए 'सही बैठाना' (Adjust) है। कभी ऐसा भी होता है जब एक राज्य को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन इस रूप में करना होता है जिससे दूसरे राज्य का व्यवहार उसके पक्ष में हो जाए। एक महान् शक्तिशाली देश भी सदैव के लिए सर्वशक्तिमान (Omnipotent) नहीं रह सकता। विश्व कार्य के ढाँचे (Pattern) में परिवर्तन आने के साथ-साथ उसकी विदेश नीति में परिवर्तन आना भी अनिवार्य है। यदि इस तथ्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया तो वह राष्ट्र भ्रान्तियों, भय और अस्थिरता का शिकार हो जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री डॉ. विल्सिंगर ने वर्तमान पद पर आसीन होने से पूर्व अपने राष्ट्र को चेतावनी दी थी कि अब अमेरिका की विदेश नीति के मापदण्डों (Yardsticks) को बदलना होगा। अमेरिका को 'अभेद्य' (Invulnerable) मानना उसके लिए अत्यन्त घातक होगा। स्थिति की गम्भीरता, परिस्थितियों की जटिलता, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की वास्तविकताओं एवं नवोदित राष्ट्रों की मुक्त शक्ति ने अमेरिका को नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य कर दिया है।

भारत को कश्मीर के प्रश्न पर सदैव रूस का समर्थन मिलता रहा है परन्तु ब्रिटेन और फ्रांस का दृष्टिकोण भारत के विपक्ष में रहा है। अतः हमें अपनी विदेश नीति में ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि असन्तुष्ट और इस ओर से उदासीन राष्ट्रों का सहयोग देश के हित में प्राप्त किया जा सके। डॉ. हेनरी कीसिंगर ने अमेरिका के विदेश नीति-निर्माताओं को सगाह दी थी कि उन्हें निरर्थक रूप से इस बात पर विवाद नहीं करना चाहिए कि उन्हें कठोर बनना है या लचीला, शत्रुतापूर्ण रखना अपनाना है या मित्रतापूर्ण। चूंकि अमेरिका राजनयिक दृष्टि से साम्यवादी देशों के साथ सामना या समझौता करने में अनिच्छुक रहा है, अतः साम्यवादियों को 'शान्ति के समर्थक' के रूप में प्रकट होने का अवसर मिला है। बहने का तात्पर्य है कि विदेश नीति यथास्थिति (Status-quo) और परिवर्तन (Change) दोनों में विश्वास करती है। यदि राष्ट्रीय हितों की अधिकतम रक्षा करनी है तो हमें मोडेलस्की की परिभाषा में सशोधन करना होगा। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की अधिकतम गारन्टी तभी सम्भव हो सकती है जब परिवर्तन या यथास्थिति द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को नियमित किया जाए।

1. **व्यक्तिगत चर समूह (Individual Variables)**—व्यक्तिगत चरों के अन्तर्गत नीति निर्माता के समस्त पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जैसे उसके मूल्य, योग्यता, पूर्व-प्रनुभव आदि। व्यक्तिगत चरों के उदाहरणों में फॉस्टर के धार्मिक मूल्य (Religious Values), डिगॉल के 'शानदार फ्रांस की दूरदर्ष्टि' (Vision of Glorious France) और ख्रुश्चेव का राजनीतिक चातुर्य आदि प्रमुख हैं।

2 **भूमिका चर (Role Variables)**—इसके अन्तर्गत कर्मचारियों का बाह्य व्यवहार आता है जो उनकी भूमिका पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत विशेषताएँ चाहे कुछ भी हों परन्तु भूमिका धारणकर्ता का बाह्य व्यवहार तो प्रबल अवश्य होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका का मयुक्त राष्ट्रसभ में कोई भी राजदूत हो, उसे सुरक्षा परिषद् और महासभा में अमेरिका के हितों एवं स्थिति की रक्षा करनी होगी।

3. **राजकीय चर (Governmental Variables)**—विदेश नीति पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सम्बन्धों का प्रभाव राजकीय चरों के कार्य को प्रदर्शित करता है।

4 **अराजकीय या समाजीय चर (Non-Governmental or Societal Variables)**—इसके अन्तर्गत समाज के अराजकीय पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो बाह्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाज की राष्ट्रीय एकता का अर्थ इसके औद्योगीकरण की सीमा आदि समाजीय चर है जो कि राष्ट्र की बाह्य प्रभिलाषाओं और नीतियों के सार में योग देते हैं।

5 **व्यवस्थित चर (Systematic Variables)**—समाज के बाह्य पर्यावरण के किमी मानवहीन पक्ष को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 'भौगोलिक वास्तविकताएँ' और अपने प्रभावशाली आक्रान्ता से 'वैचारिक चुनौतियाँ' (Ideological Challenges) व्यवस्थित चरों के स्पष्ट उदाहरण हैं जो विदेश नीति के कर्मचारियों के निर्णयों और क्रियाओं को रूप (Shape) प्रदान करते हैं।

ये विदेश नीति के पूर्व-सिद्धान्त की विशेषताएँ हैं। इनका (चरों का) सापेक्षिक महत्त्व एक प्रभाव है। विश्लेषण के स्तरों में व्यवहार को कोई एक ही चर प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत, राजकीय, समाजीय आदि अनेक चर अपनी भूमिका निभाते हैं। इन विभिन्न प्रकार के चरों के समूहों में किसको कितनी प्राथमिकता दी जाए, इसका पता लगाना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। इस कठिनाई से बचने के लिए रोजेनो का मत है कि वास्तविक परिस्थितियों में मस्तिष्क द्वारा कुशलता एवं चतुराई से संचालित चरों पर निर्भर करना होता है। मस्तिष्क में परिस्थिति के अनुसार समीकरण लागू करना होता है। इसके लिए कोई निश्चिन्त सूत्र (Definite Formula) नहीं है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वंसा कदम उठाया जाना चाहिए। अतः इन सबके लिए 'मानसिक बसरत' (Mental Exercise) को विस्तृत करना होता है। जो बाधाएँ आती हैं उन पर धैर्य और अन्तर्दृष्टि से काबू पाया जा सकता है।

विदेश नीति का विकास

अथवा

विदेश नीति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

(Historical Development of Foreign Policy)

विदेश नीति का इतिहास सुदूर अतीत में तब से प्रारम्भ होता है जब राज्य के रूप में संगठित सामुदायिक जीवन अस्तित्व में आ गया था। यद्यपि विदेश नीति का उतना स्पष्ट, विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन पहले कभी नहीं हो सका था जितना आज हो चुका है, तथापि किसी-न-किसी रूप में विदेश-नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार मयन होता रहा था और कौटिल्य, हेरोडोटस जैसे प्राचीन चिन्तकों ने विदेश नीति पर बहुत कुछ चर्चा की थी। डॉ. अरविन्द नारायण सिन्हा ने अपने लब्ध-प्रतिष्ठित ग्रन्थ में विदेश-नीति के इतिहास को संक्षेप में यो चित्रित किया है—

राष्ट्र राज्यों का विकास यूरोप में मध्य युग के अवसानकाल में हो रहा था। परराष्ट्र-नीति का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना राज्य के रूप में संगठित सामुदायिक जीवन का इतिहास। कौटिल्य और हेरोडोटस जैसे प्राचीन चिन्तकों ने परराष्ट्र-नीति के आधार, उद्देश्य तथा स्वरूप की चर्चा की है। कौटिल्य ने राज्यों के मण्डलों की चर्चा करते हुए लिखा है कि राज्य के सीमान्तवर्ती पड़ोसी उसके सम्भावित शत्रु तथा उनके सीमान्तवर्ती उसके सम्भावित मित्र होंगे। प्राचीन युग में मिस्र, चीन, भारत, फारस, यूनान, सायराक्युज, कारथेज, रोम आदि में सुसंगठित राज्यों तथा साम्राज्यों का उद्भव हुआ था। इनमें कई ने दौत्य सम्बन्ध, मन्धि-व्यवस्थाएँ, कूटनयिक आचार-व्यवहार आदि का पर्याप्त विकास किया था। शक्ति-सन्तुलन जैसे परराष्ट्र-नीति के आधारभूत सिद्धान्तों के कई उदाहरण इन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में लक्षित होंगे।

किन्तु प्राचीन युग में यातायात तथा संचार की कठिनाइयों एवं कई अन्य कारणों से अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों का अधिक विकसित तथा प्रसारित होना कठिन था। अधिकतर राज्य एक-दूसरे को अपना शत्रु समझते थे। द्विविजय राज्यों के अधिपतियों की सर्वाधिक प्रिय महत्वाकांक्षा बनी रहती थी। राजनीति अधिपतियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के हेतु संचालित की जाती थी तथा अक्सर उनके या उनके मन्त्रियों के खेल के समान होती थी।

मध्य युग तक स्थिति कुछ ऐसी ही रही। मध्य युग के प्रारम्भिक चरण में पश्चिमी एशिया में इस्लाम का उदय हुआ। कुछेक दशकों के भीतर उसकी वंजयन्ती स्पेन से सिन्ध तक फैला उठी। चीन में 'नेसर्गिक' साम्राज्य के अधिपति बाहरी दुनिया से सम्पर्क स्थापित करना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिद्वल समझते थे। भारत में विस्तृत सल्तनत एवं साम्राज्य स्थापित तथा विघटित होते रहे। बाद में फारस में एक शक्तिशाली साम्राज्य कई सदियों तक फूलता-फलता रहा। इनकी परराष्ट्र-नीति यदा-कदा दौत्य सम्बन्ध तथा साम्राज्य-प्रसार की प्रतिस्पर्धाजन्य आवश्यकतियों तक ही सीमित रह सकती थी।

मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई आधिपत्य की भावना का विकास हुआ। ईसाई धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी रोम का पोप तथा साम्राज्य उदीयमान राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का कुछ अंशों तक नियमन करते थे। वैसे उस काल तक केन्द्रीय शक्ति-सम्पन्न राज्य सच्चे अर्थ में विकसित होने की प्रक्रिया में ही थे। अधिकतर राज्यों में सामन्त सरदारों का बोनदाला बना रहता था। उनके आपसी युद्धों का कभी अन्त ही नहीं होता था। ब्रिटेन का 'वास ऑफ द रोजे' इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का शतवर्षीय युद्ध भी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध उतना नहीं था जितना कि सामन्ती सरदारों का प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष। फिर भी पोप का तथाकथित 'पवित्र रोमी साम्राज्य' का अलक्षित किंवा भीना आधिपत्य छोटो-छोटे यूरोपीय राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर कुछ हद तक नियन्त्रण तथा निदेशन रखता था, किन्तु धर्मसुधार की वाद में यह भीता नियमन भी विलीन हो गया। फ्रांस, आस्ट्रिया, ब्रिटेन स्पेन तथा हालैण्ड नवोदित दुर्विजय शक्तियों के रूप में यूरोपीय राजनीतिक आवाश पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। जर्मनी का तीमवर्षीय युद्ध एवं तदुपरान्त वेस्टफालिया की सन्धि के साथ एक युग की समाप्ति तथा दूसरे युग-यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के युग का शुभारम्भ होता है। परराष्ट्र-नीति के, आधुनिक अर्थों में, इतिहास का आरम्भ भी यही से माना जा सकता है। मोटे तौर से यह काल सोलहवीं सदी का अन्त तथा सत्रहवीं सदी का आरम्भ था। इसके पूर्व पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्मुधार, नई दुनिया की खोज, प्राच्य को जाने वाले समुद्री मार्ग का पता लगने आदि के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय चेतना तथा उस पर आधारित प्रतिस्पर्धाएँ विकसित होने लगी थी। 'मेरा देश सही या गलत' (माइ कन्ट्री, राइट आर राँग) की भावना ब्रिटेनवागियों, फ्रांसीसियों, स्पेनियों, उच्चों आदि में जागृत होने लगी थी। शक्ति-सम्पन्न सम्प्रभु राज्यों (Sovereign States) के उदय से अन्तरराज्य सम्बन्धों (Inter-state Relations) की परम्परा का प्रारम्भ हो चुका था। फलतः पश्चिमी यूरोपीय राज्यों पर परराष्ट्र-नीति का मचालन करने हेतु एक पृथक् मन्त्रालय या विभाग का उद्भव होने लगा। धीरे-धीरे प्रत्येक देश में पेशेवर कूटनयिकों का एक वर्ग विकसित हुआ। अक्सर 17वीं सदी के मध्य तक तो अवश्य ही ऐसे राजनयिक (Diplomats) विदेशी सरकारों के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे तथा पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य निष्पन्न करते थे। अधिकतर ऐसे राजनयिक सर्वोच्च नीति-निर्धारक नहीं हुआ करते थे, फिर भी परराष्ट्र-नीति के मचालन में तथा नीति-निर्धारण के अनुप्रेरक तत्त्व प्रस्तुत करने में इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हाथ होता था। पेशेवर एवं सुप्रशिक्षित राजनयिकों का युग लगभग प्रथम विश्वयुद्ध तक रहा।

विदेश नीति का क्षेत्र

(Scope of Foreign Policy)

विदेश-नीति के दो पक्ष होने हैं—सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक। सैद्धान्तिक पक्ष के अन्तर्गत (1) हम उन अनुप्रेरक तत्वों का जिनसे किसी देश की विदेश-नीति

निर्धारित होती है तथा (2) उसके मूल, गौण एवं तात्कालिक लक्ष्यो का अध्ययन-विश्लेषण करते हैं। इनका व्यावहारिक पक्ष वस्तुतः नीति-निर्धारको द्वारा निर्णीत करना एवं स्वीकृत नीतियो का कार्यान्वयन-विदेश नीति का क्रियात्मक रूप है।¹

इस प्रकार विदेश नीति के अन्तर्गत वे सभी सिद्धान्त एवं आचरण-संहिताएँ आऐंगी जिनसे सम्प्रभु सरकारें अन्तरराज्य सम्बन्धो के परिचालन में निर्देशित होती है। इनके अतिरिक्त तथा कदाचित् अधिक महत्त्वपूर्ण होती है विभिन्न राज्यों के सन्दर्भ में राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वीकृत लक्ष्यो की प्राप्ति के हेतु की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियाँ। अपने सीमान्तो से परे, स्वीकृत लक्ष्यो की उपलब्धि के उद्देश्य से सरकार जो कुछ भी करती है—शान्ति या विग्रह, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, सौहार्द्र या शत्रुता, सुलह-समझौता या चुनौती देना, पुनर्मेल या तनाव में वृद्धि—यह सब विदेश नीति के अन्तर्गत आता है। कुल मिलाकर विदेश नीति के अन्तर्गत उसके लक्ष्य, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश स्थायी एवं तात्कालिक अनुप्रेरणों, कार्य-पद्धतियाँ, उपकरण, तरीके, कार्यवाहियाँ तथा परिणाम आदि आ जाते हैं। एक राज्य अन्य राज्य या राज्यों के सन्दर्भ में जो निर्णय लेता है एवं कार्यवाहियाँ करता है, वे उसकी विदेश नीति के अंग होते हैं। इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर राज्य सरकारों की विशेष परियोजनाओं, कार्यक्रमो के निर्धारण तथा संचालन के अध्ययन का विशेष महत्त्व होता है। ये योजनाएँ या कार्यक्रम नर्तक, पर्यटन, गायक आदि के आदान-प्रदान में लेकर सैनिक बातचीत तक हो सकते हैं; विदेश नीति के ये विशिष्ट अंग होते हैं।²

विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of Foreign Policy)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिलता-भरे इस युग में किसी भी एक राष्ट्र की विदेश नीति को हम भली-भाँति तब ही समझ सकते हैं जबकि अन्य राष्ट्रों की विदेश नीतियो के साथ तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करें। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो क्रान्ति आई है उसके कम से कम तीन विशिष्ट पहलू हैं। प्रथम पहलू सैनिक विज्ञान और तकनीकी में अप्रत्याशित प्रगति है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष के स्तरों को निपेघात्मक रूप से बढ़ा दिया है और राष्ट्रों की विदेश नीति तथा कूटनीति पर भारी बोझ लाद दिया है। दूसरा पहलू अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का है, उसका शताब्दियो पुराने यूरोप-केन्द्रित नमूने से एक ऐसे नमूने अथवा प्रकार (Pattern) में रूपान्तर है जिसमें प्रभुत्व और पहल अथवा नेतृत्व (Initiative) के मुख्य केन्द्र हैं—समुक्तराज्य अमेरिका और रूस जिसमें लेटिन अमेरिका, मध्यपूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया ने पहल के केन्द्रो तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लक्ष्यो के रूप में भारी महत्त्व अर्जित कर लिया है। तीसरा पहलू यह है कि मोवियत सघ आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक

राष्ट्रीय शक्ति के रूप में ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के माध्यम से विश्व भर में राष्ट्रों की आन्तरिक राजनीति में प्रत्यक्ष घुसपैठ कर ली है।

विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए इन तीन पहलुओं अथवा विकासों के प्रभाव, परिणाम आदि स्वतः स्पष्ट हैं। विदेश नीति में जो महान् उत्तरदायित्व अन्तर्निहित है उसकी माँग है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समझाओ, उसके विवादों और प्रभावों को समझने के अपने प्रयासों में पूर्ण सचेतना और त्वरित बुद्धि से काम लें। वर्तमान युग में साम्यवादी शक्तियाँ और गैर-पश्चिमी क्षेत्रों का जो उदय हुआ है तथा दूसरी ओर यूरोप का जो सापेक्ष पराभव हुआ है उसने यह आवश्यक ठहरा दिया है कि हम पहले के समान केवल अमेरिकन विदेश नीति और यूरोपीय कूटनीति पर ही अपना ध्यान विशेष तौर पर केन्द्रित न रखें। आज हमारे लिए टर्की, मयुक्त अरब गणराज्य, इण्डोनेशिया, बर्मा, भारत, पाकिस्तान आदि की विदेश नीति के व्यवहारों और तत्त्वों को जानना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और रूस की विदेश नीति की। इसके अतिरिक्त गैर-पश्चिमी क्षेत्रों के अधिकांश देशों में आज जो राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है और महाशक्तियाँ जिस प्रकार एशिया और अफ्रीका के देशों में घुसपैठ तथा हस्तक्षेप की नीतियों को अपना रही हैं, उसके प्रकाश में हमारे लिए यह जानना भी समीचीन है कि विश्व के इन विभिन्न देशों की आन्तरिक राजनीति कैसी है। हमें यह देखना होगा कि इन देशों की राजनीतिक समस्याओं में कितना स्यायित्व है, वहाँ किन आन्दोलनों का प्रभाव है, वहाँ की नीति प्रवृत्तियाँ क्या हैं, वे देश अपनी जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने तथा साम्यवादी और पूँजीवादी शक्तियों की घुसपैठ का सामना करने में कहीं तक सक्षम हैं। कहने का आशय यह है कि विदेश नीति के अध्ययन में हमें केवल गैर-पश्चिमी विश्व के नए देशों को ही सम्मिलित नहीं करना है बल्कि उनमें विद्यमान सामाजिक शक्तियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों और अपेक्षाओं का भी अध्ययन करना है तथा विदेश नीति-निर्णयों और ममकालीन कूटनीतिक व्यवहारों के प्रत्यक्ष नमूनों को भी गहराई में पढ़ना है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के विद्वानों ने इन उपयुक्त चुनौतियों का मुख्यतः तीन रूपों में अध्ययन किया है। प्रथम, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया का कठोर और व्यवस्थित शब्दों में वर्णन किया है। द्वितीय, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साधनों के मिडान्तों का निर्माण करने का प्रयत्न किया है—विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संचार और प्रचार के, विदेशी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक साधनों के प्रयोग के, तथा विदेश नीति के संचालन में नैतिक शक्ति के प्रयोगों और उनकी सीमाओं के मिडान्त के। तृतीय, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित देशों की विदेश नीतियों के उनके अध्ययन ने नवीन और उत्पादक अथवा रचनात्मक दिशा ग्रहण की है।

जैसा कि स्पष्ट है, आज तुलनात्मक सरकारों का क्षेत्र पश्चिमी यूरोपीय संकीर्णतावाद से ऊपर उठ चुका है अर्थात् तुलनात्मक सरकारों के आज के अध्ययन में गैर-पश्चिमी देशों का अध्ययन पर्याप्त महत्त्व ले चुका है। आज केवल औपचारिक संस्थावाद (Formal Institutionalism) का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि राजनीतिक समुदायों और व्यवहारों का अध्ययन भी बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राष्ट्रों की नीति-निर्माणकारी प्रक्रियाओं (Policy-Making Processes) पर उनका पूरा प्रभाव रहता है। कूटनीतिक इतिहास के अनुशासन में आज केवल विदेशी कार्यालयों के सरकारी निरुणों और कूटनीतिकों के सक्रिय कार्यकलापों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राज्यों की आन्तरिक राजनीति और विदेश तथा गृह राजनीति और नीति के आदान-प्रदान आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।

आदर्श रूप में यह उचित होगा कि विदेश नीति के तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य ध्येय विदेश नीति के पात्रों (Actors) के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रकारों और उनके उदय, निरन्तरता और रूपान्तर से सम्बन्धित दिशाओं की खोजबीन करना हो। बनिस्पत इसके कि हम 'महान्' और 'लघु' शक्तियों, 'साम्राज्यवादी' और 'शान्तिपूर्ण' शक्तियों, 'सम्पन्न' और 'विपन्न' राष्ट्रों, 'क्रान्तिकारी' और 'अनुदारवादी' शक्तियों तथा अन्य इसी प्रकार के विवादों के चक्कर में पड़े, यह अधिक अच्छा है कि हम अपने सिद्धान्त को अनुभववादी अध्ययनों के सारपूर्ण सग्रह पर केन्द्रित करें। तुलनात्मक विदेश नीति-अन्वेषण और विश्लेषण के ऐसे क्षेत्र के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के साधनों के सिद्धान्त की बड़ी उपयोगिता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का किसी भी एक निश्चित समय में चाहे जो भी स्वरूप हो—चाहे वह स्थायी या अस्थायी हो, द्विध्रुवीय हो या बहुध्रुवीय, चाहे वह एकीकृत अन्तर्निर्भर व्यवस्था हो अथवा उसमें न्यूनाधिक स्वायत्त उप-व्यवस्थाएँ सम्मिलित हो—वह स्वतन्त्र राष्ट्रों अथवा पात्रों के उन प्रकारों पर निर्भर होगा जो उस व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार विदेश नीति के पात्रों का वर्गीकरण और विश्लेषण करने के किसी भी प्रयास में उन विशिष्ट तर्कों का अध्ययन करना होगा जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्र अपने साधनों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सन्दर्भ में अपने दृष्टिकोणों और व्यवहारों, अपने कूटनीतिक उपायों, अन्तर्राष्ट्रीय संचार के उपायों और अपने सैनिक तथा आर्थिक साधनों के प्रयोग के तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलनात्मक विदेश नीति के तुलनात्मक अथवा उत्पादक अनुशासन का विकास अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में विशेष महत्त्वपूर्ण है। तुलनात्मक सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो इस दिशा में आवश्यक है ही। संक्षेप में, तुलनात्मक विदेश नीति में अन्वेषण का कोई भी श्रेष्ठ कार्यक्रम केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष समझना और प्रत्यक्ष व्यवस्था को पूरी तरह हृदयगत करना भी आवश्यक है। विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन

तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन को यदि बहुत कुछ देना है तो उनमें बहुत कुछ देना भी है।

विदेश नीति की दृष्टि से यदि हम किसी भी देश का अध्ययन करें तो उनमें गेब्रियल ए. आल्मण्ड (Gabriel A Almond) के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित बातें अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए—(1) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (2) विदेश नीति-निर्माण-प्रक्रिया की विशेषताएँ, एवं (3) उस देश की विदेश नीति का सार जिसमें विदेश नीति के उद्देश्य और उनकी पूर्ति के साधनों का अध्ययन सम्मिलित है।

इन उपर्युक्त तीनों अध्ययनों में जिन विशिष्ट पहलुओं पर अध्ययन करना अपेक्षित है, उनकी मोटी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है—

(क) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1 देश का भीतरी और बाहरी इतिहास, विशेष रूप से उन पहलुओं का अध्ययन जिनका समकालीन विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- 2 आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमता अर्थात् देश का आर्थिक विकास।
3. सांस्कृतिक और सामाजिक विकास।
- 4 राजनीतिक ढाँचा और सैद्धान्तिक प्रवृत्तियाँ।
- 5 देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन।
- 6 विदेश नीति की मुख्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ।

(ख) विदेश नीति-निर्माण

1 सरकारी अभिकरण—कार्यपालिका (प्रधानमंत्री, सम्बन्धित मन्त्रिगण तथा अन्तर्मन्त्रिमण्डलीय अथवा अन्तर्विभागीय सगठन) एवं व्यवस्थापिका (सम्बन्धित समितियों सहित)।

2 गैर-सरकारी अभिकरण—राजनीतिक दल, हित-समूह, जनमत की विशेषताएँ आदि।

उपर्युक्त सभी उपकरणों की भूमिका और इनकी नीति-प्रवृत्तियों का आवश्यकतानुसार अध्ययन अपेक्षित है। उदाहरणार्थ, यह ध्यान रखना होगा कि मन्त्रियों में अथवा कार्यपालिका-व्यवस्थापिका में अथवा राजनीतिक दलों और हित समूहों में नीति सम्बन्धी प्रवृत्तियों में क्या अन्तर या मतभेद हैं।

(ग) विदेश नीति का सार

यह भाग अपने दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक है और समकालीन स्थिति से सम्बन्ध रखता है। इसमें जिन बातों का अध्ययन सम्मिलित है उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—

- 1 देश अपनी विदेश नीति के हितों और उद्देश्यों को किम तरह प्रभावित करता है तथा किन साधनों के मयोग द्वारा वह उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है?
2. आर्थिक विदेश नीति—आयात-निर्मात कर, व्यापार नियन्त्रण, निवेश, विदेशी सहायता आदि।

3. सांस्कृतिक एवं सैद्धान्तिक विदेश नीति—सांस्कृतिक बन्धन, भाषा और संचार के बन्धन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सैद्धान्तिक गतिविधियाँ ।

4. सुरक्षात्मक विदेश नीति—कूटनीतिक बन्धन और उद्देश्य (संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका सहित), सैनिक क्षमता, सैनिक समस्याएँ और लक्ष्य ।

यदि विदेश नीति के तुलनात्मक अध्ययन में उपर्युक्त सभी पहलुओं के विभिन्न पक्षों का सचेत अध्ययन किया जाये तो उद्देश्य में वांछित सफलता की निश्चित सम्भावना है ।

विदेश नीति के दृष्टिकोण

(Approaches to Foreign Policies)

केनेथ डब्ल्यू. थॉम्पसन (Kenneth W Thompson) का अभिमत है कि फ्रेंच क्रान्ति के समय ही पाश्चात्य चिंतन में विदेश नीति के प्रति निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा रही है—

1. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण (Ideological Approach), एवं
2. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Analytical Approach) ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण (Ideological Approach) के अनुसार राज्यों और उनके सम्मुख अथवा मुकाबले शेष विश्व की नीति (The Policies of States vis-a-vis the rest of the world) केवल प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्तियाँ हैं । इन दृष्टिकोणों की मान्यता है कि विदेश नीतियाँ प्रजातान्त्रिक अथवा सर्वाधिकारवादी, उदारवादी अथवा समाजवादी, शान्तिप्रिय अथवा आक्रामक आदि रूपों में वर्गीकृत की जाती हैं । इसके विपरीत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Analytical Approach) में यह धारणा सन्निहित है कि विदेश नीति के बहुमस्यक निर्धारित तत्त्व होते हैं जिनमें राज्य की ऐतिहासिक परम्परा, भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय हित, उद्देश्य, राष्ट्र की सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ आदि सम्मिलित हैं । किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि अभ्येता इन सभी और अन्य तत्वों पर विचार और उनका विश्लेषण करें ।

केनेथ डब्ल्यू थॉम्पसन ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी में आलोचकों के लिए यह बहना एक सामान्य और आम बात थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा ब्रिटेन या फ्रांस की कोई विदेश नीति नहीं है अथवा ये राष्ट्र उदारवादी या समाजवादी या अनुदारवादी रुढ़िवादी सिद्धान्तों के प्रति उदासीन रहे हैं । विदेश नीति के बारे में चिन्तन का बहुत प्राचीन समय से यह एक लोकप्रिय तरीका रहा है और आज भी सम्भवतः एक बड़े क्षेत्र में यह एक प्रचलित दृष्टिकोण है । हम समय-समय पर देश के घरेलू राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के आरोप सुनते रहते हैं कि अमुक राजनीतिक नेता अथवा अमुक राजनीतिक दल अथवा प्रशासन पूर्णतया अवसरवादी है और वैदेशिक मामलों में अपने राजनीतिक सिद्धान्त अथवा विचारधारा के प्रति उनमें कोई निष्ठा नहीं है । सरकारों की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि वे सर्वोत्तम अथवा मुक्त साहस अथवा किसी विशिष्ट सामाजिक वर्ग को समर्थन

नहीं देती। वास्तव में यह प्रभावशाली सैद्धान्तिक दृष्टिकोण वैदेशिक सम्बन्धों, व्यवहारों अथवा आचरणों को मुख्यतः मनोवैज्ञानिक रूप में स्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक नेताओं अथवा मरकारों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों की नीति के एक पूर्ण निर्धारक तत्त्व के रूप में नहीं तो भी आवश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका विश्वास है कि एक लोकतान्त्रिक शासन एक विशिष्ट प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण करता है तो एक निरंकुश तन्त्र दूसरे प्रकार की विदेश नीति का, एक साम्यवादी सरकार तीसरे प्रकार की और एक प्रजातान्त्रिक समाजवादी शासन चौथे प्रकार की विदेश नीति का। चूँकि विदेश नीति के आँकलन का यह एक बड़ा सीधा फार्मूला है अतः लोग इसे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और बड़े क्षेत्र में यह स्वीकार्य भी है। सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक दृष्टिकोण में विदेश नीति वस्तुतः एक सक्रिय राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है। विदेश नीति इसके कार्यक्रमों को चलाने वाले राजनीतिक नेताओं की आस्थाओं और रुचियों के अनुसार निर्धारित होती है।

लगभग पिछली अठ्ठाई दशाब्दियों से चिन्तन के एक बड़े क्षेत्र में विदेश नीति का उपयुक्त सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण आलोचना का विषय रहा है। उसके स्थान पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Analytical Approach) की अधिकाधिक मान्यता मिलती जा रही है। व्यावहारिक दृष्टि से विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ही अधिक उपयुक्त है और आज भी अटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में हमें विदेश नीति के सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों का प्रभाव नजर नहीं आता। विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया जाता है। सिद्धान्तवाद की दुहाई दी जाती है लेकिन व्यवहार में किया वही जाता है जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। निष्पक्ष रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल वैदेशिक नीति का संचालन अति प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और अधिकांशतः राष्ट्र अपने हितों की नीमत पर सिद्धान्तों की रक्षा में अडिग नहीं रहे हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण आज के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में अन्तरिक विरोधाभासों के फलस्वरूप अपना प्रभाव खोता जा रहा है और वह राज्य की नीतियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की निरन्तरताओं का वर्णन करने में असफल रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएँगे कि विभिन्न मताधारी दलों और अपने-अपने निजी अथवा सार्वजनिक दर्शनों के बावजूद ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच और रूसी विदेश नीति में अनेक ऐसी एकताएँ विद्यमान हैं जो व्यक्तिगत विश्वासों अथवा सिद्धान्तों का प्रतिब्रमण करती हैं। युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में इंग्लैंड की श्रमिक सरकार ने देश के मारभूत रूप में उन्हीं हितों के संरक्षण की नीति अपनाई जिनकी सुरक्षा को टोरियों और व्हिगों (Tories and Whigs) ने शताब्दियों से आवश्यक माना था। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में डेनिस-ब्राइजहॉवर की विदेश नीति ने देश के उन्हीं केंद्रीय लक्ष्यों पर ध्यान दिया जिन पर रूजवेल्ट और ट्रूमैन प्रथम ने ध्यान दिया था। वहाँ का तात्पर्य है कि चाहे प्रविधिर्षा, उपाय और मापन बदल जायें लेकिन एक देश के हित और उद्देश्य सापेक्षिक रूप में

निरन्तर बने रहते हैं और इसलिए विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुकूल ही संचालित की जाती है, जिसमें लचीलापन रहता है, सिद्धान्तों पर अडियलपन नहीं। एक ऐसी अवधारणा को जिसमें विदेश नीति घरेलू राजनीति की एक गौण उपज के सिवाय और कुछ नहीं है, स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है चूँकि नीति में निरन्तरता के तत्वों के साथ वह न्याय नहीं कर सकती। जो राजनीतिज्ञ विदेश नीति का निर्माण करते हैं उन्हें राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ध्यान रखना पड़ता है और इसलिए अपने विश्वासों, सिद्धान्तों आदि पर उन्हें अकुश लगाना पड़ता है। यदि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी है तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका उसके हितों आदि का पूरा ध्यान रखना होगा और अपने सामाजिक दशन, धार्मिक दृष्टिकोण तथा सैद्धान्तिक विचारों को गौण मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय हित सदैव स्थायी और एक से ही रहते हों, यह आवश्यक नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित की जो माँग है, उसी के अनुरूप विदेश नीति का संचालन किया जाना होता है। इसमें भी हितों का एक क्रम अथवा पदसोपान बँटना होता है। प्राथमिक हितों की रक्षा पहले की जाती है, गौण हितों की बाद में। कुछ ऐसे हित होते हैं जिनकी हर कीमत पर रक्षा करनी होती है, दूसरे ऐसे हित होते हैं जिनकी रक्षा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत करनी होती है और कुछ ऐसे हित होते हैं जिनकी रक्षा यद्यपि बाँझनीय है तथापि उनकी लगभग कभी भी रक्षा नहीं की जाती। यह विदेश नीति का कार्य है कि वह हितों के इस पदसोपान का उपयुक्त निर्धारण करे और दूसरे राष्ट्रों की विदेश नीतियों के व्यवहारों और सिद्धान्तों से उनकी तुलना और उनका आँकलन करते हुए अपना मार्ग निश्चित करे। हित कभी स्थायी नहीं होते और इतिहास बताता है कि अनेक बार राष्ट्रीय नेता हितों के पदसोपान के निर्धारण की कसम खा लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें अपनी कसम तोड़नी पड़ती है। सयुक्तराज्य अमेरिका को अपने पूर्व-निश्चय का परित्याग करते हुए द्वितीय महायुद्ध में कूदना पड़ा था और भारत को न चाहते हुए भी चीन और पाकिस्तान से लड़ना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि एक शान्तिप्रिय राष्ट्र को अपनी भुरक्षा और अखण्डता के लिए उत्पन्न खतरो का मुकाबला करने की दृष्टि में सैनिक शक्ति सवर्धन का आश्रय लेना पड़ता है। भारत इसका ज्वलन्त उदाहरण है। सैनिक विज्ञान और तकनीक में प्रगति, आर्थिक समृद्धि अथवा देश के विघटन आदि विभिन्न तत्वों के फलस्वरूप राष्ट्रीय हितों में सामयिक परिवर्तन आते रहते हैं और तदनुसृत विदेश नीति को मोड़ देने होते हैं।

सारांशतः आधुनिक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विदेश नीति का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ही व्यावहारिक और उपयुक्त है, किन्तु इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि आदर्शवादी सिद्धान्त को तिलाञ्जलि दे दी जाए। दोनों का समयानुसृत न्यूनाधिक समन्वय सम्भवतः एक श्रेष्ठतम मार्ग सिद्ध हो सकता है।

विदेश नीति के तत्त्व

(Elements of Foreign Policy)

केनेथ डब्ल्यू. थॉम्पसन (Kenneth W. Thompson) के अनुसार विदेश

नीति के तत्त्वों पर हम एक केन्द्रीय घेरा अथवा चक्करो (Concentric Circles) को ध्यान में रखते हुए विचार कर सकते हैं। केन्द्र में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी प्रकृति में कम या अधिक महत्त्वपूर्ण और सारगर्भित होते हैं। इनमें से कुछ सापेक्षिक रूप में स्थायी होते हैं, जैसे भूगोल तथा प्राकृतिक स्रोत। दूसरे तत्व परिवर्तनशील और मानव प्रयासों के अधीन अनुकूल होते हैं, जैसे आर्थिक, औद्योगिक और मैनिक संस्थान। कुछ मानव-तत्व होते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से अधिकांशतः सख्यात्मक (Quantitative) तथा राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक संरचना, राष्ट्रीय मनोबल, राजनीति संस्थाओं और अनुभव तथा कूटनीति को एक प्रभावशाली परम्परा आदि की दृष्टि से गुणात्मक (Qualitative) होते हैं। नीति-निर्माण प्रक्रिया के इन तत्वों और साधनों से किसी भी विदेश नीति का सार निकलता है और प्रमुख ऐतिहासिक नीतियों तथा देशों के विस्तृत हितों का उदय होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र प्रायः अपना अधिकांश ध्यान विदेश नीति के तत्वों पर केन्द्रित करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के लेखकों ने विशेष रूप से नीति-निर्माण प्रक्रिया पर, जिसमें राजनीतिक दलों, हित-समूहों, प्रभावकारी राजनीतिक विचारधाराओं और किसी देश की कार्यपालिका-विधायिका के सम्बन्ध आदि शामिल हैं, विचार किया है। यह अधिक उचित होगा कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों को हम अपनी विषय-मामलों के अध्ययन के लिए समुक्त कर लें।

किसी भी देश की विदेश नीति के जो विभिन्न प्रमुख तत्व विचारणीय हैं, उन्हें हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं—
सापेक्षिक रूप से स्थायी भौतिक तत्व

(The Relatively Permanent Material Elements)

सापेक्षिक रूप से स्थायी भौतिक तत्वों में हम भूगोल (Geography) और प्राकृतिक स्रोतों (Natural Sources) को ले सकते हैं। एक देश की नीतियों के तत्वों में भूगोल सम्भवतः सबसे अधिक स्थायी तत्व है। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई विदेश नीति अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकती है। अमेरिका का हजारों मील लम्बा समुद्र उमें यूरोप और एशिया से अलग करता है और यूरोप तथा एशिया की शक्तियों के साथ निरन्तर मित्रता में बहुत कुछ बाधक रहा है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और पारशात्य गोलार्द्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपज हैं। भौगोलिक दृष्टि से संयुक्तराज्य विश्व में सबसे अच्छी स्थिति ग्रहण किए हैं, यह दो महासागरों का सामना करता है और इन तरह संसार के दो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों से सीधा सम्पर्क रखने में सफल हुआ है। भौगोलिक और सामरिक रूप से दुनिया में भारत की जो आधारस्थिति स्थिति है, वही उसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अधिकाधिक आगे ला रही है। मार्च, 1956 में दस पर टिप्पणी करते हुए श्री नेहरू ने कहा था—“हम सामरिक दृष्टि से एशिया के अति महत्त्वपूर्ण भाग हिन्द महासागर के मध्य में हैं। अतीत और वर्तमान युग में हमारे सम्बन्ध पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और

सुदूर पूर्व एशिया के साथ हैं और यदि हम चाहे तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।" हिन्द महासागर में शक्ति-रिक्तता की समस्या भारत की प्रादेशिक प्रसन्नता के लिए स्थाई सक्क खड़ा कर सकती है। विदेशों से भारत के व्यापार और वाणिज्य का अधिकांश भाग इसी समुद्र द्वारा होता है, अतः इस क्षेत्र में कोई भी प्रबल विदेशी नौ-शक्ति भारत की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकती है। भारत की हजारों मील लम्बी समुद्री और स्थलीय सीमाएँ विदेश नीति के निर्धारण में सदा से महत्वपूर्ण योग देती रही हैं। अतीत में हिमालय हमारी सुरक्षा का शक्तिशाली प्रहरी था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में आवश्यक है कि इधर से अपनी भौगोलिक स्थिति सुरक्षित करने के लिए भारत साम्यवादी देशों से अनुकूल सम्बन्ध बनाए रखने की चेष्टा करे। मध्यकाल से ही ब्रिटिश विदेश नीति ने अपने इन लक्ष्यों की प्रेरणा अपने देश की भौगोलिक स्थिति से ही ग्रहण की कि नौ-शक्ति का विकास किया जाए और यूरोपीय महाद्वीप में शक्ति-सन्तुलन बनाए रखा जाए।

इसमें सन्देह नहीं कि यातायात और संचार साधनों के विकास ने तथा आधुनिक युद्ध-तन्त्र ने भौगोलिक स्थिति के उस महत्व में परिवर्तन ला दिया है जो पहले था, तथापि आज भी छोटे-बड़े सभी देशों की विदेश नीतियों में भौगोलिक तत्त्व का विभिन्न रूपों में महत्व है। सोवियत संघ का जो विशाल क्षेत्रीय विस्तार है अथवा चीन की जो सुविस्तृत भौगोलिक सीमाएँ हैं, उन्होंने सैनिक नियन्त्रण की समस्याओं को, आधुनिकतम हथियारों के बावजूद, बड़ा विघटन बना दिया है। कोरिया में संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपनी नीतियों का संचालन यह ध्यान में रखते हुए करना पड़ा था कि चीन की मुख्य भूमि उत्तर कोरिया में मिली हुई थी। इस की भौगोलिक और सामरिक स्थिति ने ही विश्व की अन्य शक्तियों को इसकी घेरा-बन्दी करने अथवा इसके चारों ओर बाधक राज्य बनाने की नीति पर चलने को विवश किया है।

प्राकृतिक स्रोत भी विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक साधन निश्चित और स्थाई होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि परिवर्तित ही न हो सकें। नवीन अन्वेषण और तकनीकी ज्ञान के बल पर एक देश के प्राकृतिक स्रोतों का विकास किया जा सकता है। प्राकृतिक साधनों का विपुल भण्डार होने से ही अमेरिका में इतना सामर्थ्य है कि वह अपना और दूसरों का निर्वाह कर सके और इसीलिए उसकी विदेशी नीति में 'विदेशी सहायता' का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक स्रोतों के बल पर आर्थिक आत्म-निर्भरता की दृष्टि से संयुक्तराज्य इतना सबल है कि वह सभी शत्रुओं का सामना कर सकता है। कृषि-योग्य भूमि की विशालता के कारण ही सोवियत संघ को अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ जाने पर भी विदेशों से अनाज मँगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधारभूत वच्चे माल की विपुलता से वह विश्व का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राष्ट्र बन सकता है। इस स्थितियों ने उसकी विदेश नीति को बड़ा प्रभावित किया है। भोजन और शक्ति एक राष्ट्र का जीवनदायी रक्त है जिसके बल पर वह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण कर सकता है। प्रथम

महायुद्ध तक अपने विशाल औद्योगिक उत्पादन और साधन-सामग्री के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महाशक्तियों में प्रथम स्थान बनाए रहा, अपने विपुल प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन करके भारत न केवल पूर्ण आत्म-निर्भर राष्ट्र बल्कि एक प्रमुख निर्यातक देश भी बन सकता है और तब उसकी विदेश नीति अधिक प्रभावशील बन जाएगी तथा गुट-निरपेक्षता की स्थिति अधिक मजबूत हो जाएगी।

कम स्थायी भौतिक तत्त्व

(Less Permanent Material Elements)

अपेक्षाकृत कम स्थायी भौतिक तत्त्वों में हम मुख्यतः औद्योगिक स्रोतों और सैनिक संस्थानों को ले सकते हैं। ब्रिटेन ने जब अपनी औद्योगिक सर्वोच्चता को दी तो एक सन्तुलन-कर्ता (Balancer) के रूप में उसकी गामर्थ्य भी समाप्त हो गई। फ्रॉम एव ऐसे राज्य का ज्वलन्त उदाहरण है जिसकी जर्मनी की तुलना में औद्योगिक होनता का अनिवार्य परिणाम यह निकला कि वह जर्मन-विस्तारवाद का मुकाबला नहीं कर सका। दोनों ही महायुद्धों में 'औद्योगिक क्षमता' ने जय-पराजय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संयुक्तराज्य अमेरिका की महान् औद्योगिक क्षमता मित्र-राष्ट्रों को विजय दिलाने में बहुत-बुद्ध सहायक हुई। अपनी विपुल औद्योगिक क्षमता के बल पर ही संयुक्तराज्य आज विश्व का सर्वाधिक सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है। भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन ने ही उसे अभी तक महाशक्ति बनने से रोके रखा है। यद्यपि भारत के पास कोयले और लोहे के विशाल भण्डार हैं तथा मैंगनीज के उत्पादन में उसका ऊँचा स्थान है तथापि अपने औद्योगिक संस्थान (Industrial Establishment) के स्तर पर वह प्रथम श्रेणी की शक्ति नहीं बन पाया है। भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उद्योगों में लगा हुआ है और अनवरत प्रयासों के बावजूद आज भी भारत के औद्योगिक संस्थान बहुत सीमित हैं। जब भारत अपनी औद्योगिक क्षमताओं का समुचित विकास कर लेगा तो उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में चार चाँद लग जाएंगे।

एक देश की विदेश नीति के तत्त्वों में सैनिक संस्थान बहुत ही प्रभावशाली स्थान रखते हैं। आज महाशक्तियों का विताव उन्हीं देशों को प्राप्त है जिनकी सैनिक क्षमताओं की कोई खाह नहीं है। शक्ति का युद्धोत्तर विवरण यूरोप में सामरिक केन्द्रों पर लाल सेना की प्रभावशाली उपस्थिति का ही परिणाम था। दो महायुद्धों के बीच जर्मनी की महान् प्रभावशाली कूटनीतिक सफलता का रहस्य प्रत्यक्षतः उसकी महान् सैनिक तैयारियों में निहित था। सोवियत मघ द्वारा आणविक बमों के परीक्षण ने युद्धोत्तर शीत-युद्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। भारत को आज जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है वह बहुत-बुद्ध उम सैनिक शक्ति का परिणाम है जो वह 1965 और 1971 में दिग्वा चुका है। सैनिक तैयारियों के अभाव ने ही 1962 में भारतीय विदेश नीति की प्रतिष्ठा घूल में मिला दी थी। भारत की मन्व्य टेक्नोलॉजी ने इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि की है।

सैनिक-शक्ति में भूगोल और प्राकृतिक स्रोतों जैसे स्थायित्व का स्पष्ट प्रभाव होता है। भूगोल और तकनीकी परिवर्तनों द्वारा एक देश अपनी सैनिक शक्ति का

विकास करता रहता है। युद्ध-क्षेत्र में जय और पराजय एक देश की सैनिक स्थिति में परिवर्तन लाती है। द्वितीय महायुद्ध ने इटली, जर्मनी और जापान की सैनिक प्रभुता नष्ट कर दी। पुनश्च, कोई भी राष्ट्र अपने सैनिक मस्थापनों को तभी निरन्तर समुन्नत बनाए रख सकता है जब वह अपनी प्राकृतिक और औद्योगिक क्षमताओं तथा तकनीकी ज्ञान को गतिशील रखे। एक देश की सैनिक क्षमताएँ वहाँ की आर्थिक सीमाओं से प्रभावित होती हैं। पाकिस्तान का सैनिक शक्ति-मध्य उमकी अर्थ-व्यवस्था की कीमत पर हो रहा है और यह स्थिति अधिक समय नहीं चल सकती। भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी कुशलता के बावजूद अपनी आर्थिक सीमाओं के कारण वह रूस या अमेरिका की तरह आणविक शस्त्रों का संग्रह करने की दिशा में निकट भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता। एक देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयुक्त और समुचित सैनिक कार्यक्रम बनाना चाहिए और तभी उमकी विदेश नीति प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन अपनी क्षमताओं की तुलना में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी सैनिक कार्यक्रम बनाए गए तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और न ही उन सैनिक कार्यक्रमों का समुचित निर्वाह हो सकेगा। फिर सैनिक कार्यक्रम पर ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप सम्भव है कि आज के हथियार कल अपनी उपयोगिता ही खो दें।

मानव तत्त्व - सख्यात्मक और गुणात्मक

(Human Elements Quantitative and Qualitative)

विदेश नीति के तीसरे एककेन्द्री घेरे (Concentric Circles) में हम सख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही मानव तत्वों को ले सकते हैं। जनसख्या के गुणात्मक और सख्यात्मक दोनों ही पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मध्य-पूर्व उस क्षेत्र का उदाहरण है जिसके प्रति नीति-निर्माता लोगों की सरया पर और हम तथ्य पर कि अरब सख्या की दृष्टि यहूदियों की तुलना में बहुत अधिक है, ध्यान देते हैं। द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में चीन और भारत का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व बहुत कुछ उनकी जनसख्या के विशाल आकार पर निर्भर रहा है। मानव शक्ति के अछे उपयोग पर राष्ट्रीय शक्ति आधारित होती है जिससे विदेश नीति की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सामाजिक और राजनीतिक पद्धतियों को इस प्रकार संगठित किया जाना अपेक्षित है कि वे देश की आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जनसख्या सामाजिक पद्धति के नियन्त्रण से बाहर हो जाए तो उसका और विदेश नीति का भविष्य उज्ज्वल नहीं होता। जनसख्या के गुणात्मक पहलू का विशिष्ट महत्त्व है। जनता का तकनीकी ज्ञान, उसकी दूटनीतिक क्षमता और सबको को धर्मपूर्वक सहने की सामर्थ्य तथा राष्ट्रीय एवता का विदेश नीति के निर्धारण और संचालन पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान की विदेश नीति के निर्माण में जनसख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। गुणात्मक विशेषता के बल पर ही जापान, जर्मनी और

त्रिटेन जैसे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से छोटे देश भी सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित कर सके हैं। भारत यदि अपनी सुविशाल जनसंख्या के गुणात्मक स्तर को बढ़ा ले तो विश्व राजनीति में वह 'आश्चर्य' सृष्टि कर सकता है। चीन की विदेश नीति के निर्धारण में यह अनुभूति प्रबल है कि एक पूर्ण आणविक युद्ध भी उसकी सम्पूर्ण जनसंख्या का विनाश नहीं कर सकेगा और इतनी जनसंख्या बच ही जाएगी जो अपने प्रभुरव क्षेत्र का विनष्ट महाशक्तियों की छाती पर तेजी से विस्तार कर सके। कोरिया में चीन की विपुल संख्या-बल ने ही अमेरिका के मनमूत्रों पर पानी फेर दिया था। यदि उपयुक्त संख्या-बल के साथ गुणात्मक स्तर पर भी समुन्नत हो तो उस देश की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर पूरी तरह छा सकती है।

कूटनीति - राष्ट्रीय उद्देश्य

(Diplomacy National Purposes)

विदेश नीति का दूसरा मानव-तत्त्व राष्ट्र की कूटनीति की कुशलता है। जहाँ एक ओर इसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों अथवा हितों की धारणा निहित है वहीं दूसरी ओर राजतन्त्र के हथियारों का निपुण उपयोग भी शामिल है। यदि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से कूटनीतिक क्षेत्र का निर्धारण नहीं करता तो उसकी विदेश नीति कभी प्रभावशाली नहीं बन सकती। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति ने राष्ट्रीय हितों की जो सुरक्षा की है, उसने विदेश नीति की प्रभावशीलता को कितना बढ़ाया है, कहने की आवश्यकता नहीं। 1962 और 1972 के भारत में जो अन्तर है वह राष्ट्र की कूटनीति की निपुणता का प्रमाण है। यदि बंगलादेश के सन्दर्भ में, रूस जैसी महाशक्ति के साथ सम्बन्धों के निर्धारण के क्षेत्र में, पाकिस्तान के प्रति यथार्थवादी नीति ग्रहण करने के क्षेत्र में, विश्व के सम्मुख भारत के नैतिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण के प्रचार के क्षेत्र में भारतीय नेतृत्व ने—श्रीमती गाँधी ने विशेष कूटनीतिक निपुणता का परिचय न दिया होता तो परिस्थितियाँ इतनी विषम और सन्तुलनहीन थीं कि भारत को सम्भवतः गहरी कूटनीतिक और नैतिक पराजय का सामना करना पड़ता। 1972 से विश्व राजनीति में अमेरिकी कूटनीतिक लक्ष्य चीन-रूस मतभेदों का भरपूर लाभ उठाकर अमेरिकी प्रभुत्व का विस्तार रहा है और इसी दिशा में अमेरिकी विदेश नीति संचालित की जा रही है। पश्चिमी एशिया में रूसी कूटनीति को जो धक्का पहुँचा है उससे कोई आश्चर्य नहीं कि रूस पश्चिमी एशिया अथवा अरब जगत् के प्रति अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करे। भारत का पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता भी 'शक्ति में उत्पन्न उदारता का कूटनीतिक प्रयोग' रहा है जिसकी सफलता भारतीय उप-महाद्वीप में शान्ति और महामत्तित्व के साथ एक नए युग का सूत्रपात कर सकती है, पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक शक्तियों को सम्मिलित कर सकती है, विदेशी शक्तियों को यह अनुभव करा सकती है कि वे भारत और पाकिस्तान के मामलों में

हस्तक्षेप की अपनी ररम्परागत नीति का परित्याग कर दें। परन्तु जो घटनाक्रम चला है, पाकिस्तान का जो शत्रुतापूर्ण रवैया है और अमेरिका उसे जिस प्रकार इस उपमहाद्वीप में सामरिक नीति का केन्द्र बना रहा है, वह सब 'उदारता के कूटनीतिक प्रयोग' की असफलता ही उजागर करता है। पाकिस्तान का अनुसूचित पक्षपोषण और भारत को निर्वल बनाने की असफल अमेरिकी कूटनीति ने ही इस उप-महाद्वीप में अमेरिकन विदेश नीति को बे-नकाब कर दिखाया है।

कूटनीति और प्रजातन्त्र (Diplomacy and Democracy)

कूटनीति में तरीके और तकनीक का चुनाव भी उद्देश्य की स्पष्टता की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि तरीके और तकनीक अधिनायकवादी हुए तो एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र की विदेश नीति की तानाशाही प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करेगी। कूटनीतिक लक्ष्य प्रादेशिक विस्तारवाद अथवा आर्थिक साम्राज्यवाद के हो सकते हैं और ये दोनों ही बातें लोकतन्त्र के विरुद्ध हैं। आरम्भ से ही अमेरिकी कूटनीति का लक्ष्य अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार का रहा है और यही कारण है कि अमेरिकी विदेश नीति में 'वैदेशिक सहायता' के तत्त्व के पीछे छिपे वास्तविक इरादे अब एशिया और अफ्रीका के देशों को धोखा नहीं दे सकते। चीन की कूटनीति प्रादेशिक विस्तारवाद की रही है जिसका प्रमाण 1962 का भारत पर आक्रमण है। इस चीनी कूटनीति ने चीनी विदेश नीति में 'पचशील' के आलाप का खोखलापन सामने ला दिया है और एशिया तथा अफ्रीका के छोटे-बड़े राष्ट्र चीनी गणतन्त्र में अन्तर्निहित अधिनायकतन्त्र से आशंकित हैं। लेकिन अमेरिका के प्रति 'प्रगति के लिए मंत्री' की जो कूटनीति स्वर्गीय राष्ट्रपति कर्नेडी ने आरम्भ की थी वह एक महान् लोकतान्त्रिक देश के अनुरूप थी, लेकिन जॉनसन और निक्सन युग में लेटिन अमेरिका के प्रति अमेरिकी विदेश नीति उदार नहीं कही जा सकती और रीगनकाल में तो वह अनुदारता की सीमा छूने लगी है। बंगलादेश के लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलन को कुचलने में पाकिस्तान के बर्बर नर-संहार को समर्थन देने की अमेरिकी कूटनीति कितनी अलोकतान्त्रिक थी, उसे इतिहास भुला नहीं सकता। लोकतान्त्रिक कूटनीति कुछ गम्भीर सिद्धान्तों पर आधारित होती है और वे सिद्धान्त लोकतान्त्रिक देश की विदेश नीति पर अपना प्रभाव रखते हैं। लोकतन्त्रात्मक कूटनीति अथवा राजनय में नीति निर्माताओं को जनता की रुचि और जनहित का ध्यान रखना होता है तथा अधिनायकवादी राजनयिक प्रवृत्तियों को ठुकराया जाता है। इसमें गुप्त सन्धियों का विरोध और खुली सन्धियों का समर्थन किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति भ्रगीनार की जाती है। मात्र की महाशक्तियाँ इन बहुर्चाचित 'लोकतान्त्रिक आदर्शों' पर वहाँ तक चल रही हैं, यह उनकी विदेश नीति के बहु-रूपी चेहरे से स्पष्ट है।

विदेश नीति के उपकरण¹ (Instruments of Foreign Policy)

लक्ष्य-निर्धारण के साथ ही उनकी प्राप्ति के हेतु कौन-से उपकरणों का उपयोग किया जाएगा इसकी तलाश तथा निर्णय की बात आती है। कुशल नीति-निर्धारक लक्ष्य, निश्चित करते समय उपलब्ध उपकरणों का ध्यान निश्चय ही रखते हैं। ऐसा न होने पर (और इसके उदाहरणों की कमी दुनिया के इतिहास में नहीं) लक्ष्य की सिद्धि तो नहीं ही होती है, अक्सर बड़े ही अवांछनीय परिणामों का सामना करना पड़ता है।

प्राचीन युग से ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मुख्य उपकरण सन्धि वार्ताएँ, सुरक्षा-समझौता, सन्धय, सम्पर्क स्थापना आदि रहे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध तक गुप्त सन्धियों की व्यवस्था सर्वाधिक प्रचलित थी। अनेक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा आचार व्यवहार इसके द्वारा नियमित एवं प्रभावित होते थे। उन्सवी सदी के अन्तिम तथा बीसवी सदी के प्रारम्भिक दशकों में एवं विश्वयुद्ध के दरम्यान भी गुप्त सन्धय तथा सन्धियाँ निष्पन्न कराना परराष्ट्र-नीति का प्रमुखतम प्रचलित उपकरण रहा है।

1917 के अन्त में नवोदित सोवियत राष्ट्र ने तथा कुछ ही दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने गुप्त सन्धियों की व्यवस्था—गुप्त कूटनय—की राष्ट्रों को सर्वनाशी उलझनों में फँसा देने वाला कहकर भर्त्सना की एवं इनका प्रचलन हमेशा के लिए समाप्त करने का आह्वान किया। फलतः राष्ट्रसंघ प्रसविदा में गुप्त सन्धय व सन्धियों की परम्परा को खरम कर देने की व्यवस्था की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र में भी इसे दोहराया गया।

दोनों विश्वयुद्धों के मध्य तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान धुरी राष्ट्रों एवं सोवियत संघ तथा बाद में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य तथा ब्रिटेन के नेताओं ने कई गुप्त निर्णय लिए अथवा कई समझौतों में कुछ धाराएँ गुप्त रखीं। सदी के उत्तरार्द्ध में गुप्त सन्धियों, समझौतों व सन्धयों का प्रचलन नहीं देखा जाता, किन्तु द्विपक्षीय शीर्ष-सम्मेलनों तथा वार्ताओं में अक्सर कुछ गुप्त निर्णय लिए जाने अथवा समझौता करने की आशंका विभिन्न पक्षों की ओर से व्यक्त की जाती है, यद्यपि प्रत्येक ऐसे अवसर पर वार्ताकारी देशों की ओर से इस शका के उतने ही जोरदार सण्डन भी किए जाते हैं।

प्रकाश्य सन्धियाँ, समझौते तथा सन्धय परराष्ट्र-नीति के मुख्य उपकरण हैं। सोवियत-चीनी पारस्परिक सुरक्षा सन्धि, (1949 से लेकर 1971 की) भारत-सोवियत मित्रता एवं सहयोग सन्धि तक दर्जनों द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सन्धियाँ, समझौते व सन्धय निष्पन्न हुए हैं। इनके मूल में सम्बद्ध राष्ट्रों के राष्ट्रीय लक्ष्य, सुरक्षा-व्यवस्था के सुदृढीकरण अथवा अन्य हित-सम्बर्द्धन की भावना सञ्चय रही है।

तात्कालिक दृष्टि से इन्हें नीति-निर्धारकों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है । उनसे उनके राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता तो मिलती ही है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद के कुछ वर्षों में क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि संगठनों की स्थापना संयुक्त राज्य तथा सोवियत सघ की परराष्ट्र-नीति का सर्वाधिक प्रचलित महत्त्वपूर्ण उपकरण रही है । युद्ध समाप्ति के एक दशक के भीतर ही उत्तर अतलांतिक सन्धि संगठन, ब्रिटेन के नेतृत्व में बगदाद समझौता (बाद में संयुक्त राज्य के नेतृत्व में यह केन्द्रीय सन्धि संगठन बन गया), दक्षिणी-पूर्वी एशिया सन्धि संगठन; सोवियत सघ तथा उसके अनुवर्ती यूरोपीय राज्यों की वारसा सन्धि सुरक्षा व्यवस्था प्रभृति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सर्वाधिक प्रमुख उपकरण हो गए ।

धार्मिक हितों के सम्बन्धन के हेतु यूरोपीय साभा मण्डी, यूरोपीय धार्मिक समुदाय प्रभृति कुछ नए प्रयोग किए गए हैं । द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर विश्वस्त यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः अपने पाँव पर खड़े होने तथा गृहतर बनने में इनसे अप्रत्याशित सफलता मिली है । भूतपूर्व चांसलर आडेनावर तथा कुछ अन्य व्यक्ति इनमें अद्भुत आशा एवं आस्था रखते थे तथा 'निकट या सुदूर भविष्य में किसी यूरोपीय (गैर-साम्यवादी) महासघ व सघ के उदय का सपना देखते थे । कम-से-कम दो दशकों तक इनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तात्कालिक लक्ष्य एवं उपकरण दोनों ही, ये बने रहे । पर द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका एक दुःस्वप्न की तरह ज्यो-ज्यों अतीत के मलवे में धुँधली पड़ती जाएगी, तथा अन्यत्र की तरह पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी राष्ट्र चेतना अधिकाधिक तीक्ष्ण होगी तब अन्तर्राष्ट्रीयमनावाद अथवा अतिरिक्त राष्ट्रीयतावाद के ये प्रयोग नई पीढ़ियों को कहां तक ग्राह्य व आकर्षक जान पड़ेंगे, यह कहना बठिन है । फ्रांसीसी राष्ट्रपति डि गॉल इन प्रयोगों की सीमित सार्थकता में ही विश्वास करता था, फिर भी साभा मण्डी अथवा यूरोपीय धार्मिक समुदाय के सदस्य देशों की परराष्ट्र-नीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में इन अभिनव प्रयोगों से अनुरजित, अनुप्रेरित तथा प्रभावित तो होती ही है ।

यद्यपि गुप्त राजनय का युग अब नहीं रहा, ऐसा कहना फंशन-सा हो गया है, पर सदी के छठे दशक से शीर्ष सम्मेलनों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का द्विपक्षीय (कभी-कभी त्रिपक्षीय) वार्ताओं द्वारा नियमन किए जाने का प्रचलन बढ़ा है । वैसे यह परम्परा द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान तीन महाशक्तियों के राजनयिकों के कतिपय सम्मेलनों से शुरू हुई थी । शीर्षस्थ राजनयिकों-प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि की प्रत्यक्ष भेंट एवं वार्ता से अनेक पारम्परिक हित के मामले सुलझाए जाते हैं, अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं तथा अनेक प्रकार के एक-दूसरे के प्रति शका-सन्देह दूर किए जाते हैं । इसे भी परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण कह सकते हैं ।

राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में युद्ध की चर्चा पहले की जा चुकी है । धार्मिक युग में महाशक्तियों का प्रत्यक्ष सघर्ष तो आत्मघाती होने के कारण जल्दी सम्भव नहीं दीखता, किन्तु सदी के तृतीय चतुर्धक में छोटे-मोटे स्थानीय युद्ध चलते ही रहे हैं, उनकी सख्या बीसियों होगी, केवल भारत पर इस अवधि में पाँच बार

(पाकिस्तान की ओर मे चार तथा चीन की ओर एक बार) युद्ध लादे गए हैं। इनके कारण भारतीय परराष्ट्र-नीति के निर्धारकों को अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करने को बाध्य होना पड़ा है। पाकिस्तान, इजरायल जैसे कुछ राष्ट्रों ने, ऐसा जान पड़ता है कि, अपनी परराष्ट्र-नीति का एक प्रमुख उपकरण युद्ध ही बना रखा है। पाकिस्तान की सम्पूर्ण परराष्ट्र-नीति (और अधिकांश गृह-नीति भी) भारत के साथ युद्ध शुरू करने की भूमिका बनी रही है। पाकिस्तानी परराष्ट्र-नीति के इस एक लक्ष्य ने उससे अजीबोगरीब कालाबाजियाँ कराई हैं। भारत के साथ युद्ध उसकी नीतियों का सर्वोपरि उपकरण रहा है।

परराष्ट्र-नीति के अन्य उपकरण हैं—दौत्य सम्बन्धों की स्थापना, नई सरकारों तथा नवोदित देशों को मान्यता प्रदान करना, राजनयिक सम्बन्ध भंग करना, विरोध-पत्र तथा चेतावनी देना, अन्तर्राज्य विवादों को पच-फंसला सुपुर्द करना, प्रमृति। किसी नवोदित देश को मान्यता प्रदान करना परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है। संयुक्त राज्य ने सदी के दूसरे-तीसरे दशकों में सोवियत संघ को तथा पाँचवें से सातवें दशक तक जनवादी चीनी सरकार को मान्यता न देना अपनी परराष्ट्र-नीति का एक मुख्य मुद्दा बनाए रखा। आठवें दशक में बंगलादेश को मान्यता देने का प्रश्न, पाकिस्तानी एवं भारतीय परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण-सा ही बन गया है जिसके द्वारा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किए गए। जनवादी चीन की सरकार ने इस प्रश्न पर कठोर रवैया अपनाया, पाकिस्तान के प्रति अपना सद्भाव एवं सुहृदता प्रदर्शित करने का एक साधन बना लिया है। मदी के उत्तरार्द्ध में उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी जर्मनी गणराज्य की सरकारों को मान्यता प्रदान करना, विभिन्न देशों की परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण बना रहा, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ के साथ अपने सम्बन्धों के सन्दर्भ में किया जाता है। राजनयिक सम्बन्ध भंग करना भी परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय हितों के सम्बन्ध में अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु किया जाता है, ऐसे लक्ष्य भी जिनका वस्तुतः उस देश से कोई सम्बन्ध नहीं रहता जिसके साथ सम्बन्ध विच्छिन्न किया गया हो। सोवियत संघ का इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध विच्छिन्न करना, वस्तुतः मिस्र, सीरिया आदि अरब राज्यों के साथ अपने सम्बन्ध धनिष्ठ करने की लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में ही था।

किसी देश में पूँजी न्यस्त करना, उसके वीण्ड खरीदना, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, औद्योगीकरण एवं पुनर्निर्माण में प्रभाव सहयोग प्रदान करना सदी के प्रारम्भ से ही परराष्ट्र-नीति के महत्त्वपूर्ण उपकरण रहे हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग फ्रांस तथा जर्मनी उस काल में कर रहे थे। फ्रांसीसी सरकार की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अनुप्रेरणा से रूसी वीण्ड जब बड़ी मात्रा में पेरिस के बाजारों में विकने लगे, तो फ्रांस-रूस सम्बन्धों में एक नए अध्याय का वह प्रारम्भ था। तदुपरान्त रूस में रेल लाइनें विद्यमान, उद्योग-धन्धों की स्थापना करने आदि में अधिकाधिक फ्रांसीसी पूँजी न्यस्त होती गई। इसी तरह पूँजी न्यस्त करने की नीति मबिया, सूनाम तथा

रूमानिया आदि में भी फ्रांसीसी सरकार के सकेत पर चलाई जा रही थी। इन सबके उद्देश्य स्पष्टतः राजनीतिक थे। दूसरी ओर जर्मनी की बमदाद रेलवे योजना उसकी परराष्ट्र-नीति का एक मुख्य उपकरण था। द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर वर्षों में समुक्त राज्य की मार्शल योजना युद्धध्वस्त यूरोपीय देशों के लिए केवल सहानुभूति व मानवीय उद्देश्यों से अनुप्रेरित नहीं थी, 1972 में बंगलादेश में राहत पहुँचाने एवं उसके पुनर्निर्माण के हेतु सोवियत संघ तथा भारत सहित कई देशों ने जो तुरन्त प्रभावी कदम उठाए—इन सबके राजनीतिक उद्देश्य थे। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत कम ही ऐसे कार्य होते हैं जिनका देशों की परराष्ट्र-नीतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, खेलकूद सम्बन्धी प्रतिनिधि-मण्डलों के आदान-प्रदान, पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा आदि का उपयोग परराष्ट्र-नीति के उपकरण के रूप में किया जाता है। चीनी पिगपांग खेल प्रतियोगिता में भाग लेने को अमेरिकी खिलाड़ियों को आमन्त्रित करना, दोनों देशों के वटु सम्बन्धों के युग को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम था। सोवियत-अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार का आरम्भ भी पर्यटकों, पत्रकारों, सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलों के आदान-प्रदान के साथ हुआ था।

सदी के उत्तरार्द्ध में समुक्त राष्ट्रसंघ के मंचों का उपयोग भी परराष्ट्र-नीति के उपकरण के रूप में किया जाता है। आदर्श स्थिति में सभी अन्तरराज्य विवाद समुक्त राष्ट्र के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। वैसी स्थिति में नीति-निर्धारकों की निष्ठा सर्वाधिक उसके प्रति रहती तथा अन्तरराज्य विवादों, समस्याओं व उलझनों के सन्दर्भ में समुक्तराष्ट्र में मामला ले जाने के अतिरिक्त नीति-निर्धारकों को अन्य कोई काम ही नहीं रहता। भारत के आदर्शवादी नीति-निर्धारकों ने सम्भवतः इसी आस्था (या आशा) के साथ 1949 के आरम्भ में कश्मीर में बर्बर पाकिस्तानी सैनिक कार्यवाही को शिकायत समुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में की होगी, पर विश्व में अन्तर-राज्य विवादों को सुलझाना तो दूर, न्याय तथा निष्पक्षता के साथ किसी विवाद पर विचार-विमर्श करने में भी अक्षम रहने के कारण यह आशा फलवती नहीं हुई है। फिर भी समुक्तराष्ट्र का सदस्य बनाया जाना स्वयं ही विश्व समुदाय का सदस्य बनने का प्रमाण माना जाता है। विश्व लोकमत उसके मंचों पर व्यक्त होता है। प्रचार की दृष्टि से भी उमका विशेष महत्त्व माना जाता है। इन सबके फलस्वरूप आज शायद ही किसी देश की नीति-निर्धारक विश्व-मस्था की उपेक्षा करने की उद्यत हो। भारत के परराष्ट्र मन्त्रालय में एक सुसंगठित तथा समर्थ विभाग समुक्त राष्ट्र-संघ से सम्बन्धित मामलों की देखरेख करता है तथा उसके सन्दर्भ में नीतियाँ निर्धारित करने हेतु सामग्रियाँ प्रस्तुत करने का काम करता है।

राजनयिक प्रतिनिधियों पर नीति-निर्धारकों के निर्णयों का कार्यान्वयन का भार रहता है। नीति-निर्धारक भी इस भार से मुक्त नहीं होता। उसकी एक उक्ति,

एक सकेत, एक गलत शब्द देश के परराष्ट्र सम्बन्धों को सांघातिक हानि पहुँचा सकता है। नीति-निर्धारण प्रक्रिया हेतु उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से सूचित रखना भी उनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य होता है। उनकी गलत या पर्याप्त सूचना नीति-निर्धारकों द्वारा गलत निर्णय लिए जाने के कारण हो सकती है।

गुप्तचर विभाग—गुप्तचर विभाग को नीति-निर्धारकों का आँख-कान बहा गया है। कई देशों में इस विभाग के संचालक स्वयं भी महत्त्वपूर्ण कार्यवाहियाँ निष्पन्न करते हैं। इस विभाग को बड़े देशों के नीति-निर्धारक कितना अधिक महत्त्व देते हैं, इसका एक आभास राष्ट्रपति आइज़नहावर की उस स्वीकृति से मिलेगा जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी गुप्तचर विभाग सी आई ए केवल भारतवर्ष में प्रतिवर्ष, 58,00,000 डॉलर की रकम खर्च कर रहा था¹ विभिन्न देशों में अपनी नीतियों के पक्ष में लोकमत अनुकूल करना इस विभाग को सौंपे गए अनेक तरह के दायित्वों में से एक है।

विदेश-नीति और विचारधारा (Foreign Policy and Ideology)

विदेश नीति में विचारधारा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विचारधारा एक बड़ी सीमा तक विदेश नीति का निर्धारण करती है। इतिहास साक्षी है कि विचारधारा दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य सहयोग अथवा विवाद का मूल आधार बन जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में, विशेषकर विदेश नीति में, विचारधारा को वास्तविक तथ्य तब माना जाता है जब उसे राष्ट्रीय शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। जब शक्ति विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय आकांक्षा का साधन बन जाती है तब विचारधारा प्रबल हो उठती है। शक्ति के अभाव में विचारधारा निष्क्रिय है, महत्त्वहीन है और उसे हम केवल मिले-जुले खोखले विचारों की धारा मात्र कह सकते हैं। विश्व में साम्यवादी विचारधारा का भय मावसं या लेनिन के विचारों से पैदा नहीं हुआ बल्कि रूस और चीन की शक्तियों ने, जो साम्यवाद के रक्षण, प्रसार और प्रभुत्व के लिए कृतमंकल्प हैं, इसे एक प्रमुख विचारधारा बना दिया।

विचारधारा का अभिप्राय

पामर एवं पॅक्स का यह मत उपयुक्त प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारधारा सम्बन्धी तत्त्व शताब्दियों तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के निरन्तर तत्त्व रहे हैं, लेकिन बीसवीं शताब्दी से पूर्व उनका बदाहित ही निर्णायक महत्त्व था। आधुनिक युग तो विचारधाराओं का ही युग है। विभिन्न विचारधाराएँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा विश्व-राजनीति में नई जान फूँजने का काम कर रही हैं।

1 17 नवम्बर, 1972 को भारतीय समद में एक सदस्य के वक्तव्य से—पानागवाणी दिल्ली का प्रसारण।

विचारधारा द्वारा एक देश की जनता अपने मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करती है। पैडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार, विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। स्नाइडर एवं विल्सन ने लिखा है कि "एक विचारधारा जीवन, समाज और सरकार से सम्बन्धित विचारों का वह समूह है जो प्रायः सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नारों या युद्ध के नारों से उत्पन्न होती है और जिसका लगातार प्रयोग उसे एक विशेष समुदाय, दल या राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या सिद्धान्त बना देता है।"¹ श्लीचर के मतानुसार विचारधारा व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं, मृत्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके विश्वास के अनुरूप लक्ष्यों को सर्वश्रेष्ठ रूप में साकार किया जा सकता है।² इस प्रकार सरकार, अर्थव्यवस्था, समाज या जीवन सम्बन्धी अन्य बातों के निश्चित विचार-समूह को हम विचारधारा कह सकते हैं। व्यापक अर्थ में विचारधारा के अन्तर्गत वे सभी वाद आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वाधिकारवाद, फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातन्त्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, समष्टिवाद, गाँधीवाद, माधोवाद या उदारवाद आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। दुनिया के प्रमुख धर्मों—हिन्दू, इस्लाम, ईसाई—को भी हम विचारधारा मान सकते हैं। स्प्राउट ने विचारधाराओं को दो वर्गों में विभाजित किया है—राजनीतिक विचारधाराएँ और गैर-राजनीतिक विचारधाराएँ। स्प्राउट का मत है कि सांविधानिक जनतन्त्र, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद प्रमुख विचारधाराएँ हैं। हस जे मार्गेंथो ने अपने ग्रन्थ 'पातिटिक्व अमोंग नेशन्स' में विचारधाराओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बाँटा है—

1. यथास्थिति (Status-quo) बनाए रखने वाली विचारधाराएँ, जैसे शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून।
2. विस्तारवादी अथवा साम्राज्यवादी विचारधाराएँ जैसे फासीवाद, नाजीवाद, माओवाद आदि।
3. अस्पष्ट तथा अनेकार्थी विचारधाराएँ जैसे आत्मनिर्णय का सिद्धान्त।

अनेक विद्वानों ने विचारधारा का बहुत व्यापक अर्थ लगाया है और एक विचारधारा में अनेक विचारधाराओं को सम्मिलित किया है। उदाहरण के लिए उदारवाद के अन्तर्गत जनतन्त्र के विभिन्न रूपों और व्यक्तिवादी विचारधाराओं को सम्मिलित किया जाता है तो सर्वाधिकारवाद के अन्तर्गत नाजीवाद, फासीवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं की गणना की जाती है। विचारधाराओं का वर्गीकरण विवादास्पद है, लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि

1 Snyder and Wilson : Roots of Political Behaviour, p 511.

2 Schleicher : op cit., p 74.

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति दो प्रमुख विचारधाराओं की रगस्थली है—जनतन्त्र और साम्यवाद। कुछ राष्ट्रों ने दोनों की मध्यवर्ती विचारधारा को 'जनतान्त्रिक समाजवाद' का नाम दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं के संघर्ष की बात आम हो गई है। राष्ट्रों के मध्य मतभेदों और संघर्षों का एक प्रमुख कारण उनकी परस्पर विरोधी विचारधाराएँ ही हैं।

विदेशनीति और विचारधारयें

किसी भी देश की विदेश नीति उसकी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत प्रदान करती है अथवा अप्रतिष्ठित करती है। शक्तिशाली विदेश नीति राष्ट्रीय शक्ति के उत्थान और कमजोर विदेश राष्ट्रीय शक्ति के पतन का प्रतीक मानी जाती है। विचारधारा में वह शक्ति है जो विदेश नीति को मुखर बनाती है, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आरोपित करती है। विचारधारा में वह शक्ति है जो एक उत्तेजित और असंगठित गतिविधि को एक संशुद्ध और संगठित राजनीतिक आन्दोलन में बदल देती है। विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का एक निकाय होती है जो समाज या राष्ट्र के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है जिससे जनता का मनोबल ऊँचा उठता है, जनता में लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा जाग्रत होती है और जनता अनुशासन एवं आज्ञापालन की अभ्यस्त हो जाती है। इतिहास बताता है कि जब कभी किसी विचारधारा को जनता ने दृढ़ता से अपना लिया तभी उस विचारधारा ने जनता के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को भारी शक्ति प्रदान की, देश में वह फिजा पैदा कर दी जिसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए अपने राजनीतिक प्रभुत्व की भूख को मिटाने के लिए, राष्ट्रीय शक्ति के प्रसार के लिए अपना सब-कुछ न्योछावर कर दिया।

जिस राष्ट्र की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती अथवा जो राष्ट्र अनेक विचारधाराओं का शिकार होता है, वह सरलता से विदेशी प्रचार-प्रभाव में आ जाता है। ऐसा राष्ट्र अपनी शक्ति का समुचित विकास नहीं कर पाता। जिस विचारधारा को एक देश मानता है उसी विचारधारा को मानने वाले दूसरे देशों की सद्भावना और मैत्री उसके प्रति रहना स्वाभाविक है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में दो अथवा अधिक राष्ट्रों की मैत्री का मार्ग तब अधिक प्रशस्त हो जाता है जब उनके राजनीतिक सिद्धान्त, उनकी विदेश नीतियाँ मिलती-जुलती हों या कम से कम एक-दूसरे की विरोधी न हों। अमेरिका और पश्चिमी जगत् के बहुत से यूरोपीय राष्ट्र लोकतन्त्र के समान धारकों में प्रेरित और प्रभावित होकर ही साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा सम्भाले हुए हैं। 'स्वतन्त्र विश्व' और 'साम्यवादी विश्व' के बीच विरोध अथवा संघर्ष की स्थिति इसलिए है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक आदर्श भिन्न-भिन्न हैं और एक के अहित में दूसरा अपना हित समझता है। विचारधारा का प्रयोग सभी राष्ट्र अपने हितों के संरक्षण-संवर्द्धन में किया करते हैं और विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य भी यही होना है।

विचारधारा और विदेश नीति के पारस्परिक सम्बन्ध और अन्तर का एक अच्छा स्पष्टीकरण डॉ गोविन्द पुरुषोत्तम देशपाण्डे ने एक लेख में किया है। उन्ही के शब्दों में—

“हम विदेश नीति और विचारधारा के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करेंगे। यह कुछ कठिन विषय इसलिए है कि प्रत्येक आदमी, जो एक क्षण विदेश नीति और विचार को परस्परअवलम्बित मानता है, तो हमारे ही क्षण अपने कथन से मुकर जाता है, इससे इन्कार कर देता है। यह अप्रलिखित दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाएगा। विदेश नीति मुख्यतया राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध होती है। ऐसा मानने वाले किसी समीक्षक को लीजिए। उसका यह प्रिय आग्रह ठीक है किन्तु वह विदेश नीति की विचारधारा के सन्दर्भ में टीका करने से कतराता नहीं। 1971 में श्रीलंका में जनता विमुक्ति पहलगना नामक सगठन जब आन्दोलन के रास्ते पर था तब भारतीय सरकार ने श्रीमती भण्डारनायके की सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। मेरे एक मित्र को जो विदेश नीति और राष्ट्र-हित के परस्पर सम्बन्धों को स्वीकार करते हैं, भारत सरकार की यह भूमिका पसन्द नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार को महसूस हुआ कि जनता विमुक्ति मोर्चे की शक्ति बढ़ाने से भण्डारनायके सरकार खतरे में पड़ जाएगी जो भारत के राष्ट्र-हितों के प्रतिकूल होगा। तब वे इसे गलत क्यों मानते हैं ?

वे मेरे प्रश्न का उत्तर देने में (प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं था) जरा गड़बड़ाए और मुझसे ही पूछने लगे कि भण्डारनायके सरकार के पतन से क्या बिगड़ने वाला है ? इसी बात को इतने विस्तार से लिखने का कारण यह है कि हर आदमी राष्ट्रीय हितों की व्याख्या अपनी विचारधारा के अनुरूप करने लगता है। समाजवादियों, इन्दिरा गांधी पन्थियों, जन-मणियों और साम्यवादियों के राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। संक्षेप में यह है कि विचारधारा से परे कोई देखना नहीं चाहता था।

लोगों का मत है कि विदेश नीति के सम्बन्ध में विचारधारा का प्रश्न प्रमुखतः साम्यवादी राष्ट्रों में उपस्थित होता है। साम्यवादी नेता उठते-बैठते अन्तर्राष्ट्रीयवाद वा उद्घोष करते हैं इसलिए यह धारणा बनने लगती है। इसलिए उनके सन्दर्भ में यह प्रश्न निस्सन्देह महत्वपूर्ण है परन्तु श्रीलंका-भारत के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि यह प्रश्न उन तक ही मर्यादित नहीं है, इसलिए विचार और विदेश नीति के परस्पर सम्बन्ध को समझना महत्वपूर्ण है।

विदेश नीति पर जरा बारीकी से विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें विचारधारा का प्रश्न कैसे घुस जाता है। विदेश नीति के अन्य कोई भी हेतु हों, उनका एक हेतु विचारधारा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सरकार आर्थिक और सामाजिक तन्त्र की सुरक्षा को विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य मानती है। साधारणतया सरकार उस तन्त्र को खतरे में नहीं डालेगी। उस तन्त्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही सरकार समस्याओं से निपटती है।

विकमित राष्ट्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच स्थूल रूप से विदेश नीति सम्बन्ध मूर्तत्व होते हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों में नीति-विषयक कोई सुनिश्चित और परस्पर भिन्न मत होने की सम्भावना नहीं होती किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ विदेश नीति सम्बन्धी कोई मतभेद नहीं होते परन्तु सामान्यतः ये मतभेद विवरण विषयों और नीतियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी होते हैं। वियतनाम जैसे मामले पर जो तीव्र मतभेद थे वे किनी विशिष्ट राजनीतिक तत्त्वज्ञान की उपज नहीं थे। अनेक बार तो इन मतभेदों का राजनीतिक दलों से कोई सम्बन्ध भी नहीं होता।

इससे भिन्न दशा भारतीय उपमहाद्वीप के विकासशील देशों की है। इस फर्क के क्या कारण हैं। इसका स्पष्ट उत्तर है विचारधारा। अमेरिका जैसे देश में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक तन्त्र में दोनों पक्षों के स्वार्थ परस्पर गुंथे हुए हैं। उस तन्त्र में किसी भी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का वायदा कोई दल नहीं करता। इसके विपरीत दशा हमारे देश की है इसलिए हमारे यहाँ विदेश नीति विषयक इतने तीव्र मतभेद हैं। इन मतभेदों की जड़ से हमारे आर्थिक और सामाजिक तन्त्र का निर्माण और विकास होता है।

विचारधारा और विदेश नीति के बावत दूसरा प्रश्न साम्यवादी राष्ट्रों की विदेश नीति के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है। ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद का डोल चाहे जितनी जोर से पीट रहे हों उनकी विदेश नीति बहुत अधिक भिन्न नहीं होती। जब वियतनाम पर बमबारी हो रही थी तब ब्रेझ्नेव या माओ, निक्सन के साथ शेंबेन या माओताई (एक प्रत्यात चीनी मन्त्र) का रसास्वादन कर सकते हैं? तब 'अन्तर्राष्ट्रीयवाद' कहाँ भूक मारता है?

फिर भी हमें एक अन्तर ध्यान में रखना होगा। युद्ध-विराम में पूर्व वियतनाम को सोवियत सघ और चीन की ओर से अखिरत सहायता मिलती रही, बल्कि युद्ध-विराम के छ महीने पहले तक परस्पर सन्देह से देखने वाले चीन और रूस जैसे राष्ट्रों ने सहायता कार्य में परस्पर सहयोग का उपक्रम किया।

जिस प्रकार और जिस वेग से वियतनाम में भेदद पहुँची उम पर विचार करते ही यह मवाल उठ सडा होता है कि चीन और सोवियत सघ में वास्तव में कोई 'संघर्ष' है या नहीं, यहाँ विचारधारा जो भूमिका अदा करती है उसका ख्याल जाता है। सोवियत सघ के भय से अमेरिका से सम्बन्ध जोड़ने वाला चीन और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद आन्दोलन में चीन ने जो मुश्रमिद्ध क्रान्ति की उमकी ओर शत्रुता से देखने वाला रूस—इन दोनों में यह सहयोग कैसे सम्भव हुआ? राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के प्रति वैचारिक साम्य का ही परिणाम है, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में हमें कोई रुचि नहीं है। चीन अभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह कहीं भी, किसी भी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में सहयोग न देगा इसका कारण भी वैचारिक है।"

सारांश यह है कि विदेश नीति में सर्वत्र विचारधारा चाहे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो, पर वह एक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है। इसे दृष्टि से ओभत कर देने पर विदेश नीति का विवेचन अपूर्ण और दिग्भ्रमिन् हो जाता है।

विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Foreign Policy and International Politics)

विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक अनुसन्धान का सम्बन्ध विविध राष्ट्रों तथा उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने वालों के कार्यों से होता है। इसका सम्बन्ध नीति के निर्धारकों तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों और विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और उनके समाधान पर पड़ने वाले उनके प्रभावों से होता है। यद्यपि इस प्रकार के अनुसन्धानों को निश्चित रूप से सामाजिक-मनोवैज्ञानिक ही नहीं कहा जा सकता, तथापि सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सकलरचनाओं तथा विधियों से इन समस्याओं के समाधान में विविध प्रकार से सहायता मिल सकती है।¹ विगत कुछ वर्षों में इस श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के अनुसन्धान कार्य हुए हैं²—जनमत

विदेश नीति के निर्धारण तथा उसे अमल में लाने के सन्दर्भ में सामान्य तथा विशेष, इन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों पर जनमत का प्रभाव कहाँ और किस सीमा तक पड़ता है, इस सम्बन्ध में, यदि समुचित ध्यान दिया जाए, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अध्ययन में, जनमत-अनुसन्धान बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन प्रमुख मान्यताओं और उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए, जो विदेश नीति के सन्दर्भ में उपयोगी सिद्ध होते हैं और जिनके अनुसार जनमत विभिन्न विकल्पों की सम्भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। नीति प्रक्रिया के क्षेत्र में जनता के विभिन्न वर्गों का किस प्रकार का क्या योगदान होता है—इसका भी विश्लेषण होना अपेक्षित है।

विदेश नीति के मामलों में जनता को कितनी रुचि होती है, इस सम्बन्ध में अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उससे यह पता चलेगा कि नीति-निर्धारक, इस सामान्य 'मनोदशा' से किस सीमा तक सहमत है और वे उसे कहाँ तक अपने काम में लाते हैं। जनमत विषयक अध्ययन और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसा कि इस दिशा में अब भी अधिकाधिक हो रहा है। यदि इस सम्बन्ध में आंशिक या पूर्ण रूप से, विशिष्ट वर्गों पर ही ध्यान दिया जाए तो निश्चय ही परिणाम बहुत उपयोगी होंगे। हाल में हुए कुछ अध्ययनों में यह ध्यानहीन विस्तारपूर्वक की गई है कि विदेश नीति सम्बन्धी विशेष प्रश्नों पर, विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों की सम्मति के कौन-से स्रोत होते हैं तथा निर्णयन की प्रक्रिया में, इस प्रकार की सम्मति का क्या स्थान होता है। मत-अध्ययन के अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में भी कुछ अनुसन्धान हुए हैं कि जनता के विभिन्न-विभिन्न वर्गों का विदेश नीति के मामलों के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ विदेशी मामलों सम्बन्धी सूचनाओं, अभिरूचियों तथा कार्यों का ग्राम जनता के बीच प्रसार, सतर्क जनता तथा मत-नियामक नेता कहे जाने वाले व्यक्तियों की विशेषताएँ तथा विदेश-

नीति सम्बन्धी प्रश्नों से सम्बन्ध रखने वाले मतों का प्रचार-प्रसार जनता के बीच (अपेक्षाकृत कुछ कम मात्रा में) किस प्रकार होता है।

विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों को जनमत कहाँ तक प्रभावित करता है ? इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार के साथ अनुसन्धान किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता लग सकता है कि वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, जो जनमत के बीच एक विशेष प्रकार की मनोदशा को जन्म देती हैं ? यही नहीं, इससे यह भी शात होगा कि जनता के विभिन्न वर्गों जिन विकल्पों की कल्पना करते हैं, उनका निर्धारण कौन-सी परिस्थितियाँ करती हैं तथा जनसाधारण के कुछ भागों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए वे किस प्रकार प्रेरित कर सकती हैं ? इस प्रकार से अध्ययनों में निर्णयकर्त्ताओं को केन्द्र बिन्दु बना कर यह मालूम किया जा सकता है कि नीति प्रक्रिया के सन्दर्भ में, जनता के वारे में निर्णय-कर्त्ताओं की सामान्य धारणाएँ क्या होती हैं ? किस विशेष स्थिति में, जनमत के स्वरूप के सम्बन्ध में वे लोग किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं तथा उनके निर्णय सम्बन्धी कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

एकाकी मंच-नेता

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को सकल्पनाओं का रूप देने तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान किए जाने पर, जिस दिशा में अनुमगन के लिए ह्राल में ही जोर दिया जाने लगा है, वह है उन एकाकी मंच-नेताओं के व्यवहार, जो विदेश नीति के निर्धारण और उसे कार्यान्वित करने में योगदान करते हैं। ऐसे अनुसन्धानों में परिस्थिति की परिभाषा, प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाने, नेतृत्व, कार्य, संचार और प्रभाव की गति जैसे उन दौढ़िक और सगठनात्मक प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया जाता है, जो उन परिस्थितियों में अपनी भूमिका अदा करती हैं, जिनमें जिम्मेदार निर्णयकर्त्ता यह निर्णय करते हैं कि राज्य किन-किन विकल्पों का आश्रय लेता है। इस प्रकार के अनुसन्धान का आधार प्रायः यही धारणा होती है, फिर भी यह नितान्त आवश्यक नहीं क्योंकि किसी स्थिति विशेष में, निर्णयकर्त्ता राज्य ही होता है। राज्य के व्यवहार के अध्ययन की सबसे अधिक सरल विधा है, निर्णयन-प्रक्रिया का अध्ययन। इस प्रकार की धारणा, विशेषकर उन स्थितियों में उचित होती है, जिनमें किसी विशेष प्रकार के बड़े-बड़े निर्णयों के मामलों पर अनुसन्धान किए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोरिया में आक्रमण का विरोध करने के निर्णय का विस्तृत रूप में किया गया अध्ययन।

एक अन्य वर्ग के अनुसन्धानकर्त्ताओं ने अनेक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के रूप में सार-विश्लेषण की एक अन्य विस्तृत विधि का विकास कर, अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय के अध्ययन के सम्बन्ध में एक भिन्न मार्ग का ही अनुसरण किया है। उदाहरणार्थ, 1914 में युद्धकारी घटनाओं के पुनर्निर्माण के लिए इस विधा का सहारा लिया गया था। इस प्रकार के सार-विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया जाता है कि

नीति सम्बन्धी परिणामों के प्रति, विभिन्न देशों के प्रमुख एकाकी मंच-नेताओं के प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उनकी भावात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच किस प्रकार का और कंसा सम्बन्ध होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत स्नाइडर के नमूनों में अन्तर्राष्ट्रीय तथा संस्थागत चरों पर जोर दिया गया है। ये दोनों ही बिधाएँ विभिन्न परिस्थितियों में निर्णयन की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम सम्बन्धी प्राक्कल्पनाओं को जन्म देती हैं। इसके अतिरिक्त इतका प्रयोग विशेष निर्णयों के सन्दर्भ के बाहर भी किया गया है; उदाहरणार्थ, एकाकी निर्णय-कर्त्ताओं की उन धारणाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान के अध्ययन के सिलसिले में, जो उनके नीति-निर्धारण पर जोर देते हैं। यही नहीं, इसका प्रयोग उन लक्ष्यों और निर्णयों की प्रक्रियाओं के अध्ययन में भी किया जाता है, जो संस्थागत इकाइयों को विदेश-नीति के दायित्व के साथ जोड़ती हैं।

विदेश नीति की प्रक्रिया में, एकाकी मंच-नेताओं के सम्बन्ध में, अनुसन्धान की यह विधा राज्यों के व्यवहार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व तो करती ही है, पर साथ ही साथ इसके जरिये यह भी मासूम करना सम्भव हो जाता है कि राज्यों के कतिपय कार्यों के क्या कारण होते हैं? बहने का अभिप्राय यह नहीं है कि जिन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वे ही इस आशय के लिए राज्य का गठन करते हैं, बल्कि यह है कि वे राज्यों के कार्यों में प्रमुख हिस्सेदार तथा सहयोगी होते हैं। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार का अनुसन्धान प्रमुख निर्णय-कर्त्ताओं के कार्यों पर जोर दे, बल्कि उन राजनयिकों तथा अन्य अधिकारियों के कार्यों का भी अध्ययन कर सकें, जो समस्त प्रक्रिया में, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग, राष्ट्रीय विदेश-नीति सगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की विदेश-नीति प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान कार्य हुए हैं। इस प्रकार के अनुसन्धान के जो विषय रहे हैं, वे इस प्रकार हैं—सम्बद्ध व्यक्तियों की अपने कार्यों के प्रति कंसी धारणाएँ होती हैं? कार्यों की परिभाषा से उनका क्या आशय होता है? अपने कार्यों के सिलसिले में उन्हें किन क्रियाओं और पारस्परिक क्रियाओं का आशय लेना होता है? किस प्रकार से कार्य, विदेश नीति प्रक्रिया का भग बनते हैं और किस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं?

अन्योन्य क्रिया की प्रक्रियाएँ

पिछले कुछ वर्षों में, जिस अनुसन्धान-क्षेत्र में प्रगति हुई है, वह है व्यक्तियों या वर्गों की अन्यान्य क्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संधर्षों, सौदागरी और प्रतियोगिता तथा सहयोग के बीच की प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है। इन प्रयोगों के सिलसिले में प्रयोगशाला में, ऐसी परिस्थितियों को लाने का यथासाध्य प्रयत्न किया जाता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के ही अनुरूप हो। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की हू-ब-हू नकल करके यह नहीं किया जाता, बल्कि उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को लेकर ही किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी अन्यान्य क्रियाओं की प्रक्रियाओं के नियन्त्रित अवलोकन

की सुविधा रहती है, जिससे राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है ।

प्रमुख प्रायोगिक विधाओं में से एक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय छद्म विद्या के द्वारा प्रयोगशाला में, भिन्न-भिन्न विज्ञेयताओं वाले छद्मों द्वारा राष्ट्रों के निर्माण का साहसिक प्रयास किया जाता है । लघु वर्ण-प्रयोगों के समान, विषयों का व्यवहार व्यक्तियों के समान नहीं होता, बल्कि ये विषय अपने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, निर्णय-कर्ताओं की भूमिका अदा करते हैं । निर्णय-कर्ताओं के विदेश नीति सम्बन्धी अनेक कार्यों (जैसे, शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, व्यापार महायत्ना, सश्रय आदि) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली सम्बन्धी अनेक परिणामों (सर्प स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमित युद्ध या परमाणु युद्ध) का अध्ययन किया जा सकता है । प्रयोगात्मक वाधाओं की गुरुआत तथा प्रक्रिया की स्वाभाविक गति में परिवर्तन होने से प्रयोगशाला सम्बन्धी छद्मताओं, विभिन्न युद्ध-नीतियों, सैनिक क्रियाकलापों और अन्य परिस्थितियों के प्रभावों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की स्थिति के सम्बन्ध में विशिष्ट मकल्पनाओं के परीक्षणों का प्रबन्ध तो कर ही सकती है, साथ ही साथ वे उन विभिन्न मूल्यों के प्रभावों को भी सामने ला सकती हैं, जो निर्णय-कर्ताओं की व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक विशेषताओं में परिलक्षित होती है ।

सिद्धान्त और विधि का निर्माण

परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ज्ञानशाला में, ऐतिहासिक वर्णनात्मक तथा आदर्शमूलक पद्धतियों पर जोर दिया जाता है । विगत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के अनेक विद्वानों ने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसे सामान्य प्रस्तावों की ओर अधिकाधिक दिलचस्पी दिखाई है, जिनके आधार आनुभविक प्रेरणा है । इसके फलस्वरूप सैद्धान्तिक नमूनों का विनाश हुआ है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में, सिद्धान्त निर्माण की समस्या और समुचित विधि-विधान की खोज के माध्यम से पारस्परिक सामान्य सम्बन्ध जुड़ गया है । अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ, ग्रंथशास्त्र, या समाजशास्त्र पर आधारित अन्य पद्धतियों के माध्यम से इस प्रक्रिया में सहायक मिट्टी हो रही है । इस प्रकार राष्ट्रीय तथा विदेश नीति के निर्माण के बीच की अन्वय क्रियाओं में, विविध सामान्य मकल्पनाओं, अभिप्रेरक मकल्पनाओं, प्रत्यक्ष ज्ञान, विश्वास तथा सन्देह, परिस्थिति, बल, संचार, नेतृत्व-प्रभाव, प्रतिमान निर्माण, भूमिका निर्धारण, वर्ण मरचना, निष्ठा आदि का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होना है । विशेषतः इस प्रकार की मकल्पनाओं, एकाकी मंच नेताओं की अन्वय क्रियाओं तथा उनके व्यवहारों को अथवा केन्द्र-विन्दु बनाते हैं, जिसमें राष्ट्र के व्यवहारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के विश्लेषण दोनों से अन्वेषकों की यत्किञ्चित् सुविधाएँ मिल जाती हैं । इसके माध्यम से ही माध्यम सैद्धान्तिक धरो को कार्यान्वय रूप देने और उनके फलस्वरूप प्रस्तावों के आनुभविक परीक्षणों की भी बहुत सुविधा हो जाती है ।

अतः सामाजिक-मनोवैज्ञानिक मकल्पनाएँ, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, गहन साक्षात्कार, व्यवस्थित प्रेक्षण, प्रयोगशाला प्रयोग तथा मनोवैज्ञानिक चरो के रूप में विषय-विश्लेषण जैसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सामाजिक मनोवैज्ञानिक मकल्पनाओं तथा विधियों के कार्यों के सम्बन्ध में अनेक ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका समाधान अभी नहीं हो पाया है, उदाहरणार्थ, इस क्षेत्र में विश्लेषण की समुचित इकाई का प्रश्न तथा प्रयोगशाला के साथ वास्तविक जीवन के सामान्यीकरण का प्रश्न। फिर भी वर्तमान सैद्धान्तिक तथा विधि-विधान सम्बन्धी विकास की अवस्था के अध्ययन के लिए ये उपयोगी साधन हैं।

नीति सम्बन्धी सिफारिशों का निरूपण

मनोवैज्ञानिकों तथा व्यवहार वैज्ञानिकों ने, ठोस नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विशिष्ट ज्ञान अथवा विश्लेषणात्मक तरीकों का प्रयोग कर विगत कुछ वर्षों में विदेश नीति प्रक्रिया में अधिकाधिक सक्रिय भाग लिया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिरोध सिद्धान्त तथा वार्ता-कार्य की विधियों जैसी शीत-युद्ध की नीतियों में अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक धारणाओं की अनुक्रियाओं में अवरोध उत्पन्न कर या प्रत्यक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर शीत-युद्ध के तनाव को अधिक बढ़ा कर या शीत युद्ध के तनावों को प्रचलित करने वाले मनोवैज्ञानिक यन्त्र तथा सिविल रक्षा या विदेशी सहायता जैसे विभिन्न प्रकार के विद्यमान या प्रस्तावित कार्यक्रमों के निहितार्थों का नीतिपरक परीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में, नई पद्धतियों के लिए विशिष्ट सुझावों को प्रस्तुत किया है, जिनका उद्देश्य है—निरस्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहन, तनाव की कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में प्रगति। आंशिक रूप में ही सही, पर इन सुझावों का आधार है, तनाव में कमी। यह स्पष्ट है कि निरस्त विश्व की सुरक्षा जिन मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, उन पर भी यहाँ कुछ अंश तक प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है।

सामाजिक मनोवैज्ञानिक योगदान का महत्त्व उस स्थिति में बहुत कुछ बढ़ जाता है, जिसमें नीतिगत सिफारिशों को, उस अनुसन्धान का समर्थन प्राप्त हो, जो इसके निहितार्थों को जानने और समझने के लिए किए जाते हैं। नीतिगत कुछ मसलों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित एकत्र आँकड़ों भी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान की नीति प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यह निर्णय करने के लिए भी अनुसन्धान कार्य किए जा रहे हैं कि जनमत विदेश नीति में किम सीमा तक नवीनता को सहन और ग्रहण कर सकता है। निःसन्देह नीतिपरक अनुसन्धान कार्य में अनेक विघ्न आते हैं, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के क्षेत्र में, फिर भी यही वह नींव है जिस पर नीति प्रक्रिया के क्षेत्र में किया गया अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक योगदान अन्नतोगत्वा टिक सकेगा।

से निर्देशित होता है पर जनतन्त्रीय शासन पद्धति का परराष्ट्रनीति-निर्धारण तथा संचालन पर एक अन्य प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है। सरकार को प्रबल बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में परराष्ट्र-नीति भी दुर्बल होती है। परराष्ट्र-नीति पर पार्टी प्रतिद्वन्द्विता तथा वैयक्तिक विद्वेष के एक जबर्दस्त सघात का चरम उदाहरण प्रथम विश्वयुद्धोत्तर युग में समुक्त राज्य के सीनेट द्वारा वर्साय-नीति का अस्वीकरण एवं राष्ट्रसंध का सदस्य न बनने का संकल्प बहा जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध की भूमिका में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने देश की घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस की हर सम्भव सहायता करने की नीति अपनाने के लिए बड़ी ही सतर्कता के साथ एक-एक कदम उठाना पड़ा था।

परराष्ट्र-नीति एवं गृह-नीतियाँ वस्तुतः एक-दूसरे की पूरक-अनुपूरक होती हैं। उनके एक-दूसरे से निरपेक्ष होने अथवा पृथक् रखे जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों ही राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग होती हैं, किसी राज्य के द्वारा देश-विदेश में अपने हितों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियाँ।

दोनों में सामंजस्य

विदेश-नीति देश की आन्तरिक नीतियों का विश्व रंगमंच पर विक्षेप है, किसी देश की विदेश-नीति के उद्देश्य पर उसके आन्तरिक (कम-से-कम उसके शासक वर्ग के) उद्देश्य हावी होते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक विशेषकर समुक्त राज्य, ब्रिटेन जैसे जनतन्त्रात्मक देशों में विदेश-नीति के निर्धारण तथा संचालन का एक पृथक क्षेत्र माना जाता था, जिसके तरीके, उपकरण तथा संचालक आन्तरिक नीतियों के तरीकों, उपकरण एवं संचालक से कई बातों में भिन्न होते थे। विदेश-नीति वस्तुतः कूटनय विशेषज्ञों तथा सेवाओं का अपना खास क्षेत्र मानी जाती थी। विदेश-नीति के हित में आन्तरिक नीतियों को दिशा-निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते थे। उन युगों में विदेश-नीति का सम्बन्ध मूलतः सुरक्षा, साम्राज्य तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता था। इन्हें सर्वोपरिता दी जाती थी। बिस्मार्क से लेकर ट्रिटसर तन के जर्मनी, मुसोलिनी ने इटली तथा कुद्ध हृद तक फ्रांस एवं जारशाही रूस में यह प्रवृत्ति अधिक लक्षित होती थी।

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर विश्व में विदेश-नीति तथा आन्तरिक नीतियों के मध्य प्रकट तथा अप्रकट सम्बन्ध बढ़ते रहें हैं। विकासशील देशों की परराष्ट्र-नीति आन्तरिक नीतियों के पृष्ठपलक, कार्यान्वयन तथा परिणामों से बहुत कुछ अनुप्रेरित होती है। इसका कारण है कि सदी के उत्तरार्द्ध में विदेश-नीति के मूल लक्ष्यों में परिवर्तन हुआ है। जापान, पश्चिमी जर्मन मध्य राज्य-जैसे देशों की विदेश-नीतियों में सुरक्षा, साम्राज्य तथा प्रतिष्ठा—जैसे परम्परागत मुद्दों का तत्काल के लिए परित्याग कर दिया गया है। अनेक देशों की विदेश-नीतियों का सम्बन्ध देश की अर्थ-व्यवस्था, विदेश व्यापार आदि के साथ अधिक लक्षित होगा।

संचार तथा यातायात के आधुनिकतम साधनों ने विभिन्न देशों के लोगों को निकटतर कर दिया है। दैनन्दिन आवश्यकता की अनेक वस्तुएँ विदेशों से आयात की जाती हैं। एक देश के बल-कारखाने चालू रहे, बेकारी की समस्या उग्र न हो, इसके लिए अनेक देशों में समृद्धि होनी चाहिए जिसमें उनकी क्रयशक्ति में कमी न हो। एक देश के औद्योगीकरण में अनेक दूसरे देश सहायता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार एक विकसित देश अनेक दूसरे देशों के औद्योगीकरण में सहायक होता है। सदी के अन्तिम चतुर्थक में शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण देश होगा जो यह कह सके कि उसकी अर्थ-व्यवस्था स्वतः सम्पूर्ण है अतः कुछ अंशों में विदेश-नीति अन्तरिक नीतियों का पूरक बन गई है। क्यूबा को यदि अपने लोगों के जीवन-स्तर का उन्नयन करना है तो उसे अपनी अर्थ-व्यवस्था को संयुक्त राज्य की दमघोट पकड़ से मुक्त करना होगा, यह तभी सम्भव है जब सोवियत संघ उसकी पीठ पर हो, उसकी विदेश नीति भी तदनुरूप होनी चाहिए। 1956 में मिस्र के आस्वान बांध बनाने के सक्त्प की परिणति स्वेज काण्ड तथा विदेश नीति के सोवियताभिमुखीकरण में हुई। इसी प्रकार सोवियत संघ में अस्तालिनीकरण के क्रम में विदेश-नीति में भी यथोचित परिवर्तन हुए।

वस्तुतः अन्तरिक नीतियाँ विदेश नीति का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अनुप्रेरक तत्त्व होनी हैं। अपने देश में जीवन-स्तर का उन्नयन करने के कृतमबल्य शासक उग्र व अप्रगामी विदेश नीति नहीं अपना सकते। सुकाणों के पतन के उपरान्त इण्डोनेशियाई शासकों ने न केवल अपने देश में कम्युनिस्टों को निर्मूल कर दिया, बल्कि पॅकिंग तथा मास्को के प्रति अपनी नीति में भी आमूल परिवर्तन किया।

विदेश नीति और शीत-युद्ध (Foreign Policy and Cold-War)

विदेश नीति और शीत-युद्ध में कितना गहरा सम्बन्ध है, यह युद्धोत्तरकालीन पूर्वी और पश्चिमी खेमे के शीत-युद्ध में उतार-चढ़ाव और तदनुरूप विश्व के छोटे-बड़े राष्ट्रों की विदेश नीतियों में सामयिक परिवर्तनों से स्पष्ट है। एक ओर तो शीत-युद्ध देश के नेतृत्व और लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करता है और दूसरी ओर देश की विदेश नीति को नए दिशा संकेत देता है। राष्ट्रों की युद्धोत्तरकालीन विदेश नीति विशेषकर रूस और अमेरिका की विदेश नीति तो शीत-युद्ध की लहरों पर उछलती-कूदती रही है। युद्धोत्तरकाल में रूस द्वारा याल्टा समझौते की भ्रवहेलना ने, टर्बिं पर रूसी दबाव ने, अमेरिका विरोध प्रचार अभियान ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनेक गम्भीर उल्लंघनों ने तथा दूसरी ओर अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों द्वारा चलाए गए सोवियत विरोधी प्रचार अभियान ने अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने की कायंबाही ने, सोवियत संघ को 'लैण्डलीज' महत्ता बन्द करने की घटना ने, चर्चिल की 'फ्लूटन वक्तृता' आदि ने शीत-युद्ध को जन्म देकर जिस तरह उत्तरोत्तर उग्र बनाया, उससे दोनों महाशक्तियों की विदेश

नीति अप्रत्याशित रूप में प्रभावित हुई और विदेश नीतियों के 'नए-नए मोर्चे' खोले गए। साम्यवाद के विरोध के नाम पर और सोवियत विस्तार को रोकने के लिए 'ट्रूमैन सिद्धान्त', 'आइजनहाउवर सिद्धान्त', 'मार्शल योजना' आदि का सुत्रपात हुआ तो सोवियत संघ ने जवाब में यूरोप के 9 साम्यवादी देशों का 'कोमिनफार्म' स्थापित किया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने द्वारा अधिकृत जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण करके 'जर्मनी के सचिय गणतन्त्र' को जन्म दिया तो रूस ने जवाब में 'जर्मन प्रजातान्त्रिक राज्य' अथवा 'पूर्वी जर्मनी' की स्थापना कर दी। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दो जर्मन राष्ट्र अस्तित्व में आए।

शीत-युद्ध के भूटको ने विदेश नीति के खतरनाक मोर्चे खुलवाए। पश्चिमी शक्तियों ने नाटो की स्थापना की तो रूस ने वारसा पैकट किया। कोरियाई युद्ध के समय शीत-युद्ध ने उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध का रूप धारण करके महाशक्तियों की विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत-युद्ध के तनावों को कम करने के लिए शीपेंस्थ नेताओं के शिखर सम्मेलन हुए और समयानुसार विदेश नीति को उग्र तथा नरम बनाया जाता रहा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर विश्व राष्ट्रों ने जो भूमिकाएँ अदा की उन पर शीत-युद्ध के उतार-चढ़ाव का सदैव स्पष्ट प्रभाव रहा। सोवियत-अमेरिकी वंमनस्य और शीत-युद्ध ने विश्व के राष्ट्रों को तेजी से दो खेमों में विभाजित कर दिया और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों ने गुट-निरपेक्ष की विदेश नीति को प्रोत्साहन दिया। दो खेमों की टक्कर को रोकने और दोनों के बीच पुल का काम करने के लिए अमंलग्नता की विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकाधिक सम्मान मिलता गया। पाश्चात्य शक्तियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच शीत-युद्ध की आग प्रज्ज्वलित रखी जिससे दोनों देशों के बीच अनेक युद्ध हुए। पाकिस्तान की विदेश नीति में सैनिक गुटबन्दी का तत्त्व सर्वोपरि रहा और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की कीमत पर सैनिक तैयारियाँ करनी पड़ी। यही स्थिति आज भी बनी हुई है। शीत-युद्ध के अखाड़े ने ही महाशक्तियों के विदेश नीति रूपी पहलवानों को पश्चिमी एशिया, वियतनाम, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका में एक दूसरे के सामने ताल ठोकने को विवश किया है। यह शीत-युद्ध न चले तो विदेश नीति सहयोग और सहअस्तित्व की दिशा में दौड़ पड़ेगी इसमें सन्देह नहीं।

सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश-नीति

(Cultural Relations and Foreign Policy)

सूचना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक देश सांस्कृतिक माध्यम से भी अपना प्रचार कार्य संचालित करते हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञान के आदान-प्रदान का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि व्यक्ति को अपने साथ बाँध लिया जाए। पश्चिमी शक्तियाँ परस्पर शैक्षणिक सम्बन्धों के माध्यम से एक-दूसरे के पर्याप्त निकट आ गई हैं। उन देशों के हजारों छात्र एक-दूसरे के देश में अध्ययन करते हैं। डेन-ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, इसीलिए अधिकांश

को शान्तिपूर्वक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान करके राष्ट्रमण्डल के आघार पर उसने इन से सांस्कृतिक सम्बन्ध को कायम रखने की व्यवस्था कर ली। इन देशों के नेताओं को ग्रेट-ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, उसके कारण वे यहाँ के मूल्यों तथा मूल राजनीतिक एवं कानूनी संस्थाओं को सराहना करते हैं।

फ्रांस वह पहला बड़ा देश है जिसने सांस्कृतिक सम्बन्धों को सरकारी कर्तव्य बना दिया था। फ्रांस के उदाहरण को देखकर 19वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में इंग्लैण्ड तथा जर्मनी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए। ब्रिटेन को दूरदशिता के परिणामस्वरूप तथा अमेरिकी सरकार के प्रयास से आज अर्द्ध-विकसित देशों के लगभग दस मिलियन (एक करोड़) से भी अधिक लोग अंग्रेजी पढ़-लिख सकते हैं तथा इनके माध्यम से वे सरकारें इन क्षेत्रों में आसानी से संचार-व्यवस्था संचालित रख सकती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका का सांस्कृतिक कार्यक्रम—अमेरिका में 1938 में राज्य विभाग के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का एक सम्भाग जोड़ दिया गया। इसने सबसे पहले लैटिन अमेरिका पर ध्यान आकर्षित किया क्योंकि नाजीवाद तथा फासीवाद का प्रभाव वहाँ बढ़ता जा रहा था। सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सस्था को विकसित किया गया ताकि विद्यार्थियों का आदान-प्रदान एवं विदेशी अध्ययन सम्भव हो सके।

संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही पासपोर्ट तथा वीसा के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाकर पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों में प्रशिक्षित मानव-शक्ति का पर्याप्त महत्त्व होता है, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा राजनीति में महत्त्वपूर्ण रूप से भाग लिया जा सकता है। जो विद्यार्थी अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करेंगे और हो सकता है कि वे ही नेता बनें। इसी प्रकार अमेरिका के जो विद्यार्थी एवं शिक्षक विदेशों में अध्ययन कार्य में रत हैं, वे भी उन लोगों पर प्रभाव डालने का पर्याप्त अवसर पाते हैं जो अपने देश में सम्मान एवं उत्तरदायित्व के पद पर हैं अथवा होंगे। 1946 के फुलब्राइट कानून ने विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा तथा 1948 के स्मिथ-मण्ड अधिनियम ने नेतृत्व के आदान-प्रदान का प्रवन्ध किया। इन अधिनियमों ने सघीय सरकार को सांस्कृतिक सम्बन्धों की रचना में रुचि लेने की ओर अग्रसर किया। व्यक्तिगत निकाय भी अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के आदान-प्रदान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करते हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका के करीब दस-पन्द्रह हजार लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इससे अमेरिका को अन्य देशों की जनता से सम्पर्क बनाए रखने

का अक्सर प्राप्त होता है। इन अमेरिकी लोगों में से अधिकांश का सम्बन्ध सशस्त्र सेनाओं में है तथा पाँच लाख से भी अधिक लोग व्यक्तिगत उद्यमों में मलग्न हैं। तिवर्ष दम लाख के लगभग अमेरिकी पर्यटक के रूप में अमेरिका से जाते हैं। इन सम्पर्कों एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से विदेशों के लोगों के साथ निकटता बढ़ती है, किन्तु इससे एक यह खतरा है कि जाने वाले लोगों ने अमेरिका जीवन के उत्तम पक्ष का प्रतिनिधित्व न किया तो यहाँ की संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता तथा इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि यहाँ से प्रतिवर्ष कम कीमत की लाखों पुस्तकें विदेशों को भेजी जाती हैं।

स्टालिन की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धों का विकास हो गया है। 1958 से रूस जाने वाले अमेरिकियों की संख्या लगभग दो गुनी हो गई है। इसी प्रकार अमेरिका में आने वाले रूसियों की संख्या भी बढ़ी है।

सोवियत सांस्कृतिक कार्यक्रम—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सोवियत सरकार द्वारा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए कितना खर्च किया जाता है। 1953 में सोवियत सरकार इस कार्य पर दो बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती थी। इसके बाद इस खर्च में वृद्धि ही हुई है। कुछ लेखकों का अनुमान है कि सोवियत संघ इस कार्य पर जितना धन व्यय करता है उतना शायद सभी देशों द्वारा मिलाकर भी नहीं किया जाता।

विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का निर्यात करने के लिए सोवियत संघ, शोध कार्य, भाषा एवं अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षणों पर धन खर्च करता है तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है। सोवियत प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, संचार-अनुसंधान आदि के द्वारा विदेशों में सोवियत संघ का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है वह एक शान्तिप्रिय किन्तु शक्ति-सम्पन्न देश के रूप में होता है जिससे उसने बहुत कम समय में ही अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कारण महान् उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। सोवियत संघ में जो विदेशी पर्यटक जाते हैं उनको सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा जहाँ वे चाहे वही उनको ले जाया जाता है।

सोवियत संघ में राष्ट्रों का एक मैत्री विश्वविद्यालय (Friendship of Nations University) स्थापित किया गया जो मास्को विश्वविद्यालय से अलग है। यहाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के युवकों को रूसी भाषा, विज्ञान, कला एवं मार्क्सवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन सम्पर्कों के माध्यम से यह आशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देश

को वापस लौटेंगे तो साम्यवाद के हित में कार्य करेंगे। अनेक अमेरिकी शिक्षा-शास्त्रियों ने जब व्यक्तिगत रूप से उच्च सोवियत शिक्षा-शास्त्रियों से बातें की तो उनको यह विश्वास हो गया कि सोवियत सभ विकासशील देशों से अमेरिका को पूरी तरह निजालना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि उदार प्रजातन्त्र अपना देने के लिए सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार करे तथा विदेशों से आने वाले छात्रों के साथ अधिक नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार करे। यह एक चुनौती है जिसका सामना करना जरूरी हो गया है।

प्रचार और विदेश नीति

(Propaganda and Foreign Policy)

राष्ट्रीय हित साधन के रूप में प्रचार एक बहुत ही प्रभावशाली शस्त्र है। इसका दो रूपों में महत्त्व है। प्रथम तो यह कि प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अन्य साधन जैसे बूटनीति, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद युद्ध को अधिक सफलतापूर्वक तथा अधिक प्रभावपूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे, प्रचार स्वयं में भी इतना सक्रिय तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला होता है कि बिना इसके शक्तिशाली स्वरूप के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता और न वह विश्व, समाज में उच्च स्तर ही प्राप्त कर सकता है। आज के प्रजातन्त्र के युग ने भी प्रचार के महत्त्व को कई गुना कर दिया है क्योंकि वर्तमान युग में अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय सद्भावना प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि आप उस देश के कुछ व्यक्तियों को प्रसन्न करके अपने पक्ष में कर लें वरन् प्रचार के समस्त साधनों द्वारा उस देश की जनता को प्रभावित किया जाता है। अपने देश की नीतियों के पक्ष में जनमत तैयार करके ही उस देश की सरकार को अपने पक्ष में किया जा सकता है। साम्यवादी देशों द्वारा प्रचार के साधनों का उपयोग पूरी शक्ति द्वारा किया जाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करके एक नई व्यवस्था कायम करने वाले देशों को प्रचार के हथियार की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि उनका कार्य वस्तु-स्थिति को बर्णन रखने वालों की अपेक्षा दुगुना है। एक ओर तो उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति की क्या बुराइयाँ हैं तथा इसे किस प्रकार बदला जा सकता है और दूसरी ओर उन्हें अपनी आदर्श योजना का चित्र भी खींचना होता है। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी देश प्रचार के प्रभावशाली यन्त्रों का प्रयोग करते हैं।

प्रचार यन्त्र को राज्य विदेश-नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आज की विश्व-राजनीति में गुटबन्दी का जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक गुट अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रचार-साधनों का प्रयोग करता है। संक्षेप में, दूसरे गुट को कमजोर बनाने के लिए, उसके सहयोगियों को तोड़ने के लिए, अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए, अधिकाधिक देशों को अपने पक्ष की ओर खींचने के

लिए, अपनी विदेश-नीति के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, अपनी शान्तिप्रियता का सिक्का बँटाने के लिए प्रचार तकनीको को विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। प्रचार के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। आज सभी देश प्रचार साधनों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। सभी प्रचार असत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रचार का उद्देश्य किसी राज्य की सरकार को गिराना या दबाना भी हो सकता है और नहीं भी, सत्य बात को सामने रखना भी हो सकता है और गलत बातों को सही रूप में पेश करना भी। यह अपनी-अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर है कि कुछ राज्य प्रचार में नैतिक बल का अर्थ अधिक रखते हैं और कुछ नैतिकता-अनैतिकता जैसी बातों की कोई परवाह नहीं करते। अपनी बात से मुकर जाने में उन्हें जरा भी सकोच नहीं होता।





संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति

(Foreign Policy of U.S.A.)

द्वितीय महायुद्ध जिन मुद्दों पर लड़ा गया वे मानव-जाति के लिए इतने चुनियादी और महत्वपूर्ण थे, उसमें जिस प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रयोग हुआ कि वे तकनीकी दृष्टि से इतने उन्नत तथा भिन्न प्रकार के थे, तथा वह इतना व्यापक था कि उसने समूची समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को जड़मूल से हिला दिया तथा वह काल-चक्र का एक ऐसा चरण बन गया जिसके साथ ही विश्व-इतिहास के एक युग का अन्त हो गया। एक नूतन युग का सूत्रपात हुआ जिसमें अनेक नए स्वतन्त्र राज्य उभरे, नई महाशक्तियों का उदय हुआ, प्रभुत्व-क्षेत्र बदले, नई प्रवृत्तियों, आर्थिक तथा वैज्ञानिक विधियों, प्रायोगिकी, तकनीकी और मस्कृति एवं नए राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ, तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक विश्व-इतिहास का निर्माता यूरोप था परन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद का यूरोप एक 'समस्या-प्रधान यूरोप' (A Problem Europe) बन गया। जर्मनी और इटली नष्ट हो गए तथा ब्रिटेन और फ्रांस तृतीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए तथा विश्व-नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथों में आ गया। महायुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब सत्तार में दो ही महाशक्तियाँ रह गई हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और युद्धोत्तर विश्व तेजी से इनके प्रभाव-क्षेत्रों में बँटने लगा। दोनों राष्ट्र मानव-चिन्तन की दो विरोधी विचारधाराओं के प्रतीक बन गए। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बना तो संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतन्त्रवादी आकांक्षाओं का पक्षधर बन गया। दो आर्थिक शिविर सपठित हुए—संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी शिविर।

युद्धोत्तर युग में अभी तक अमेरिका की बागडोर छठ राष्ट्रपतियों के हाथ में रही है—हेनरी ट्रूमैन, ड्वाइट डी. आइजनहावर, जॉन एफ. केंनेडी, लिण्डन बी. जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, जिम्मी कार्टर और रोनाल्ड रीगन। प्रत्येक राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश-नीति के आधारभूत तत्त्वों की रक्षा करते हुए अपने कार्यकाल में समयानुकूल परिवर्तन किए। अमेरिकी विदेश-नीति के विकास का इतिहास इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार विभाजित किया जा सकता है।

ट्रूमैन युग (1945-1952)

द्वितीय महायुद्ध के बाद 1952 तक के अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति की जो आधारशिलाएँ रखी, वे आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। भावी राष्ट्रपतियों ने अपनी विदेश नीतियों को समयानुसूल नए मोड़ दिए, लेकिन ट्रूमैन कालीन तत्त्व आज भी सजीव है। साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का जो स्टर्त निश्चय-राष्ट्रपति ट्रूमैन ने व्यक्त किया था, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपतियों ने किया और साम्यवाद के प्रसार पर प्रबुध रगने के लिए अभिनव कदम उठाए। विश्व-राजनीति में अमेरिकी नेतृत्व को सर्वोच्चता देने का जो प्रयत्न ट्रूमैन ने किया, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपति भी करते रहे हैं। ट्रूमैन काल में अमेरिका यह मानकर चला कि सोवियत संघ उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है और अमेरिका का भावी इतिहास भी यही बताता है कि सोवियत संघ को प्रमुख लक्ष्य मानकर ही अमेरिका की विदेश नीति बहुत कुछ संचालित होती रही है।

ट्रूमैन के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति को मुख्य प्रवृत्तियाँ

1. ट्रूमैन युग में अमेरिकी विदेश नीतियों में जिन प्रवृत्तियों अथवा तत्त्वों पर जोर दिया गया, उन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

1. अमेरिका विश्व-राजनीति में अनुकर भाग लेने तथा यूरोप तो उसकी दिलचस्पी का प्रधान केन्द्र बना ही, विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका की महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो गई। एक महाशक्ति के रूप में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए।

2. महायुद्ध के बाद अगस्त, 1946 के आसपास तक ट्रूमैन ने 'सहयोग और अनुकूलता की नीति' (Policy of Co-operation and Accomodation) का अनुसरण किया। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माता यह मानकर चले कि युद्धकाल में मित्रराष्ट्रों में जो सहयोग आ बहुयुद्ध के बाद भी बरकरार रहेगा। 'सहयोग और अनुकूलता की नीति' के इस काल को 'मधु-रात्रि काल' (The Honey-Moon Period) भी कहते हैं।

3. अमेरिका का यह प्रयत्न रहा कि, तनाव का क्षेत्र समाप्त करने के लिए महायुद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ शीघ्र में शीघ्र शान्ति सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ।

4. सोवियत संघ के साथ सहयोग की नीति असफल होते देखकर ट्रूमैन ने अगस्त, 1946 में अमेरिकी विदेश नीति का एक नई दिशा प्रदान की। ऐसी नीति के अनुसरण का निश्चय किया गया जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से 'तुरन्त' 'बन्द' कर दिया जाए। चूँकि यह पिछली नीति को त्यागकर एक नई दिशा की ओर मुड़ने का निश्चय था, अतः अगस्त, 1946 से जून, 1950 तक की अवधि को 'नवीन दिशान्वेषण काल' (Period of New Departure) कहा जाता है। इस युग में साम्यवाद के प्रति कठोरतापूर्वक प्रसार-निरोध की नीति अपनाई गई, अतः इसे 'प्रसार-निरोध नीति का काल' (Period of the Policy of Containment) भी कहते हैं। फिर भी राष्ट्रपति ट्रूमैन और उपराष्ट्रपति हैनरी

बैलास का यह मत रहा कि अमेरिका और सोवियत सभ का मूल हित इसी बात में है कि शान्ति कायम रखी जाए ताकि विश्व के सभी देश पुनर्निर्माण-कार्यों में सफल हों। यह विचार व्यक्त किया गया कि सोवियत सभ भयभीत है और पश्चिमी आक्रमण के विरुद्ध आशवासन चाहता है।

5. सोवियत सभ जैसे-जैसे शक्तिशाली होता गया स्टॉलिन अधिवाधिक उग्र होता गया। तब 1950 में अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के निरोध का प्रयत्न आरम्भ किया। इस नीति के अनुसार 'नाटो' (NATO) की स्थापना की गई। इसे 'प्रसार निरोध रणनीति' (The Strategy of Containment) की संज्ञा दी गई। ज्यों-ज्यों साम्यवाद का स्वतंत्रता बढ़ता गया, अमेरिका सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों के निर्माण की ओर उन्मुख होता गया। 1950 में ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर कोरिया की पीठ पर साम्यवादी शक्तियाँ थी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का पक्ष लेकर इस साम्यवादी आक्रमण को विफल कर देने का संकल्प किया और संयुक्त राष्ट्रसभ की सेनाओं के रूप में अमेरिकी सेनाएँ युद्ध-क्षेत्र में कूद पड़ीं। कोरिया का युद्ध जून, 1950 से जुलाई, 1953 तक चला और इस अवधि को 'अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास में खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) कहा जाता है।

6. ट्रूमैन-युग में अमेरिका की यह नीति थी कि वह अणु-शक्ति का एकलव्य स्वामी बना रहे। अणु-शक्ति के नियन्त्रण की योजनाएँ भी बनाई गईं।

सारांश रूप में ट्रूमैन युग में विदेश नीति के मुख्य चरण ये रहे—'सहयोग और अनुकूलता की नीति', 'निरोध नीति', 'सैनिक सन्धियों की नीति' और 'खुले संघर्ष का काल'।

सहयोग और अनुकूलता की नीति (अगस्त, 1945—अगस्त, 1946)

आरम्भ में अमेरिका ने यह सोचा कि मित्रराष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शान्तिकाल में भी बना रहेगा, अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सहयोग और अनुकूलता की नीति (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण किया। अमेरिका ने चाहा कि युद्धकालीन विनाश के चिह्नों को शीघ्रतापूर्वक मिटा दिया जाए, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ और चारों ओर शान्ति का वातावरण सम्पन्न किया जाए। अमेरिका ने यह भी चाहा कि किर्मी देशों की प्रादेशिक अखण्डता को भंग न किया जाए और कोई भी विदेश-शक्ति किसी देश में बलपूर्वक किसी शासन-व्यवस्था को न थोपे। अमेरिका ने युद्धोत्तरकालीन सभी समस्याओं का निदान मिल-जुलकर करने का निश्चय किया परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अमेरिका ने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ किए। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है और अमेरिका की विदेश नीति भी इसी लक्ष्य से संचालित हुई कि सोवियत सभ की तुलना में अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता जाए।

‘बारह सूत्री’ उद्देश्यों की घोषणा, 1945—सहयोग और अनुकूलता की नीति की व्याख्या करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 28 अक्टूबर, 1945 को ‘बारह सूत्री’ (Twelve Points) उद्देश्यों की घोषणा की। ये उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार थे—

1. अमेरिका प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता, वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा।

2. अमेरिका का मत है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रभुता के अधिकार बलपूर्वक छीन लिए गए थे, वे उन्हें वापस किए जाने चाहिए।

3. अमेरिका किसी मित्रदेश में जनता की स्वतन्त्र सहमति के अभाव में किए गए प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा।

4. अमेरिका का यह विश्वास है कि स्वशासन में समर्थ देशों को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने शासन का स्वरूप निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह सिद्धान्त यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी गोलार्द्ध में समान रूप से लागू होता है।

5. अमेरिका का लक्ष्य अपने साधियों के प्रति सहयोग करते हुए पराजित देशों में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना करना है।

6. अमेरिका विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश में बलपूर्वक थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं देगा।

7. सब देशों को अनेक देशों में से होकर गुजरने वाली नदियों तथा समुद्रों में आवागमन की निर्बाध स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

8. विश्व में कच्चे मान की प्राप्ति तथा व्यापार में सब देशों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

9. अमेरिका का मत है कि पश्चिमी गोलार्द्ध के राज्यों को इस गोलार्द्ध के बाहर की किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना पड़ोसियों की भाँति अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

10. अमेरिका चाहता है कि समूचे विश्व में दरिद्रता और अभाव को दूर करने तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग हो।

11. अमेरिका विश्व में विचार-अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्रता के विस्तार के लिए प्रयत्न रहेगा।

12. अमेरिका का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय शान्ति स्थापित रखने के लिए ऐसे सयुक्त राष्ट्रसंघ की आवश्यकता है जिसके सदस्य शान्ति-प्रेमी हो और शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हों।

सैनिक संहारा में जमी—विश्व-शान्ति के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों की मर्यादा में कमी करना शुरू कर दिया।

लगभग दो वर्ष के अन्तर्गत ही मैनिको की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से घटाकर 15 लाख कर दी गई। अमेरिका की आशा थी कि रूस भी सहयोग करेगा और अनुकूल उत्तर देगा लेकिन यह आशा गलत सिद्ध हुई। अमेरिका तत्कालीन विश्व-राजनीति के दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भूल कर बंठा—प्रथम, सोवियत संघ की आक्रमणकारी चालें; एवं द्वितीय, एशिया महाद्वीप में क्रान्ति।

सोवियत संघ से उग्र मतभेद और सहयोगपूर्ण नीति का परित्याग—कुछ ही समय में सभी क्षेत्रों में यह प्रकट हो गया कि रूस और अमेरिका परस्पर-विरोधी हैं और विश्व की हर समस्या पर दोनों में उग्र मतभेद है। दोनों शक्तियों में किसी प्रकार का समझौता और सहयोग सम्भव नहीं है। विशेषतः पाँच क्षेत्रों में सोवियत अमेरिकी मतभेद अत्यधिक उग्र हो गए—

- (i) जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न,
- (ii) पोलैण्ड में रूस द्वारा याव्टा सम्मेलन में किए गए वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत,
- (iii) इटली, हंगरी, रूमानिया, बल्गेरिया तथा फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धियों का प्रश्न,
- (iv) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसमें रूस द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग का प्रश्न, तथा
- (v) ईरान, तुर्की और यूनान में महत्त्वाकांक्षियों का प्रश्न।

इन उग्र मतभेदों और अन्य असहमतियों के कारण दोनों शक्ति गुटों में 'शीतयुद्ध' आरम्भ हो गया। रूसी चालों में बाध्य होकर अमेरिका के विदेश-नीति निर्माताओं ने सहयोग और अनुकूलता की नीति का परित्याग कर दिया। प्रसार-निरोध नीति (अगस्त, 1946—जून, 1950)

अब अमेरिका ने यह निश्चय कर लिया कि साम्यवादी प्रसार को अबिलम्ब ध्वस्त किया जाए। इस निश्चय के साथ ही 'प्रसार-निरोध नीति' (Policy of Containment) पर अमल किया जाने लगा।

इस सम्बन्ध में अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य तत्त्व इस प्रकार रहें—

ट्रूमैन सिद्धान्त—मध्यपूर्वों क्षेत्र में यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन ने इन्हीं आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसी नीति को 'ट्रूमैन सिद्धान्त' (Truman Doctrine) कहा जाता है। महायुद्ध के बाद चारों ओर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। यूनान, तुर्की और ईरान में साम्यवादी मा दोल्लेन ने विशेष जोर पकड़ लिया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत की गई भारी अमेरिकी आर्थिक सहायता के बल पर 1950 के अन्त तक यूनान और तुर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली।

'ट्रूमैन सिद्धान्त' के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश नीति का कार्यक्षेत्र विश्व-व्यापी हो गया। इस सिद्धान्त ने अमेरिका की विदेश नीति में मौलिक परिवर्तनों को जन्म दिया, उसे विक्रम की एक नई दिशा दी। माइकेल डॉनेलन के शब्दों में,

'ट्रूमैन सिद्धान्त' निश्चय ही सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए, मुनरो सिद्धान्त था। इसने पुराने सिद्धान्त को नई परिस्थितियों के साथ आवश्यकतानुसार समायोजित कर दिया और पश्चिमी गोलार्द्ध की सीमाओं का विस्तार स्वतन्त्र विश्व की सीमाओं तक कर दिया। ट्रूमैन सिद्धान्त ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पृथक्तावादी नीति का परित्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की समस्याओं के प्रति सक्रिय बन गया है। यह रूस को उत्तरी विन्नारवादी चेष्टाओं के विरुद्ध एक चेतावनी थी, मास्को के प्रति सहयोग की नीति का परित्याग था। यह सिद्धान्त-म तथ्य की स्वीकृति थी कि भू-मध्य सागर और मध्यपूर्व में उत्पन्न हुई 'शक्ति शून्यता' का हम द्वारा लाभ उठाए जाने में पूर्व अमेरिका का लाभ उठाने का इच्छक है। इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य बल्कान प्रायद्वीप में रूसी प्रसार को रोकने के लिए और साथ ही रूस को घेरने के लिए यूनान और तुर्की को महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में सुरक्षित रखना तथा मध्यपूर्व के विशाल तेल भण्डार को अपने अधिकार में रखना था। यह सिद्धान्त सोवियत साम्यवाद के प्रति अमेरिकी वैमनस्य की स्थूल अभिव्यक्ति थी। अमेरिका विश्व को लोकतन्त्र के लिए सुरक्षित करना चाहता था।

ट्रूमैन सिद्धान्त को बटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक और सामरिक सहायता देने की अमेरिका की नीति को नव साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद कहा गया। ट्रूमैन सिद्धान्त से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति को आपात पहुँचा क्योंकि यूनान और तुर्की को मध्य के माध्यम में नहीं बल्कि पृथक् रूप से सहायता दी गई। स्वयं अमेरिकी जनता की दृष्टि में ट्रूमैन सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का ही विकसित रूप था।

111- मार्शल योजना—'प्रसार-निरोध की नीति' का दूसरा चरण मार्शल योजना (Marshall Plan) थी। अमेरिका के विदेश मन्त्री मार्शल ने मास्को के शान्ति-सम्मेलनों में देखा कि रूसी हर बात में घटगेबाजी की नीति अपनाकर शान्ति-सन्धिघोषों में विलम्ब लगा रहे हैं। मार्शल शीघ्र ही समझ गया कि सोवियत संघ द्वारा सन्धि चर्चा में देर लगाने का परिणाम यूरोप में साम्यवाद की स्थापना होगी जिससे कि सोवियत संघ के मनोनुकूल समझौते में कठिनाई न हो। मार्शल ने इस बात पर धन दिया कि यदि यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार के अविलम्ब प्रयास नहीं किए गए तो वह साम्यवादी हो जाएगा। प्रकट रूप में उन्होंने यही कहा कि उनके देश की नीति किसी देश अथवा सिद्धान्त विशेष से संघर्ष की नहीं करे, भूल, निर्धनता, मांघनहीनता और अव्यवस्था का सामना करने की है। पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोवियत संघ को भी आमन्त्रित किया गया, परन्तु मास्को और उसके साथी राज्यों ने इस प्रस्ताव को अमेरिकी नव साम्राज्यवाद की एक नई चाल बताकर ठुकरा दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने मार्शल योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों (इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, नाब, लक्जमबर्ग, स्वीटन, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति (Committee of European

Economic Co-operation) की स्थापना की गई। यूरोपीय पुनरुद्धार का चार-वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि 'अमेरिका यदि 13 अरब डॉलर की राशि खर्च करने को तैयार हो तो 1951 तक एक आत्मनिर्भर यूरोपीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। 'मार्शल योजना' को जो अधिकृत रूप से 'यूरोपीय राहत कार्यक्रम' (European Relief Programme) कहलाई, कांग्रेस ने अप्रैल, 1948 में पास कर दिया। योजना को क्रियान्वित करने के लिए 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन' (Organization for European Economic Co-operation) की स्थापना की गई।

'मार्शल योजना' में सोवियत संघ और पश्चिम के बीच विरोध पहले की अपेक्षा और अधिक उग्र हो गया। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (1947-1951) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग 11.1 मिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के बल पर एक ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक पुनर्जागरण और साम्यवादी प्राधिपत्य से बच गया तथा दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चात्य जगत का सर्वमान्य नेता बन गया। अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देते हुए यह शर्त लगाई कि वे अपनी सरकारों से साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन कर देंगे। 'मार्शल योजना' एक प्रकार से ट्रूमैन सिद्धान्त का ही विकसित रूप थी। 'मार्शल योजना' का प्रत्युत्तर रूस ने सितम्बर, 1947 में 'कोमिनफोर्म' की स्थापना के रूप में दिया। आर्थिक स्तर पर साम्यवाद प्रसार निरोध की नीति के अनुसार अमेरिका ने जर्मन अर्थव्यवस्था को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया।

चारसूत्री कार्यक्रम—चीन में साम्यवाद की विजय से अमेरिका को यह आशंका हो गई कि विश्व के अल्प-विकसित देश साम्यवादी प्रसार के उत्तम-क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। अतः ऐसे प्रदेशों में साम्यवाद प्रसार रोकने के लिए 20 जनवरी, 1949 को ट्रूमैन ने 'चारसूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की—

(i) संयुक्त राष्ट्रसंघ का पूर्ण समर्थन,

(ii) विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के कार्य चालू रखना,

(iii) आक्रमण के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना एवं

(iv) अल्प-विकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिकी सहायता।

काँग्रेस ने 1950 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम (Act for International Development) द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। रिचर्ड स्टैविस के शब्दों में, "यह कानून अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।" इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी क्योंकि अल्प-विकसित देशों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक थी तथा इसने द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सिद्धि होती थी।

आलोचको द्वारा चार-मूत्री कार्यक्रम को शीतयुद्ध का ही अस्त्र माना गया। कहा गया कि यह अन्य-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा उनसे आवश्यक रणनीति का सामान प्राप्त करने का एक तरीका है।

नाटो : प्रसार निरोध की रणनीति (NATO . The Strategy of Containment)—राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के विरोध का प्रयत्न किया। उसने दूसरे देशों के साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम (Mutual Defence Assistance Programme) का तरीका अपनाया जो अमेरिकी विदेश नीति में एक नवीन प्रयोग था। सैनिक प्रसार-निरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा नाटो का संगठन किया गया और 4 अप्रैल, 1949 को संयुक्तराज्य, कनाडा, इटली, आइसलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच यह प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई। उत्तरी अटलांटिक सन्धि अनेक तरह से एक 'नया परिवर्तन' (Innovation) थी। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति अमेरिका ने स्वयं को बचनबद्ध किया। इसी के साथ यूरोपीय देशों की सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया।

संयुक्तराज्य अमेरिका को तेजी से सैनिक सन्धियों के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उत्तरदायी एक और महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने 1949 में ही अणु बम (Atom Bomb) के रहस्यों को खोज निभाया था जिन्हे संयुक्तराज्य अमेरिका ने सोवियत सभ से मर्बथा गुप्त रखा था। रूस की इस खोज में संयुक्तराज्य अमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार (Monopoly) का अन्त हो गया और उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया।

खुले संघर्ष का काल (जून, 1950—जुलाई, 1953)

साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यों बढ़ता गया संयुक्त राज्य अमेरिका महत्त्वपूर्ण सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों की ओर उन्मुख होता गया। जून, 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से जिसमें संयुक्त राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत अमेरिकी सेनाओं ने ही लगभग पूर्ण युद्ध लड़ा, अमेरिकी विदेश नीति से सैनिक शक्ति का महत्त्व द्विगुणित हो गया। श्लीचर (Schleicher) के शब्दों में, "अमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से भी अधिक हो गया, यूरोप को दिए जाने वाले सहयोग की अपेक्षा सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा तथा मार्शल योजना की मदें 'सुरक्षा समर्थन की मदें' बन गईं।"

कोरिया युद्ध जून, 1950 से जुलाई, 53 तक चालू रहा। यह अवधि शीतयुद्ध के स्थान पर खुले संघर्ष अथवा सक्रिय युद्ध की थी, इसलिए अमेरिकी युद्धोत्तर विदेश नीति के इतिहास में यह एक प्रकार का 'खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) रहा। इस अवधि में अवरोध-नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्त्व देते हुए 30 अगस्त 1951 को अमेरिका ने फिलिपीन्स के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता किया, 1 सितम्बर,

1951 को आस्ट्रेलिया एव न्यूजीलैण्ड के साथ एजुस समझौता किया और इसी तरह 8 सितम्बर, 1951, को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा-सन्धि की।

स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन में सैनिक शक्ति के उपयोग एव सैनिक तथा प्रतिरक्षा समझौतों के महत्त्व की विचारधारा बलवती हुई। इस तरह अमेरिका अपनी विदेश नीति में अब आर्थिक और सैनिक दोनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा। ये दोनों ही तत्व आज भी अमेरिकी विदेश नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं।

ब्राइजनहॉवर-युग (1953-1961)

जनवरी, 1953 में जनरल ब्राइजनहॉवर ने ह्वाइट हाउस में प्रवेश किया। इसके पूर्व मार्च, 1953 में सोवियत अधिनायक स्टॉलिन की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राइजनहॉवर-काल में सोवियत नेतृत्व में दो परिवर्तन हुए—स्टॉलिन के तुरन्त बाद मॉलेकोव रूस के प्रधान मंत्री बने और फरवरी, 1955 में उनके पतन के बाद ख्रुश्चेव युग (1955-1963) प्रारम्भ हुआ।

ब्राइजनहॉवर-काल में अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु

ब्राइजनहॉवर-युग में अमेरिकी विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए केवल कुछ सामायिक परिवर्तन किए गए और ट्रूमैन-सिद्धान्त की भाँति ही मध्यपूर्व के लिए 'ब्राइजनहॉवर-सिद्धान्त' प्रतिपादित किया गया। ब्राइजनहॉवर-काल में अमेरिकी विदेश नीति का स्वरूप निम्नानुसार रहा—

1. यथाम्भव युद्ध का बहिष्कार किया गया।

2. दूसरे देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई, लेकिन वहाँ भी दुर्बलता प्रकट नहीं की गई। ब्राइजनहॉवर के समय अमेरिका ने वही भी तुष्टिकरण की नीति (Policy of Appeasement) नहीं अपनाई।

3. साम्यवाद के प्रसार को सीमित या समाप्त करने के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता की नीति जारी रखी गई। सैन्यपूर्ण सैनिक सन्धियों की नीति भी चालू रही।

4. अमेरिकी सेनाओं का प्राधुनिकीकरण किया गया, लेकिन विश्व के देशों को यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिका अपनी सैन्य-शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विश्व के उत्पादन और लाभपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई।

6. यूरोपीय एकता को प्रोत्साहन दिया गया और पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ अतिआर्थिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया।

7. सयुक्त-राष्ट्रसंघ का समर्थन करते रहने और इसका साम्यवाद के विरुद्ध एक साधन के रूप में प्रयोग में लाने की नीति अपनाई गई।

8. यात्रा-कूटनीति का अधिक विस्तार किया गया।

ब्राइजनहॉवर युग · विदेश नीति की मुख्य घटनाएँ

साम्यवाद के साथ शक्ति-परोक्षण, फोरिया-युद्ध की समाप्ति—1949 में सोवियत सघ द्वारा अणुबम के रहस्य को खोज निकालने और अमेरिका के आणविक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद से ही मयुक्तराज्य अमेरिका में विशेष चिन्ता व्यक्त हो गई थी। इसीलिए यह निश्चय किया गया कि सोवियत सघ के अधिक शक्तिशाली होने से पहले ही उसकी युद्ध में फँसाकर कमजोर बना दिया जाए तथा उसकी सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाए। यह 'युद्ध-निरोधक युद्ध' (Preventive War) की भावना थी। जून, 1950 में छिड़ने वाला कोरियाई युद्ध इसी नीति का परिणाम था। ब्राइजनहॉवर द्वारा एक ओर तो पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने की और दूसरी ओर समझौते के द्वार खुले रखने की नीति अपनाई गई। जुलाई, 1953 में कोरिया में युद्ध-विराम हो गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि साम्यवादी-विश्व से सुली टक्कर में निर्णायक विजय प्राप्त करना अमेरिका के लिए असम्भव है।

पश्चिमी यूरोप के एकीकरण, अणुशक्ति पर नियन्त्रण आदि के प्रयत्न—मई, 1953 में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का शितर-सम्मेलन हुआ। पश्चिमी-यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्न किए गए। 1954 में इतने अधिक सम्मेलन हुए कि विदेश-सचिव जॉन फोस्टर डलेस को प्रवासी राज्य-सचिव की संज्ञा दी जाने लगी। पश्चिमी-यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसी वर्ष पश्चिमी यूरोपीय संघ (Western European Union) की स्थापना की गई और जर्मनी को नाटो सदस्य बना लिया गया। सोवियत सघ द्वारा 1953 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेने के बाद दिसम्बर, 1953 में ब्राइजनहॉवर ने मयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में अणु-शक्ति पर नियन्त्रण और उसका शान्ति के लिए प्रयोग का प्रस्ताव रखा।

साम्यवाद के अवरोध के लिए सीटो तथा बगदाद-पैक्ट की स्थापना—1954 में साम्यवादी चीन की सहायता से साम्यवादी छापामारो द्वारा हिन्द चीन में गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गई। फलस्वरूप जुलाई में हिन्द चीन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने जेनेवा सम्मेलन में हिन्द चीन को विभाजित करने का निर्णय लिया। इसके उत्तरी भाग में वियतमिन्ह (बाद में उत्तर वियतनाम) का, साम्यवादी राज्य बनाया गया और दक्षिणी भाग को लाओस, कम्बोडिया और दक्षिण वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इस घटना-श्रृंखला ने मयुक्तराज्य अमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प बना दिया। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने सितम्बर, 1954 में थाइलैण्ड, फिलिपींस, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के साथ 'दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक सुरक्षा सन्धि' पर हस्ताक्षर कर सीटो (SEATO) की स्थापना की।

इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के देशों की साम्यवाद से रक्षा के लिए 1955 में बगदाद समझौते (Bagdad Pact) का मूत्रपात हुआ। इस सैनिक सन्धि में अमेरिका सहित ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान आदि सम्मिलित हुए।

पश्चिम एशिया और आइजनाहॉवर सिद्धान्त—1956 में स्वेज के प्रश्न पर मिस्र पर असफल आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के पश्चिम एशिया से हट जाने से वहाँ 'शक्तिरिक्तता' पैदा हो गई। यह आशंका हुई कि इससे रूस अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा अतः अमेरिका ने इस 'शक्तिरिक्तता' को भरना चाहा। इस क्षेत्र में साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए जनवरी, 1957 में आइजनाहॉवर सिद्धान्त (Eisenhower Doctrine) की घोषणा की गई जिसके आधार पर 1958 में एक कानून द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को पश्चिम एशिया के किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि से साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए फौजें भेजने और सैनिक कार्यवाही करने का व्यापक अधिकार मिल गया। कंग्रेस ने आइजनाहॉवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता के इच्छुक पश्चिम एशियाई देशों की सहायता के लिए 20 करोड़ डॉलर की विशाल धनराशि स्वीकृत की।

आइजनाहॉवर सिद्धान्त के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुईं—जॉर्डन, लेबनान, ईराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया जबकि मिस्र, सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बतलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अरब-राष्ट्रवाद को कुचलने और इजरायल को अरबों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। सोवियत मध्य ने इस सिद्धान्त की अमेरिका की आक्रामक नीति की एक कड़ी माना। भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इसे विदेशी हस्तक्षेप और सकट की सजा दी।

आइजनाहॉवर सिद्धान्त की घोषणा के बाद शीघ्र ही अमेरिका के सामने ऐसे अवसर उपस्थित हुए जब उसे इस सिद्धान्त के प्रयोग का मौका मिला। लेबनान और जॉर्डन में इस सिद्धान्त का प्रयोग हुआ, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह अधिक सफल नहीं हो सका। वास्तव में 'आइजनाहॉवर सिद्धान्त को इस क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव का प्रसार रोकने में सफलता नहीं मिली, उल्टे लेबनान और जॉर्डन में सैनिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप पश्चिमी विरोधी तत्त्वों की प्रधानता हो गई। ईराकी क्रांति के फलस्वरूप मास्को का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा।" आइजनाहॉवर सिद्धान्त से संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा। यह सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघ को निर्बल बनाने वाला मिड हुआ। इजरायल के विरुद्ध अरबों के तीव्र विरोध ने भी सिद्धान्त की सफलता के मार्ग में बाधा डाली।

शीत-युद्ध में शिथिलता (1959-60)—आइजनाहॉवर सिद्धान्त के कारण शीतयुद्ध तीव्र हो गया, लेकिन सितम्बर, 1959 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर सोवियत प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की, तो बातावरण में सुधार हुआ। दोनों नेताओं ने यह निर्णय लिया कि पारस्परिक मनभेदों के प्रश्नों पर चर्चा के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन फ्रांस का एक शिखर

सम्मेलन आयोजित किया जाय। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1960 के वसन्त काल में रूस की यात्रा का निमन्त्रण स्वीकार किया।

शिखर-सम्मेलन की असफलता—काफी विचार-विमर्श के बाद शिखर-सम्मेलन 16 मई, 1960 को होना निरन्धय हुआ। सम्मेलन के पूर्व ही मुख्य रूप से दो अपशकुन हो गए—

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद, एवं (ii) यू-2 विमान काण्ड।

(i) पहला अपशकुन जर्मनी के सम्बन्ध में हुआ। 14 जनवरी, 1960 को पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर अदेनावर ने आरोप लगाया कि सोवियत संघ बर्लिन पर हमला कर रहा है तथा शिखर-सम्मेलन का मुख्य विषय जर्मनी के स्थान पर निःशस्त्रीकरण का प्रश्न होना चाहिए। ख्रुश्चेव ने घमंकी दी कि "यदि पूर्व और पश्चिम की बातों से बर्लिन की स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ तो सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी से पृथक् सन्धि कर लेगा और पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ उसकी सीमा का निर्धारण कर देगा।"

फरवरी, 1960 में रूस ने बर्लिन में एक नया सड़क पैदा कर दिया। पूर्वी जर्मनी में विद्यमान पश्चिमी देशों के सैनिक मिशनो को दिए जाने वाले बीसा पूर्वी जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिए गए जबकि अब तक ये पूर्वी जर्मनी के सोवियत अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि रूस इस प्रकार पश्चिमी देशों से पूर्वी जर्मनी की सरकार को 'तथ्यतः मान्यता' (De facto Recognition) दिलवाना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दृढ़ विरोध के पश्चात् अन्त में, 14 मार्च, 1960 को सोवियत रूस इस बात पर सहमत हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक अधिकारियों को पूर्वी जर्मनी की यात्रा के लिए जो बीसा दिए जाएंगे उन पर सोवियत अधिकार-क्षेत्र (Zone of Soviet Occupation) अंकित रहेगा।

इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ। 16 मार्च को पश्चिमी जर्मन-चान्सलर ने घोषणा की कि 16 मई को शिखर-सम्मेलन होने से पहले ही पश्चिमी बर्लिन में इस बात पर जूनमत संग्रह लिया जाए कि लोग बर्लिन में यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। इसके विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि इस प्रकार का जनमत संग्रह बर्लिन के दोनों भागों में होना चाहिए।

स्पष्ट ही ऐसे वातावरण में दोनों पक्षों में एक-दूसरे के प्रति सन्देह पूर्वपिशा अधिक बढ़ गया जिसका बुप्रभाव-सम्मेलन पर पड़ा।

(ii) शिखर-सम्मेलन के मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा अपशकुन यू-2 विमान-काण्ड हुआ। 5 मई, 1960 को सोवियत प्रधानमन्त्री ने रोपपूर्ण शब्दों में घोषणा की कि रूस के हवाई अड्डों की जासूसी करते हुए एक यू-2 अमेरिकी विमान को 1 मई, 1960 को रॉकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया है। रूस ने अमेरिका पर कटु-प्रहार किए और बाद में राष्ट्रपति आइजनहावर की घोषणा ने भाग में घी का काम किया कि "अमेरिका की जासूसी उड़ानें न्याय-संगत हैं और पलंहावर

पुनरावृत्ति रोकने के लिए उडानें आवश्यक हैं।" सोवियत रूस ने ब्राइजनहॉवर के इस चुनौती भरे शब्दों को अपना राष्ट्रीय अपमान समझा।

यू-2 विमान काण्ड से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँच गया और शिखर-सम्मेलन की सफलता की आशा घूमिल हो गई, लेकिन ख्रुश्चेव की इन घोषणाओं से फिर भी आशा बनी रही कि "अन्तर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए और शिखर सम्मेलन में यू-2 का विषय नहीं उठाया जाएगा।"

लेकिन जब 16 मई, को शिखर-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो सोवियत प्रधान मंत्री ने अचानक ही यू-2 काण्ड के लिए अमेरिका की निन्दा करते हुए निम्नलिखित मांगें पेश कर दी—

(क) अमेरिका को अपने उत्तेजनात्मक कार्यों की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, इस कार्य को बन्द करना चाहिए, और इस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए।

(ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रूस की दृष्टि में शिखर-सम्मेलन में अमेरिका के साथ बातचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं ले सकता।

ख्रुश्चेव ने यह भी कहा कि सम्मेलन को 6 या 8 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के बाद जनवरी, 1961 में यह आयोजित हो सके। ब्राइजनहॉवर द्वारा जासूसी उडानों को भविष्य में स्थगित कर देने के आश्वासनों के बावजूद ख्रुश्चेव अपनी मांग पर अड़े रहे। 17 मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर ख्रुश्चेव जब नहीं आए तो यह घोषणा कर दी गई कि "ख्रुश्चेव द्वारा अपनाए गए रुझ के कारण शिखर-सम्मेलन प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।"

कॅनेडी-युग (1960-1963)

नवम्बर, 1960 में जॉन एफ कॅनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति पद पर कॅनेडी की विजय डिमॉक्रेटिक दल की विजय थी।

विदेश नीति को नया मोड़

कॅनेडी ने कुछ दृष्टियों से अमेरिका की विदेश नीति को नया मोड़ दिया, नई गति दी। विदेश नीति के पुराने तत्व भी कॅनेडी-युग में अधिक प्राणवान बन गए। मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन चाहे न हुए हो, किन्तु कॅनेडी के समय के इतने सजीव बन गए कि ऐसा लगने लगा मानो विदेश नीति में एक नई जान आ गई हो। कॅनेडी-युग की अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु ये थे—

1. समझौतों और वार्ताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को कम किया जाए पर साथ ही साम्यवादी खतरे के विरुद्ध साहस और दृढ़ता की नीति अपनाई जाए।

2. विश्व में साम्यवाद के प्रतिरिक्त गरीबी और अन्य तानाशाहियाँ भी शत्रु हैं। विश्व की परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नहीं है और अमेरिका को साम्यवाद का मुकाबला करने के साथ-साथ विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

3. विश्व में डॉलर का मूल्य सुरक्षित रखा जाए तथा इसकी साख में कमी न होने दी जाए।

4. ऐसे प्रयत्न बराबर किए जाएँ कि महाशक्तियाँ एक-दूसरे के निकट आएँ तथा एक-दूसरे को समझे।

5. दोनों गुटों के बीच विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान द्वारा सन्देशों को मिटाया जाए।

6. साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को यहाँ तक कि लौह-दीवार के अन्दर के प्रदेशों को भी राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बनाया जाए।

7. यथा-साध्य सह-अस्तित्व की प्रणाली पर बल दिया जाए।

कैनेडी-युग में विदेश नीति सम्बन्धी मुख्य घटनायें

कैनेडी शासन-काल में अमेरिकी विदेश नीति का विश्लेषण निम्नलिखित सन्दर्भों में किया जाना उपयुक्त होगा—

मानव-अधिकार और कैनेडी—कैनेडी ने मानव-अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा व्यक्त की और इसे अमेरिकी विदेश नीति की प्रेरक शक्ति बताया। 20 सितम्बर, 1963 को उन्होंने नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रसभ में विचार-विमर्श किया और आशा प्रकट की कि अमेरिका सहित विश्व के सभी राष्ट्र वर्ण-भेद, जाति-भेद आदि को मिटाकर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्रदान करेंगे।

शान्ति और सह-अस्तित्व में विश्वास—10 जून, 1963 को अपने भाषण में कैनेडी ने शान्ति और सह-अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया। कैनेडी ने शान्ति और निःशस्त्रीकरण के प्रति रूसी रवैये को कौसा नहीं बल्कि उसकी दिशा में रूस के प्रयासों की सराहना की।

पुराने मित्रों के प्रति वफादारी—रूसी साम्यवादी व्यवस्था के प्रति सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द करने के साथ ही कैनेडी ने वफादार मित्रों के प्रति निष्ठा बनाए रखने का बचन भी दिया। उन्होंने गटों का आर्थिक और राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए तथा जर्मनी के प्रश्न पर झुकने से इन्कार कर दिया। जून, 1961 में जब ख्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक् सन्धि पर हस्ताक्षर करने की घमकी दी तो कैनेडी के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रूस को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि रूस की एकपक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। इस दृष्टता का परिणाम यह हुआ कि रूस ने अपनी घमकी को वापसिन्वित नहीं किया।

क्यूबा संकट और कॅनेडी—क्यूबा के संकट द्वारा कॅनेडी की विदेश नीति की दृढ़ता स्पष्ट रूप से उभरी। क्यूबा 1959 में फिडेल कास्त्रो द्वारा सत्ता सम्भालने के समय से अमेरिका विरोधी बन गया था, 1962 के इस सोवियत घोषणा ने दोनों देशों के सम्बन्धों में गहरा तनाव पैदा कर दिया कि वह साम्राज्यवादियों से रक्षा के लिए क्यूबा को शस्त्रास्त्रों की पूर्ण सहायता देगा। गुप्त सूचनाओं के बल पर राष्ट्रपति कॅनेडी ने कहा कि रूस ने क्यूबा को प्रक्षेपणास्त्रों, पनडुब्बियों तथा रॉकेट आदि से सज्जित किया है जिससे अमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। 16 सितम्बर, 1962 को कॅनेडी ने क्यूबा की हवाई जंघ-पड़ताल के आदेश दिए जिससे पुष्टि हो गई कि वहाँ भारी मात्रा में प्रक्षेपणास्त्र लगाए जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को कॅनेडी ने क्यूबा की नाकेबन्दी की घोषणा कर दी। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि सोवियत शस्त्रवाही जहाज अमरीकी युद्धपोतों से लोहा लिए बिना क्यूबा नहीं पहुँच सकते। तनाव की इस घड़ी में सोवियत प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेव ने भी दूरदर्शिता से काम लिया और 23 अक्टूबर को यह घोषणा कर दी कि रूस अपने प्रक्षेपणास्त्र क्यूबा वापस मँगाने की आज्ञा दे रहा है और वह क्यूबा पर स्थित अपने सभी प्रक्षेपणास्त्र भण्डों को संयुक्त राष्ट्रसभ की देख-रेख में तुड़वा देने को सहमत है। कॅनेडी ने इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि “यह एक सच्चे नेता सरीखा निर्णय है।”

कॅनेडी की दृढ़ता और तत्परता तथा ख्रुश्चेव के विवेक और संयम के फलस्वरूप क्यूबा संकट से उत्पन्न परमाणु युद्ध की आशंका टल गई, तथापि क्यूबा संकट के व्यापक परिणाम हुए—(1) रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ गए। चीन ने आरोप लगाया कि रूस अमेरिका से डर कर पीछे हटा है। (2) क्यूबा संकट ने भारत पर चीन के आक्रमण को प्रेरित किया। चीन ने सोचा कि अमेरिका और रूस एक-दूसरे के भयवश संघर्ष में नहीं उलझेने तथा भारत को सहायता नहीं मिल सकेगी और इस तरह उसे भारत के एक बड़े भू-भाग पर कब्जा करने का अवसर मिल जाएगा। (3) क्यूबा संकट के अनुभव के कारण अमेरिका ने भारत को तेजी से सहायता पहुँवाई तथा गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति को बल मिला।

परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि, 1963—कॅनेडी और ख्रुश्चेव की संयम-पूर्ण नीतियों के फलस्वरूप महाशक्तियों के बीच के तनाव में कमी आई और 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि से मास्को तथा वाशिंगटन के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पैदा हुआ। कॅनेडी ने निःशस्त्रीकरण के लिए भरसक प्रयत्न किए। सन्धि से कुछ ही दिवस पूर्व 15 अप्रैल, 1963 को अमेरिकी और सोवियत राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन और रेडियो सम्पर्क (हॉट लाइन) स्थापित करने का भी समझौता हुआ।

लेटिन अमेरिका और कॅनेडी कॅनेडी ने लेटिन अमेरिका के प्रति उदार और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। मार्च, 1961 में उन्होंने प्रगति के लिए ‘मैत्री’ नामक

प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार अन्य स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं और व्यक्तिगत पूंजीपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेटिन अमेरिका के आर्थिक विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता तथा ऋण देने की पेशकश की। इस नीति के फलस्वरूप मध्य और दक्षिण अमेरिका के देश आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में प्रगति करने लगे।

भारत-पाक सम्बन्ध तथा कॅनेडी—कॅनेडी ने भारत के प्रति सदाशयता रखते हुए भी दबाव डालने की नीति का परित्याग नहीं किया। जब भारत द्वारा भारत के पुर्तगाली उपनिवेशों को पराधीनता से मुक्त कराया गया तो सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी। कश्मीर के प्रश्न का भी भारत के विरुद्ध उपयोग करने का प्रयत्न किया गया। इस सबके बावजूद कॅनेडी का रुख अपने पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारत के प्रति अधिक उदार रहा और 1962 में चीनी आक्रमण के समय उन्होंने भारत को बिना शर्त सैनिक सहायता भेजना स्वीकार किया।

कॅनेडी और वियतनाम—कॅनेडी ने दक्षिण वियतनाम को उत्तर वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में सक्रिय मदद देने का निश्चय किया। 1961 में दक्षिणी वियतनाम में लगभग 700 अमेरिकी सैनिक थे जिनकी संख्या बढ़ाकर 1963 में 16500 कर दी गई तथा भारी मात्रा में धन और अस्त्र-शस्त्र भी सहायता के रूप में दिए गए।

जॉनसन-युग (1964-1968)

21 नवम्बर, 1963 को राष्ट्रपति कॅनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन उप-राष्ट्रपति लिण्डन बी जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1964 के निर्वाचन में विजय प्राप्त करने पर पुनः राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। जॉनसन एक ओर तो शीत-युद्ध के विस्तार को रोकने का नाटक करते रहे और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उग्र और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाए गए।

जर्मन एकीकरण और बर्लिन सम्बन्धी प्रश्न—जर्मनी और बर्लिन के प्रश्नों पर युद्ध के बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गम्भीर मतभेद चले आ रहे थे। जॉनसन के प्रशासन-काल में भी अमेरिका की नीति लगभग पहले जैसी ही रही। अमेरिका का कहना था कि जर्मनी में दोनो भागों और बर्लिन में स्वतन्त्र मनदान द्वारा विधान-निर्मात्री सभा की स्थापना की जाए और यह सभा एक केन्द्रीय जर्मन सरकार की स्थापना करे जो द्वितीय महायुद्ध की विजेता-शक्तियों के साथ सन्धि करे जिसमें कि पोलैण्ड एवं रूस द्वारा हथियाए गए प्रदेशों की समस्या का समाधान हो। सोवियत दृष्टिकोण भी पहले के समान ही था कि पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी को पहले प्रमुखमन्त्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लें और फिर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनो गणराज्य एकीकरण के लिए परस्पर-प्रत्यक्ष वार्ता क-

साम्यवादी चीन को मान्यता का प्रश्न—राष्ट्रपति जॉनसन ने भी साम्यवादी चीन को अमेरिकी मान्यता देने से इन्कार कर दिया। वह यह मानते रहे कि जिस लाल चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का आश्रय लिया है, संयुक्त राष्ट्रसंघ से युद्ध किया है, तिब्बत की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे संघ में प्रवेश के योग्य शान्तिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अतः अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता।

निःशस्त्रीकरण का प्रश्न—जॉनसन के शासन-काल में परमाणु-सन्धि परीक्षण रोकने की सन्धि के पश्चात् निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

यूरोपीय सुरक्षा का प्रश्न—यूरोपीय सुरक्षा की दृष्टि से जॉनसन के शासन-काल में अमेरिकी विदेश नीति को काफी क्षति उठानी पड़ी। जनरल डिगॉल के नेतृत्व में फ्रांस अमेरिका के प्रभाव से निकल गया जिसके फलस्वरूप विवश होकर अमेरिका को नाटो का मुख्यालय पेरिस से हटाकर ब्रिजियम की राजधानी ब्रूसेल्स स्थानान्तरित करना पड़ा।

वियतनाम का प्रश्न—जॉनसन के शासन-काल में वियतनाम-युद्ध को अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उत्तर-वियतनाम पर अधिकाधिक उग्र एवं विनाशकारी बमबर्षा की गई। मार्च, 1968 तक जॉनसन-प्रशासन वियतनाम-समस्या पर झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1968 के आरम्भ से ही जब उत्तर वियतनामी सेना तथा वियतनामी छाभामारो के हाथों अमेरिकी सेना को अपमानजनक पराजय सहनी पड़ी और अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध का तीव्र विरोध होने लगा, तो 31 मार्च, 1968 को जॉनसन ने राष्ट्र के नाम अपने एक सन्देश में यह नाटकीय घोषणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तर वियतनाम पर आंशिक रूप से बमबारी बन्द कर देने के आदेश दे दिए गए हैं और आगामी चुनावों में वह राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। यद्यपि इस घोषणा से शान्ति स्थापना के लिए हनोई की शर्तें पूरी नहीं हुईं, तथापि इससे राजनीतिक वातावरण में एक निश्चित परिवर्तन आया।

लेटिन अमेरिका सम्बन्धी नीति—जॉनसन प्रशासन लेटिन अमेरिका के सन्दर्भ में 'प्रगति के लिए मैत्री' (Alliance for Agreement) कार्यक्रम को प्रभावी रूप में कार्यान्वित करने में असफल रहा। उसकी मौलिक नीति यही रही कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों-सोवियत संघ और चीन से लेटिन अमेरिका की भौगोलिक दूरी का लाभ उठाकर अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र में रखा जाए। कैंनेडी क्यूबा से चोट खा चुकने के बाद यह नहीं चाहते थे कि लेटिन अमेरिका में साम्यवाद पनपे, उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जॉनसन ने इस लक्ष्य की स्थिति के लिए उदार नीति छोड़कर कठोर रवैया अपनाया। लेटिन अमेरिका के प्रति उनकी नीति 'कथनी और करनी' में भिन्न रही।

कोरिया और प्युब्लो-काण्ड—जॉनसन ने 'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की नीति को न केवल जारी रखा वरन् उसका कार्यक्षेत्र और भी बढ़ा दिया जिसके कारण एक ऐसा सकट पैदा हुआ जिसमें अमेरिका को अपमानित होना पड़ा। 23 जनवरी, 1968 को उत्तरी कोरिया ने अमेरिका का एक जासूसी पोत प्युब्लो अपनी प्रादेशिक जल-सीमा में पकड़ लिया और अन्त में अमेरिका को लिखित क्षमा याचना करनी पड़ी।

पश्चिमी एशिया का संकट—जून, 1967 के अरब-इजराइल संघर्ष में जॉनसन-प्रशासन ने पूर्णतः अरब-विरोधी रुख अपनाया। अमेरिका ने इस तथ्य की ओर से आँख मूँद ली कि आक्रमणकारी कौन है? इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि अरब-क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी सशर्त हो। अमेरिका को सोवियत रूस का यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ कि इजराइल अरब-क्षेत्रों से वापस हटे और इजरायली आक्रमण की निन्दा की जाए।

इस नीति के फलस्वरूप अमेरिका ने अरब-राज्यों को नाराजगी मोल ले ली। अरब-देशों ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए और देश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अविलम्ब स्वदेश लौटने के आदेश दे दिए। परन्तु इस सबसे जॉनसन-प्रशासन के अरब-विरोधी रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 25 नवम्बर, 1968 को अमेरिका ने इजरायल को अमेरिकी हथियार बेचने का निर्णय ले लिया।

भारत-विरोधी दृष्टिकोण—जॉनसन ने भारत के प्रति वह उदार दृष्टिकोण छोड़ दिया जो कैंनेडी ने अपनाया था। 1964 में भारतीय प्रतिरक्षा मन्त्री चव्हाण जब अमेरिका गए तो उन्हें कहा गया कि भारत को अपनी प्रतिरक्षा-क्षमता अवश्य ही बढ़ानी चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास को बलि चढ़ाकर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। भारत को तो यह सीख दी गई और पाकिस्तान को इसके विपरीत पूर्ण रूप से शस्त्र-सज्जित किया जाता रहा। जॉनसन बियतनाम में अमेरिकी बमबारी के बारे में भारत की आलोचना सहन न कर सके और प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री की अमेरिकी यात्रा स्थगित कर दी गई। पाकिस्तान ने कच्छ के रन के युद्ध और फिर 1965 के युद्ध में अमेरिकी हथियारों का भारत के विरुद्ध खुलकर प्रयोग किया, लेकिन जॉनसन-प्रशासन का बरदहस्त पाकिस्तान के मिर पर बना रहा। 1967 में विद्रोही नागा नेता फिजो को अमेरिका में शरण दी गई और 1968 में भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पुनः घटा दी गई। अमेरिका के भारत-विरोधी रवैये से भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी इतनी क्षुब्ध हुईं कि वे अक्तूबर, 1968 में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के लिए न्यूयार्क गईं तथा वाशिंगटन गए बिना ही दिल्ली वापस आ गईं।

जॉनसन-शासनकाल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अमेरिकी नीति के कारण अमेरिका की काफी हानि हुई तथा उसे अपनी लोकप्रियता से भी हाथ धोना पड़ा। इस तथ्य को स्वयं जॉनसन ने स्वीकार किया।

निक्सन युग (1969-अगस्त, 1974)

20 जनवरी, 1969 को रिचार्ड निक्सन संयुक्तराज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए (निक्सन का कार्यकाल अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास में 'क्रान्तिकारी' माना जाएगा क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत् के प्रति अमेरिका की नीति को एक नई दिशा प्रदान की थी तथा और भी अनेक दृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अमेरिकी विदेश नीति को मुखर बनाया)। सुदीर्घ-कालान्तर से चला आ रहा वियतनाम युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ (मद्यपि कालान्तर में यह पुनः भड़क उठा) और महाशक्ति रूस के साथ निःशस्त्रीकरण घातों में काफी प्रगति हुई। पूँजीवादी और साम्यवादी जगत् में 'सह-अस्तित्व' की सम्भावनाओं को जितना अधिक बल निक्सन के कार्य-काल में मिला उतना पहले कभी नहीं मिला था।

यूरोप की सद्भावना यात्रा—राष्ट्रपति बनने के लगभग छः सप्ताह बाद ही निक्सन ने यूरोप की सद्भावना यात्रा की जिसका उद्देश्य 'नए यूरोप' की खोज करना था। निक्सन यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ वियतनाम, पश्चिमी एशिया आदि समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते थे तथा अमेरिका के दृष्टिकोण को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। निक्सन की यात्रा पर यूरोप ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। फ्रांस में तीव्र विरोध हुआ तो पश्चिमी जर्मनी परमाणु-प्रसार-निरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेल्जियम को छोड़ अन्य राष्ट्रों में अमेरिका-विरोधी नारों की गूँज सुनाई दी। निक्सन समझे गए कि शीतयुद्ध में पश्चिमी यूरोप अब संयुक्तराज्य अमेरिका को अपना पूरा समर्थन नहीं देगा।

उत्तरी कोरिया में अमेरिकी जासूस—'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की नीति निक्सन-प्रशासन ने भी जारी रखी जिसके फलस्वरूप अप्रैल, 1969 में उत्तरी कोरिया ने अमेरिका के जासूसी विमान ई. सी. 121 को मार गिराया। अमेरिका का कहना था कि जहाज उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ, जबकि उत्तरी कोरिया का आरोप था कि विमान उसकी सीमा में प्रवेश कर जासूसी कर रहा था। कुछ समय बाद ही निक्सन-प्रशासन ने घोषणा की कि दक्षिणी कोरिया तथा प्रशान्त महासागर में अमेरिका के हितों की रक्षा और उत्तरी कोरिया की सैनिक तैयारियों से भ्रवगत रहने के लिए अमेरिका इस प्रकार की जासूसी कार्यवाही जारी रखेगा।

जर्मन समझौते की दिशा में अमेरिकी नीति—निक्सन ने जर्मनी के एकीकरण की समस्या पर बढपि बड़ी हल प्रपनाया जो जॉनसन ने प्रपनाया था, तथापि 3 सितम्बर, 1971 को 'चतुर्शक्ति बर्लिन समझौता' (The Four Power Berlin Settlement) सम्पन्न हो गया जिससे बर्लिन-समस्या का एक उत्साहवर्द्धक समाधान निकल आया। यह समझौता मुख्यतः इसीलिए हो सका क्योंकि सोवियत

संघ बढ़ती हुई चीनी-अमेरिकी मंत्री से आशंकित था कि वही इसका लाभ उठाकर चीन रुस पर अपना दबाव बढ़ाने का प्रयत्न करके युद्ध का संकट पैदा न कर दे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए इस सम्झौते के अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी बर्लिन के बीच आवागमन की पूरी स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई और यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। सोवियत संघ को पश्चिमी बर्लिन में राजनयिक प्रतिनिधित्व दिया गया जिसके अनुसार उसने वही अपना महावाणिज्य दूतावास खोला। सम्झौते में यह भी घोषणा की गई कि पश्चिमी-बर्लिन पश्चिमी जर्मनी का मूल भाग नहीं है, दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बन्ध विकसित किए जाएंगे। बर्लिन-समस्या का समाधान अमेरिकी विदेश नीति की सफलता का उतना द्योतक नहीं था जितना सोवियत संघ की अपनी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने की चिन्ता से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा का। जर्मन-समस्याओं पर महाशक्तियों ने जो सहयोगपूर्ण रुख अपनाया उसका एक शुभ परिणाम यह निकला कि दोनों जर्मन राज्यों (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) के संयुक्तराष्ट्र संघ में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया और दोनों राज्यों को विश्व-संस्था की सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

निक्सन-प्रशासन और वियतनाम—राष्ट्रपति निक्सन ने प्रारम्भ में वियतनाम युद्ध को समेट कर अमेरिकी सैनिकों को काफी बड़ी संख्या में स्वदेश बुला लिया, किन्तु दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस ढंग से कायम रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न हो सके। परन्तु कुछ समय बाद ही निक्सन का रुख अधिक कठोर हो गया और दिसम्बर, 1971 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर व्यापक हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। निक्सन की नीति यह थी कि एक ओर सम्झौता-वार्ता के लिए द्वार खुले रखे जाएँ और दूसरी ओर सैनिक शक्ति से उत्तर वियतनाम को सम्झौता करने के लिए विवश किया जाए। वियतनाम उत्तरी अमेरिकी हवाई हमलों के भागे नहीं भुका और 26 अप्रैल, 1972 को निक्सन ने घोषणा की—“हम पराजित नहीं होंगे और न-हो हम अपने मित्रों को साम्यवादी आक्रमण के समझ घुटने टेकने देंगे।” उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई भी अमेरिकी हवाई हमलों के घेरे में आ गई। संधर्ष और वार्ता का दौर चलता रहा और आखिर 27 जनवरी, 1973 को वियतनाम में युद्धबन्दी-सम्झौते पर हस्ताक्षर हो गए। निक्सन-प्रशासन द्वारा दक्षिणी वियतनाम को प्रचुर आर्थिक सहायता दी जाती रही। वियतनाम युद्ध विराम रूपाई नहीं रह सका और निक्सन के जाने के कुछ ही माह बाद युद्ध पुनः भड़क उठा।

भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के प्रति निक्सन का दृष्टिकोण— निक्सन-प्रशासन काल में अमेरिका का भारत-विरोधी रुख विशेष रूप से उग्र रहा और निक्सन के समय दोनों देशों के बीच सम्बन्ध जितने बटु रहे उतने पहले कभी नहीं रहे थे। निक्सन ने भारत की न केवल आर्थिक सहायता ही रोक दी, बल्कि सैनिक सामग्री देना भी बन्द कर दिया और हर तरह से भारत के प्रति अश्विनी प्रदर्शित की।

बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन को कुचलने में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की अमेरिका और चीन का प्रोत्साहन मिला। भारत-पाक युद्ध छिड़ने और चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र की सहायता देने पर भी निक्मन-प्रशासन ने भारत को सहायता देने में असमर्थता तो प्रकट की ही, बंगाल की खाड़ी में अपना शक्तिशाली नौ-बेड़ा भेज कर भारत को डराने-धमकाने की कोशिश भी की।

निक्मन और पश्चिमी एशिया—पश्चिमी एशिया-संकट पर निक्मन का दृष्टिकोण अरब-विरोधी और इजरायल समर्थक रहा। अक्टूबर, 1973 के अरब-इजरायल युद्ध में अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया तथापि दोनों महाशक्तियों की कूटनीतिक सरगमीं के कारण युद्ध-विराम हो गया।

इजरायल के समान ईरान को भी युद्ध-सामग्री से लैस करने की नीति अपनाई गई। ईरान के माध्यम से अमेरिकी शस्त्रास्त्रों का भण्डार पाकिस्तान पहुँचाने का कूटनीतिक खेल खेला गया। वाशिंगटन-पिण्डी पैकिंग धुरी के समान ही वाशिंगटन-तेहरान-पिण्डी धुरी का निर्माण किया गया।

निक्मन और चीन—अमेरिका के शत्रु चीन के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाकर निक्मन ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होते। अमेरिकी कूटनीति और विदेश-नीति ने इस प्रकार एक क्रान्तिकारी मोड़ लिया। प्रारम्भ में निक्मन ने चीन को कुछ व्यापारिक रियायतें प्रदान कीं। एकपक्षीय सुविधाओं द्वारा निक्मन-प्रशासन ने चीन के साथ पहली किस्त में व्यापारिक सम्बन्ध और दूसरी किस्त में राजनीतिक मैत्री स्थापित करने की नीति अपनाई।

अक्टूबर, 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ताइवान की कथकथित राष्ट्रवादी चीन सरकार को चीन की अधिकृत सरकार के रूप में अपनी मान्यता वापस ले ली तथा अल्बानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार करके वीजिंग की जनवादी सरकार को चीन की अधिकृत सरकार के रूप में मान्यता दे दी। 26 अक्टूबर, 1971 का महासभा का यह निर्णय अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का द्योतक था। अमेरिका और चीन दोनों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में एक-दूसरे के निकट आने की नीति अपनाई। बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन और भारत-पाक संघर्ष के समय, दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में और उसके बाहर कूटनीतिक स्तर पर और सामरिक सहायता द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया।

मार्च, 1972 में निक्मन चीन की राजकीय यात्रा पर गए। चीन-अमेरिकी गठबन्धन का पहला शिकार ताइवान बना जिसे अमेरिका के साथ दोस्ती का दम्भ था। निक्मन ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि यदि चीनी नेता अमेरिका से सहयोग करें तो वह ताइवान की समस्या के हल में रुकावट नहीं डालेगा। ताइवान को चीन का एक हिस्सा मानकर तथा ताइवान स्थित अमेरिकी फौजों और फौजी अड्डों को धीरे-धीरे हटाने की इच्छा व्यक्त करके और 'ताइवान समस्या को स्वयं सुलझाएँ' कहे निक्मन ने चीन के प्रति अपनी भावी नीति स्पष्ट कर दी। संयुक्त विज्ञप्ति

मे कहा गया कि हिन्द-चीन, कोरिया और वियतनाम के प्रश्न पर दोनों देशों में मतभेद ज्यों के त्यों बने हुए हैं। विज्ञप्ति में न केवल भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख कर उनसे कश्मीर में अपनी-अपनी सेनाओं को युद्ध-विराम रेखा तक लौट जाने का आग्रह किया गया, बल्कि भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की गयी। चीन ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार की दुहाई दी। मतैक्य का एक मुद्दा यह भी था कि दोनों ही देश बंगलादेश के बारे में मौन रहे मानो उसका विश्व-शांति और मानव अधिकारों की समस्या से कोई सम्बन्ध ही नहीं था।

प्रश्न यह उठता है कि लगभग 23 वर्षों से सम्पूर्ण विश्व में चीन के विरुद्ध मोर्चाबन्दी करने वाले अमेरिकी प्रशासन के मन में चीन के प्रति मैत्री की भावना क्यों प्रबल हुई, चीन उसकी तरफ क्यों झुका और आज भी यही प्रवृत्ति क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में निम्न बातों का उल्लेख किया जा सकता है—

1. सोवियत संघ के बढ़ते हुए सैनिक और राजनीतिक प्रभाव ने अमेरिका को विवश किया कि वह चीन को अपने समीप लाए।

2. चीन और सोवियत संघ के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से काफी तनावपूर्ण हो चुके थे, अतः अमेरिका ने यह उचित समझा कि रूस से निबटने के लिए चीन को मोहरा बनाया जाए। चीन ने भी रूस के साथ अपनी प्रतिद्वन्द्विता में अमेरिका के सहयोग को लाभदायक समझा।

3. अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया से स्वयं हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के अधिक पक्ष में है क्योंकि चीन महाशक्ति नहीं है। कम से कम चीन और अमेरिका दोनों ही इस बात पर तो सहमत हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोवियत संघ द्वारा नहीं होनी चाहिए।

4. चीन को यह विश्वास हो रहा है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति अस्थायी है क्योंकि जापान शक्तिशाली होकर वहाँ स्थायी रूप से छा जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ही सन्तुलन कायम रख कर सोवियत संघ के मुकाबले पूर्वी एशिया में चीन की सैनिक उपस्थिति की सम्भावनाओं को दृढ़ कर सकता है। चीन और अमेरिका ने यह भी सोचा कि वे मिलकर भारत पर अधिक दबाव बनाए रख सकते हैं।

5. समुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगपति, व्यवसायी तथा अर्थशास्त्री उस पर यह दबाव डालते रहे हैं कि 70 करोड़ की आबादी वाले चीन जैसे बड़े देश को अमेरिकी व्यापार क्षेत्र से बाहर रखना अमेरिकी हित में नहीं। यह भावना तब और भी जोर पकड़ गई है जब यह आभास मिलने लगा कि चीन अमेरिकी माल खरीदने के लिए उत्सुक है।

निवसन और सोवियत संघ—साम्यवादी विश्व के साथ सह-अस्तित्व की अमेरिकी नीति का बहुत कुछ श्रेय निवसन को है। निवसन ने मई, 1972 में

मास्को की यात्रा की। उस अवसर पर जारी संयुक्त घोषण में दोनों देशों ने 'शान्तिपूर्ण सम्बन्ध' विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह भी कहा गया कि संकट से बचने और परमाणु युद्ध से दूर रहने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। आपसी हितों के मामले पर विचार-विनिमय की परम्परा जारी रहेगी तथा शस्त्र-परिसीमन की नई सम्भावनाएँ खोजी जाएँगी। दोनों देशों ने कहा कि वे सभी राज्यों की प्रमुखता को समानता का दर्जा देते हैं। दोनों देशों के बीच शस्त्र-परिसीमन पर एक ऐतिहासिक सन्धि हुई। अन्तरिक्ष अभियान-सहयोग सन्धि द्वारा निश्चय किया गया कि दोनों के अन्तरिक्ष-यात्री मिलकर अन्तरिक्ष अनुसन्धान और उपलब्ध जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। एक अन्य सैनिक सन्धि के द्वारा अमेरिका ने रूस की बढ़ी हुई नौसैनिक शक्ति को स्वीकार किया।

जून, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने अमेरिका-यात्रा की और दोनों देशों में कुछ सन्धियाँ हुईं। एक सन्धि द्वारा दोनों देशों ने सवल्प किया कि वे परमाणु युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी सन्धि परमाणु शस्त्रास्त्र-परिसीमन और परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित थी। इसके पश्चात् दोनों देशों के बीच 3 जुलाई, 1974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र-प्रणालियों तथा आक्रामक परमाणु अस्त्रों को और अधिक सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय व्यापार समझौता भी हुआ जिसे 1972 के व्यापार समझौते का पूरक बताया गया।

वास्तव में निक्सन तीन मुख्य उद्देश्य लेकर सोवियत संध की यात्रा पर निकले थे—(1) विश्व की दो महान् शक्तियों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों का विकास, (2) विश्व के कुछ भागों में महाशक्तियों के बीच संघर्ष की सम्भावनाएँ घटाना एवं (3) परमाणु शस्त्रास्त्र परिसीमन के क्षेत्र में प्रगति। कम से कम पहला उद्देश्य प्राप्त करने में वे बहुत कुछ सफल हुए। शेष दोनों उद्देश्यों की दिशा में भी उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई। शिखरवार्ता में पश्चिमी एशिया, भारत के परमाणु परीक्षण, यूरोप में सेनाओं में कटौती, यूरोपीय सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी निक्सन और ब्रेझ्नेव के बीच विचार-विमर्श हुआ, किन्तु इसके निष्कर्षों को गोपनीय रखा गया।

फोर्ड युग

(अगस्त, 1974-1976)

वाटरगेट काण्ड में लिप्तता के कारण निक्सन को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा तथा 9 अगस्त, 1974 को उपराष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके राष्ट्रपतित्व काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणमंच पर अमेरिका की भूमिका इस प्रकार रही—

पश्चिमी-एशिया—अवर-इजरायल समस्या के समाधान के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री डॉ. कीसिंगर अपने कूटनीतिक प्रयासों द्वारा 4 सितम्बर,

1975 को मिस्र और इजरायल के बीच एक अन्तरिम समझौता करने में सफल हुए। पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना के लिए अमेरिकी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह परिलक्षित हुआ कि इजरायल को पूरा-पूरा समर्थन देते हुए भी उसने अरब राष्ट्रों को सोवियत संध से विमुक्त कर अपने विश्वास में लेने की नीति अपनाई। इस नीति की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब 2 नवम्बर, 1975 को अमेरिका ने मिस्र को परमाणु भट्टी देने के निश्चय की घोषणा की। 6 मार्च, 1976 को अमेरिका ने इजरायल से आग्रह किया कि उसे पूरा सिनाई क्षेत्र खाली कर देना चाहिए। अमेरिकी कूटनीति की एक बड़ी विजय यह थी कि 15 मार्च, 1976 को मिस्र के राष्ट्रपति सादात ने सोवियत संध के साथ मिस्र की मैत्री-सन्धि को रद्द कर दिया। अरब-देशों के प्रति अमेरिका ने उदार दृष्टि तो अपनाया, लेकिन जब सुरक्षा-परिपद में इजरायल-विरोधी प्रस्ताव लाया गया तो 26 मार्च, 1976 को अमेरिका के नए प्रतिनिधि विलियम स्क्रेटन ने उसके विरुद्ध अमेरिका के निपेधाधिकार का प्रयोग किया। 30 मई, 1976 को मिस्र और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार अमेरिका ने मिस्र को 10 करोड़ 20 लाख डालर की सहायता देने का निश्चय किया।

वियतनाम—वियतनाम में फोर्ड-प्रशासन निक्सन के पदचिह्नो पर चलता रहा तथापि स्थिति उसके हाथ से निकलती चली गई और 30 अप्रैल, 1975 को अमेरिका-समर्थित दक्षिण वियतनाम सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। जन-धन के भारी बलिदान के बावजूद अमेरिका को वियतनाम से हटना पड़ा। महायुद्धोत्तर इतिहास में अमेरिकी विदेश-नीति की यह सबसे गम्भीर और तज्जाजनक पराजय थी। वियतनाम के प्रति अमेरिका का आक्रोश मिटा नहीं और अगस्त, 1975 में उसने सुरक्षा-परिपद में निपेधाधिकार का प्रयोग करके उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम का समुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश रोक दिया। हिन्द-चीन पर साम्यवादियों का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद अमेरिका की एक विशेष उपलब्धि यह मानी जाएगी कि वह हनोई और वाशिंगटन के बीच किसी न किसी स्तर पर सम्बन्ध बनाए रखने में सफल रहा।

पाकिस्तान को हथियार—भारत के प्रति फोर्ड-प्रशासन का दृष्टिकोण निक्सन-प्रशासन से भी अधिक कठोर रहा। फरवरी, 1975 में अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर 10 वर्ष से लगी पाबन्दी को हटाने के अपने निर्णय की सूचना औपचारिक रूप से भारत सरकार को दे दी। भारत में तत्काली प्रतिक्रिया हुई और भारतीय विदेश मन्त्री ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा स्थगित कर दी। इन व्यवधानों के बावजूद भारत सरकार का यह प्रयत्न रहा कि अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारे जाएँ अतः अक्टूबर, 1975 में भारत के विदेश मन्त्री ने अमेरिका की यात्रा की। भारत सरकार ने अमेरिका को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को उन्नत किस्म के अमेरिकी हथियार मिलने से शिमला समझौते के

अन्तर्गत सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है और इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है।

कम्पूचिया—अप्रैल, 1975 में कम्पूचिया (कम्बोडिया) युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका यहाँ भी पिटा, उसे किसी प्रकार अपनी इज्जत बचाने की ही चिन्ता रही। वह पराजित सरकार को गुमराह करने वाले आश्वासन देता रहा।

महाशक्तियों के बीच सुघरते सम्बन्ध—1972 (22 से 30 मई) में रिचर्ड निक्सन की सोवियत सभ की पहली यात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा मिली थी। उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति फोर्ड ने भी शिखर-कूटनीति को जारी रखा और रूस के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्न चालू रखे। 23-24 नवम्बर, 1974 को फोर्ड की सोवियत नेता ब्रेझ्नेव से पहली मेट ब्लाडीवोस्टक में हुई। इस शिखर-वार्ता के दौरान सामरिक अस्त्र-परिसीमन के लिए समझौते के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार की गयी और डॉ. वीसिंगर ने कहा कि जून, 1975 में ब्रेझ्नेव की अमेरिका यात्रा के समय प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। नया समझौता 1977 में प्रथम समझौते की (जो 1972 में हुआ था) अवधि समाप्त होने पर लागू होगा और सन् 1985 तक लागू रहेगा।

सोवियत सभ और अमेरिका के अधिकारियों में विभिन्न स्तरों पर बातचीत का सिलसिला चलता रहा—कभी मास्को में और कभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन-स्थलों पर। जुलाई-अगस्त 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन को सफल बनाने में रूस और अमेरिका ने एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझने की कोशिश की। जुलाई, 1975 में अन्तरिक्ष यात्रियों का मिलन वास्तव में रूस और अमेरिका के मध्य बढ़ती हुई सद्भावना का परिचायक था। इस सफल संयुक्त परियोजना से परस्पर मैत्री की भावना बढ़ गई और यह आशा की जाने लगी कि दो महाशक्तियों के बटते हुए सहयोग से विश्व-राजनीति में व्याप्त तनाव कम होगा। 9 अप्रैल, 1976 को अमेरिका और सोवियत सभ आणविक परीक्षणों का निरीक्षण करने पर सहमत हो गए और 13 मई, 1976 को शान्ति के लिए परमाणु विस्फोट के आकार आदि पर दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ। दोनों महाशक्तियों के आर्थिक सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर सुधरते गए। 1976 के मध्य तक उनके बीच व्यापार में चार सौ प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि आई गई।

अमेरिका-चीन सम्बन्ध बदलते पहलू—निक्सन ने चीन की ओर अमेरिकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फोर्ड ने अगस्त 1974 में सत्तारूढ़ होते ही नवम्बर, 1974 में विदेशमन्त्री डॉ. वीसिंगर को पुनः चीन यात्रा पर भेजा। यह उनकी सार्तवीं पौचिंग यात्रा थी। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका और चीन के सम्बन्ध ठण्डे हो चले हैं। वास्तव में चीन को यह अच्छा नहीं लगा कि अमेरिका रूस के अधिक निकट आए। फोर्ड-ब्रेझ्नेव वार्ता के लिए ब्लाडीवोस्टक के चुनाव से चीन की भावनाओं को विशेष ठेस पहुँची क्योंकि यह स्थान कभी चीन का भाग था। चीन ने सोचा कि उसे बिटाने के लिए ब्लाडीवोस्टक को वार्ता-स्थल चुना गया

है। चीन के आक्रोश का एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने ताइवान के प्रश्न पर शघर्ष-समझौते पर अमल नहीं किया जो साल भर पहले डॉ. कीसिंगर की छठी यात्रा के समय दोनों पक्षों के बीच हुआ था। चीन के नये विदेशमन्त्री चिघाओ कुआनहुआ ने भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन की सराहना की और कहा कि उन्होंने चीन-अमेरिका सम्बन्ध सुधारने में भारी योग दिया था। इस सराहना के माध्यम से चीनी नेताओ ने राष्ट्रपति फोर्ड को जता दिया कि अब अमेरिका की ओर से चीन को कुछ अनिश्चितता महसूस होने लगी है। चार-दिन के प्रवास के बाद कीसिंगर खाली हाथ लौट गए।

डॉ. कीसिंगर की आठवीं चीन यात्रा (19-23 अक्टूबर, 1975) के दौरान भी चीन के नेताओं ने ठण्डे दिल से अमेरिकी विदेश मन्त्री का स्वागत किया। अध्यक्ष माओ ने भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की प्रशंसा की और उनसे पुनः मिलने की इच्छा प्रकट करके यह संकेत दिया कि चीन की फोर्ड की नीति पसन्द नहीं है। माओ और अन्य चीनी नेता तो यह चाहते थे कि निक्सन ने चीन-अमेरिका सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया जहाँ पर छोड़ी थी फोर्ड वही से उभे भागे बढ़ाएँ। लेकिन फोर्ड के सामने नई परिस्थितियाँ थी और वे निक्सन का अनुकरण नहीं कर सकते थे। डॉ. कीसिंगर के फीके स्वागत के बावजूद राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर, 1975 में चीन की यात्रा की। वह 1 से 4 दिसम्बर तक राजधानी बीजिंग में रहकर इण्डोनेशिया और फिलिपीन्स होते हुए स्वदेश लौट गए। फोर्ड की चीन-यात्रा फीकी रही। यात्रा की समाप्ति पर कोई सयुक्त वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया। चीनी नेताओं ने इस विवेकशील गोपनीयता को 'एक नई शैली' की सजा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के फीके स्वागत के बावजूद चीन-अमेरिका में बातें टूटने की नीबट नहीं आई। फरवरी, 1976 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की जहाँ उन्हें राज्याध्यक्ष जैसा सम्मान दिया गया। रिचर्ड निक्सन के इस सम्मान द्वारा चीनी नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड को यह संकेत दे दिया कि 'चीन को फोर्ड नहीं निक्सन चाहिए'। 15 अगस्त, 1976 को अमेरिका ने ताइवान की अपेक्षा चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय व्यक्त किया।

अमेरिका और जापान—18 नवम्बर, 1974 को फोर्ड जब जापान की राजकीय यात्रा पर राजधानी टोकियो पहुँचे तो वहाँ अमेरिका-विरोधी भावना काफी उब थी। फोर्ड का स्वागत बड़ी सुरक्षा के अन्तर्गत किया गया। उनकी अगवानी के लिए भवाई झुंटे पर न तो सम्राट पहुँचे, न प्रधानमन्त्री। जापान को इस बात से गहरी नाराजगी थी कि एक तो ओवानावा द्वीप बहुत ही विलम्ब और भारी हीले-हवाले के बाद लौटाया गया और दूसरे चीन की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले अमेरिका ने जापान को विश्वास में भी नहीं लिया। बातों के दौरान जापान ने अमेरिका से प्रनाज की माँग की जो अमेरिका ने स्वीकार कर ली। 1969 की सुरक्षा सन्धि को दोनों देशों के मंत्री सम्बन्धों के लिए पुनः महत्वपूर्ण बताया गया।

लेटिन अमेरिका : ब्यूबा के प्रति नीति-परिवर्तन—लेटिन अमेरिकी राज्यों में यह माँग जोर पकड़ती जा रही थी कि अमेरिका ब्यूबा के खिलाफ प्रतिबन्धात्मक नीतियाँ समाप्त करे। अमेरिका ब्यूबा को अन्य देशों से अलग रखने के प्रयास में असफल रहा था। ब्यूबा के साथ सम्बन्ध सुधारने का दौर निक्सन काल से ही शुरू हो गया और फोर्ड के शासनकाल में अमेरिकी राज्यों के 21 सदस्यीय सगठन के जुलाई, 1975 के इस प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन किया कि ब्यूबा पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाए।

फोर्ड और फ्रांस—फ्रांस ने तेल सिकट के समाधान के लिए अरब देशों पर सयुक्त दबाव डालने की बजाय द्विपक्षीय आधार पर सहयोग बढ़ाने की नीति अपनाई थी, किन्तु आगे चलकर 1974 के अन्तिम चरण में जब राष्ट्रपति फोर्ड की फ्रांसीसी राष्ट्रपति गिस्तांग से भेंट हुई तो फ्रांस ने भी तेल-उपभोक्ता देशों के साथ सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी।

हिन्द महासागर में अमेरिका—हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका अपने नैतिक साम्राज्यवाद का प्रसार करता है। सभी विरोधों के बावजूद डियागोगासिया का सामरिक झूठे के रूप में विकास किया गया।

अमेरिका 'मुक्ति संघर्षों के विरुद्ध' . यथार्थ्यतिवाद का समर्थक—अमेरिका की विदेश नीति का यह एक खेदजनक पहलू है कि उसने विश्व के राष्ट्रीय आन्दोलनों और मुक्ति संघर्षों को कभी खुले दिल से समर्थन नहीं दिया। फोर्ड भी इसी नीति पर चले। अमेरिका रोडेजिया और दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद-समर्थक सरकारों का पक्ष लेता रहा। 30 अक्टूबर, 1974 को सयुक्त राष्ट्रसंघ से दक्षिणी अफ्रीका को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया।

कार्टर युग (1977-1980)

20 जनवरी, 1977 को डिमॉक्रेटिक पार्टी के जेम्स अल कार्टर (जिम्मी कार्टर) ने अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्टर के कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति को कोई भी नए आयाम प्राप्त नहीं हुए।

नए रिश्तों की शुरुआत—उपराष्ट्रपति वाट्टर मीन्डेल को 23 जनवरी से 31 जनवरी, 1977 तक मातृ देशों की यात्रा पर और सयुक्तराष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि एण्ड्रू यंग को 3 से 12 फरवरी की तजानिया तथा माइजीरिया की दस दिवसीय यात्रा पर भेजा गया। एण्ड्रू यंग ने तजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्यूरेरे को विश्वास दिलाया कि हम अमेरिकी अपने प्रभाव और शक्ति के प्रयास से दक्षिण अफ्रीका भर में बहुमूल्य और बहुजातीय शासन की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं का समाधान अफ्रीकियों द्वारा स्वयं होना चाहिए, हम लोग तो केवल महायत्ना कर सकते हैं। यंग ने अफ्रीकी नेताओं को विश्वास दिलाया कि वह वायरड संशोधन में परिवर्तन कराकर रोडेजिया

से क्रोम का आयात बन्द करने की सिफारिश करेंगे। उपराष्ट्रपति वाल्टर मौन्डेल ने वेन्जियम, पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की नौ दिवसीय यात्रा में इन देशों के पारस्परिक सम्बन्धों का जायजा लिया। उन्होंने इटली की जर्जर ग्रर्थव्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिलाया और नाटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम जर्मनी के नेताओं से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते पर वार्ता तथा ब्राजील को परमाणु जानकारी देने के बारे में विशेष विचार हुआ।

पश्चिमी एशिया और कार्टर प्रशासन—कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदान के लिए पूर्वपिछा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। 1977 में अपनी अमेरिका यात्रा पर अनवर सादात ने राष्ट्रपति कार्टर को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी कि जब तक फिलिस्तीनियों का पृथक् राज्य नहीं बन जाता तब तक अरब-इजरायल सघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। यह काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। राष्ट्रपति सादात और राष्ट्रपति कार्टर ने 1977 के उत्तरार्द्ध में जेनेवा सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास करने की बात दोहराई। इसके बाद ही पश्चिमी एशिया की राजनीति में तेजी से नए मोड़ आए। अक्टूबर, 1977 में अमेरिका, सोवियत संघ, अरब देश और इजरायल के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ जिसने उस गतिरोध को समाप्त कर दिया जो पिछले एक लम्बे समय से जेनेवा सम्मेलन बुलाने में बाधक बना हुआ था। इजरायल इस बात पर सहमत हो गया कि अरब देशों के प्रतिनिधिमण्डल में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकता है। कार्टर में विश्वास रखते हुए भी सादात ने समझौते के लिए इजरायल की यात्रा का ऐतिहासिक निर्णय लिया। राष्ट्रपति कार्टर दोनों पक्षों में समझौते के लिए विशेष प्रयत्न करते रहे और उन्होंने अमेरिका में कैम्प डेविड में सितम्बर, 1978 में सादात-बेगिन-कार्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 13 दिनों का शिखर सम्मेलन 18 सितम्बर को समाप्त हुआ जबकि एक ऐतिहासिक समझौते पर कार्टर-सादात और बेगिन ने हस्ताक्षर कर दिए। समझौते की क्रियान्विति नहीं हो सकी क्योंकि दोनों पक्षों में कुछ मुद्दों पर मतभेद पैदा हो गए। कार्टर की प्रतिष्ठा दाँव पर लग गई और अन्त में 26 मार्च, 1979 को उनकी उपस्थिति में वाशिंगटन में सादात और बेगिन के हस्ताक्षरों के साथ मिस्र और इजरायल में एक शान्ति-सन्धि सम्पन्न हुई। यह शान्ति-सन्धि सम्पन्न कराने में सफलता प्राप्त कर अमेरिका ने वास्तव में सोवियत संघ को एक करारी कूटनीतिक मात दी। जनवरी, 1980 में अमेरिका द्वारा मिस्र को 35 करोड़ डॉलर की सहायता देने का वायदा किया गया और इस प्रकार कार्टर-प्रशासन ने राष्ट्रपति सादात के प्रति अपना समर्पण जताया। मई, 1980 के प्रारम्भ में फिलिस्तीनियों के अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया गया।

अमेरिका और क्यूबा—अमेरिका और क्यूबा में पहले से ही चली आ रही तनातनी 1979 के मध्य क्यूबा में रूसी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अचानक ही विस्फोटक स्थिति में जा पहुँची। राष्ट्रपति कार्टर ने कैरेबियन में एक अग्रिम सेना (टास्क फोर्स) तैनात करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कार्टर ने कुछ नए रक्षा उपायों की भी घोषणा की। क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि क्यूबा में रूसी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अमेरिका के साथ हमारे जो भी विवाद हैं, हम उन पर बातचीत करने को तैयार हैं। कास्ट्रो ने कहा कि क्यूबा में जो सोवियत सैनिक हैं उनकी जानकारी तो अमेरिका को पिछले 17 वर्षों से है। सोवियत संघ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा की बात को अनावश्यक तूल देकर राष्ट्रपति कार्टर आग से खेलने की जोखिम मोल न लें। स्वयं अमेरिका में भी कार्टर-प्रशासन के रूप की काफी आलोचना हुई। अन्त में कार्टर को भुजना पड़ा। कार्टर ने स्वीकार किया कि रूस और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति दोनों देशों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त खतरा है और क्यूबा में 2-3 हजार रूसी सैनिकों की उपस्थिति अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं बन सकती।

अमेरिका और वियतनाम—कार्टर के राष्ट्रपतित्व-काल के आरम्भिक कुछ महीनों में ही वियतनाम के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक बन गया। अप्रैल-मई, 1977 में पेरिस वार्ता का दौर चला। अमेरिका के रिचर्ड होलब्रुक ने विश्वास दिलाया कि अमेरिका अब वियतनाम के सयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने में बाधा न डालेगा। पिछली चार बार अमेरिका ने सयुक्त राष्ट्रसंघ में अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर वियतनाम को विश्व-संस्था का सदस्य नहीं बनने दिया था। पेरिस वार्ता में अमेरिका ने वियतनाम में अपने दूतावास स्थापित करने की बात उठाई। वियतनाम ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। पहली, अमेरिका 1973 के अमेरिका-वियतनाम समझौते की 29वीं धारा के अनुसार युद्ध में ब्राह्मण देश के पुनर्निर्माण में अधिक सहायता दे और दूसरी, अमेरिका वियतनाम के माधव्यापार करने पर लगाए गए सब प्रतिबन्धों को तुरन्त हटा ले। 20 नवम्बर, 1977 को सयुक्त-राष्ट्र महासभा का 32वाँ अधिवेशन विश्व संस्था में दो नए सदस्यों के प्रवेश के साथ आरम्भ हुआ। ये सदस्य थे—वियतनाम और जिवूती।

कार्टर और भारत—जनता पार्टी के शासनकाल में भारत-अमेरिका सम्बन्धों में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ। जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में भारत-यात्रा के दौरान कार्टर ने यह घोषणा की कि उन्होंने तारापुर परमाणु बिजली सयन्त्र के लिए श्रेष्ठ धरै नियम का एक और खेप भेजने का प्राधिकार दे दिया है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे दूसरों के साथ अपने विवाद सीहार्दपूर्ण ढंग से निपटाएँ तथा परमाणु शस्त्रों के फैलाव के खतरे को रोकने के लिए और उनमें कमी करते हुए अन्ततः उन्हें समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जून, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सयुक्त-राज्य अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका के उप-विदेशमंत्री श्री चार्लेन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मण्डल ने

फरवरी-मार्च, 1979 में भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लाभदायक विचार-विमर्श किया। भारतीय विदेश मन्त्री ने 20 से 25 अप्रैल, 1979 तक संयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा की। कुछ मसलों पर विशेषतया तारापुर सयन्त्र के परमाणु ईंधन की सप्लाई के बारे में दोनों देशों में मतभेद बने रहे। भारत ने कहा कि संयुक्त राज्य को अपने भविष्यदात्मक दायित्व का सम्मान करना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि यद्यपि परमाणु हथियारों के प्रसार के निषेध के विषय में संयुक्तराज्य अमेरिका के उद्देश्य से भारत सहमत है, लेकिन भारत का दृढ़ विचार है कि यदि इन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का उद्देश्य वस्तुतः इन हथियारों के प्रसार को रोकना है तो इसे ऊँचाई तथा विस्तार दोनों प्रकार के प्रसारों पर लागू करना होगा। इससे सुरक्षा सम्बन्धी उपाय परमाणु हथियार-विहीन राज्यों के साथ-साथ उन राज्यों पर भी लागू होंगे जिनके पास ये हथियार हैं। भारत ऐसे किसी भी उपाय को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जो दबावपूर्ण हो। संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान पर अपनी ओर से पूरी तरह से दबाव डालना चाहिए कि वह इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू करने से बाज आए। यह भी बता दिया गया कि हिन्द महासागर में संयुक्तराज्य अमेरिका की नौ-सैनिक शक्ति की बढ़ोत्तरी के कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौ-सैनिक उपस्थिति में वृद्धि होगी। अफगानिस्तान के मामले पर दोनों देशों के दृष्टिकोणों में अन्तर बना रहा। 24 नवम्बर, 1980 को अमेरिकी सीनेट ने भारत को परमाणु ईंधन देने का प्रस्ताव पारित करके कार्टर प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन किया। कुल मिलाकर कार्टर युग में भारत-अमेरिका सम्बन्ध सामान्य बने रहे।

कार्टर-प्रशासन और चीन : बदलते समीकरण—कार्टर प्रशासन चीन के साथ सम्बन्ध सुधार के लिए प्रयत्नशील रहा। अगस्त, 1977 में विदेशमन्त्री माइरस वान्स ने चीन की यात्रा की किन्तु ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद नहीं हो सका। अमेरिका ताइवान से सम्बन्ध तोड़ने को तैयार नहीं हुआ और चीन के विरोधी रवैये के कारण कार्टर ने यहाँ तक कह दिया कि चीन को पूर्ण मान्यता देने में अभी वर्षों लगेंगे। वान्स की यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई। फिर भी ऐसा वातावरण दिखाई देने लगा कि दोनों पक्ष अन्ततः ताइवान पर समझौता कर लेंगे। वान्स के बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिस्की ने पीकिंग की यात्रा की। चीन के प्रति नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए कार्टर ने चीन को विभिन्न विस्मों के हथियारों तथा विद्युत धातु उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का निश्चय किया। अब तक ये हथियार आम तौर पर निर्यात नहीं किए जाते थे। ताइवान के प्रश्न पर अमेरिका और चीन के बीच मतभेदों की दूरी कम होती गई और मार्च, 1978 के प्रारम्भ में चीन ने अमेरिका को परामर्श दिया कि वह ताइवान से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। 15 दिसम्बर, 1978

को राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने जनवरी, 1979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की। कार्टर ने अपने वक्तव्य में यह मान लिया कि चीन केवल एक है और उसकी एक सरकार है। कार्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-सरकारी तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। ये क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि हो सकते हैं। चीन के साथ अमेरिका के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय विश्व की महत्वपूर्ण घटना मानी गई। ताइवान के साथ अमेरिका का कोई भी सम्बन्ध चीन को नागवार था। अक्टूबर, 1980 में अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते सम्बन्धों की चीन द्वारा पुनः आलोचना की गई। कुल मिलाकर कार्टर के शासनकाल में अमेरिका और चीन एक-दूसरे के अधिक निकट आए। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध अमेरिका और चीन ने एक स्वर से किया। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री फोहरा की स्मृति के लिए जब विभिन्न देशों के प्रमुख नेता टोकियो में एकत्रित हुए तो 10 जुलाई, 1980 को कार्टर और चीनी प्रधानमंत्री हुआ के बीच प्रथम बातचीत हुई। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, कम्बूचिया (कम्बोडिया) पर वियतनाम का अधिकार आदि प्रश्नों पर दोनों देशों ने सहमतिपूर्ण चिन्ता व्यक्त की। कार्टर ने एक दूरदर्शन मॉडवार्ता में कहा कि रूसी सैनिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, चीन और जापान को एक हो जाना चाहिए।

' अमेरिका और रूस—कार्टर प्रशासन, बावजूद सामयिक उतार-चढ़ाव और उत्तेजनाओं के सोवियत संघ के साथ अपने देश के उत्तरोत्तर सम्बन्ध सुधार के लिए सचेष्ट रहा। कार्टर ने अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में रूस-अमेरिका सम्बन्धों का समीकरण बदल दिया। अब तक सोवियत संघ यह मानकर चल रहा था कि वह परमाणु अस्त्रों से अग्रता प्राप्त कर लेगा और अपने यहाँ के असन्तुष्टों का अमेरिका की प्रसन्नता के बिना दमन कर सकेगा। उसे आशा थी कि इस सबके बावजूद अमेरिका के आर्थिक सहयोग से लाभान्वित होता रहेगा। कार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु अस्त्रों के बारे में वह उचित समानता चाहेगा और अमेरिका से आर्थिक सहयोग स्थापित रखने के लिए सोवियत संघ को घर में और बाहर अपना आचरण बदलना होगा। कार्टर की इस नीति ने सोवियत संघ को दुविधा में डाल दिया। निःशस्त्रीकरण पर कुछ सैद्धान्तिक सहमतियों के बावजूद दोनों पक्षों में गम्भीर मतभेद बने रहे। अन्त में जून, 1979 में साल्ट-2 समझौता हो गया जिसे राजनीतिक क्षेत्र में अस्त्र-परिसेमन की दिशा में एक सीमित, पर महत्वपूर्ण सन्धि मानी गई है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को लेकर रूस-अमेरिका के बीच सुधरते सम्बन्धों में कुछ तनाव आ गया तथापि इस स्थिति से दोनों ही महाशक्तियाँ बचने का प्रयत्न करती रही जिसमें कोई सशस्त्र टकराव न हो जाए। जून, 1980 में सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की मडगेबाजी के कारण साल्ट-वार्ता की गति बहुत धीमी हो गई है।

कुल मिलाकर विदेश नीति के क्षेत्र में कार्टर अपने देश के लिए स्तुति योग्य

उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर सके और फलस्वरूप नवम्बर, 1980 के राष्ट्रपति पद के चुनावों में उन्हें रोनाल्ड रीगन के हाथों पराजित होना।

रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति (20 जनवरी, 1981 के उपरान्त)

अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर 70 वर्षीय रोनाल्ड विल्सन रीगन ने 20 जनवरी, 1981 को अपने पद की शपथ ग्रहण की। अपने प्रथम सन्देश में नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के मित्रों को आश्वासन दिया—“हम अपनी मित्रता अपनी सार्वभौमिकता पर नहीं थोपेंगे, क्योंकि हमारी अपनी सार्वभौमिकता विक्री के लिए नहीं है।” रीगन ने अमेरिका के प्रतिद्वन्द्वियों से कहा—“शान्ति में उनका यकीन है, शान्ति स्थापना के लिए वह बातचीत कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे।” जब रीगन अपना सन्देश समाप्त कर चुके तभी ईरान में अमेरिकी बन्धकों की रिहाई का समाचार प्राप्त हुआ। कार्टर अपने शासनकाल में किए गए अथक् प्रयासों का फल सत्ता में रहते ही देख सके—बन्धकों को रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण से 25 मिनट पहले रिहा किया गया। रोनाल्ड रीगन ने नवम्बर, 1984 में पुनर्विजयी होकर 20 जनवरी, 1985 को अगले चार वर्षों के लिए पुन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की।

रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति प्रारम्भ से कठोर, विस्तारवादी और सैनिक मनांवृत्ति की रही है। रीगन की अब तक की विदेश नीति के मुख्य पक्ष इस प्रकार रहे—

रीगन और रूस।

रीगन ने सोवियत रूस के प्रति प्रारम्भ से ही कठोर रवैये का संकेत दे दिया। मार्च, 1981 में रीगन ने कहा कि सोवियत संघ को अपने प्रभाव और हस्तक्षेप के दायरे पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने कहा—“जिस प्रकार लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी चड म ब्यूबा के सैनिक अगोलो में ब्यूबा और पूर्वी जर्मनी के सैनिक इधोपिया और दक्षिण यमन में तथा अब पश्चिमी गोलाहट में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे है उस पर रोक लगाना आवश्यक है।”

रीगन ने सोवियत संघ के एस. एस.-20, एम. एस.-4 और एस. एस.-5 प्रक्षेपास्त्रों का मुकाबला करने के लिए न्यूट्रान बम्ब के निर्माण का फैसला किया। इस विनाशकारी निर्णय में सारे विश्व का स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक था। सोवियत संघ पर रीगन के इस निर्णय की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। नवम्बर, 1981 के अपने भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत नेता ब्रेझ्नेव को अपनी चार सूत्री निःशस्त्रीकरण योजना भेजने का उल्लेख किया। अमेरिका की ‘शस्त्रीकरण की नीति’ के प्रति यूरोप में जो अमनतोप बढ़ रहा था उसे शान्त करने के लिए रीगन ने यह भाषण देने की बूटनीति अपनाई थी। रूस ने रीगन के निःशस्त्रीकरण प्रस्ताव की ‘प्रचारवादी हथकण्डा’ बताकर ठुकरा दिया। रीगन प्रशासन द्वारा

शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की नीति पर प्रहार करते हुए नवम्बर, 1981 में सोवियत संघ ने अमेरिका पर परमाणु युद्ध की तैयारी का आरोप लगाया।

पोलैण्ड की घटनाओं को लेकर भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ गया। 24 दिसम्बर, 1981 को सोवियत संघ के विरुद्ध आधिकारिक प्रतिबन्ध लगाने की चेतावनी दी। रीगन का सोवियत विरोधी रवैया 1982 के मध्य अमेरिकी विदेशमन्त्री अलेक्जेंडर हेग के त्यागपत्र के मसले को लेकर भी सामने आया। रीगन और हेग के बीच मतभेद का एक महत्वपूर्ण मसला सोवियत गैस पाइप लाइन का था। इस समूची योजना का समर्थन अमेरिका को सभी यूरोपीय सहयोगी करते रहे हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा के नए साधनों के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी स्थापक हो जाएँगे। इस सम्बन्ध में तत्कालीन विदेश मन्त्री हेग ने सभी यूरोपीय नेताओं को आश्वासन दे दिया था कि अमेरिका इस विशाल योजना-कार्य का पूरा लाभ उठाने को तैयार है, लेकिन रीगन के कुछ दक्षिण पथी समर्थक इस समूची योजना के विरोधी थे। उनकी आपत्ति थी कि इस पाइप लाइन से सोवियत अर्थव्यवस्था को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा और समूचा यूरोप ऊर्जा के मामले में अभावग्रस्त रहकर सोवियत संघ का मोहताज बन जाएगा।¹

अरब-इजराइल के बीच कुछ बातों पर सहमति का वातावरण तैयार करने के प्रयत्नों में अमेरिकी विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है कि सोवियत संघ वहाँ किसी भी तरह का हस्तक्षेप न कर सके। रीगन प्रशासन का रूस विरोधी रवैया तब भी स्पष्ट हो गया जब 9 मई, 1982 को रीगन ने रूस के विरुद्ध चीन से एवता की अपील की।

11 नवम्बर, 1982 को सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव का देहान्त हो गया और कुछ दिनों बाद यूरी आन्ड्रपोव उनके उत्तराधिकारी बने। रीगन प्रशासन ने नए रूनी नेतृत्व के साथ भी अमहयोगी रवैया अपनाया। दोनों महाशक्तियों में तनाव बढ़ता गया जिसकी चरम परिणति उस समय देखने को मिली जब रूस द्वारा अपने सीमा-क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई यात्री विमान को गिराए जाने पर रीगन-प्रशासन ने रूस को नीचा दिखाने और उसकी निन्दा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 दिसम्बर, 1983 को विमान-काण्ड होने के साथ ही दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का दौर फिर शुरू हो गया। अमेरिका ने विमान-काण्ड को इस प्रकार लिया माना उस पर ही सीधा हमला किया गया है। अमेरिका ने सोवियत एयरलाइन 'एयरफ्लोट' की उड़ाना पर 60 दिन के लिए प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की और अधिकतमक पश्चिमी देशों ने उसका अनुकरण किया। अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच चल रही कुछ छोटी-मोटी बातों में भी रद्द कर दी गई। किन्तु महाशक्तियों जेनेवा में अस्त्र-परिष्कारित बातों जारी रखने की सहमति रही। यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि अमेरिका ने सोवियत विदेशमन्त्री आन्ड्रेई ग्रोमिको

का विमान उतरने पर भी इस बहाने प्रतिबन्ध लगा दिया कि व्यापक जनरोप को देखते हुए सोवियत विदेश मन्त्री का विमान अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरने देना सुरक्षात्मक नहीं है। प्रतिक्रियाम्बन्ध सोवियत सभ ने भी न केवल श्री ग्रोमिन्को की न्यूयार्क यात्रा रद्द कर दी बल्कि यह प्रश्न उठाया कि "ऐसी स्थिति में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्रसभ के मुख्यालय को बनाए रखना वहाँ तक उचित है?"

जेनेवा में अस्त्र-परिसीमन वार्ता यद्यपि शुरू हो गई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और दोनों ही महाशक्तियाँ एक-दूसरे के प्रस्तावों को अमान्य करती रही। दोनों देशों के बीच कटुता तब और भी उभरी जब सोवियत सभ ने 12 सितम्बर, 1983 को एक अमेरिकी राजनयिक और उसकी पत्नी को जासूसी के आरोप में अपने देश से निष्कासित कर दिया। सुरक्षा परिपद में अमेरिका और उसके समर्थक देशों द्वारा यानी विमान गिराने के लिए सोवियत सभ की कटु आलोचना की गई। 13 सितम्बर, 1983 को सोवियत संघ ने दक्षिण कोरियाई विमान गिराए जाने सम्बन्धी सुरक्षा परिपद के प्रस्ताव पर 'वीटो' कर दिया। 25 अक्टूबर, 1983 को अमेरिका और छह कॅरेबियाई देशों द्वारा ग्रेनाडा पर हमले की विश्व के अन्य देशों के साथ ही सोवियत सभ ने भी तीव्र निन्दा की। जेनेवा में दोनों महाशक्तियों के बीच अस्त्र-परिसीमन सम्बन्धी जो वार्ता चल रही थी उसे सोवियत सभ ने 8 सितम्बर, 1983 को स्थगित कर दिया। वास्तव में अमेरिका के दुराग्रही रवेंगे से सोवियत सभ धुग्ध हो गया। 5 जनवरी, 1984 को सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिन्को द्वारा नाटों से अस्त्र-सन्धि का प्रस्ताव किया गया जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। 25 जनवरी, 1984 को सोवियत राष्ट्रपति आन्द्रोपोव ने परमाणु अस्त्रों का उत्पादन बन्द करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रपति रीगन के समक्ष रखा जिसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। 30 जनवरी, 1984 को सोवियत सभ ने अमेरिका पर शस्त्रास्त्र समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। 10 फरवरी, 1984 को सोवियत नेता यूरी आन्द्रोपोव का देहान्त हो गया और 13 फरवरी को चेरनेन्को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव निर्वाचित हुए और 11 अप्रैल को वे सोवियत सभ के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए। नए नेता ने 27 फरवरी, 1984 को पश्चिमी देशों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए मिल-बैठकर विचार किया जाए। नए नेता ने परमाणु हथियारों की रोक पर अमेरिका से वार्ता करने का प्रस्ताव किया जिस पर 19 अप्रैल, 1984 को रीगन ने सहमति व्यक्त की, पर दोनों महाशक्तियों के बीच नूतनीतिक दावपेच चलता रहा और 5 मई, 1984 को चेरनेन्को द्वारा पश्चिमी देशों के मध्य यूरोप में शस्त्रों की कटौती सम्बन्धी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। 30 जून, 1984 को सोवियत संघ द्वारा अस्त्रों की कटौती पर अमेरिका से वार्ता पर असहमति व्यक्त की गई। 27 जुलाई, 1984 को सोवियत सभ ने अन्तरिक्ष में शस्त्रास्त्र के प्रतिबन्ध का अमेरिकी सुभाष बस्वीकार पर दिया। सितम्बर, 1984 में रूसी विदेशमन्त्री ग्रोमिन्को संयुक्त

वावजूद अमेरिका यह आरोप दोहराए जा रहा है कि वही आतंकवाद के लिए दोषी है। 1986 के प्रारम्भ में गोर्बाच्योव ने तीन चरणों में निरस्त्रीकरण करने की जो दीर्घकालीन समयबद्ध योजना प्रस्तावित की उसे अमेरिका ने रचनात्मक तो बताया पर स्पष्ट रूप से वह स्टार वार कार्यक्रम पर सौदेबाजी को तैयार न था। अमेरिका सोवियत संध के रचनात्मक रवैयें का कोई अनुकूल उत्तर नहीं दे रहा था।

1986 के अन्त में रेक्याविक शिखर-सम्मेलन भी विफल रहा तथा रीगन और गोर्बाच्योव निःशस्त्रीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। 1987 में पुनः यूरोप महाद्वीप से मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटाने के लिए द्वि पक्षीय वार्ताओं का एक लम्बा दौर चला। अक्टूबर के अन्त में अमेरिकी विदेशमन्त्री जुल्ज की मास्को-यात्रा के बाद कहा गया कि वार्ता में गतिरोध आ गया है। अन्ततः सोवियत विदेश-मन्त्री बार्जिगटन गए तथा वहाँ राष्ट्रपति रीगन ने उनके साथ चर्चा के बाद घोषणा की कि 7 दिसम्बर, 1987 को बार्जिगटन में रीगन-गोर्बाच्योव शिखर वार्ता होगी जिसमें यूरोप से मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटाने में एक सन्धि की सम्भावना है तथा इस शिखर वार्ता में पूरे परमाणविक-निःशस्त्रीकरण पर व्यापक चर्चा हो सकती है।

रीगन और चीन

रीगन के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में तनाव उभरा। 16 नवम्बर, 1981 को चीन ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि यदि अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए तो वह अमेरिका से अपना राजदूत वापस बुला लेगा। ताइवान को हथियार देने के प्रश्न पर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद चलते रहे जिससे निरन्तरकालीन चीन-अमेरिका सम्बन्धों को ठेस पहुँची। इस मतभेद को तय करने के सिलसिले में मई, 1982 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पीकिंग-यात्रा के दौरान चीनी नेताओं से लम्बा विचार-विमर्श किया, लेकिन कोई सुखद परिणाम नहीं निकले। चीन के अनुरोध पर पिछले काफी समय से रीगन-प्रशासन ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई तथा हथियारों के पुर्जों आदि देना यद्यपि स्थगित कर रखा था, लेकिन चीन की यह बात विल्कुल भी नहीं मानी कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक देने की अन्तिम तारीख निश्चित कर दे। रीगन ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार सम्भालते ही अमेरिकी समर्थन मिलने रहने का वायदा कर दिया।

ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न को लेकर चीन और अमेरिका के बीच मतभेद भले ही कम न हुए हों लेकिन चीनी नेताओं ने राष्ट्रपति रीगन के इस अनुरोध पर सहमति दिखाई कि सोवियत संध के विरुद्ध उनमें सहयोग होना चाहिए। इस आशय का अनुरोध राष्ट्रपति रीगन ने चीनी नेताओं के नाम अपने तीन पत्रों में किया जो उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश अपने साथ पीकिंग ले गए थे।

रीगन ने चीनी नेताओं से कहा कि सोवियत संघ दोनों देशों और समूचे विश्व के लिए खतरा है इसलिए अमेरिका और चीन में सहमति होनी चाहिए और दोनों के बीच सहयोग और बढ़ना चाहिए। रीगन ने अपने इन पत्रों में विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रश्न पर सहमति को रखते हुए दोनों देशों के बीच मतभेद बाते अन्य सवाल भी तय हो सकते हैं। रीगन ने अपने पत्र में अमेरिका की चीन सम्बन्धी नीति को स्पष्ट करते हुए यह साफ कह दिया कि चीन तो एक ही है और हम चीन की इस बात को मानते हैं कि शान्तिपूर्ण तरीके से ताइवान चीन की मुख्य भूमि के साथ मिल जाए तो अच्छा है। तथापि अमेरिका ने ताइवान को हथियार देना जारी रखा और चीन मह माँग करता रहा कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बन्द कर दे।

अप्रैल, 1903 को इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ तनाव भी पैदा हो गया। फरवरी, 1983 में अमेरिकी विदेशमन्त्री जॉर्ज शूल्ज के पीकिंग-यात्रा समाप्त करते ही चीनी समाचार एजेंसी की एक टिप्पणी में ताइवान को अमेरिकी हथियार उपलब्ध कराने की अमेरिकी नीति की निन्दा की गई और यह भी कह दिया गया कि "अमेरिकी विदेशमन्त्री के केवल कह देने भर से ही अमेरिका-चीन सम्बन्धों में सुधार नहीं हो जाएगा, अमेरिका को कुछ करके दिखाना होगा।"

7 अप्रैल, 1983 को चीन द्वारा अमेरिका से सांस्कृतिक सम्भोते रद्द कर दिए गए तथापि सम्बन्ध-मुधार प्रक्रिया जारी रही और वाशिंगटन-पिण्डो-पीकिंग धुरी मजबूत बनती गई। 31 जुलाई, 1983 को चीन और अमेरिका में एक व्यापार सम्भोते पर हस्ताक्षर हुए। एशिया में 'अमेरिका-पाक-चीन धुरी' योजनाबद्ध रूप से सक्रिय है। मितम्बर, 1983 में अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री केंस्पेर वीनवर्गर ने चीन और पाकिस्तान की यात्रा की।

चीन के प्रधानमन्त्री भाओ जियांग ने 17 जनवरी, 1984 को अपनी 9 दिवसीय अमेरिका यात्रा सम्पन्न की। यह उनकी पहली अमेरिका यात्रा थी। वे राष्ट्रपति रीगन के निमन्त्रण पर बहाँ गए थे। उल्लेखनीय है कि 1970 के बाद चीन व अमेरिका निरन्तर एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान भाओ ने अमेरिका के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ रूस के विरुद्ध कोई गठबन्धन नहीं करेगा परन्तु अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के प्रश्न पर और कम्बूचिया में वियतनाम के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में अमेरिका और चीन का समान दृष्टिकोण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एशिया में रूसी विस्तारवाद को रोकने में अमेरिका चीन के साथ सहयोग करेगा परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत शस्त्रास्त्र के जमाव को वे चीन के लिए खतरा नहीं समझते। यद्यपि भाओ ने अमेरिका-चीन मित्रता पर बल दिया तथापि यह बात भी स्पष्ट कर दी कि अमेरिका के चीन के साथ सम्बन्ध वास्तव में अभी निकट होंगे जब ताइवान की समस्या हल हो जाएगी। चीन यह गारण्टी नहीं देगा कि ताइवान की समस्या को केवल शान्ति के साथ ही हल करेगा। दूसरे शब्दों में, यदि चीन यह समझ लेगा कि ताइवान को मुक्त कराने के लिए बल

का प्रयोग आवश्यक है तो वह ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। भाओ ने अमेरिका से अपील की कि वह ताइवान के प्रश्न पर व्यावहारिक रवैया अपनाए। अमेरिका को चीन व ताइवान के एकीकरण में बाधा नहीं डालनी चाहिए। भाओ की यात्रा से अमेरिका को कोई अप्रत्याशित लाभ नहीं मिला। रीगन समझते थे कि वे रूस के विरुद्ध अपने अभियान में चीन को भी शामिल कर लेंगे, परन्तु भाओ ने स्पष्ट कर दिया कि चीन किसी गुट में नहीं है। वह हर प्रश्न पर अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने को कृतसंकल्प है। भाओ जियांग ने हांगकांग के बारे में चल रही अफवाहों का भी निराकरण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हांगकांग को जब चीन अपने हाथ में ले लेगा तो पूंजीवादी व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। हांगकांग का प्रशासन वहाँ के लोग चलाएँगे और यह व्यवस्था कम से कम 50 वर्ष तक रहेगी।

अप्रैल, 1984 के अन्त में राष्ट्रपति रीगन ने पीकिंग की 5 दिवसीय यात्रा की। रीगन ने वहाँ एक समारोह में कहा कि अमेरिका को चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर गर्व है। यद्यपि दोनों देशों के बीच अनेक प्रश्नों पर मतभेद हैं तथापि वे पिछले 14 वर्ष से उत्तरोत्तर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग बढ़ाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अरबों डालर के मूल्य के परमाणु विजलीघर के लिए तो परिष्कृत यूरेनियम देने को सहमत नहीं हैं, परन्तु वही चीन को देने को तैयार हैं। रीगन की यात्रा का एक अन्य उद्देश्य चीन में अमेरिकी उत्पादों की खपत को बढ़ाना है। चीन अभी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा देश है। रीगन की यात्रा के समय चीनी समाचार-पत्रों ने अमेरिका की ताइवान नीति की आलोचना की। एक समारोह के समय रीगन की उपस्थिति में ही भाओ जियांग ने ताइवान को आश्वासन दिया कि यदि वह चीन में सम्मिलित हो जाए तो साम्यवादी सरकार उसे भी वही सुविधाएँ देने को तैयार है जो 1997 के बाद हांगकांग को दी जाएँगी। दूसरे शब्दों में वहाँ, पूंजीवादी व्यवस्था बनी रह सकती है।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन सामरिक क्षेत्र में जो सहयोग कर रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों को सुकिया सगठनों में उच्च स्तर पर गोपनीय जानकारीयों का आदान-प्रदान है। इन जानकारीयों के आदान-प्रदान का भविष्य में भारत सहित अन्य एशियाई देशों की प्रतिरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि यह सहयोग मूलतः सोवियत मघ के विरुद्ध बढ़ाया जा रहा है तथापि इस बात की पूरी सम्भावना है कि इनका उपयोग पश्चिम, दक्षिण एशिया व हिन्द महासागर में भी किया जा सकता है।

दिसम्बर 1984 में चीन ने अमेरिकी नौ-सेना के जहाजों को अपने बन्दरगाहों में आने की अनुमति देने की घोषणा की। यह पहला अवसर है जब चीन ने अमेरिका को ऐसा अवसर दिया है। अमेरिकी नौसेना के जहाज अब प्रशांत महासागर में रूस के नौ-सैनिक जहाजों पर नजर रख सकेंगे। चीन-

वियतनाम तनाव एवं रूस द्वारा वियतनाम की सहायता व उसके बन्दरगाहों के प्रयोग से चीन चिन्तित था। उसने इस स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिकी नौ-सेना के युद्धपोतों को यह सुविधा प्रदान की है। चीन ने यह शर्त अवश्य लगाई है कि चीन की पूर्ण स्वीकृति से ही अमेरिका ऐसा करेगा। रूस के सरकारी क्षेत्रों ने चीन को इस कार्यवाही पर गहरा रोप व्यक्त किया है और कहा कि जहाँ एक ओर सामान्य सम्बन्ध बनाने के लिए रूस-चीन बार्ता चल रही है, वहीं चीन के शासकों ने अमेरिका को यह सुविधा प्रदान करने का शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। फरवरी-मार्च, 1985 में यह भती प्रकार स्पष्ट हो गया कि अमेरिका चीनी नौ-सेना के आधुनिकीकरण के लिए शस्त्रास्त्र तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है।

जुलाई, 1985 में चीन के राष्ट्रपति ली सियेन नियेन अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए। यह किसी चीनी राष्ट्रपति की प्रथम अमेरिका यात्रा थी। अनेक विषयों पर बार्ता हुई किन्तु दोनों देशों के बीच अधिकांश पर गम्भीर मतभेद बने रहे। चीन ने अमेरिका की ताइवान-नीति के प्रति नाराजगी व्यक्त की, तथापि दोनों देश आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने को सहमत हो गए। दोनों देशों ने एक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जिसके अन्तर्गत चीन अमेरिका से परमाणु रिएक्टर खरीद सकेगा।

यद्यपि अमेरिका और चीन में अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है तथापि अभी तक 'एक चीन' के विचार को अमेरिका ने व्यावहारिक रूप प्रदान नहीं किया है। 'ताइवानाज एक्ट' अभी भी काममें है और अमेरिका ताइवान को अरबों डॉलर के शस्त्र दे रहा है। चीन और अमेरिका के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा ताइवान ही है। अमेरिका रूस और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों के मुद्धार की प्रक्रिया से भी चिन्तित है।

रीगन और पाकिस्तान

भारतीय उप-महादीप पर पाँव जमाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है। रीगनयुगीन अमेरिकी विदेश नीति की नीति भी यही है कि पाकिस्तान को अमेरिका-समर्थक एक प्रमुख और मुठ्ठल सैनिक शक्ति के रूप में खड़ा किया जाय। रीगन ने सत्ताह्वल होने के कुछ ही समय बाद 22 अप्रैल, 1981 को लगभग अर्धार्ड अरब डॉलर के शस्त्र तथा आधुनिकतम एफ-16 विमान देने का निर्णय किया। रीगन प्रशासन पाकिस्तान का आधुनिकतम स्तर पर सैन्यकरण कर रहा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से गुप्त नौ-सैनिक शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने यहाँ अनेक सैनिक सुविधाएँ दे रखी हैं। दोनों देशों के बीच गोपनीय रीति से आदान-प्रदान हो रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु संरक्षण देने का प्रस्ताव भी किया है। रीगन प्रशासन अरबों रुपये की युद्ध सामग्री पाकिस्तान को दे रहा है जिनमें 500 प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं।

1986-87 में पाकिस्तान को अमेरिका से लगभग 3 अरब 60 करोड़ डालर की सहायता का आश्वासन मिला। पाकिस्तान ने माँग की कि 1987 से 1993 तक दी जाने वाली आर्थिक और सैनिक सहायता बढ़ाकर 6.5 अरब डालर कर दी जाए। रीगन का तर्क है कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप को देखते हुए रूस की ओर से पाकिस्तान को सम्भावित खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका उसे हथियार दे रहा है। लेकिन इसमें वास्तविक खतरा भारत के लिए पैदा हो गया है क्योंकि अतीत में पाकिस्तान ने अमेरिकी शस्त्रास्त्र का उपयोग भारत पर आक्रमण के लिए किया है। जुलाई-अगस्त, 1987 के समाचारों के अनुसार रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को 4.2 अरब डालर के अत्याधुनिक हथियार देने की सिफारिश को अन्तिम रूप दे दिया है। अमेरिका का कहना है कि वह पाकिस्तान की रक्षा-क्षमता को सुधारने और उसे आधुनिक बनाने के लिए ही इन हथियारों की बिक्री कर रहा है।

अमेरिका हिन्द महासागर में अपनी स्थिति दृढ़ करने में लगा है और पिछले कुछ अरसे से इस दिशा में अमेरिका-ग्रोमान-पाकिस्तान का एक नया त्रिकोण उभरा है। अमेरिका ने ग्रोमान, सोमालिया और कैनिया में अड्डों का निर्माण कर लिया है तथा वह खाड़ी सघर्ष में इन अड्डों का प्रयोग कर रहा है। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान ग्रोमान में अमेरिकी नौ-सैनिक तथा सैनिक अड्डों के विस्तार कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनेलेसिस के विशेषज्ञों के अनुसार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ग्रोमान के मसेहरा अड्डे तथा पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बन्दरगाह की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

अमेरिका परमाणु विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पाकिस्तान की हर तरह से सहायता कर रहा है, तथापि वह चाहता है कि पाकिस्तान परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करे। परन्तु पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता भी अर्जित कर ली है। अमेरिकी संसद इस पर चिन्तित है। मार्च, 1986 में पाकिस्तान के बहूटा स्थित परमाणु सयंत्र के प्रमुख डॉ. अब्दुल क़ादर ख़ान ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है। अमेरिकी गुप्तचर सूत्रों का भी विश्वास है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम सम्बन्धी सभी प्रयोग अड्डों में पूरे कर लिए हैं। दूसरी ओर पाक सरकार का कहना है कि उसकी परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ववत् शान्ति के लिए है। वह परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शान्ति के कार्यों में करने में लगा है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। 1987 के मध्य में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका में परमाणु हथियारों के निर्माण में प्रयोग होने वाली परमाणु सामग्री की तस्करी के प्रयास के बाद विनियोग समिति की सिफारिश पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 54 करोड़ डालर की सैनिक एवं आर्थिक सहायता तथा छह वर्ष की अवधि में दी जाने वाली 4 अरब 20 करोड़ डालर की सहायता

पर 15 जनवरी, 1988 तक रोक लगा दी। यह सहायता 1 अक्टूबर, 1987 से प्रारम्भ होने वाली थी। प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति की सिफारिश मानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी कानून के अन्तर्गत बाध्य हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध अमेरिका द्वारा की गई यह कार्यवाही 1979 के वाद की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी गई है। लेकिन रीगन प्रशासन कितनी प्रकार इस बाधा को दूर कर पाकिस्तान को अस्थिर सज्जित करने को कटिबद्ध है। अमेरिकी ससद् (कांग्रेस) द्वारा आर्थिक सहायता पर रोक लगाये जाने पर राष्ट्रपति रीगन ने अपने अधीन संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कोष में से पाकिस्तान के प्रेस क्लब, जनसंख्या एवं कल्याण संगठनों तथा खेल-परिपदों को 4 करोड़ डालर की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है, परन्तु शर्त यह है कि अमेरिका यह सहायता पाकिस्तान सरकार के मार्फत नहीं बरन् सीधे ही देगा। इस पर पाकिस्तान में तूफान उठ खड़ा हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान की भूमि पर अपने कानून लागू करना चाहता है। अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु बम से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में इजरायल-समर्थक राजनीतिज्ञों के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि पाकिस्तानी परमाणु बम वास्तव में इस्लामी बम है, इसके लिए आर्थिक साधन लीबिया के राष्ट्रपति कदाफी ने जुटाये हैं तथा पाकिस्तान परमाणु बम बनाकर लीबिया तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को देगा तथा वे उन शस्त्रों का प्रयोग इजरायल पर दबाव डालने के लिए करेंगे। साथ ही भारत-समर्थक राजनीतिज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तानी परमाणु आयुध भारत को परमाणु शस्त्रास्त्र बनाने के लिए विवश कर देंगे तथा इस प्रकार दक्षिण-एशिया में परमाणु शक्तियाँ उठ खड़ी होंगी। ये दोनों दबाव-समूह अमेरिकी कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं कि वह पाकिस्तान की आर्थिक सहायता रोक कर उसे परमाणु-आयुध कार्यक्रम के परित्याग के लिए विवश करे। परन्तु रीगन-प्रशासन की कठिनाई यह है कि उसने पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने अमेरिकी वायुसेना और नौ-सेना के झूठे बनाने के लिए मकरान-क्षेत्र तथा ग्वादर बन्दरगाह इसी शर्त पर प्राप्त किए हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को 4.2 अरब डालर की आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका ग्वादर बन्दरगाह के विकास और मकरान क्षेत्र में मडक, भवन एवं एक दर्जन हवाई अड्डों के निर्माण पर लगभग एक अरब डॉलर खर्च कर चुका है तथा वह वहाँ अपनी मध्यवर्ती कमान (CENTCOM) का मुख्यालय बना रहा है। ऐसी स्थिति में वह पाकिस्तान को 4.2 अरब डालर की सहायता देने के लिए विवश होगा।

परमाणु आयुध प्रसार निरोध सम्बन्धी बाधा से बचने के लिए अमेरिका भारत पर दोष मढ़ने की चेष्टा कर रहा है। उसका तर्क यह है कि भारत को संयुक्तराष्ट्र द्वारा प्रस्तावित परमाणु आयुध प्रसार निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करके पाकिस्तान को निरापद करना चाहिए। जाहिर है कि भारत इस बाल में नहीं फसेगा और पाकिस्तान परमाणु बम तो बनाएगा ही, अमेरिकी सहायता भी प्राप्त

करेगा, मगर इसके साथ ही वह एक लम्बे समय के लिए अमेरिका की सैनिक छावनी भी बन जाएगा।

रीगन और भारत

रीगन प्रशासन का रवैया शुरू से ही भारत-विरोधी रहा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेरिका यात्रा (जून, 1985) के बाद से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया अवश्य कुछ तेज हुई किन्तु थोड़े ही समय के अन्तराल के बाद फिर तनाव बढ़ गए।

अफगानिस्तान के प्रश्न पर दोनों देशों के बीच मतभेद है। 1981 में भारत ने विदेश मन्त्रालय के सचिव ऐरिक गोनसान्ब्रेज को समुक्त राज्य भेजा। भारत ने अपना यह मत व्यक्त किया कि सोवियत सेनाओं की वापसी के लिए सही वातावरण तैयार करने की दृष्टि से वार्ता के जरिए राजनीतिक समाधान का रास्ता खोजना होगा। भारत प्रारम्भ से ही राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने बार-बार कहा है कि अफगानिस्तान की समस्या का कोई सैनिक हल नहीं हो सकता और अफगानिस्तान के मामले को लेकर पाकिस्तान का सैन्यकरण करने की अमेरिकन नीति दक्षिण एशिया के शक्ति सन्तुलन के हित में नहीं है।

रीगन प्रशासन ने तारापुर के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई पर रोक लगाई। 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी अमेरिका की यात्रा पर गईं। परन्तु इस यात्रा की वास्तविक उपलब्धियाँ फीकी रही।

1984 में अमेरिकी उप-राष्ट्रपति बुश ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के परिणाम भी निराशाजनक ही रहे तथा भारत और अमेरिका के मतभेद यथापूर्व बने रहे। बुश ने एक ओर भारत की प्रशंसा की और उमकी एकता तथा अखण्डता को महत्त्वपूर्ण बताया, दूसरी ओर अमेरिका की नीति के समर्थन में कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं करेगा। बुश की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी विचार से चर्चा हुई परन्तु विकासशील देशों को अधिक सहायता देने और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को सुधारने के प्रश्न पर अमेरिका का रवैया न्यायमगत नहीं था। अक्टूबर, 1984 के चौथे सप्ताह में अमेरिका के उप-विदेशमन्त्री रिचर्ड मर्फी ने भारत की यात्रा की। यह यात्रा उस समय हुई जब अमेरिका के पाक स्थित राजदूत के इस बयान से भारत में काफी तनाव था कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो वह तटस्थ नहीं रहेगा। पाकिस्तानी समाचार पत्रों में यह खबर भी प्रकाशित हो चुकी थी कि राष्ट्रपति रीगन ने पाकिस्तान को अमेरिकी परमाणु मरक्षण देने की पेशकश की है। मर्फी ने इस बात से इन्कार किया कि अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु मरक्षण देना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका समझता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा।

भारत में घाटवें आम चुनावों के बाद अमेरिका ने उम पी. एल. 480 समझौते को पुनर्जीवित कर दिया जो भारत-पाक युद्ध के बाद से ही मृत पड़ा हुआ

था। नई सरकार ने, भारत में अमेरिकी पूँजी को आमन्त्रित किया। मई, 1985 के ही एक समझौते के अनुसार अमेरिका भारत को आधुनिकतम तकनीक देने पर सहमत हो गया। जून, 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी अमेरिका गए जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार-प्रक्रिया कुछ तेज हुई तथा पारस्परिक सहयोग के कुछ क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अमेरिका ने भारत के आर्थिक विकास में विश्व बैंक तथा सहयोगी संस्थानों को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की। अमेरिका ने भारत को शर्तें नए शर्तें देने का प्रस्ताव भी किया जो भारत को मान्य नहीं था।

भारत के विदेश मंत्री ने फरवरी, 1986 में वाशिंगटन में व्यापक विचार-विमर्श किया और अक्टूबर, 1986 में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्पर्क बढ़ा। प्रौद्योगिकी-हस्तान्तरण सम्बन्धी समझौता हुआ। सम्बन्धों में सामान्य सुधार अवश्य हुआ तथापि अमेरिका की पाकिस्तान नीति के कारण भारत-अमेरिका सम्बन्धों में तनाव का वातावरण बना रहा। 9 अक्टूबर, 1987 को दोनों देशों के बीच सुपर कम्प्यूटर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच लगभग 4 अरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत के प्रधान मंत्री राजीव गाँधी 20 अक्टूबर, 1987 को वाशिंगटन में राष्ट्रपति रीगन से मिले। दोनों देशों में प्रतिरक्षा-सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। 21 अक्टूबर, 1987 को वाशिंगटन में ही श्री गाँधी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति में परिवर्तन आया है और वह इस्लामवाद को अपने सैनिक सहायता कार्यक्रम पर पुनर्विचार के लिए राजी हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत को नई टेक्नोलॉजी देने की पहल की है। श्री गाँधी का आशावाद और नया मूल्यांकन कहाँ तक सही उतरेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा।

रीगन और लेटिन अमेरिका

राष्ट्रपति रीगन ने यह बात तो दो टुक कह दी कि कम्युनिस्टों को लेटिन अमेरिका में अपनी गतिविधियों को सीमित करने के लिए एक रेखा खींचनी होगी, लेकिन इस बात को नजरअन्दाज कर दिया कि स्वयं अमेरिका लेटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। जुलाई, 1979 में सन्तप्त हुई निकारागुआ की सान्दिनिस्ता क्रान्ति ने आस-पास के पड़ोसी राष्ट्रों में एक नया जागरण पैदा किया और अलसाल्वाडोर में भी विद्रोह की भांग भड़क उठी। यह घटना अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए एक जबरदस्त चुनौती थी। कार्टर प्रशासन ने निकारागुआ क्रान्ति को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुत्तार-पुत्तार की कूटनीति का सहारा लिया और रीगन सरकार ने अलसाल्वाडोर को विदेश नीति का प्रथम परीक्षण स्थल बनाया। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ने घोषणा की कि अलसाल्वाडोर को ब्यूवाई और मोबियत समर्थित घातकवादी पड़पन्न का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। 23 फरवरी, 1981 को अमेरिकी विदेश-विभाग ने एक श्वेत-पत्र में यह दावा किया कि अलसाल्वाडोर के छापामारों को ब्यूबा, मोबियत मध, निकारागुआ, वियतनाम

ग़ौर इधियोपिया से सैनिक सहायता मिल रही है। इस प्रकार रीगन सरकार ने अलसाल्वाडोर में अपने हस्तक्षेप का आधार तैयार कर लिया। वास्तव में रीगन सरकार मध्य अमेरिका को साम्यवादी खतरे से बचाने के लिए 'मुनरो सिद्धान्त' की पक्षधर है। वह यह जरूरी मानती है कि क्यूबा को इस इलाके में मनमानी करने की प्राजादी दी जाए। 3 जून, 1981 को अमेरिका कांग्रेस में एक वक्तव्य देते हुए अन्तर-अमेरिकी मामलों के उप-विदेशमन्त्री टामस एण्डरसन ने मध्य अमेरिका में क्यूबाई खतरे का मुकाबला करने के लिए चार कदमों की घोषणा की—(1) अमेरिका सकटग्रस्त राष्ट्रों को निजी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता करेगा, (2) इन राष्ट्रों का अपने आत्म-निर्णय के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद देगा, (3) उन्हें आर्थिक सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा एवं (4) अमेरिका वर्तमान सकट के स्रोत पर आक्रमण करेगा। अमेरिका ने मध्य अमेरिका और कैरिबियाई राष्ट्रों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक 'लघु मार्शल योजना' की भी घोषणा की और इन राष्ट्रों को यकीन दिलाया कि निजी लागत तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जरिए बेहतर आर्थिक विकास सम्भव है। वस्तुतः रीगन की मध्य अमेरिकी और कैरिबियाई नीति इस धारणा पर आधारित है कि समस्त लैटिन अमेरिका उसके प्रभाव क्षेत्र में है। अतः इन इलाकों में किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप या प्रभाव को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। यह नीति 1923 में जेम्स मुनरो द्वारा प्रतिपादित की गई थी जिसका सार यह था कि "अमेरिका, अमेरिका के लिए है।" रीगन सरकार इस सिद्धान्त को पुनर्जीवित करना चाहती है, तभी उसने मध्य अमेरिका में अपनी सारी शक्ति लगा दी है।

अमेरिकी विदेश नीति का मूलधर्म

अमेरिकी विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य समूचे विश्व पर अपना सामरिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभाव स्थापित करना है। इसके लिए अमेरिका ने निम्न मार्ग अपनाए हैं—

(क) सम्पूर्ण विश्व में सामरिक अड्डों का विस्तार, (ख) थल, जल एवं अन्तरिक्ष में गुप्तचर तन्त्र का जाल, (ग) विश्वव्यापी संचार तन्त्र पर प्रभाव, (घ) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समझौते की भरमार, (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर नियन्त्रण, (च) साम्यवाद का विस्तार रोकने के नाम पर विश्व भर में सैनिक गुटबन्दी तथा दूसरे राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में परोक्ष रूप से हस्तक्षेप का प्रयास, (छ) मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं स्वहित-रक्षण की भाँड में छोटे देशों पर अपनी चौधराहट जमाने की कोशिश।

राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अव्यावहारिक आदर्शों की पुर्हाई देकर अमेरिकी विदेश नीति के इस लक्ष्य को दृष्टि से अंधे नहीं करते कि अमेरिका को अजेय महाशक्ति होना चाहिए। उनके इस सकल्पवादी और स्पष्टतावादी व्यक्तित्व ने अमेरिकी विदेश नीति को ये आयाम प्रदान किए हैं—

- (1) प्रबल सामरिक शक्ति का विकास,
- (2) सोवियत पूँजीवादी व्यक्तित्व का निखार,
- (3) मुट का खुला विरोध और अपने मित्र-देशों का ग्रन्थ समर्थन,
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं पर नियन्त्रण,
- (5) स्व-हित रक्षण के लिए कुछ भी करने की तैयारी,
- (6) विश्व शान्ति एवं निःशस्त्रीकरण के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण ।

प्रबल सामरिक शक्ति का विकास

अमेरिका आज अतुलनीय सामरिक शक्ति से सम्पन्न है । अपने परमाणु आयुधों को अमेरिका ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर रखा है । उसने यूरोप और पूर्वोत्तर अफ्रीका पर साम्यवादी विस्तार रोकने के लिए अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर में अपने नौसैनिक बेड़े स्थापित किए हैं । इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों को संरक्षण देने के लिए मिस्र, सोमालिया, इजराइल, जोर्डन आदि के साथ उसके सैनिक समझौते हैं । उसने इजराइल के साथ नई सैनिक सन्धि करके वहाँ आधुनिक आयुधों का भण्डार बनाने की सुविधा प्राप्त कर ली है और वह इस क्षेत्र पर निरन्तर निगरानी रखता है । मिस्र और इजराइल की सेनाओं के साथ उसके युद्धाम्यास भी होते रहते हैं । पश्चिम एशिया, उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका के देश अमेरिका के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । एक तो इस क्षेत्र के तेल पर अमेरिका तथा पश्चिमी जगत के अन्य देशों का जीवन निर्भर है, दूसरी ओर, यह क्षेत्र हिन्द महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है । हिन्द महासागर में स्थित अमेरिका का डियागोगार्सिया नौ-सैनिक अड्डे तक जाने का मार्ग यही है । अमेरिका नाटो सन्धि द्वारा पश्चिमी यूरोप से जुड़ा है । पश्चिमी जर्मनी व तुर्की के अड्डे तो अमेरिकी शक्ति के प्रतीक हैं ही, इनके अतिरिक्त ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, नीदरलैंड, ग्रीनलैंड आदि में भी अमेरिकी आयुध विद्यमान हैं । कैरेबियन सागर के द्वीप तथा अघिसस्य मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति से जुड़े हैं । सोवियत सघ को अफगानिस्तान से आगे न बढ़ने देने के लिए वह पाकिस्तान को अपनी छावनी बना रहा है । अमेरिका का सातवाँ नौ-सैनिक बेड़ा प्रशान्त महासागर में है । परमाणु शस्त्रों से युक्त वह बेड़ा सम्पूर्ण पूर्वी एशिया व प्रशान्त में अमेरिकी हितों का संरक्षक है । दक्षिण प्रशान्त अथवा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी इसके युद्धपोत गश्त लगाते रहते हैं । इधर चीन ने भी अमेरिका को अपने बन्दरगाहों पर युद्धपोत लाने की सुविधा दी है । ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के बन्दरगाहों पर तो अमेरिकी युद्धपोतों का आवागमन बना ही रहता है ।

दक्षिण एशिया में अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा शिकार भारत हुआ है । अमेरिका ने भारत के चतुर्दिक बसे छोटे-छोटे देशों को अपने बँधक-जाल में फँस रखा है । पाकिस्तान को अमेरिका से सर्वाधिक आर्थिक और सामरिक सहायता मिली है । थीतका में भी अमेरिकी ट्रांसमीटर कार्यरत हैं । बंगलादेश ने भी

उसे बन्दरगाह की सुविधा देना स्वीकार किया है। इस प्रकार अमेरिका ने भारत के चतुर्दिक् अपना जाल विछा रखा है। चीन के साथ अमेरिका के आणविक समझौते के बाद और अक्सार्ड चिन मार्ग के माध्यम से इस्लामावाद एवं चीन के सिक्किम प्रांत के मिल जाने से भारतीय सीमा पूरी तरह खिंच जाती है। चूंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के मित्र देश हैं। इसका सामना भारत को स्वयं ही करना है, इसी से भारत की शक्ति बढ़ेगी।

अमेरिका के पूँजीवादी व्यक्तित्व का निखार

रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में अमेरिका का पूँजीवादी व्यक्तित्व निखरा है। अमेरिका में मुद्रास्फीति कम करने के नाम पर राष्ट्रपति रीगन ने जन-कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की है। विकासशील देशों के निर्यात के विरुद्ध व्यापार-संरक्षणवाद को प्रोत्साहन देकर मुगलान सन्तुलन का जन्तुर बड़ा दिया गया है। अमेरिका ने विश्व की वित्तीय संस्थाओं को दिए जाने वाले अपने अंश में भारी कटौती की है। विकासशील देश अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण के शिकार हो गए हैं। अमेरिका ने अगर किसी मद में सर्वाधिक व्यय किया है तो वह है अस्त्रास्त्र का उत्पादन और उनके लिए वैज्ञानिक शोध। रीगन ने चीन को आणविक सयंत्र बेचने के सौदे किए हैं तथा अन्य सामरिक साज-सामान और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी उसे दी जा रही है। भारत भी अमेरिकी निजी-कंपनियों से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी खरीदने को विवश है। चूंकि अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में अपने अंश कम कर दिए हैं, अतः विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ और भारतीय सहायता क्लब से जितनी मदद की आशा थी, उतनी मदद नहीं मिल सकी है। चीन के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में भी अमेरिका अपनी पूँजी लगा रहा है। यह साम्यवाद के दुर्ग में पूँजीवाद की संघ है।

अमेरिका ने यूनेस्को छोड़कर अपने पूँजीवादी चरित्र का ही परिचय दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान, इजराइल, चीन, मिस्र आदि देशों में अमेरिकी पूँजी का बड़े पैमाने पर विनियोग हो रहा है। अमेरिका ने मिट्ट किया है कि पूँजीवाद साम्यवाद की अपेक्षा अधिक मजबूत और गतिशील होता है।

सोवियत-गुट का विरोध एवं मित्र देशों का अन्ध समर्थन

अमेरिका के कई राष्ट्रपति जैसे—जाइजन्हावर तथा रिचर्ड निक्सन अपनी अनुदारता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं किन्तु राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। रीगन सरकार ने 1982 के अप्रैल में मालदिनाम द्वीप (फाकलैण्ड) पर ब्रिटिश हमले का समर्थन किया। उसी वर्ष जून में लेबनान पर इजराइली हमले को भी तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री अलेंक्जेण्डर हेग का मौन समर्थन था। नामीबिया को मुक्त कराने के लिए सधरपरत 'स्वापो' के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका को रीगन प्रशासन ने पूरी तरह समर्थन दिया। दक्षिण अफ्रीका के

विरुद्ध आंशिक प्रतिबन्ध लगाकर भी रोगन ने गुप्त रीति से उसकी सहायता करने का मार्ग खोज रखा है।

दूसरी ओर अमेरिका अफगानिस्तान, कम्बूचिया, निकारागुआ आदि देशों में छापामार मुद्रा करने वालों को खुलेआम सहायता करता है। पाकिस्तान को जो आर्थिक और सामरिक मदद दी गई उसका कारण रूस के विस्तार को रोकना बताया गया। ईराक के आणविक मयत्र पर इजरायली हमला, ट्यूनिशिया के फिलिस्तीनी मुख्यालय का इजरायली बमों का निशाना बनाया जाना, भूमध्यसागर में युद्धाम्नास करके सीविया को भयभीत करने का प्रयास अथवा लीबिया के विरुद्ध जनवरी 1968 में लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्ध आदि अमेरिका की कट्टरपथी नीतियों के जीते-जागते प्रमाण हैं। इसी प्रकार पहले भी रूस को पाइपो की विक्री पर रोक, पोर्तण्ड के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध, यूरोपीय देशों में पर्शिंग-2 और क्रूज मिसाइलों की सफल स्थापना, ईरान को प्रत्येक क्षण धमकी, श्रीलंका को त्रिकोमाली बन्दरगाह में सामरिक सुविधा के लिए पुरस्कृत किया जाना, कम्बूचिया के छापामारों को थाइलैण्ड के माध्यम से सहायता आदि कार्य इसी श्रेणी में आते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं पर नियन्त्रण

राष्ट्रसभ की स्थापना में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसमें सम्बद्ध महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रत्यास परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के विकास में भी अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रहा है। दूसरी ओर, राष्ट्रसभ की विफलता के लिए भी अमेरिका कम उत्तरदायी नहीं है। आज राष्ट्रसभ अमेरिका और सोवियत गुटों का अखाड़ा बना हुआ है। चूंकि रूस कई दृष्टियों से राष्ट्रसभ को उस तरह प्रभावित नहीं कर सकता जिस रूप में अमेरिका कर सकता है। अतः प्रायः अमेरिका की इच्छानुसार ही राष्ट्रसभ से सम्बन्धित सगठन चलते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों जैसे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ, विश्व खाद्य सगठन, यूनीसेफ, यूनिडो, यूनेस्को आदि को भी अमेरिका सर्वाधिक प्रभावित करता है।

स्वहित रक्षण के लिए कुछ भी करने की तैयारी

विश्व के सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों में जानूसी करते हैं, लेकिन अमेरिका की सेन्ट्रल इटेलीजेन्स एजेंसी (सी. आई. ए.) तो अन्य शब्दों में हत्याएँ कराने, सरकारें उलटने तथा स्वर्ण, सुरा और सुन्दरी के माध्यम से अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए अमानवीय हथकण्डे अपनाने के लिए कुख्यात है। अमेरिका उपग्रहों के माध्यम से भी जानूसी करता है। कभी-कभी शिक्षा, पर्यटन, धर्म, आदि का सहारा लेकर सी. आई. ए. दूसरे देशों में अपना जाल फैला लेती है।

विश्व-शान्ति व निःशस्त्रीकरण के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण

विश्व-शान्ति, शास्त्र परिसीमन, निःशस्त्रीकरण, आदि के नारे लगाने में अमेरिका को भी रूस के पीछे चलना पड़ा है किन्तु इस मामले में उसका दृष्टिकोण

व्यावहारिक रहा है। वह विश्व-शान्ति के लिए शक्ति सन्तुलन को अनिवार्य मानता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपनी शक्ति की भूमिका और उसके महत्त्व पर बल देता है।

आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा अमेरिका ने अपने लिए एक विशाल प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की चेष्टा की है जिसमें वह काफी हद तक सफल हुआ है। अमेरिका इस बात से परिचित है कि आज के युग में युद्ध पूर्व साम्राज्यवादी व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता किन्तु वह अपने आर्थिक साम्राज्य के प्रसार तथा दुनिया भर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने को प्रयत्नशील रहता है। अमेरिका विश्व का एक महान् लोकतन्त्रात्मक देश है लेकिन यूरोप, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के नस्लवादी तथा सैनिक-तानाशाही-मूलक शासन-व्यवस्थाओं वाले राष्ट्रों को उसका पूरा समर्थन प्राप्त होता रहा है। सप्ताह के तटस्थ और गुट-निरपेक्ष राष्ट्र उसे खटकते हैं और वह अपनी अपार आर्थिक सम्पदा के बल पर उन्हें खरीदने की कोशिश करता है।

अमेरिका की विदेश नीति को काल्पनिक आदर्शों की दृष्टि से देखने की बजाए यदि राष्ट्रीय हितों की सिद्धि तथा शक्ति-सम्पन्नता की कसौटियों पर कसा जाए तो वह मोटे तौर पर अमेरिका के लिए खरी उतरती है। दूसरे देशों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक सर्वथा भिन्न बात है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक मन्दराचल है जिससे दो महाशक्तियाँ शेष (विश्व के शेष राष्ट्र) की रस्सी के द्वारा शक्ति मन्थन कर रही हैं। इस प्रक्रिया में शेष पिस रहा है पर उसकी किसे चिन्ता है।



1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के फलस्वरूप वर्तमान साम्यवादी रूस अस्तित्व में आया। रूस के नए शासन ने अपने देश को महायुद्ध से पृथक् कर दिया। दो महायुद्धों के बीच की अवधि में रूस उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। द्वितीय महायुद्धकालीन घोर विनाश के बावजूद अन्त में सोवियत रूस ने महान् राजनीतिक और प्रादेशिक लाभ अर्जित किए। महायुद्ध के उपरान्त मयुक्तराज्य अमेरिका की टक्कर का यदि कोई देश था तो वह सोवियत संघ ही था, किन्तु आणविक शक्ति पर एकाधिकार के कारण रूस की अवहेलना करना अमेरिका के लिए आसान था। यह स्थिति कुछ ही वर्षों बाद पलट गई क्योंकि रूस भी अणु-शक्ति का स्वामी बन गया। आज स्थिति यह है कि अमेरिका और रूस दोनों लगभग सम्मान टक्कर की महाशक्तियाँ हैं। धन-सम्पन्नता में अमेरिका अग्रणी है, सैनिक दृष्टि से भी कुछ राष्ट्र अमेरिका को उच्चतर समझते हैं, लेकिन यह कहना बस्तुतः कठिन है कि सोवियत शक्ति अमेरिका की तुलना में कहाँ तक कम है। दोनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे के सम्पूर्ण विनाश में समर्थ हैं और इसलिए विगत कुछ वर्षों से दोनों सह-अस्तित्व की दिशा में अग्रसर हुए हैं। चीन और भारत दो महान् सन्तुलनकारी शक्तियाँ हैं जिनमें चीन अमेरिका के पक्ष में झुकता जा रहा है और भारत तथा रूस घनिष्ठ मित्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ की विदेश नीति को दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) उग्रवादी नीति का स्टालिन युग (1945-1953)

(ख) जान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का स्टालिनोत्तर युग (1953 से अब तक)—मंलेकोव काल (1953-54), ख्रुश्चेव काल (1954-64), ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (1964-79), ब्रेझ्नेव तिखोन्चोव काल (1980-82), यूरी-ब्रान्द्रोपोव काल (1982-84), चेरनेन्को काल (1984-85), गोर्बाच्योव काल (मार्च, 1985 से)।

स्टालिन युग (1945-1953)

महायुद्ध-काल में स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन महायुद्ध के बाद पश्चिम के प्रति शकालु होकर उसने अत्यन्त उग्र हठी विदेश नीति अपनाई। स्टालिन ने शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। पामर एव पक्सि के शब्दों में, "युद्धोत्तर सोवियत नीति कम से कम 8 वर्ष अर्थात् 1953 तक पश्चिम के प्रति शत्रुता, असहयोग और अलगाव की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ, सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के दृढीकरण तथा सामान्य हठधर्मिता की विज्ञेपताओं से युक्त रही थी।"¹ जिन प्रमुख कारणों से स्टालिन ने उग्रवादी नीति अपनाई, वे ये थे—

1 महायुद्ध-काल में ही पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध विपरीता प्रचार शुरू कर दिया था।

2. पश्चिमी देशों ने रूस को सैनिक सहायता बहुत कम दी। स्टालिन के मन में यह बात बैठ गई कि पश्चिमी राष्ट्र वास्तव में यह चाहते थे कि रूस जर्मनी के साथ सघर्ष में विलकुल कमजोर हो जाए।

3 अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रूस से गुप्त रखा और स्टालिन ने इसे विश्वासघात माना।

4 युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत-संघ को 'लेंड-लीज एक्ट' के अन्तर्गत दी जाने वाली आंशिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी।

5 युद्ध के बाद अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों ने जो नीति अपनाई उससे यही प्रतीत हुआ कि सोवियत संघ के विरुद्ध पड़पन्न रच रहे हैं।

6 युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ की स्थिति सामरिक और अर्थ-दृष्टियों से बहुत अच्छी थी। रूसी सेनाएँ मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार जमाएँ बैठी थीं। पश्चिमी यूरोप आधिक सक्कट में था और साम्यवाद के प्रसार के लिए वहाँ अच्छी सम्भावनाएँ थीं। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध असन्तोष का सागर उमड़ रहा था। अतः स्टालिन ने सोचा कि चारों ओर स्थितियाँ ऐसी हैं कि साम्यवाद अपने पैर जमा सकता है। यदि पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई तो रूस लूट-लूट और जोर-जबरदस्ती द्वारा राजनीतिक और प्रादेशिक लाभ उठाने से बचत रह जाएगा।

इन अनुकूल परिस्थितियों में स्टालिन ने यही उपयुक्त समझा कि पश्चिम पर आरोप लगाए जाएँ, पुरानी बातों को कुरेदा जाए, शीतयुद्ध को तीव्र कर पश्चिम के प्रस्तावों के प्रति अडिगेबाजी की नीति से अधिकधिक लाभ उठाया जाए। 6 नवम्बर, 1947 को तत्कालीन रूसी विदेशमन्त्री मोलोटोव ने कहा—“हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की ओर जाने वाली हैं।”

विदेश नीति के मुख्य तत्त्व व विशेषताएँ

स्टालिन युग में सोवियत विदेश नीति के निम्नलिखित तत्त्व थे—

1. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव का विस्तार किया जाए।
2. विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार किया जाए।
3. पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति विरोधी रुख अपना कर शीतयुद्ध को तीव्र बनाकर अधिकाधिक राजनीतिक लाभ उठाया जाए।
4. लौह-घावरण की नीति को अपनाकर ऐसी ध्यवस्था की जाए कि साम्यवादी जगत् में पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार प्रवेश न कर सके।
5. एशिया, अफ्रीका आदि में उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और शान्तिवादी आन्दोलन छेड़ दिया जाए।
6. संयुक्त राष्ट्रसंघ को शीतयुद्ध का मंच बना दिया जाए, तथा वहाँ बाधा उपस्थित कर राजनीतिक हितों की रक्षा की जाए। सुरक्षा-परिषद् में वीटो के प्रयोग से पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों को निरस्त किया जाए।

सोवियत विदेश नीति के इन तत्त्वों से ऐसा प्रतीत होता है मानो स्टालिन ने ही अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को गन्दा बनाया और पश्चिमी देशों के न्यायपूर्ण रुख को ठुकराया, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। स्टालिन के सामने रूसी हित तो सर्वोपरि थे ही, पश्चिमी देशों का रुखा भी इस प्रकार का रहा कि स्टालिन को उन पर विश्वास नहीं हुआ। स्टालिन की जगह यदि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होता तो वह भी तत्कालीन परिस्थितियों में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग न कर पाता। विजय के नये में फूले हुए अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने निरन्तर सोवियत रुख को दबाए रखने की नीति अपनाई तथा साम्यवाद के विनाश की चालें खेती। बाध्य होकर सोवियत सभ ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। स्टालिन अपने शासन काल में सदैव कठोर और निर्मम रहा था, अतः उमसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह पश्चिमी देशों के प्रति उदार होगा।

स्टालिन की नीतियों को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का अनुशीलन करना होगा—

1 सोवियत रूस के युद्धोत्तर उद्देश्य—द्वितीय महायुद्ध में सोवियत सभ के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित थे। अधिवांश रूप से वे रूस के ऐतिहासिक उद्देश्य थे। 1945 महायुद्ध के अवसर पर जारी-शासित रूस अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका जबकि द्वितीय महायुद्ध में साम्यवादी रूस अपने अधिवांश लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से रूस तीन दिशाओं में विस्तार का आकांक्षी था—पश्चिम की ओर यूरोप में, दक्षिण की ओर पूर्वी भूमध्यसागर के निकटवर्ती प्रदेश में तथा पूर्व में प्रशान्त महासागर की ओर। रूसी विस्तार के इस प्रत्यक्ष क्षेत्र के अतिरिक्त दीर्घकाल के रूस ने यूरोप के अपने पड़ोसी देशों पर भी इस आकार पर प्रभाव जमाना चाहा कि वे प्रायः आक्रामक रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध में सोवियत रूस ने अपनी ऐतिहासिक विस्तार प्रक्रिया का अनुसरण किया और जब

महायुद्ध का अन्त हुआ तो वह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुका था। रूस ने अपनी सीमा में इतिहास में पहली बार सभी रूसी छावादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया, पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और सुदूरपूर्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ रखी। यह सब कुछ प्राप्त करने पर भी पूर्व भूमध्य सागर के सम्बन्ध में रूस अपने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

2. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार—सोवियत सेना ने नाजी सेना को पराजित करके पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों पर अधिकार कर लिया था। इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने जर्मनी के विरुद्ध छापाभार सघनों का नेतृत्व किया था। युद्धोपरान्त इन देशों की राजनीतिक सत्ता सोवियत सघ ने इन्हीं साम्यवादियों के हाथों में सीपी। इस प्रकार सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के विस्तार का मार्ग सरल हो गया। युद्ध के उपरान्त 1948 तक की तीन वर्षों की अत्यावधि में ही यूरोप के मातृ देशों में सोवियत सघ ने साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। उसने 1947 और 1948 की सन्धियों द्वारा फिनलैंड को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया। फिनलैंड की स्वतन्त्रता तो कायम रही लेकिन उसे वह वचन देना पड़ा कि वह सोवियत विरोधी विदेश नीति नहीं अपनाएगा। स्टालिन ने इस प्रकार सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा पक्ष को सुदृढ़ बनाया। इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के लिए भी समझौते किए गए। 1947 की 'मोलोटोव योजना' में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उनके आयोगीकरण पर बल दिया गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी के साथ व्यापारिक सन्धियाँ की गईं। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग को घनिष्ठ बनाने के लिए 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् स्थापित की गई। यह 'काम-कान' पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम' (European Recovery Programme E. R. P.) की एक प्रकार में जवाबी कार्यवाही थी। सोवियत सघ में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मंनिक सन्धियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थी। इसके बाद मार्च 1946 से अप्रैल, 1949 तक 17 द्विपक्षीय सन्धियाँ की गईं। आगे चलकर मई, 1955 में इन देशों ने वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार ये देश सोवियत सघ के साथ और भी अधिक सुदृढ़ता से बंध गए।

रूस का प्रादेशिक प्रभुत्व विस्तार वस्तुतः आश्चर्यजनक था। 1939 में रूस ने अपने क्षेत्र में लगभग 27 करोड़ 40 लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली, साथ ही लगभग 36 करोड़ वर्गमील क्षेत्र के सात राज्य मास्को के मन्थक बन गए। इन देशों के अतिरिक्त अधिवृत्त पूर्वी जर्मनी भी रूसी सरकार में ही था और वहाँ समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित शासन प्रणाली कायम की जा चुकी थी।

3 विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार—द्वितीय महायुद्ध के बाद मास्को ने साम्यवादी क्रांति के प्रसार की नीति का अनुसरण धारण कर दिया।

साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा सभी प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया। यूनान के गृहयुद्ध में यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों—अल्बानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया द्वारा सहायता पहुँचाई गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International विश्वव्यापी क्रान्ति के कार्यों को प्रतिरुद्ध करने के लिए 1947 में वारसा में एकत्रित यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगरी, पोलैण्ड, रूस, फ्राँस, चेकोस्लोवाकिया और इटली की साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने बेलग्रेड में 'साम्यवादी सूचना संस्थान' या कोमिनफोर्म (Communist Information Bureau : Cominform) की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि "संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा पिछला युद्ध विश्व मण्डियों में प्रतियोगिता की समाप्ति के लिए लड़ा गया था, किन्तु रूस ने यह युद्ध यूरोप में लोकतन्त्र के पुनर्निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लड़ा था।" कोमिनफोर्म का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकारें स्थापित हों, पुराने बुर्जुआ साम्राज्यों का विनाश हो और इस साम्यवादी विचारधारा के आधार पर नवीन सोवियत साम्राज्य का निर्माण हो। अपने इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टालिन ने युद्धोत्तर विश्व समस्याओं के समाधान में शीघ्रता नहीं ली। वह अडमेटोवाजी द्वारा शान्ति-व्यवस्था में विलम्ब करना चाहता था ताकि सत्तार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल बन जाए।

4 तुर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया पर सोवियत दबाव—स्टालिन काल में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहाँ हर प्रकार से सफलता का पलड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा, वहाँ रूस को तुर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में निश्चित असफलताओं का सामना करना पड़ा। सोवियत दबाव की नीति अन्ततोगत्वा सफल न हो सकी।

(क) तुर्की—पूर्वी यूरोप के देशों को अनुगामी बनाकर रूस पश्चिम से होने वाले सम्भावित आक्रमणों के प्रति तो सुरक्षित हो गया, लेकिन रूस के विरुद्ध युद्ध करने का दूसरा पुराना मार्ग अभी खुला था और यह मार्ग पूर्वी भूमध्यसागर तथा फारस की खाड़ी के निकटवर्ती देशों—यूनान, तुर्की और ईरान से होकर था। दक्षिण से होने वाले आक्रमण के विरुद्ध सोवियत सुरक्षा की मुख्य समस्या थोसफोरस और डाइडनलीज जलडमरूमध्य पर नियन्त्रण की थी। सोवियत नेताओं ने द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ होते ही इस समस्या पर विचार किया और समय के साथ अपनी योजना को व्यावहारिक रूप देना शुरू कर दिया। युद्धकाल में रूस ने जलडमरूमध्य की समुक्त सुरक्षा के लिए तुर्की से सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति चाही, लेकिन ब्रिटेन और फ्राँस की अपनी पीठ पर देखकर तुर्की ने सोवियत माँग ठुकरा दी। यद्यपि

फरवरी, 1945 में तुर्की ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर मित्रराष्ट्रों का साथ दिया, लेकिन 'देरी से अपनाए गए इस रुख के कारण' वह सोवियत दबाव से मुक्त नहीं रह सका। रूसी समाचार-पत्रों ने तुर्की के विरुद्ध अपना अभियान छोड़ा, लेकिन तुर्की दबाव में नहीं आया—क्योंकि एक तो ब्रिटेन और फ्रांस का उसे समर्थन प्राप्त था और दूसरे तुर्की में साम्यवादी दल के रूप में 'पंचमार्गी तत्त्व' नहीं थे जो रूस के पक्ष में तुर्की सरकार पर दबाव डालते। युद्ध के उपरान्त जब 'शीत-युद्ध' आरम्भ हुआ तो पश्चिमी राष्ट्रों ने दृढ़ता से तुर्की का समर्थन किया। अक्टूबर, 1946 में सोवियत-तुर्की समझौता-वार्ता भंग हो गई, परन्तु तुर्की रूसी दबाव के सामने झुका नहीं।

(ख) ईरान—1941 में रूस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने ईरान पर अधिकार कर लिया था। युद्ध-काल में रूस ने अपने अधिकृत प्रदेश में एक गुप्त साम्यवादी दल 'नुदेह दल' को प्रोत्साहित किया जिसने रूसी अजरबैजान के निकट ईरानी अजरबैजान के पृथक्करण के लिए आन्दोलन किया। युद्धोपरान्त 1946 के प्रारम्भ में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने ईरान खाली कर दिया, लेकिन सोवियत सेना उठी रही। मामला सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत हुआ लेकिन सोवियत मध्य ने ईरान से सेना नहीं हटाई। अन्ततः प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 24 मार्च, 1946 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें रूस ने उत्तरी ईरान में तेल सम्बन्धी सुविधा प्राप्त कर अपने सैनिकों को ईरान से हटाना स्वीकार कर लिया। सोवियत सेना के लौट जाने के बाद ईरानी सैनिकों ने अजरबैजान-प्रदेश में प्रवेश किया और पृथक्तावादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद ही ईरान की समद ने सोवियत रूस को दी गई तेल सम्बन्धी सुविधा को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया। रूस ने ईरान के विरुद्ध प्रचार-अभियान छोड़ा और ईरान में उमी हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया, लेकिन अमेरिका ने, जो 'ट्रूमैन मिद्दान्त' के अनुसार पहले से ही यूनान और तुर्की को सैनिक तथा आर्थिक सहायता दे रहा था, ईरान को 2 करोड़ 50 लाख डॉलर की सैनिक सहायता और ईरानी सेना को मगठित करने के लिए सैनिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ईरान में रूसी हस्तक्षेप का भय टल गया।

(ग) यूनान—यहाँ भी साम्यवादी शासन की स्थापना के रूसी प्रयत्न अमफल रहे। 1944 में बर्लिन और स्टालिन ने मास्को में यह स्वीकार किया था कि यूनान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में रहेगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र-राष्ट्रों का सहयोग बिखर गया। सम्भवतः रूसी स्वीकृति में मई, 1946 में साम्यवादियों ने पूरी शक्ति में यह-युद्ध छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार ने, जो यूनान सरकार को निरन्तर सहायता दे रही थी, अमेरिका को सूचित किया कि वह यूनान को और अधिक सहायता देने में असमर्थ है और अमेरिका ने 'ट्रूमैन मिद्दान्त' के अन्तर्गत यूनान को सहायता देने का निश्चय किया। पर सहायता से पूर्व ही अमेरिका का एक सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल यूनान पहुँच गया ताकि यूनानी सेना की सहायता ही जा

सके। साम्यवादियों ने एथेस की सरकार को अमेरिकी साम्राज्य की कठपुतली कहकर निन्दा की और एक अस्थायी मुक्त-यूनान सरकार का गठन कर लिया, लेकिन धीरे-धीरे एथेस सरकार ने अमेरिकी सरकार की सहायता से अपनी मीना को सुसंगठित कर लिया और अक्टूबर, 1949 में साम्यवादी प्रतिरोध ठंडा हो गया।

(घ) यूगोस्लाविया—सोवियत सघ को सबसे बड़ी अमफलता यूगोस्लाविया के मामले में प्राप्त हुई। कुछ समय तक रूसी गुट में बने रहने के बाद यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टोटो ने रूस के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और जून, 1948 में यूगोस्लाविया रूसी गुट से पृथक् हो गया। स्टालिन ने मार्शल टोटो पर हर प्रकार से दबाव डालने की कोशिश की, किन्तु वह टोटो को अपने नियन्त्रण में नहीं ला सका। टोटो का यह विल्कुल पसन्द नहीं था कि यूगोस्लाविया स्थित सोवियत सेना यूगोस्लाविया के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, अतः उसने सोवियत नागरिक और सैनिक अफसरो पर कड़ी निगरानी रखते हुए स्टालिन से स्पष्ट शब्दों में माँग की कि रूसी फौजे यूगोस्लाविया क्षेत्र से हटा ली जाएँ।

स्टालिन और टोटो के मतभेद बढ़ते गए। फलस्वरूप 28 जून, 1948 को कोमिन्फोर्म (Communist Information Bureau : Cominform) ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी पर यह आरोप लगाकर उसे अपनी सदस्यता से वंचित कर दिया कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। प्रस्ताव में कुछ और भी आरोप लगाए गए। 29 जून को यूगोस्लाव नेताओं ने कोमिन्फोर्म द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सोवियत सघ और यूगोस्लाविया के बीच शीत-युद्ध की स्थिति पैदा हो गई जो स्टालिन की मृत्युपर्यन्त (मार्च, 1953) चालू रही। वास्तव में स्टालिन ने टोटो को अपने ममकक्ष मानने से इन्कार कर दिया और उनके प्रति पूर्ण विरोध की नीति अपनाई।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के 'भाईचारे' के विरुद्ध किए गए टोटो के इस विद्रोह का पश्चिमी देशों ने स्वभावतः मुक्त कंठ से स्वागत किया। इस विद्रोह को 'सोवियत साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्रोह का सूचक' समझा गया। जुलाई, 1948 में समुक्त राज्य अमेरिका ने यूगोस्लाविया की 6 करोड़ डॉलर की सम्पत्ति उसे लौटा दी। यूगोस्लाविया ने भी अमेरिका को 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का भुगतान दिया। अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी इसी तरह के सद्भावनापूर्ण और लैन-देन की भावना के ममझीते किए गए। मार्शल टोटो ने सोवियत रूस से क्षुब्ध होकर पूर्वी यूरोप के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा पश्चिमी देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया, किन्तु यह मर्दव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहे।

5 पश्चिम का विरोध और शीतयुद्ध की उग्रता—सोवियत रूस द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना के प्रयत्नों और पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेष्टाओं के कारण सोवियत सघ और पश्चिम की 'विविध मैत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्षों के

बन्दर ही दोनों गुटों में उग्र शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया। पराजित राज्यों के साथ सन्धियों की शर्तों, इटली के उपनिवेशों तथा राष्ट्रसंघ के मैसेट वाले प्रदेशों का विभाजन, जर्मनी का निःशस्त्रीकरण और एकीकरण, पश्चिमी देशों तथा रूस के लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों में मौलिक अन्तर, क्षतिपूर्ति, मध्यपूर्व में प्रभुत्व के लिए तीव्र प्रतियोगिता आदि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में शीतयुद्ध की तीव्रता बढ़ी। पश्चिमी राष्ट्र कीमिनफोर्म की गतिविधियों और स्टालिन की हठधर्मी से आशंकित हो गए। उपर सोवियत संघ का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि पश्चिमी राष्ट्र उसके उन्मूलन का पड्यन्त्र रच रहे हैं। रूस की दृष्टि में ट्रूमैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, वॉलिन के घेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान व जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण, ग्रूमैन एव प्लेबन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि शत्रुतापूर्ण कार्य थे।

स्टालिन ने अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व का जामा पहनाया, परन्तु उनकी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो गया कि 'शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व' की नीति से उसका अभिप्राय केवल इतना ही था कि दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध नहीं होना चाहिए। एक प्रचारात्मक वाग्युद्ध और कोरिया जैसे स्वानीय युद्धों को वह इस नीति के विरुद्ध नहीं समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों में तनाव बढ़ता चला गया।

6 लौह आवरण की नीति—महायुद्ध के उपरान्त स्टालिन ने 'लौह-आवरण' (Iron Curtain) की नीति अपनाई ताकि साम्यवादी जगत् को सभी प्रकार के पाश्चात्य प्रभावों से मुक्त रखा जा सके। अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्रराष्ट्रों ने साम्यवादी देशों के आसपास अज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित करके साम्यवाद के विरुद्ध जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। इन रेडियो स्टेशनों के नाम 'आजाद हंगरी रेडियो', 'आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रखे गए। स्टालिन समझ गया कि पश्चिमी देश साम्यवादी व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते हैं, अतः उसने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों और रूस के चारों ओर कठोर प्रतिबन्धों की ऐसी व्यवस्था की कि उनके भीतर अमेरिका एव अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार न पहुँच सके। स्टालिन ने निर्णय कर लिया कि वह रूस एव पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत् को गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक् रखेगा। 1945 से ही ऐसे कानून बनाए जाने लगे जिसे बाह्य जगत् के साथ रूसियों का सम्पर्क रूढ़ जाए। एक कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रूस में आए हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के साथ विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों को निषिद्ध ठहरा दिया गया। विदेशी राजदूतों तथा पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत बठोरता का व्यवहार किया गया। विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों पर बठोर अनुज्ञासनात्मक प्रतिबन्ध लगाए गए तथा रूसी प्रेम पर भी कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया।

7. अफ्रीका तथा एशिया के प्रति सोवियत नीति एवं शान्ति आन्दोलन—
अफ्रीका एवं एशिया के प्रति स्टालिन की नीति विवेकपूर्ण किन्तु अनुदार थी। उसने मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि करने की चेष्टा और दक्षिणी कोरिया को साम्यवादी बनाने के लिए कोरिया युद्ध की प्रेरणा दी। यद्यपि स्टालिन कम साम्राज्यवादी था, तथापि उसने एशिया और अफ्रीका में पराधीन राष्ट्रों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन किया और साम्राज्यवाद की निन्दा की। पश्चिमी राष्ट्रों का दृष्टिकोण ऐसा था जिससे एशिया और अफ्रीका की जनता को यह महसूस हुआ कि ये राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप में उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहे हैं।

साम्राज्यवाद विरोधी नीति के साथ ही सोवियत सघ ने 'शान्ति-आन्दोलन' (Peace Offensive) आरम्भ किया और पश्चिम को युद्ध-लोभु (War-Monger) कह कर बदनाम करने की चेष्टा की। स्टालिन का 'शान्ति-आन्दोलन' एक चातुर्यपूर्ण और सफल चाल सिद्ध हुई। सोवियत सघ की प्रेरणा पर 1950 में स्टॉकहोम में विश्व-शान्ति सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील की गई। अपील में कहा गया—

"हम इस बात की मांग करते हैं कि मानव-जाति के सामूहिक उन्मूलन और आतंक के अस्त्र के रूप में आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। हम यह मांग करते हैं कि इस पर कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाए। हम उस सरकार को युद्ध-अपराधी ममभंगे जो किनी देज के विरुद्ध इस अस्त्र का प्रयोग करने में पहल करेगी।"

प्रचार की दृष्टि से यह आन्दोलन बहुत सफल और लोकप्रिय सिद्ध हुआ। अपील पर कुछ समय में ही लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। शक्ति आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को बहुत प्रभावित किया। वे साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत रूस को पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और उपनिवेशवाद-विरोधी मानने लगे।

8. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत नीति—स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत सघ ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। संयुक्त-राष्ट्रसंघ इसी विश्वास पर आधारित था (और है) कि महाशक्तियाँ, विशेषतः सोवियत सघ और संयुक्तराज्य अमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य करते हुए सघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महायुक्त बनेगी; परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी। अपने जन्म के कुछ ही समय उपरान्त संघ शीतयुद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया। लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर रूच के मंच पर उपस्थित हुए। मंच में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्पष्ट बहुमत था और सोवियत रूस ने स्वयं को एक स्थाई एवं निरन्तर अल्पमत में पाया। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिबन्धन होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उनके पास इसके प्रतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद् में अपने निर्णयों का बहिष्कार वा दृढ़ता से प्रयोग करे। कोरिया युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठकों का

बहिष्कार कर दिया लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही सयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकी। घटना से रूस ने समझ लिया कि सयुक्त राष्ट्र सघ से बाहर रहकर प्रयत्न करने की अपेक्षा वह सयुक्त राष्ट्रसघ की कार्यवाहियों में भाग लेकर तथा परिषद् की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के इरादों को अधिक अच्छी तरह विफल कर सकता है। इस अनुभूति के बाद फिर कभी रूस ने सघ की बैठकों का बहिष्कार नहीं किया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत सघ ने सुरक्षा परिषद् में अपने निपेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को, जिनमें कश्मीर प्रस्ताव भी शामिल है, धराशायी किया।

9 रूस का पुनर्निर्माण—रूस ने महायुद्ध में हुई क्षति की पूर्ति तेजी से कर ली। रूसी नागरिकों में आत्मा-विश्वास का अभूतपूर्व प्रादुर्भाव हुआ। रूस ने समाजवादी पद्धति के कारण द्रुत गति से पुनर्निर्माण कर लिया और नाजी आक्रमण की कड़वी स्मृतियों को मिटा डाला। युद्ध समाप्त होने पर भी रूसी सेना में कोई विशेष कमी नहीं की गई, साथ ही आधुनिकतम ज्ञानास्त्र बनाने पर विशाल धनराशि व्यय की गई।

10. अणु-शक्ति के रूप में उदय—सैनिक स्तर पर सच्चे अर्थों में एक महाशक्ति बनने के लिए अब यह आवश्यक हो गया था कि रूस भी अमेरिका के समान अणु शक्ति का स्वामी बने। रूस ने इस दिशा में प्राणपन से चेष्टा की और 29 अगस्त, 1949 को अपना प्रथम अणुबम का सफल परीक्षण किया। इससे रूस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में चार बाँद लग गए तथा उसे सयुक्तराज्य अमेरिका का वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी माना जाने लगा। रूस ने अल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के अणु आयुद्धों और अणुबमों का निर्माण कर अमेरिका के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर दी। 12 अगस्त, 1953 को वह अमेरिका की तरह परमाणु-परीक्षण में भी नफल रहा तथा परमाणु शास्त्रास्त्र के युग में प्रवेश कर गया।

स्टालिन की विदेश नीति का मूल्यांकन

स्टालिन ने एक आक्रामक, गतिशील, अडगेबाजीपूर्ण और लौह आवरणवादी तथा समझौता विरोधी नीति का अनुसरण किया, पूर्वी यूरोप में अपने बचनों को झुठलाकर सोवियत प्रभुत्व का विस्तार किया, यूनान के गृह-युद्ध में मार्क्सवादियों की सहायता की, तुर्की पर वासफोरम तथा डाडेनेलीज के जलमडरूमध्यों के सम्बन्ध में माण्ट्रेक्स (Montreaux) समझौते को बदलने के लिए दबाव डाला, मार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता लेना अस्वीकार कर दिया गया, ईरान में सोवियत नेताओं के हटाने में देरी लगाई, टोटो को सोवियत गुट में निष्कामित किया, तथा कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध भड़काया। स्टालिन की इस आक्रामक नीति से पश्चिमी शक्तियाँ मजबूत हो गईं और उन्होंने बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को रोकने तथा

साम्यवाद के प्रसार के विरोध के लिए अनेक उपाय किए। ट्रूमैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, डककं व ब्रूसेल्स सन्धिर्वा, नाटो पैक्ट, पश्चिमी यूरोप की एक्ता के लिए बनाए गए विभिन्न सगठन आदि स्टालिन की कठोर नीति के प्रभावशाली प्रत्युत्तर थे। 1945-47 काल में यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए बड़ी अनुकूल थी लेकिन 1953 तक स्थिति बदल गई। मध्यपूर्व में तुर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत रूस की बंसी बदनामी हुई जैसी बाद में आइजनाहावर सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका की हुई। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। इससे उसने इन राष्ट्रों का समर्थन बहुत कुछ खो दिया। गुट-निरपेक्ष देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया। उदाहरणार्थ, भारत को उसकी गुट-निरपेक्षता के कारण ही स्टालिनियन रूस-विरोधी ममभूता रहा। स्टालिन की अधिनायकवादी और कठोर नीति ने स्वयं साम्यवादी गुट में काफी क्षोभ उत्पन्न कर दिया।

द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में दो महाशक्तियों का उदय हुआ—सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ। विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उभर कर सामने आए और 1945 से 1955 तक विश्व में दृढ़ द्वि-ध्रुवीयता (Tight-Bipolarity) का बोनबाला रहा। दोनो महाशक्तियाँ एक-दूसरे की जबरदस्त प्रतियोगी बन गईं और दोनो ही के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों का निर्माण होता गया। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा विशेषकर यूरोप में बहुत तीव्र रही जिससे न केवल शीतयुद्ध में तीव्रता आई बल्कि यह भी कि जहाँ सयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक सीमित थी वहाँ इन दोनो प्रतिस्पर्धी गुटों के सदस्यों की संख्या 60 से भी अधिक थी। 1955 के मध्य में द्विध्रुवीयता शिथिल होने लगी और बहुकेन्द्रवाद (Poly Centricism) का उदय होने लगा। आज यद्यपि शक्ति के लगभग चार या पाँच केन्द्र उभर आए हैं फिर भी महाशक्तियों के रूप में वस्तुतः अमेरिका और सोवियत सघ की ही गणना की जा सकती है।

मैलेंकोव काल (1953-54)

(स्टालिन की मृत्यु से पूर्व ही सोवियत विदेश नीति में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद में उसकी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह फिर से विकासोन्मुखी बनी। स्टालिन के बाद तीन मुख्य बातों ने सोवियत सघ की शक्ति में वृद्धि की। पहला विकास यह था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य स्थिर हो गया। दूसरे, सोवियत सघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी के साथ बढ़ने लगी। तीसरे रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा, मध्यपूर्व, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रभाव क्षेत्र में आने लगे। विश्व का शक्ति सन्तुलन एक प्रकार से साम्यवाद की ओर झुक गया। स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य में वृद्धि नहीं हुई, तथापि सोवियत सघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी उन्नत हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी। सोवियत विदेश

नीति के सामने अब ये लक्ष्य थे—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में सोवियत शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य स्वीकृति प्राप्त करना तथा जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक सोवियत सुरक्षा को खतरे में न डालते हुए देश की शक्ति का विस्तार करना। साम्राज्य की रक्षा करना उसे प्राप्त करने से अधिक कठिन होता है, इसलिए सोवियत सभ ने अपने अधिराज्यों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणयुक्त बनाया तथा जीवन-स्तर के आधुनिक विकास को प्रोत्साहन दिया। स्टालिन के बाद सोवियत रूस को बर्लिन-समस्या का सामना करना पड़ा, साम्यवादी चीन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, मार्शल टोटी के साथ मनभेदी में उतार-चढ़ाव आया, पोलैण्ड और हंगरी में क्रान्तियाँ हुईं तथा एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं मर्घ्य हुए और इन सबके कारण सोवियत सभ की विदेश नीति में गतिशीलता आई।

स्टालिन की कठोर विदेश नीति के जो परिणाम निकले और पाश्चात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, उनके फलस्वरूप अब सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था। इसलिए स्टालिन के उत्तराधिकारी मैलेकोव ने दिवंगत नेता के अन्त्येष्टि-संस्कार में ही घोषणा की कि—“तेजिन और स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूंजीपति देशों में शान्तिपूर्ण सह-प्रतिस्व स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा।” मैलेकोव का यह आश्वसन इन बातों का संकेत था कि स्टालिन के उत्तराधिकारी पश्चिमी एवं गैर-साम्यवादी देशों के प्रति उग्रता और कठोरता में कमी लाना चाहते थे। इसके तुरन्त बाद ही 15 मार्च, 1953 को सुप्रीम सोवियत में सोवियत प्रधान मन्त्री ने कहा—“अब सोवियत विदेश नीति का संचालन व्यापार की वृद्धि और शान्ति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे शान्तिपूर्वक हल न किया जा सकता हो। यह सिद्धान्त सयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।” सोवियत रूस की नीति में परिवर्तन का संकेत देने वाली इन विभिन्न घोषणाओं के कारण अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के विरुद्ध प्रचार में कमी आई। इसी के परिणामस्वरूप अब तक पश्चिम के विरुद्ध आगे उगलने वाले रूसी विदेश मन्त्री विशिस्की ने सयुक्त राष्ट्रसभ महासभा की बैठक में भाषण देते हुए पश्चिम को निमन्त्रण दिया कि “आप मित्रता की सुरंग में आधे रास्ते तक आगे बढ़कर हमसे मिलें।” इसके साथ ही पश्चिमी देशों के विरुद्ध रूस द्वारा किए जाने वाले प्रचार की उग्रता में भी कमी आ गई।

रूस की नई विदेश नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त होने प्रारम्भ हो गए। अक्टूबर, 1952 में चालू कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो गया और 10 अप्रैल, 1953 को पानमुनजोन में हथियार एवं धातु युद्धबन्दियों के बारे में उदार नीति अपनाई गई। 15 मई, 1955 को आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में शान्ति-मन्त्रि हो गई। फिनलैण्ड के मंत्रिक ग्रुडे सोवियत मंत्रिकों द्वारा ताली कर

दिए गए, सोवियत सेना में 1 लाख 80 हजार सैनिकों की कमी की गई। 1954 में जेनेवा-सम्मेलन द्वारा हिन्द-चीन की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकाला गया। सोवियत संघ ने यूनान और इजरायल के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर कर उसे पुनः साम्यवादी शिविर में लाने की चेष्टा की गई। 29 अप्रैल, 1953 को मैलेकोव ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि से कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत की और मई, 1953 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः कायम हो गए। इसके उपरान्त सोवियत नेताओं ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को दूर करने के प्रयत्न किए।

मैलेकोव के नेतृत्व में सोवियत रूस की लौह आवरण की नीति में भी शिथिलता आई। बाह्य दुनिया से सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत संघ को लौह-आवरण में कैद न समझा जाए। स्टालिन विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति-सन्तुलन की प्रक्रिया माना गया और तटस्थ-राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करने तथा उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए चेष्टा की गई।

ख़ुश्चेव-काल (1955-64)

इस समय सोवियत संघ में अन्दर ही अन्दर नेतृत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में मैलेकोव की पराजय हुई और 8 फरवरी, 1955 को उन्हें प्रधान-मन्त्री पद त्यागना पड़ा। अब निकिता ख़ुश्चेव पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए।

1955 से 1963 तक की सोवियत विदेश नीति का युग ख़ुश्चेव युग कहलाता है। इस युग में सोवियत विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

ख़ुश्चेवकालीन विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ

(1) लौह आवरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा 'घात्रा-कूटनीति' का महत्त्व बढ़ता गया।

(2) पश्चिम के प्रति उग्र नीति का शनैः शनैः परित्याग किया जाने लगा। सोवियत नेता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर अग्रसर हुए। विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा, परन्तु शीतयुद्ध का परित्याग नहीं किया गया। अनुकूल परिस्थितियों में शीतयुद्ध को उभार कर राजनीतिक और प्रचारात्मक लाभ प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे।

(3) अल्पविकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई गई। इसमें उत्तरोत्तर विकास होता चला गया।

(4) सोवियत प्रभाव-विस्तार की सक्रिय चेष्टाओं के बावजूद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को तीव्र कर दिया गया। सोवियत नीति यह रही कि एशिया और अफ्रीका की जनता की अधिकाधिक सहानुभूति प्राप्त कर इन महाद्वीपों में साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। सोवियत

शक्ति और प्रभाव-विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन क्षेत्र रहे—एशिया, अफ्रीका और नेटिन अमेरिका।

(5) अणु आयुधों में अमेरिका में समानता तथा उससे आगे निकल जाने के प्रयत्न अनवरत चलते रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी रणनीति रची गई।

यह उपयुक्त होगा कि ख्रुश्चेव युग में सोवियत विदेश नीति के मुख्य पहलुओं का विस्तार से विवेचन किया जाये और देखा जाए कि इस नीति का व्यवहार म क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ।

1. लौह आचरण में शिथिलता, यात्राओं की कूटनीति—इस युग में सोवियत लौह आचरण की नीति में पर्याप्त शिथिलता आई और 'यात्रा कूटनीति' का महत्व बढ़ा। सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक तथा सप्तद्वीय शिष्टमण्डल विदेशों में जाने लगे और विदेशों के ऐसे ही शिष्टमण्डल साम्यवादी देशों में आमन्त्रित किए जाने लगे। स्टालिन बाह्य देशों के साथ सम्पर्क का धोर विरोधी था और सम्भवतः केवल एक तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया था, अन्यथा युद्ध सम्मेलनों में ही उसकी चर्चित और रूजवेल्ट से भेंट हुई थी, लेकिन अब ख्रुश्चेव, बुल्गाकिन आदि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दूसरे देशों की मदभावना और मैत्री प्रजित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएँ करने लगे और उन देशों के नेताओं को अपने यहाँ आमन्त्रित करने लगे।

जून, 1955 में भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा आमन्त्रित किए गए और नवम्बर, 1955 में ख्रुश्चेव तथा बुल्गाकिन ने भारत-यात्रा की। इससे दोनों देशों में सद्भाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति स्टालिन काल से जो मन्देह बना हुआ था वह दूर हो गया। अप्रैल, 1956 में दोनों नेता ग्रेट ब्रिटेन गए। 1959 के आरम्भ में प्रथम सोवियत उप-प्रधानमन्त्री मिखोदान ने 14 दिन तक अमेरिका की यात्रा की और 17 जनवरी को राष्ट्रपति आइनहॉवर ने उनका स्वागत किया। सोवियत उप-प्रधानमन्त्री ने दोनों देशों में व्यापार-वृद्धि को आवश्यक बताया और इस बात पर बल दिया कि 'शीतयुद्ध' (Cold-War) का स्थान 'शान्तिपूर्ण-प्रतियोगिता' (Peaceful Competition) को लेना चाहिए। 31 जनवरी, 1959 को सोवियत साम्यवादी पार्टी के 21वें अधिवेशन में मिखोदान ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राजनीतिज्ञों और नेताओं के साथ जो भी वार्तालाप किया उसमें उन्हें कहीं सोवियत साम्यवाद के 'निरोध' (Containment), 'पीछे धकेलने' (Roll Back) तथा 'साम्यवाद की दामता से मुक्ति' (Liberation) की कोई चर्चा नहीं मुनाई दी। मिनम्बर, 1959 में सोवियत प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की।

सोवियत नेताओं द्वारा लौह-आचरण शिथिल किए जाने और विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा करने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चित रूप से कमी हुई और दोनों विरोधी पक्ष एक-दूसरे के प्रति उनसे अधिक मवाजु न रहे जितने स्टालिनकाल में थे।

अपनी यात्राओं में रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन आयोजित करने पर बार-बार बल दिया। ऐसा एक सम्मेलन जुलाई, 1953 में जेनेवा में हुआ जिसमें हिन्द-चीन की समस्या को महत्त्व दिया गया। दूसरा सम्मेलन मई, 1960 में हुआ जो दुर्भाग्यवश यू-2 विमानकाण्ड से उत्पन्न विवाद के कारण असफल हो गया।

2 शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की नीति—स्टालिन की मृत्यु के बाद शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का शुभारम्भ मैलेकोव के प्रधानमन्त्रित्व-काल में ही हो चुका था, किन्तु इसमें निरपार ख्रुश्चेव तथा इसके परवर्ती काल में आया। फरवरी, 1956 में रूसी साम्यवादी दल की 20वीं कांग्रेस ने स्टालिन तथा उसकी नीतियों की कटु आलोचना की तथा इसके और साम्यवादी देशों में युद्ध की अनिवार्यता के लेनिन-सिद्धान्त को मशोर्धित करके शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को सोवियत नीति का आधार बनाया।

ख्रुश्चेव की विदेश नीति की पांच प्रमुख विशेषताएँ थी—

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध का न होना माना था, ख्रुश्चेव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी राष्ट्र, विशेषकर एशिया और अफ्रीका के गुट-निरपेक्ष देश सोवियत सघ के शत्रु नहीं हैं।

द्वितीय, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया।

तृतीय, यात्राओं की कूटनीति स्वीकार की गई और यह माना गया कि दूररे देशों से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की यात्राएँ करनी चाहिए तथा लौह-प्रावरण को शिथिल कर साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए।

चौथे, सोवियत सघ द्वारा विश्व के अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता अनुभव की गई।

पाँचवें, पश्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बताकर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ खुले मर्षण की नीति का परित्याग किया गया।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नवीन सोवियत नीति के अनुसार गैर-साम्यवादी देशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—(1) समुक्त राज्य अमेरिका, (2) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश, एवं (3) गुट-निरपेक्ष देश, जैसे—भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान व स्विटजरलैण्ड। दूसरे शब्दों में, पहले सोवियत सघ दुनिया में दो रंग के फूल ही देखता था—लाल और सफेद, अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे विभिन्न प्रकार के फूल देखने लगा। पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के मित्राण्य मंत्रण के फूलों को नष्ट करने की थी, अब वह उसके साथ-साथ रहने अर्थात् 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' की बात करने लगा। 12 अक्टूबर 1954 को सोवियत सघ और चीन की एक समुक्त घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि वे समस्त देशों के साथ पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर मैत्री-सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत रूसी विदेश नीति में एक निश्चित लचीलापन (Flexibility) आया। इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस एजेन्सी के मुख्य सम्पादक डब्ल्यू आर हर्स्ट (W R Hearst) को एक इण्टरव्यू में ख्रुश्चेव ने स्पष्ट किया था कि यदि मयुक्तराज्य अमेरिका का सामक़ा वर्ग इस असदिग्ध तथ्य को स्वीकार कर ले कि विश्व में एक और समाजवादी जगत् का अस्तित्व है जो अपने आदर्शों के अनुरूप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है तथा इस समाजवादी दुनिया के अतिरिक्त एक पूँजीवादी दुनिया भी है तो वह (सोवियत रूस) इन दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व की सम्भावनाओं को स्वीकार कर लेगा। अपने इसी इण्टरव्यू में ख्रुश्चेव ने दृढ़ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि रूस इस बात को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकता कि सत्तार के प्रत्येक देश पर मयुक्तराज्य अमेरिका हावी होने की चेष्टा करे।

स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मानने के सोवियत रूस ने निश्चित प्रमाण भी प्रस्तुत किए। उदाहरणार्थ, जुलाई, 1953 को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी सहयोग प्राप्त हुआ, जनवरी-फरवरी, 1954 में चार बड़े देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसके निश्चय के अनुसार अप्रैल में जो जेनेवा सम्मेलन हुआ उसमें वियतनाम की समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। 15 मई, 1955 को आस्ट्रिया के साथ शान्ति स्थापित हुई। जुलाई, 1955 में चार बड़ों का शिखर-सम्मेलन हुआ जो 1945 के पोट्सडम सम्मेलन के बाद चार बड़ों की पहली बैठक थी। इसमें हिन्द-चीन के प्रश्न का शान्तिपूर्ण समाधान हुआ। इसी बीच 15 जून, 1954 को सोवियत सघ ने कालासागर प्रदेश में तुर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक माँगों का परिस्वाग करने की घोषणा की।

सोवियत सघ ने समुक्त राष्ट्रसघ के महासचिव की नियुक्ति पर अपने पहले के दुराग्रही रवैये को छोड़कर डाग हैमरशोल्ड की महासचिव के रूप में स्वीकार कर लिया। 1 जुलाई, 1955 में भारत के प्रयत्नों और रूस के समर्थन में साम्यवादी चीन ने 11 बन्दी अमेरिकी विमान चालकों को रिहा कर दिया। रूस द्वारा अपनाई गई इस सहयोगपूर्ण और उदार नीति का समुक्त राष्ट्रसघ पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। हमी सहयोग से वह अब अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगा। नवम्बर-दिसम्बर, 1955 में एक तरफ़ सोवियत रूस ने और दूसरी तरफ़ फ्रांस, ब्रिटेन एवं समुक्तराज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि एक-दूसरे के द्वारा प्रस्तावित राज्यों को समुक्त राष्ट्रसघ का सदस्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे। इस निश्चय के परिणामस्वरूप 8 दिसम्बर, 1955 को 18 राज्यों को समुक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता प्रदान की गई। सोवियत नेताओं ने दूसरे देशों की सद्भावना याचाएँ करना आरम्भ किया। 18 अप्रैल, 1956 को कोमिनपोंम को भग कर दिया गया। जुलाई-अगस्त, 1963 में अणु-परीक्षण-प्रतिबन्ध-संधि सम्पन्न की गई जिसे 1922 की वार्निगटन संधियों के पश्चात् निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की

दिशा में प्रथम सफलता कहा गया। अगस्त, 1963 में ही मास्को और वाशिंगटन के मध्य सीधा टेलीफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U S-Soviet Hot Line Agreement) सम्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य यह था कि किसी संकटकालीन स्थिति में दोनों राष्ट्रों के अध्यक्ष एक-दूसरे से सीधी बातों द्वारा विश्व को परमाणु युद्ध से बचा सकेंगे।

ख़ुश्चेव काल में 'पूर्व और पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार हुआ, किन्तु राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के रूप में दोनों की स्थिति यथापूर्व रही और कूटनीतिक दावपेचों द्वारा अपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने में दोनों ही पक्ष अग्रसर रहे। मूल अन्तर केवल यही रहा कि स्टालिनशाही उग्रवादी नीति का स्थान चातुर्यपूर्ण और गहन कूटनीतिक उदार नीति ने ले लिया जिसमें प्रत्येक अनुकूल अवसर से लाभ उठाने की चेष्टा जारी रही। मौके-बेमौके ऐसे अवसर उपस्थित होते रहे और ऐसी घटनाएँ घटीं जिनसे समय-समय पर शीतयुद्ध में तेजी आई और दोनों पक्षों में कटुता व्याप्त हुई। उदाहरणार्थ, 1955 में स्वेज नहर और हंगरी के प्रश्न पर दोनों गुटों में अत्यधिक उग्रता उत्पन्न हो गई। मई, 1960 में यू-2 विमान की घटना ने शीतयुद्ध में उभार ला दिया और 1962 में ब्यूटा के संकट ने दोनों महाशक्तियों को संघर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शान्तिप्रिय जनता आशंकित हो उठी। फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि संकट के प्रत्येक अवसर को टालने में न्यूनाधिक रूप से दोनों ही पक्षों ने विवेक और धैर्य का परिचय दिया तथा रस्मी को इतना नहीं खिंचने दिया कि वह टूट जाए।

3. अल्प-विकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग—मैल्कोव और ख़ुश्चेव युग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई जो आज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1948 से ही ट्रूमैन सिद्धान्त और मार्शल योजना के अन्तर्गत अल्प-विकसित देशों के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम चालू था ताकि उन देशों में साम्यवादी प्रभाव का प्रसार रोका जा सके। इसके प्रत्युत्तर में स्टालिनोत्तर युग में सोवियत संघ ने अल्प-विकसित देशों को विकसित करने की अपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रचार और तोड़-फोड़ के सिद्धान्त को अपनाया था। परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का आरम्भ हुआ जिसके अनुसार रूस द्वारा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1954 से जनवरी, 1963 तक दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अल्पविकसित एवं अल्पविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता-सी आरम्भ हो गई।

अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाने के माध्यम से सोवियत संघ ने उत्पादन और सैनिक शक्ति में स्वयं को पश्चिमी देशों से श्रेष्ठतर सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया। ख़ुश्चेव का स्पष्ट मत था कि, "अब सबसे

महत्त्वपूर्ण समस्या पूंजीवाद को पराजित करना है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के द्वारा अधिक पैदा करेगा वह विजयी होगा।" इस नीति के फलस्वरूप रूस के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। मैनिक शक्ति में भी सोवियत संघ तेजी से आगे बढ़ा। 1957 में स्पूतनिक और 1961 में 50 मेगावाट बम का निर्माण कर वह रॉकेट तथा परमाणु शस्त्रों की दौड़ में संयुक्तराज्य से भी आगे निकल गया।

4. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध—खुश्चेव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा असलग्न विश्व (Uncommitted World) की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी प्रचार को और भी तीव्र कर दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्यत्र वह साम्राज्यवादी शक्तियों की तीव्र निन्दा करने लगा और उपनिवेशों तथा गुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने के सभी प्रस्तावों और आन्दोलनों का पूर्ण समर्थन करने लगा। रूसी नेताओं की मान्यता थी कि इस नीति में उन्हें दोहरा लाभ मिलता है। पहला तो यह कि उसे एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवाद से पीड़ित जनता की सहानुभूति प्राप्त होती है और दूसरे, साम्राज्यवाद के विघटन में रूस के प्रबल एव कट्टर शत्रु पूंजीवादी पश्चिम की प्रभुता क्षीण होती है।

वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही विशेषकर खुश्चेव के प्रभाव में आने के उपरान्त से एशिया और अफ्रीका के अल्पविकसित या अविकसित देशों और उपनिवेशों के प्रति सोवियत नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे—

(i) भूतपूर्व उपनिवेशों अथवा अर्द्ध-उपनिवेशों के सन्देह एव राष्ट्रीय सम्मान का अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए इनके प्रति पुरी तरह मित्रता एव सहोदाय प्रस्तुत करना;

(ii) पश्चिम के साथ इन देशों के अतोंत के कटु सम्बन्धों का लाभ उठाकर इन्हें पश्चिम से विमुख करना;

(iii) न केवल उपनिवेशवाद विरोधी बल्कि जातिवाद विरोधी प्रवृत्तियों को भी उभारना;

(iv) राजनीतिक असलग्नता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना,

(v) औद्योगीकरण द्वारा उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की महत्त्वाकांक्षा को बल देना; हो सके तो उन्हें सोवियत एव पारस्परिक व्यापार सम्बन्धों की दिशा में प्रेरित करना,

(vi) पश्चिम के साथ उनके प्रत्येक सम्भावित विवाद को उकसाना;

(vii) विदेशी पूंजी या सहायता को उनकी स्वतन्त्रता एव सम्मान के विरुद्ध बात कर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सन्देह उत्पन्न करना;

(viii) उनकी आँखों के सामने सोवियत रूस के द्रुत औद्योगीकरण की घादों के रूप में प्रस्तुत करना ताकि वे यह समझ सकें कि केवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपनदियों को साकार कर सकता है।

सोवियत संघ की शक्ति एव प्रभाव-विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन महाद्वीप हैं—अफ्रीका, एशिया एव लेटिन अमेरिका। शेपीलोव (Shepilov) ने पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रों के समाप्त प्रायः उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को सहानुभूति तथा सम्मान प्रदान करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा आत्म-निर्णय प्रत्येक देश की जनता (People) का अभिन्न अधिकार है।

ख्रुश्चेव को विदेश नीति का मूल्यांकन

ख्रुश्चेव ने सोवियत विदेश नीति को जो मोड़ दिया वह बाद में भी जारी रहा। नए प्रधानमंत्री कोसीगिन एव राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने सह-अस्तित्व एव शान्तिवादी सोवियत नीति को गति प्रदान की। गत वर्षों के इतिहास में इस आशा का मंचार हुआ कि सोवियत रूस अपनी उदार नीति पर आरुढ़ रहेगा।

श्री हुये और उन्ही के समान कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद रूस की अल्पकालीन नीति है अर्थात् उनकी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्टालिन के समय के शुद्धि-आन्दोलनों में अनेक बड़े नेताओं की जो पदावनति होती थी, वह आज भी होती है। रूस के मामलों में विशेष रूप से सिद्धहस्त अनेक पाश्चात्य कूटनीतियों की मान्यता है कि रूसी विदेश नीति का प्रमुख ध्येय पूंजीवादी समाज का उन्मूलन है जिसमें शायद ही कोई मूल परिवर्तन आए।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल

(अक्टूबर, 1964—दिसम्बर, 1980)

ख्रुश्चेव के सत्ताच्युत होने के बाद, अक्टूबर, 1964 में सोवियत मध का नेतृत्व ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के हाथों में प्राया। यह आशका व्यक्त की गई कि नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और सोवियत नीति में पुनः प्रतिगामी परिवर्तन आएगा। लेकिन नए सोवियत नेताओं ने उदारवादी नीति अपनाते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर चलने का आश्वासन दिया और उसे निभाया भी। ब्रेझ्नेव-कोसीगिन ने सोवियत कूटनीति की कुछ नई दिशाएँ भी प्रदान की हैं। वर्तमान जटिल और परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य साम्यवादी चीन और मयुक्तराज्य अमेरिका के दोहरे खतरे का मुकाबला करते हुए साम्यवादी जगत् में रूसी नेतृत्व और विश्व में सोवियत प्रतिष्ठा को कायम रखना है। चीन-अमेरिका-धुरी के मफ्त मुकाबले के लिए भारत की मंत्री के महत्त्व को हाल ही के वर्षों में सोवियत नेता भली-भाँति आँक चुके हैं और पाकिस्तान-भारत सम्बन्धों के मन्दर्भ में वर्तमान सोवियत विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन हुआ है।

सह-अस्तित्व और शिखर-कूटनीति—रूस के नए नेतृत्व ने ख्रुश्चेवकालीन शिखर-कूटनीति जारी रखी है। अक्टूबर, 1966 में सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिको ने राष्ट्रपति जॉनसन से मिलकर निःशस्त्रीकरण और वियतनाम के प्रश्न पर वार्ता की। जून, 1967 में अमेरिका और रूस के सर्वोच्च नेताओं का शिखर सम्मेलन

हुआ तथा पश्चिमी एशिया के सफ्ट पर संयुक्त राष्ट्र-महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए रूसी प्रधानमंत्री कोसीगिन स्वयं उपस्थित हुए। ग्लासबरो में जॉनसन और कोसीगिन ने विभिन्न समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके बाद भी क्रम चालू रहा और सोवियत नेताओं ने भारत-पाकिस्तान, अमेरिका तथा अरब प्रदेशों की यात्राएँ की। इन यात्राओं में सोवियत नेता विश्व के राष्ट्रों के समक्ष सोवियत विदेश नीति के विवादग्रस्त पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या दे सके जिससे सह-अस्तित्व और समस्याओं के शान्तिपूर्ण निदान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ताशकन्द सोवियत कूटनीति में नया मोड़— सितम्बर, 1955 में भारत-पाक संघर्ष का अन्त कराने में उल्लेखनीय प्रयास करने के उपरान्त दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रूस ने अपनी विदेश नीति के नए पैतरे से समूचे राजनीतिक विश्व को स्तब्ध कर दिया। सोवियत संघ ने इससे पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के मिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया था। जनवरी, 1966 में 'ताशकन्द वार्ता' आयोजित करने में सोवियत कूटनीति अत्यन्त सक्रिय रही जिसके फलस्वरूप 10 जनवरी, 1966 को रात्रि के लगभग 9 बजे तालियों की गडगडाहट के बीच तत्कालीन पाक-राष्ट्रपति अयूब ख़ाँ और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 'ताशकन्द घोषणा' (Tashkent-Declaration) कहा गया। इस समझौते के कारण उस समय कश्मीर विवाद ठण्डा पड़ गया, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सामान्य होने लगे तथा यह निश्चय हुआ कि दोनों पक्षों की सेनाएँ उन स्थानों पर लौट आएँगी जहाँ वे अगस्त, 1965 में युद्ध आरम्भ होने से पहली थीं। सभी मतभेदों पर बातचीत चालू करने का निर्णय किया गया।¹ सोवियत राजनय की इस सफलता के मूल में प्रमुख कारण थे—(i) भारत और पाकिस्तान को एक निष्पक्ष वातावरण में समझौता-वार्ता के लिए क्रियाशील करना, (ii) समझौता कराने के प्रश्न को सोवियत रूस द्वारा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना, (iii) सोवियत रूस की भौगोलिक स्थिति और एशिया में शान्ति-व्यवस्था रखने में उसकी रुचि, एवं (iv) पाकिस्तान को चीन-अमेरिकी गुट में जाने से रोकने की प्रयत्न रूसी उत्कण्ठा।

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण किन्तु शीघ्र ही मूल सुधार—ताशकन्द समझौते के मूल में सोवियत संघ की भारत और पाकिस्तान के प्रति बदलती हुई नीति के बीज छिपे थे—यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। रूस के नए नेतृत्व का हृदय ताशकन्द समझौते के उपरान्त कुछ वर्षों तक भारत के प्रति उतना मंत्रीपूर्ण नहीं रहा जितना ख्रुश्चेव के समय था। काश्मीर के प्रश्न पर भी सोवियत रूस में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नरमी आई। जुलाई, 1968 में रूस ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का जो निर्णय लिया वह भारत की मित्रता और याशाओं पर

एक करारी चोट थी। सोवियत रवैये ने भारत को यह सोचने के लिए विवश किया कि "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थाई मित्र या शत्रु नहीं होता।" फिर भी भारत का रुख सहनशीलता तथा प्रतीक्षा करो और देखो का रहा। सोवियत नेता शीघ्र ही पाकिस्तान की दुरगति चालों में धुब्ध हो गए। उनकी यह धारणा बनी कि पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस तीनों में से किसी का विश्वसनीय मित्र नहीं हो सकता। जो हथियार दे, वही उसका मित्र है। पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौते के जो गम्भीर उल्लंघन किए उससे भी पाकिस्तान की ईमानदारी में सोवियत नेताओं का विश्वास टूट गया। दूसरी ओर भारत की गम्भीरता और दृढ़ता तथा रूस के प्रति अपरिवर्तित दृष्टिकोण ने सोवियत नेताओं को यह अनुभव करा दिया कि रूस के लिए अमेरिकी और चीनी खतरे के विरुद्ध भारत जैसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र के हाथों में कितनी सन्तुलनकारी शक्ति है। अतः जब बंगलादेश (उस समय पूर्वी पाकिस्तान) की घटनाएँ घटी तो हमी सहानुभूति भारत और बंगलादेश के न्यायपूर्ण पक्ष की ओर रही।

भारत और सोवियत संघ—1949 के अन्त तक भारत और सोवियत संघ सम्बन्धों में सुधार होने लगा था किन्तु जून, 1950 में कोरिया युद्ध छिड़ने पर भटका लगा। भारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में था, अतः उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में कोई सकोच नहीं किया। इससे सोवियत संघ में भारत के प्रति रोष पैदा हो गया लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ सेना को 39वीं अक्षांश रेखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय बुद्धि स्वतन्त्र है, पश्चिम के दवाब से प्रेरित नहीं है। दोनों देश इसलिए भी एक-दूसरे के निकट आए कि दिसम्बर, 1951 में भारत ने जापान शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिक्षण में जकड़ने की एक चाल थी।

मेलोन्कोव और फिर ख्रुश्चेव काल में भारत और रूस के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हुए। 1954 में रूस ने पञ्चशील के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जून, 1955 में नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा उसे सहस्रस्तित्व सम्बन्धी अपनी विचारधारा से प्रभावित किया। 1955-56 में बुल्गानिन और ख्रुश्चेव ने भारत की यात्रा की। उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान थे। कश्मीर विवाद पर सोवियत संघ भारत को खुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा परिषद् में पश्चिमी राष्ट्रों के भारत-विरोधी प्रस्तावों पर घोटों का प्रयोग करता रहा। अक्टूबर, 1962 में चीनी आक्रमण के आरम्भ में रूस का रुख भारत के लिए निराशाजनक रहा लेकिन दिसम्बर, 1962 में मुग्रीम सोवियत के सामने ख्रुश्चेव ने भारत पर चीनी हमले की खुली निन्दा की। रूस द्वारा भारत को मिग विमान दिए गए और हमी सहयोग से मिग विमान का कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया।

26 अक्तूबर, 1964 को ख़ुश्चेव के नत्ताच्युत होने पर ब्रेझ्नेव नए नेता बने। उनके कार्यकाल में कुछ वर्षों तक भारत को बँसा सोवियत समर्थन नहीं मिल सका जैसा ख़ुश्चेव ने दिया था। नवम्बर, 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय सोवियत नेतृत्व की नीति किसी न किसी प्रकार संघर्ष को शान्त करने की रही और रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के समान विरोध नहीं किया। तायकन्द समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में थोड़ा-सा तनाव तब आया जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का निश्चय किया, परन्तु सोवियत नेताओं को अग्नी भूत का शीघ्र ही ग्रहनाम हो गया और भारत सोवियत संघ सम्बन्धों में पुनः प्रगति होने लगी। बंगलादेश के प्रश्न पर सोवियत संघ का दृष्टिकोण भारत समर्थक था। बंगलादेश के मकट के समय बीजिंग-पिण्डो-वाणिगटन धुरी के खतरे को देख कर भारत ने 9 अगस्त, 1971 को सोवियत संघ के साथ मंत्री-स्तर पर हस्ताक्षर किए। इस तरह भारत और सोवियत संघ-चीन-अमेरिका सम्बन्धों में भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिणामों का मुकाबला करने के लिए अधिक निकट आ गए। सुरक्षा परिषद में भी उसने पाकिस्तान और अमेरिका की ब्यूह-रचना को विफल कर दिया। युद्ध के दौरान उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी विदेशी ताकत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब अमेरिका का सातवाँ बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर चल पड़ा तो रूस ने भी हिन्द महासागर में अपने युद्धपोत इस दृष्टि से तैयार कर दिए कि भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा नौसैनिक कार्यवाही करने पर उसका उचित उत्तर दिया जाए। नवम्बर, 1973 में ब्रेझ्नेव भारत आए। 30 दिसम्बर, 1973 को भारत और सोवियत संघ के बीच एक 15 वर्षीय आर्थिक और व्यापारिक समझौता हुआ। यह निश्चय प्रकट किया गया कि 1980 तक दोनों देशों के बीच व्यापार डेढ़ गुना बढ़ा दिया जायगा। 1975 और 1976 के दौरान आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सम्पर्क और सहयोग का विकास हुआ। कुछ समझौते भी किए गए।

मार्च, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर अप्रैल में नए भारतीय नेतृत्व से विचार विनिमय के लिए सोवियत विदेश मंत्री ग्रोमिचो भारत आए। इस यात्रा के दौरान आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, व्यापार एवं दूर-संचार सम्बन्धों की स्थापना में सम्बन्धित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में दोनों देशों ने समान विचार व्यक्त किए। अक्टूबर, 1977 में प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर गए। यह महत्वपूर्ण समझौता कि आपसी मित्रता को न सिर्फ बचाया गया बल्कि इसे और मजबूत किया जाय। इस बात पर भी महमति हुई कि वर्ष 1978 के लिए भारत अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय व्यापार आदान-प्रदान के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभपूर्णे आर्थिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने यह माना कि एशियायी देशों के बीच आपसी लाभ के

सहयोग को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने हिन्दमहासागर से सभी सैनिक श्रद्धों को हटाने और नए श्रद्धे बनाने पर रोक लगाने की माँग की तथा उमें शान्ति-क्षेत्र बनाने की इच्छा व्यक्त की।

पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों के प्रति सोवियत नीति—रूस पूर्वी यूरोप के साम्यवाद जगत् पर अपना प्रभाव बनाए रखने की नीति पर चलता रहा ताकि वहाँ से पश्चिम यूरोपीय राजनीति में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पूर्वी यूरोप के देशों में पनप रही सोवियत-विरोधी प्रवृत्तियों का मामना करने के लिए उसने वारसा पैक्ट को पहले की अपेक्षा और अधिक कठोर तथा मुद्दब बना लिया। 1967 से ही चेकोस्लोवाकिया में उत्तरदायी प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। जनवरी, 1968 में दुबचेक के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकियाई साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतन्त्रीकरण का निदान्त स्वीकार कर उदारवाद के पक्ष में बहुत से मुद्धार प्रस्तावित किए। जब चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने रूसी माराजगी की कोई परवाह नहीं की तो 21 अगस्त, 1968 की रात्रि को सोवियत रूस तथा वारसा पैक्ट के चार अन्य देशों—पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया की शक्तिशाली सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके कुछ ही घण्टों में राजधानी प्राग सहित अन्य बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया। आखिर काफी विचार-विमर्श के बाद मास्को में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि चेकोस्लोवाकिया सरकार ने वचन दिया कि वह चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को मुद्दब बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उसी वर्ष सितम्बर के मध्य तक प्राग से सोवियत सेनाएँ बापस लौट गईं। अप्रैल, 1969 में दुबचेक के नेतृत्व का अन्त हो गया और सोवियत-समर्थक सरकार का निर्माण हुआ।

कम्युनिस्ट देश भी अपने पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने को प्रेरित हुए। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो एक लम्बे अन्तराल के बाद अगस्त, 1977 में राजकीय यात्रा पर सोवियत सघ गए और वहाँ से उत्तर कोरिया होते हुए 30 अगस्त को पहली बार चीन पहुँचे। सोवियत सघ टीटो से सवाद स्थापित करने की पहल कर चुका था। ब्रेझ्नेव ने सितम्बर, 1977 को अपनी बॅलग्रेड यात्रा के अवसर पर आश्वासन को दोहराया कि सोवियत सघ यूगोस्लाविया की स्वाधीनता का आदर करता रहेगा और यात्रा के बाद जारी की गई विज्ञप्ति में दोनों देशों के बीच 'स्वैच्छिक सहयोग' की बात अक्षिप्त की गई। सोवियत सघ ने एक तरह से समाजवाद का अपना मार्ग अपने-आप तय करने के यूगोस्लाविया के माग्रह को भी मान्यता दे दी।

मार्शल टीटो विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को विघटन से बचाने के लिए चीनी और रूसी सेनाओं से गम्भीर विचार-विमर्श के पक्ष में थे। उन्हें यह नागवार था कि दुनिया का साम्यवादी आन्दोलन तीन भागों में बँट जाए—सोवियत साम्यवाद, माओ का मार्क्स-लेनिनवाद तथा यूरोपीय साम्यवाद।

लेटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के सम्बन्ध में सोवियत नीति—सोवियत संघ ने अपना ध्यान यूरोप और एशिया की ओर केंद्रित कर रखा है। लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के सम्बन्ध में उसकी विदेश नीति विशेष सक्रिय नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं—प्रथम, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका भौगोलिक दृष्टि से सोवियत संघ से बहुत दूर हैं। द्वितीय, इन क्षेत्रों में स्थित कांगो, क्यूबा, घाना, नृडान आदि देशों में उसे यह कठु अनुभव हो गया है कि साम्यवाद का स्वागत करने के लिए लेटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं।

सोवियत संघ एवं पश्चिमी गुट—ब्रेझ्नेव-कोसीगिन-युग के रूस ने अमेरिका और पश्चिमी गुट के साथ अक्सर के अनुरूप शीतयुद्ध को उदार देकर भी स्टालिन के समान स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। उत्तरी कोरिया में जॉनसन और निक्सन प्रशासन के समय हुए अमेरिकी जासूसी काण्डों के समय भी सोवियत रूस ने सयम प्रदर्शित किया। वियतनाम समस्या पर भी रूस का यही रुख रहा कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाए। उत्तर वियतनाम को विशाल सैनिक सहायता देते हुए भी रूसी नेताओं ने ऐसा कोई वातावरण पैदा नहीं किया जिससे अमेरिका के साथ समझौता-वार्ता के द्वार बन्द हो जाएँ। वियतनाम में युद्धविराम में भी सोवियत कूटनीति का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। दोनों देशों के नेताओं द्वारा सहयोगपूर्ण रुख अपनाने के फलस्वरूप ही सितम्बर, 1971 में बलिन समझौता सम्पन्न हो सका था। मई, 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की मास्को-यात्रा अपने-आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ की यह पहली यात्रा थी और इस प्रथम यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के बीच कई महत्त्वपूर्ण सन्धियों पर हस्ताक्षर हुए। सबसे महत्त्वपूर्ण 'सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन सन्धि' (Strategic Arms Limitation Theory—SALT) थी जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे की शक्ति के सामने झुकते हुए भय-मिश्रित आत्म-विश्वास का एक नया सन्तुलन कायम किया। अगस्त, 1972 में सोवियत संघ ने भारी मात्रा में गेहूँ खरीदने के लिए अमेरिका से एक दीर्घवालीन समझौता किया और 18 अक्टूबर, 1972 को दोनों देशों के बीच हुई एक व्यापारिक सन्धि में रूस ने सहमति प्रकट की कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने अमेरिका से ऋण लिया था उम राशि को वह चुका देगा। एक अन्य सन्धि में यह तय हुआ कि अगले तीन वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में तीन गुना वृद्धि कर दी जाएगी। ये दोनों व्यापारिक सन्धियाँ इस दृष्टि में विशेष महत्त्वपूर्ण थीं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध नगण्य थे।

जून, 1973 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री ब्रेझ्नेव ने अमेरिका की नी दिवसीय यात्रा की। इस अवसर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते हुए। सिद्धान्त यह स्वीकार कर लिया गया कि 1974 तक दोनों महाशक्तियाँ परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगी और परमाणु-शक्ति के

शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोगपूर्वक काम करेगी—एक सन्धि जिसका उद्देश्य परमाणु युद्ध को रोकना था। सन्धि के अन्तर्गत दोनों पक्षों की ओर से यह सकल्प किया गया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा, परस्पर अथवा साथी देशों या अन्य देशों को न तो धमकी देगा और न ही बल का प्रयोग करेगा। अगस्त, 1973 में दोनों देशों के बीच पुनः समझौता हुआ जिसके अनुसार 1975 में दोनों देशों द्वारा समुक्त अन्तरिक्ष उड़ानों का कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया गया। जून, 1974 में राष्ट्रपति निक्सन ने पुनः सोवियत सघ की यात्रा की और इस अवसर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ समझौते सम्पन्न हुए। नवम्बर, 1974 में ब्राडीवोस्टक में फोर्ड-ब्रेझ्नेव शिखर-वार्ता हुई। जुलाई, 1975 में अपोलो सोयुज समुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रम में दोनों ने सहयोग किया। 1980 के मध्य तक दोनों देशों के सम्बन्ध, सामयिक उत्तेजनाओं के बावजूद सुधार का संकेत देते रहे, तथापि उतना सौहार्द्र दिखाई नहीं दिया, जितना निक्सन और फोर्ड प्रशासन के दौरान रहा था। क्यूबा में सावियत सलाहकारों की उपस्थिति, अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश आदि की घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ी और मतभेद तीव्र हुए, लेकिन दोनों ही पक्षों ने समय और सहनशीलता की राजनीति अपनाकर विश्व शान्ति बनाए रखने में योग दिया। 8 जनवरी, 1980 को अमेरिका द्वारा 17 रूसियों के निष्कासन को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अधिक बढ़ गया और उस दिन सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पर रूस ने अपने वोटों के अधिकार का प्रयोग किया, तथापि 15 जनवरी, 1980 को समुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक बढ़ी संख्या में बने रहे तथापि इस मुद्दे पर रूस-अमेरिका के बीच तनाव उतना तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। ईराक-ईरान युद्ध में दोनों देशों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अक्टूबर, 1980 में कार्टर ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सोवियत सघ खाड़ी क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा देना नहीं चाहता, तथापि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सोवियत सघ के ईरान अथवा खाड़ी को नियन्त्रित कर सकने वाले किसी भी क्षेत्र में दखल करने से अमेरिकी सुरक्षा को सर्वाधिक खतरा उत्पन्न होगा।

जनवरी, 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रोनाल्ड रीगन के पराजित होने के बाद से अमेरिका और रूस के सम्बन्धों में कुछ अधिक खिचाव आया है। अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की उपस्थिति, पाकिस्तान को रूसी खतरे से मुकाबले के लिए प्राधुनिक शस्त्रास्त्रों की सप्लाई, चीन को रूस के विरुद्ध बनाए रखने की अमेरिकी नीति, भारत-रूस मैत्री में दरार डालने की मशा, निःशस्त्रीकरण, अमेरिका द्वारा न्यूट्रान बम्ब और रासायनिक हथियारों के निर्माण के निर्णय, हिन्दमहासागर में अमेरिकी सैन्य-शक्ति के विस्तार आदि विभिन्न प्रश्नों को लेकर दोनों महाशक्तियों में तनाव पूर्वपेक्षा अधिक मुखर हुआ है। इस सम्बन्ध में अमेरिकी विदेश नीति के सन्दर्भ में 'रीगन और रूस' शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत विवेचन किया जा चुका है।

यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भी सोवियत रूस ने सम्पर्क और सहयोग-सूत्र विकसित करने के प्रयत्न जारी रखे। जून, 1973 में ब्रेझ्नेव फ्रांस के राष्ट्रपति पोम्पिडू से मिले। अक्टूबर, 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार द एस्तें ने सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की। इन यात्राओं से दोनों देशों के दृष्टिकोण में अधिक निकटता आई। जून, 1977 में सोवियत साम्यवादी पार्टी के महासचिव ब्रेझ्नेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद भी सम्भाल लिया। राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रेझ्नेव की सबसे पहली यात्रा पेरिस की थी। अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में दुराव की जो स्थिति उत्पन्न होने लगी थी उसको देखते हुए ब्रेझ्नेव ने एक बार फिर फ्रांस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। फ्रांस रूस को यूरोप में एक महत्वपूर्ण मित्र और भागीदार मानता रहा है। फ्रांस के अलावा पश्चिम जर्मनी के साथ भी रूस के सम्बन्ध सुधरे।

सोवियत संघ तथा कुछ अन्य देश एवं क्षेत्र—बंगला देश के प्रति सोवियत संघ की आरम्भ से ही सहानुभूति रही। बंगला देश के मुक्ति संघर्ष में रूस ने अपना नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया और रूस से बंगला देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में रुचि लेकर पारस्परिक आयात-निर्यात सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न किया। संयुक्तराष्ट्र में बंगलादेश के प्रश्न पर जो संघर्ष हुआ उसमें सोवियतसंघ ने बंगलादेश को पूर्ण समर्थन दिया। जापान के साथ भी सम्बन्ध-सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहा। जापान में भी इस धारणा को बल मिला कि सोवियत संघ के साथ आर्थिक सहयोग जापान के हित में है। रूस की रुचि भूमध्यसागर में अधिकाधिक बढ़ती गई। रूस की आकांक्षा रही कि वह भूमध्यसागर के तटवर्ती देशों की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पूर्वी यूरोप के देशों जैसी ही बना दे ताकि इन देशों के साथ मास्को के सम्बन्ध पूर्वी यूरोप के देशों जैसे ही जाएँ। भूमध्यसागर में अधिकाधिक प्रवेश से सोवियत संघ ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी वृद्धि कर ली।

एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत कूटनीति ने ब्रेझ्नेव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 1969 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने एशियाई देशों के लिए एक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की। 1972 में इस योजना को पुन रखा गया और अफगान प्रधानमन्त्री के स्वागत पर बोलते हुए कोमीगिन ने कहा—
“एशिया की सुरक्षा का सही रास्ता सैनिक गुट नहीं है और न ही कुछ राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों का विरोध करना है, बल्कि यह रास्ता देशों के बीच अच्छे पड़ोसी का वातावरण पैदा करना है।” पर साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि शान्ति स्थापित करने का सोवियत संघ का रास्ता सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि सोवियत विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण दिशा राष्ट्रों की आजादी और स्वशासन का प्रतिष्ठा करने का सांभ्राम्यवादियों को पराजित करने के लिए युद्ध और संघर्ष-स्थलों को समाप्त करना है। इन व्याख्या से यह आभास हुआ कि रूसी नेताओं का सुरक्षा-सिद्धान्त का नया ‘पंचशील’ होने के बावजूद सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक हल से रहित नहीं है। एशियाई राजनीतिक क्षेत्रों में यह धारणा बनी रही

कि यद्यपि ब्रेझ्नेव-सिद्धान्त में एशियायी सुरक्षा व्यवस्था निहित है और साथ ही इसके लक्ष्य अमेरिका और चीन भी हैं तथा रूस हिन्द महासागर में अपने प्रभाव का आकांक्षी है। भारत ने भी इस योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। वास्तव में रूस का एशिया सुरक्षा सिद्धान्त अभी कोई साकार रूप नहीं ले सका है।

वियतनाम युद्ध में साम्यवादी शक्तियाँ उत्तरी वियतनाम की पीठ पर थी। सोवियत रूस ने वियतनाम को भरपूर सैन्य सामग्री पहुँचाई। अनुमानत उत्तर वियतनाम को दी जाने वाली सैन्य-सहायता में रूस का भाग 80 प्रतिशत और चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों का लगभग 20 प्रतिशत था। सोवियत नीति वियतनाम संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान की थी। सोवियत-अमेरिका के समझौतावादी रुख और वियतनाम के सम्बन्धित पक्षों के विवेक के फलस्वरूप ही वियतनाम-युद्ध का अन्त हो गया।

पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत सघ और अमेरिका दोनों ही प्रयत्नशील रहे। रूसी नीति अरब राष्ट्रों को कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक सहयोग देने की रही जबकि अमेरिका ने इजरायल को हर प्रकार की मदद दी। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में सोवियत सघ के प्रभाव में धीरे-धीरे परिवर्तन आया। ख्रुश्चेव काल में सोवियत सघ को 'अरब हितों का संरक्षक' समझा जाता था, किन्तु 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में अरब राष्ट्रों के पराजय के कारण सोवियत कूटनीति को काफी आघात लगा। इस युद्ध में अरब राष्ट्रों ने सोवियत सघ पर दबाव डाला था कि वह युद्ध में हस्तक्षेप करे, परन्तु वह युद्ध में नहीं कूदा था। अरबों का पुनः विश्वास प्राप्त करने के लिए मई, 1971 में सोवियत सघ ने मिस्र के साथ एक 15 वर्षीय पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया, किन्तु अगले वर्ष ही सोवियत सघ और मिस्र के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया और राष्ट्रपति सादात ने रूस के सैनिक विशेषज्ञों को मिश्र छोड़ने का आदेश दिया। विगाड का यह दौर अधिक नहीं चला और जब अक्टूबर, 1973 में चौथा अरब-इजरायल युद्ध हुआ तो अरबों ने रूसी शस्त्रास्त्रों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली। आगे चलकर तनाव पुनः पैदा हो गया। अरब-इजरायल समस्या के समाधान में अमेरिका रुम खे बाजी मार ले गया और सितम्बर, 1975 में वे वह दोनों पक्षों के बीच एक अन्तरिम समझौता कराने में सफल हुआ। मार्च, 1976 में सादात ने सोवियत सघ के साथ 15 वर्षीय मैत्री सन्धि को मग कर दिया। मिस्र के साथ तनाव के बावजूद लीबिया, सीरिया, जोर्डन, कुवैत आदि अरब राष्ट्रों के साथ रूस की निकटता में वृद्धि हुई और ये राष्ट्र रूस से भारी मात्रा में सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करते रहे। सितम्बर, 1978 में अमेरिका में केप डेविड में कार्टर की उपस्थिति में जो बेगिन-सादात समझौता हुआ उसमें यह पुनः स्पष्ट हो गया कि अमेरिका पश्चिम-एशिया में रूसी प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ा है। आज पश्चिम-एशिया में रूस की तुलना में अमेरिका का

प्रभाव अधिक है। मिस्र-अमेरिका सम्बन्धों में सुधार के साथ-साथ मिस्र सोवियत सम्बन्ध शिथिल हो गए हैं।

सोवियत संघ और तुर्की में भी मधुर सम्बन्धों की शुरुआत हुई। दिसम्बर, 1965 में सोवियत-प्रधानमंत्री कोसीगिन लगभग 10 वर्ष के अन्तराल के बाद पुनः तुर्की गए तथा सिकन्दरा में सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ मैत्री के शुभारम्भ के वायजूद तुर्की और अमेरिका के बीच सम्बन्ध फीके नहीं पड़े और मार्च, 1976 में दोनों देशों के बीच एक चार-वर्षीय सैनिक समझौता हुआ। तुर्की के प्रधानमंत्री ने 1978 के मध्य मास्को यात्रा की जिससे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में और भी निकटता आई है।

सोवियत विदेशनीति का ब्रेझ्नेव-काल 12 नवम्बर, 1982 को उनके देहावसान के साथ समाप्त हो गया। इस काल के अन्तिम दो वर्षों में सोवियत विदेशनीति ने कोई नए आयाम ग्रहण नहीं किए।

सोवियत-अमेरिका सवाद और शीतयुद्ध ठहराव की स्थिति में बने रहे।

अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति पूर्ववत् बनी रही। 16 जून, 1981 को रूस-अफगानिस्तान में औपचारिक रूप से एक सीमा सन्धि पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देशों के बीच स्थित उस क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट हो गई जो अब तक किसी के कब्जे में नहीं माना जाता था।

सोवियत संघ और मिस्र के सम्बन्धों में और अधिक विगाड़ हुआ तथा देश में उग्रवादियों के आन्दोलन को लेकर राष्ट्रपति सादात ने सितम्बर, 1981 के मध्य अनेक सोवियत विशेषज्ञों और राजनयिकों को मिस्र छोड़ कर चले जाने के आदेश दे दिए। काहिरा स्थित सोवियत सैनिक ब्यूरो को भी आदेश दे दिया गया। 6 अक्तूबर, 1981 को राष्ट्रपति सादात की हत्या के बाद हुस्नी मुबारक मिस्र के नए राष्ट्रपति बने और अमेरिका ने मिस्र में प्राधुनिकी अमेरिकी अस्त्रों का अम्यास करने की घोषणा की। सोवियत संघ ने अमेरिका के फैसले को मिस्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को प्राधुनिकतम एफ 16 विमान देने सम्बन्धी निर्णय के प्रति भारत के विरोध को सोवियत संघ ने पूरा समर्थन दिया और मार्च, 1982 तक यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ हर तरह से भारत को प्राधुनिकतम सैन्य सामग्री और विमान देकर इस उप-महाद्वीप में शक्ति-सन्तुलन को बिगड़ने नहीं देगा।

ब्रेझ्नेव ने संयुक्तराष्ट्र संघ के निःशस्त्रीकरण विषयक विशेष अधिवेशन में घोषणा की, कि "हम पहले परमाणु अस्त्र नहीं चलाएंगे।"

यूरी आन्ड्रोपोव काल (नवम्बर, 1982-फरवरी, 1984)

ब्रेझ्नेव के बाद यूरी आन्ड्रोपोव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नए महामन्त्री बने। जून, 1983 में उनके सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष तथा देश का राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही ब्रेझ्नेव के निधन से आई रिक्तता की पूर्ति हो गई परन्तु

ब्रेझ्नेव के इस उत्तराधिकारी का अल्प शासनकाल 10 फरवरी, 1984 को उनके देहान्त के साथ ही समाप्त हो गया।

ग्रान्दोपोव का छोटा सा कार्यकाल जबरदस्त तनावों से भरा रहा, किन्तु उन्होंने ब्रेझ्नेव की नीतियों पर चलते हुए सोवियत जनता का विश्वास अर्जित किया। उन्होंने आणविक निष्स्त्रीकरण, यूरोप में युद्ध की आशंका कम करने तथा अमेरिका से सम्बन्ध सुधारने पर दबल दिया। साथ ही उन्होंने अमेरिका की राजनीतिक चुनौतियों का जवाब भी दिया। अमेरिका द्वारा नाटो की ओर में यूरोप में नए परमाणु प्रक्षेपास्त्र लगाने पर उन्होंने यह स्पष्ट चेतावनी दी कि सोवियत संघ भी उपयुक्त जवाबी कार्यवाही करेगा। सितम्बर, 1983 में सोवियत संघ द्वारा अपनी सीमा में दक्षिण कोरियाई यात्री विमान मार गिराने की घटना के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में कटुता विशेष रूप से उभर आई। जब सुरक्षा परिषद में अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों की ओर से सोवियत संघ के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया तो उसने उस पर 'वीटो' का प्रयोग किया। ग्रान्दोपोव ने भड़काने वाली परिस्थिति के बावजूद टकराव की स्थितियों को शिथिल करने का प्रयास किया।

अफगानिस्तान की गुल्थी ग्रान्दोपोव को विरासत में मिली। उनके शासनकाल में अफगानिस्तान में सोवियत पकड़ और मजबूत हुई पर साथ ही अफगानिस्तान के प्रति उनका अन्तर्राष्ट्रीय रवैया यथार्थवादी रहा। चीन की ओर भी उन्होंने मैत्री का हाथ बढ़ाया। उनके शासनकाल में भारत और रूस का विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। भारत-सोवियत व्यापार एवं आर्थिक सहयोग का दायरा और विकसित हुआ तथा सोवियत संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना रहा। भारतीय विदेश मंत्री ने सितम्बर, 1983 में मास्को की यात्रा की और उसके पूर्व सोवियत उप प्रधानमंत्री थी जास्तिपोव मई, 1983 में भारत आए। वह आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के आठवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक बार फिर भारत आए। सितम्बर, 1983 में भारत के वाणिज्य मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान भारत सोवियत व्यापार सम्बन्धों की समीक्षा की गई। दिसम्बर, 1983 में 1984 के लिए व्यापार योजना पर सहमति हुई जिसमें 1983 के मुकाबले व्यापार में व्यापक वृद्धि का प्रावधान किया गया। ग्रान्दोपोव के शासनकाल में दोनों देशों के अधिकारियों और नेताओं की महत्त्वपूर्ण यात्राएँ हुईं। पूरी ग्रान्दोपोव शान्तिपूर्ण सहप्रतिष्ठित्व के समर्थक थे।

चेरनेंको काल

(13 फरवरी, 1984 से 11 मार्च, 1985)

सोवियत संघ के पार्टी महामन्त्रि और राष्ट्रपति यूरी ग्रान्दोपोव की मृत्यु हो जाने पर 13 फरवरी, 1984 को पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 72 वर्षीय चेरनेंको को अपना नया नेता (महामन्त्रि) चुना और 11 अप्रैल, 1984 को चेरनेंको

सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए। चेरनेको का कार्यकाल भी बहुत अल्प रहा और 11 मार्च, 1985 को उनकी मृत्यु हो गई।

पश्चिमी देशों में भले ही मत्ता-परिवर्तन से राजनीतिक धाराओं का रास्ता बदलता ही लेकिन सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों में ब्रेझ्नेव के बाद न कोई खास परिवर्तन आया और न आन्द्रोपोव के बाद ही कोई खास परिवर्तन दिखाई दिया। आन्द्रोपोव के समय में रूस व अमेरिका के सम्बन्धों की कठोरता बनी रही। सोवियत संघ ने नवम्बर, 1983 के बाद अपने देश को जेनेवा निरस्त्रीकरण वार्ताओं से भी हटा लिया था। चेरनेको के बयानों से यह भी प्रकट हुआ है कि वे भी इस नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आन्द्रोपोव की अन्त्येष्टि के समय रेड स्क्वेयर में कहा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सभी पक्षों के साथ समानता के आधार पर बातचीत करने को तैयार हैं। यद्यपि सोवियत संघ शान्ति चाहता है तथापि वह न तो किसी की धमकी में आएगा और न गठनास्त्रों में किसी देश को बढ़त देने देगा। स्पष्टतः यह अमेरिका को चेतावनी थी।

नेतृत्व सम्भालने के बाद चेरनेको ने यह घोषणा भी की कि सोवियत संघ वर्तमान तनावों को दृष्टिगत कर अपने शान्ति प्रयासों की नीति जारी रखेगा। वह खास तौर से छोटे देशों की सहायता करेगा। उन्होंने पूंजीवादी विस्तार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों को भी सोवियत समर्थन जारी करने का आश्वासन दिया। 27 फरवरी, 1984 को चेरनेको द्वारा पश्चिमी देशों में समस्याओं को सुलझाने के लिए मिल-बैठकर विचार करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देशों की नीति सम्भवतः प्रतीक्षा करो और देखो की रही।

वेरुत में मयुक्तराष्ट्र संनिकों को रखने के प्रस्ताव पर 1 मार्च, 1984 को सोवियत संघ ने 'वीटो' कर दिया। 19 अप्रैल, 1984 को रूस ने प्रथम बार अमेरिका द्वारा ओलम्पिक चार्ट के उल्लंघन को लेकर बहिष्कार की चेतावनी दी और लास ऐंजिल्स में जो ओलम्पिक खेल हुए उनका महत्व रूस और उसके साथी देशों के बहिष्कार के कारण निश्चित रूप से घट गया। 5 जुलाई, 1984 को चेरनेको द्वारा पश्चिमी देशों के मध्य-यूरोप में अस्त्रों की कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

सोवियत संघ ने लम्बे समय तक चुप्पी साधने के बाद यह प्रस्ताव रखा कि बाहरी अन्तरिक्ष में अस्त्रों की होड़ रोकने के लिए रूस-अमेरिका के बीच वियना में वार्ता प्रारम्भ हो। रूस के मुद्दाव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया यह रही कि बातचीत हो सकती है परन्तु वह केवल अन्तरिक्ष-अस्त्रों तक सीमित न हो, बल्कि सभी परमाणु अस्त्रों का भण्डार कम करने के विषय में हो।

सितम्बर, 1984 में ग्रोमिको-गुल्ज वार्ता में दोनों महाशक्तियों के आपसी हितों पर—विशेषकर अस्त्र-परिमीमन पर विचार-विमर्श हुआ। 7 जनवरी, 1985 को जेनेवा में दोनों महाशक्तियों के बीच अस्त्र-परिमीमन वार्ता प्रारम्भ हुई जो कि नवम्बर, 1983 को भंग हो गई थी।

गोर्बाच्योव काल (11 मार्च, 1985)

11 मार्च, 1985 को गोर्बाच्योव बेरनेन्को के उत्तराधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव नियुक्त हुए। मिखाइल गोर्बाच्योव ने सोवियत सभ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिबेगन में सोवियत विदेश नीति के सम्बन्ध में अपने विचार निम्नवत् प्रस्तुत किए—

“विदेश नीति के इस क्षेत्र में हमारा मार्ग स्पष्ट और मुमकत है। वह है शान्ति और प्रगति का मार्ग।

पार्टी और राज्य का प्रथम लक्ष्य है अपने घनिष्ठतम मित्रों और सहयोगियों के साथ—महान् समाजवादी समुदाय के देशों के साथ बिरादराना मैत्री की हर प्रकार से हिफाजत की जाए और उसे मजबूत बनाया जाए। हम समाजवादी देशों के साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए, विश्व के मामलों में समाजवाद की भूमिका और उसके प्रभाव में वृद्धि के लिए यथाशक्ति सब कुछ करेंगे। हम चीन लोक गणतन्त्र के साथ सम्बन्धों में ठोस मुद्धार चाहेंगे और हमारा दृढ मत है कि पारम्परिकता के आधार पर यह वित्कुल सम्भव है।

हमारी पूरी सहानुभूति एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के उन देशों के साथ है जो स्वाधीनता को मजबूत करने और सामाजिक पुनर्निर्माण के मार्ग पर चल रहे हैं।

पूँजीवादी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में हम शान्ति और शान्तिपूर्ण सहजीवन के लेनिनवादी मार्ग का दृढता के साथ अनुसरण करेंगे। लेकिन हम कभी भी अपनी मातृभूमि के और अपने मित्र राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा नहीं करेंगे।

राज्यों के बीच समानता, परस्पर सम्मान तथा आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों के आधार पर शान्तिपूर्ण और परस्पर लाभप्रद सहयोग की प्रक्रिया को जारी रखने में भाग लेने के लिए तत्पर हैं।

मानवजाति के समक्ष जितने भयानक रूप में खतरा आज उपस्थित है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। वर्तमान परिस्थिति से छुटकारा पाने का एकमात्र बुद्धिसंगत उपाय शस्त्रों की खासतौर से परमाणु शस्त्रों की होड़ को पृथ्वी पर फौरन समाप्त करने तथा उसे अन्तरिक्ष में फेंकने से रोकने पर विरोधी शक्तियों के बीच समझौता है। दूसरे पक्ष को 'मात देने' तथा उस पर अपनी शक्तें लादने के प्रयत्नों के बिना दमनकारी तथा न्यायोचित आधार पर वह समझौता होना चाहिए।

हम अमेरिका के ऊपर, 'नाटो' देशों के ऊपर, एवतरफा लाभ प्राप्त करने का, उन पर अपनी सैनिक श्रेष्ठता कायम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहते, हम शस्त्रों की होड़ जारी रखना नहीं बल्कि समाप्त करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से हम परमाणु शस्त्रागारों को निष्क्रिय करने, और मिसाइलों की तैनाती को रोकने का प्रस्ताव करते हैं हम शस्त्रास्त्रों के भण्डार में वास्तविक तथा बड़ी कटौती के दृष्टिक

हैं तथा वित्त नई हथियार प्रणालियों को, चाहे वे अन्तरिक्ष के लिए हो अथवा पृथ्वी के लिए विकसित करने के पक्ष में नहीं है।

सोवियत संघ और चीन—इस काल में दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में सुधार के आसार बड़े हैं और व्यापारिक सम्बन्धों का विकास हुआ है। फरवरी, 1987 के मध्य में सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा-वार्ता हुई। अगस्त, 1987 में दोनों देशों के मध्य एक सीमा-समझौता सम्पन्न हो गया। दोनों देश सहमत हो गए कि पूर्ववर्ती सीमान्त क्षेत्र की हृदयन्दी नौ परिवहन योग्य नदियों के मुख्य जहाजरानी मार्ग के नाथ-साथ अपरिवहन योग्य नदियों अथवा उनकी मुख्य महायक नदियों के मध्य में की जाए। 21 अगस्त को मास्को व पीकिंग में एक साथ घोषणा की गई कि पूर्ववर्ती सीमान्त क्षेत्र की वास्तविक हृदयन्दी का कार्य पूरा करने के लिए दोनों सरकारें विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल नियुक्त करेंगी।

सोवियत संघ और भारत—इस काल में भारत-सोवियत सम्बन्ध और अधिक मजबूत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी गोर्बाच्योव के निमन्त्रण पर 2 मई, 1985 को छ दिन की सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि मानवता को परमाण्विक विनाश से बचाने के लिए परमाणु गस्त्रों को पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए और बाह्य अन्तरिक्ष का संन्यकरण तुरन्त रोकना चाहिए। हिन्दमहासागर से सभी मैनिफेस्ट अड्डे हटाए जाने चाहिए और दक्षिण-पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों में सभी तरह का बाह्य हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए। लेबनान से इजरायली सैनिकों को तत्काल पूर्ण वापसी हो तथा फिलिस्तीनियों को स्वतन्त्रता के अधिकार दिए जाएं। नारीबिया को स्वतन्त्र किया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन हो। 22 मई, 1985 को भारत-सोवियत व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ। 25 से 28 नवम्बर, 1986 तक मिखाइल गोर्बाच्योव भारत आए। उन्होंने भारत सरकार के माथ द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। वार्ता के उपरान्त जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में भ्रान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, प्रत्येक राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा निशस्त्रीकरण आदि में विश्वास प्रकट किया गया। परमाणु हथियारों के समाप्त किए जाने तक उनके प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिनय सम्पन्न किया जाए। परमाणु गस्त्रों से मुक्त और हिंसारहित विश्व के निर्माण के लिए जनता और सरकारों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के माथ-माथ उन्हें शान्ति पारम्परिक सम्मान और सहिष्णुता के प्रति जाग्रत करने की आवश्यकता है। युद्ध, घृणा और हिंसा का प्रचार रोका जाना चाहिए और दूसरे देशों और लोगों के बिहृद शयुतापूर्ण भावना का परित्याग किया जाना चाहिए। गोर्बाच्योव ने हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए 1988 तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन भी किया। 1987 के मध्य में दोनों देशों के बीच अनेक आर्थिक, तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक

सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच सहयोग के आठ क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिनमें विज्ञान, विकीरण स्रोत और 100 मीटर गहराई तक के पानी का बोहन शामिल है।

वारसा सन्धि के देश—बल्गारिया की राजधानी सोफिया में वारसा-सन्धि देशों के नेताओं की एक बैठक 22-23 अक्टूबर, 1985 को हुई। इस बैठक में सोवियत रूस, बल्गारिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, चेकास्लोवाकिया, रूमानिया और पोलैण्ड के राजनेताओं ने भाग लिया। इसमें सोवियत नेता गोर्बाच्योव तथा राष्ट्रपति रीगन के मध्य दिसम्बर में वाशिंगटन में होने वाली बैठक के सन्दर्भ में वारसा-सन्धि देशों की समान नीति अपनाने का निश्चय किया गया तथा पूर्व और पश्चिम पारस्परिक शस्त्रों की होड़ समाप्त करने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि—

- (1) अन्तरिक्ष में आक्रामक शस्त्रों के परीक्षण, निर्माण और स्थापित करने पर रोक लगाई जाए।
- (ii) परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाई जाए।
- (iii) जेनेवा सम्मेलन के परिणाम निकलने तक यूरोप में लगाई जाने वाली नई मध्यम दूरी की मिनाइली पर तुरन्त रोक लगाई जाए।
- (iv) रासायनिक शस्त्रों पर रोक लगाई जाए।
- (v) उत्तरी तथा मध्य यूरोप और बल्कन देशों को परमाणु शस्त्र-रहित क्षेत्र बनाया जाए।

अमेरिका—इस काल में सोवियत सघ और अमेरिका के बीच वार्ता-कूटनीति में वृद्धि हुई और सम्बन्धों में मुधार की सम्भावना भी बढ़ी। निशस्त्रीकरण को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच वार्ता के अनेक दौर सम्पन्न हुए हैं। नवम्बर, 1985 में जेनेवा में सोवियत-अमेरिका शिखर-वार्ता सम्पन्न हुई। लगभग 5 वर्ष बाद दोनों महाशक्तियों के बीच यह पहली शिखर वार्ता थी। मुख्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गम्भीर मतभेद बने रहे तथापि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ता का आगे जारी रखने का निश्चय दोनों ही नेताओं ने किया। दोनों नेताओं के बीच पाँच विषयों पर सहमति हुई जिनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान, उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई-प्रतिरक्षा एवं भौर ऊर्जा-तकनीक पर अनुसन्धान शामिल हैं।

अनेक व्यवधानों और गम्भीर उतार-चढ़ाव के बाद 7 दिसम्बर, 1987 को रीगन-गोर्बाच्योव शिखर वार्ता वाशिंगटन में हो रही है। यह आशा की जाती है कि इसमें यूरोप से मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटाने पर दोनों महाशक्तियाँ सहमत हो जाएँगी। यह परमाणु शस्त्र परिमोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सोवियत विदेश नीति इस अर्थ में सफल रही कि एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप में सोवियत सघ का प्रभाव

बड़ा है और अमेरिका तथा उनके साथी राष्ट्रों की चुनौतियों का उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। महायुद्ध के बाद तीन वर्षों में ही सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की स्थापना में सफलता प्राप्त की। पश्चिमी एशिया के अरब जगत् पर सोवियत रूस की पकड़ बढी और भारत के साथ उसकी मैत्री प्रगाढ़ हुई। भूमध्यसागर और हिन्दमहासागर में सोवियत नौ सेना की शक्ति में वृद्धि हुई है। जापान के साथ भी रूस के सम्बन्ध मधुर बनते जा रहे हैं और दोनों पक्षों में आर्थिक सहयोग की नींव मजबूत हुई है। पश्चिमी जर्मनी से समझौता करके भी रूस ने अपनी स्थिति मुदृढ़ की है। फ्रांस गत कुछ वर्षों से रूस के पक्ष में जितना झुका है यह स्थिति अमेरिकी गुट की अपेक्षा रूस के लिए अधिक उत्साहवर्धक है। अमेरिका के अतिरिक्त केवल चीन ही रूसी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन अमेरिका और रूस में पर्दे के पीछे परस्पर सहयोग और सहअस्तित्व की जो गुप्त बातें चल रही हैं उनसे अधिकतर यही अनुमान है कि निकट भविष्य में चीन रूस के साथ प्रतिद्वन्द्विता त्याग कर पुनः सहयोग की नीति का अनुसरण करने लगेगा।



भारत की विदेश नीति (The Foreign Policy of India)

भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु भारत की विदेश नीति का सूत्रपात 2 सितम्बर, 1946 से माना जा सकता है जबकि एक अन्तरिम सरकार का निर्माण हो गया और यह समझा जाने लगा कि भारत वास्तव में अपनी विदेश नीति का अनुसरण करने में स्वतन्त्र है।

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार

मार्च, 1950 में लोकसभा में भाषण देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था— “यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नीति के क्षेत्र में एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे अतीत के इतिहास से और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उन सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है जिनकी धोपणा अतीत में हम समय-समय पर करते रहे हैं।”

भारतीय विदेश नीति का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में किया गया, यह एक सत्य है तथापि इसके निर्माण में प्राचीन भारतीय परम्परा और स्वाधीनता संग्राम के उच्च आदर्शों ने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा की। भारतीय चिन्तन और दर्शन में सदैव भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों को स्वीकार किया गया और सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है, अतः जब भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट-निरपेक्षता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तत्त्वों को सर्वोपरि महत्त्व दिया तो इसके पीछे भारत की यही मनीषा थी। भारतीय विदेश नीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, फासिज्म आदि का विरोध सन्निहित है, जिसे स्वाधीनता-संघर्षकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनेक प्रस्तावों द्वारा स्पष्ट कर चुकी थी। इस प्रकार यह दावा सही है कि भारत की विदेश नीति का उदय आकस्मिक नहीं है, बल्कि इसके आधार ऐतिहासिक हैं। पामर एच पाकिंस के शब्दों में “भारत की विदेश नीति की जड़े विगत कई शताब्दियों में विकसित समस्याओं के मूल के छिपी हैं और इसमें चिन्तन-शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आन्दोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

की पहुँच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्त्व के गांधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा।¹

भारतीय विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य

भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना और उसे प्रोत्साहन देना।
- 2 सभी पराधीन देशों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देना क्योंकि भारत की दृष्टि से उपनिवेशवाद केवल मूल मानव अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का सतत कारण भी है।
- 3 जातिवाद का विरोध और ऐसे समानतापरक समाज के विकास का समर्थन जिसमें रंग, जाति और वर्ग के किसी भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो।
- 4 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान।
- 5 इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और सम्पूर्ण मानवता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सक्रिय सहयोग।

पामर एव पाकिंस ने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार गिनाए हैं²—

- 1 जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध,
- 2 साम्यवाद अथवा शक्ति-राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल,
- 3 एशियाई देशों की अपेक्षा अथवा उनके विरुद्ध बल प्रयोग न सहने का आग्रह,
- 4 स्वतन्त्रता अथवा असतन्त्रता की नीति पर बल,
- 5 संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास;
- 6 शीतयुद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा सगठनों से बचना, एव
- 7 अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की सम्भावनाएँ बढ़ाने के प्रयत्नों में आस्था।

¹ भारत की विदेश नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों में आदर्श और यथार्थ का सुन्दर समन्वय है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीतियों से राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि महत्त्व देता है और विदेश नीति की सफलता की सबसे बड़ी बमोटी इस बात में है कि वह राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में वहाँ तक सफल हुई है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् और कठिनाइयों के बावजूद, भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय हितों का पोषण और मवर्धन किया है। इजरायल के विरुद्ध अरब राष्ट्रों का समर्थन, हंगरी और बेल्गेम्लोवाकिया में रूसी दमन-वक्र के विरोध में शिथिलता, अमेरिका

की तुलना में सोवियत संघ की प्राथमिकता, आदि कुछ बातों के कारण भारतीय विदेश नीति में विरोधाभास का आरोप लगाया जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किसी देश की विदेश नीति को कठोरता का जामा नहीं पहनाया जा सकता। राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में लचीलापन स्वाभाविक है। तथापि भारत 1947 में जिस प्रकार एक गुट-निरपेक्ष देश था वैसे ही आज भी गुट-निरपेक्ष है। भारत ने 1957 में सह-अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया था और आज भी सह-अस्तित्व का प्रबल समर्थक है। इसी प्रकार भारत ने सदैव जातिवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद आदि का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत ने जो आस्था रखी है और संघ के कार्यों में जो सहयोग दिया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नेहरू के ये शब्द, जो उन्होंने 4 दिसम्बर, 1947 को संविधान सभा में कहे थे, इस बात का प्रमाण है कि विदेश नीति का निर्माण भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया है—

“आप चाहे कोई भी नीति अपनाएँ, विदेश नीति का निर्धारण करने की कला राष्ट्रीय हित के सम्पादन में ही निहित है। हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और स्वतन्त्रता की चाहे कितनी ही बातें करें और उनका कंसा ही अर्थ लगाएँ, किन्तु अन्ततोगत्वा एक सरकार अपने राष्ट्र की भलाई के लिए ही कार्य करती है और कोई भी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर हो, अतः सरकार का स्वरूप चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी, धर्मवादी या समाजवादी, उसका विदेशमन्त्री मूलतः राष्ट्रीय हित में ही सोचता है।”

यही बात पैडलफोर्ड एव लिंकन ने इन शब्दों में कही है—

“विदेश नीतियों का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होता, वरन् ये राष्ट्रीय हितों के व्यावहारिक चिन्तन का परिणाम होती हैं।”

भारत की विदेश नीति के मौलिक तत्त्व आज भी वही हैं जो पहले थे। अन्तर केवल इतना ही आया है कि नेहरू युग के प्रारम्भ में आदर्शवाद पर अधिक वन रहा, अपने जीवन की सध्या में नेहरू भी यथार्थवाद को महत्त्व देने लगे थे। आशुतोष युग में यथार्थवाद को अधिक महत्त्व देकर तुष्टिकरण की नीति का परित्याग किया जाने लगा। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सन्तुलन स्थापित करने की कोशिश की। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को श्रीमती गाँधी ने अच्छी तरह समझा और देश की विदेश नीति के आदर्शवादी सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए उसे पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक, मुदद और आत्मविश्वासपूर्ण बनाया। पहले बंगलादेश के सन्दर्भ में, फिर पाकिस्तान के प्रति और साथ ही रूस एवं अमेरिका जैसी महाशक्तियों के प्रति श्रीमती गाँधी ने विदेश नीति का कुशल संचालन किया। भारत ने उपनिवेशवाद और जातिभेद का विरोध किया और गुट-निरपेक्षता तथा सह-अस्तित्व के आन्दोलन को पूर्वापेक्षा सबल बनाया।

मार्च, 1977 में पहली बार कांग्रेस के स्थान पर किसी अन्य दल की सरकार बनी परन्तु विदेश नीति नहीं बदली। नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सक्रिय गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलता रहेगा। 4 अप्रैल, 1977 को राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हुए प्रधानमंत्री श्री देसाई ने कहा—

“हम पूरे दिल से शान्ति कायम रखने में विश्वास रखते हैं। शान्ति हम तभी रख सकते हैं जब हम बिना किसी डर या पक्षपात के गुट-निरपेक्षता के सही रास्ते पर चलें। दुनिया की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को मिलकर और आपसी सहयोग से हल करने का सिद्धान्त ही हमारी विदेश नीति का निर्देशक सिद्धान्त होगा।”

जनवरी, 1980 में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्तारूढ़ हुई तथा पुनः परम्परागत विदेश नीति के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा—

“गुट-निरपेक्षता अपने आप में एक नीति है। यह केवल एक लक्ष्य ही नहीं है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि निर्णय की स्वतन्त्रता और राष्ट्र की सच्ची शक्ति तथा बुनियादी हितों की रक्षा की जाए।”

विदेश नीति के मूल आधार राजीव गांधी की सरकार आने पर भी ज्यों के त्यों बने रहे।

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण कुछ तत्त्व करते हैं। भारत इसका अपवाद नहीं है। प्रस्तुत है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्वों का विश्लेषण।

भौगोलिक तत्त्व

भारत एक विशाल देश है जिसकी लगभग 3500 मील लम्बी समुद्री सीमा और 8200 मील लम्बी स्थल सीमा है। समुद्री सीमा का तीन दृष्टियों से विशेष महत्त्व है—प्रथम, हिन्द महासागर में महाशक्तियों की होड़ भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकती है, द्वितीय, भारत का अधिकांश विदेश व्यापार हिन्द-महासागर द्वारा होता है, एवं तृतीय, विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए अनिवार्य है कि भारत शक्तिशाली नौ-सैनिक बल का विकास करे। भारत की स्थल सीमाएँ पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बर्मा के मिलती हैं।

अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत की विदेश नीति का निर्धारण निम्नलिखित हितों को ध्यान में रखकर हुआ है—(1) जिन सीमावर्ती एवं अन्य देशों में देश की सुरक्षा को भय हो, उनके साथ तटस्थता अथवा मित्रता का व्यवहार। ये देश हैं—ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, हिन्द-चीन, साम्यवादी चीन आदि। (2) पश्चिम एशिया के देशों से तेल प्राप्ति की दृष्टि से मित्रता। (3) सीमावर्ती राज्यों में बसने वाले भारतीयों का कल्याण और भारतीय व्यापार का विस्तार। (4) हिन्दमहासागर में भारत की सुरक्षा और व्यापार के आधारभूत समुद्री तथा हवाई मार्गों की सुरक्षा। (5) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा प्रभुतासम्पन्न

राष्ट्रों के मामलों में अपने देश के इतिहास, हित और संस्कृति के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

आर्थिक एवं सैनिक तत्त्व

मद्रियो की गुलामी में भारत का आर्थिक शोषण होता रहा, अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक और सैनिक तत्त्वों का विशेष महत्व रहना स्वाभाविक था और आज भी है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से अधिक स्पष्ट हो जाएगी—

(i) भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि विश्व-शांति को प्रोत्साहन देते हुए वह दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहे।

(ii) भारत के नीति-निर्माताओं ने यह बली प्रकार समझ लिया कि उनका देश विश्व के पूँजीवादी और साम्यवादी शिविरो के साथ मित्रता स्थापित करके दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अतः भारत ने यही नीति अपनाई कि किसी भी पक्ष के साथ सैनिक सन्धि में न बँधा जाए तथा किसी भी गुट के साथ ऐसी सन्धि न की जाए जिससे देश की गुट-निरपेक्षता और मध्यभूता पर अर्थ आए। भारत ने विदेशों से जो भी आर्थिक और प्राविधिक सहायता प्राप्त की वह राजनीतिक शर्तों से मुक्त रही।

(iii) नवोदित भारत सैनिक दृष्टि से निर्बल था, अतः विदेश नीति के निर्धारकों ने यह उपयुक्त समझा कि दोनों गुटों की सहायता प्राप्त की जाए। यह तभी सम्भव था जब गुट-निरपेक्षता और सह-अस्तित्व की नीति अपनाई जाती।

(iv) भारत जैसे विशाल और महान् देश के लिए यह स्वाभाविक था कि वह ऐसी विदेश नीति का अनुसरण करता जिससे उसकी स्वयं की निर्णय-शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ सके।

जिन आर्थिक और सैनिक तत्त्वों ने 1947 में भारत की विदेश नीति के निर्धारण में योग दिया वे तत्त्व आज भी उतने ही मजबूत हैं। 1985 का भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से 1947 के मुकाबले वहीं अधिक सबल है, इसका श्रेय गुट-निरपेक्षता और शान्ति की नीति को है जो भयंकर कठिनाइयों में भी भारत के लिए हितकारी सिद्ध हुई है।

ऐतिहासिक परम्पराएँ

अतीत से ही भारत सहिष्णु और शान्तिप्रिय देश रहा है। इतिहास साक्ष्य है कि भारत ने कभी किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव साधने या उसकी प्रादेशिक अखण्डता को भंग करने की चेष्टा नहीं की। यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्त्व है। स्वाधीन भारत ने पिछले चार दशकों में सभी देशों के साथ समानता और मित्रता की नीति निभायी है। पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक आक्रमण किए और प्रत्येक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया, किन्तु उस पर अपनी शर्तें नहीं लायीं। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का जो भू-भाग भारत ने छीन लिया था वह ताश्कन्द समझौते द्वारा लौटा दिया गया।

1971 में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी लेकिन शिमला समझौते द्वारा भारत ने समस्त अधिभूत भूमि पाकिस्तान को लौटा दी। साम्यवादी चीन ने भी भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया और 1962 में अचानक विशाल पैमाने पर आक्रमण करके भारत की कुछ भूमि हड़प ली तथापि भारत समस्या को बातचीत में हल करने की कोशिश करता रहा है।

वैचारिक तत्त्व

भारत की विदेश नीति गाँधीवाद से काफी प्रभावित रही है। इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी कम नहीं है। समाजवादी शिविर के प्रति भारत की सहानुभूति बहुत कुछ मार्क्सवादी प्रभाव का परिणाम मानी जा सकती है। गृह-नीति के क्षेत्र में भी भारत ने भी समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना का लक्ष्य सामने रखा है। पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की विदेश नीति पर काफी प्रभाव पड़ा है। भारत की विदेश नीति की नींव डालने वाले जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य लोकतन्त्रीय परम्पराओं से बहुत प्रभावित थे। वे पश्चिमी लोकतन्त्रवाद और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों को पसन्द करते थे और उनकी बुराइयों में बचना चाहते थे। इस प्रकार की समन्वयकारी विचारधारा ने गुट-निरपेक्षता की नीति के विकास में योग दिया।

राष्ट्रीय सघर्ष

भारत के स्वाधीनता सघर्ष ने विदेश नीति के निर्धारण में उल्लेखनीय योग दिया क्योंकि—(i) इसके कारण भारतीय विदेश नीति में स्वतन्त्रता सर्वोपरि मूल्य बन गई तथा महाशक्तियों के सघर्ष का मोहरा न बनने का सकल्प उत्पन्न हुआ; (ii) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष रहते हुए सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना जाग्रत हुई; (iii) हर प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद का विरोध करने का अद्भुत साहस उत्पन्न हुआ; एवं (iv) विश्व के समस्त स्वाधीनता-आन्दोलनों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई।

वैयक्तिक तत्त्व

अन्य देशों की भाँति भारत की विदेश नीति पर भी वैयक्तिक तत्त्वों का, विशेषकर पण्डित नेहरू के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव रहा है। प. नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के समर्थक थे। वे मैत्री, सहयोग और सह-अस्तित्व के पोषक थे, लेकिन अत्यायपूर्ण आक्रमणों को रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग को भी उतना ही महत्त्व देते थे। महाशक्तियों के सघर्ष में भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के समस्त नव-स्वाधीन राष्ट्रों के लिए वे असलगमता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अपने उन्ही विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति का निर्माण किया। प. नेहरू के प्रतिरिक्त राष्ट्रपति डॉ. राजाज्जणन्, विदेश मंत्री बी. के. कृष्णामेनन और चीन में भारत के राजदूत के. एम. पणिकर भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में थे जिन्होंने भारत

की विदेश नीति को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन के प्रति भारत की प्रारम्भिक नीति के निर्धारण में के एम पणिककर का विशेष हाथ रहा। उनके मूल्यांकन के कारण ही तिब्बत और चीन के बारे में भारत की विदेश नीति विफल रही।

(भारत की शान्तिप्रियता, सहिष्णुता, मैत्री और सहयोग की भावना आज भी उतनी ही बलवती है जितनी पहले थी, केवल अन्तर यह आया कि इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के वस्तुनिष्ठ और व्यावहारिक चिन्तन ने भारतीय विदेश नीति को शक्ति का आयाम प्रदान कर दिया।

राष्ट्रीय हित

विदेश नीति का निर्माण केवल सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होता, वह राष्ट्रीय हितों के व्यावहारिक विश्लेषण का परिणाम होती है। (भारत की विदेश नीति में भी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय हित समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहे, अतः भारत की विदेश नीति में जड़ता नहीं आई। भारत न किसी साम्राज्य का आकांक्षी है, न उसे अपने किसी उपनिवेश की रक्षा करनी है। भारत ने न अन्तर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद-माओवाद की क्रान्ति का बीड़ा उठाया न किसी विचारधारा अथवा शासन-प्रणाली के विरोध में कोई सैनिक संगठन स्थापित किया।)

भारत और गुट-निरपेक्षता

गुट-निरपेक्षता अथवा असतन्त्रता की नीति को सबसे पहले व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भारत को है। स्वतन्त्र भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार इसे ही बनाया। गुट-निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति-गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतन्त्र नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना। इसका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 'तटस्थता' नहीं है। गुट-निरपेक्ष देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति अपनाते हैं जो विश्व-शान्ति कायम रखने में सहायक हो। गुट-निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतन्त्र नीति-नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य-अनीचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ मिलकर उचित-अनुचित का विचार किए बिना घाँस मूँदकर पीछे-पीछे चलना गुट-निरपेक्षता नहीं है। 'तटस्थता' और 'गुट-निरपेक्षता' पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इनमें यह समानता तो है कि दोनों के अन्तर्गत शीत-युद्ध के समय संघर्ष से अलग रहा जाता है, लेकिन आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है, वहीं गुट-निरपेक्ष देश युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से उल्लंघन नहीं करता है। न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। निवट्जरलैण्ड एक 'तटस्थ' देश है जबकि भारत एक 'गुट-निरपेक्ष' देश है। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था—“मैं 'तटस्थ' शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। शान्तिनाम में

भी इससे एक प्रकार के युद्ध की भनावृत्ति प्रकट होती है।" जॉर्ज लिस्का ने लिखा है कि—“किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किन्तु असलग्नता या गुट-निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना।”

गुट-निरपेक्षता निष्क्रियता का सिद्धान्त नहीं है। यह सक्रियता और स्वतन्त्रता का सिद्धान्त है। यह चुप्पी लगाकर बैठ जाने या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सन्ध्यास लेने की नीति नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुट-निरपेक्षता का मुख्य अभिप्राय है कि किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बँधना, हर प्रकार की आक्रामक सन्धि से दूर रहना, शीतयुद्ध से पृथक् रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। 1961 में जवाहरलाल नेहरू, गभेल अट्टेल नागिर और मॉर्गल जोसेफ टोटो ने इसके पाँच आधार अथवा तत्त्व स्वीकार किए थे—

- 1 स्वतन्त्र नीति का अनुसरण,
- 2 उपनिवेशवाद का विरोध,
- 3 किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न बनना,
- 4 किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न करना, एवं
- 5 अपने क्षेत्र में किसी भी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न देना।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता के बारे में नेहरू जी ने कहा था—
“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, अथवा जहाँ आक्रमण होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”

सैद्धान्तिक आधार पर ‘भारत और गुट-निरपेक्षता’ पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान् के. पी. मिथ की व्याख्या इस अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। उन्हीं के शब्दों में—

गुट-निरपेक्षता, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश नव-स्वतन्त्र देशों की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य के रूप में और एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में दोनों ही दृष्टियों से सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक निर्णायक कारण रहा है। हालाँकि, एक आन्दोलन के रूप में इसका जन्म बेलग्रेड में 1961 में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के शीर्ष-सम्मेलन से हुआ था, लेकिन विदेश नीति में एक दिशा के रूप में, इसका मूलपात भारत द्वारा काफी पहले किया जा चुका था।

हमारा स्वतन्त्रता आन्दोलन इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करना, जहाँ इसका एक मुख्य उद्देश्य था, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों

की नहरो और हिलोरो के बारे में यह सचेत और संवेदनशील भी था। यह विशेष रूप से तब अधिक उजागर हुआ जब देश के राजनीतिक मानचित्र में जवाहरलाल नेहरू उभर कर आए। उनकी रुचि और पहल के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनेक प्रकार के संकल्प पारित किए जिनमें सत्तार की समस्याओं के बारे में भी विचार प्रकट किए गए थे। इसी प्रक्रिया के दौरान गुट-निरपेक्षता का बीजारोपण हुआ था।

गुट-निरपेक्षता से सम्बन्धित विचारों को, हमारे देश द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ठोस रूप दिया गया। भारत की अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने 7 नवम्बर, 1947 को रेडियो भाषण दिया जो अब तक असंख्य बार उद्धृत किया जा चुका है और जो हमारी गुट-निरपेक्ष नीति का मूलाधार है। उन्होंने कहा था—

“हमारा विचार है कि जहाँ तक सम्भव हो उन गुटों की ताकत की राजनीति से दूर ही रहे जो एक-दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं जिनकी वजह से पहले विश्व-युद्ध हो चुके हैं जो फिर से, इनसे भी अधिक सतरनाक युद्धों की ओर खींच कर जा सकते हैं।”

नकारात्मक विचार नहीं है

यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी हो जाता है कि गुट-निरपेक्षता, अपने यथार्थ रूप में, कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। शीतयुद्ध की अवधि के दौरान गुटपरक राजनीति या सैनिक गठबन्धनों से अपने आप को अलग रखना गुट-निरपेक्षता का केन्द्र-बिन्दु बन गया था, क्योंकि उस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भ्रमे में फँस जाने पर अपनी नीति के सकारात्मक उद्देश्य, अर्थात् आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पिछड़े हुए देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में तेजी लाने का उद्देश्य ही खटाई में पड़ सकता था। यही नहीं, गुट-निरपेक्षता तो शीतयुद्ध से पहले भी मौजूद थी। जहाँ तक यह बात है कि ‘गुट-निरपेक्षता’ शब्द ऊपर से नकारात्मक प्रतीत होता है, तो भारतीयों के चिन्तन के तरीकों के परिप्रेक्ष्य में यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि वे समस्त ठोस और रचनात्मक विचारों को ‘अहिंसा’ और ‘अप्रमाद’ जैसी नकारात्मक शब्दावली के माध्यम से प्रकट करते रहे हैं। इसी प्रकार, गुट-निरपेक्षता, अपने मूल, अपने आधार, अपनी प्रेरणाओं, उद्देश्यों और कार्य-प्रणाली की दृष्टि से तटस्थता से भिन्न होती है। यह मोचना भी भूल ही होगा कि गुट-निरपेक्षता और शक्ति की राजनीति या एकान्तवाद में कोई समानता होती है।

यह स्वाभाविक ही है कि गुट-निरपेक्षता में कुछ मूल्यमानों से अन्तर्विरोध निहित हो और साथ ही कुछ ऐसे मूल्यों को प्रोत्साहन निहित हो जो उसकी मूल दिशा के मान्य मेल खाते हों।

पहनी श्रेणी में आती है महाशक्ति-प्रतिद्वन्द्विता के सन्दर्भ में परिवर्तित सैनिक गुटबन्दी से अलग रहने की नीति। गुट-निरपेक्षता में आस्था रखने वालों की

यह दृढ़ मान्यता है कि इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य अपने-अपने प्रभाव के गूढ़ खडे करना, हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देना और इस तरह तनाव तथा झगड़े पैदा करना होता है। इस तरह की राजनीति उन नए राष्ट्रों के लिए अनुकूल नहीं बैठती जिनके सामने सामाजिक-आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने और शान्ति तथा सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था पैदा करने के तात्कालिक काम होते हैं। गुट-निरपेक्षता के प्रवर्तक भारत जैसे देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर जो सन्तोष और भरोसा होता है वह केवल इसलिए नहीं कि विश्व समुदाय के तीन-चौथाई देश गुट-निरपेक्षता के आन्दोलन में शामिल हो गए हैं अपितु इसलिए भी कि गुट-निरपेक्षता के बुनियादी सिद्धान्तों को सैनिक गुटों के सदस्य देश भी स्वीकार करने लगे हैं। अभी हाल ही में कुछ गुट-बन्धियों का टूट जाना वास्तव में, गुट-निरपेक्षता के फैलाव का ही द्योतक है।

राष्ट्रीय हित साधन

भारत जिन मूल्यों को गुट-निरपेक्षता के माध्यम से बढ़ावा देना चाहता है वे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के जास-पास केन्द्रित हैं जो शान्ति और न्याय पर आधारित हो। वह असंदिग्ध रूप से यह जानता है कि विदेश नीति का संचालन कोई सन्तों का पथ नहीं है और इसीलिए राष्ट्रीय हित की मिद्धि अन्य सभी उद्देश्यों से ऊपर होनी चाहिए। चूँकि, राष्ट्रीय हित गुट-निरपेक्षता के नियम पर आधारित होता है इसलिए एक नभेकित और सामंजस्यपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के रूप में गुट-निरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत करने में यह एक अन्तर्निहित बाधा होती है। सभी देशों के राष्ट्रीय हित भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और किसी विशेष समय पर पैदा होने वाले अन्य कारणों से निर्धारित होते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय हित के विभिन्न सघटक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं।

भारत ने राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद का एक सगम पैदा करने की कोशिश की। प्रबुद्ध निजी हितों को बढ़ावा देना, इसीलिए गुट-निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें सन्देह नहीं होना चाहिए कि गुट-निरपेक्षता एक साधन मात्र है, वह अपने आप में माध्य नहीं है। माध्य तो है निश्चित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति या उपलब्धि।

शान्ति और सहयोग पर बल

गुट-निरपेक्षता की चिन्ता का मुख्य जोर विश्व-शान्ति पर तब होना स्वाभाविक ही है जब भयंकर परमाणु अस्त्रों का विकास हो और विभिन्न देशों के बीच वैमनस्य के बीज पनप रहे हों। महायुद्ध की काली छाया समस्त अन्तर्राष्ट्रीय आकाश पर अक्सर मडराती रहती है। उसके परिणामस्वरूप कभी भी व्यापक विध्वंस की घटना घट सकती है। गुट-निरपेक्षता देना यह मानते हैं और अभी भी मानते हैं कि युद्ध से उनके विकास के सारे सारे ध्वस्त हो सकते हैं। वे अपनी नवप्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता में आर्थिक और प्रांचोगिकी विकास का समावेश

करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता सिद्धान्त रूप में इस बात के विरुद्ध हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में शक्ति का प्रयोग किया जाए, वे यह भली-भाँति जानते हैं कि युद्ध से समस्याएँ हल होने के बजाय और अधिक उग्र हो जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए उनकी चिन्ता अधिक रहती थी कि उनके अन्य प्रयास उससे दब जाते थे और कभी-कभी उन पर यह आरोप लगाया जाता था कि कुछ नेता अपने राष्ट्रीय हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुट-निरपेक्षता के पीछे यह दृढ़ भावना थी कि जो प्रगति नए राष्ट्रों में गरीबी और बीमारी का उन्मूलन करने के लिए इतनी अनिवार्य है, वह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि शान्ति स्थापित न हो। इस तरह शान्ति और घरेलू विकास के बीच एक सीधा सम्बन्ध था जो कहे कि धोली-दामन का साथ है। इसीलिए शान्ति और प्रगति गुट-निरपेक्षता के प्राप्त वाक्य या नारे बन चुके थे। भारतीय नेताओं की धोपणाएँ इस विचारधारा के पर्याप्त प्रमाण हैं।

गुट-निरपेक्ष देशों के प्रबुद्ध और राष्ट्रीय हितों के सर्वद्वन्द्वन के लिए यह अपेक्षित है कि उनके आर्थिक और प्रौद्योगिकीकरण की दृष्टि से पिछड़ेपन पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। अपनी स्वतन्त्रता के आरम्भिक चरण में उन्होंने विकसित देशों से आर्थिक और अन्य प्रकार की विदेशी सहायता माँगी और वह मिली भी। लेकिन, उन्हें जल्दी ही यह पता चल गया कि विदेशी सहायता के राजनीतिक-आर्थिक परिणाम प्रतिकूल होते हैं। साथ ही इसके नैतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थ भी सहायता लेने वाले देश के हित में नहीं होते। अतः एक अवस्था ऐसी आ गई थी जब भारत जैसे गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा फूँक-फूँकर कदम रखते हुए विदेशी सहायता को उन्हीं क्षेत्रों के लिए आमन्त्रित किया गया जो भावी विकास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी ज्ञान और अन्तःसंरचना इस तरीके से पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण थे कि कुछ समय के बाद उस सहायता की कोई जरूरत ही न पड़े। अलग-अलग देशों के अपने-अपने रुख के अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने धीरे-धीरे कुछ वर्षों के दौरान एक ऐसी स्थिति को तैयार किया है जिसे उनकी शब्दावली में सामूहिक आत्म-निर्भरता कहा जाता है। इस धारणा के अन्तर्गत अपने साधनों का समुच्चय बनाना, अपनी अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में सहायक साधनों की खोज करना और इस तरह ऐसा प्रयास करना कि विकसित देशों पर अपनी निर्भरता दिनोदिन कम होती जाए। गुट-निरपेक्षता अपने इन प्रयासों के अभी आरम्भिक चरण में ही है और इस विचार को वास्तविकता में बदलने से पहले राजनीतिक इच्छा की दृष्टि से बहुत कुछ करना जरूरी होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक नया विचार-मन्थन शुरू हो चुका है, हालाँकि इसके मार्ग में अभी विशाल, जटिल और दुरूह समस्याएँ खड़ी हैं।

इस सारे परिप्रेक्ष्य में भारत की अपनी एक विशेष स्थिति बन चुकी है। यद्यपि एक गरीब देश होने के कारण इसकी अपनी ही विलक्षण समस्याएँ हैं लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था में अब कुछ जान पड़ चुकी है। खाद्यान्न की स्थिति संतोषजनक

हे, इसके विदेशी मुद्रा के कोष में पर्याप्त धनराशि है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों से अब यह लगभग 50 देशों को आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहायता देने में समर्थ है जो अधिकांश दक्षिण, पूर्व और पश्चिम एशिया के देश हैं। इनमें से अधिकांश देश किसी गुट में शामिल नहीं हैं। इसकी अर्थव्यवस्था पहले से अब इतनी मजबूत है कि बाहरी हमलों या खराब मानसून जैसे प्रतिकूल आन्तरिक कारणों का धक्का बर्दाश्त कर सकती है। इस प्रकार एक अल्प सीमा तक यह इस स्थिति में है कि गुट-निरपेक्ष देशों में सामूहिक आत्म-निर्भरता के आदर्श को बढ़ावा दे सके।

विश्व की गतिविधियों में योगदान

भारत की गुट-निरपेक्षता का एक अन्य उल्लेखनीय लक्षण यह है कि कहीं भी घटने वाली घटनाओं और समस्याओं पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, किसी विचारधारा और अन्य गुटवाद या मतभेदों के वशीभूत होकर इसका पक्षपातपूर्ण फैसला करने के बजाय देशों द्वारा स्वतन्त्र रूप में फैसला करने की इसमें परिकल्पना की गई है।

गुट-निरपेक्षता की अवधारणा में कम से कम इसके भारतीय स्वरूप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रजातान्त्रिक तरीका अपनाने पर बल दिया गया है। जब विदेश मन्त्री डलेस और उप-राष्ट्रपति निक्सन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बारे में लगभग अन्नद भाषा का प्रयोग किया तो नेहरू ने उनसे यही आग्रह किया था कि किसी विचार-विमर्श को न तो दबाना चाहिए और न नए राष्ट्रों के विदेशी मन्त्रियों पर विचार-विमर्श करने में सहन शक्ति छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं यह कहने का अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री डलेस और श्री निक्सन ने जो कुछ कहा है वह प्रजातान्त्रिक जीवन-पद्धति के विपरीत है। विभिन्न मत-मतान्तरों के लिए सहनशक्ति ही प्रजातन्त्र का मूलधार है।"

यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से गुट-निरपेक्ष देश निह्यात कमजोर हैं और उनकी सैनिक शक्ति भी नहीं के बराबर है लेकिन तो भी गुट-निरपेक्षता का जन्म नितान्त भौतिक दुर्बलता के कारण नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व-युद्ध के तत्काल बाद की अवधि के दौरान जब विश्व के देशों का दो गुटों के बीच घुंकीकरण कमोवेश पूरा हो चुका था, तब किसी राष्ट्र के लिए यह घोषणा करना कि वह उनमें से किसी से भी पछलगू नहीं बनेगा, बड़े ही दृढ़ विश्वास भर साहस और असाधारण नैतिक बल का काम था। नेहरू ने इस नीति की उस भारत के लिए व्याख्या की थी जो "पुनर्जाग्रत, जीवन्त, निर्भीक था, जिसका अंतिम महान् है और जिसका भविष्य और भी महान् होगा।"

ऊपर बताए गए तत्त्व के अलावा, गुट-निरपेक्षता का इसमें भी विश्वास है कि नस्लवाद और उपनिवेशवाद, किसी भी आकार या किसी भी रूप में हो, अहितकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए, सर्वत्र और पूर्ण निःशस्त्रीकरण करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएँ, देशों की प्रादेशिक और राजनीतिक अखण्डता

का सम्मान किया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को यथा-सम्भव शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का प्रयास किया जाए, और दोस्ती के दरवाजे हर देश के लिए खोल दिए जाएँ।

स्वाधीन भारत की नीति सैनिक अथवा राजनीतिक गठबन्धनों से तटस्थ रहने की थी, पर यह निष्क्रियता की नीति नहीं थी। यह नीति परिस्थितियों के अनुकूल विश्व-शान्ति और उपनिवेशों की स्वाधीनता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में क्रियाशीलता की थी। गुट-निरपेक्ष देश के रूप में भारत की भूमिका को शीघ्र ही मान्यता मिल गई। भारत ने कितने सफल रूप में इस नीति को लागू बढ़ाया, यह कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है—

1 सबसे पहले कोरिया के संकट के समय भारत के स्वतन्त्र फौजला कर बनने की क्षमता तथा शीतयुद्ध से प्रभावित इस मामले में उसकी कार्यवाही की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत तटस्थ राष्ट्रों के प्रत्यावर्तन-आयोग का अध्यक्ष था। उसने युद्धयन्त्रियों की बदला-बदली के कार्यों के निरीक्षण के लिए अपनी सेना भी भेजी। यह उसकी स्वतन्त्र विदेश नीति, गुट-निरपेक्षता और कोरिया के संकट के प्रति उसके सद्धान्तिक दृष्टिकोण की मान्यता थी।

2. 8 सितम्बर, 1951 को भारत ने सानफ्रांसिस्को में होने वाली जापान शान्ति-सन्धि में अमेरिका की शर्तों पर आपत्ति उठाकर, एक बार फिर अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण का परिचय दिया। भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, इसके साथ ही उनमें जापान के साथ युद्ध-समाप्ति के लिए अलग से कार्यवाही की।

3 कोरिया की तरह ही हिन्द-चीन में भी भारत का प्रयास इस क्षेत्र को शीतयुद्ध का शिकार बनाने से रोकना था। भारत की दृष्टि में यह संकट साम्राज्यवाद की पुनः स्थापना के विरुद्ध राष्ट्रवादी संघर्ष था। यहाँ भी भारत ने अमेरिका के इस इरादे का विरोध किया कि वह फ्रांसीसी सरकार द्वारा वियतमिन्ह के विरुद्ध युद्ध में तेजी लाने का समर्थन करे। हिन्द-चीन पर होने वाले जिनेवा सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन परदे के पीछे उसकी सक्रियता ने वार्ता में सहायता की। भारत ने साम्यवादी देशों की आशंका कम करने के लिए जो भूमिका अदा की थी उसे ब्रिटिश सरकार ने भी मान्यता दी। जब जिनेवा-सम्मेलन एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की स्थापना के लिए महमत् हो गया तो भारत को उसका अध्यक्ष चुना गया।

4 1956 के स्वेज नहर के संकट के प्रति भारत के रवैये ने गुट-निरपेक्ष देशों की एकजुटता को मजबूत करने और उनकी स्वाधीनता के प्रदर्शन में सहायता की। भारत ने ब्रिटेन-फ्रांस की कार्यवाही का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे सैनिक शक्ति की राजनीति से समस्या का समाधान करना चाहते थे जो 19वीं शताब्दी में

प्रचलित थी। भारत का प्रयास सधर्परत पक्षों के बीच शत्रुता कम करने का था। शान्तिपूर्ण वार्ता और समझौते के लिए ब्रिटेन, फ्रांस व मिस्र के विदेश मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत योजना में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को शामिल किया गया। भारत ने इजरायल और मिस्र के बीच गाजापट्टी में अस्थाई युद्ध-विराम अधीक्षण के लिए तैनात संयुक्तराष्ट्र सेना के लिए टुकड़ी भेजी।

5. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था शीतयुद्ध हो या गरमयुद्ध, इसका विकल्प शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व ही है। इसकी परिभाषा उन्होंने इस तरह की कि यह एक मानविक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो मतभेदों और विरोधों में सामंजस्य स्थापित करता है, विभिन्न धर्मों, सिद्धान्तों, आर्थिक व सामाजिक पद्धतियों को समझने और उनमें समानताएँ ढूँढने की चेष्टा करना है और सधर्प अथवा नैतिक समाधानों की शब्दावली में सोचने से इन्कार करता है। इसी दृष्टिकोण को सहितावद्ध कर पाँच सिद्धान्तों अथवा पंचशील का नाम दिया गया। अप्रैल, 1955 में बाण्डुंग में होने वाले पहले अफ्रीशियायी सम्मेलन में स्वीकृत 'विश्वशान्ति एवं सहयोग की धोरणा' में भी इसे शामिल किया गया। बाण्डुंग सम्मेलन के बाद के वर्षों में न केवल एशिया और अफ्रीका के देशों में गुट-निरपेक्षता का समर्थन बराबर बढ़ता रहा, बल्कि शीतयुद्ध के दोनों पक्षों की ओर से भी इन धारणा को मान्यता तथा सम्मान प्राप्त हुआ।

6. गुट-निरपेक्षता की धारणा के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में होने वाला गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारत की भूमिका का मुख्य उद्देश्य चर्चा के रत्न की शीतयुद्ध का मकड़ दूर करने की ओर मोड़ना था। अक्टूबर, 1964 में काहिरा में होने वाले गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में भी भारत ने इसी आधारभूत दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

सभी सम्मेलनों में भारत का प्रयास गुट-निरपेक्ष देशों को अन्तर्मुखी समूह बनाने से रोकने और अधिक से अधिक देशों को गुट-निरपेक्ष बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इन सम्मेलनों में भाग लेने वालों के लिए एक मानदण्ड नियत किया गया जिसे काहिरा तथा बेलग्रेड सम्मेलनों में स्वीकार कर लिया गया। गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में भाग लेने वालों की चर्चनी हुई मसूदा इस बात का प्रमाण था कि गुट-निरपेक्ष और गुटबन्दी वाले, जैसे देशों में स्थिति बदल रही है। इसके साथ ही सम्मेलन की कार्यवाही से यह भी परिलक्षित होता था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बरीयताएँ बदल रही हैं।

कुछ और भी उदाहरण भारत की गुट-निरपेक्ष नीति की सार्थकता को सिद्ध करते हैं—

7 नवम्बर, 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत को पश्चिमी देशों से बिना शर्त अविनम्व नैतिक सहायता प्राप्त हुई और अन्त में रुन का समर्थन भी मिला।

8 मितम्बर, 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में असफलता की नीति की शक्ति को एक बार फिर निन्दित कर दिया गया। पाकिस्तान, भीटो और सैंटो जैते शक्तिशाली सैनिक गुटों का सदस्य होने पर भी किसी से कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं कर सका। तुर्की और ईरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन तो दिया किन्तु अन्य राज्यों के विरोध के कारण जिम्मेदार पश्चिमी राज्य भी सम्मिलित थे, वे पाकिस्तान की मदद नहीं कर सके। इस युद्ध में पाक-दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुटों में सम्मिलित होने की नीति सार्थक नहीं है।

9 जनवरी, 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद श्रीमती गांधी ने अपने कार्यकाल में गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन न करने हुए उसे राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अधिक प्रभावी बनाया और उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूर्वापेक्षा अधिक व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया। विभिन्न दवावों के बावजूद भारत सरकार किसी भी महाशक्ति या गुट-विशेष का प्रभाव में नहीं आई। प्रारम्भ में ही अमेरिका ने श्रीमती गांधी के प्रति दवाव की नीति पर अमल किया, लेकिन वह उन्हें अपनी धमकियों से भुका नहीं सका। बंगलादेश के सन्दर्भ में श्रीमती गांधी ने अमेरिकी प्रशामन के रवैये का तीव्र विरोध किया तो दूसरी ओर रूस के मैत्रीपूर्ण रुब का स्वागत किया। रूस के माध्यम से, 1971 में मैत्री सन्धि की गई लेकिन गुट-निरपेक्षता और स्वयं की निर्णय-शक्ति पर उसने कभी धाँच नहीं आई। सन्धि की धारा 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सोवियत संघ भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को स्वीकार करता है और उसे बिम्ब-शान्ति के लिए उपयोगी मानता है।

दिसम्बर 1971 में बंगलादेश के कारण जो भारत-पाक युद्ध हुआ उनमें गुट-निरपेक्षता की नीति को पुनः मही निन्दित कर दिया गया। पाकिस्तान को हथियार देने वाले देश पाकिस्तान को अग्रगण्य दिया गए और देखते ही देखते पाकिस्तान अपने एक भूखण्ड को अपनी ही मूर्खता से खो बैठा।

10 मार्च, 1977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में यह आशंका प्रकट की जाने लगी थी कि जनता सरकार भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति पर चमक मकेगी या नहीं, अथवा उमका भुकाव अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों की ओर हो जाएगा, लेकिन जनता सरकार ने सभी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति को गतिशीलता और व्यावहारिकता प्रदान की। जनता पार्टी ने जिम्मेदार स्पष्ट और असादिग्ध ढंग से गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाया उममें भारत की विदेश नीति को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। सत्ता में आते ही जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर यह देखा कि भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध उतने बढ़िया नहीं हैं जितने होने चाहिए। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के तथाकथित साम्यवादी गुट के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मधुर थे, लेकिन अज्ञात-स्थिति के कारण पश्चिम के उदारवादी लोकतन्त्री देशों के मामले उसकी तस्वीर धुँधला गई

थी। जनता सरकार ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ—विशेषतः अत्यधिक मवेदन-शील क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से अपने विगड़े सम्बन्धों को सुधारने के प्रयास आरम्भ कर दिए। सर्वश्री देसाई और चरणसिंह की क्रमशः नेपाल और श्रीलंका की और वाजपेयी की अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल व पाकिस्तान की यात्राएँ उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी बंगलादेश के प्रेसीडेंट जियाउर रहमान की भारत यात्रा और पाकिस्तान के जनरल जिया-उल-हक की प्रस्तावित भारत यात्रा। जनता सरकार ने पड़ोसी देशों की गलतफहमियों को दूर करने और उनमें विश्वास जगाने की पहल की। उदाहरणार्थ बंगलादेश को गंगा नदी सम्बन्धी विवाद में कुछेक अल्पकालीन रियायतें देकर तथा नेपाल को व्यापार और पारगमन समस्या पर कुछ छूट देकर उनके प्रति सद्भावना प्रकट की गई।

11 जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी पुनः सत्तारूढ़ हो गईं। उनके इस द्वितीय कार्यकाल में भारत की गुट-निरपेक्ष तस्वीर और अधिक शक्ति के साथ उभरी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के हर क्षेत्र में श्रीमती गांधी ने भारत की निर्भीक स्वतन्त्र नीति को उजागर किया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत किसी भी बड़े राष्ट्र या महाशक्ति के दबाव में प्रेरित होकर कोई नीति नहीं अपनाता। मार्च, 1983 से तो तीन वर्षों के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष भी भारत को बनाया गया।

श्रीमती गांधी की हत्या के पश्चात् नये प्रधानमंत्री और उनकी नई सरकार ने भारतीय विदेश नीति के मूल तत्त्व गुट-निरपेक्षता के प्रति आस्था व्यक्त की। सितम्बर 1986 तक भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष रहा और इस हैसियत में वह आम-सहमति के क्षेत्रों का विस्तार करने, विवादामुक्त मसलों पर बातचीत जारी रखवाने और विश्व समुदाय के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक रास्ते सुझाने की दिशा में निरन्तर यत्न करता रहा।

हरारे शिखर सम्मेलन ने अग्ररेखी राज्यों और मुक्ति आन्दोलनों की सहायता के लिए एक आक्रमण, उपनिवेशवाद, और जातीय पृथग्वासन को रोकने के लिए कार्यवाही (अफीका) कोष की स्थापना की जिसका अध्यक्ष भारत है।

भारत और पाकिस्तान

सक्रिय गुट-निरपेक्षता की नीति पर चलते हुए भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, चीन आदि राष्ट्र महत्वपूर्ण हैं।

भारत के विभाजन के फलस्वरूप 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जन्म ही भारत के प्रति घृणा में हुआ था वह अब तक भारत पर चार बार आक्रामक कदम उठा चुका है—पहली बार 1947 में, दूसरी बार अग्रेल, 1965 में कच्छ पर आक्रमण द्वारा, तीसरी बार सितम्बर, 1966 में और चौथी बार दिसम्बर, 1971 में।

भारत और पाकिस्तान सम्बन्धों का हम चार कालों में विभाजन करके प्रध्ययन कर सकते हैं, नेहरू युग, शास्त्री-इन्दिरा काल, जनता काल और इन्दिरा-राजीव काल ।

नेहरू काल (अगस्त 1947-मई 1964)

नेहरू का प्रधानमन्त्रित्व-काल भारत की विदेश नीति का 'आदर्शवादी युग' था, यद्यपि चीनी आक्रमण के बाद नवम्बर, 1962 से इसने यथार्थवादी मोड़ लिया ।

जूनागढ़, हैदराबाद, ऋण भुगतान, नहरी विवाद आदि के मसले—1947 में जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहा, लेकिन जनता ने भारत के पक्ष में विद्रोह किया और रियासत के दीवान तथा वहाँ की पुलिस (जिनके हाथों में प्रशासन था) की प्रार्थना पर भारत सरकार ने रियासत का शासन अपने हाथों में ले लिया और तत्काल बाद 1948 में जनमत संग्रह द्वारा रियासत का भारत में विलय कर लिया गया । पाकिस्तान ने सुरक्षा परिपद में यह प्रश्न उठाया, किन्तु उसकी चात सफल नहीं हुई । 1948 में हैदराबाद की रियासत का भारत में विलय हुआ । पाकिस्तान की झड़नेवाजी असफल रही । स्वतन्त्र भारत ने पुरानी सरकार के पूरे ऋण का भार सम्भाला जिसके अनुसार उसे पाँच वर्ष में पाकिस्तान से 300 करोड़ रुपये लेने थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऋण चुकाने का नाम तक नहीं लिया जबकि भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपये का चुकारा कर दिया । विस्थापित सम्पत्ति तथा अल्प-संख्यकों की रक्षा के सम्बन्ध में 1950 में जो नेहरू-लियाकत समझौता हुआ उसका पाकिस्तान की ओर से कभी पालन नहीं किया गया और पीड़ित हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आते रहे । दोनों देशों के मध्य एक समस्या नदियों के पानी के सम्बन्ध में थी । विश्व बैंक की मध्यस्थता से सितम्बर, 1960 में सिन्ध बेसिन के पानी के बाँटवारे के बारे में दोनों देशों के बीच 'नहरी पानी समझौता' सम्पन्न हुआ । यह समझौता पाकिस्तान के लिए विशेष लाभदायक था । निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को भी भारत के उदार दृष्टिकोण से आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वयं उसको अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए सिन्धु के पानी की काफी आवश्यकता थी ।

कश्मीर पर भारत-पाक संघर्ष—पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता था अतः 22 सितम्बर, 1947 को उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया । भारतीय सेना ने उमका सामना किया परन्तु कश्मीर का एक बड़ा भाग उसने दबोच लिया । सुरक्षा परिपद के प्रयत्नों से 1 जनवरी 1949 से युद्ध-विराम होकर दोनों देशों के बीच मयूक्त राष्ट्रमण के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप से परस्पर वार्ता चली । पीड़ित नेहरू की गुट-निरपेक्ष नीति में विन्न सयुक्तराज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिपद में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया । अतः समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका । इस बीच कश्मीर का विधिवत् भारत में विलय हो गया । पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा वह तर्क देना रहा कि—(1) कश्मीर

का भारत में विलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और भय प्रदर्शन का परिणाम था, (2) कश्मीर का भारत में विलय जनमत-संग्रह की शर्त पर आधारित था जिसे पूरा किए बिना कश्मीर स्थाई रूप से भारतीय संघ का अंग नहीं माना जा सकता, (3) कश्मीर जैसे मुस्लिमबहुल प्रदेश का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए, (4) जनमत-संग्रह के प्रश्न पर पाकिस्तान का समानता का अधिकार है तथा कश्मीर पर भी निर्णय करने में भारत और पाकिस्तान को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, एवं (5) कश्मीर के महाराजा ने जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया था जो अर्बन्ध है।

भारत की दृष्टि में कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण वैधानिक था क्योंकि राज्य के वैधानिक राजा के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उसका विलय भारत में किया गया था। कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय का प्रस्ताव भारत की शक्ति के भय से नहीं बल्कि इस डर से किया था कि पाकिस्तानी डकैत उसकी रियासत को हड़पने वाले थे और रियासत की केवल भारत ही रक्षा कर सकता था। भारत ने प्रारम्भ से ही यह निश्चित मत व्यक्त किया कि कश्मीर का भारत में प्रवेश पूर्णतः संवैधानिक है। इस सम्बन्ध में मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किए गए—(1) भारत में कश्मीर का विलय 1947 के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में उल्लिखित भारत-प्रवेश नियमावली के अनुरूप पूर्णतः वैधानिक था, (2) कश्मीर की जनता ने स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित अपनी संविधान सभा के माध्यम से कश्मीर को भारत संघ का अभिन्न अंग घोषित कर दिया था, अतः जनमत-संग्रह की बात स्वतः ही पूर्ण हो गई, (3) आत्म-निर्णय एक लोकतान्त्रिक प्रश्न है जिसका प्रयोग राज्यों को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए नहीं किया जाता, (4) स्वयं पाकिस्तान ने जिन राज्यों का विलय किया, उन्हें कभी आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं दिया, (5) जो राष्ट्र अपनी जनता को भी लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं दे पाया है, उसके लिए आत्म-निर्णय की बात कहना बेहूदा है, (6) एक आक्रमणकारी राष्ट्र विलय की बात नहीं कर सकता, (7) यह भी सर्वथा अवैधानिक है कि पाकिस्तान ने बलपूर्वक कश्मीर के जिस भाग पर कब्जा किया उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे राष्ट्र चीन को अर्पण रूप से सौंप दिया, (8) भारत ने कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की केवल इच्छा ही व्यक्त की थी, वह विलय की पूर्ण शर्त नहीं थी तथा जनमत संग्रह का आश्रयमान कश्मीर के शासक को दिया गया था, एक तृतीय पक्ष पाकिस्तान को नहीं, (9) जनमत संग्रह की बात पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेनाएँ हटाने के बाद पूरी करने को कही गई थी, लेकिन पाक-फौजों की उपस्थिति स्वयं जनमत-संग्रह के मार्ग में बाधा बनी हुई रही है और अब कश्मीर में स्वतन्त्र चुनाव हो जाने के बाद जनमत-संग्रह का प्रश्न समाप्त हो जाता है, (10) कश्मीर में मुस्लिम बहुमत के आधार पर जनमत-संग्रह की बात गलत है भारत जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता; एवं (11) पाकिस्तानी दुराग्रह स्वीकार करने का अर्थ सम्पूर्ण देश और कश्मीर की शांति नष्ट करना तथा भारत में

कश्मीर-विलय के कश्मीरी जनता के निर्णय का स्पष्ट अपमान करना है। भारत ने स्पष्ट रूप से यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संध का अभिन्न अंग है।

भारत के युद्ध न करने के प्रस्तावों का ठुकराया जाना—कश्मीर पर 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद से ही प. नेहरू ने निरन्तर यह असफल प्रयत्न किया कि दोनों राष्ट्रों के बीच किनी प्रकार युद्ध न करने सम्बन्धी एक स्थायी समझौता हो जाए। प्रथम प्रयास दिसम्बर, 1949 में और दूसरा 1956 में किया गया। नवम्बर, 1962 में नेहरू ने राष्ट्रपति अयूब खाँ को लिखा कि भारत का पाकिस्तान के साथ किसी संधर्ष या भगडे का विचार नहीं है, लेकिन भारत के शान्ति-प्रयत्नों को पाकिस्तानी शासक अस्वीकार करते रहे।

चीनी आक्रमण पर शान्तिपूर्ण रवैया और कश्मीर पर पाक-चीन अर्बंध समझौता—1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने एक स्वर से भारत को दोषी ठहराया और भारत को दी जाने वाली अमेरिकी तथा ब्रिटिश सैनिक सहायता का भी तीव्र विरोध किया। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन के साथ एक अर्बंधानिक समझौता करके पाक-अधिकृत कश्मीर का एक भाग अर्बंधानिक रूप से चीन को दे दिया। भारत के विरोध का कोई फल नहीं निकला।

शास्त्री-इन्दिरा काल (मई 1964—मार्च, 1977)

नेहरू के बाद लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमन्त्री बने। उनके काल में भारत-पाक सम्बन्धों में गहरा तनाव पैदा हुआ—

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का प्रस्ताव—भारत ने 15 अगस्त, 1964 को पाकिस्तान के साथ 'युद्ध न करने का समझौता' करने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान के शासकों ने उसे अस्वीकार कर दिया।

कच्छ और कश्मीर पर पाक आक्रमण—1965 में पाकिस्तान ने भारत पर दो प्रबल सैनिक आक्रमण किए, पहला मार्च-अप्रैल, 1965 में कच्छ पर और दूसरा अगस्त-सितम्बर, 1965 में कश्मीर पर। पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में पहले एक सड़क बना ली और बाद में भारतीय सीमा में अपनी स्थायी चौकियाँ स्थापित करली। उसने भारत के विरोध-पत्रों की न केवल उपेक्षा कर दी बल्कि गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर भी अपने अधिकार का दावा किया। पाकिस्तान का यह दावा ऐतिहासिक और बंधानिक रूप से अर्बंध था क्योंकि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पहले से निर्धारित हो चुकी थी। दोनों देशों के बीच वार्ता चालू थी कि 9 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ने सरदार नामक भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया। 24 अप्रैल को कच्छ पर पाक सेना का आक्रमण हो गया। भारत-पाक संधर्ष को रोकने के लिए ब्रिटेन ने युद्ध-विराम का प्रस्ताव रखा जिसे भारत ने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। अन्त में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के

सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्सन के प्रयत्नों से भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के प्रश्न पर 30 जून, 1965 को एक समझौता हो गया जिसमें अग्रलिखित बातों का उल्लेख था—(1) एक जुलाई, 1965 से युद्ध बन्द कर दिया जाए। (2) दोनों देशों की सेनाएँ 7 दिन के भीतर पीछे हटा ली जाएँ और अपनी 1 जनवरी, 1965 की स्थिति पर लौट जाएँ। (3) सीमा-विवाद के प्रश्न का समाधान पहले मन्त्रियों की बातों द्वारा किया जाए और इस प्रकार की बातों सफल न होने पर यह प्रश्न एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंपा जाए। मितम्बर, 1967 में न्यायाधिकरण ने अपना काम शुरू किया और 19 फ़रवरी, 1968 को उसने अपना निर्णय दे दिया। इस निर्णय के अनुसार विवादग्रस्त क्षेत्र का 90% भाग भारत को दिया गया और शेष 320 वर्गमील का प्रदेश पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र प्राप्त हो गया। यद्यपि न्यायाधिकरण का निर्णय कुल मिलाकर भारत के पक्ष में था, तथापि पाकिस्तान के साथ विशेष रियायतों की गई थी। भारत सरकार ने इस निर्णय को 'राजनीतिक कारणों से प्रेरित' बताकर इसकी निन्दा की तथापि भारत के सामने बचन निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने कूटनीतिक चालवाजी की जगह नैतिकता को उच्च समझा और निर्णय स्वीकार कर लिया।

भारत-पाक युद्ध, 1965—कच्छ के समझौते की स्याही सूखने भी न पाई

फैलाने

गान्ध

करके

युद्ध-विराम-रेखा के उन महत्वपूर्ण पहाड़ी और जंगली प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया जहाँ से घुमपंक्ति भारत में प्रवेश करते थे। पाकिस्तान इस पर बौखसा उठा। 1 मितम्बर, 1965 को पाकिस्तान ने विपुल टंक शक्ति के साथ कश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर अचानक ही भीषण आक्रमण कर दिया। भारत ने पाक के विरुद्ध सम्पूर्ण सीमा पर नए मोर्चे खोल दिए। अन्त में संयुक्त राष्ट्र सभ के हस्तक्षेप से 23 मितम्बर को युद्ध-विराम हो गया। युद्ध-समाप्ति पर लगभग 750 वर्गमील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अधिकार में और 240 वर्गमील भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया था। सोवियत प्रधानमन्त्री वोसीगिन ने दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं की प्रत्यक्ष बातों द्वारा ताशकन्द समझौते की व्यवस्था की। 10 जनवरी, 1969 को 9 बजे रात्रि को श्री अयूब खाँ और श्री शास्त्री ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जो 'ताशकन्द घोषणा' के नाम से विख्यात हुआ।

ताशकन्द समझौता, 10 जनवरी, 1969—ताशकन्द समझौते (Tashkent Declaration) के मुख्य तत्त्व ये थे—

(1) दोनों देश परस्पर अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रसभ के चार्टर के अनुसार पूरा प्रयास करेंगे और शक्ति प्रयोग न कर आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग में सुलझाएँगे।

(2) दोनों देशों के सब सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी, 1966 तक उन स्थानों पर लौट जाएँगे जहाँ वे 5 अगस्त, 1965 के पहले थे। दोनों ही पक्ष युद्ध-विराम-रेखा पर युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करेंगे।

(3) दोनों देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार बन्द कर देंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जिससे मैत्री में वृद्धि हो।

(4) दोनों देशों के उच्चायुक्त अपनी-अपनी जगह लौट जाएँगे तथा सामान्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए जाएँगे। राजनयिक व्यवहार में 1961 के वियना समझौते का सम्मान किया जाएगा।

(5) दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सम्पर्क कायम करने पर विचार किया जाएगा और दोनों ही देश वर्तमान समझौते को कार्यान्वित करेंगे।

(6) दोनों शीर्षस्थ नेता अपने अधिकारियों को युद्धबन्धियों की वापसी का आदेश देंगे।

(7) दोनों पक्ष शरणाधिकारियों, निष्कासितों और गैर-कानूनी रूप से बसने वालों की समस्याओं में सम्बन्धित प्रश्नों पर वार्ता जारी रखेंगे और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि लोगों का देश से पलायन बन्द हो। संघर्षकाल में दोनों पक्षों ने जिस-जिस माल या सम्पत्ति पर अधिकार किया है उसके लौटाने के बारे में बातचीत की जाएगी।

(8) जिन मामलों का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है, उन पर विचार के लिए दोनों पक्षों की सर्वोच्च तथा अन्य स्तरों पर बैठकें होती रहेंगी। दोनों ही पक्षों ने 'भारत-पाकिस्तान संयुक्त समितियाँ' नियुक्त करने पर भी सहमति प्रकट की जो अपनी-अपनी सरकारों को बताएँगी कि आगे और क्या कदम उठाए जाएँ।

श्री शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमन्त्री बनी। श्रीमती गांधी ने भारतीय विदेश नीति की भ्रान्तियों को दूर कर उसे एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने भारत-पाक सम्बन्धों का जो ताना-बाना चुजा वह निम्नानुसार है—

रबात सम्मेलन, विमान अपहरण आदि—अप्रैल, 1966 में पाकिस्तान कश्मीर समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद में ले गया। सुरक्षा परिषद कुछ न कर सकी। 22 सितम्बर, 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पाकिस्तान के विरोध के कारण सम्मेलन के आयोजकों ने भारत को निमन्त्रण नहीं भेजा। इस पर भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयत्न किए गए और अन्तोगत्वा उसे सम्मेलन के आयोजकों द्वारा निमन्त्रण प्राप्त हो गया। पाकिस्तान ने सम्मेलन में भारत के भाग लेने पर सम्मेलन के बहिष्कार करने और लौट जाने की धमकी दी और मोरक्को, जोर्डन आदि उसके अरब मित्रों ने उसका पूरा साथ दिया। केवल संयुक्त अरब गणराज्य का ही समर्थन भारत के

पक्ष में रहा। वास्तव में रवात में जो कुछ हुआ वह भारत का राष्ट्रीय अपमान था। पाकिस्तान निरन्तर भारत विरोधी कार्यवाहियाँ करता रहा। 30 जनवरी, 1971 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक यात्री विमान का अपहरण कर जवरन लाहौर हवाई अड्डे पर उतारा गया। भारत में तीव्र रोष की लहर दौड़ गई और सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से होकर उड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) का मुक्ति आन्दोलन—पाकिस्तान आन्तरिक अराजकता का भी शिकार था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति आन्दोलन ने जोर पकड़ा। पाकिस्तानी शासकों ने इस जनमुक्ति आन्दोलन को भारत के पड़ोस का परिणाम बतलाया। एक तरफ तो इसे भारत-पाक समस्या के रूप में उछाला गया और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तानियों पर घोर अत्याचार तथा अभूतपूर्व हत्याकाण्ड चालू रखा जिससे लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। इस प्रकार पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध भीषण विद्रोह छेड़ दिया। परिस्थिति बिगड़ती गई। पाकिस्तान में भारत से युद्ध छेड़ने का उन्माद प्रबल होता गया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही सीमान्तों पर पाक सेनाएँ आएँ दिन छुटपुट हमले करने लगीं। भारत ने पूर्ण समय से काम लेते हुए पर्याप्त प्रयत्न किया कि युद्ध के वादल छूट जाएँ, लेकिन होनी कुछ और ही थी।

भारत-पाक युद्ध—चीन और अमेरिका से भेट में प्राप्त विपुल सशस्त्र सहायता के बल पर पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 1971 को भारत पर अचानक ही भीषण हवाई हमला बोल दिया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा गया और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तथा मुक्तिवाहिनी की संयुक्त कमान ने पाकिस्तानी सेना का सामना किया।

युद्धकाल में 5 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद् की आपात्कालीन बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पूर्वी पाकिस्तान में क्रान्तिवारियों को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाक आरोपों का तीव्र विरोध किया। सोवियत रूस के बार-बार वीटो के कारण सुरक्षा परिषद् में भारत-विरोधी प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। इसी बीच 6 दिसम्बर को श्रीमती गाँधी ने भारतीय समूह में बंगलादेश गणराज्य के उदय की सूचना दी। बंगलादेश को मान्यता देकर श्रीमती गाँधी ने समस्या को बिल्कुल एक नया मोड़ दे दिया और संयुक्त राष्ट्रमंडल तथा सम्पूर्ण विश्व को बता दिया कि भारत किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन को नहीं बरन् एक स्वतन्त्र राज्य की वंश नरकार को सहायता दे रहा है। 16 दिसम्बर, 1971 को बंगलादेश की राजधानी ढाका में पाक सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 17 दिसम्बर को एक-पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा करते हुए भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान से युद्धबन्दी प्रस्ताव स्वीकार करने की अग्रणी की। पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना शक्तिशाली सातवाँ जहाजी वेड़ा बगाल की खाड़ी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की सहायता करना था, किन्तु भारतीय हितों की रक्षार्थ हिन्दमहासागर में रूसी युद्ध-पोतों की उपस्थिति ने अमेरिका को कोई ऐसा कदम न उठाने के लिए विवश कर दिया जिससे दोनों महाशक्तियों के टकराने का भय पैदा हो जाए।

युद्ध के परिणाम—दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले—

1 भारत की विदेश नीति में एक नया परिवर्तन आया। उसने पहले की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी और आत्मविश्वासपूर्ण रूप ग्रहण किया। पाकिस्तान के प्रति तुष्टिकरण की नीति के स्थान पर दृढ़ता और आवश्यक कठोरता की नीति अपनाई जाने लगी।

2 भारत में अमेरिका के विरुद्ध तीव्र असन्तोष व्याप्त हो गया और भारत सरकार का यह निश्चय और भी दृढ़ हो गया कि अमेरिकी सहायता पर आश्रित न रहा जाए। भारत में आत्म-निर्भरता का एक आन्दोलन-सा उठ खड़ा हुआ।

3 सोवियत सघ और भारत की मैत्री अधिक घनिष्ठ हो गई। स्पष्ट हो गया कि सोवियत सघ भारत का एक विश्वसनीय मित्र है तथा भारत को चीन से डरने की आवश्यकता नहीं है।

4 इस युद्ध के फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान खण्डित हुआ तथा अमेरिका और पाकिस्तान पहले की तुलना में अधिक निकट आए क्योंकि अमेरिका के लिए एशिया में अब टूटे पाकिस्तान के अलावा और कोई सहारा नहीं रहा।

5 एक प्रबल सैनिक शक्ति के रूप में भारत की विजय से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के मन में यह आशंका घर कर गई कि वही भारत उनके प्रति दबाव की नीति न अपनाए, लेकिन कच्चादीवू श्रीलंका को सौंप कर भारत ने इस प्रकार की आशंकाओं को निर्मूल कर दिया।

6 पाकिस्तान में सैनिक शासन के प्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हो गया और अन्त में पाकिस्तान की बागडोर असैनिक राजनीतिज्ञ श्री भुट्टो के हाथ में आई।

7 नवोदित बंगलादेश और भारत के बीच मैत्री का निरन्तर विकास होता चला गया।

शिमला-समझौता

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में यह चेतना उत्पन्न हुई कि वे पारस्परिक वार्ता द्वारा अपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैत्री के एक नए युग का मूत्रपान करें। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला (भारत) में जून-1972 के अन्तिम सप्ताह में एक शिखर सम्मेलन हुआ। 3 जुलाई को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शिमला-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष अग्रलिखित हैं—

1 भारत व पाकिस्तान की सरकारों का सकल्प है कि वे दोनों देशों के बीच अब तक चले आ रहे विद्वेष और विवादों को समाप्त कर पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों व उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए काम करेंगी ताकि दोनों देश अपने साधनों व शक्ति का उपयोग अपनी जनता के हित में कर सकें।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत व पाकिस्तान की सरकारें इन बातों पर सहमत हैं—

(क) दोनों देशों का सकल्प है कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण उपायों से या ऐसे शान्तिपूर्ण उपायों से जिनके बारे में दोनों देशों के बीच सहमति हो गई हो, हल करेंगे। जब तक दोनों देशों की समस्या का अन्तिम रूप से समाधान न हो जाए, कोई भी एक पक्ष स्थिति को नहीं बदलेगा और दोनों देश इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को आघात पहुँचे।

(ख) सन्तुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा के अनुसार दोनों राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे न तो एक-दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे और न राजनीतिक स्वतन्त्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे।

2 दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के प्रति घृणापूर्ण प्रचार नहीं करेंगी। दोनों राष्ट्र उन सभी समाचारों को प्रोत्साहन देंगे जिनके माध्यम से आपसी सम्बन्धों में सुधार की आशा हो।

3 आपसी सम्बन्धों में सामान्यता लाने की दृष्टि से—(क) दोनों राष्ट्रों के बीच डाक-तार-सेवा तथा जल एवं वायु मार्गों द्वारा पुनः संचार-व्यवस्था स्थापित की जाएगी। (ख) एक-दूसरे के नागरिक और निकट घाएँ, इसके लिए नागरिकों को आने-जाने की सुविधाएँ दी जाएँगी। (ग) जहाँ तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं अन्य आर्थिक मामलों में सहयोग का क्रम शीघ्रतापूर्वक प्रारम्भ होगा। (घ) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ाया जाएगा।

4. स्थायी शान्ति स्थापना की प्रक्रिया का क्रम प्रारम्भ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि (क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएँगी। (ख) दोनों देश बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाए जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध-विराम की नियन्त्रण-रेखा को मान्यता देंगे। (ग) सेनाओं की वापसी इस समझौते के लागू होने के 30 दिन के अन्दर पूरी हो जाएगी।

5. दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्षों की सुविधाजनक अवसर पर भविष्य में पुनः मेट होगी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि स्थायी शान्ति की स्थापना और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। इनमें युद्ध-बन्धियों एवं नागरिकों की वापसी, जम्मू-कश्मीर समस्या के अन्तिम हल व कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न शामिल हैं।

शिमला-समझौते के बाद

शिमला-समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच सम्बन्ध सुधारने की प्रक्रिया गुरु हो गई। जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा को अन्तिम रूप में अंकित करने के उपरान्त दोनों पक्षों की सेनाएँ अपने-अपने स्थानों पर लौट गईं। पाकिस्तानी युद्धबन्दिनों तथा अन्य मानवीय समस्याओं पर अनेक न्तरों पर बातचीत चली और अन्त में 28 अगस्त, 1973 को इन प्रश्नों पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया।

शिमला-समझौते से यह तय किया गया था कि कश्मीर के प्रश्न का स्थायी समाधान पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण और शान्ति स्थापना के बाद ही निकालना है, किन्तु सितम्बर, 1973 में मुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष अपने भाषण में फिर कश्मीर की रट लगाई। नवम्बर, 1973 में पाकि-प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे के समय कुछ ऐसे वयान जारी किए जो शिमला-समझौते के प्रावधानों के विपरीत थे।

18 मई, 1974 को जब भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो मुट्टो ने घोषणा की कि यदि भारत अणु-बम बनाता है तो पाकिस्तान भी अणु-बम बनाएगा, चाहे उसे घासपात खाकर या भूखे ही रहना पड़े। श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अणु-शक्ति का विकास रचनात्मक उद्देश्य के लिए कर रहा है। भारत ने अनाक्रमण सन्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया।

युद्ध के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच डाक, दूर-संचार और यात्रा सुविधाएँ समाप्त हो गई थीं। मितम्बर, 1974 में इस्लामाबाद में दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करके इन सुविधाओं को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया। अगस्त, 1975 में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए परिषद् की स्थापना की जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार ने अधिकृत कश्मीर पर अपने नियन्त्रण को पहली बार सस्यागत रूप दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि इस परिषद् की स्थापना शिमला-समझौते का उल्लंघन है क्योंकि यह जम्मू तथा कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत प्रदेशों की स्थिति में एक-पक्षीय परिवर्तन है।

वर्ष 1976-77 में दोनों देशों के सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार चालू करना स्वीकार किया, जुलाई, 1976 में दोनों देशों के बीच हवाई सम्पर्क और दैनिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुए।

जनता काल

1977 में भारत में जनता पार्टी सत्ता में आई। इसी वर्ष पाकिस्तान के मामले युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा गया किन्तु पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को पुनः अस्वीकार कर दिया। फरवरी, 1978 में भारतीय विदेश मन्त्री ने पाकिस्तान की यात्रा की। 12 वर्षों में किन्ती भारतीय विदेश मन्त्री की यह

पहली पाकिस्तान यात्रा थी। 1978 में पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगाहशाही की यात्रा के अवसर पर सलाल पन-विजली-परियोजना के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिससे 8 वर्षों से चली आ रही समस्या मुक्त हुई।

इन्दिरा-राजीव काल
जनवरी, 1980 में कांग्रेस के पुनः सत्तारूढ़ होने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने अपने सन्देश में शिमला समझौते के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया और दोनों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की आशा प्रकट की। दिसम्बर, 1981 में अमेरिकी सेनेट ने रीगन प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम एफ-16 विमान देने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जिसका विरोध करते हुए भारत सरकार को कहना पड़ा कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में अन्धाधुन्ध वृद्धि भारत के लिए खतरे और चिन्ता का विषय है।

अगस्त, 1984 में पाकिस्तान ने भारत के एक विमान के अपहरणकर्ताओं को सक्रिय सहायता दी। इतना ही नहीं, वह पंजाब के उग्रवादी तत्त्वों को बराबर सहायता देता रहा और तीसरे देशों के माध्यम से भी उन्हें सुविधाएँ प्रदान करता रहा। 1984 में गुरुनानक जयन्ती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब की यात्रा पर गए भारतीय तीर्थयात्रियों में जबरदस्त भारत विरोधी प्रचार करवाया गया। इन घटनाओं ने भारत-पाकिस्तान तनाव को और भी गहरा कर दिया।

31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती गांधी के निधन के उपरान्त पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति अपरिवर्तित रही। अप्रैल, 1985 में भारत ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक वह पंजाब के आतंकवादियों को सहायता देना बन्द नहीं करेगा तब तक उसके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकेगे। राजीव गांधी ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अत्याधुनिक और आक्रामक हथियारों की खरीद बन्द करके भारत की पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करे ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने की खबरें भारत के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय हैं।

दूसरी ओर जनवरी, 1985 में भारत-पाक संयुक्त आयोग की तीन दिवसीय बैठक समाप्त हुई जिसमें दोनों देशों ने कृषि अनुसन्धान और विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान बढ़ाने तथा यात्रियों को नई सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में समझौते के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया। व्यापार बढ़ाने के बारे में बैठक में विशेष प्रगति हुई। दोनों देशों में दूर-संचार सुविधाएँ बढ़ाने पर भी सहमति हुई।

1 अगस्त, 1985 को भारत व पाकिस्तान ने इस बात पर महमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच व्यापक समझौता होना चाहिए ताकि भारत-पाकिस्तान युद्धवर्जन संधि प्रस्ताव की परिधि बढ़ाई जा सके। 23 दिसम्बर, 1985 को भारत व पाकिस्तान के मध्य नई संचार व्यवस्था आरम्भ हो गई। इसमें दोनों देशों

के बीच दूर संचार सम्पर्क का स्तर और ऊँचा उठ गया। 18 नवम्बर, 1985 को मस्वट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच चर्चाएँ हुईं। यह उनकी चौथी बैठक थी। दोनों ने द्विपक्षीय समस्याओं तथा सहयोग के क्षेत्रों पर विचार किया।

17 दिसम्बर, 1985 को जनरल जिन्ना की भारत यात्रा के अवसर पर दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु बम बनाने का उनका कोई विचार नहीं है। एक-दूसरे के परमाणु सयन्त्रों पर आक्रमण न करने की भी सहमति हो गई।

भारत व पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी, 1986 को पहली बार एक व्यापक व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में एक नए युग की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने पिछले सात वर्षों से लगा प्रतिबन्ध हटाकर अपने निजी क्षेत्र को भारत से 42 वस्तुएँ आयात करने की अनुमति प्रदान की। सहमति-पत्र में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा व्यापार को पहले से दुगुना किया जाएगा। 18 जनवरी, 1986 को भारत व पाकिस्तान ने एक-दूसरे के परमाणु सयन्त्रों पर आक्रमण न करने सम्बन्धी दस्तावेजों का इस्लामावाद में आदान-प्रदान किया।

1987 के प्रारम्भ से ही भारत-पाक सीमा पर सैनिक जमाव चिन्ताजनक रूप से बढ़न लगा। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी सेना के जमाव से पैदा खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी पंजाब सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। कुछ समय बाद राजस्थान सीमा पर भी इसी तरह सेना तैनात कर दी गई और वायु-सेना व नौ-सेना को भी सकत (रेड अलर्ट) रहने को कहा गया। अन्ततः 2 मार्च को भारत व पाकिस्तान के बीच राजस्थान सैक्टर में अपनी सेनाओं को 'सामान्य शान्ति क्षेत्र' में वापस लौटाने पर समझौता हो गया और समझौते के अनुरूप नियत अवधि के भीतर सेनाएँ पीछे हटाने का कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। सितम्बर, 1987 के अन्तिम चरण में जम्मू-कश्मीर के सियाचीन क्षेत्र में पाकिस्तान की एन पुरी बटालियन ने भारतीय अग्रिम चौकियों पर आक्रमण किया किन्तु उसे उल्टे पाँव लौट जाना पड़ा।

कुछ क्षेत्रों में सामान्य सम्बन्ध प्रक्रिया में सुधार होने के बावजूद दोनों देशों के बीच मौलिक मतभेद अभी पूर्ववत् है। दोनों देशों की अपनी विवशताएँ हैं। भारत के सामने चीन के दबाव से बचने की विवशता है जिसका एकमात्र हल एक सशक्त प्रतिरक्षा व्यवस्था है। युट-निरपेक्ष होने के कारण भारत सोवियत सभ तथा अमेरिका के सैनिक गुटों में से किसी की भी शरण नहीं ले सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान की विवशता यह है कि वह कश्मीर के अधिकृत प्रदेश भारत को नहीं लौटा सकता, साथ ही अफगानिस्तान के भीतर पाक सीमा पर संचायित सेनाओं का जमाव उसके लिए एक खतरनाक स्थिति है। सोवियत सभ किसी भी समय पाकिस्तान को संधिकर अरब सागर तक पहुँचना चाहेगा क्योंकि उसे अमेरिका की टक्कर की नौ-सैनिक शक्ति बनने के लिए गरम पानी के बन्दरगाह की आवश्यकता

है। ऐसी स्थिति में एक ओर वह भारत से डरता है कि भारत शक्ति द्वारा कश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र उससे वापस लेने की कोशिश करेगा, दूसरी ओर वह सोवियत सघ से डरता है। इन्हीं कारणों से उसे अमेरिका की शरण में जाना पड़ा है और वह परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत-पाक तनाव स्वाभाविक है, यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्त्व शक्ति-संघर्ष की माँग है। दोनों देशों को इस स्थिति में ही जीना-सीखना होगा। वे एक-दूसरे का पडोस नहीं छोड़ सकते, संघर्ष भी नहीं।

भारत और श्रीलंका

भारत के दक्षिण की ओर हिन्द महासागर में स्थित श्रीलंका राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों में उत्तार-चढ़ाव आते रहे हैं। उन्होंने पारस्परिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने श्रीलंका के आर्थिक विकास में सहायता दी। 1955 के बाण्डुग-सम्मेलन में दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ सहयोग किया। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के सन्दर्भ में श्रीलंका ने निष्पक्ष नीति का अवलम्बन न कर भारतीय भावनाओं को ठेस पहुँचाई, तथापि प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके ने तटस्थ देशों का कोलम्बो सम्मेलन के आयोजन और सम्मेलन द्वारा पारित कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में पीकिंग तथा दिल्ली की यात्राओं द्वारा भारत-चीन विवाद का शान्तिपूर्ण हल खोजने की चेष्टा द्वारा भारत का समाधान कर दिया। 1965 में दोनों देश तब अधिक निकट आ गए जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेनानायके ने भारत के न्यायोचित पक्ष का समर्थन किया और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने तथा कोलम्बो प्रस्तावों को न मानने के लिए उसकी निन्दा की। 1970 में नेतृत्व पुनः श्रीमती भण्डारनायके के हाथ में आया। मई, 1971 में उनकी सरकार को उग्रवादी वामपथियों के व्यापक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाने के लिए उन्हें भारत की सहायता लेनी पड़ी। भारत के हेलीकोप्टरों ने श्रीलंका के अनेक भागों में गश्त लगाई और भारतीय जहाज श्रीलंका के बन्दरगाह पर लगर डाले खड़े रहे ताकि श्रीलंका सरकार को शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। भारत ने श्रीलंका को शस्त्रों की सहायता भी दी।

दोनों देशों के सम्बन्ध उत्तरोत्तर सुधरते गए। श्रीमती गांधी ने अप्रैल, 1972 में श्रीलंका की यात्रा की और समुक्त विजृप्ति में दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों देशों के विचार एक-दूसरे के बहुत निकट हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग सहित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने दिसम्बर, 1973 में श्रीलंका की यात्रा की। जनवरी, 1973 में श्रीमती भण्डारनायके भारत आई।

23 अप्रैल, 1976 को भारत और श्रीलंका के बीच एक सीमा सम्बन्धी समझौता हुआ जो शीघ्र ही दोनों देशों द्वारा पुष्टि-पत्रों के आदान-प्रदान के साथ

लागू हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच स्थल सीमा नहीं है, केवल समुद्र है। अतः यह सीमा समझौता वस्तुतः समुद्री सीमा विषयक समझौता है। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक देश के तट के 200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका आधिक्य क्षेत्र होगा और जहाँ दोनों के बीच की दूरी 200 मील से कम होगी यहाँ दोनों की बीच की रेखा सीमा होगी। अगस्त, 1976 में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री ने कोलम्बो की यात्रा की जिससे दोनों देशों के सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध और दृढ़ हुए। भारतीय मूल के व्यक्तियों के सम्बन्ध के 1964 के समझौते के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1976 तक 2,37,390 व्यक्त भारत प्रत्यावर्तित किए गए और 1,35,680 व्यक्ति श्रीलंका में नागरिकों के रूप में पंजीकृत किए गए।

मार्च, 1977 में जे. आर. जयवर्धन श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच 1977 में ही एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने सामूहिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं तथा मध्यवर्ती साज-सामान की खरीद के लिए श्रीलंका को 7 करोड़ रुपये का ऋण दिया। श्रीलंका के संशोधित संविधान के अन्तर्गत जयवर्धन प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए गए। अक्टूबर, 1978 में राष्ट्रपति जयवर्धन की यात्रा और फरवरी, 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की श्रीलंका यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में विद्यमान सौहार्द्रता परिलक्षित हुई। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच अब कोई समस्या नहीं है। जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्तासूट होने के बाद से दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक मुट्ठे हुए। 1980 में राष्ट्रपति जयवर्धन ने अपने विदेश मंत्री के साथ भारत की यात्रा की।

श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों के कारण उठने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भारत और श्रीलंका निरन्तर कोशिश करते रहे तथापि यह हल नहीं हो पाई।

1964 और 1974 के देश प्रत्यावर्तन समझौते पर अमल करके श्रीलंका के तमिल लोगों की समस्या बहुत हद तक गुलभाई जा चुकी थी। भारत और श्रीलंका की सरकारें राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या के बारे में एक-दूसरे से निकट सम्पर्क बनाए हुए थीं। 1983 में श्रीलंका में भारतीय मूल के निवासियों की समस्या ने अचानक ही तूल ल लिया और सैकड़ों मामूले तमिल जनो की हत्या कर दी गई और 50 हजार से भी अधिक लोग शरणार्थी बन गए। हजारों मकानों-दुकानों को लूट लिया गया। स्वाभाविक था कि भारतीय मूल के निवासियों के संकट पर भारत अपनी क्षिणता व्यक्त करता। घटनाएँ सामान्य दर्जे की नहीं थीं। भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों के घरों पर हमला किया गया। हत्याओं का दौर जोर पकड़ता गया और ऐसे समाचार प्रवाहित हुए कि दंगों पर काबू पाने के लिए श्रीलंका ने अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, वगैरह देशों आदि से सैनिक सहायता माँगी। सिंहली राष्ट्रपति श्री जयवर्धन ने यहाँ तक कह दिया कि—“यदि संश्लेषण भारत कार्यक्रम करता है तो सम्भव है कि हम पराजित हो जाएँ लेकिन

लडेगें शान से ।" अगस्त, 1983 में राष्ट्रपति जयवर्धन के भाई एच. डब्ल्यू. जयवर्धन ने भारत में श्रीमती गांधी से और फिर भारत के विशेष दूत श्री पारयमारथी ने राष्ट्रपति जयवर्धन से बातचीत की। किन्तु समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। जनवरी, 1984 में श्री पारयमारथी तीसरी बार श्रीलंका गए। उनकी इस यात्रा के परिणामस्वरूप तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने राष्ट्रपति जयवर्धन द्वारा प्रस्तावित सर्वदलीय सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार किया। लेकिन यह सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सका और वर्ष के अन्त में बातचीत खत्म हो गई।

श्रीलंका की सरकार ने एक-के-बाद-एक कई अमाधारण कदम उठाए, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच नौकाओं के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को सूचित किया कि उत्तका यह कदम भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के विरुद्ध है और इससे भारतीय मछुआरों को परेशानी हो सकती है जो कि परम्परा से अपनी नौकाएँ इस समुद्र में ले जाते रहे हैं। बाद में श्रीलंका की नौमनिक नौकाओं द्वारा भारतीय मछेरो को परेशान करने, धमकियाँ देने और उन पर आक्रमण की घटनाएँ हुईं। भारत की सरकार ने इन घटनाओं के बारे में श्रीलंका से विरोध प्रकट किया। श्रीलंका सरकार ने कोलम्बो स्थित अमेरिकी राजदूतावास में इजरायल के हितों की देखभाल करने वाले एफ अनुभाग की स्थापना की घोषणा की और इजरायली आसूचना संगठन तथा ब्रिटिश सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएँ हासिल की। श्रीलंका में विदेशी सुरक्षा और आसूचना संगठनों के प्रवेश से भारत को चिन्ता हुई।

भारत की दिलचस्पी श्रीलंका की जातीय समस्या मुलभूतने में थी, इसका सीधा असर उस पर पड़ रहा है। 40,000 से ज्यादा तमिल श्रीलंका में भागकर भारत आ गए, उसने उन्हें मानवीय आचार पर आश्रय दिया। भारत ने इस बात पर बल दिया कि श्रीलंका की जातीय समस्या अनिवार्यत एक राजनीतिक समस्या है और इसे शान्तिपूर्वक बातचीत द्वारा श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक प्रखण्डता बनाए रखते हुए राजनीतिक स्तर पर निपटाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जयवर्धन 30 जून 1984 को जब भारत की राजकीय यात्रा पर आए तो उन्हें बहुत साफ़ तौर पर बताया गया कि भारत की नीति श्रीलंका के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं है और वह श्रीलंका की अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध है और वह चाहता है कि इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान शीघ्र खोजा जाए जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो। परन्तु समस्या का कोई हल नहीं निकला तथा इसको लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य तनाव बना रहा। श्रीलंका सरकार के प्रधानमंत्री श्री आर. प्रेमदास ने जब यह आरोप लगाया कि भारत श्रीलंका की जातीय समस्या को हल करने में मयम बड़ी बाधा है तथा यह पृथक् तमिल राज्य की माँग करने वाले उग्रवादियों को तमिलनाडु में शरण दे रहा है, तो यह तनाव और भी बढ़ गया।

श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को तग करना शुरू कर दिया। जनवरी, 1985 में श्रीलंका की एक गश्ती नौका ने भारतीय जल सीमा के भीतर प्रवेश करके मछुआरों पर आक्रमण किया जिससे दो मछुआरे मारे गए। मछुआरों द्वारा सरकार से सुरक्षण की मांग करने पर एक भारतीय जलपोत ने श्रीलंका की एक सशस्त्र गश्ती नौका को भारतीय जल सीमा में पकड़ लिया। श्रीलंका सरकार ने इस कार्यवाही पर आपत्ति की। जनवरी के अन्त में भारत ने श्रीलंका के नाविकों को रिहा कर दिया। उससे पूर्व श्रीलंका ने 20 मछुआरों को रिहा कर दिया था।

3 जून, 1985 को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जयवर्धन के बीच इस समस्या पर लम्बी बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हर प्रकार की हिंसा को पहले बम और फिर समाप्त किया जाए। इससे भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया।

15 जनवरी, 1986 को दोनों देशों के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसमें तय किया गया कि श्रीलंका फरवरी, 1986 में 94 हजार नागरिकताविहीन तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करेगा। भारत ने 5,06,000 लोगों को नागरिकता प्रदान करने की वचनबद्धता दोहराई है। इसमें भारत 86 हजार लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह समस्या तो हल हो गई परन्तु श्रीलंका के तमिलों की श्रीलंका में स्वतन्त्र तमिल राज्य की मांग पूर्ववत् बनी रही।

उधर तमिल उग्रवादियों ने उत्तरी श्रीलंका के जाफना प्रान्त पर शस्त्र बल में अधिकार जमा लिया तथा सरकार ने सेना के बल पर तमिल उग्रवादियों के दमन और जाफना पर फिर से नियन्त्रण की कार्यवाही शुरू कर दी। सैनिक हमले से जाफना में भारी सख्ता में लोग हताहत हुए। भारत ने श्रीलंका सरकार से इस पर धपना विरोध प्रकट करते हुए जाफना के हताहतों के लिए राहत सामग्री भेजने का निश्चय किया। राहत सामग्री लेजाने वाले भारतीय जहाजों को श्रीलंका की नौसेना ने रोक दिया। भारत सैनिक टकराव की किसी भी स्थिति से बचना चाहता था, साथ ही राहत सामग्री पहुँचाना भी आवश्यक था। अतः भारतीय वायुसेना ने आकस्मिक पहल कर राहत सामग्री जाफना में गिराई। इस पर श्रीलंका और भारत के बीच 15 जून 1987 को कोलम्बो में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि भारतीय राहत सामग्री की जाँच भारतीय रेडक्रास व श्रीलंका सरकार के अधिकारी करेंगे, तत्पश्चात् उसे शस्त्रहीन भारतीय नौकाएँ श्रीलंका की तटीय जल सीमा तक ले जाएँगी। वहाँ से ये नौकाएँ श्रीलंका की नौसेना के सुरक्षण में जाफना व सम्बद्ध तटों पर पहुँचाई जाएँगी। सामग्री वितरण के कार्य को भारतीय रेडक्रास व श्रीलंका के अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा।

भारत-श्रीलंका समझौता, जुलाई 1987

अन्ततः भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 29-30 जुलाई, 1987 को श्रीलंका की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर कोलम्बो गये जहाँ उन्होंने श्रीलंका के

राष्ट्रपति जयवर्द्धन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते से 4 बर्य से चली आ रही तमिल समस्या का समाधान होने की आशा उत्पन्न हो गयी क्योंकि समझौते के अन्तर्गत समाविष्ट नई व्यवस्था को सभी तमिल गुटों ने स्वीकार कर लिया था।

समझौते की मुख्य बातें

1 श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को मिलाकर एक इकाई बनाई जायेगी जिमकी पुष्टि जनमत संग्रह के आधार पर होगी। जनमत संग्रह 31 दिसम्बर 1988 तक होना है।

2 इस जनमत संग्रह की निगरानी श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक 3 सदस्यीय समिति करेगी।

3 उत्तरी और पूर्वी प्रान्तीय परिषदों के चुनाव 31 दिसम्बर, 1987 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। इसके लिये भारतीय प्रेषक बुलाये जायेंगे।

4. 15 अगस्त, 1987 तक पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तों में आपात् स्थिति समाप्त कर दी जायेगी।

5 सारी श्रीलंका में ग्राम माफी को घोषणा की जायेगी और सब राजनीतिक बंदी रिहा कर दिये जायेंगे।

6 उग्रवादी तमिल गुट हथियार डाल देंगे और श्रीलंका के सैनिक बंदरकों में वापस चले जायेंगे।

7 भारत सरकार इस समझौते को लागू करने की गारंटी देती है और (क) श्रीलंका के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए भारत सरकार अपने क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी।

(ख) भारतीय नौसेना श्रीलंका के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी उग्रवादी कार्यवाही को रोकेंगी।

(ग) इन प्रस्तावों को लागू करने के लिये यदि श्रीलंका सरकार भारत में सहायता मांगेगी तो भारत सरकार सहायता देगी।

(घ) भारत तथा श्रीलंका सरकारें तमिलों और सिंहलियों की सुरक्षा की गारंटी देंगी।

8 श्रीलंका की सरकारी भाषा सिंहली, तमिल और मद्रेजी होगी।

सभी तमिल क्रान्तिकारी संगठनों ने इन समझौते का स्वागत किया और श्रीलंका सरकार की प्रार्थना पर भारत ने लगभग 3 हजार सैनिक भेज दिये जो बुद्ध-विराम की देखभाल करने लगे। इन्हीं सैनिकों की उपस्थिति में तमिल छापामारों ने बड़ी संख्या में हथियारों का समर्पण किया। परन्तु अन्तरिम प्रशासन के गठन को लेकर सबसे बड़े मजसूर तमिल गुट त्रिवरेचन टाइगर्स प्रॉक तमिल इलम (निट्टे) ने समझौते को उल्लंघन करके छापामार बुद्ध पुनः शुरू कर दिया। भारतीय शान्ति-सेवा के सामने यह एक बिफट स्थिति थी। श्रीलंका की गति और समझौते का पालन कराने की जिम्मेदारी भारतीय शान्तिसेवा पर थी, इस कारण

लिट्टे को नियन्त्रित करना, उसे निःशस्त्र करना तथा लिट्टे द्वारा नियन्त्रित उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को उनके नियन्त्रण से मुक्त कराना भारतीय शान्ति सेना के लिए अनिवार्य हो गया।

इस जिम्मेदारी को भारत ने स्वीकार किया, हालांकि यह एक द्विचित्र स्थिति थी। भारत न श्रीलंका के तमिलों के हिमायती और सहायक के नाते श्रीलंका में अपनी सेना शान्तिसेना के रूप में भेजी थी और अब वह स्थिति आई जब उसे उम तमिल गुट के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े जिनके हाथों में वह श्रीलंका के तमिलों का भाग्य सीपने की तैयारी कर रहा था।

5 दिसम्बर, 1987 को भारतीय शान्ति-सेना ने लिट्टे के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी तथा अगले दो महीने के कठोर संघर्ष के पश्चात् वह लिट्टे-नियन्त्रित उत्तरी तथा पूर्वी श्रीलंका को मुक्त कराने में बड़ी सीमा तक सफल रही।

नवम्बर, 1987 के मध्य में श्रीलंका संसद ने समझौते के प्रावधानों के अनुसार श्रीलंका के संविधान में मशोधन करके उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तों की स्वायत्तता और प्रान्तीय परिषदों का प्रावधान कर दिया।

भारत और नेपाल

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से भारत और नेपाल अति निकट पड़ोसी हैं। आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण भी दोनों में मैत्री स्वाभाविक है। 31 जुलाई, 1950 की सन्धि द्वारा दोनों देश निश्चय कर चुके थे कि वे शान्ति और मैत्री की नीति का अनुसरण करेंगे। दोनों में एक व्यापारिक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि नेपाल अपना विदेशी व्यापार भारतीय क्षेत्र से हाकर मुचरु रूप से कर सकेगा। नेपाल में कुछ भारत विरोधी तत्त्व पहले ही विद्यमान थे। साम्यवादी चीन भी अपने प्रभाव-विस्तार के लिए भीतर ही भीतर नेपाल में भारत-विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन दे रहा था। अतः नेपाल में यह विचार बल पकड़ने लगा कि नेपाल को भारत का और चीन के मध्य एक अवरोधक (बफर) राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने नेपाली राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत नेपाल को आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता रहा, परन्तु नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ता गया। भारत के विरोध के बावजूद राजा महेन्द्र ने काठमाण्डू-ल्हासा सड़क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता किया। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रति भी नेपाल ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार आक्रमणकारी चीन का परोक्ष समर्थन किया।

1964 में प्रधानमंत्री शंकर ने नेपाल यात्रा की और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ। राजा महेन्द्र भारत आए और राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् नेपाल गए। 1 नवम्बर, 1964 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने 9 करोड़ रुपये की लागत में नेपाल के लिए एक 128 मील लम्बी

सड़क बनाने का निर्णय किया। काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक्षील को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क-योजना भी भारत ने अपने हाथ में ली। 1965 में श्री शास्त्री ने चीनी-योजना के पश्चिमी नहर कार्य का उद्घाटन किया। योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ की क्षति से बचाना और विजली तथा सिंचाई से लाभ पहुँचाना था। दिसम्बर, 1965 में नेपाल नरेश ने भारत-यात्रा की और एक समुक्त विज्ञप्ति द्वारा स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास-कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक है।

प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने भी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की नीति जारी रखी। अक्टूबर, 1971 में दोनों देशों के बीच कोनो तथा गण्डक परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता हुआ। जनवरी, 1972 में राजा महेन्द्र की मृत्यु हो गई और उनके बाद राजा बीरेन्द्रगाह नदी पर बँटे। भारत-नेपाल के विकास कार्यक्रमों में रुचि लेता रहा। राजा बीरेन्द्र का रखा भारतीय उदारता के वाक्य कहें धृष्टियों से ग्रहण करने वाला था। 1973 में उन्होंने नई भौगोलिक स्थिति को घोरण करते हुए कहा कि नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है। सितम्बर, 1974 में राजा बीरेन्द्र ने मिस्किन को भारत के अन्तर्गत राज्य का दर्जा दिए जाने का सुल्लभसुल्ला विरोध किया। काठमाण्डू स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत के विरुद्ध बुलेटिन निकाले गए। नेपाल सरकार की चुप्पी ने चीनी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार को बढ़ावा दिया। नेपाल के भारतीय स्वयं को अनुरोधित महसूस करने लगे। इन घटनाओं को भारत सरकार ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया। शीघ्र ही नेपाल सरकार ने समझ किया कि भारत के सहयोग और समर्थन के बिना गाड़ी चलना कठिन है। नवम्बर, 1974 के लगभग नेपाली पत्र 'मदरलैण्ड' ने कहा कि विश्व के 'लैण्ड लाउंड' देशों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वही नेपाल को मिलनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री चत्वार ने नेपाली प्रधानमंत्री श्री रिजाल को स्पष्ट रूप से बताया कि भारत नेपाल को हर प्रकार से सहायता देने को तैयार है, किन्तु सचारा एव बन्दरगाह सुविधाओं को अधिकार के रूप में नहीं माँगा जाना चाहिए। नेपाल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह इस महाद्वीप की रक्षा-व्यवस्था का एक अंग है। भारत के कड़े मन्त्र को देखकर नेपाल के महाराजा ने अत्यन्त और कूटनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से भारत से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का आग्रह किया। 1975 में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे। नेपाल नरेश भारत गए।

वर्ष 1976 में दोनों देशों के सम्बन्धों को दिना में काफी ठोस कार्य हुआ। राजनीतिक और सरकारी स्तर पर कई बातें हुईं जिसे दोनों सरकारों के बीच लगातार बातों का अक्षर प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि नेपाल के जो नागरिक भारत के सरक्षित प्रतिबन्धित क्षेत्रों का दौर करना चाहेंगे उन्हें दूसरे विदेशों नागरिकों के समान ही माना जाएगा और इस प्रकार उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए अनुमति-पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा। 1976-77 में

नेपाल की विकास योजनाओं के सहायता अनुदान के रूप में वजट में 10 करोड़ रु की राशि की व्यवस्था की गई। मार्च, 1978 में नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन के लिए अलग-अलग सन्धिवाँ तथा अनधिकृत व्यापार पर नियन्त्रण के लिए सहयोग के सम्बन्ध में अन्तर-सरकारी करार के सम्पन्न होने से भारत और नेपाल के बीच सद्भावनापूर्ण वातावरण तैयार हुआ।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा समुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ता रहा। आधिकृत सहयोग भारत-नेपाल संबंधों का एक सुदृढ़ आधार बना रहा। अनेक ऐसी योजनाएँ तैयार की गईं जिनके लिए भारत ने सहायता देना मजूर किया। मितम्बर, 1982 में भारत ने नेपाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके तात्कालिक आधार पर नेपाल को चावल देना स्वीकार किया। 1983 में भारत-नेपाल व्यापार-सन्धि का काल अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह अनधिकृत व्यापार पर नियन्त्रण से सम्बद्ध करार का काल भी मार्च, 1988 तक के लिए बढ़ाया गया। दोनों देशों के बीच एक अन्य करार पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसका सम्बन्ध दूर संचार में था।

मार्च, 1984 में नेपाल नरेश ने 141 मेगावाट क्षमता वाली देवीघाट पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया गया था और जिस पर 49 करोड़ की लागत आई थी। काठमाण्डू में बीरेन्द्र पुलिस अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया जिसकी साज-सज्जा भारत की सहायता से की गई थी। भारत ने नेपाल में बने उन पदार्थों की सहायता बढ़ा दी जो भारत में प्रवेश के लिए बरीयता पाने के योग्य हों। खेलों के क्षेत्र में, भारत ने नेपाल के साथ व्यापक सहयोग किया और सितम्बर, 1984 में काठमाण्डू में दक्षिण एशियाई सघीय खेलों का आयोजन करवाने में नेपाल की मदद की।

'मार्क' के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग का द्विपक्षीय सम्बन्धों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। भारतीय सहायता से क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं पर काम बराबर चलता रहा जिनमें महेन्द्र राजमार्ग के पश्चिम क्षेत्र का निर्माण, हिटोडा स्थित चिकित्सीय संस्थान में एक मंत्रालय, पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र की स्थापना, काठमाण्डू स्थित बीर अस्पताल के चिकित्सा-कामिकों की प्रशिक्षण तथा इस अस्पताल के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई, आयोनिक्ृत नमक की सप्लाई, आयोनीकरण सयंत्र की स्थापना में सहायता और एक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शामिल है। नेपाल के वित्त एवं उद्योग राज्य मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में इस बात पर सहमति हुई कि नेपाल में भारत-नेपाल समुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह भी फंसला हुआ कि भारत द्वारा नेपाल को दिए जाने वाला 15 करोड़ रुपये का उद्यम उधार (स्टैंड बाई क्रेडिट) बढ़ा कर 25 करोड़ रुपये कर दिया जाए। जनवरी, 1987 में विदेश मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी की यात्रा के दौरान राज-विराज में एक लघु उद्योग बस्ती की स्थापना के लिए एक नई परियोजना पर सहमति हुई। इस यात्रा के दौरान दोहरे कर से बचने से सम्बन्धित करार पर भी हस्ताक्षर हुए।

भारत और भूटान

भूटान 1971 से पूर्व तक भारत का 'संरक्षित किन्तु स्वतन्त्र राज्य' था, किन्तु 1971 में भारत ने इस देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय दिया। भारत के सहयोग में भूटान ने 1971 में संयुक्त राष्ट्र-सभ में प्रवेश किया। भूटान की विदेश नीति भूटान की सहमति से अभी तक भारत द्वारा ही संचालित होती रही है। दोनों देशों के बीच समानता के सम्बन्ध हैं। संयुक्त राष्ट्रसभ में भूटान और भारत की नीति एक-सी रही है। 1949 में दोनों देशों के बीच एक मैत्री और शान्ति सन्धि द्वारा यह निश्चय हुआ था कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और भूटान के सम्बन्धों तथा प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर रहेगा। भारत भूटान के योजनाबद्ध विकास में निरन्तर सहायता कर रहा है। भूटानी योजनाओं का लगभग 95 प्रतिशत व्यय भारत ही वहन करता रहा है। दोनों देशों के उच्चस्तरीय अधिकारी एक-दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। भूटान नरेश ने अनेक बार भारत की यात्रा की है।

योजना प्रक्रिया में भूटान के शामिल हो जाने के बाद भूटान की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1981-82 की अवधि में भूटान की पंचवर्षीय योजना में भारत ने 134 करोड़ रुपये का योगदान किया। 1983 में भारत और भूटान के बीच एक व्यापार-करार सम्पन्न हुआ ताकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार सुनिश्चित किया जा सके जिसकी गारण्टी 1949 में सम्पन्न भारत-भूटान शक्ति मैत्री संधि में दी गई है। 1984-85 के दौरान एक दूर संचार करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके बाद भारत भूटान माइक्रोवेव लिंक जो एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजना है, चालू हो गई। यह लिंक भूटान, भारत तथा तीनों विश्व के बीच टेलीफोन द्वारा संचार की सुविधा प्रदान करता है और यह दोनों देशों की मैत्री का प्रतीक है।

भूटान की बोर्डे 470 किलोमीटर सीमा तिब्बत के साथ लगती है परन्तु इसका कोई सीमाकन नहीं है। फलतः प्रायः चीनी लोग भूटान की सीमा का प्रतिक्रमण करते रहते हैं। आरम्भ में भारत ने चाहा था कि भूटान चीन सीमा-वार्ता में वह भूटान की ओर से शरीक हो परन्तु चीन ने यह स्वीकार नहीं किया और भूटान ने भी अपनी ओर से इस पर बल नहीं दिया। भारत ने भूटान से माँग की है कि सीमा के प्रश्न पर चीन के साथ जो भी वार्ताएँ हों, उनके बारे में उसे सूचित कर दिया जाय। वास्तव में प्रतिरक्षा की दृष्टि से भूटान का भारत के लिए बहुत महत्त्व है वह, भारत से अलग रहते हुए भी भारत के साथ जुड़ा है। 8 दिसम्बर, 1985 को सार्क घोषणा पर दक्षिण एशिया के जिन सात पड़ोसी देशों ने हस्ताक्षर किए उनमें भूटान भी शामिल है।

आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग निरन्तर गतिमान हुआ। 244 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली 336 मेगावाट की चुस्ता पनविजली परियोजना के पहले और दूसरे यूनिटों को सफलतापूर्वक चालू किया गया और

इसकी विजली का भारत के पूर्वी विद्युत् जाल से तालमेल बँठाया गया। धिम्पू और फुन्तसोनिंग के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और असम के हिस्सों को भी चुप्पा से विजली मिलनी शुरू हो गयी है। उम्मीद की जाती है कि इसकी बाकी दो यूनिटें भी मार्च, 1988 तक चालू हो जाएँगी। 1974 के चुप्पा करार के अनुसार भारत सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इन परियोजना से भूटान की अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद बचने वाली अतिरिक्त विजली वह खरीद लेगी। पूर्वी भूटान में डुंगमुम (नागलम) सीमेट सयंत्र परियोजना की वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए भूटान को सहायता देने का प्रस्ताव है। नागलम सयंत्र में सीमेट का जितना भी अतिरिक्त उत्पादन होगा वह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को भेजा जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि भूटान की छठी योजना (1987-92) के दौरान भारत भूटान आर्थिक सहयोग को जारी रखा जाए। भूटान की आधारभूत संरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न आकारों की विभिन्न परियोजनाओं में तथा दूरसंचार, सड़क-निर्माण, भौगोलिक अनुसन्धान तथा सिंचाई कार्य आदि के क्षेत्रों में भारतीय एजेंसियाँ कार्यरत रही हैं।

इसके अलावा, भारत भूटान को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा और रक्षा, पुलिस, सीमा शुल्क, औषधियाँ इत्यादि जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के लिए बराबर जवत्तर उपलब्ध कर रहा है। भारत ने इस उद्देश्य के लिए 14 लाख रुपये की छानवृत्तियाँ दी हैं। भूटान के अनुरोध पर भारत भूटान को गेहूँ, चावल, चीनी, कोयला, विस्फोटक पदार्थ, इस्पात तथा खाद्य तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं को उचित दर की कीमतों पर सप्लाई करता रहा है।

भारत और बंगलादेश

बंधानिक दृष्टि से बंगलादेश का उदय 6 दिसम्बर, 1971 को हो गया था, जब भारत ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। व्यावहारिक दृष्टि से बंगलादेश 16 दिसम्बर, 1971 को ढाका में पाक सेना द्वारा आत्मसमर्पण करने पर अस्तित्व में आया। बंगलादेश के मुक्ति-संग्राम और उदय में भारत ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई एवं उसमें दोनों देशों के बीच मैत्री बढ़ती गई। भारत और बंगलादेश के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव के वादजूद कुल मिलाकर सामान्य और मधुर रहे हैं। प्रारम्भ से ही भारत ने बंगलादेश को विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता दी है और दोनों के बीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्राविधिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। फरवक पर गंगा के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में तथा उसके प्रवाह को बढ़ाने के सम्बन्ध में समझौते और शान्तिपूर्ण बातें हुई हैं।

नबोदित न्यूमूर द्वीप पर भारत के अधिकार पर बंगलादेश ने आपत्ति की। भारत ने बंगलादेश को इन द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए प्राँकडे दिए और यह सिद्ध कर दिया कि न्यूमूर द्वीप भारतीय क्षेत्र में है। फिर भी यह विवाद अभी दोनों देशों के बीच तनाव का एक बिन्दु है। जनवरी, 1982 में बंगलादेश के सचिव की भारत यात्रा के अवसर पर दोनों पक्षों ने न्यूमूर द्वीप जल सीमांकन और तीन बोधों के पट्टे की शर्तों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों देशों के बीच उच्च और सर्वोच्च स्तर पर कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण यात्राएँ होती रही हैं। 8 नवम्बर, 1983 को दोनों देशों के बीच आन्तरिक जल पारगमन एवं व्यापार के सम्बन्ध में एक नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 1974 को सचिव स्तर की वार्ता की समाप्ति पर आन्तरिक जल परिवहन निगम व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। बंगलादेश के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में यद्यपि धीरे-धीरे सुधार हुआ है खास तौर पर आर्थिक महयोग के क्षेत्र में लेकिन कुछ समस्याएँ भी बनी रही हैं। इनका तालुक निम्नलिखित विषयों से है—फरक्का में गंगा के प्रवाह को बढ़ाना, बंगलादेश से बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ, भारत बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाकर और अधिक घुसपैठ को रोकने के हमारे निर्णय पर बंगलादेश की प्रतिक्रिया उन भारतीय राष्ट्रों के दावों के निपटाने की समस्या जिसकी सम्पत्ति पहले के पूर्व पाकिस्तान और अब बंगलादेश सरकार ने निहित सम्पत्ति के रूप में ले ली थी और तीन वीधा गलियारों को पट्टे पर बंगलादेश को देना।

फरक्का में गंगा नदी के जल के बँटवारे पर भारत और बंगलादेश के बीच सहमति के नवीनतम समझौते पर 22 नवम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। समझौते में कहा गया कि दोनों देशों के विशेषज्ञ प्राप्त जल स्रोतों का समुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। आपसी हित के लिए इन जल स्रोतों को विरूप के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर भी विचार होगा। फरक्का पर गंगा जल के बहाव में वृद्धि की लम्बी अवधि की योजनाएँ शामिल हैं। विशेषज्ञों का एक समुक्त दल स्वयं ऐसे तरीके खोजेगा जिससे कि यह कार्य 12 माह में पूरा हो जाय। यह भी तय किया गया कि अगर आगामी तीन शुष्क मौसमों के दौरान किसी भी मौसम में पानी का बहाव बहुत ही कम रहता है तो दोनों सरकारें तत्काल परामर्श करेंगी और इस बात या निर्णय करेंगी कि दोनों देशों पर पड़ने वाले बोझ को कैसे कम किया जाए। भारत व बंगलादेश इस बात पर भी सहमत हो गए कि सर्वाधिक कमी वाले मौसम के दौरान जो 21 से 30 अप्रैल तक होता है, फरक्का से अस्थायी तौर पर 55000 क्यूसेक पानी जारी किया जाएगा इसमें बंगलादेश को 34,500 क्यूसेक व भारत को 20,500 क्यूसेक पानी मिलेगा।

जुलाई, 1986 में बंगलादेश के राष्ट्रपति इरशाद 'सार्क' के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ घपनी बँडक में द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। नवम्बर, 1986 में यह फैसला किया गया कि गंगा जल से सम्बन्धित समुक्त विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाय।

1986 में ही तूफान पीड़ितों की सहायता और उनके पुनर्वास के लिए भारत ने तूफान से प्रभावित न होने वाले 100 शरण गृह बनाकर बंगलादेश को सौंपे। अप्रैल, 1986 में बंगलादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों से चकमा शरणार्थी त्रिपुरा में आतं जा रहे हैं और करीब 30,000 चकमा शरणार्थियों को त्रिपुरा में

चार शरणार्थी शिविरो मे रखा गया है। भारत सरकार बंगलादेश की सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है तथा उससे यह अनुरोध करती आ रही है कि वह इन शरणार्थियों को उनके अपने-अपने घरों में वापस भेजने में मदद करे। 6 से 9 जनवरी, 1987 तक भारत के विदेश मन्त्री बंगलादेश की यात्रा पर गए तथा उन्होंने 'सार्क', नदी जल, तीन बीघा, सीमा को चिह्नित करने, चकमा शरणार्थियों, विरोधियों की सम्पत्तियों तथा आर्थिक सहयोग जैसे सभी महत्त्वपूर्ण मसलों पर बातचीत की।"

भारत और चीन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और चीन दो घनिष्ठ मित्रों के रूप में उदय हुए थे, लेकिन 1962 में चीन ने भारतीय सीमान्तों पर आक्रामक आक्रमण कर इस मित्रता को भंग कर दिया। आज भी चीन भारत की कुछ भूमि पर अधिकार जमाए हुए है।

नेहरू-युग में भारत-चीन सम्बन्ध (1947-मई, 1964)

चीन के प्रति मैत्री और तुष्टिकरण की नीति—भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति प्रारम्भ से ही मैत्री की नीति अपनाई। उसने चीन को मान्यता प्रदान की और सयुक्त राष्ट्रसंघ में उसके प्रवेश का जोरदार समर्थन किया। अक्टूबर, 1950 में ही तिब्बत में प्रवेश कर चीन ने अपने वास्तविक इरादों का संकेत दे दिया था, लेकिन भारत ने चीनी इरादों को समझने में भूल की। जब भारत सरकार ने तिब्बत में उसके प्रवेश की ओर चीनी सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो 30 अक्टूबर, 1950 को चीन की ओर से भारत को कठोर शब्दों में उत्तर दिया गया—'पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति ने प्रभावित भारत, चीन के अन्तर्देशीय मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस न करे।' भारत की तुष्टिकरण की नीति की हद तब हो गई जब 29 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता कर भारत ने तिब्बत में प्राप्त अपने वहिर्देशीय अधिकार (Extra Territorial Rights) चीन को सौंप दिए और बदले में स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इस समझौते की प्रस्तावना में दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट किया था। इन्हीं सिद्धान्तों का 1953 में वाण्डुंग सम्मेलन में विस्तार किया गया। 1954 में चीनी प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई भारत आए, और अक्टूबर, 1954 में प. नेहरू ने चीन की यात्रा की।

भारत-चीन सीमा-विवाद—(चीन विभिन्न रूपों में भारत के साथ सीमा-विवाद उठाता रहा था। 20 अक्टूबर, 1962 को तो उसने भारत पर विशाल पैमाने पर आक्रामक आक्रमण ही कर दिया। प. नेहरू की आशाओं और नीतियों पर यह घातक चोट थी।) उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच व्यावहारिक रूप से मान्य सीमा को मकमोहन रेखा (McMohan Line) के नाम से जाना जाता है। अप्रैल, 1914 में भारत और तिब्बत तथा तिब्बत और चीन के बीच

सीमा-निर्धारण के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सचिव आर्थर हेनरी मेकमोहन ने भाग लिया। इस सम्मेलन की निष्पत्ति स्वरूप शिमला मन्धि में तय हुआ कि (1) तिब्बत पर चीन का आधिपत्य रहेगा, लेकिन बाह्य तिब्बत (Outer Tibet) को अपने कार्य में पूरी स्वतन्त्रता होगी, (2) चीन तिब्बत के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, एवं (3) तिब्बत को चीन अपने राज्य का प्रान्त कभी घोषित नहीं करेगा। बाह्य तिब्बत और भारत के बीच ऊँची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे को ताल से चिह्नित कर दिया गया, जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसी सीमा को मेकमोहन रेखा की मजा दी गई। जब कभी सीमा-विवाद उठा तो चीन ने इसी रेखा का समर्थन किया। 1959 से पूर्व उसने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई। भारत-चीन सीमा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्तराधिकार के रूप में तिब्बत में अनेक बहिर्देशीय अधिकार भी प्राप्त हुए थे। साम्यवादी चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता और भारत के बहिर्देशीय अधिकारों का कोई सम्मान न कर 7 अक्टूबर, 1950 को तिब्बत में अपने सैनिक भेज दिए। भारत द्वारा इस ओर ध्यान आकषिप्त किए जाने पर 30 अक्टूबर को चीन ने कठोर शब्दों में इसकी उपेक्षा की। चीन ने जो नए नक्शे प्रकाशित किए उसमें भारत की लगभग 50 हजार वर्गमील सीमा चीनी प्रदेश के अन्तर्गत दिखाई और नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने पर चीनी प्रधान मन्त्री ने कहा कि ये नक्शे राष्ट्रवादी सरकार के पुराने नक्शों की नकल हैं, समय मिलते ही इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। चीन भारत के माथ मुनियोजित ढंग से अपने विवादों को उग्रतर बनाता रहा और भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा। जुलाई, 1962 में गलवान घाटी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियों ने घेरे में ले लिया। सीमान्त पर चीनी सैनिक कार्यवाही बढ़ने लगी और भारतीय सैनिक चौकियों को घेरा जाने लगा। फिर 20 अक्टूबर, 1962 को प्रातःकाल भारत की उत्तरी सीमा के दोनों प्रांचलों पर चीन ने भीषण आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाएँ इस आक्रामक आक्रमण से सम्भले तब तक चीन ने काफी भारतीय भूमि और सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया।

चीनी आक्रमण, 1962—भारत द्वारा सम्भल पर प्रत्याक्रमण करने से पूर्व ही चीन ने अक्समात् ही 21 नवम्बर, 1962 को एक पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चीन ने एक द्वि-मूवीय योजना भी घोषित की— (1) चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 1959 की 'वास्तविक नियन्त्रण रेखा' (Actual Line of Control) से 20 किलोमीटर अपनी ओर हट जायेंगी। मेना का हटना एक दिसम्बर में प्रारम्भ होगा। (2) चीनी सेनाओं के हटने से जो क्षेत्र खाती होगा उसमें चीन सरकार अपनी अर्धसैनिक चौकियाँ कायम करेगी। चीन की ओर से भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने को कहा गया कि वह अपनी सेनाओं

को भी 7 नवम्बर, 1959 की रेखा से 20 किलोमीटर अपनी ही क्षेत्र में और हटा ले। विपरीत परिस्थितियों में भारत ने बिना स्वीकारोक्ति के चीन की एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषणा को मान लिया, किन्तु द्वि-मूत्रीय योजना को अस्वीकृत करते हुए घोषित किया कि जब तक चीनी सेनाएँ 8 सितम्बर, 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाती तब तक दोनों देशों के बीच कोई वार्ता सम्भव नहीं है। 8 सितम्बर, 1962 की यह रेखा वह थी जिसके उत्तर में चीनी सेनाएँ आक्रमण से पहले स्थित थी जबकि चीन द्वारा बताई गई 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा वह थी जहाँ तक आक्रमण के बाद भी चीनी फौजें नहीं पहुँच पाई थी।

कोलम्बो प्रस्ताव और चीन का दुराग्रह—चीन के आक्रमण ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के विरुद्ध आलोचनाओं को प्रोत्साहित किया किन्तु नेहरू जी ने पुनः इस नीति में गहरी आस्था प्रकट की। अवश्य ही अब भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद की ओर झुकाव शुरू हुआ। दिसम्बर, 1962 में श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र और घाना ने भारत-चीन वार्ता के लिए कोलम्बो-सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि सम्मेलन के प्रतिनिधि भारत और चीन जाकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा दोनों देशों के संघर्ष को समाप्त करने का प्रयत्न करें। श्रीमती भण्डारनायक स्वयं कोलम्बो प्रस्ताव लेकर नीकिंग और नई दिल्ली गईं। 29 जनवरी, 1963 को ये प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्त्व ये थे—

(1) युद्ध-विराम का समय भारत-चीन विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए उपयुक्त है, (2) चीन पश्चिमी क्षेत्र में अभी अपनी सैनिक चौकियाँ 20 किलोमीटर हटा ले, (3) भारत अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति कायम रखे, (4) विवाद का अन्तिम हल होने तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र असैनिक रहे जिसकी निगरानी दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त सैनिक चौकियाँ करें, (5) पूर्वी नेफा क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा युद्ध-विराम रेखा का रूप ले, शेष क्षेत्रों के बारे में दोनों देश भावी वार्ताओं में निर्णय करें, (6) मध्यवर्ती क्षेत्र का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाए। कोलम्बो प्रस्तावों का वास्तविक उद्देश्य भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति समाप्त कर वार्तालाप का द्वार खोलना था। चीन ने यह आश्वासन दिया कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा। स्पष्टीकरण के बाद भारत ने प्रस्तावों पर विधिवत् अपनी सहमति दे दी। तब चीन ने कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दीं कि जिनसे प्रस्ताव व्यवहारतः महत्वहीन हो गया और चीन की अपरोक्ष स्वीकृति भी स्पष्ट हो गई। चीन ने तटस्थ देशों के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाएँ।

नासिर प्रस्ताव (1963) व अन्य प्रस्ताव—भारत-चीन विवाद के गतिरोध को दूर करने के लिए 3 जनवरी, 1963 को मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने एक

प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें दूमरे कोलम्बो सम्मेलन के आयोजन का सुझाव दिया गया, किन्तु इस प्रस्ताव का भी कोई परिणाम नहीं निकला। मई, 1964 में श्री नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ-एन-लाई ने अपना शोक संदेश भेजा जिसमें यह भी कहा गया कि भारत और चीन के विवाद अस्थायी हैं जिनका समाधान शान्ति-पूर्ण ढंग से होना चाहिए।

शास्त्री काल में भारत-चीन सम्बन्ध
(मई, 1964-जनवरी, 1966)

प. जवाहरलाल नेहरू के बाद 10 जनवरी, 1966 तक लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री रहे। इस काल में भी भारत और चीन के सम्बन्धों में कोई सुधार न आ सका। 1965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने अपना शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया। चीन ने पाकिस्तान को पूर्ण नमर्थन दिया और भारत को आक्रामक घोषित किया। घमकी द्वारा भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध से विमुख करने का खेल भी खेला गया। 16 सितम्बर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि—“तीन दिन के भीतर भारत सिक्किम-चीन सीमा पर गैर-कानूनी ढंग से स्थापित 56 सैनिक प्रतिष्ठानों को हटा लें अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।” पत्र में यह मांग की गई कि भारत सीमा पर अपने सभी अतिक्रमण तुरन्त बन्द कर दे, अपहृत सीमा-निवासियों तथा पकड़े हुए मवेशियों को लौटा दे अन्यथा गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगी। महा-शक्तियों ने अतिलम्ब चीन को चेतावनी दी कि वह आग के साथ निलवाड़ न करे। उबर चीनी अल्टीमेटम के जवाब में 17 सितम्बर को श्री शास्त्री ने लोकमभा में कहा कि सिक्किम-तिब्बत सीमा पर भारत के अतिक्रमण की बात गलत है और भारतीय प्रदेश पर चीन का दावा हमें स्विकार नहीं है। चीन की सैनिक शक्ति भारत को अपनी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा से विचलित नहीं कर सकती। चीन ने सीमा पर सैनिक परिस्थितियाँ आरम्भ कर दी। 19 सितम्बर को अल्टीमेटम की अवधि फिर तीन दिन के लिए बढ़ा दी, किन्तु बड़े पैमाने पर चीन ने कोई सैनिक कार्यवाही करने का नाहम नहीं किया। 23 सितम्बर को भारत-पाक युद्ध-विराम हो जाने पर पीकिंग रेडियो ने यह नाटकीय घोषणा की कि “भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानों को तोड़कर चीनी सैनिक अपनी सीमा में वापस लौट गए हैं।”

इन्दिरा काल में भारत-चीन सम्बन्ध
(जनवरी, 1966 से मार्च, 1977)

भारत-पाक युद्ध में विजय से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और चीन कुछ समय तक सीमा पर विशेष गड़बड़ी रोकने में रुका रहा। सितम्बर व अक्तूबर 1967 में चीन ने ताशू-ला के भारतीय प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, तबिन भारी हानि उठाकर उसे पीछे हटना पड़ा। 2 अक्तूबर, 1967 को चीनियों ने चोला की भारतीय चौकी पर अचानक हमला किया, किन्तु फिर गहरी क्षति उठाकर अपने नापाक इरादों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। विदेशों की राजधानियों में दोनों

देशों के राजदूतों का सम्पर्क बढ़ने लगा। फिर भी चीन की ओर से सम्बन्ध सुधार के कोई ठोस प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हुए। 4 अगस्त, 1971 को राज्य सभा में भारतीय विदेश मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा—“भारत चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार का स्वागत करता है, लेकिन जब तक चीन की ओर से उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।” सितम्बर, 1971 में सयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के प्रवेश की वार्ता उठी और भारत ने चीन की सदस्यता का पूर्ण समर्थन किया। दोनों देशों के बीच राजदूतों को नियुक्त करने की बात भी उठी और दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध छिड़ गया जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया। बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन में भारत का सहयोग चीन को अच्छा नहीं लगा। चीन ने भारत के सहयोग को पाकिस्तान के अन्तरिक मामले में हस्तक्षेप बताया। अगस्त, 1971 की भारत-सोवियत सन्धि ने चीन को और भडका दिया। दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद् की बहसों में चीनी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का साथ देने में कोई कसर नहीं रखी और भारत को आक्रमणकारी घोषित कर दिया।

चीन के प्रसार-माधन भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार करते रहे। चीन सरकार ने 29 अप्रैल, 1975 को एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि भारतीय संघ में सिविकम को राज्य का दर्जा प्राप्त होना ‘अबंध अधिग्रहण’ है। भारत सरकार ने इसे अपने अन्तरिक मामले में चीन का हस्तक्षेप बताया। चीन बराबर यह दावा करता रहा कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति ‘आधिपत्य और विस्तारवादी आकांक्षाएँ’ रखता है और चाहता है कि वह सोवियत संघ के समर्थन से एक ‘उप-महादेश’ बन जाए। भारत सरकार चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सुसंगत नीति का अनुसरण करती रही। वर्ष 1976 भारत और चीन के बीच सम्बन्ध सुधार का मन्देश लेकर आया। अप्रैल, 1976 में भारत ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया और सितम्बर, 1976 में चीनी राजदूत ने दिल्ली में अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए। अक्तूबर-नवम्बर, 1975 में चीन की वैंडमिण्टन टीम की भारत-यात्रा और दिसम्बर, 1976 में एक गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सम्बन्धों की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

जनता शासन-काल में भारत-चीन सम्बन्ध
(अप्रैल, 1977-1979)

भारत ने एक गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल अप्रैल, 1977 में ‘कैप्टन-स्प्रिंग फेरी’ में सम्मिलित हुआ। फरवरी 15 वर्ष बाद दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार फिर से आरम्भ होने से दोनों देशों के बीच वैकिंग सुविधाओं और मालवाहक जहाजों के आवागमन को प्रोत्साहन मिला। कृषि, खनिज, वन-विज्ञान, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी आदान-प्रदान किया गया। फरवरी, 1978 में चीन के एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत

की यात्रा की। मार्च, 1978 में चीन के एक गैर-सरकारी सद्भावना प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत की यात्रा की। भारत के विदेश मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने 12 से 18 फरवरी, 1979 तक चीन की यात्रा की। विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट बताया कि भारत को पाकिस्तान और चीन के बीच सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धों पर यद्यपि कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत-चीन सम्बन्धों में मुद्धार की सम्भावनाओं पर तब इमका दुष्प्रभाव पड़ेगा जब उनके पारस्परिक सम्बन्धों से भारत के बंध हितों पर कोई बुरा असर पड़ता हो। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि चीन सरकार ने काश्मीर के प्रश्न पर जा हल अपनाया है वह छोटे दगाबंदी के स्वयं रवैये के विपरीत है तथा उनसे चीन-भारत सम्बन्धों में एक अतिरिक्त और अनावश्यक पेंचोदगी आ गई है। चीनी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत-चीन सीमा प्रश्न का सन्तोषजनक समाधान, पारस्परिक विश्वास की पुनर्स्थापना और चीन-भारत सम्बन्धों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पीकिंग में अपनी बातचीत पूरी करने के बाद विदेश मंत्री हाऊचो गए जहाँ 17 फरवरी को उन्हें वियतनाम पर चीनी आक्रमण की खबर मिली। उन्होंने तत्काल अपनी शेष यात्रा रद्द कर दी और तुरन्त भारत लौट आए। भारत सरकार ने वियतनाम पर चीनी आक्रमण का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और कहा कि चीनी फौजों को वापस हटाना चाहिए। कुल मिलाकर जनता शासनकाल में भारत-चीन सम्बन्ध यथापूर्व बने रहें।

इन्दिरा-राजीव गाँधी काल

नवम्बर-दिसम्बर, 1979 में नयी दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चीन ने काफी बड़े पैमाने पर भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भारतीय विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिकरणों के तत्वावधान में चीन की यात्रा की। चीन के कई शिष्टमण्डल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने भारत आए। श्री गोन्साल्वेज, सचिव (पूर्व) जब जून, 1980 के मध्य में पीकिंग की यात्रा पर गए तो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की कार्यवाही किसी दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता की कीमत पर नहीं की जाएगी। 1980 और 1981 के दौरान भारत और चीन के बीच सम्पर्क सूत्रों का विकास होता रहा। 1981 में सीमा विवाद मुलभाने की दिशा में नए प्रयास शुरू हुए और लगभग दो दशकों के बाद पीकिंग में 10 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 1981 तक चीन और भारत के प्रतिनिधि एक-दूसरे के आमने-सामने बैठकर दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों को मुलभाने के प्रयास में जुटे रहे। 22 फरवरी, 1982 से भारत में 44 विकासशील देशों का जो तीन दिवसीय सम्मेलन आरम्भ हुआ उसमें चीन के उपमन्त्री ने भाग लिया। 22 फरवरी 1982 को चीन के शीपेंस्य नेता श्री देंग जियाघोपिंग ने पीकिंग में भारत के साथ बेहतर सम्बन्धों की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के बावजूद

दोनों देशों को एक-दूसरे से कोई खतरा नहीं है। श्री देग ने श्री जी पार्थसारथी के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल से बातचीत के दौरान कहा कि चीन व भारत के बीच एक ही समस्या है और वह है सीमा की समस्या। यह समस्या 1962 के युद्ध के बाद पैदा हुई है। यदि दोनों देश समुचित कदम उठाते हैं तो इस प्रश्न को हल करना मुश्किल नहीं है। 23 अक्टूबर, 1982 को पीकिंग में चीनी प्रधान मंत्री श्री झांगो जियांग ने भारत-चीन समाज के एक प्रतिनिधि-मण्डल में कहा कि उनका देश भारत के साथ सीमाविवाद के हल का इच्छुक है।

सीमा के सवाल पर और द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास के बारे में बातचीत का तीसरा दौर 20 जनवरी से 2 फरवरी, 1983 तक पीकिंग में हुआ। सीमा के सवाल पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने और ममाधान के अनुकूल वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से भारत ने ठोस सुझाव देने के प्रयत्न किए। लेकिन सीमा के सवाल पर प्रगति वस्तुतः नहीं हुई। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि-मण्डलों का आना-जाना जारी रहा।

1983 के मध्य चीन और भारत के सम्बन्धों में पुनः तनाव बढ़ गया। चीन की अन्तर्राष्ट्रीय विषयो सम्बन्धी पत्रिका में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रकाशित की गईं। पिकांग में भारतीय दूतावास के कड़े विरोध पर इस झालेख को अगली शृंखला को प्रकाशित न करने का निर्णय किया गया लेकिन दलील दी गई कि चीन में प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता है जिसके तहत ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरकार की जिम्मेवारी नहीं। दोनों देश के बीच अधिकारी स्तरीय वार्ता का चौथा दौर सम्पन्न हुआ। सीमा विवाद की समस्या यथापूर्व बना रही लेकिन अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों में सहयोग और सम्बन्ध सुधार के क्षेत्र बढ़े। दोनों देशों के बीच वार्ता का पाँचवाँ दौर 17 से 22 दिसम्बर, 1984 तक पीकिंग में सम्पन्न हुआ। सीमा के प्रश्न पर कोई महमति नहीं हो सकी, तथापि दोनों देश के बीच एक दूसरे के यहाँ सस्टैतिक मण्डलियाँ भेजने, प्रदर्शनियाँ लगाने और सिद्धाविदों तथा अध्येताओं के आदान प्रदान पर सहमति हुई। वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक विनिमय का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया। 15 अगस्त, 1984 को पीकिंग में भारत-चीन व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच 1976 में राजदूतों के आदान प्रदान के बाद सरकार से सरकार के स्तर का यह पहला करार था। चीन सरकार ने श्रीमती गांधी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और चीन के उप प्रधानमंत्री तथा दूत याओयालिन श्रीमती गांधी के अन्तिम सस्कार के भाग लेने के लिए भारत आए।

चीन के प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री का पद सम्भालने और सरकार के गठन के अवसर पर अपना बधाई मन्त्रेज भेजा। नवम्बर 1985 में नई दिल्ली में भारत और चीन वार्ता का छठा दौर सम्पन्न हुआ। पूर्वी क्षेत्र में सीमा निर्धारण के प्रश्न पर कुछ प्रगति हुई, पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

दोनों देशों के बीच पश्चिमी क्षेत्र का अधिक महत्त्व है। यही पर लद्दाख में चीन ने अस्काई चिन सड़क बनाई है। पाकिस्तान व भारत की सेनाओं के बीच मियाचिन ग्लेशियर पर झड़पें हुई हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान उस पर कब्जा करके उसे दे दे। इससे सिंक्रियांग में वरुस के विरुद्ध अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वार्ता की प्रगति की रफ्तार निश्चय ही बहुत धीमी है। अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्ष आपसी सम्बन्ध बढ़ाने को सहमत हो गए। दोनों देशों की मान्यता है कि सीमा के प्रश्न अन्य क्षेत्रों में सम्बन्ध सुलभ करने के मार्ग में बाधक नहीं बनने चाहिए। वार्ता के इस दौर को एक अच्छी उपलब्धि कीर्णम में भारतीय दूतावास के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए लम्बे विवाद का सुलभ जाना था। 1967 में चीन ने भारतीय दूतावास की जो सम्पत्ति जब्त की थी उनका मुआवजा देने का भी निर्णय हो गया। चीन भारतीय दूतावास के लिए 3400 वर्ग मीटर भूमि देने को सहमत हो गया है। यह भूमि दीपकालीन पट्टे पर बाजार से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। 23 नवम्बर, 1985 को भारत व चीन के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान दोनों देशों में 10 से 14 करोड़ का व्यापार होना तय किया गया। इस समय व्यापार सन्तुलन चीन के पक्ष में था। 1984-85 में भारत ने चीन से 65.55 करोड़ रुपये का माल आयात किया था जबकि उसका निर्यात केवल 2.12 करोड़ रुपये का था। नए समझौते से व्यापार सन्तुलन स्थापित होने की आशा प्रकट की गई।

अधिकारी स्तर की वार्ता का 7वाँ दौर 21 से 23 जुलाई, 1986 तक बीजिंग में हुआ। सीमा सम्बन्धी मसलें पर, नयी दिल्ली में नवम्बर, 1985 में वार्ता के छठे दौर में शुरू किया गया। मारभूत विचार-विमर्श पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी रखा गया। हालांकि विचार-विमर्श किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा फिर भी एक-दूसरे के विचारों को और अधिक अच्छी तरह समझने का मौका मिला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आदान-प्रदान सम्बन्धी एक कार्यक्रम तय किया गया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गयी। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया।

वार्ता के सातवें दौर में चीन की अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के समुद्रोरांग चू पाटी क्षेत्र में उसकी घुमपैठ पर भारत की गहरी चिन्ता से भी अवगत कराया गया। इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी घुमपैठ से तनाव बढ़ता है और सीमा सम्बन्धी मसलें के न्यायोचित और मन्तोपजनक हल की प्राप्ति सम्बन्धी वातावरण दूषित होता है। चीनी घुमपैठ का मसला 18 मितम्बर, 1986 को न्यूयार्क में भारत के तथा चीन के विदेश मन्त्रियों की बैठक में भी उठाया गया।

अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने पर चीन ने जो विरोध प्रकट किया था उसे भी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह भारत के अन्तरिक मामलों में मुन्म-मुन्ता हम्नधेव है तथा यह सीमा सम्बन्धी

समस्या के शान्तिपूर्ण हल सम्बन्धी चीन की घोषणाओं के विपरीत है। भारत ने यह उम्मीद जाहिर की है कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धान्त दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का आधार बने रहेंगे।

सरकारी आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन दोनों देशों ने शिक्षा, छानवृत्ति, गलीचा प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत से प्रतिनिधि मण्डल एक-दूसरे के देश को भेजे। चीन के उप शिक्षा मन्त्री के नेतृत्व में एक शिक्षा प्रतिनिधि मण्डल भारत आया। मुश्रीम पीपुल्स कोर्ट ग्राफ चाइना के अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के आमन्त्रण पर भारत की यात्रा की।

बी के कृष्णामेनन भोमायटी के आमन्त्रण पर चीन अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना मण्डल के परिषद् सदस्य श्री ली वी हाई के नेतृत्व में 28 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1986 तक पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने भारत की यात्रा की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सिस्ट) के आमन्त्रण पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 19 से 31 दिसम्बर, 1986 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधि मण्डल ने नई दिल्ली में कांग्रेस (आई) के नेताओं से भी विचार-विमर्श किया।

1987 के प्रारम्भ से ही चीन के रुख में फिर अप्रत्याशित कठोरता आ गयी और भारत को 'सबक' सिखाए जाने के समाचार आने लगे। चीन ने कई बार आरोप लगाया कि भारतीय सेना वास्तविक नियन्त्रण रेखा का अतिक्रमण कर, चीनी क्षेत्र में घुस आयी है, चीन के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारत बार-बार चीनी क्षेत्र में घुस आता है और चीनी वायु सीमा का उल्लंघन करता है तथा उसने सीमा पर अपना सैनिक जमाव भी बढ़ा लिया है। विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता ने चीन के आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भारत ने चीन की सीमा के निकट कोई सैनिक अभ्यास ही नहीं किया। भारतीय सेना को स्पष्ट निर्देश है कि वह भारत-चीन सीमा को पार न करे। 14 से 16 जून, 1987 तक भारत के विदेशमन्त्री की अनौपचारिक चीन यात्रा की और चीनी नेताओं से सीमा पर शान्ति बनाए रखने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पर शान्ति बनाए रखी जाए। उन्होंने पश्चिमी प्रेस में छपी खबरों को गलत बताया कि तिब्बत सीमा पर भारत व चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हो चुकी हैं।

मूल्यांकन

चीन कभी अहसासल तो कभी सिक्किम को लेकर विवाद के नए-नए बिन्दु उभारता रहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के साथ चीन का जो गठबन्धन है उसका एक मुख्य पहलू भारत पर राजनीतिक और सैनिक दबाव बनाए रखना है। अब वह अटकलवाजी का विषय नहीं रहा है कि एशिया में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का एक नया गठबन्धन उभर रहा है। इसका लक्ष्य सोवियत मण्डल के

प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को रोकना, एशिया के छोटे एवं तटस्थ राष्ट्रों को बचाए रखना तथा भारत पर दबाव बनाए रखना है। हाल में एशिया के इस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप की सम्भावनाएँ बढ़ गयी हैं। पाक अधिभूत कश्मीर में कराकोरम राजमार्ग के उत्तरी तिर्रे पर चीन द्वारा निर्मित 4620 मीटर लम्बा खुजराव मार्ग विधिवत् खुल जाने से यात्रा और व्यापार की दृष्टि से चीन और पाकिस्तान एक-दूसरे के निकट आ गए हैं। पाकिस्तान को चीन में भारी मात्रा में हथियार मिलते रहे हैं। चीन पाकिस्तान को परमाणु-शक्ति सम्पन्न बनाने में भी मदद कर रहा है।

भारत-चीन अधिकारी स्तर से वार्ता का आठवाँ दौर 17 नवम्बर, 1987 को दिल्ली में सम्पन्न हो गया, परन्तु उससे भी भारत-चीन सीमा-विवाद सुलझाने की दिशा में लेजिमात्र प्रगति नहीं हुई। चीन चाहता था कि पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं को पीछे इटाकर एक अमैन्वकृत क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाए परन्तु भारत सोमदोरोग चू घाटी में चीन के आक्रमण को मुला नहीं पाया तथा उसने यह खतरा उठाना ठीक नहीं समझा। इस वार्ता की एकमात्र उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि दोनों पक्षों ने यह निश्चय किया कि जब तक सीमा-विवाद चर्चा द्वारा हल नहीं हो जाता तब तक सीमा पर शान्ति भंग नहीं की जाएगी।

भारत और पश्चिमी यूरोप (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य आदि)

पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मंत्रीमण्डल और सौहार्दपूर्ण हैं। पश्चिमी यूरोप की ओर से भारत की तथा भारत की ओर से पश्चिमी यूरोप की महत्त्वपूर्ण यात्राओं से इन सम्बन्धों को अधिक मुरद करने में सहायता मिली है। 1981-82 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रान्स, इटली और स्वीट्जरलैण्ड की यात्रा की। ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री और स्पेन के मन्त्राट तथा साम्राज्यी भारत आए। विदेश मन्त्रियों, ससदीय जिण्ट मण्डलो आदि की यात्राएँ भी सम्पन्न हुईं। पश्चिमी यूरोप भारत का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ उसका लगभग 30 प्रतिशत व्यापार है। भारत और पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों के बीच नयुक्त व्यापार परिषदें स्थापित हैं। जून, 1981 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक नए वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

1981-82 के दौरान बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों रूपों में पश्चिमी यूरोप, भारत के लिए विकास सहयोग सहायता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बना। भारत में तकनीकी और वित्तीय निवेशों का अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देशों की ओर से प्राप्त हुआ। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मन संघीय गणराज्य, नीडरलैण्ड्स, स्वीडन, डेनमार्क और नावो प्रमुख दाता थे। इनमें से कई देशों की ओर से जिन देशों की सबसे अधिक द्विपक्षीय सहायता प्राप्त हुई भारत उनमें एक था।

1982-83 के दौरान विभिन्न महत्त्वपूर्ण यात्राएँ हुईं। फ्रान्स के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। उनके अलावा यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग के अध्यक्ष की भारत यात्रा, पुनान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, स्वीडन के प्रधान

ग्रीर ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री तथा फ्रांस, डेनमार्क, यू.के. और आस्ट्रिया के विदेश मन्त्रियों की यात्राएँ भी महत्वपूर्ण रही। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर भारत और पश्चिमी यूरोप के देशों में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक सम्पर्क स्थापित हुए। भारत और इटली के बीच एक मयुक्त कार्यपरिपद की स्थापना हुई। पश्चिमी यूरोप व्यापार में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहा। 1982-83 में ई.ई.सी. और भारत के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसमें नई दिल्ली में ई.ई.सी. के एक प्रतिनिधिमण्डल की स्थापना की व्यवस्था की गयी। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों रूपों में भारत को विकास सहयोग सहायता का बहुत बड़ा भाग पश्चिमी यूरोपीय देशों से मिलता रहा।

1983-84 के दौरान पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे। कई महत्वपूर्ण यात्राएँ हुईं। भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष बनाए जाने का यूरोपीय देशों ने स्वागत किया। पश्चिमी यूरोप ने आर्थिक सहायता, प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आस्ट्रिया के मधीय चासलर फ्रेड तिर्नोवत मार्च 1984 में भारत की सरकारी यात्रा पर आए। भारत और पश्चिम यूरोप के देशों के बीच मन्त्री स्तर पर कई यात्राएँ भी की गयीं। भारतीय चिन्ता का एक क्षेत्र यह तथ्य रहा कि सिक्ख उग्रवादियों ने पश्चिम यूरोप के कुछ देशों में विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन में शरण ली। पश्चिम यूरोप के सभी देशों ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की एक स्वर से निन्दा की। कई प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च स्तर के पदाधिकारी घन्ट्येष्टि में भाग लेने के लिए दिल्ली आए।

वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 के अनुसार—पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध निरन्तर सौहार्दपूर्ण और मंत्रीपूर्ण रहे। भारत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता और ऋण देने की योग्यता से पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह विश्वास मुहूर्त हुआ कि भारत एशिया तथा विश्व के बढ़ते हुए महत्व का एक राष्ट्र है। अपनी उच्च निर्यात-निर्भर अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए नए बाजारों की अपनी खोज में इन देशों ने इस प्रकार भारत को अपनी सूची में उच्च श्रेणियों में रखा है। यूरोपीय समुदाय के बारह सदस्य हमारे व्यापार के प्रमुख भागीदार बन गए हैं और प्रौद्योगिक सहयोग निवेश और समुदाय के साथ सहयोग कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से पता लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्केन्डेनवियाई देश भारत को विशेषकर समाजकल्याण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इन देशों के साथ सहयोग करने की भारत के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

पश्चिमी यूरोप के देशों को भारतीय निर्यात ने कुछ वृद्धि दिखाई परन्तु उत्पादों का क्षेत्र सकीर्ण रहा और व्यापार के सन्तुलन में घाटा बढ़ गया है। यद्यपि

भारत के लिए यह चिन्ता का विषय है तथापि इसका श्रेय अनुकूलन निवेश वातावरण, पूंजीगत माल के आयात और नई प्रौद्योगिकी के आयात के लिए हमारी आवश्यकता तथा समुदाय की सापेक्ष महत्व की नीतियों को भी दिया जा सकता है। इन पहलुओं पर जनवरी, 1987 में ब्रूसेल्स में हुई भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। भारत और यूनान, स्वीडन, स्पेन तथा आस्ट्रिया के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समितियों की बैठकें 1986 में हुईं। पण्य की मात्रावार भारतीय निर्यात के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अद्यतन प्रौद्योगिकी के आयात और वापस क्रय सम्बन्धी प्रवन्ध के साथ संयुक्त सहयोग स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष 1986-87 के दौरान कई उच्च स्तर की यात्राएँ की गयीं। भारत के राष्ट्रपति ने यूनान की यात्रा की जब द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया गया। भारत के उप-राष्ट्रपति ने भारत महोत्सव के समापन समारोहों में भाग लेने के लिए फ्रांस की यात्रा की। जर्मन संधीय गणराज्य के चांसलर कोहल, तुर्की और इटली के प्रधानमंत्री तुर्गट श्रीजाल और वेनितोक्रोजी और डेनमार्क के पाल श्लूतेर की भारत यात्राओं से नया प्रोत्साहन मिला और इन देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में अधिकाधिक आर्थिक और वाणिज्यिक विषय जोड़ दिए गए। फिनलैंड के राष्ट्रपति मोनोको कार्डीविस्ती फरवरी, 1987 में चार दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए। उनके प्रतिनिधि मण्डल में अन्य व्यक्तियों के अलावा फिनलैंड के विदेशमंत्री शामिल थे। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, जिसमें निरस्त्रीकरण और उत्तर-दक्षिण वार्ता शामिल है, पर भी विचार-विमर्श किया गया। विदेश मंत्री एन डी तिवारी ने अफ्रीका निधि-प्रतिनिधि मण्डल के एक अंश के रूप में इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मन संधीय गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। इसके अतिरिक्त सप्तदीय प्रतिनिधि मण्डलों, औद्योगिक एवं व्यापार दलों, शिक्षाविदों, पत्रकारों आदि के आदान-प्रदान के अतिरिक्त आर्थिक, औद्योगिक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शंक्षिक क्षेत्रों में मन्त्री स्तर की कई यात्राएँ की गयीं। पश्चिमी यूरोप की सरकारें उनके देशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर हमारी चिन्ता के प्रति सामान्यतः प्रतिक्रिया दिखाती रही है। हम इन गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और उनकी सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। जर्मन संधीय गणराज्य के साथ एक प्रत्यर्पण सन्धि सम्पन्न करने के लिए बातचीत भी शुरू कर दी गयी है।

लेकिन ब्रिटेन के मामले में हमारी चिन्ता ब्रिटेन के प्राधिनारियों के समक्ष व्यक्त की गई है और यूनाइटेड किंगडम को यह मुझाव देने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया जा रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ा नियन्त्रण रचना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में आतंकवादी गतिविधियों को कारगर रूप से नियंत्रित

करने के लिए हमारा मुभाव दोनों देशों के लिए यह था कि एक प्रत्यक्ष सन्धि सम्पन्न की जाए। वार्ता के दो दौर हो चुके हैं और विचार-विमर्श जारी है। इसी बीच ब्रिटेन के प्राधिकारियों ने यू.के. में कुछ उपद्रवादिओं/आतंकवादियों को दोषी सिद्ध करने/उन पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ कार्यवाही की है।

भारत और ब्रिटेन

राजनैतिक मतभेदों के बावजूद भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। जनवरी, 1950 में स्वयं को गणराज्य घोषित करने के बाद भी भारत ने राष्ट्रमण्डल में सम्बन्ध कायम रखने का निश्चय किया और आज भी वह राष्ट्रमण्डल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ब्रिटेन ने भारत की विकास योजनाओं में समय-समय पर आर्थिक सहायता भी दी है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन द्वारा भारत को नैतिक सहायता भी प्रदान की गई थी और भारत-चीन विवाद में ब्रिटेन का रुख भारत के पक्ष में ही रहा था।

इस सहयोग के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रिटेन की नीति भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण रही है। कश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन और उसके साथी राष्ट्रों का रुखा भारत-विरोधी रहा है। ब्रिटेन ने भारत के विरुद्ध सदा पाकिस्तान का समर्थन किया है। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के प्रश्न पर युद्ध छिड़ा था, तब भी ब्रिटिश प्रेस, रेडियो और सरकार ने गुले आम भारत-विरोधी नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार का रुखा एकदम पक्षपातपूर्ण था और ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में खिचाव घा गया। जो बटुता पैदा हुई उसमें केंन्या के प्रवासी भारतीयों के प्रश्न का एक और मुद्दा जुड़ गया। पूर्वी अफ्रीका से भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है और 1867 में ही भारतीय केंन्या जाते रहे थे। 1963 में जब केंन्या स्वतंत्र हुआ तब वहाँ भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 25 हजार थी। केंन्या की स्वतंत्रता के समय भारतीयों के समक्ष उनकी नागरिकता से सम्बन्धित विफट समस्या खड़ी हो गई। उस समय भारत सरकार ने लगभग 4 हजार भारतीयों को अपना पारपत्र दिया, शेष भारतीय ब्रिटिश पारपत्र पर केंन्या में रहने लगे, किन्तु इस स्थिति में फरवरी, 1968 में उत्तरनाक विगाड आया जबकि केंन्या सरकार ने यह निश्चय किया कि उन एशियाई लोगों के साथ जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, केंन्या में गैर-नागरिक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने मदद में एक विधेयक पेश कर दिया जिसका उद्देश्य 1 मार्च, 1968 के बाद केंन्याई भारतीयों के ब्रिटेन में प्रवेश को रोकना था। नव कानून के अनुसार उस पारपत्र का कोई मूल्य नहीं रहा जो ब्रिटेन में केंन्या के प्रवासी भारतीयों को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का यह कदम अन्ध्यायपूर्ण और अमानवीय था जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि एशियावासियों को ब्रिटेन में प्रवेश से रोकने वाले अधिनियम का ब्रिटिश-भारत सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सौभाग्य की बात थी कि इन समस्या पर

कोई व्यापक प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1969 में बी बी सी. टेलीविजन फिल्मों में भारतीय जनजीवन को विकृत रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रश्न पर भी भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों में तनाव आया। भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा नितम्बर, 1970 में भारत में बी बी सी को उपलब्ध सभी सुविधाएँ समाप्त कर दी। 1971 में बंगला देश के प्रश्न पर दोनों देशों में गलतफहमी फैली। इसका निवारण तब हुआ जब भारत-पाक युद्ध छिड़ने पर सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन ने भारत-विरोधी प्रस्तावों पर मनदान में भाग नहीं लिया। भारत ने इसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार मानते हुए बी बी सी को पुनः भारत में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी।

1974 के मध्यान्तर चुनावों में लेबर पार्टी विजय प्राप्त कर मत्तारूढ़ हुई। श्रम-दलीय सरकार का रवैया अनुदार दलीय सरकार की तुलना में भारत के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण था। दोनों देशों के बीच वार्षिक द्वि-पक्षीय चर्चा हुई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सामान्य समीक्षा करने के अलावा व्यापारिक सहायता तथा वार्षिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग जैसे द्वि-पक्षीय मामलों पर बातचीत हुई। 1975-76 के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 10 करोड़ पौण्ड की सहायता का वचन दिया जिससे ब्रिटेन भारत को द्विपक्षीय ऋण देने वाले देशों की सूची में सर्वोपरि हो गया। 1975-76 में ब्रिटिश संसद् के कई महत्वपूर्ण सरकारी निमन्त्रण पर भारत आया। भारत-ब्रिटेन वार्षिक सहयोग एवं व्यापार समुक्त समिति गठित हुई।

ब्रिटिश उद्योग के उपाध्यक्ष सर राल्फ बेटमैन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय ब्रिटिश औद्योगिक शिष्टमण्डल ने अक्टूबर, 1976 में भारत की यात्रा की। इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच अधिकाधिक व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग तथा तीसरे देशों में सहयोग की सम्भावना का पता लगाना था। 1976-77 में भारत को मिलने वाली ब्रिटिश विकास सहायता 1120 लाख पौण्ड (लगभग 170 करोड़ रुपये) थी। यह राशि किसी भी अन्य देश से प्राप्त सबसे बड़ी रकम थी। यह सहायता पूर्णतया अनुदान रूप में ही दी गई थी। 6 से 11 जनवरी, 1978 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैम्स कैलहन की भारत यात्रा हुई। इस यात्रा से भारत और यूनाइटेड किंगडम के समान जादशों और महत्वाकांक्षाओं का और इस बात का भी स्पष्ट पता चला कि वे राष्ट्रों की अन्योपान्ध्रता को स्वीकार करते हैं। इसी महीने में 1977-78 के लिए भारत को ब्रिटिश सहायता से 228 करोड़ रुपये की राशि के पाँच करारों पर हस्ताक्षर किए गए। यह सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप में थी। जून, 1978 में प्रधानमंत्री की लन्दन की यात्रा से ब्रिटेन के साथ भारत के सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए। समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय प्रश्नों पर विचार विभा गया जिसमें दक्षिण अफ्रीका, निरस्त्रीकरण और जातीय सम्बन्धों के प्रश्न भी शामिल थे। भारतीय राष्ट्रियों के साथ किए गए अनुचित व्यवहार की विशिष्ट शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ प्रश्न उठाया गया। ब्रिटिश मन्द् का एक प्रतिनिधि मण्डल दिसम्बर, 1978 में भारत आया और इससे दोनों देशों की संसदों के बीच सम्पर्क सुरक्षित हुआ।

1979-80 के दौरान भी दोनों पक्षों में निकटता बढ़ी। जुलाई, 1979 में ब्रिटिश विदेश मन्त्री लार्ड केरिगटन ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई तथा प्रमुख वरिष्ठ मन्त्रियों से वार्ता की। रोडेशिया और निरस्त्रीकरण की समस्या पर भी विचार-विनिमय हुआ। उन्हें भारत की इस चिन्ता से अवगत कराया गया कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ भेदभाव अथवा उत्पीड़न का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सितम्बर, 1979 में लार्ड माउण्टबेटेन की हत्या पर भारत ने राजकीय शोक मनाया। नई सरकार बनने के बाद विदेशमन्त्री लार्ड केरिगटन ने जनवरी, 1980 में पुनः भारत की यात्रा की। 19 नवम्बर, 1980 को लन्दन में भारत-ब्रिटिश सभ द्वारा आयोजित वार्षिक रात्रि भोज पर बोलते हुए लार्ड केरिगटन ने कहा कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ हैं जितने कि भारत के साथ। जनवरी, 1981 में ब्रिटिश ससद् में एक नया ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून पेश किया गया जिसमें नागरिकता प्राप्त करने तथा यहाँ रहने के अधिकार को परिभाषित किया गया। इससे पूर्व मार्च, 1980 में नये आप्रवासन विनियम लागू किए गए। इन विनियमों में ग्रन्थित अथवा पुरप मगेतरो के रूप में अप्रवासियों के प्रवेश को कम करने के उपाय किए गए।

जुलाई, 1980 में प्रकाशित एक श्वेत पत्र में नये राष्ट्रीयता कानून का प्रस्ताव किया गया। मूलतः इसमें तीन प्रकार की नागरिकता का प्रस्ताव है—

- 1 ब्रिटिश नागरिकता
- 2 ब्रिटिश ग्रन्थित क्षेत्रों की नागरिकता तथा
- 3 विदेशस्थ ब्रिटिश नागरिकता।

इस प्रस्ताव की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें अप्रवासियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लोगों तथा उस देश की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों से सम्बन्धित विभिन्न मुसलों पर ब्रिटिश प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रही। प्रिंस चार्ल्स ने 23 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1980 तक भारत की यात्रा की। यह पूर्ण रूप से सद्भावना यात्रा थी।

1981-82 के दौरान भी दोनों देशों के बीच अथवा वातावरण बना रहा। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट थैचर ने अप्रैल, 1981 में भारत की यात्रा कर दोनों देशों के आपसी हितों के मामलों पर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से बातचीत की। व्यापार और कुछ कोयला शक्ति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष सम्बन्धी जापन सम्झौती पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री स्वदेश लौटते हुए 29 दिसम्बर, 1982 को नई दिल्ली में कुछ घण्टों के लिए रुकी। उन्होंने श्रीमती गांधी के साथ पश्चिमी एशिया की नवीनतम घटनाओं वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा दोनों देशों के आपसी सहयोग से सम्बद्ध आर्थिक मुसलों पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 17 से 26 नवम्बर, 1983 तक भारत की यात्रा की।

प्रधानमंत्री मारग्रेट थर्चर भी राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के सिलसिले में यहाँ आईं और द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। हमारे विदेश मंत्री ने 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 1983 तक ब्रिटेन की यात्रा की।

1984-85 में भी ब्रिटेन भारत का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना रहा तथापि व्यापार सन्तुलन भारत के प्रतिकूल रहा। मार्च, 1984 में ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमण्डल राज्यमन्त्री ने भारत की यात्रा की। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती थर्चर ने अक्टूबर, 1984 में श्रीमती गाँधी की अन्वेषण में भाग लिया। 13 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में श्रीमती थर्चर ने प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी को आश्वामन दिया कि ब्रिटेन में कुछ सिक्ख गुटों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति में निवटने के लिए उनकी सरकार हर सम्भव कदम उठाएगी। दोनों प्रधानमन्त्रियों के बीच थोल्का की स्थिति पर भी विस्तृत बातचीत हुई। ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के साथ इस बात पर सहमत थी कि सलाह-मशवरे से इस समस्या का कोई शान्तिपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। श्रीमती थर्चर ने ईरान-ईराक युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भारत की पहल की जानकारी ली और दोनों नेताओं ने इन दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती थर्चर ने निरस्त्रीकरण के मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन के साथ हुई बातचीत में भी राजीव गाँधी को अवगत कराया। श्रीमती थर्चर ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों की भी जानकारी प्राप्त की। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान दोनों पक्षों का पारस्परिक व्यापार बढ़ा तथापि यूनाइटेड किंगडम से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भारत की चिन्ता बनी रही। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन के बीच मतभेद बने रहे। अगस्त, 1986 में राष्ट्रमण्डल के सात देशों का लघु शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें भारत सहित अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कुछ और प्रतिबन्ध लगाने का फैसला किया, परन्तु ब्रिटेन ने असहमति व्यक्त की। श्रीमती थर्चर का मत था कि प्रतिबन्धों से दक्षिण अफ्रीका से अश्वेत लोगों की परेशानी बढ़ेगी। श्रीमती थर्चर ने कहा कि यह मसला बातचीत में हल होना चाहिए।

भारत, फ्रांस और पुर्तगाल

स्वाजाती के बाद भी भारत में चन्द्रनगर, पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और यनाम की बस्तियाँ फ्रांस के अधीन थीं तथा गोव्रा, दमन और दिव पर पुर्तगाल का आधिपत्य था। भारत सरकार ने फ्रांस से अनुरोध किया कि वह भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को मुक्त कर दे। फ्रांस ने समझदारी में काम लेंते हुए नवम्बर, 1954 में पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और यनाम की तथा मई, 1959 में चन्द्रनगर को भारत के मुपुर्द कर दिया। बसमभी और दुराप्रही प्रवृत्ति का परिचय पुर्तगाल ने दिया। 1961 तक पुर्तगाल ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जो भारत की सुरक्षा के लिए घातक थीं। गोव्रा में विशाल मैनिफेस्टारियों की गई तथा पुर्तगाली सेनाएँ घाए दिन भारतीय सीमा का धतिक्रमण करने लगीं। अन्त में दिसम्बर,

1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाल को गोव्रा छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गोव्रा भारतीय संघ का अंग बन गया। भारत और पुर्तगाल के बीच 31 दिसम्बर, 1974 को राजनयिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप 1975 से दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम हैं। 1980 में भारत और पुर्तगाल में लिस्बन में एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। 1981 में पुर्तगाल के विदेशमंत्री ने नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के बारे में पुर्तगाल सरकार के निर्णय की घोषणा की।

फ्रांस के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित होते गए। जनवरी, 1976 में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भारत को यात्रा की जिससे तकनीक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला। फ्रांस भारत सहायता संधि (एयर इण्डिया कंसोर्टियम) का पहला सदस्य था जिसने 1976-77 में भारत के साथ विकास सहायता समझौता किया। जून 1977 में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के बाद भारत लौटते समय प्रधानमंत्री पेरिस में रके और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ परस्पर हित के मामलों पर विचार विमर्श किया। जून, 1977 में पेरिस में भारत फ्रांसीसी अन्तरिक्ष करार पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस ने 1977-78 के लिए भारत को 34 करोड़ फ्रैंक तक की सहायता दी। जुलाई, 1978 में फ्रांस के विदेश राज्य मंत्री की भारत यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक करार सम्पन्न हुआ। दिसम्बर, 1978 में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अगले चार वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करे तथा तीसरे देशों में समुक्त उद्यम स्थापित किए जाने के लिए सहयोग को बढ़ाएँ।

1979-80 में दोनों पक्षों में मैत्री और सहयोग और विकसित हुआ। उच्च स्तरीय यात्राएँ सम्पन्न की गईं। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस्कार्द दे अस्तैंग ने जनवरी, 1980 में भारत की यात्रा की और गणराज्य दिवस समारोहों में सम्माननीय अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। वे भारत की यात्रा पर आने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति थे। इस बातचीत के परिणामस्वरूप फ्रांस के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी, 1980 को समुक्त घोषणा जारी की गई। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में यह यात्रा बहुत सफल रही। इस यात्रा के परिणामस्वरूप सात प्रोटोकॉल तथा समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए— (1) भारत फ्रांस औद्योगिक तथा व्यावसायिक सहयोग सम्बन्धी प्रोटोकॉल, (2) कोयला खनन सम्बन्धी समझौता जापन, (3) उड़ीसा में अलूमिनियम खनन पर समझौता जापन (4) कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत-फ्रांस प्रोटोकॉल, (5) पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधियाँ तथा रसायन के क्षेत्र में प्रोटोकॉल, (6) नवीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रोटोकॉल, (7) महासागर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोटोकॉल। इनके अतिरिक्त इस बात पर सहमति हुई कि इस्पात उद्योग, दूर संचार और दूर दृश्य तकनीकों के क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जाय। 28 जनवरी, 1980 को समुक्त विज्ञप्ति में

दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि विश्वविद्यालय अथवा एक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि मण्डल नवम्बर में भारत की यात्रा पर आया और भारत फ्रांस सांस्कृतिक करार के अन्तर्गत 1981-82 के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया। 1979-80 के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग सम्बन्धी करार का अनुसमर्थन किया गया।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नवम्बर, 1981 में फ्रांस की यात्रा की और फ्रांस के राष्ट्रपति से विचार-विमर्श किया। मयुक्त विज्ञप्ति में भय, प्रभुत्व और अहंकार पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आवरण का विरोध करते हुए, विदेशी प्रभुत्व या बाहरी हस्तक्षेप से देशों की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कर्तव्य पर जोर दिया गया। कोयले, पर्यावरण, शक्ति व ऊर्जा सम्बन्धी आर्थिक सहयोग के बारे में दोनों देशों के बीच ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तारापुर अणु विजलीघर के लिए फ्रांस से परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त करने के सम्बन्ध में हकावट बनी रही। इसमें फ्रांस को कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मूल समझौता अमेरिका के साथ था। 17 अक्टूबर, 1982 को भारत और फ्रांस के बीच भारत को 40 मिराज-2000 विमानों की सप्लाई के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस मित्ररां ने 27 से 30 नवम्बर, 1982 तक भारत की सरकारी यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सुरक्षा की। दोनों पक्षों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सम्बन्धी और सांस्कृतिक मामलों पर बातचीत हुई। यह बातचीत अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई विशेषकर इसलिए कि तारापुर परमाणु विजली केन्द्र को ईंधन का मसला राष्ट्रपति मित्ररां की यात्रा से ठीक पहले मुलभ्ना लिया गया था। इस यात्रा ने आम तौर पर भारत-फ्रांस सम्बन्धों को मुद्दत करने में काफी योगदान दिया और इससे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान की सम्भावनाओं को सर्वाधिक करने में सहायता मिली। दोनों पक्षों की ओर से और भी उच्चस्तरीय यात्राएँ हुईं। और फ्रांस के साथ जिन वाणिज्यिक करारों पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें सर्वप्रमुख था, दूर-संचार सम्बन्धी करार जिस पर जुलाई में हस्ताक्षर हुए।

वर्ष 1983-84 में फ्रांस के साथ हमारे सम्बन्ध और मजबूत हुए। मार्च, 1983 में फ्रांस की विदेश मंत्री ने भारत के विदेशमन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया। मयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाते हुए हमारी प्रधानमंत्री पेरिस रुकी और उन्होंने राष्ट्रपति मित्ररां के साथ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा राजनीतिक मसलों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मन्त्रालय ने इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर को 24 से 26 अक्टूबर, 1983 तक भारत फ्रांस विचार गोष्ठी का आयोजन करने में सहायता दी। फ्रांस के साथ आर्थिक सम्बन्ध और मजबूत हुए तथा विभिन्न प्रौद्योगिक क्षेत्रों में, विशेषकर ऊर्जा, विजली, कोयला और इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्रों में सम्बन्ध और मुद्दत हुए। जून, 1983 में इलेक्ट्रोनिक्स

कम्प्यूटर और सूचना विज्ञान में सहयोग से सम्बद्ध भारत-फ्रांस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय भारत फ्रांस के बीच 14 समझौता ज्ञापन प्रोटोकाल विद्यमान थे जो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग से सम्बन्धित थे। भारत में उच्च अनुसन्धान के लिए एक भारत-फ्रेंच केंद्र की स्थापना के ब्यौरो के बारे में भी सहमति हो गई। फ्रांस के उद्योग एवं अनुसन्धान मन्त्री ने दिसम्बर, 1983 में कृषि मन्त्री ने 28 दिसम्बर, 1983 से 4 जनवरी, 1984 तक भारत की यात्रा की और सम्बन्धित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया। विदेशमन्त्री की अप्रैल 1984 में पेरिस-यात्रा के दौरान विषक्षीय वार्ताएँ हुईं। वाणिज्यिक मन्त्री ने आर्थिक सम्बन्धों की समीक्षा के लिए जून, 1984 में पेरिस की यात्रा की। दोनों सरकारें कृषि एवं ग्रामीण विकास में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हुईं। फ्रांस की नेशनल असम्बली के अध्यक्ष ने फरवरी 1984 में भारत की और भारत के उपराष्ट्रपति ने जुलाई, 1984 में फ्रांस की यात्रा की। श्रीमती गांधी की अन्त्येष्टि में भाग लेने के लिए फ्रांस के नए प्रधानमन्त्री लारेण्ट फबियन भारत आए।

5 जून, 1985 को राजीव गांधी मिस्र, अलजीरिया, फ्रांस, अमेरिका, तथा स्विटजरलैण्ड की यात्रा पर रवाना हुए। राजीव गांधी की फ्रांस के राष्ट्रपति मित्ररा से लम्बी बातचीत हुई। भारत ने फ्रांस से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान को परमाणु सहायता न दे फ्रांस ने इसका उत्तर यह दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों के विरुद्ध फ्रांस ऐसा कुछ नहीं करेगा। भारत और फ्रांस के बीच दो समझौते प्रवर्धित हुए। एक के अन्तर्गत फ्रांस गया को शुद्ध करने के कार्यक्रम में भारत की सहायता के लिए और दूसरे समझौते के अन्तर्गत दिल्ली में एक वैज्ञानिक अनुसन्धान केंद्र स्थापित करने में सहयोग देने के लिए सहमत हुआ। राजीव गांधी की यात्रा के दौरान ही पेरिस में भारत महोत्सव प्रारम्भ हुआ। इसमें भारत की सस्कृति का प्रदर्शन हुआ। फ्रांस की विदेशमन्त्री जीम बर्नार्ड रेमण्ड ने मार्च, 1987 में भारत की राजकीय यात्रा की।

भारत और जर्मन सघीय गणराज्य

जर्मन सघीय गणराज्य के साथ भारत के सम्बन्ध प्रारम्भ से ही मित्रतापूर्ण और निरूत सहयोग के आधार पर विकसित होते रहे हैं। जनता पार्टी के शासन-काल के दौरान सम्बन्ध सुधार प्रक्रिया गतिमान रही। प्रधानमन्त्री देसाई तथा विदेशमन्त्री वाजपेयी किसी अन्य देश की यात्रा के क्रम में जून, 1979 में फ्रैंकफर्ट में रहे और उन्होंने चामलर हेल्मेट डिमुट तथा विदेशमन्त्री गेस्चर से विचार-विमर्श किया। फबियन जर्मनी द्वारा सर्वाधिक सहायता भारत को प्राप्त हुई। अक्टूबर, 1979 में नयी दिल्ली में 1979-80 की अवधि के लिए 165 करोड़ रुपये की सहायता के एक भारत-जर्मन सघीय गणराज्य करार पर हस्ताक्षर किए गए। 1979-80 के दौरान भारत-जर्मन सघीय गणराज्य के बीच व्यापार बढ़कर 200 करोड़ डॉलर-मार्क (लगभग 800 करोड़ रुपये) में अधिक का हो गया।

1960-61 के दौरान बहुपक्षीय सम्बन्धों में सन्तोषजनक प्रगति हुई। राष्ट्रपति टीटो की अन्त्येष्टि के अवसर पर बेलग्राड में श्रीमती गाँधी की जर्मन चांसलर के साथ बातचीत हुई। जर्मन राष्ट्रपति मार्च, 1971 के आरम्भ में भारत आए। फलस्वरूप द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिली। यात्रा पर आए नेताओं से भारतीय नेताओं ने उत्तर-दक्षिण वार्ता सहित तनाव शंथिल्य एवं निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया। जर्मन सघीय गणराज्य की सरकार ने भारतीय यात्रियों के लिए जुलाई, 1980 से वीसा लागू कर दिया जिसके अनुसरण में भारत को भी अक्टूबर से इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्टधारी व्यक्तियों को इस व्यवस्था से छूट दी गई। विदेश मंत्री श्री वी. वी. नरसिंहा राव नवम्बर, 1981 में दोन गए। उन्होंने 'आज के परिप्रेक्ष्य में गुट-निरपेक्षता' (नाम एलाइनमेंट टुडे) विषय पर विदेशनीति एसोसिएशन को सम्बोधित किया। प्रोफेसर एफ मेक्समूलर के कार्यों के सम्मानार्थ और उनकी स्मृति में नई दिल्ली की कए महत्त्वपूर्ण सड़क का नाम 'मैक्समूलर मार्ग' रखा गया। 14 दिसम्बर, 1981 को हुए समारोह में जर्मन सघीय गणराज्य के अर्थ-कार्य मंत्री और हमारे विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत को पश्चिमी जर्मनी की ओर से सबसे अधिक सहायता मिलती रही और उसे लगभग प्रतिवर्ष 144 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जहाँ तक भारत को तकनीकी सहयोग दिए जाने का ताल्लुक है, सयुक्तराज्य अमेरिका और यू.के. के बाद जर्मन सघीय गणराज्य का महयोग था। 1982-83 में भारत और जर्मन सघीय गणराज्य के बीच सम्बन्ध सहज बने रहे। जर्मन सघीय गणराज्य ने कम व्याज पर 148 करोड़ रुपए का ऋण और 142 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए।

1983-84 में भारत और जर्मन सघीय गणराज्य के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विशेषकर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में निरन्तर विकसित होते रहे। जर्मन सघीय गणराज्य के चांसलर डॉ. हल्मट कोल की 5 और 6 नवम्बर, 1983 की यात्रा से द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विनिमय का सुधवमर मिला। जर्मन सचार मंत्री ने मई, 1983 में भारत का दौरा किया। इसके बाद जर्मन आर्थिक सहयोग मंत्री आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी महयोग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए भारत आए। हमारे कृषि मंत्री ने कोलोन में अनुगा मेला देना और जर्मन सघीय गणराज्य के कृषि मंत्री के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। विदेश सचिव ने द्विपक्षीय विचार-विनिमय के लिए 21 से 22 अप्रैल, 1983 तक दोन की यात्रा की। भारत ने अप्रैल, 1984 में होन वाले इनोवर मेले में साभेदार देश के रूप में भाग लिया। विदेशों में निमी औद्योगिक प्रदर्शनी में भारत की यह भव तक की सबसे बड़ी भागीदारी थी। 1984-85 में जर्मन सघीय गणराज्य से यात्राओं की बाढ़ आ गई। अब तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लगभग कुल 7500 विदेशी महयोग परियोजनाओं में से 1341 परियोजनाएँ जर्मन सघीय गणराज्य के साथ हुई थी। भारत को दी जाने वाली जर्मन सघीय

गणराज्य की वार्षिक वित्तीय सहायता लगभग 144 करोड़ रुपए थी। बोन में जून, 1984 में प्रथम भारत जर्मन सगोष्ठी आयोजित की गयी थी। 1986-87 में सम्बन्धों में यथापूर्व सन्तोषजनक प्रवृत्ति जारी रही। जर्मन सघीय गणराज्य के चांसलर कोल की भारत यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों को नया प्रोत्साहन मिला और इन सम्बन्धों में अधिक-अधिक आर्थिक तथा वाणिज्यिक विषय जोड़े गए।

भारत और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका

पश्चिमी एशिया के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। अरब-इजराइल युद्धों में भारत ने सदैव अरब राज्यों का पक्ष लिया है। भारत की सहानुभूति और मैत्री अरब देशों के प्रति बहुत अधिक रहने से इजरायल को भारत ने अभी तक कूटनीतिक मान्यता नहीं दी है। अरब देशों के प्रति भारत की नीति ने राष्ट्रोप हिन की दृष्टि से उपयोगी माना गया है। अरब राष्ट्रों में प्राप्त होने वाले तेल में कोई भी बड़ी बाधा भारत के सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचे को हिला सकती है। स्वेज नहर भारत के विदेशी व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इजरायल के विरुद्ध अरबों के दावे अधिक न्यायोचित हैं। फिर भी भारत का दृष्टिकोण सन्तुलित रहा है क्योंकि जहाँ भारत ने अरबों के दावों का समर्थन किया है, वहाँ इजरायल के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। भारत का यह विश्वास रहा है कि पश्चिम एशियाई समस्या का व्यापक समाधान केवल अरब राज्यों की किसी सहमत नीति के आधार पर ही सम्भव है। भारत का यह भी विश्वास है कि यहाँ स्थायी शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब इजरायल सभी अरब प्रदेशों में अपनी सेनाएँ हटा ले जहाँ उसने अधिकार कर रखा है तथा फिलिस्तीनी लोगों को आत्म-निर्णय का अधिकार तथा अपने राज्य पर अधिकार वापस मिल जाए।

विपक्षी स्तर पर भारत तथा इस क्षेत्र के बहुत से नेताओं के बीच यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है जिससे निकटतर सम्बन्ध विकसित हुए हैं और आर्थिक, तकनीकी वैज्ञानिक समझौते हुए। सीरिया, यमन, ईराक, लीबिया, सऊदी अरब, ईरान आदि के साथ 1978 में विचार-विमर्श हुआ और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों का विस्तार हुआ। ईरान में जनक्रान्ति सफल होने पर भारत ने नई सरकार को मान्यता प्रदान की। पश्चिम एशिया पर कंपैडेविड करारों से उत्पन्न तनाव पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में दृष्टापूर्वक कहा कि फिलिस्तीन का प्रश्न सारे भूगडों का केन्द्र बिन्दु है और जब तक उसका कोई ऐसा समाधान नहीं निकल आता, जिस पर फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह सन्तुष्ट हों, तब तक इन क्षेत्र में स्थायी शान्ति नहीं हो सकती।

जनवरी 1979 में सीरिया के वक्फ मन्त्री ने, मार्च 1979 में जोर्डन के युबरज ने, मई, 1979 में मिस्र के उपराष्ट्रपति ने दिल्ली की यात्रा की। भारत को क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वों पर जोर्डन, मिस्र, आदि के दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिला। मई 1979 में, विदेश मन्त्री घटन बिहारी वाजपेयी

ने कुवैत, सयुक्त अरब, अमीरात, सीरिया और ईराक की यात्रा की। उसी महीने विदेश राज्य मंत्री वहीरीन और ओमान गए। थम मन्त्री ने अक्टूबर, 1979 में कुवैत, सऊदी अरब, सयुक्त अरब, अमीरात और ओमान में भारतीय श्रमिकों की समस्याओं और सम्भावनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए इन देशों की यात्रा की। भारत-ईराकी आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर बढ़ते रहे और इसी क्रम में एक और भारत ने ईराक को जहाँ विविध सामग्री का निर्यात किया, वहाँ परियोजनाएँ स्थापित की वहाँ दूसरी ओर ईराक सरकार ने भारत की तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। ईराक भारत को 60 लाख टन कच्चा तेल सप्लाई करने पर सहमत हुआ।

1979-80 के दौरान यमन गणराज्य और यमन लोकतान्त्रिक गणराज्य के साथ भारत के सौहार्द एव मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने रहे। भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ दोनों देशों की विभिन्न क्षेत्रों में महायत्ना करते रहे। यमन अरब गणराज्य में बहुत सी परियोजनाओं का काम कई भारतीय फर्मों को दिया गया, जिनसे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान-प्रदान बढ़ा। सोमालिया के विदेशमन्त्री की 31 मार्च से 4 अप्रैल तक भारत यात्रा से भावी महयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए। भारत और अल्जीरिया के बीच उच्च स्तर पर सम्पर्क काफी तेजी से बढ़ा। उप-राष्ट्रपति हिदायतुल्ला ने नवम्बर, 1979 में अल्जीरियाई क्रान्ति की बर्गान्ड के ममारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत से अल्जीरिया को निर्यात की मात्रा नगण्य राशि से बढ़कर छह से आठ करोड़ रु की हो गई। हेमवती नन्दन बहुगुणा लीबिया गए और वहाँ 8 से 10 अप्रैल, 1979 तक रहे। भारतीय कम्पनियों को लीबिया सरकार का प्रोत्साहन बराबर मिलता रहा और लगभग 10 अरब रुपये की महत्त्वपूर्ण सविदाएँ और परियोजनाएँ भारतीय सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान की गई। भारत-लीबिया सयुक्त आयोग का दूसरा अधिवेशन 2 से 6 जुलाई, 1979 तक नई दिल्ली में हुआ। भवन-निर्माण, उद्योग, कृषि एव व्यापार के क्षेत्र में बहुत सी नई परियोजनाएँ तय की गयी। अधिवेशन की समाप्ति पर भारत और लीबिया के बीच दोहरे ऋणदान के परिहार के बारे में करार पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश राज्यमन्त्री कुण्डू 1979 में ट्यूनीशिया गए। ट्यूनीशिया के विदेश महामन्त्रि जून में भारत आए। मोरक्को ने भारत के साथ मैत्री सम्बन्ध विकसित करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई। मोरक्को के एक शिष्ट मण्डल ने 3 से 10 दिसम्बर, 1979 तक भारत की यात्रा की और सांस्कृतिक करार पर दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में एक गैर-सरकारी मद्भावना प्रतिनिधि-मण्डल ने मार्च, 1979 में ईरान की यात्रा की। भारत ने ईरान के मेन्टो से हट जाने और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया।

ईरान और ईराक के बीच 22 दिसम्बर, 1980 को युद्ध की शुरुआत पश्चिमी एशिया की एक गम्भीर घटना थी। भारत सघर्ष समाप्त कराने के उद्देश्य से दोनों देशों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रहा। अक्टूबर, 1980 के अन्त में प्रधानमंत्री ने अपने विशेष दूतों को दोनों देशों में भेजा। भारत ने ईरान-ईराक समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रस्तावों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का एक ग्रुप गठित करने के प्रयत्नों में सक्रिय रूप से भाग लिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि लड़ाई लम्बे समय तक जारी रहेगी तो भारत अनेक इच्छुक व्यक्तियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने की पूरी व्यवस्थाएँ की गई। भारत के कई विशिष्ट व्यक्तियों ने ईराक की यात्रा की। भारत-ईराक संयुक्त आयोग की छठी बैठक अप्रैल, 1980 में नयी दिल्ली में हुई। इस आयोग ने सिंचाई, कृषि, तेल और पेट्रो रसायन सहित विभिन्न उद्योगों में सहयोग के नए क्षेत्र निश्चित किए।

1980-81 में भारत के साथ खाड़ी देशों में बढ़ते हुए सहयोग में और अधिक वृद्धि हुई। कुवैत के अमीर ने नितम्बर, 1980 में भारत की राजकीय यात्रा की। कुवैत-भारत को तेल देने के प्रश्न पर समुचित रूप से विचार करने पर सहमत हुआ। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के दो बैंकों की शाखाएँ स्थापित करने पर भारत सहमत हुआ। ईरान-ईराक युद्ध की वजह से भारत को तेल के निर्यात में हुई कमी को पूरा करने के लिए खाड़ी के देशों के अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई। कुवैत और कातार ने पहली बार भारत को तेल भेजा। अरब देशों के साथ भारत के सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों के नवीन आयाम उद्घाटित हुए। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को पूर्ण राजनयिक दर्जा प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया गया। भारत ने इजरायल द्वारा तथाकथित येरूशलम विषयक 'बुनियादी कानून' बनाए जाने की निन्दा की जिसके तहत इजरायल ने येरूशलम को अपनी राजधानी घोषित किया। मिस्र के विदेश राज्यमंत्री डॉ. बरोस घली ने 2 से 4 अप्रैल, 1980 तक भारत की यात्रा की। भारत और मिस्र के बीच 1979 में स्थगित विमान सेवा पुनः शुरू हुई। भारत और सीरिया के बीच विद्यमान घनिष्ठ सम्बन्ध मित्रता और सौहार्द्रपूर्ण बने रहे। 1980 के आरम्भ में अल्जीरिया के विदेश-मंत्री की यात्रा के दौरान भारत अल्जीरिया वैज्ञानिक और तकनीक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए। लीबिया के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई। ट्यूनीशिया ने नई दिल्ली में राजदूत स्तर का एक आवासीय मिशन खोला। मई, 1981 में भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। इजरायल द्वारा ईराक की नाभिकीय रियक्टर पर हमले की और सीरिया से जीती हुई गोल्न पहाड़िया को अपने राज्य में मिलाने की कार्रवाई की भारत ने बड़े शब्दों में निन्दा की। भारत ने ईराक तथा ईरान के बीच युद्ध रोकने के प्रयत्न जारी रखे। भारत और ईराक के आर्थिक सम्बन्धों में वृद्धि होती रही। ईराक ने भारतीय

परियोजनाओं का कुल मूल्य 1980 के अन्त में 18 सौ करोड़ से बढ़कर दिसम्बर, 1981 तक 25 सौ करोड़ रुपये हो गया।

अप्रैल, 1981 में सऊदी अरब के विदेश मन्त्री राजकुमार सऊद-अल-फैजल की दिल्ली यात्रा के दौरान एक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त आयोग भी स्थापित करना तय किया गया। दिसम्बर 1981 में दिल्ली स्थित अरब राजदूतों ने भारत के समर्थन और मंत्री की सराहना की। मिस्र के राष्ट्रपति सादत की अन्त्येष्टि में लोकसभा के अध्यक्ष श्री बलराम जालंड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नई सरकार के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गयी। एक ससदीय प्रतिनिधिमण्डल ने जनवरी, 1982 में सीरिया तथा मोरक्को की यात्रा की। मई, 1981 में यमन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। भारत यमन की तकनीकी सहायता बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। यमन ने उद्योग तथा विकास के लिए ऋण देने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत-अल्जीरिया सम्बन्धों में प्रगति हुई तथा कई उपयोगी यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ। लीबिया के साथ सम्बन्ध मजबूत हुए। 1981-82 के दौरान भारत लीबिया आर्थिक सहयोग में और वृद्धि हुई। मोरक्को से भारत की दो महत्वपूर्ण यात्राएँ हुईं। दोनों देशों ने एक नए व्यापार समझौते और तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1982-83 में पश्चिमी एशिया में तनाव का वातावरण बना रहा। ईरान और ईराक के संघर्ष का शान्तिपूर्ण समाधान ढूँढने की दिशा में भारत रचनात्मक भूमिका निभाता रहा। अप्रैल, 1982 में श्रीमती गाँधी की सऊदी अरब की यात्रा हमारे आपसी सम्बन्धों के लिए एक उल्लेखनीय बात थी। जून, 1982 में इजरायल द्वारा लेबनान में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की सेनाओं पर व्यापक हमले के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। भारत ने लेबनान के संकट का समाधान करने के लिए प्रयत्न किए। सरकार ने अन्य सरकारों से सीधे एवं राजनयिक माध्यमों से सम्पर्क किया जिनमें अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस की सरकारें शामिल थीं। प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री ने समझ में और अन्यत्र भी इजरायली आक्रामकों की खुले शब्दों में निन्दा की। भारत के समन्वय ब्यूरो की निकोसिया में हुई असाधारण बैठक में गठित नौ देशों की गूट-निरपेक्ष समिति के सदस्य के रूप में भारत ने इजरायल के लेबनान पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमन्त्री के निमन्त्रण पर अध्यक्ष अराफात ने 21 से 23 मई तक भारत की यात्रा की जिसमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ हमारे मोहार्पूत्रों सम्बन्ध और मुरद हुए। अप्रैल, 1982 में श्रीमती गाँधी की सऊदी अरब की यात्रा में द्विपक्षीय सम्बन्धों में और अधिक वृद्धि हुई। सांख्यिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की प्रक्रिया तीव्र हुई। 1982-83 के दौरान भारत और खाड़ी के देशों के बीच पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध मुरद करने के प्रयास जारी रहे।

विदेश मन्त्री मे बहरीन की यात्रा की, शारजाह के शासक भारत आए, सयुक्त अरब अमीरात के जल और विद्युत मन्त्री ने भारत की यात्रा की। कातार के साथ सम्पन्न सांस्कृतिक और तकनीकी करार का अनुसमर्थन किया गया। राष्ट्रपति मुखारक ने उच्चाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ 30 नवम्बर, से 2 दिसम्बर, 1982 तक भारत की सरकारी यात्रा की। भारत मिस्र सयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत सहमत हुआ। ईराक और भारत के आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बने रहे। 1982-83 में ईराक में 97 भारतीय कम्पनियाँ थीं जो 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक की परियोजनाओं को चला रही थीं। यमन लोकतान्त्रिक जनगणराज्य और यमन अरब-गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्धों में सतोपजनक वृद्धि हुई। अल्जीरिया के राष्ट्रपति की अप्रैल, 1982 में भारत-यात्रा से भारत-अल्जीरियाई सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ हुए। लोकसभा के अध्यक्ष जालड के नेतृत्व में एक समदीय शिष्टमण्डल ने 11 से 16 जनवरी, 1983 तक मोरक्को की यात्रा की। जोर्डन के युवराज प्रिंस हसन मार्च, 1983 में भारत आए।

1983-84 में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के साथ भारत के सम्बन्ध और प्रगाढ़ हुए। राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने दिसम्बर 1983 में बहरीन और कातार की यात्रा की। इजराइल द्वारा लेबनान पर आक्रमण के समय से ही यहाँ स्थिति तनी बिगड़ती गई कि भारी सहायता में फिलिस्तीनियों को देश छोड़ना पडा। भारत के लिए यह चिन्ता का विषय बना रहा। मार्च, 1983 में नई दिल्ली में मातवे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में एक राज्याध्यक्ष/रासनाध्यक्ष स्तर की समिति गठित की गई जिसका काम अरब-फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का समर्थन देने के लिए बनाई गई अरब-समिति को सहयोग देना था। इस समिति से कहा गया कि वह मध्यपूर्व में न्याय पर आधारित स्थायी और व्यापक शान्ति कायम करने के लिए उन विभिन्न शक्तियों से मिलकर काम करे जो मध्यपूर्व सघर्ष को प्रभावित करती हैं जिससे फिलिस्तीनी जनता अपने स्वतन्त्र देश में स्वाधीनतापूर्वक और सम्प्रभुता के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। मई-जून, 1983 में पश्चिम एशिया की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को विभिन्न अरब देशों की यात्रा पर गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा फिलिस्तीन सम्बन्धी गुट-निरपेक्ष समिति को दिए गए अविदेश के सन्दर्भ में विचार-विमर्श करने के लिए भेजा। नवम्बर, 1983 में उत्तर लेबनान में फिलिस्तीनी स्वाधीनता सेनानियों के बीच सशस्त्र युद्ध भड़क उठा और इस सम्बन्ध में अन्य गुट-निरपेक्ष देशों से प्राप्त चिन्ता के सन्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमन्त्री ने फिलिस्तीन सम्बन्धी समिति की मन्त्री स्तर की एक तारकालिक बैठक बुलाई जो 18 और 19 नवम्बर, 1983 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, विदेश मन्त्री नरसिंह राव के नेतृत्व में एक मन्त्री स्तरीय दल ने कुवैत और दमिस्क की यात्रा की। इस दल में बयूबा और यूगोस्लाविया ने विदेश मन्त्री और सयुक्त राष्ट्र में सेनेगल के स्थाई प्रतिनिधि

शामिल थे। विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप मन्त्री स्तरीय दल को दोनों प्रतिपक्षी दलों से यह वचन लेने में सफलता मिली कि वे इस आधार पर बिना किसी समय सीमा के युद्ध विराम का पालन करेंगे कि दोनों पक्ष युद्ध-विराम का सम्मान करें। दोनों प्रतिपक्षी दलों ने समिति को यह आश्वासन भी दिया कि वे फिलिस्तीनी ढाँचे के भीतर अपने सभी मतभेदों को शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाएँ।

1983-84 में भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो सदस्यों, ईरान और ईराक के बीच निरन्तर संघर्ष के बराबर चिन्तित रहा। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी समूचे गुट-निरपेक्ष समुदाय की ओर से इन दोनों देशों से तत्काल संघर्ष समाप्त करने तथा बातचीत द्वारा तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से सम्मानजनक, न्यायसंगत और स्थाई शान्ति को स्थापित करने की अपील की। यमन अरब गणराज्य के विदेश मन्त्री ने दिसम्बर, 1983 में भारत की यात्रा की। भारत-यमन अरब गणराज्य सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत उस देश को तकनीकी सहायता में वृद्धि करने पर सहमत हुआ। नवम्बर, 1983 में बहरीन के धर्ममन्त्री ने भारत की यात्रा की। भारत के ईराक, सीबिया और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत हुए। सितम्बर, 1983 में भारत-मिश्र संयुक्त आयोग स्थापित करने के करार पर हस्ताक्षर किए गए।

1984 के दौरान भारत और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के अरब राष्ट्रों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राएँ हुईं। श्रीमती गाँधी अप्रैल, 1984 में लीबिया और ट्यूनिशिया गईं। भारत ने फिलिस्तीन जनता को सामग्रीगत और नैतिक सहायता जारी रखी। नवम्बर, 1984 में अम्मान में आयोजित फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद् के 17वें अधिवेशन में भारत ने एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा। भारत ने लगातार एक सशक्त संयुक्त और गुट-निरपेक्ष लेबनान का समर्थन किया। अल्जीरिया के साथ भारत ने एक-दूसरे के साथ व्यापक सहयोग किया। 27 फरवरी से 5 मार्च, 1984 तक नयी दिल्ली में आयोजित भारत-अल्जीरिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में सहयोग को बढ़ाने के उपायों का पता लगाया गया। भारत और मोरक्को के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के गम्भीर प्रयास किए गए। मोरक्को के व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन मन्त्री ने सितम्बर, 1984 में भारत की यात्रा की। तत्पश्चात् दो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर, 1984 में मोरक्को गए। भारत ने हमेशा पश्चिमी महारा की जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार के प्रति महानुभूति और समर्थन व्यक्त किया। पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में कई प्रतिनिधिमण्डल श्रीमती गाँधी की अन्वेषित में भाग लेने के लिए भारत आए।

1984-85 में खाड़ी देशों यानी ईरान, ईराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कातार, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उत्तर यमन और दक्षिण यमन के साथ विविध क्षेत्रों में भारत के सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया जारी रही। ईरान-ईराक आपसी बातचीत के माध्यम से तत्काल समाप्त करने के उपाय ढूँढने के लिए भारत

ने अपनी निजी हैसियत से और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में भी अपने प्रयास जारी रखे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने 1984 में यमन अरब गणराज्य तथा यमन लोकतान्त्रिक जन गणराज्य की राजकीय यात्राएँ की। विदेश राज्यमन्त्री अग्रस्त, 1984 में कातार गए। कातार के अमीर ने फरवरी, 1984 में भारत की राजकीय यात्रा की। भारत और ईराक के संयुक्त आयोग की बैठक मई, 1984 में तथा भारत और ईरान संयुक्त आयोग की बैठक नवम्बर, 1984 में हुई। संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने 1984 में भारतीय विमान अफहरएकताओं को दुबई से हमें वापस लौटाकर सद्भावना का परिचय दिया।

1986 के दौरान इन सम्बन्धों को बहु आयामी बनाने और इसके समेकन की प्रक्रिया जारी रही। भारत निर्भीकतापूर्वक अरबों और पश्चिमी एशिया समस्या के व्यापक न्यायोचित तथा स्थाई समाधान का समर्थन करता और फिलस्तीनी जनता को अपना नैतिक और भौतिक समर्थन देता रहा। इस समस्या के हल के उपाय के रूप में पश्चिमी एशिया के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में हरारे शिखर सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्राह्वान का भारत ने समर्थन किया। लेबनान की स्थिति गम्भीर बनी रही और वहाँ लगातार हो रहे गुट सघर्ष का कोई हल नहीं नजर आता। भारत यह आशा करता है कि सद्भावना का वातावरण बनेगा और इस त्रासदी का शीघ्र ही अन्त होगा। सीबिया के त्रिपोली और बेधाजी नामक नगरों पर अमेरिका ने अप्रैल, 1986 में जो बमबारी की थी उसकी भारत ने द्विपक्षीय आधार पर तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से निन्दा की। भारत सीबिया के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई।

भारत और अल्जीरिया के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध बने रहे। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग पहले से ही सन्तोषजनक है। अल्जीरिया के उप सहयोग मन्त्री ने मार्च 1986 में भारत की यात्रा की। रेल राज्य मन्त्री माधवराज सिधिया ने भी अप्रैल 1985 में अल्जीरिया की यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान रेलवे क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर हुए। भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग ने 10,000 लाख अमरीकी डालर का वार्षिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह पिछले वर्ष के व्यापार के मुकाबले पाँच गुना है। संयुक्त आयोग ने रेलवे उद्योग, हाइड्रोइलिक उर्वरक तथा भू-पञ्जिक जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया।

अक्टूबर, 1985 में सहरावी अरब लोकतान्त्रिक गणराज्य को भारत द्वारा मान्यता देने के परिणामतः सहरावी अरब लोकतान्त्रिक गणराज्य के राजदूतावास ने नई दिल्ली में कार्य शुरू कर दिया है। भारत के आमन्त्रण पर जोर्डन के नरेश और महारानी अक्टूबर, 1986 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। भारत जोर्डन आर्थिक सहयोग में सराहनीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ

भी विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क कायम किया गया। आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने तथा बढ़ाने के उपाय किए गए।

अप्रैल, 1986 में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो की बैठक में और सितम्बर, 1986 के दौरान हरारे शिखर सम्मेलन में बाना देशों के सन्धि उच्च स्तर पर सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया। खाड़ी क्षेत्र के दस देशों यानी ईरान, ईराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतार, यमन अरब गणराज्य तथा यमन जन लोकतान्त्रिक गणराज्य के साथ-साथ विविध क्षेत्रों में भारत ने मैत्री और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बराबर विकसित होते रहे हैं। उच्चस्तरीय यात्राओं और दौरों द्वारा खाड़ी देशों के साथ सम्बन्ध बनाए रखे गए हैं।

ईरान के विदेश मन्त्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए अगस्त 1986 में भारत आये। उसके बाद ईरान का आर्थिक शिष्टमण्डल सितम्बर, 1986 में भारत आया और उसने भारतीय वस्तुओं के आयात के बदले तेल की वस्तु विनिमय खरीद के सवाल पर विचार विमर्श किया। ईराक के स्थायी अडर सैक्रेटरी हरारे शिखर सम्मेलन से पहले जून 1986 में द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत की यात्रा पर आये। ईराक के तेलमन्त्री के नेतृत्व में एक इराकी शिष्टमण्डल अक्टूबर 1986 में नई दिल्ली में सम्पन्न भारत ईराक संयुक्त आयोग के दसवें सत्र में भाग लेने के लिए भारत आया। भारत में कुवैती निवेश के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1986 में एक उच्च स्तरीय कुवैती निवेश शिष्टमण्डल भारत आया। यमन अरब गणराज्य के संचार मन्त्री दिसम्बर, 1986 में भारत आये और उन्होंने भारत और यमन अरब गणराज्य के बीच दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया।

भारत और खाड़ी के 5 देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, ईराक तथा यमन अरब गणराज्य के बीच संयुक्त आयोग स्थापित किए गए हैं। बहरीन और कतार के साथ भारत की संयुक्त समितियाँ हैं। भारत ईराक संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन फरवरी 1987 में दिल्ली में हुआ।

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया

विश्व के अन्य क्षेत्रों की भाँति भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी घनिष्ठता सद्भावना और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। एक्-दूसरे देश की उच्चस्तरीय यात्राओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करके इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।

नवम्बर, 1986 में भारत के प्रधानमन्त्री ने इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड की यात्रा के दौरान इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सोहार्तो तथा थाईलैण्ड के प्रधानमन्त्री जनरल तिनमुत्तानोडा के साथ विभिन्न क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक जैसी भावना प्रतिबद्धित हुई। भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा थाईलैण्ड वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के बीच विज्ञान और

प्रौद्योगिकी में सहयोग सम्बन्धी एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के विदेशमन्त्री दिसम्बर, 1986 को बैकाक गए। इस यात्रा के दौरान थाईलैण्ड के साथ दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी अभिसमय पर अनुसम्बन्ध दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। थाईलैण्ड की राजकुमारी महाचक्री सिरिधीरन मार्च, 1987 में भारत की यात्रा पर आई।

30-31 अक्टूबर, 1986 को नई दिल्ली में भारत-मलेशिया संयुक्त समिति का पांचवाँ अधिवेशन हुआ। मलेशिया के प्रधानमन्त्री डॉ. महाथीर मोहम्मद 29 जनवरी से 1 फरवरी, 1987 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए।

भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों का नियमित आदान-प्रदान होता रहा है। व्यापार और वाणिज्य राज्य मन्त्री श्री ली नून यांग बम्बई में सिंगापुर के व्यापार विकास बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए अक्टूबर, 1986 में भारत की यात्रा पर आए।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के साथ भारत के मौजूदा मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्ध प्रधानमन्त्री की अक्टूबर, 1986 में इन देशों की यात्रा से और बेहतर हुए। किसी भारतीय प्रधानमन्त्री ने इन देशों की यात्रा लगभग दो दशान्दी के बाद की। अतः विश्व के इस भाग के साथ भारत के सम्बन्धों को नया बल मिला।

प्रधानमन्त्री की यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी करार तथा न्यूजीलैण्ड के साथ दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारिक बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार के बारे में विस्तृत बातचीत की गई। यह फैसला किया गया कि व्यापार के और सन्तुलित विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे।

प्रधानमन्त्री की यात्रा के दौरान, एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ़ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ़ इण्डिया (एसोचेम) का एक शिष्टमण्डल भी आस्ट्रेलिया गया। 'एसोचेम' तथा कनफडरेशन ऑफ़ आस्ट्रेलिया इण्डस्ट्रीज के बीच एक संयुक्त व्यापार परिपद् की स्थापना की गई जिससे दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच व्यापार को आवश्यक गति मिलने की सम्भावना है। आस्ट्रेलिया के साथ 6 अगस्त, 1986 में एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

1986 के दौरान इस क्षेत्र की कई उच्च स्तरीय यात्राएँ की गईं। इस्पात और खान मन्त्री श्री के सी पत जुलाई में आस्ट्रेलिया गए, समदीय कार्य मन्त्री श्री एच के एल भगत सितम्बर में एक समदीय शिष्टमण्डल के अध्यक्ष के रूप में न्यूजीलैण्ड गए, न्यूजीलैण्ड के समाज कल्याण मन्त्री माननीय अनहर्कम अग्रल, 1986 में भारत की यात्रा पर आए। आस्ट्रेलिया का एक समदीय शिष्टमण्डल तथा संयुक्त सेवा स्टाफ कार्गो प्रव्ययन दल नवम्बर, 1986 में भारत आया।

साद्योत वो भारत सरकार से उपहार स्वरूप 55 बड़े सिचाई पम्प सेंट भेजे गए तथा लघु उद्योगों के सम्बन्ध में व्यवहार्य प्रव्ययन तैयार करने के लिए

परामर्शदाताओं का एकदल लाओस भेजा गया। लाओस में पोटास भण्डारों का प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों का एक दल लाओस गया। सहायतार्थ दवाइयाँ भी भेजी गईं।

भारत-वियतनाम सयुक्त आयोग के दूसरे सत्र में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन प्रभावी हुआ। अनेक वियतनामी विशेषज्ञों ने विभिन्न भारतीय संस्थाओं में प्रशिक्षण लिया तथा भारतीय विशेषज्ञ वियतनाम भेजे गए। वियतनाम में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत दो अनुसंधान केन्द्र, पहला पशु पालन और चारे सम्बन्धी और दूसरा चावल सम्बन्धी शुरू किए गए। इन्होंने प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर दिया है।

विदेश मन्त्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल 9-12 जनवरी, 1987 तक वियतनाम की यात्रा पर गया। इस दौरान एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत और वियतनाम के बीच तेल के क्षेत्र में सहयोग करने की व्यवस्था है। भारत सरकार ने 10 करोड़ रु के नए ऋण तथा 1 करोड़ रु के उपहार की भी घोषणा की गई।

इस वर्ष जो उच्चस्तरीय यात्राएँ की गईं उनमें अप्रैल-मई, 1986 में कम्पूचिया के सूचना और संस्कृति मन्त्री श्री धेग फोन की यात्रा तथा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री की जून, 1986 में वियतनाम यात्रा शामिल है।

पूर्वो-एशिया में जापान और कोरिया के साथ भारत के सम्बन्ध

पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों में चीन, जापान, कोरिया और मंगोलिया है। भारत और जापान

भारत और जापान के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। पारम्परिक यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का अछड़ा विकास हुआ है। जापान सरकार ने नवम्बर, 1979 में नई दिल्ली में भारत और जापान पर एक समोष्ठी आयोजित की। यह पहला मौका था जबकि इस देश में इस प्रकार की समोष्ठी का आयोजन किया गया। इसने एशिया में भारत और जापान की भूमिकाओं पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच का काम किया। नवम्बर, 1979 में ही नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भारत-जापान ने ऐसे बहुत से क्षेत्रों पर विचार किया जिनमें जापान के अनुभव से भारत लाभ उठा सकता है। 1980-81 के दौरान भी भारत और जापान ने कई अवसरों पर उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया। 1981-82 के दौरान भी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जापान के साथ वार्ता का क्रम जारी रखा गया। व्यापार के क्षेत्र में जापान-भारत का मुख्य साझेदार बना रहा। दोनों देशों के बीच दुतरफा व्यापार दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारत-जापान अध्ययन समिति की एक बैठक मार्च, 1981 में टोकियो में हुई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय हुआ। अक्टूबर में कैनडन शिखर सम्मेलन में भारत की प्रधानमन्त्री ने जापान के

प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों के मामलों में क्षेत्रीय प्रश्नों पर श्रीर कंनकुन शिखर सम्मेलन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत मसलों पर सक्षिप्त विचार-विमर्श किया।

1982-83 के दौरान भारत-जापान के सम्बन्ध और विकसित हुए। भारत के विदेश मंत्री ने अप्रैल में टोकियो की यात्रा की। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी अमेरिका से लौटते समय 5 अगस्त को एक रात के लिए टोकियो ठहरी। जापान के विदेश मंत्री ने 27 से 30 अगस्त तक भारत की यात्रा की। अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय प्रश्नों पर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। व्यापार के विकास को मुनिश्चित करने भारत से निर्यात-वृद्धि के लिए और द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों को सार्वभौम मन्दी की प्रवृत्ति में बचाने के लिए भारत-जापान वाणिज्य सहयोग समिति द्वारा विशिष्ट प्रयास किए गए। वाणिज्य सहयोग की स्थाई समितियों की जो संयुक्त बैठक अप्रैल में जापान में हुई उसमें यह तय किया गया कि आगामी 5 वर्षों में दुर्गरपा व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाना चाहिए। यह भी तय किया गया कि व्यापार में क्षेत्रवार और पण्यवार सबधन करने के लिए 'टास्क फोर्स' बनाए जाएँ। भारत-जापान वाणिज्य सहयोग समिति की 15वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में 7 और 8 दिसम्बर को हुई जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों के विकास पर गहराई के साथ विचार-विमर्श किया गया। जून में पेरिस में 'एड इण्डिया कन्सारेटियम' की बैठक में जापान की सरकार ने 133 करोड़ रुपये (33 अरब येन) की सहायता भारत को देने का बचन दिया।

मई, 1983-84 में भारतीय वित्त मंत्री ने जापान की यात्रा की भारत-जापान अध्ययन समिति की बैठक नवम्बर, 1983 में टोकियो में हुई। दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना इस बैठक की मुख्य सिफारिश था। भारत-जापान व्यापारिक बार्ता नई दिल्ली में 16 से 21 दिसम्बर, 1984 तक चली। भारत-जापान औद्योगिक सहयोग का प्रतीक सुजुकी मारुति उद्यम 14 दिसम्बर, 1983 को शुरू किया गया। 1984-85 में जापान के प्रधानमंत्री ने 3 से 6 मई, 1984 तक भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर दो तरफा यात्रा की गई। जापान सरकार के 25 सदस्यीय उच्च शक्ति प्राप्त आर्थिक मिशन ने 30 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1984 तक भारत की यात्रा की। जापानी प्रतिनिधि मण्डल ने विशेष रूप से घाटोमावाइल और इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में भारत में पूँजी निवेश तथा सहयोग की सम्भावनाओं और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। सबसे बढ़कर विविध एवं सन्तुलित व्यापार पर भी बातचीत की गई। भारत के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के मिलसिले में 3 मई, 1984 को टोकियो दके और जापान में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले। वाणिज्य मंत्री ने अप्रैल, 1984 में वार्षिक ई एस ए पी बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। भारत ने टोकियो में

आयोजित होरटस और फूडेक्स-84 में भी भाग लिया। भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 1984 में ओनाका में धरेलू फर्निचर और व्यापार की सामान्य जिम्सों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।

रिपोर्ट 1986-87 के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री की 1985 में जापान यात्रा से आपसी मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्धों को और गति मिली। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई। जापान भारत के साथ व्यापार में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है हालाँकि कुल व्यापार का 78 प्रतिशत व्यापार उसके साथ होता है। जून, 1976 में टोकियो में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र में आदान-प्रदान की गुंजाइश पर भी विचार-विमर्श किया गया। नई दिल्ली में दिसम्बर, 1986 में दौरान भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 19वीं संयुक्त समिति में व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यम और सहयोग के संवर्धन हेतु उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। बैंक ऑफ टोकियो सहित महत्वपूर्ण जापानी कंपनियों द्वारा आयोजित बहुत से जापानी सर्वेक्षण प्रतिनिधि मण्डल आर्थिक स्थिति तथा सहयोग की सम्भावना का जायजा लेने के लिए भारत आए। इसके जवाब में आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में वाणिज्य मण्डल निर्यात संवर्धन परिपदों की ओर से तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से वृद्ध से भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने भी जापान की यात्रा की। असम में गैम आधारित परियोजना के लिए 300 करोड़ येन के विशेष ऋण तथा लखनऊ में सजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के लिए 19.37 करोड़ येन की अनुदान सहायता के सम्बन्ध में दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। वर्ष 1986-87 के लिए 448.43 करोड़ येन के जापानी ऋण में और 1985-86 के लिए जापान द्वारा दिए गए 392.31 करोड़ येन के ऋण में तुलनात्मक दृष्टि से 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन प्रकार जापान-भारत को द्विपक्षीय आधार पर ऋण देने वाला हमारा सबसे बड़ा देश बन गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भारत-जापान समिति ने सितम्बर, 1986 में नई दिल्ली में हुई बैठक में सम्भाव्य सहयोग के दस में अधिक क्षेत्रों का पता लगाया। नवम्बर, 1987 में भारत में जापान मास मनाया गया।

भारत और कोरिया

कोरिया गणराज्य तथा कोरिया जनवादी गणराज्य दोनों के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और द्विपक्षीय यात्राओं का क्रम चलता रहता है।

भारतीय विदेश मन्त्रालय के सचिव एरिक गोसाल्वेज ने जून, 1980 में प्योगयांग की यात्रा की। नवम्बर, 1980 में भारत में एक अन्तरमन्त्रालयी प्रतिनिधि मण्डल कोरिया गणराज्य भेजा ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। नवम्बर, 1980 में कोरिया गणराज्य के विशेष दूत चाई कुंआंग मूओ भारत आए। 1981-82 में कोरिया गणराज्य के साथ भारत के सम्बन्ध में विकास की गति यथावत बनी रही, विशेष रूप से

व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चंम्बर परिषद तथा कोरियाई वाणिज्य एवं उद्योग चंम्बर की संयुक्त व्यापार परिषद् ने यह सिफारिश की कि दुतरफा व्यापार तेजी से होना चाहिए और तीन-चार वर्ष की अवधि में इसे एक अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। कोरिया जनवादी गणराज्य के साथ भारत के सम्बन्ध 1981-82 में और विकसित हुए। द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्र तय किए गए। सहयोग के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए। जुलाई में प्योंगयांग में भारत और कोरियाई जनवादी गणराज्य के बीच 1981-82 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए।

1982-83 में पहले ही की भांति भारत ने दोनों कोरिया के एकीकरण का समर्थन किया। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री ने जनवरी, 1983 तक भारत की यात्रा की। कोरिया गणराज्य के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को सविदाओं के माध्यम में काफी प्रोत्साहन मिला लेकिन व्यापार संतुलन कोरिया गणराज्य के हक में और अधिक झुक गया। 1982-83 के दौरान वाणिज्य तथा अन्य क्षेत्रों के कई प्रतिनिधि मण्डलों ने एक-दूसरे की यात्रा की।

1983-84 में विदेश मंत्री ने 7 से 10 मई तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की। इससे पहले कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री ने इन यात्राओं के दौरान विकासमान द्वि-पक्षीय सम्बन्धों की—विशेषकर आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों के सम्बन्धों की समीक्षा की गई। अक्टूबर, 1983 में भारत ने सिंगोल् में 70वें अन्तर्राष्ट्रीय ससदीय सच के सम्मेलन में भाग लिया। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के विशेष दूत डॉ. तई सूंग्रौली ने 6 से 9 दिसम्बर, 1983 तक भारत की यात्रा की। संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सहयोग से नई दिल्ली में 'दक्षिण कोरियाई मूर्तिकाशिल्प' की एक प्रदर्शनी लगाई गई। नई दिल्ली में मातर्वे गुट-निरपेक्ष शिक्षण सम्मेलन में कोरियाई जनवादी-गणराज्य के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व उप-राष्ट्रपति पाक सोंग चोल ने किया। 1984-85 में कोरिया गणराज्य और कोरिया जनवादी-गणराज्य के साथ सम्बन्ध विकास की प्रक्रिया और तेज हुई। भारत ने सिंगोल् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1984 में भाग लिया। अक्टूबर, 1984 में ही कोरिया गणराज्य के एक आर्थिक मिशन ने भारत की यात्रा की और आर्थिक सहयोग, संयुक्त उद्यम तथा द्वि-पक्षीय व्यापार गवर्नर पर विचार-विमर्श किया। भारत-कोरिया जनवादी-गणराज्य सम्बन्धों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भारत और कोरिया लोकतान्त्रिक जन-गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कला, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी-शिक्षा, फिल्म इत्यादि के क्षेत्रों में दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे के दहाँ यात्राएँ की गईं।

मार्च, 1986 में कोरिया गणराज्य के प्रधान मंत्री के यात्रा के दौरान कुछ मामलों में एक-मुश्त आर्थिक योजना पर सहमति हुई। भारत ने फ़िनम्बर, 1986 में सिंगोल् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। भारत और कोरिया गणराज्य

के बीच विविध तथा सन्तुलित व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयास किए गए। भारत ने मितम्बर-अक्तूबर, 1986 में सीओल में आयोजित दसवें एशियाई खेलों में भाग लिया। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती तथा न्याय राज्य मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय विधि सभ सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त, 1986 में सीओल गए। उच्चस्तरीय द्वि-पक्षीय यात्राओं का आदान-प्रदान होता रहा जिससे पारस्परिक सम्बन्ध और मजबूत बने। भारत के एक ससदीय प्रतिनिधि मण्डल ने जून, 1986 में कोरिया जनवादी-गणराज्य की यात्रा की। जुलाई, 1986 में प्योयांग में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सम्बन्धी द्वितीय महासम्मेलन में भारत ने भाग लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोरिया जनवादी-गणराज्य के बहुत से प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत की यात्रा की। कोरिया लोकतान्त्रिक जन-गण-राज्य के जस्ते की सप्लाई के बदले में भारत से 1,00,000 टन गेहूँ की सप्लाई के एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया। भारत-सोवियत सभ के साथ करार के तहत भारत-कोरिया लोकतान्त्रिक जन गणराज्य को 2,73,000 टन गेहूँ की सप्लाई करने हेतु सहमत हुआ।

भारत और अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान ने अपने परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखा है। भारत यह मानता रहा है कि अफगानिस्तान में हुई घरेलू राजनीतिक घटनाएँ वहाँ का अन्तरिक मामला है। विगत कुछ वर्षों में दोनों देशों में निरन्तरता बढ़ी है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अफगानिस्तान के साथ औपधि, लघु उद्योग, छोटी पन-विजली परियोजनाओं आदि क्षेत्रों में भारत द्वारा तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा अफगानिस्तान के साथ भारत का सांस्कृतिक सहयोग अत्यधिक उत्साह के साथ कायम रहा है।

1986-87 के दौरान अफगानिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध बराबर सन्तोपजनक ढंग में विकसित होते रहे। आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-अफगानिस्तान समुक्त आयोग की मध्यकालीन ममीक्षा बैठक जून, 1986 में काबुल में हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोप व्यक्त किया कि 7वें भारत-अफगान समुक्त आयोग के अधिकांश निर्णय क्रियान्वित हो चुके हैं। भारत-अफगान सहयोग के मुख्य प्रतीक इन्दिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान, काबुल में अतिरिक्त शल्य चिकित्सा बार्ड तथा एक पालीक्लीनिक का निर्माण कार्य शुरू किया गया। भारत-अफगानिस्तान को जन-स्वास्थ्य औद्योगिक विज्ञान, तथा शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में बराबर सहायता देता रहा।

अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में भारत निरन्तर विनिन रहा है क्योंकि इनकी वजह में हमारे सुरक्षा वातावरण पर भी प्रभाव पड़ा है।

अफगानिस्तान के बारे में भारत का दृष्टिकोण समरूप और संद्धान्तिक है। भारत-अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध रहा है। भारत अफगान समस्या के राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। उसे अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता, गुट-निरपेक्षता तथा उसके स्वतन्त्र दर्जे में गहरी रुचि है। इस सन्दर्भ में भारत ने समुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का समर्थन किया।

अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री श्री अब्दुल वकील 7 से 10 फरवरी, 1987 तक स्वयं अपनी पहल पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए। यह यात्रा मुख्यतः इसलिए की गई थी कि अफगानिस्तान में शुरू की गई राष्ट्रीय समझौते की कार्रवाइयों के बारे में भारत सरकार को अवगत कराया जा सके और अधिक सांघ्रिय वार्ता के अगले दौर से पहले हमारे साथ विचार-विमर्श कर सके।

भारत-अफ्रीका सम्बन्ध

शुरू से ही भारत दुनिया के किसी भी हिस्से में रगभेदवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध रहा है। निगुंट आन्दोलन, राष्ट्रकुल तथा समुक्त राष्ट्रसंघ तक उसने बार-बार उसके खिलाफ आवाज उठाई है और उन सभी सगठनों को पूरा समर्थन देता रहा है, जो इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सघर्षरत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की रगभेदवादी सरकार के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चलाने में भारत की अग्रणी भूमिका है। इस विषय पर राष्ट्रकुल में ब्रिटेन को अलग-थलग करने के प्रयास में भी भारत सक्रिय रहा है।

प. नेहरू की नीति का अनुसरण करते हुए श्रीमती गांधी ने भारतीय-अफ्रीका सम्बन्धों को मुखरता प्रदान की और राजीव गांधी ने भारत-अफ्रीका सम्बन्धों की नींव पर नई इमारत खड़ी करने का प्रयत्न किया है। यह इस बात का संकेत है कि भारत-अफ्रीकी और दक्षिणी-पूर्व एशियाई देशों को राजनीतिक और सामरिक दृष्टि में अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है। पूर्वी-अफ्रीकी सागर तट के किमी भी हिस्से पर महाशक्तियों का प्रभुत्व भारतीय आजादी के लिए खतरनाक हो सकता है। भारतीय विदेश नीति में राजनीति तथा सामरिक हितों के साथ ही व्यापारिक हितों के साथ ही व्यापारिक हितों को भी महत्व मिला है।

भारत की एक प्रमुख उपलब्धि रही है निगुंट नीति। उसने अफ्रीकी देशों में यह विश्वास जगाया है कि निगुंट आन्दोलन में कमजोर और अतिकसित देशों को भी बड़ी ताकतों से दबाव से मुक्त होकर विश्व मामलों में स्वायत्तता कायम रखने में मदद की है।

भारत और दक्षिण अफ्रीकी देशों के सम्बन्ध के 41 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो इसे 5 चरणों में बांटा जा सकता है (1) 1946 से 1962 तक के 15 वर्ष, जिस दौरान जवाहर लाल नेहरू ने विदेश नीति को एक स्वरूप प्रदान किया, (2) 1962 से 1971 तक का अनिश्चय काल, जब भारत को चीन के साथ भीमा-विवाद से जूझना पड़ा था, (3) 1971 से 1977 तक का श्रीमती गांधी का शासन काल, (4) 1977 के बाद केन्द्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का

समय और (5) 1980 के बाद अक्टूबर, 1984 तक श्रीमती गाँधी की वापसी का समय और फिर राजीव गाँधी का प्रधान मन्त्रित्वकाल ।

पं. जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एशिया और अफ्रीका के देशों के उपनिवेशवादी शासन की सामान्य पृष्ठभूमि तथा समस्याएँ उन्हें एक-दूसरे के तजवीक लाने में मदद करेंगी । 1966 के आरम्भ में भारत ने समुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 के अन्तर्गत रंगभेद की समस्या को विश्व मंच पर उठाया । उसने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून और समुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि विभिन्न अध्यादेशों के जरिये भारतीय मूल के लोगों को अपग कर देने की कोशिशें की जा रही हैं । यह मामला समुक्त राष्ट्रमंडल में उठाने के साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका से अपना उच्चायुक्त वापन बुला लिया और व्यापार सम्बन्ध तोड़ दिया । पं. नेहरू की आम अफ्रीकी नीति के प्रमुख तत्त्व थे— (1) उपनिवेशवाद का अन्त और बहुमत के शासन की प्राप्ति, (2) पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदवाद का विरोध, (3) भारतीयों को अफ्रीकियों के साथ एकजुट होने की मलाह ।

अफ्रीकियों के प्रति समर्थन के बावजूद भारत ने उन्हें हिमक तरीके न अपनायाने की सलाह दी थी, भारत का मानना था कि अफ्रीकी गुटों द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाना उनके हितों को नुकसान पहुँचा सकता है । पाँचवाँ दशक पूरा होते होते भारत की विश्व चिन्ता का एशियाई अफ्रीकी दायरे के बाहर विस्तार शुरू हुआ । एशियाई-अफ्रीकी आन्दोलन में भारत की प्रमुख भूमिका, जो वागडुम सम्मेलन में स्पष्ट दिखाई पड़ी थी, क्षीण होने लगी और उसकी जगह मिस्र ने ले ली । 1957 में एफ्रो-एशियाई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस काहिरा में हुई । नेहरू और क्वामे एनक्रूमा के बीच व्यक्तिगत मतभेद बेलग्रेड सम्मेलन में उभर कर सामने आ गए । 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान एशियाई-अफ्रीकी गुट से भारत का अलग-अलग बिल्कुल स्पष्ट हो गया । दार्जिलिंग, इथियोपिया, लीबिया और नार्थजीरिया, केवल चार अफ्रीकी देशों ने भारत को राजनयिक समर्थन दिया । 6 अन्य देशों ने केवल सहानुभूति जाहिर की तथा घाना, गहनिया और तगानिका ने भारत के प्रति असहयोग का रास्ता अपनाया । गहनिया ने चीन के सीमा सम्बन्धी दावे का समर्थन किया, घाना ने भारत को ब्रितानी सैनिक मदद पर आपत्ति की और तगानिया ने पाँच सूत्री प्रस्ताव पेश किया जिनमें से दो चीन के पक्ष में तथा 3 भारत के पक्ष में थे । चीन के हाथों भारत की पराजय का भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा । एशियाई-अफ्रीकी विश्व ने समझ लिया कि सैनिक और आर्थिक दृष्टि में भारत विश्व शक्ति के रूप में खड़ा होने की स्थिति में नहीं है । नेहरू के निर्गुट निडाम्त को भी गहरा धक्का लगा । भारत-चीन संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि यद्यपि निर्गुटता दोनों सैनिक स्तरों से समान दूरों रखने की बात की सुनिश्चित कर सकती है लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा दूसरे पर सैनिक आक्रमण के बिना कोई गारन्टी नहीं दे सकती ।

चीन के साथ लड़ाई के बाद भारत ने अपनी अफ्रीका नीति को नया रूप देने की कोशिश शुरू की। स्वाभाविक था कि वह उन देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक और आर्थिक सम्बन्ध विकसित करे, जो मकटकाल में उसके साथ लड़े थे। उसने इथियोपिया और नाइजीरिया को तकनीकी मदद बढ़ाने की घोषणा की। इथियोपिया में सैनिक मिशन के अलावा एक बड़ी सूती मिल लगाने के लिए भारतीय पूंजी उपलब्ध कराई गई। छठे दशक में भारत इथियोपिया आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। पूर्वी अफ्रीका में भारत ने केनिया का दिल जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। नैरोबी में निवेश करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया गया। केनिया का विश्वास जीतने के प्रयास के पीछे तीन कारण थे—एक तो केनिया में विदेश पूंजी-निवेश की मुबिधा थी, दूसरे वह चीन विरोधी था और तीसरे यहाँ के भारतीय समुदाय के लोग हर तरह से मदद करने को तैयार थे। इस प्रकार अफ्रीका में भारत ने चीन विरोधियों का समर्थन हासिल करने का अभियान छेड़ दिया। 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद पाक विरोधी समर्थन पाने की कोशिश भी की गई।

चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती के कारण भारत ने इन दोनों पड़ोसियों को एशियाई अफ्रीकी ब्लॉक से अलग-अलग करने की कोशिश शुरू की। 1963 में नई दिल्ली में हुए भारतीय राजनयिकों के सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अफ्रीका में व्यापक प्रचार अभियान छेड़ने का निश्चय किया गया। बाद में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गया। इस यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका में चीन के प्रभाव का पता लगाना, भारत की पराजय का कारण स्पष्ट करना, भारतीय मूल के 4 लाख 20 हजार लोगों के भविष्य का अनुमान करना तथा अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना था। प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफ्रीका के नए नेता चीन समर्थक नहीं हैं और भारत के प्रति उनके मन में अच्छी धारणा है, जिसका सदुपयोग किया जा सकता है। 1965-66 के आस-पास भारत के रणभेद विरोधी और उपनिवेश विरोधी ताकत के रूप में अपनी छवि पुनर्जीवित करने की पुर्नजोर कोशिश की। चीन द्वारा वरिबर यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत साम्राज्यवादियों के बंध में चला गया है। इस प्रचार का जवाब देने के लिए अपनी छवि सुधारना जरूरी था। भारत न दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों की मदद देने की प्रवृत्त महसूस की। उसने रोडेजिया का मामला संयुक्त राष्ट्रसभ में उठाया। इयान स्मिथ की सत्ता के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए उसने नेमिलनबर्ग ने अपना दूत वापस बुला लिया। उसके ठीक 5 माह बाद रोडेजिया की गोरी सरकार ने एकपक्षीय आजादी की घोषणा कर दी इसके अलावा भारत ने दारु-नताम स्थित अफ्रीकी सूत्रियों मार्गेनाइजेशन कमेटी के जरिये आजादी के सपनों को धन देना भी शुरू कर दिया।

निधि की स्थापना, परिवहन और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तेल एवं अन्य ऊर्जा स्रोतों की निरन्तर उपलब्धता को सुनिश्चित करना। आधारीक सरचनात्मक संस्थापनाओं और नेटवर्क की सुरक्षा निश्चित करना। नकारात्मक व्यापार प्रभावों का निःप्रभावित करना प्रशिक्षित जनशक्ति साधनों का विकास व अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तथा निधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान तैयार करना।

अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना की वर्षगांठ अफ्रीका दिवस 25 मई को दिल्ली में विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ मनाई गई जिसमें स्वापो के अध्यक्ष सामनुजोमा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री नुजोमा ने इस यात्रा के दौरान दिल्ली में स्वापो राजदूतावास का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। जुलाई 1986 में वियना में हुए नामिबिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया। सेशल्स के राष्ट्रपति अल्बर्ट रेने ने अप्रैल 1986 में भारत की राजकीय यात्रा की। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर सहमति प्रकट की गई।

हमारे प्रधानमंत्री की जाम्बिया और अंगोला की यात्रा के अनुवर्तन के रूप में जाम्बिया के प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री कोव्वी मुसोक त्वाना सितम्बर अक्तूबर 1987 में भारत आए और अंगोला के विदेश व्यापार मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल अक्तूबर 1987 में भारत आया। इन यात्राओं के दौरान भारत ने 10 करोड़ रुपए का एक सरकारी ऋण, 15 करोड़ रुपए के व्यापार-करार, और आर्थिक-संज्ञानी-वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी करार पर भी हस्ताक्षर किए। बेनिन लोक गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसके विदेश मन्त्री ने जुलाई 1986 में भारत की यात्रा की।

भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई 1986 में मारिशस की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान आपसी हित के विभिन्न मसलों पर विचार के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए के सरकार से ऋण और इतनी ही राशि के मारिशस को एक्सिम बैंक ऋण के करार पर हस्ताक्षर किए। तीन अन्य मन्त्रियों सहित एक प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करते हुए मारिशस के उप प्रधानमंत्री चार्ल्स गेवतल डुवाल ने 29 जनवरी से 5 फरवरी 1986 तक भारत की सरकारी यात्रा की। मारिशस के प्रतिनिधि मण्डल और विदेश मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के बीच विचार विमर्श के दौरान अधिक द्विपक्षीय व्यापार और अन्य आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया।

भारत के उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना की स्वाधीनता की बीसवीं वर्षगांठ के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अप्रैल 1986 में स्वाजीलैण्ड के राजकुमार मकोनेनिव के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व ममद सदस्य सरदार दरबारा सिंह ने किया।

भारत और संयुक्तराज्य अमेरिका

भारत और अमेरिका विश्व के दो महान् प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के सम्बन्ध काफी उतार-चढ़ाव के रहे हैं और दुर्भाग्यवश विगत कुछ वर्षों से ये अधिक कटु बन गए हैं। तथापि दोनों ही देश सम्बन्ध सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं।

नेहरू युग में भारत और अमेरिकी सम्बन्ध (1947-1964)

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होने के बाद से ही अमेरिका की विदेश नीति का यह मुख्य उद्देश्य रहा कि भारत को अमेरिकी शिबिर में लाया जाए और इसके लिए 'दबाव तथा सहायता की नीति' अपनाई गई। जब दिसम्बर, 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसभ में ठे जाया गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया और आज भी इस प्रश्न पर अमेरिका का भारत-विरोधी रुढ़ा पूर्ववत् विद्यमान है। जब साम्यवादी चीन का उदय हुआ तो अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वह चीन को मान्यता न दे, किन्तु भारत ने अपनी स्वतन्त्र निर्णय शक्ति का उपयोग कर दिसम्बर, 1949 में चीन को मान्यता दे दी। कोरिया युद्ध के समय भारत ने प्रारम्भ में अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और मुरक्षा परिषद् में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन भी किया। लेकिन बाद में जब अमेरिकी कमान के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रीय सेना ने 38वीं अक्षांश रेखा पार कर उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध किया। कोरिया युद्ध में भारत की गुट-निरपेक्ष नीति और शान्ति प्रयासों की अमेरिका ने बहुत आलोचना की। पश्चिमी प्रेस ने प. नेहरू को 'डॉन क्विक्जोट' तक कह दिया। जब सितम्बर, 1951 में जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए आयोजित सान-फ्रांसिसको सम्मेलन में भारत ने शामिल न होने का निर्णय किया और अमेरिका की इस एक-तरफा शान्ति-सन्धि का (जिसमें युद्धवालीन मिनराष्ट्रों—चीन तथा हूत को शामिल नहीं किया गया था) विरोध किया तो अमेरिका के समाचार-पत्र भारत पर उबल पड़े। हिन्द-चीन की नमस्या पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोणों में मौलिक अन्तर रहा। भारत शान्तिपूर्ण समाधान के पक्ष में था जबकि अमेरिकी प्रशासन बल प्रयोग में विश्वास करता था।

भारत में मई, 1954 में अमेरिका के प्रति तब बहुत अधिक शोभ फंसा जब उसने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक सन्धि कर उसे इस बहाने भारी सैनिक सहायता देना शुरू किया कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया जाएगा। लेकिन 1965 और 1971 के युद्धों ने भारत की इस आशका को भली प्रकार सत्य सिद्ध कर दिया कि अमेरिका के हथियारों का प्रयोग लोचतान्त्रिक देश भारत के विरुद्ध होना था। अमेरिकी सैनिक सहायता नीति का पर्दाभांग करते हुए भूतपूर्व राबर्ट बेस्टर वाउल्ड ने कहा—“विगत 15 वर्षों में यूरोप के बाहर हमारी अधिकांश सैनिक महारता नई सरकार को इस उद्देश्य से दी गई है कि वह अमेरिकी विदेश नीति का समर्थन करे।” 1954 में

अमेरिका ने पाकिस्तान को सीएटो और सेण्टो का भी सदस्य बना लिया। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सगठनों पर भी व्यापक मतभेद रहे। श्री नेहरू ने हर प्रकार के सैनिक सगठनों का तीव्र विरोध किया और इनकी स्थापना को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के मार्ग में बाधक तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल उद्देश्यों के विपरीत माना। उन्होंने ट्रूमैन-सिद्धान्त और आइजनहावर-सिद्धान्त की कटु आलोचना कर अमेरिकी प्रशासन को क्रुद्ध कर दिया। दोनों देशों के सम्बन्धों में तब और भी बिगाड़ आया जब भारत ने लेबनान और जोर्डन में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया।

गोआ की समस्या भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था, किन्तु नवम्बर, 1955 में अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने कहा—“जहाँ तक मैं जानता हूँ, सम्पूर्ण संसार गोआ को पुर्तगाल के एक प्रान्त के रूप में स्वीकार करता है।” जब दिसम्बर, 1961 में भारत ने गोआ को पुर्तगाल की दासता से मुक्त किया तो सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीवेसन ने अमेरिका का रोप इस प्रकार व्यक्त किया—“आज रात्रि को हम उस नाटक का प्रथम अंक देख रहे हैं जिसका अन्त सयुक्त राष्ट्रसंघ की मृत्यु के साथ हो सकता है।” नाट्यो, निःशस्त्रीकरण, वियतनाम आदि समस्याओं पर भी भारत और अमेरिका में गम्भीर मतभेद रहे। भारत का दृष्टिकोण यह था कि अमेरिका को वियतनाम में बमबर्षा बन्द कर शान्ति स्थापना की दिशा में रचनात्मक कदम उठाना चाहिए।

असहयोग और तनाव के बावजूद भारत और अमेरिका में सहयोग का क्षेत्र भी काफी व्यापक रहा। अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव-नीति के साथ-साथ आर्थिक और अनाज-कूटनीति का महारा भी लिया। न केवल अमेरिका से भारत को विशाल आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, बल्कि मुख्यतः अमेरिकी प्रेरणा से ही विश्व विकास-ऋण-कोष, तकनीकी सहयोग आदि संस्थाओं ने भी ऋण तथा उपहार के रूप में भारत को काफी आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता प्रदान की। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार हुआ। फुलब्राइट योजना के अन्तर्गत दोनों देशों ने एक बड़ी संख्या में विद्वानों का आदान-प्रदान किया। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता और लाख सैकड़ में अनाज देकर उदारता दिखाई, लेकिन साथ ही अपनी कूटनीतिक चालों से किए कराए पर पानी फेरने का काम भी किया। उदाहरणार्थ कभी तो अनाज के उपहार को ऋण में बदला गया, कभी ऋण के बदले में मँगनीज की माँग की गई तो कभी सहायता इसलिए स्थगित कर दी गई कि अमुक प्रश्न पर भारत ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। प. नेहरू ने अमेरिका की दबाव-नीति का साहसपूर्वक सामना किया। दिसम्बर, 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को भारत-यात्रा से आशा की गई कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए युग का प्रादुर्भाव होगा। अमेरिका के राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाने लगा कि भारत का आर्थिक विकास अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारत को विशेष सम्मान

देते हुए 4 मई, 1960 को वाशिंगटन में भारत के खाद्य मन्त्री श्री एस. के पाटिल के साथ स्वयं एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अन्तर्गत फसल की कमी का सामना करने तथा गल्ले को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका ने भारत को आगामी 4 वर्षों में चावल तथा गेहूँ के भरे हुए 1,500 जलयान भेजने का निश्चय किया। मई, 1960 का यह समझौता ही 'सार्वजनिक कानून-480' (पी.एन. 480) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर इस समझौते की अवधि में वृद्धि कर भारत को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सहायता दी जाती रही।

राष्ट्रपति कॅनेडी के समय यद्यपि गोघ्रा के प्रश्न पर भारत अमेरिका सम्बन्धों में काफी कटुता धारण गई थी, तथापि अक्टूबर, 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के उपरान्त इन सम्बन्धों में एकाएक सुधार प्रारम्भ हुआ। भारत के अनुरोध पर अमेरिका ने बड़ी तेजी और तत्परता के साथ भारत को युद्ध-सामग्री पहुँचाई। अमेरिका की इस सकटकालीन सहायता ने भारतीयों के पिछले सभी धाँवों को भर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि मतभेदों के बावजूद दोनों राष्ट्र मित्रता के स्थायी आधार-भूत पर खड़े हैं। अमेरिका ने भारत को यह सहायता बिना किसी शर्त के प्रदान की। चीनी आक्रमण के समय भी भारत जिस प्रकार अपनी गुट-निरपेक्ष नीति पर डटा रहा उसकी अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने प्रशंसा की। भारत अपनी स्वतन्त्र नीति से डिगा नहीं, इसका एक बड़ा प्रमाण यही है कि एक ओर तो भारत ने अमेरिका से सैनिक सहायता की माँग की, दूसरी ओर उसके एक दिन बाद ही जब संयुक्त राष्ट्रसभ में चीन को उसका स्थान देने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो भारत ने चीन के पक्ष में मत दिया। मार्च, 1963 में भारत ने लगभग 100 करोड़ डॉलर की अमेरिकी सैनिक सहायता की माँग की, लेकिन अमेरिका ने केवल 6 करोड़ डॉलर दिए। इस तरह मूल रूप में अमेरिका की भारत के प्रति प्रसन्नता बनी रही।

शास्त्री-काल में भारत-अमेरिका सम्बन्ध (1964-1965)

कॅनेडी के बाद लिण्डन बी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका विचार था कि भारत के नये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प नेहरू के मुकाबले एक कमजोर नेता सिद्ध होंगे, अतः उनको दबाव द्वारा अमेरिका के पक्ष में मरलता में झुकाया जा सकेगा। लेकिन शास्त्री जी ने गुट-निरपेक्ष नीति का प नेहरू में भी अधिक दृढ़ता के साथ अनुसरण किया और उसे पहले की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप दिया।

प्रारम्भ में तो दोनों देशों के सम्बन्धों में कोई बिगाड़ नहीं आया, लेकिन जब उत्तर बियतनाम पर अमेरिकी बमबर्षा की भारत के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आलोचना हुई तो अमेरिका ने अपनी प्रसन्नता का भोड़ा प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति जॉनसन के निमन्त्रण पर शास्त्रीजी को मई, 1965 में अमेरिका जाना था परन्तु राष्ट्रपति ने अपनी व्यस्तता के बहाने निमन्त्रण वापस ले लिया।

पहले कच्छ के रत में और फिर 1965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से भारत-अमेरिका के सम्बन्धों में अधिक कटुता उत्पन्न हो गई। युद्धकाल में भी अमेरिका का रुख बहुत कुछ भारत-विरोधी रहा। 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने 6 जहाजों को, जिनमें भारत के लिए रक्षा सामग्री थी, भारतीय तट से मात्र 15 मील की दूरी से लौटा लिया। यही नहीं अमेरिका ने न तो पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सामग्री का भारत के विरुद्ध प्रयोग करने में रोक और न उसकी इस कार्यवाही की निन्दा की। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि जब 1966 में पाकिस्तान ने चीन के साथ घनिष्ठ मैत्री स्थापित कर ली और चीन से विशाल मात्रा में सैनिक सहायता भी प्राप्त की, तो भी अमेरिकी प्रशासन के पाक-समर्थक रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया।

फिर भी, दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार के प्रयत्न जारी रहे और इससे कुछ सुपरिणाम भी दृष्टिगोचर हुए। एक तो अमेरिका ने यह निर्णय किया कि भारत को खाद्यान्न की महायता पुनः चालू की जाएगी। दूसरे अमेरिका ने ताशकन्द सम्मेलन की आघात पहुँचाने की कोई कार्यवाही नहीं की।

इन्दिरा गाँधी-काल में भारत-अमेरिका सम्बन्ध (1966-मार्च, 1977)

10 जनवरी, 1966 को शास्त्रीजी के देहान्त के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमन्त्री बनी। राष्ट्रपति जॉनसन ने नए प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया कि वह शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनाएँ। यह आशा की जाने लगी कि दोनों देशों के बीच मैत्री के नए युग का मूनपात होगा लेकिन अमेरिका की दबाव नीति ने इस आशा को धूमिल कर दिया। जॉनसन प्रशासन-काल में दोनों देशों के बीच मतभेद जारी रहे और निक्सन-युग में तो चरम सीमा पर पहुँच गए।

मार्च, 1966 में श्रीमती गाँधी ने अमेरिका की यात्रा की, किन्तु उसके कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकले। (अमेरिकी प्रशासन का प्रयत्न रहा कि भारत की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ उठाकर नए प्रधान मन्त्री को अमेरिका की ओर झुकने पर विवश किया जाए) जॉनसन-प्रशासन ने अपनी दबाव नीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की। खाद्यान्न के मामले में कॅनेडी के चार वर्षीय सहायता-कार्यक्रमों को पुनः लागू नहीं किया गया। उसके स्वान पर अल्पकालीन कदम उठाने की नीति अपनाई गई। भारतीय रुपए के अवमूल्यन के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला गया। भारत-पाक युद्ध काल में बन्द की गई आर्थिक सहायता यद्यपि पुनः चालू कर दी गई, तथापि यह निराशाजनक थी। कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई जाती रही और अप्रैल, 1967 में नागा विद्रोही फिजी का अमेरिका में धरण दो गई। अमेरिकी रक्षा-मन्त्रि मैकनमारा ने भारत-पाक संघर्ष को हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की मजा दी और भारत को अपना विरोध प्रकट करना पड़ा। 1967 में यह भी रहे बोद्धाटन हुआ कि भारत ने अनेक नगदनों के माध्यम से सी. आई. ए. (अमेरिकी जासूसी विभाग) अपनी भारत विरोधी कार्यवाही कर रहा था। 1968 में भारत को अमेरिका की ओर में जो सहायता राशि स्वीकृत की गई वह पिछले

20 वर्षों में सबसे कम थी। (अमेरिकी सहायता में कटौती से भारत की आर्थिक योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन श्रीमती गाँधी ने घुटने टेकने से इन्कार कर दिया।) 1969-70 का वर्ष भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में एक प्रकार से शीतयुद्ध का वर्ष था। वियतनाम के प्रश्न पर दोनों में तनाव बढ़ गया। भारत सरकार ने अमेरिका की अग्रगण्यता की परवाह न कर जनवरी, 1970 में उत्तर वियतनाम के साथ पूर्ण दौत्य सम्बन्धों की घोषणा कर दी। फरवरी, 1970 में भारत सरकार के एक आदेश के फलस्वरूप अमेरिका को बगाल और हैदराबाद, लखनऊ, पटना तथा तिरुवन्तपुरम् के अपने सांस्कृतिक केन्द्र बन्द कर देने पड़े। भारत का यह कदम जिनेवा समझौते के नियमों के अनुकूल था जिसमें सभी दूतावासों को उन नगरों में अपने सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने का आदेश दिया गया था जहाँ उनके उप-दूतावास नहीं थे। लगभग इसी समय कम्बोडिया में अमेरिकी सेनाओं के प्रवेश का भी भारत द्वारा विरोध किया गया। अगस्त, 1970 में भारत ने 'यूनाइटेड नेशंस एटलस 20' नामक प्रकाशन की ओर अमेरिकी दूतावास का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात पर विरोध प्रकट किया कि भारतीय क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर को हटा दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि जब श्रीमती गाँधी न्यूयॉर्क यात्रा पर रवाना हुईं तो अमेरिकी राजदूत हवाई अड्डे पर उन्हें विदा करने नहीं पहुँचा। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोई अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं था। इस स्थिति में स्वभावतः श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति निक्सन का वाशिंगटन आने का निमन्त्रण ठुकरा दिया और सीधे भारत लौट आईं।

1971 का वर्ष दोनों देशों के सम्बन्धों में विस्फोटक रहा। (पाकिस्तानी अत्याचारों से पीड़ित लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के भरण-पोषण का भार भारत पर आ पड़ा। पाकिस्तान का भारत पर यह अग्रत्यक्ष आक्रमण था जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था पर भार ला पटका। भारत और विश्व के अनेक देशों के अनुरोध के बावजूद अमेरिका ने इस मानवीय समस्या की ओर से आँखें बन्द कर ली। पाकिस्तान को सैनिक तथा अन्य सहायता प्राप्त होती रही।) जब अगस्त, 1971 में भारत और रूस के बीच मैत्री सन्धि हो गई तो अमेरिकी विदेश नीति को काफी धक्का लगा। दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध काल में सुरक्षा परिषद् में अमेरिका ने भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो सोवियत वीटों के कारण निरस्त हो गए। अमेरिका ने 'युद्ध-पोत कूटनीति' के रूप में अपना सातवाँ वेड' बगाल की खाड़ी में भेजा ताकि बंगलादेश में चिरी पाक फौजों की सहायता की जा सके तथा भारत को नैतिक दबाव द्वारा आतंजित किया जा सके। किन्तु, अमेरिकी कूटनीति चुगे तरह अल्पकाल हुई। हिन्दमहासागर में रूसी नौ-नैतिक बेड़े ने अमेरिका को सचेत कर दिया कि यदि उसने भारत के विरुद्ध नौ-नैतिक कार्यवाही की तो रूस केवल दबाव पान नहीं रहेगा। अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता रोक दी, किन्तु भारत ने अपने विनाम कार्यक्रमों में दील नहीं आने दी। 1972 के प्रारम्भ

में अपनी फ्रांस-यात्रा के समय श्रीमती गाँधी ने वहाँ के प्रधानमन्त्री पियरे मेदोज से कहा—

“आज सयुक्तराज्य अमेरिका कहता है कि वह हमें आर्थिक सहायता नहीं देगा। कोई बात नहीं, हमें आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं और अगर जरूरत होगी तो भी हम यह सहायता अपनी आजादी को खतरे में डालकर नहीं लेते। हम अपनी आजादी को हर कीमत पर कायम रखेंगे। हम उन पर निर्भर नहीं करते। जो हथियार उन्होंने हमें दिए, उनकी हमने पूरी कीमत चुका दी है।”

फरवरी, 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने कांग्रेस के नाम अपने वापिक विदेश नीति सन्देश में कहा—“अमेरिका भारत से आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है, किन्तु उसकी रुचि इस बात में है कि दक्षिण एशिया का यह शक्तिशाली देश अपने पड़ोसियों के प्रति कैसा रवैया अपनाता है।” निक्सन के इस वक्तव्य की भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि निक्सन भूठे आरोप दुहराकर दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर पड़ोसियों को दबाना चाहता है। भारत-सोवियत मन्धि के सन्दर्भ में निक्सन की धारणा भारत को एक प्रकार से यह धमकी थी जिसमें संकेत दिया गया था कि अमेरिका और भारत के सम्बन्धों में सुधार तभी हो सकता है जब भारत सभी महाशक्तियों के साथ समान सम्बन्ध स्थापित करने को सहमत हो अर्थात् सोवियत संघ के साथ भारत के कोई विशेष सम्बन्ध न हो। 21 फरवरी को अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक सहायता फिर से शुरू किए जाने की चर्चा की। आर्थिक सहायता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन सैनिक सहायता का अर्थ भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः अशान्ति को बढ़ावा देना था। इसके तुरन्त बाद ही निक्सन पेंसिल्वेनिया और निक्सन-चाऊ वार्ता के मन्दर्भ में श्रीमती गाँधी ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और चीन ने एशिया के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया तो उसे अन्य एशियाई देश स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमती गाँधी ने कहा कि यदि अमेरिका-चीन वार्ता शान्ति के लिए हो रही है तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमें आशंका है कि इस वार्ता का उद्देश्य एक नए शक्ति गुट का निर्माण करना है। वियतनामी जनता ने सिद्ध कर दिया कि बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों के भाग्य-निर्णय का सिद्धान्त अब पुराना पड़ चुका है। निक्सन-यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित सयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तान क्षेत्र से भारतीय सेना की वापसी और जम्मू-कश्मीर की जनता के ‘आत्म-निर्णय के अधिकार’ की माँग की गई। यह भारत के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसी बात थी, प्रत्यक्ष सयुक्त विज्ञप्ति पर भारत ने अपना विरोध व्यक्त कर दिया।

मार्च, 1973 में जब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने या निरन्धन कर दिया है तो भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की सम्भावना बहुत कम हो गई। 1973-74 में ईरान को विशाल मात्रा में शस्त्रास्त्र देने की योजना मई, 1973 में प्ररट हुई।

भारत ने इस पर चिन्ता प्रकट की क्योंकि 1971 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी थी और ईरान ने हर प्रकार से इसकी सहायता का समर्थन भी किया था। दिसम्बर, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव की भारत-यात्रा से अमेरिका में यह चिन्ता बलवती हो गई कि यदि भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार न लाया गया तो अमेरिका को महान् लोकतान्त्रिक देश की महानुभूति से हाथ धोना पड़ सकता है। अतः भारत के प्रति भ्रुकूल रवैया अपनाया जाने लगा तो 13 दिसम्बर, 1973 को पी एल 480 के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। पी एल 480 तथा कुछ अन्य ऋणों की मद में भारत द्वारा अमेरिका को 24 अरब रुपये देने थे। समझौते के अनुसार अमेरिका ने 16 अरब 68 करोड़ रुपये पांचवी योजना के लिए भारत को अनुदान के रूप में प्रदान कर दिए और शेष भूया अमेरिकी दूतावास के खाते में तथा नेपाल की महायता के लिए छोड़ दिया गया। पी एल 480 की वास्तविकता को देखते हुए अमेरिका का यह कोई अहमान नहीं था, तथापि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार की दिशा में यह एक शुभारम्भ अवश्य था।

अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर में स्थित ब्रिटिश अधिकृत द्वीप डिवागो गार्मिया में अपना नौ-सैनिक अड्डा स्थापित करने के निर्णय से 1974 में भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार के प्रयत्नों को पुनः आघात पहुँचा। श्रीमती गांधी ने इस निर्णय की भर्त्सना की और इसे शान्ति के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हिन्दमहासागर में नौ-सैनिक तथा परमाणु-अड्डा स्थापित करने का निर्णय सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के विपरीत है। जिसे केवल तनाव में वृद्धि होगी और एशिया में अशान्ति बढ़ेगी। 18 मई, 1974 को एक सकल भूगर्भीय आणविक परीक्षण द्वारा जब भारत परमाणु विरादरी का छठा देश बन गया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। इसमें भी दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि हुई।

अगस्त, 1974 में निक्सन के स्थान पर जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने और यह छात्रा की गई कि नया नेतृत्व भारत के प्रति सहयोग और मैत्री की नीति अपनाएगा। लेकिन कुछ ही समय में यह आज्ञा मिथ्या सिद्ध हुई। फरवरी, 1975 में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने की निश्चित घोषणा कर दी और भारत को वही पुराना धिसापिटा आश्वासन दिया कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने इसे अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की प्रतिरक्षा नीति इन शोथे आश्वासनों से प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि भूतकाल में पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का हर बार भारत के विरुद्ध उपयोग किया है। अप्रैल, 1975 में कम्बोडिया और वियतनाम ने अमेरिका के पलायन में सिद्ध कर दिया कि हिन्द-चीन के प्रति भारत की नीति सही थी और अमेरिका का इस प्रश्न पर भारत-विरोध निरर्थक था। यदि अमेरिका वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप न करता अथवा वहाँ से पहले ही हट

जाता तो न तो विपतनाम युद्ध इतना लम्बा खिचता और न अमेरिकी विदेश नीति को ऐसा धक्का लगता ।

मतभेदों के बावजूद परिपक्व एवं रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक-दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए भारत-अमेरिका के बीच वार्ता और आदान-प्रदान का क्रम 1975 में चालू रहा । आमतौर पर यह अनुभव किया गया कि दृष्टिकोण, प्राथमिकता और सदस्यगत अन्तर के बावजूद दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय हित के स्तर पर कोई त्रिवाद नहीं है और शान्ति, स्थिरता तथा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वे निःसन्देह बहुत कुछ कर सकते हैं । विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए एक सस्वात्मक ढाँचा बनाने की प्रक्रिया भी जारी रही और इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए । अक्टूबर, 1975 में भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका की यात्रा की और भी कई सरकारी प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका गए । अमेरिका से भारत की यात्रा पर आने वालों में प्रमुख थे वित्त मंत्री विलियम साइमन और सिनेटर जॉर्ज मेकगवर्न । 1975 की विशेष उल्लेखनीय बात थी भारत-अमेरिकी समुक्त प्रायोग की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए तथा अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करने के लिए हमारे विदेश मंत्री का वार्शिंगटन जाना । इस बातचीत में तथा बाद में राष्ट्रपति फोर्ड और दूसरे अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत में विदेश मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति और स्थिरता के सवर्द्धन की है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किस प्रकार प्रभुसत्तात्मक सम्मान और पारस्परिक समानता के आधार पर अपने पड़ोसियों के साथ पारस्परिक सहयोग एवं सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है तथा भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति, एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मृगज के प्रति उनका समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयागों के आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा, साध एवं सम्यक् समस्याओं के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण तैयार करने में उसकी बरा भूमिका है । इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ के चलते के प्रति और हिन्द-महामागर को एक शान्ति-क्षेत्र बनाए रखने की आवश्यकता पर भी समुक्तराज अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया गया । जहाँ तक द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है हमारे विदेश मंत्री ने भारत की इस इच्छा की पुन पुष्टि की कि भारत अमेरिका के साथ पारस्परिक समानता, सम्मान और समझवृत्त के आधार पर अच्छे सम्बन्ध चाहता है । राष्ट्रपति फोर्ड और विदेश मंत्री कीर्गिनर दोनों ने शान्ति और गुट-निरपेक्षता के क्षेत्र में भारत की भूमिका को स्वीकार किया ।

दोनों देशों के सम्बन्धों में रचनात्मक सुधार की प्रक्रिया 1976 में भी आगे बढ़ी । भारत ने अमेरिका के साथ समभौता और सहयोग वृद्धि के प्रयत्न चालू रखे । ऐसा महसूस हुआ कि भारत तथा अमेरिका के बीच बहुत कुछ ऐसा था कि दोनों देश शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न कर सकते थे । भारत-अमेरिका सम्बन्धों में कुछ निश्चयात्मक तत्त्व था दोनों देशों की

अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सख्त करने, व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने की इच्छा। समस्त विश्व में तनाव दूर कर, सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति की दृष्टि से इस बात की आशा की गई कि भारत-अमेरिकी सम्बन्ध भी समानता तथा पारस्परिक मैत्री के आधार पर विकसित और सौहार्द्रपूर्ण होंगे। इस वर्ष दोनों देशों के मन्त्री तथा पदाधिकारियों ने एक-दूसरे देश की यात्राएँ की।

व्यापार-परिषद् ने, 11 सितंबर 1977 में वाशिंगटन में हुई थी, इस बात का निर्देश किया कि भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक सम्बन्ध दोनों देशों में संयुक्त रूप से व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग की वृद्धि द्वारा सुदृढ़ किए जा सकते हैं। परिषद् ने अमेरिका को भारत के साथ व्यापार-सम्बन्धों की सम्भावना से अवगत कराने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया। संयुक्तराज्य अमेरिका की स्वतन्त्रता की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने कई कदम उठाए जैसे—उस दिन भारत सरकार ने एक 11 शेप टिकिट जारी किया, गत 200 वर्षों में भारत-अमेरिकी सम्बन्धों पर एक सचिव पुस्तक प्रकाशित की और भारत की मैत्रीपूर्ण भावनाओं को अमेरिका की जनता तक पहुँचाने के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल अमेरिका भेजा। दिवंगत राष्ट्रपति फ्लॉरिडन अली ग्रहम की अन्त्येष्टि पर राष्ट्रपति कार्टर ने अपनी माता श्रीमती लिलियन कार्टर के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधि-मण्डल भेजकर सद्भावना व्यक्त की।

जनता सरकार और अमेरिका (मार्च, 1977-दिसम्बर, 1980)

अमेरिका ने भारत में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक तरीके से निष्पक्ष और मुक्त चुनाव द्वारा सरकार बदलने की प्रशंसा की। मई, 1977 में भारत के वित्तमन्त्री श्री एच. एम. पटेल ने अमेरिका की यात्रा की जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भारत को अमेरिकी सहायता प्राप्त होने के संकेत मिले। अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान को ए-7 समवयंक देने की घोषणा की तथा दूसरी ओर भारत को जाने वाली यूरेनियम सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटा लिया। हिन्दमहासागर के विमंन्यीकरण के बारे में श्री कार्टर ने सोवियत संघ के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि रूस के इस क्षेत्र से हटने पर अमेरिका भी हट जाएगा। जनवरी, 1978 में राष्ट्रपति कार्टर ने भारत यात्रा की। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति पाई गई कि अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने का प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है। दोनों पक्षों ने परस्पर यह वचन दिया कि दूसरों के साथ अपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा और नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए दोनों पक्ष कार्य करेंगे। भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से निरन्तर विकसित होते रहे। अमेरिका भारत का सबसे

बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध बना रहा। जून, 1978 में प्रधानमंत्री देसाई ने अमेरिका की यात्रा की। संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि विश्व-शान्ति के लिए हथियारों की होड़ रोकने हेतु प्रभावशाली उपाय किए जाने चाहिए। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जनवरी, 1978 में राष्ट्रपति कार्टर की भारत-यात्रा के समय संयुक्त घोषणा पत्र में जिन समान सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था उनके आधार पर दोनों पक्षों के सम्बन्धों को जारी रखना और बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि मध्य-पूर्व की समस्याओं का व्यापक, न्यायोचित और स्थायी समाधान निकालने की तात्कालिक आवश्यकता है। अफ्रीका की समस्याओं का समाधान किसी ऐसे बाहरी हस्तक्षेप के बिना किया जाना चाहिए जिसके कारण क्षेत्रीय मजबूत के गम्भीर होने का खतरा हो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इथियोपिया-सोमालिया विवाद प्रादेशिक अखण्डता के ढाँचे के भीतर क्षेत्र की जनता की उचित आर्काशाओं का सम्मान करते हुए और संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अफ्रीकी एकता संगठन के घोषणापत्रों में निहित सिद्धान्तों के अनुरूप शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी जनता के आत्म-निर्णय और बहुपक्ष शासन की उचित आर्काशाओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया और सभी रूपों में जातिवाद की निन्दा की। उन्होंने जिम्बाब्वे और नामीबिया की जनता के प्रभुसत्ता और स्वतन्त्र विकास के असंयोज्य अधिकारों और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों की भावना के अनुरूप अफ्रीकी बहुमत को तेजी से सत्ता सौंपे जाने को मुनिश्चित करने की आवश्यकता को पुष्टि की। दोनों पक्षों में विश्व के भौतिक और विकासशील राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों की समीक्षा की। दोनों नेता इस बात के पक्ष में थे कि इस सम्बन्ध में अमेरिका तथा भारत के बरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य विकसित तथा विकासशील देशों के बीच और विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए। इस तरह के आदान-प्रदान से विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देश विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली के न्यायपूर्ण संचालन के बारे में समान हितों और जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में सद्भाव बढ़ा सकते हैं।

विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने 20-25 अप्रैल, 1979 तक अमेरिका की यात्रा की। वे भारत-अमेरिकी संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों द्वारा सहयोग का विस्तार किया गया। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी नेतृत्व से आग्रह किया कि श्रेष्ठ यूएनियम की सप्लई के बचन को अमेरिका निभाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह हथियारों की होड़ शुरू न करे। अणु शक्ति विनष्ट करने के पाकिस्तान के प्रयत्नों पर दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य शान्तिपूर्ण उपयोग नहीं है। बातचीत के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिआ उल हक के उन प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान अपने-अपने परमाणु ऊर्जा

सम्बन्धी सयन्नों का पारस्परिक निरीक्षण कराने की घोषणा करें। श्री वाजपेयी ने अमेरिकी नेताओं को यह स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के अन्तर्गत अणुशक्ति का प्रयोग गैर-शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने पर ही तुला हुआ है तो वंसी स्थिति में उक्त घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन विषय पर राष्ट्रपति जिया उल हक और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बीच बातचीत हो सकती है। अमेरिका ने श्री वाजपेयी को यह आश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान को अणुशक्ति विस्फोट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकने की गम्भीर कोशिश करेगा। श्री वाजपेयी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र के निर्माण के विरुद्ध उम स्थिति में है जिनमें चीन को उससे अलग रखा जाता है।

**श्रीमती गांधी का दूसरा कार्यकाल और अमेरिका
(जनवरी, 1980 अक्टूबर, 1984)**

जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्ताछूट होने के उपरान्त भारत-अमेरिका सम्बन्धों में एक नए मोड़ की शुरुआत हो गई। 1980-81 के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा जो यात्राएँ की गईं उनसे भारत-अमेरिकी सम्बन्धों की स्थिरता बड़ी क्योंकि इनसे प्रमुख द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के विचारों को अधिक अच्छी तरह समझने का अवसर मिला। संयुक्तराज्य अमेरिका की कुछ गलतफहमियाँ दूर हुईं और यह भी स्पष्ट हो गया कि मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के सम्बन्ध परस्पर विश्वास और सद्भाव पर आधारित हैं। अक्टूबर, 1980 के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री नरसिंहराव ने अमेरिका के विदेश मंत्री एडमण्ड मस्को ने विचार-विमर्श किया।

जनवरी, 1981 में रोनल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भाला और रीगन के शासनकाल में भारत-अमेरिका के सम्बन्धों में पाकिस्तान को अमेरिकी मैन्य महायत्ता के प्रश्न को लेकर अभी तक तनाव बढ़ता रहा फिर भी अनेक मसलों पर सहमति के झुंटे भी हुए हैं। 1981 में दोनों देशों के बीच अनेक यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ और अफगानिस्तान महित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। भारत ने तनाव की स्थिति खत्म किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की और अपना यह मत भी व्यक्त किया कि सोवियत सेनाओं की वापसी को मुविधाजनक बनाने के लिए बातचीत करके राजनीतिक समाधान का रास्ता खोजना होगा। पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को मजबूत करने के संयुक्तराज्य के निर्णय पर अपनी चिन्ता में भारत ने उनको अक्षय करवाया क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही से इस क्षेत्र के तनाव में वृद्धि ही होगी। एक अन्य समस्या, जो भारत के लिए चिन्ता का विषय बनी रही, वह थी तारापुर के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई। अमेरिका

द्वारा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहायता सहिता लागू न करने का एक बार निर्णय कर लिए जाने के बाद भारत अमेरिका के इस तर्क से सहमत नहीं हुआ कि संयुक्तराज्य द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले माल पर क्षति परीक्षण किए बिना किसी तरह का प्रतिपूरक शुल्क लगाया जाए। अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर के क्षेत्र में अपना सैनिक जमाव बराबर बढ़ाते रहने पर भारत का अधिकाधिक विन्तित होना स्वाभाविक था। भारत ने स्पष्ट किया कि बड़ी शक्तियों द्वारा अपनी सैनिक उपस्थिति बढ़ाने से इस क्षेत्र में तनाव निश्चय ही बढ़ेगा। इस बात पर बल दिया गया कि शान्ति बनाए रखने और तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का इन बाह्य शक्तियों के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि वे इस क्षेत्र से यथाशीघ्र अपनी सभी सैनिक, नौ-सैनिक और वायु सैनिक उपस्थिति समाप्त कर दे। भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग के अन्तर्गत स्थापित चारों उप-आयोगों ने 1980-81 के दौरान अपनी बँटकों की। इसमें कृषि पर नवगठित उप-आयोग की पहली बँटक भी शामिल थी। उप-आयोग की बँटकों से विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तृत करने की दिशा में मूल्यवान सहयोग मिला।

1981-82 में, कुछ क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों सरकारों के दृष्टिकोण में अन्तर के कारण, द्विपक्षीय विचार-विनिमय को विशेष महत्व दिया गया। मतभेदों के बावजूद भारत ने संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ आपसी लाभप्रद सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने की कोशिश की क्योंकि भारत इस बात को स्वीकार करता है कि भारतीय उप-महाद्वीप में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थायित्व दोनों देशों के हित में है। अक्टूबर, 1981 में उत्तर-दक्षिण वार्ता के लिए आयोजित केनकुन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई बँटक भारत-अमेरिका सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई के बारे में अमेरिका के निर्णय के परिणामों के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। अक्टूबर में उपराष्ट्रपति श्री एम. हिदायतुल्ला और मितम्बर में लोरूसभा अध्यक्ष डॉ. बलराम जासठ की संयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा भी उन्नेवनीय रही। संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर से भी अनेक उच्च स्तरीय यात्राएँ हुईं। वार्षिक रिपोर्टें 1981-82 के अनुसार अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को आचार बना कर पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा आधुनिकतम हथियार सप्लाई किए जाने के निर्णय से भारत में आशंका बनी रही क्योंकि भारत कई बार पाकिस्तानी आक्रमण का शिकार बन चुका है। भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का एक मुद्दा दोनों राज्यों के बीच 1963 के करार का उल्लंघन करने हुए तारापुर परमाणु रिजलीपर के लिए ईंधन की सप्लाई न करने से सम्बन्धित था। वरुं के शुरू में ही भारत ने औपचारिक रूप से संयुक्तराज्य अमेरिका से कहा था कि ईंधन की निरन्तर सप्लाई के लिए आश्वासन दिया जाए, लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

जुलाई-अगस्त, 1982 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रीगन और वरिष्ठ अधिकारियों से क्षेत्रीय मामलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत की। इस यात्रा का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी जनता की कुछ गलतफहमियाँ दूर अथवा कम हो गईं और भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से कुछ मुक्त हुआ। तारापुर परमाणु विजलीघर के लिए ईंधन की सप्लाई हेतु यह फार्मूला निकाला गया कि फ्रांस ईंधन की सप्लाई भारत को करेगा। बाद में भारत और फ्रांस ने 26 नवम्बर को एक करार पर हस्ताक्षर किए और 30 नवम्बर को भारत सरकार तथा अमेरिका के बीच टिप्पणियों का आदान-प्रदान हुआ जिसमें इस महमति की औपचारिक रूप से पुष्टि की गई। सम्बन्धों के सुधार के वातावरण के बावजूद भारत और अमेरिका में ऐसे कई मामलों पर मतभेद बने रहे जिन्हें लेकर भारत विशेष रूप से चिंतित है। अमेरिकी प्रशासक की ओर से पाकिस्तान को ऐंसे अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करने के निर्णय पर जो कि उस देश की वास्तविक रक्षा आवश्यकताओं के अनुपात की दृष्टि से बहुत अधिक है, पुन विचार करने का कोई संकेत नहीं मिला। पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी एशिया की राजनीतिक घटनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण पर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बना रहा। अमेरिकी कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में हिन्दमहासागर में गैर-तटीय देशों की नीमनिक उपस्थिति भारत के लिए निरन्तर चिन्ता की विषय बनी रही थी। आर्थिक क्षेत्र में, भारत बहुपक्षीय विकास बैंको के प्रति अमेरिका की नीति से चिंतित बना रहा। भारत के लिए विशेष चिन्ता का विषय आई वी आर डी. के आई डी ए कार्यक्रमों पर अमेरिकी निर्णय का नकारात्मक प्रभाव और ऊर्जा जैसे कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में सहायता के लिए भारत का अनुरोध रहा। द्विपक्षीय सरकारी विचार-विमर्श का सिलसिला 1982 में पुनः प्रारम्भ किया गया। 1982 में भारत की ओर से अमेरिका की ओर भी कई महत्वपूर्ण यात्राएँ की गईं।

प्रधानमंत्री ने जुलाई-अगस्त, 1982 के दौरान अमेरिका की यात्रा की थी और इस समय लिए गए कई निर्णय 1983 में विभिन्न परिणामों में कार्यान्वित किए गए। सितम्बर, 1983 में प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के अवसर पर, अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर विचार-विनिमय हुआ। जून जुलाई, 1983 के दौरान अमेरिका के विदेशमन्त्री की भारत-यात्रा के फलस्वरूप उच्च स्तरीय सम्पर्कों का सिलसिला जारी रहा। इस यात्रा के फलस्वरूप नई दिल्ली में भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग का छठा अधिवेशन हुआ। 1983-84 में भी, पाकिस्तान को उसकी वास्तविक रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से कहीं अधिक अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के बारे में अमेरिका के निर्णय से भारत अमेरिकी सम्बन्ध प्रभावित रहे। विशेष रूप से हार्पून प्रक्षेपास्त्र सप्लाई करने के निर्णय का भारत ने बड़ा विरोध किया। अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री शुल्ज की भारत-यात्रा के दौरान संयुक्तराज्य ने तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिए

ऐसे फालतू पुर्जों की सप्लाई पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, जो अन्य स्रोतों से उपलब्ध न हो। इसके परिणामस्वरूप भारत ने पश्चिमी यूरोप से फालतू पुर्जे प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाना शुरू कर दिया लेकिन वर्षों के अन्त तक भी फालतू पुर्जों का मसला हल नहीं हो सका। तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन के नेता जगजीतमिह चौहान को अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा प्रदान करने का भ्रम वहाँ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अमेरिका का निर्णय काफी वाद-विवाद का कारण बना। इस फंसले पर भारत सरकार ने अमेरिका सरकार को अपनी अपसन्नता से अवगत कराया। यात्राओं और आयोगों की बैठकों का मिलसिला चलता रहा। वाणिज्यिक सन्धिदात्रों के निष्पादन में तेजी लाने की दृष्टि से सयुक्तराज्य अमेरिका के समुद्रपार निजी निवेश निगम के प्रतिनिधि-मण्डलों ने फरवरी-मार्च, 1983 में भारत की यात्रा की। भारत इजीनियरी निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् ने नवम्बर, 1983 में हाउस्टन (टेक्सास) में एक सगोष्ठी का आयोजन किया।

1984--85 में भी बेहतर सम्बन्धों के लिए उच्च स्तर पर विचार-विनिमय का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिक अस्त्रों की निरन्तर सप्लाई करता रहा और यही दोनों देशों के बीच खिचाव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बना। सयुक्तराज्य अमेरिका में कार्य कर रहे बहुत-से उग्रवादी नेताओं ने भारत में तथाकथित 'खालिस्तान आन्दोलन' का समर्थन किया। ऐसे उग्रवादी तत्वों ने सयुक्तराज्य अमेरिका में आयोजित भारतीय स्वाधीनता दिवस समारोहों में विघ्न डाला और लासएंजलेस में ओलम्पिक खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया तथा उन पर गालियों की बौद्धार की। भारत के निरन्तर इस आग्रह का बहुत कम प्रभाव हुआ कि ऐसी गतिविधियाँ भारत-अमेरिकी सम्बन्धों के लिए हानिकर हैं, हालाँकि इस बात पर गौर किया गया कि अमेरिकी कांग्रेस को एशिया एवं प्रशांत उप-महाद्वीप और मानव अधिकार समिति द्वारा की जाने वाली पत्रावली के बारे में प्रस्तावित मुनवाई पहले स्थगित की गई और बाद में रद्द कर दी गई। भारत सरकार ने दुर्वर्ष में इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान के अपहरण को जमफन करने में अमेरिकी सरकार की भूमिका की सराहना की। 1984 के दौरान भारत-अमेरिकी आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध विकसित हुए। भारत ने अमेरिकी अन्तरिक्ष शटल मिशन में एक भारतीय वैज्ञानिक को शामिल करने के लिए 'नासा' के निमन्त्रण को स्वीकार किया। दोनों देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में एक जापन सम्झौते के लिए बातचीत भी की गई। एक समन्वित जापन पर आघात कर लिए गए। दोनों देशों के बीच कई यात्राएँ हुईं। श्रीमती गांधी की अन्त्येष्टि में भाग लेने के लिये अमेरिका के विदेश-मन्त्री श्री जॉर्ज शूल्ज़ सयुक्तराज्य अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डल को लेकर भारत आए।

राजीव गांधी-काल (अक्टूबर, 1984 के उपरान्त)

भारत में आठवीं लोकसभा के चुनावों के बाद अमेरिका ने अचानक पी एल 480 समझौता पुनर्जीवित कर दिया। भारत-पाक युद्ध के बाद से ही पी एल. 480 के अन्तर्गत भारत को प्राप्त होने वाली सहायता बन्द पड़ी थी। मई, 1985 में अमेरिकी व्यापार मन्त्री डालड्रिज ने भारत की यात्रा की। नई भारत सरकार ने अमेरिकी पूँजी को भारत में आमन्त्रित किया जबकि इन्दिरा गांधी सरकार इसके विरुद्ध थी। 17 मई, को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें व्यवस्था है कि अमेरिका भारत को आधुनिकतम तकनीक प्रदान करेगा।

जून, 1985 में राजीव गांधी की अमेरिका यात्रा के समय अमेरिका ने भारत-विरोधी आतंकवादी कार्यवाहियों से निबटने में सहयोग का आश्वासन दिया। इस बात पर भी महमति हुई कि दोनों देश भयकर संचारी रोगों के लिए अच्छे किस्म के टीके तैयार करने के लिए दो नए कार्यक्रम शुरू करेंगे। दोनों देश कृषि, धानिकी, स्वास्थ्य और पोषण परिवार, कन्याण, औद्योगिक अनुसन्धान विकास में भी सहयोग करेंगे। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रीगन ने बड़ी नदियों का प्रदूषण कम करने में सहायता देने की इच्छा व्यक्त की।

अमेरिका ने भारत को नए शस्त्र देने का प्रस्ताव किया, परन्तु यह शर्त लगाई कि भारत उनकी तकनीक को छुप से गुप्त रखेगा। राजीव गांधी ने अमेरिका के पूँजीपतियों से भारत में पूँजी लगाने का आग्रह किया। इस सब के बावजूद दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्तब्ध बन गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच 1986 में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण सम्बन्धी समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत अमेरिका ने भारत के सरकारी और गैर-सरकारी समझौतों के लिए कुछ कम्प्यूटर व्यवस्थाओं के निर्यात की अनुमति दी। 1986 में भारत ने अमेरिका को 247 करोड़ 83 लाख डॉलर के माल का निर्यात और उससे 164 करोड़ 19 लाख डॉलर का आयात करके भारत अमेरिका व्यापार का सतुलन अपने पक्ष में बनाए रखा।

भारतीय नौमैनिक जहाज आई एन एस गोदावरी ने जून-जुलाई, 1986 में स्वतन्त्रता की प्रतिमा के शताब्दी समारोह में भाग लिया। यह भारतीय नौमैनिक जहाज की अमरीका की अपनी सद्भावना यात्रा थी। अमरीकियों के लिए भारत की एक अद्वितीय भौतिक प्रदान कर एक वर्ष लम्बा भारत समारोह नवम्बर, 1986 में औपचारिक रूप से समाप्त हुआ।

अगस्त 1987 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को लगभग पांच अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियार तथा अन्य आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया। यह ही भारत पर राजनीतिक, आर्थिक दबाव डालने की दृष्टि से भारत को मिलने वाली अमेरिकी सहायता 6 करोड़ डॉलर से घटाकर केवल 3.5 करोड़ डॉलर कर दी गई। इस तनाव के बावजूद 9 अक्टूबर, 1987 को भारत तथा अमेरिका ने सुपर कम्प्यूटर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन कम्प्यूटरों का इस्तेमाल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग मानसून सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अन्य कार्यों के लिए करेगा।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी वैकूबर (कनाडा) के राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 20 अक्टूबर, 1987 को वाशिंगटन पहुँचे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रीगन ने भारत-चीन तथा समझौते के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। अफगानिस्तान के मामले में दोनों ने राजनैतिक समझौते की बात स्वीकार की जिसमें कहा गया कि विदेशी सेनाएँ अफगानिस्तान से हटा ली जाएँ और वहाँ की जनता को स्वतन्त्रता और शान्ति से रहने दिया जाय। उसे किमी भी बड़ी शक्ति के शिखर से बचाकर गुट-निरपेक्ष देश के रूप में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ रहने का अवसर दिया जाए।

भारत और दक्षिण तथा मध्य अमेरिका और कैरियाई देश

भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध निरन्तर बढ़ते रहे हैं। उच्च स्तर की यानामो के आदान-प्रदान व द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करने और इस क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय सहयोग से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मुदृढ़ हुए और सम्बन्धों के और विकास का आधार बना। निकारगुआ और पेरू के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री की मैक्सिको यात्रा महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। निकारगुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्तेगा ने 8 से 11 सितम्बर, 1986 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान तीन द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए। पेरू के राष्ट्रपति डॉ. एलन गासिया पेरेज ने 23 से 29 जनवरी, 1987 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुआ और एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में भारत और पेरू के बीच सहयोग की बात है।

भारतीय तकनीकी-आर्थिक दल द्विपक्षी आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल, 1986 में निकारगुआ गया। निकारगुआ के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उद्योग, आधारीक संरचना और सम्बन्धित व्यापार में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया। भारतीय समद सदस्यों का प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर, 1986 में सेडिनिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट की 25वीं वर्षगांठ के समारोहों में भाग लेने के लिए निकारगुआ गया।

मध्य अमेरिका की स्थिति तनावपूर्ण और अस्थिर बनी रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मंचों पर यह विचार रखा कि मध्य अमेरिका के मामलों का समाधान बाहरी हस्तक्षेप या बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के प्रवेश के बिना इस क्षेत्र के देशों के बीच शान्तिपूर्ण बात-चीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शान्ति एवं निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी यह राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बाद 7 से 9 अगस्त, 1986 तक मैक्सिको की यात्रा की। तथा लोकसभा अध्यक्ष डॉ. बलराम जगत के नेतृत्व में एक सात

सदस्यीय मसदीय प्रतिनिधिमण्डल ने 30 जून से 6 जुलाई, 1986 तक वेनेजुएला की यात्रा की।

भारतीय नौसैनिक जहाज आई एन. एम गोदावरी इस क्षेत्र के विभिन्न देशों की यात्रा करते समय ब्रूबा, जर्मका, ट्रिनिडाड एव टोबागो, गुयाना और ब्राजील के बंदरगाहों पर गया। 'तृष्णा' नौका भ द्दह-सदस्यीय भारतीय मैनो दल पूरे विश्व की समुद्र-यात्रा के दौरान गुयाना, ट्रिनिडाड एव टोबागो, पनामा, दक्काडोर और जर्मका गया। भारत के व्यापार मेलों प्राधिकरण ने सोलहवें अन्तर्राष्ट्रीय मेले (5 से 23 जुलाई, 1986) में भाग लिया। भारत ने भयकर बाढ़ की विपत्ति से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जर्मका को 50,000 रुपये के मूल्य की दवाइयाँ दान में दी। भारत के पर्यटन विकास निगम और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सहयोग से पनामा स्थित भारत के राजदूतावास ने नवम्बर, 1986 में एक बहुपक्षीय भारतीय सांस्कृतिक समारोह का योगदान किया।

भारत और सोवियत संघ

1947 ई. में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक भारत के सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बनाया तथा एशिया व अफ्रीका के अन्य देशों की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। हम की ही भाँति-भारत ने भी अनुभव किया कि साम्राज्यवाद भारतीय राष्ट्रीय हित में नहीं है। एशिया तथा अफ्रीका के परन्तु देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतन्त्र कराना भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ स्पष्ट है कि हम तथा भारत की विदेशनीतियों के एक उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध में साम्य है जो उन्हें परस्पर निकट लाने का एक कारण है।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय हम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शीतयुद्ध प्रारम्भ हो चुका था। भारत ने शीतयुद्ध से पृथक् रहने की गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रतिपादित किया और पंचशील के सिद्धान्तों को अपनाया। पहले हम को शान्तिपूर्ण सहस्रित्व का सिद्धान्त प्रिय नहीं लगा। रूसी विचारक पूंजीवाद के साथ समाजवाद के सह-अस्तित्व की कल्पना तक अग्रिम मानते थे परन्तु जब उन्होंने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने पाँवों पर दृढ़ता से खड़ी है तो उन में भी सहनशीलता का भाव उत्पन्न हुआ। अब रूस ने विश्व में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ शान्तिपूर्ण सहस्रित्व की विवशता को स्वीकार किया। यह परिवर्तन सोवियत संघ और भारत को निकट लाने में सहायक हुआ।

(क) स्टालिन काल

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण, अणुबम, विशेषाधिकार आदि प्रश्नों पर भारत और रूस के बीच इतना मतभेद था कि अमेरिका के विदेश सचिव जॉन फास्टर डनेम ने 18 जनवरी, 1947 को यहाँ तक कह दिया कि—“भारत में सोवियत साम्यवाद अन्तरिम भारत सरकार के माध्यम

से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।" लेकिन आने वाले समय ने सिद्ध कर दिया कि भारत न तो पूँजीवादी जगत् के शिकूजे में है और न साम्यवाद के प्रभाव में।

स्वतन्त्र भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई। साथ ही उसने ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध बनाए और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्धों के कारण स्टालिन को सन्देह हुआ कि भारत पश्चिमी गुट में चला गया है। तथापि भारत और सोवियत सघ के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हुआ तथा सम्बन्ध निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई।

यह एक संयोग ही था कि भारत और सोवियत सघ ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साम्राज्यवाद और जातिवाद का एक साथ विरोध किया, शान्ति का पक्ष लिया तथा इण्डोनेशिया में डचों द्वारा दमन की धालोचना की। यही से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होने लगा। नेहरू पश्चिम के साथ मैत्री सम्बन्धों का निर्वाह करते हुए भी रूस की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। पश्चिम की अप्रसन्नता की परवाह न करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता देकर श्री नेहरू ने भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति का परिचय दिया। माम्को में भारतीय राजदूत डॉ राधाकृष्णन् के सद्प्रयासों में दिल्ली मास्को के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में सहायता मिली। 1949 में दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ।

इस मैत्री को जून, 1950 में कोरिया-युद्ध छिड़ने पर भटका लगा। भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में कोई सकाँच नहीं किया। इससे सोवियत सघ में भारत के प्रति रोष पैदा हो गया, किन्तु जब कोरिया-समस्या के अग्रिम चरण में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाओं को 38वीं अक्षांश रेखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय-शक्ति स्वतन्त्र है, पश्चिम के दबाव से प्रेरित नहीं। इस घटना से दोनों देश समीप आए। यह समीपता तब बढ़ी जब सितम्बर, 1951 में भारत ने जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिकूजे में जकड़ने की एक चाल थी। अप्रैल, 1952 में रूस के लौह-शासक स्टालिन ने भारतीय राजदूत डॉ राधाकृष्णन् से भेंट की। यह भेंट इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण थी कि पिछले दो वर्षों में स्टालिन किसी भी राजदूत से नहीं मिले थे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस भेंट को भारत-रूस सम्बन्धों में सुधार का प्रतीक माना गया। दिसम्बर, 1952 में कोरिया के युद्धबन्धियों के प्रश्न पर दोनों के बीच पुनः अल्पकालीन मतभेद पैदा हो गए।

खुश्चेव-काल

मार्च, 1953 में स्टालिन का देहान्त हो गया। अब सोवियत शासन की बागडोर पहले मेल्कोव और फिर बुल्गानिन-खुश्चेव के हाथों में आई। इस काल

में अमेरिका ने भारत द्वारा कोरिया के राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने का विरोध किया जिससे रूस और भारत के सम्बन्धों में अधिक प्रगाढ़ता आई। रूस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का विरोध करके भी भारत की सद्भावना अर्जित की। 1954 में रूस ने 'पंचशील' के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी ओर अमेरिका ने साम्यवाद का प्रसार रोकने के नाम पर सैनिक सगठनों का जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा कटु आलोचना की। इन घटनाओं से जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा कटु आलोचना की गई। इन घटनाओं से भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध और मधुर हो गए। जून, 1955 में श्री नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा रूसियों को अपनी सह-अस्तित्व नीति से प्रभावित किया। मयूक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देशों के सम्बन्ध पहले से ही मैत्री और सहिष्णुता पर आधारित हैं तथा भविष्य में भी पंचशील द्वारा निर्देशित होते रहेंगे। 1955-56 में श्री बुल्गानिन और ख्रुश्चेव ने भारत की यात्रा की। 1917 की बोलशेविक क्रान्ति के बाद शायद पहली बार कोई रूसी प्रधान मंत्री सद्भावना-यात्रा पर इस प्रकार अपने देश से बाहर निकला था। अपनी इस भारत यात्रा के समय सोवियत नेताओं ने सार्वजनिक रूप से हम बात का समर्थन किया कि गोआ भारत का अभिन्न अंग है।

उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान रहे। 1955 में हंगरी की घटना पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहा, क्योंकि हंगरी में सोवियत सैनिक कार्यवाही का भारत में विरोध हुआ था। परन्तु इससे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं हुई। 1955 के बाद से ही दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध भी विकसित होने लगे। कश्मीर-विवाद पर सोवियत संघ भारत को खुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा परिषद में पश्चिमी राष्ट्रों के भारत-विरोधी प्रस्तावों पर 'वीटो' का प्रयोग करता रहा। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में काफी समानता रही। 1959 और 1960 में महासभा के अधिवेशनों में भारत ने निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सोवियत प्रस्तावों का समर्थन किया। 1962 में गोआ-विलय के प्रश्न पर सुरक्षा-परिषद में पश्चिमी देशों द्वारा भारत की निन्दा का प्रयत्न 'रूसी वीटो' के प्रयोग द्वारा ही विकल हुआ।

अक्टूबर, 1962 में चीनी आक्रमण के प्रारम्भ में रूसी दृष्टिकोण भारत के लिए निराशाजनक था। 25 अक्टूबर, 1962 के 'प्रावदा' के सम्पादकीय लेख में मुले रूप से चीन की 24 अक्टूबर वाली शर्तों का समर्थन किया गया था। यह एक प्रकार से बिना भारत की निन्दा किए चीन के पक्ष का समर्थन था। इतना ही नहीं हम ने भारत को मिग विमानों की सप्लाई रोक दी। इन सब बातों में भारत में रूस के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का उबार-सा आ गया, किन्तु भारत सरकार का यह विश्वास कायम रहा कि वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने पर रूस चीन का पक्षपोषण नहीं करेगा, और हुआ भी नहीं। धीरे-धीरे भारत पर चीन-आक्रमण के-

सम्बन्ध में सोवियत दृष्टिकोण बदलने लगा और दिसम्बर, 1962 में तो मुझीम सोवियत में ख़ुश्चेव ने भारत पर चीनी हमले की खुती निन्दा की। 1963 में चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर भी रुस में चीन की कटु आलोचना की। भारत को मिग विमानों की मध्लाई की गई और मिग विमानों का एक कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया। जुलाई, 1963 में सोवियत रूस से प्राप्त होने वाली सैनिक सहायता की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए भारत की ओर से एक मिशन सोवियत सघ स्थापित किया गया। 4 नवम्बर, 1963 के एक समझौते के अनुसार भारत में नेल एव गैस की खोज तथा उन्हें विकसित करने के लिए रुस द्वारा तकनीशियनों को भेजने का निश्चय हुआ। रुस ने बोकारो कारखाना तथा एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन स्थापित करने में सहायता देने का भी वचन दिया।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (1964-1980)

26 अक्टूबर, 1964 को रुस में ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के नेतृत्व का उदय हुआ। नए नेताओं ने सोवियत राजदूत के माध्यम से भारत को आश्वासन दिया कि उसके प्रति सोवियत नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आगामी कुछ वर्षों में भारत को रुस का वह समर्थन नहीं मिल सका जो ख़ुश्चेव ने दिया था। सितम्बर, 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय सोवियत नेतृत्व की नीति किनी न किसी प्रकार संघर्ष को शान्त करने की रही और रुस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के समान विरोध नहीं किया। संयुक्त राष्ट्रसभ में भी उसकी नीति कुछ इसी प्रकार की रही किन्तु पर्दे के पीछे जो कूटनीति खेल खेले गए उनके प्रति रुस ने खुले रूप में भारत को अपना समर्थन दिया। उदाहरणार्थ, एंग्लो-अमेरिकी गुट का यह प्रयास था कि भारत को प्राक्रमणकारी घोषित किया जाए और यदि ऐसा न हो तो कम से कम कश्मीर में संयुक्त राष्ट्रसभ की सेना भेज दी जाए, लेकिन सोवियत सघ द्वारा वीटो प्रयोग की धमकी के कारण एंग्लो-अमेरिकी गुट को इस भारत-विरोधी षड्यन्त्र का परित्याग करना पड़ा। जब 16 सितम्बर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया, तब भी सोवियत सरकार ने यह चेतावनी दी कि विदेशी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास न करें। सोवियत रुस ने भारत-पाक संघर्ष के बाद से ही इस प्रकार की नीति का अनुमरण किया कि दोनों देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रहें और पाकिस्तान को चीनी प्रभाव से मुक्त कर, अपने प्रभाव में लाया जाए तथा शनै-शनै इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वह भारत-विरोधी रूस छोड़ दे। इसी प्रकार की नीति पर चर्चाते हुए रुस ने जनवरी, 1966 में ताशकन्द सम्मेलन का आयोजन किया और अपनी कूटनीति के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकन्द समझौता सम्पन्न करा दिया।

ताशकन्द समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में थोड़ा-सा तनाव तब आया जब रुस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का निश्चय किया। सोवियत

कूटनीति की यह 'नई दिशा' भारत के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली थी। जुलाई, 1968 में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निर्णय करते समय इस ने भारत को यह आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को दिए गए रूसी शस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं हो सकेगा, पर पाकिस्तानी आचरण देखते हुए रूस के ऐसे किसी भी आश्वासन पर भारत को भरोसा नहीं हो सकता था।

सौभाग्यवश रूस शीघ्र ही समझ गया कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर चित्त राष्ट्र पर विर्यास नहीं किया जा सकता, अतः कुछ ही समय बाद पाकिस्तान को रूसी शस्त्रों की सप्लाई रुक गई। इसके पश्चात् भारत-रूस सम्बन्धों में उत्तरोत्तर विकास होता गया। वगलादेश की समस्या पर रूस का दृष्टिकोण भारत से मिलता-जुलता रहा। रूस ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि वह वगलादेश में हत्याकाण्ड समाप्त कर समस्या का राजनीतिक हल खोजे।

भारत-सोवियत मैत्री सन्धि, 1971—9 अगस्त, 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच जाति, मैत्री और सहयोग की 20-वर्षीय ऐतिहासिक सन्धि सम्पन्न हो गई। इस सन्धि द्वारा भारत को एक महाशक्ति की ठोस मैत्री तो प्राप्त हुई ही, अर्थात् सोवियत संघ भी एशिया में एक प्रभावी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया।

यह सन्धि, जिसके दस्तावेजों का आदान-प्रदान मास्को में किया गया, अगस्त में 20 वर्ष के लिए है, लेकिन कोई भी पक्ष सन्धि की अवधि समाप्त होने से 12 महीने पूर्व उस समाप्त करने का नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस न दिए जाने पर सन्धि की अवधि स्वतः हर बार 4 साल के लिए बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यह सन्धि स्थायी रूप से चालू रह सकती है।

सन्धि पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद कुछ क्षेत्रों में आरोप लगाया गया कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति त्याग कर सोवियत संघ के हाथों का खिलौना बन सकता है लेकिन ये सभी आशवाएँ निर्मूल सिद्ध हुईं। दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध और वगलादेश के उदय के समय यह भली प्रवार स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर कोई भी सन्देह नहीं किया जा सकता। रूस और भारत की मैत्री-सन्धि सैनिक गुटबन्दी नहीं है। सन्धि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भारत पर आक्रमण सोवियत संघ पर आक्रमण माना जाएगा। सन्धि में केवल यह व्यवस्था है कि "दोनों में से किसी पर आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर दोनों पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए और शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएँ।" इन शब्दों में सैनिक गुटबन्दी जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। इससे यही प्रतीत होता है कि आक्रमण का खतरा होने पर आक्रमण के प्रतिवार का उपाय सोचा जाएगा। यह सन्धि भारत पर पाकिस्तान या अन्य किसी शत्रु देश के आक्रमण के विरुद्ध एक गारण्टी है। बहुत कुछ इस सन्धि के कारण ही अमेरिका और चीन दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध में उलझने से दूर रहे और अविष्य

मे भी यह सन्धि भारत और सोवियत सघ दोनों देशों के लिए रक्षा-कवच का काम देगी। यह समानता पर आधारित मैत्री-सन्धि है जिसकी चौथी धारा में सोवियत सघ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति का सम्मान करता है।

भारत-पाक युद्ध 1971 पर सोवियत प्रतिक्रिया—दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध में सोवियत सघ ने भारत को पूर्ण समर्थन दिया। सोवियत समाचार-पत्रों में श्रीमती गाँधी के उस भाषण को प्रमुखता प्रदान की गई जिसमें उन्होंने पूर्वी बंगाल का सकट हल करने के लिए वहाँ से पाकिस्तानी सेना की वापसी को आवश्यक बताया था। सुरक्षा परिषद में सोवियत सघ ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया जिसमें युद्ध-विराम और सेनाओं की वापसी की माँग की गई थी। बदले में सोवियत सघ ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी बंगाल की समस्या का राजनीतिक समाधान निकाला जाए। वीटो के उपरान्त सोवियत सरकार ने सभी देशों से अनुरोध किया कि वे भारत-पाक सघर्ष से दूर रहे और ऐसे कदम न उठाएँ जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति और भी जटिल बन जाए। सघर्ष को सीमित रखने का यह सोवियत प्रयत्न भारत के हित में था। 6 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक में अमेरिका ने पुनः भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको चीन ने पूर्ण समर्थन दिया। सोवियत सघ ने पुनः वीटो का प्रयोग कर इसे निरस्त कर दिया। भारत के पक्ष में सुरक्षा परिषद में रुस को पुनः तीसरी बार भी वीटो का प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार रुसी समर्थन के कारण सुरक्षा परिषद में पिण्डी-पैकिंग-वाशिंगटन चाल भारत का ग्रहित नहीं कर सकी। जब अमेरिका का सातवाँ वेडा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना हुआ तो सोवियत युद्ध-पोत भी हिन्द-महासागर की ओर चल पड़े ताकि अमेरिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। सोवियत चुनौती के कारण अमेरिका का भारत के विरुद्ध 'युद्ध-पोत राजनय' ब्यर्थ हो गया। भारत की एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषणा का सोवियत सरकार ने खुले दिल से स्वागत किया। इसे शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। सोवियत सघ ने एक लम्बे वक्तव्य में राष्ट्रों से अपील की कि वे स्थिति के सामान्यकरण में योग दें।

सहयोग का बढ़ता हुआ दायरा (1972-मार्च, 1977)—भारत-सोवियत मैत्री उत्तरोत्तर विकसित होती रही। बंगलादेश की समस्याओं के समाधान में दोनों देशों ने मिल-जुलकर काम करने की नीति अपनाई। शिमला-ममभौते को रुस ने अपना दूरा समर्थन दिया। अगस्त, 1972 में सुरक्षा परिषद में मयुक्त राष्ट्रसंघ की मददस्पता के लिए जब बंगलादेश के प्रार्थना-पत्र पर विचार हुआ तो भारत और रुस ने बंगलादेश को अपना पूर्ण समर्थन दिया। चीन के वीटो के कारण उस समय बंगलादेश को मददस्पता प्राप्त नहीं हो सकी। लगभग इसी समय एक भारत-सोवियत मयुक्त आयोग स्थापित करने का निश्चय हुआ जो आर्थिक क्षेत्र में दोनों के सहयोग को और अधिक व्यवस्थित कर सके। 2 फ़रवरी, 1972 को दोनों देशों के बीच

विज्ञान और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौता हुआ। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अभी तक विशेष रूप से पश्चिमी देशों से ही वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता रहा था।

दोनों देशों में सहयोग निरन्तर विकसित होता गया। 26 से 30 नवम्बर, 1973 तक नई दिल्ली में ब्रेझ्नेव-इन्दिरा भेंट के फलस्वरूप सम्बन्धों में काफी घनिष्टता आ गई। लाल किले में आयोजित अभिनन्दन समारोह में श्री ब्रेझ्नेव ने कहा—“हमारी पारस्परिक मैत्री एक पर्वतारोहण की भाँति है। हम जितने भी ऊपर चढ़ते जाते हैं, मैत्री की नई सम्भावनाएँ खुलती जाती हैं।” ब्रेझ्नेव ने दिल्ली-प्रवास के समय ही 29 नवम्बर, 1973 को दोनों देशों के बीच तीन ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनके द्वारा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने, दोनों देशों के योजना आयोगों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक दूसरे के मरकरारी प्रतिनिधियों को विशेष सुविधाएँ मुलभ कराने की व्यवस्था की गई। सोवियत नेता की यात्रा के फलस्वरूप भारत में भिलाई और वोकारो इस्पात कारखानों के विस्तार, मयुरा में तेल-शोधक कारखानों की स्थापना तथा मध्य प्रदेश में ताँबा परियोजना के निर्माण में सोवियत सहयोग प्राप्त हुआ। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सोवियत सहायता से भारत में 80 से भी अधिक औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं या चालू की जा रही हैं। अक्टूबर, 1974 में भारत-सोवियत व्यापार प्रतिनिधि मण्डल वार्ता मास्को में हुई। 1975-76 में भारत-रूस सम्बन्ध और विकसित हुए। कई प्रोपेगण्डा में सोवियत नेताओं ने गुट-निरपेक्षता आन्दोलन के महत्वपूर्ण कार्य की पुष्टि की और विश्व-शान्ति तथा सहयोग में गुट-निरपेक्षता आन्दोलन के अग्रदान के महत्व को मान्यता दी। भारत ने हेल्सिंकी में यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग के शिखर सम्मेलन के सफल समापन के लिए सोवियत सच तथा अन्य समाजवादी देशों के महत्वपूर्ण योगदान का स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि तनाव-शैथिल्य की भावना को स्थायी रखने तथा प्रभावी बनाने के लिए उसे विश्व के सभी भागों में फैलाना होगा।

भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, आर्यभट्ट सोवियत रॉकेट की सहायता में 19 अप्रैल, 1975 को सोवियत सप से छोड़ा गया। 1977-78 में सोवियत रॉकेट की सहायता से दूसरा भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने सम्बन्धी समझौते पर 22 अप्रैल, 1975 को हस्ताक्षर किए गए। कृत्रिम उपग्रह तथा अन्तरिक्ष खोज के पर्यवेक्षण के द्वारा एक अन्तरिक्ष अनुसन्धान सहयोगात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते पर नवम्बर, 1975 में कार्य शुरू किया गया। 1975 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग में भारी वृद्धि हुई। जनवरी, 1976 में दोनों देशों ने 1976-77 वर्षों के लिए कृषि एवं जन्तु-विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। सोवियत सप ने दिसम्बर, 1975 में चसनाला कोयला खान दुर्घटना में अल्पतः मृत्युवान और तात्कालिक

सहायता प्रदान की। 15 अप्रैल, 1976 को दोनों देशों के बीच 1976-80 की अवधि के लिए नए व्यापार-समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

21 अक्टूबर, 1977 को प्रधान मंत्री श्री देसाई ने अपनी रूस-यात्रा के समय मास्को में रात्रि-भोज के अवसर पर कहा—“दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को दृढ़ बनाने की हमारी परस्पर इच्छा समानता पर आधारित है न कि विचारधाराओं पर। दोनों ही राष्ट्र इस बात को मानते हैं कि हम विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता एवं सहयोग के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। हमारे प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू की 1955 में सोवियत संघ की अपनी प्रथम यात्रा के समय दोनों देशों ने सह-अस्तित्व और सहयोग के सिद्धान्तों पर अपनी सहमति की पुष्टि की थी। उस समय कई देशों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्या ऐसे दो राष्ट्र जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की भिन्नता है, प्रतिष्ठा, समानता और परस्पर विश्वास के आधार पर सम्बन्धों का विकास कर सकते हैं। आज के समय में इन सम्बन्धों को कायम रखना दो स्वामिनीय राष्ट्रों की परिपक्वता का उदाहरण है।”

26 अक्टूबर, 1977 के भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा-पत्र में, हिन्द-महासागर के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र की जनता की हिन्द महासागर की शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की इच्छा के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। हिन्द महासागर से सभी वर्तमान सैनिक अड्डों को समाप्त करने तथा नए अड्डों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने का आह्वान किया गया। 1978 में दोनों देशों के पारस्परिक आदान-प्रदान में और बढ़ोत्तरी हुई। रक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम ने मई, 1978 में सोवियत संघ की यात्रा की और सितम्बर, 1978 में विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस गए। मार्च, 1979 में सोवियत प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन भारत-यात्रा पर आए। संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर भारत-सोवियत संघ के सम्बन्धों को मजबूत करना दोनों देशों की विदेश नीति का मूलधार है। दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की भारत की पहल की सोवियत संघ ने प्रशंसा की। इस यात्रा के दौरान कई करारों तथा प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच सहमत सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का सम्बन्ध 10-15 वर्षों की अवधि के लिए आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध एक दीर्घावधि कार्यक्रम से था। सोवियत संघ कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी भारत को सहयोग देने पर सहमत हुआ—भारत के पूर्वी तट पर एक अल्पमिनिमम सत्र, कुछ विनिष्पन्न शोयला क्षेत्रों का संगठन और विस्तार तथा मिचाई के क्षेत्र में सहयोग। पेट्रोनिमम तथा-रसायन मंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने 28 मई से 2 जून, 1979 तक सोवियत संघ की यात्रा की। उन्होंने तेल अनुसन्धान तथा उत्पादन के क्षेत्र में भावी सहयोग के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 10 में

14 जून तक मोवियत सघ की यात्रा पर गए। सदुक्त वक्तव्य में भारत और सोवियत सघ के इस सकल्प को पुनः पुष्टि की गई कि दोनों देशों के आपसी सहयोग को और मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल इन दोनों देशों के हितों की रक्षा होती है अपितु इससे विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भी मदद मिलती है। भारत-सोवियत सयुक्त आयोग की जून में मास्को में हुई बैठक के दौरान सोवियत सहयोग से विशालापट्टनम् में एक इस्पात सयंत्र लगाने के लिए भी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्री कोनीगिन सितम्बर, 1979 में अपनी विदेश यात्रा के दौरान वम्बई रुके। भारत के राष्ट्रपति श्री सजीव रेड्डी ने अक्टूबर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में सोवियत सघ की यात्रा की। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव दिसम्बर, 1980 में भारत आए। आर्थिक और तकनीकी सहयोग के एक करार पर और तीन अन्य प्रलेखों पर हस्ताक्षर हुए।

ब्रेझ्नेव-तिखोवोव काल (अक्टूबर, 1980 से नवम्बर, 1982)

अक्टूबर, 1980 में 76 वर्षीय प्रधान मन्त्री कोसीगिन के अवकाश ग्रहण करने के बाद उनके स्थान पर निकोलाई तिखोवोव ने पद सम्भाला। 1981-82 के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों में और विस्तार हुआ तथा दोनों पक्ष 14 मार्च, 1979 के आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम में निर्धारित प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए निवृत्त महयोग से कार्य करते रहे। नवम्बर, 1981 में सोवियत तेल उद्योग मन्त्री की भारत यात्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। इस क्षेत्र में और महयोग के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें उन विनिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख था, जिनमें सोवियत सघ भारत की सहायता करेगा, विशेषतः समुद्र में तेल निकालने का कार्य। सितम्बर, 1982 में श्रीमती गाँधी सोवियत सघ की यात्रा पर गईं और इसे सोवियत-भारत मैत्री में 'एक और महत्त्वपूर्ण भू-चिह्न' माना गया।

यूरी आन्द्रोपोव-चेर्नेन्को काल (नवम्बर 1982-फरवरी, 1985)

दिसम्बर 1983 में वर्ष 1984 के लिये व्यापार में व्यापक वृद्धि पर महमति हुई। 1983-84 में विज्ञान, शिक्षा, मस्तिष्क जन-स्वास्थ्य और औषध के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग जारी रहा। विज्ञान एवं प्रांयोगिकी से सम्बन्धित उप-आयोग ने दिसम्बर, 1983 में नई दिल्ली में अपनी बैठक की और 1984-85 के लिए सहयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस अवधि में भारत की ओर से कई महत्त्वपूर्ण यात्राएँ हुईं।

अगस्त, सितम्बर 1984 में मास्को में भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा मास्को में प्रदर्शनी आयोजित की गई। अर्थ-व्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में लाभप्रद आदान-प्रदान हुआ। इस्पात एवं गान राज्य मंत्री जुलाई, 1984 में मास्को गए। भारत-रूस महयोग की अन्य महत्त्वपूर्ण घटना सयुक्त अन्तरिक्ष उद्यम थी जो अप्रैल 1984 में हुई। दोनों ओर से उच्च-स्तरीय यात्राएँ सम्पन्न हुईं।

गोर्बाच्योव काल (मार्च 1985 से)

सोवियत नेतृत्व की वागडोर 11 मार्च, 1985 को गोर्बाच्योव के हाथों में आई। गोर्बाच्योव के निमन्त्रण पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी 2 मई, 1985 को छः दिन की सोवियत सभ की यात्रा पर गए थे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि मानवता को परमाणुबिक विनाश से बचाने के लिए परमाणुबिक शस्त्रों को पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए और बाह्य अन्तरिक्ष का संव्यकरण तुरन्त रोकना चाहिए। हिन्द महासागर से सभी सैनिक भ्रष्टे हटाए जाने चाहिए और दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों में सभी तरह का बाह्य हस्तक्षेप रोकना जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने लेबनान से इजरायली सैनिकों की तत्काल पूर्ण वापसी तथा फिलिस्तीनियों और नामीबिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल दिया गया। 22 मई, 1985 को भारत-रूस में एक व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ।

1986-87 में सोवियत सभ के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर विकसित होते रहे। नवम्बर 1986 में गोर्बाच्योव भारत यात्रा पर आए। राजीव गांधी और गोर्बाच्योव ने महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर व्यापक और सोद्धान्तरीय विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने परमाणु शस्त्रों से मुक्त और अहिंसात्मक विश्व के सिद्धान्तों के बारे में दिल्ली-घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्वतन्त्रता, समानता, न्याय और अहिंसा पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए एक व्यापक नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

नई दिल्ली घोषणा पत्र, 1986—घोषणा पत्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु हथियारों को नष्ट कर देने की सयुक्त उत्कण्ठा थी। चार पृष्ठों के इस घोषणा पत्र में मानव जाति को परमाणुबिक शस्त्रों के बढ़ते खतरो के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने का आह्वान किया गया है।

सोवियत नेता ने हिन्द महासागर क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता के लिए चार-सूत्री फार्मूले का प्रस्ताव रखा—

1. सोवियत सभ व अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नौ-सेना में कटौती के प्रश्न पर पुनः बातचीत करें तथा अपने नौ-सैनिक व वायु सैनिक अभ्यासों की सूचना से एक-दूसरे को अवगत करायें।

2. हिन्द महासागर का उपयोग करने वाले सभी देशों के मध्य यह-पथीय बातचीत हो ताकि फारस की खाड़ी हरमुज व मल्लुबा जल उमरू मध्य सहित समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा प्राकृतिक साधनों पर तटवर्ती देशों की सार्वभौम मत्ता की गारण्टी दी जा सके।

3. हिन्द महासागर के ऊपर वायु यातायात की सुरक्षा व आतङ्कवाद की समाप्ति के बारे में एक बहुपक्षीय समझौता हो।

4. समुद्र तथा आकाश में (हिन्द महासागर सहित) आतङ्कवाद रोकने के लिए एक समझौता किया जाना चाहिए।

सोवियत नेता ने 1988 तक हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के संयुक्त-राष्ट्र-प्रस्ताव का भी समर्थन किया।

सोवियत नेता ने भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में तृतीय विश्व के देशों के अन्तरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण की सुविधा देने तथा अन्तरिक्ष यानों के लिए एक प्रेक्षक केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। उन्होंने इस अन्तरिक्ष केन्द्र की स्थापना के लिए विश्व के अन्य अन्तरिक्ष सुविधा सम्पन्न (विशेष रूप से अमेरिका) की मदद का भी आह्वान किया।

सोवियत सघ ने भारत को लडाकू विमान मिग-29, किलो व टागो श्रेणी की पनडुब्बियों केसिन श्रेणी के ड्रेस टायम व SMA-11 युद्ध टैंक TU-142 एयर क्राफ्ट, Mi-17 व Mi-29 हेलीकाप्टर इन्फैंट्री काम्बेट रीकल व बख्तर बन्द गाडियो के साथ-साथ AWAC की प्रतिपक्षी प्रणाली देने की घोषणा की।

भारत व सोवियत सघ के मध्य एक आर्थिक तकनीकी सहयोग से समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार सोवियत सघ भारत को 20 अरब रुपये (डेढ़ अरब डॉलर) का ऋण तथा भारत की अनेक परियोजनाओं में सहयोग देगा। करार के अनुसार उत्तर प्रदेश के टिहरी क्षेत्र में 2600 मेगावाट की परियोजना स्थापित करने, झरिया में 4 कोयला खानों के विकास, बोकारो इस्पात कारखाने का पुनर्निर्माण, पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बन की गहन खोज व खनन में सोवियत सहयोग प्राप्त होगा।

रूस के नेताओं ने थोल्का के जाफना क्षेत्र पर भारतीय विमानों द्वारा राहत सामग्री गिराना एक मानवीय कार्य बताकर भारत के पक्ष का समर्थन किया। भारतीय विदेश मन्त्री की यात्रा के दौरान जून 1987 में भारत और सोवियत सघ के बीच अनेक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। जिनके अन्तर्गत सोवियत सघ भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को ई सी 1061 माडल के तीन भू-भौतिकी कम्प्यूटर सिस्टम देगा। टिहरी ऊर्जा परिसर का निर्माण सोवियत सहयोग से करने के लिए जून के अन्त में एक अनुबन्ध किया गया।

जुलाई 1987 के आरम्भ में मास्को में भारत व सोवियत सघ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें 2000 ई. तक भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की व्यवस्था है। प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने अपनी दो दिवसीय मास्को यात्रा के दौरान रूस के नेता गोर्बाच्योव से अनेक विषयों पर विस्तृत वार्ता की।

भारत-रूस सम्बन्धों का मूल्यांकन

भारत तथा रूस दोनों के ही द्वारा परस्पर मैत्री में निरन्तरता बनाए रखने का कारण इस मैत्री में दोनों के राष्ट्र हितों की पूर्ति का होना है। भारत रूस से मैत्री रखने में आर्थिक और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से लाभान्वित होता है। रूस द्वारा भारत को सरल शर्तों पर आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है और अन्य उपकरणों की नवीनतम तकनीक प्रदान करने के अलावा

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को समर्थन प्रदान किया जाता है। भारत-रूस मैत्री मान भारत के ही राष्ट्रहित में नहीं है वरन् सोवियत संघ के भी हित में है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका धुरी एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करती है जिसमें रूस स्वयं को अकेला अनुभव करता है और उसे भारत की मैत्री की आवश्यकता पड़ती है। भारत के साथ रूस के अपने राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत-रूस सम्बन्ध दोनों ही देशों के हित में है किसी एक के हित में नहीं है।

भारत और पूर्वी यूरोप

पूर्वी यूरोप के साथ भारत के सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हैं और दोनों पक्षों के आर्थिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर विकास पर हैं। भारत और पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान होता रहता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की समीक्षा करने, सहयोग बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे को समझने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-बल्गारियाई मयुक्त आयोग का आठवाँ अधिवेशन सोफिया, बल्गारिया में 5 से 10 अक्टूबर, 1986 तक हुआ। इस अवसर पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें और अधिक सहयोग की सम्भावनाएँ निर्धारित की गईं और आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और विस्तृत करने तथा उनमें विविधता लाने के उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक अन्य प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और बल्गारिया के बीच जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग की एक योजना पर 29 अप्रैल, 1986 को हस्ताक्षर किए गए। बल्गारिया के विदेश व्यापार मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान मई, 1986 में 1986 की व्यापार योजना पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें 1985 में 87 करोड़ रुपये के वार्षिक कुल व्यापार की तुलना में 1986-87 में 148 करोड़ रुपये के सन्तुलित दो तरफा कुल व्यापार की व्यवस्था है।

प्रधानमन्त्री राजीव गांधी मैक्सिको में लौटते समय 10 अगस्त, 1986 को प्राग में रुके जहाँ उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्री स्तुगल के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में चेकोस्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सम्पर्कों में सतोपजनक रूप से प्रगति हुई। भारत के सूचना एवं प्रसारण मन्त्री जुलाई, 1986 में चेकोस्लोवाकिया गये तथा दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान के परिहार-सम्बन्धी एक करार पर 31 मई-जून, 1986 को हस्ताक्षर किए गए।

जर्मन सवीय गणराज्य के परिवहन उपमन्त्री श्री एच रेत्नेर फरवरी, 1986 में भारत आए और उन्होंने एक जहाजरानी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। जर्मन सवीय गणराज्य के उच्चतर एवं तकनीकी मन्त्री ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अनुसार 24 अगस्त से 4 सितम्बर, 1986 तक भारत की यात्रा की।

दोनों देशों ने अपने प्रमुख हित के कतिपय चुने हुए पण्यों के आयात और निर्यात को विवक्षित करने के लिए 1987-90 की अवधि के लिए एक दीर्घावधि व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। जिसमें 1987 के लिए 490 करोड़ रुपये की व्यापार योजना निर्धारित की गई। भारत और जर्मन गणराज्य के बीच दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार पर भी हस्ताक्षर हुए।

हंगरी के विदेश व्यापार मन्त्री 14 और 15 अप्रैल को भारत आए और द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर बातचीत की। 27 से 30 अक्टूबर, 1986 तक दिल्ली में भारत-हंगेरियाई संयुक्त आयोग के छठे अधिवेशन में भारत-हंगरी के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी की गहराई से समीक्षा की गयी। दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के राष्ट्रपति ज्ञानो जैलसिंह ने नवम्बर, 1986 में पोलैण्ड की सरकारी यात्रा की। आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-पोलिश संयुक्त आयोग का दसवाँ अधिवेशन 1 और 2 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में हुआ। इससे पहले वाणिज्य मन्त्री पी शिवशंकर की 22 और 23 फरवरी, 1986 की बारमा यात्रा के दौरान दीर्घावधि व्यापार एवं भुगतान करार पर हस्ताक्षर किए गए। 1987 के लिए भारत-पोलैण्ड व्यापार योजना में 1986 के लिए 451.3 करोड़ रुपये के दोतरफा कुल व्यापार की व्यवस्था की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री शिवराज पाटिल ने 9 से 13 जुलाई, 1986 तक पोलैण्ड की यात्रा की और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की। पोलिश पक्ष ने वट्ट में क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहयोग तेज करने में रुचि दिखाई। सांस्कृतिक विनिमय में नियमित, समन्वित और सम्बन्धित करने के लिए जून, 1986 में एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-रुमानिया व्यापार एवं आर्थिक औद्योगिक सहयोग की प्रगति 1986-87 के दौरान जारी रही। 1985 में 192.8 करोड़ रुपये की तुलना में 1986 में कुल व्यापार 300 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया। भारत और युगोस्लाविया ने विभिन्न क्षेत्रों में निक्ट, मैत्रीपूर्ण और बहुपक्षीय सहकारी द्विपक्षीय सयत्र विकसित हुए। युगोस्लाविया के प्रधानमन्त्री ने 28 जुलाई से पहली अगस्त, 1986 तक भारत की ओर भारत के राष्ट्रपति ज्ञानो जैलसिंह ने 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 1986 तक युगोस्लाविया की यात्रा की। इन यात्राओं से द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा पारस्परिक हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, जिसमें मुट-निरपेक्ष आन्दोलन शामिल है, के बारे में उच्चतम स्तर पर भारत और युगोस्लाविया के नेताओं के बीच विचारों के लाभप्रद आदान-प्रदान के अवसर मिले। दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवाएँ लागू करने के लिए सिविल विमानन सम्बन्धी एक करार जुलाई, 1986 में सम्पन्न हुआ। दोनों देशों के आकाशवाणी और दूरदर्शन सगठनों ने सहयोग सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर किए।

भारत और राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डल सदस्यता से लाभ

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत को विभिन्न प्रकार के ठोस लाभ प्राप्त होते रहे हैं। इनमें सदस्य-देशों के विशेषज्ञों के बीच व्यावसायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कानूनी और तकनीकी विषयों पर विचार और जानकारी का निरन्तर आदान-प्रदान शामिल है। इस प्रकार के लाभदायक सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण तकनीकी सहयोग के लिए 'राष्ट्रमण्डल निधि' की व्यवस्था है। भारत को इस राष्ट्रमण्डल निधि से तकनीकी सहायता तथा शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्यात बाजार विक्राम में उस राशि की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ मिला है जो भारत ने इसमें लगाई है। राष्ट्रमण्डलीय प्रतिष्ठान की, जो वैज्ञानिक और अन्य अनुसन्धानकर्ताओं के लिए व्यावसायिक आदान-प्रदान और विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है, भारत के लिए उपयोगी है। भारत प्रतिष्ठान के बजट में जो अनुदान देता है, उसने कहीं अधिक लाभ प्राप्त करता है।

राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क की उपयोगिता के अन्य उदाहरण राष्ट्रमण्डल दूर-संचार ममभीता, राष्ट्रमण्डल वायु-परिवहन परिषद् और राष्ट्रमण्डल वृद्धि ब्यूरो है। बरिष्ठ राष्ट्रमण्डल अधिकारियों के लिए शासन में व्यावहारिक अध्ययन का कोर्स अपनाना सम्भव है और सरकारी प्रशासन के सामान्य क्षेत्र में वे अनुभव का आदान-प्रदान भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक व कानून सम्बन्धी प्रारूप तैयार करने वालों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मंच

राष्ट्रमण्डल सदस्य-देशों के नेताओं को विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मंच प्रदान करता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रमण्डलीय मामलों में उनके बीच अधिक सद्भाव और सहयोग उत्पन्न होता है। एक बार इस छोटे, पर अपेक्षाकृत अधिक संगठित मंच पर आम सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अपेक्षाकृत बड़े अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा सकता है।

राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रमण्डल ने दक्षिण अफ्रीका और रोडेनिया की नस्ल की नीतियों का सुनकर और स्पष्ट रूप से विरोध किया है। राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलनों में भी दक्षिण अफ्रीका चर्चा का मुख्य विषय रहता है और भारत दक्षिण सरकार के विरुद्ध व्यापक अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाए जाने की माँग करता रहा है।

राष्ट्रमण्डल में भारत की भूमिका

राष्ट्रमण्डल के अधिवेगनों में भारत की भूमिका सर्वत्र महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में जो निर्णय लिए जाते रहे हैं उन पर भारत के विचारों की प्रायः गहरी छाप रही है। भारत ने राष्ट्रमण्डल देशों के बीच परस्पर सहयोग तथा गुट-निरपेक्ष देशों के बीच पारस्परिक एकरता पर बल दिया है ताकि आर्थिक

एक राजनीतिक सहयोग के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके और समानता तथा न्याय पर आधारित एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। भारत ने राष्ट्रमण्डल के सम्मेलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है और राष्ट्रमण्डल को एक उपयोगी मंच बनाने में सहयोग दिया है। राष्ट्रमण्डल के क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य परस्पर द्विपक्षीय सम्बन्धों को मुद्दब बनाने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में एकता और अखण्डता की भावना को विकसित करना होता है। भारत ने राष्ट्रमण्डल के स्वरूप का निर्धारण करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रमण्डल हम सबके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है अगर हम इसके मतिशील ढाँचे की उन्नत क्षमता का उपयोग बेहतर उद्देश्य के लिए करें। अनीपचारिक वातावरण में विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया राष्ट्रमण्डल की भावना का निचोड़ है।

राष्ट्रमण्डल के प्रति भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए श्रीमती गांधी ने नई दिल्ली में नवम्बर, 1983 के राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में कहा था—हम सच्चे अर्थों में एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं लेकिन जब तक सभी के हित समान नहीं होंगे इस प्रकार की परस्पर निर्भरता का कोई अर्थ नहीं होगा। राष्ट्रों तथा जनता के हितों की पारस्परिक समानता का लक्ष्य जो परस्पर निर्भर रहने वाले विश्व में अनिवार्य है, तभी सिद्ध हो सकता है जबकि हम न्याय और समानता पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करने में सफल हो जाएँ। उन्होंने शान्ति और सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण और विकास की प्रमुख समस्याओं की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा राष्ट्रमण्डल से आग्रह किया कि वह अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और वातचीत द्वारा विश्व की समस्याओं से निपटने के लिए बदलती हुई स्थितियों के बारे में सचेष्ट रह। परमाणु हथियारों के निरन्तर बढ़ते हुए भण्डार से उत्पन्न खतरे सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण, छोटे राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, शक्ति के अर्बुद प्रयोग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के मानदण्डों की उपेक्षा, विकासशील राष्ट्रों को प्रभावित करने वाली समस्याओं, जैसे मामलों पर भारत ने अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की। श्रीमती गांधी ने कहा कि हम सभी मामलों पर सहमत नहीं हो सकने किन्तु कुछ मामलों में आधार खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि राष्ट्रमण्डल को संयुक्तराज्य अमेरिका और मोबियत तथ से यह अनुरोध करना चाहिए कि वे निःशस्त्रीकरण बार्ता में गतिरोध दूर करें। प्रधानमंत्री ने स्वतन्त्र नीति को अनुसरण करने वाले छोटे देशों पर डाले जा रहे दबावों की चर्चा की और इन प्रवृत्तियों को अनुचित ठहराया।

अक्टूबर 1985 को नसाऊ राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में भी भारत ने अपनी छाप छोड़ी 1986-87 के दौरान विभिन्न विषयों में सम्बन्धित राष्ट्रमण्डल के क्रियाकलापों के माध्यम से भारत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। राष्ट्रमण्डल के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या दक्षिण अफ्रीका की स्थिति रही जिसमें विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पृथग्भावना का संपर्क और नामीबिया की आजादी का प्रश्न

शामिल है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण अफ्रीका पर नसाऊ समझौते की शर्तों के तहत लन्दन में 3 से 5 अगस्त 1986 तक हुई राष्ट्रमण्डल के नेताओं की समीक्षा बैठक में भाग लिया। प्रोटोरिया शासन पर और दबाव डालने के लिए आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध नसाऊ समझौते में वर्णित किए उपायों के अलावा तत्काल अतिरिक्त चयनात्मक उपायों के लगाए जाने पर सहमत हुए। अक्टूबर 1987 में भारत ने बैकुवर (कनाडा) के राष्ट्रमण्डल विश्व सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ

भारत उन देशों में से है जिन्होंने 1954 में सान फ्रान्सिस्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म से ही भारत उसके आदर्शों के लिए निरन्तर कार्य करता रहा है। भारत सदा इस बात का इच्छुक रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मंचे अर्थों में सारे नसार की प्रतिनिधि मस्था बने। इसी कारण उसने चीन की संयुक्त राष्ट्र में स्थान देने हेतु पक्ष लिया। भले ही चीन के साथ उसका क्षेत्रीय विवाद क्यों न हो संयुक्तराष्ट्र ने भारत के शान्ति स्थापना के कार्यों को सभी ने सराहा। कोरिया में भारत का मुख्य रूप से बीच दबाव का काम रहा। काँगो में भारत ने जो काम किया वह ठोस था वहाँ उसने संयुक्तराष्ट्र की अधीन पर अपने नैतिक भेजे। कुछ मिलाकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध, जातिवाद को घाघात पहुँचाने वाले प्रस्तावों का समर्थन संयुक्त राष्ट्रसंघ की उन अधीनों का सम्मान जो देश के हितों को घाघात न पहुँचाने वाली हो, तथा संघ के निःशस्त्रीकरण प्रयासों में योगदान करना रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध संस्थानों के कार्यरताओं में भी प्रचुर रूप से भाग लेता आया है। अन्तर्राष्ट्रीय धन संध, यूनोस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में उसकी विशेष रुचि रही है। भारत के प्रतिनिधियों ने संघ की विभिन्न शाखाओं तथा उनके विभिन्न आयोग और विशिष्ट समितियों में सक्रिय भाग लेकर देश के गौरव को बढ़ाया है। संयुक्तराष्ट्र महासभा में पारित अनेक सन्धियों का भारत प्रायोजक या सह-प्रायोजक रहा है। भारत का आग्रह रहा है कि सदस्य राष्ट्रमानवाधिकार और मौलिक स्वतन्त्रता में सम्बन्धित संयुक्तराष्ट्र चार्टर के उपबन्धों का पालन करे। महासभा में भारत अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों का विश्वनीय मित्र रहा है। अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों के कार्यक्रमों को तैयार करने में भारत न सदैव सक्रिय भाग लिया है।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जून 1968 में पेरिस में आयोजित दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अनुमोदित सम्मेलन, जुलाई 1986 में आयोजित नामीबिया को तत्काल स्वतन्त्र बराने से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नवम्बर, 1986 में संयुक्तराष्ट्र महासभा के विनेय अफ्रीका सम्बन्धी सम्मेलन में भारत ने सक्रिय भाग लिया।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत को मई 1986 में लंदन में आयोजित दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध शस्त्र प्रतिबन्ध के विषय पर सेमिनार में एक विशेष आमन्त्रित के रूप में बुलाया गया। लंदन में आयोजित इस सेमिनार के आधार पर आगे चलकर 1986-87 के दौरान सुरक्षा परिपद में आम सहमति से एक सकल्प पारित हुआ जिसका उद्देश्य उन समस्याओं पर ध्यान देना है जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र प्रतिबन्ध की खामियों और उसके उल्लंघन से सम्बन्धित हैं।

जातीय पृथक्वासन के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र विशेष समिति में भारत सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। संयुक्तराष्ट्र का यह एक ऐसा प्रमुख अंग है जो जातीय पृथक्वासन की नीति पर निरन्तर निगाह रखता है। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और मुक्ति आन्दोलन को सहायता, दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के विरुद्ध आदेशात्मक प्रतिबन्ध, खेलों के क्षेत्र में जातीय भेदभाव के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का दर्जा, जातीय भेदभाव के विरुद्ध समिति की कार्य योजना, जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए संगठित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों पर इजरायल और दक्षिण अफ्रीका के बीच सम्बन्धों के प्रश्नों पर समिति में तैयार किए गए छह प्रारूप-सकल्पों से भारत निकट से जुड़ा रहा। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तेल प्रतिबन्ध तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यायकोष से सम्बद्ध दो सकल्पों का प्रारूप क्रमशः नार्वे और स्वीडन ने तैयार किया था। ये सकल्प महासभा में बहुमत से स्वीकार किए गए। भारत ने इन सकल्पों के पक्ष में आवाज बुलन्द की।

नवम्बर 1986 में संयुक्तराष्ट्र महासभा ने नामीबिया के प्रश्न पर एक विशेष अधिवेशन बुलाया। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेशमन्त्री ने किया। इस विशेष अधिवेशन में इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि जब तक नामीबिया आजाद नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में संयुक्तराष्ट्र प्रत्यक्ष रूप में जिम्मेदार है। भारत नामीबिया सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र परिपद में सक्रिय हिस्सा लेता रहा और इस परिपद का उपाध्यक्ष रहा है।

दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक कार्यवाहियों को देखते हुए तथा उसके द्वारा अपनी पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की कार्यवाहियों के सन्दर्भ में सुरक्षा परिपद ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई बार बैठक की। मई 1987 में बोत्स्वाना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे पर दक्षिण अफ्रीकी आक्रमणों के बाद सुरक्षा परिपद में गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के समूह ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने की पुरजोर माँग की।

निकासगुहा के अनुरोध पर अक्टूबर 1986 की सुरक्षा परिपद की एक और बैठक हुई जिसका उद्देश्य यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप संयुक्तराज्य प्रवेश करने के लिए कहा जाय। इस बहस में भाग

लेते हुए भारत ने कहा कि कोन्टाडोरा शान्ति प्रक्रिया की सफलता के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है तथा कहा कि इस काम में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के पूरे-पूरे सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने सदस्य राज्यों से इस बात का आह्वान भी किया कि संयुक्तराष्ट्र चार्टर के अधीन वे अपने-अपने दायित्वों का पूरा-पूरा निर्वाह करें। संयुक्तराष्ट्र महासभा के 41वें अधिवेशन में भी मध्य अमरीका की स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया और बहुसंख्यक हस्तक्षेप करते हुए भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में बातचीत और पारस्परिक विचार-विमर्श के जरिए मुहम्मत की जड़त है। महासभा ने निकारगुआ द्वारा पारित एक अन्य संकल्प भी स्वीकार किया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। भारत ने इसका पक्ष लिया।

महासभा ने अपने 41वें अधिवेशन में अफगानिस्तान के सवाल पर विचार-विमर्श किया तथा एक संकल्प पारित हुआ। भारत ने इस अवसर पर कहा कि अफगानिस्तान समस्या को राजनीतिक समझौते के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है।

महासभा ने 20 और 21 अक्टूबर 1986 को बम्बूचिया की स्थिति पर विचार किया गया। भारत ने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि एक-तरफा संकल्पों के पारित करने तथा यथा-स्थिति को बनाए रखने की कोशिश से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं हो सकती जिनमें इस समस्या का शान्तिपूर्ण स्थाई समाधान निकल सके।

संयुक्तराष्ट्र महासभा में 1986-87 के दौरान अनेक संकल्पों में से एक यह प्रस्तुत किया गया कि दक्षिण अफ्रीका को परामर्शदायी पक्ष की सभी बंटनों से बहिष्कृत किया जाय। भारत ने इस संकल्प के पक्ष में जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार-विमर्श में भारत ने प्रभावी रूप में अपना दृष्टिकोण दोहराया। फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्माण के अधिकार के समर्थन की पुनः पुष्टि की गई जिसमें उनके लिए एक स्वतंत्र देश का अधिकार शामिल है। भारत ने इस बात का भी समर्थन किया कि संयुक्तराष्ट्र के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें घरेलू इजरायल से सम्बद्ध सभी पक्ष बराबरी के आधार पर शामिल हों—जिनमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, संयुक्तराज्य अमेरिका सोवियत समाजवादी गणराज्य संधि और अन्य सम्बद्ध राज्य शामिल हैं। इस सन्दर्भ में भारत ने सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत एक तैयारी समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें उसके स्थाई सदस्य भी शामिल हों ताकि इस सम्मेलन को बुलाने से सम्बद्ध आवश्यक कार्रवाही की जा सके।

महासभा के 41वें अधिवेशन में उपनिवेशों के सम्बन्ध में भारत अपनी परम्परागत स्थिति पर अडिग रहा और उसने खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी पर और इस सिलसिले में बातचीत पर विशेष रूप से बल दिया। उपनिवेशीय देशों और लोगों का स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंध घोषणा की

क्रियान्वित करने तथा उपनिवेशन से मबद्ध सूचना के प्रचार के विषयो पर भारत ने दो मुख्य प्रस्ताव सहप्रायोजित किए और इन दोनों ही प्रस्तावो को महासभा में स्वीकार किया गया। भारत ने दक्षिणी प्रशांत मच द्वारा प्रायोजित सकल्प का भी समर्थन किया जिसमें न्यूकलेडोनिया को सयुक्त राष्ट्र के गैरस्वशासी प्रदेशो की सूची में पुन शामिल करने की बात कही गई है। महासभा ने भारत के उस सकल्प को सहप्रायोजित किया जिसमें पश्चिमी सहारा क्षेत्र में तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया गया ताकि सयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी एकता संगठन के तत्वावधान में जनमत संग्रह की तैयारी की जा सके। भारत ने एक अन्य सकल्प का भी समर्थन किया जिसमें अर्जेन्टीना और युनाइटेड किंगडम की सरकारी से अनुरोध किया गया कि वे फाकलैण्ड द्वीप (मालनिवास) की समस्या के सभी पहलुओ पर विचार करने के लिए बातचीत पुन शुरू करे।

निःशस्त्रीकरण और भारत

1986 के दौरान भारत ने सभी बहुपक्षीय नि शस्त्रीकरण मचो में सक्रिय भाग लिया। नि शस्त्रीकरण सम्मेलन, सयुक्त राष्ट्र नि शस्त्रीकरण आयोग तथा सयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में भारत का यह मत रहा है कि इस परमाणुविक युग में नि शस्त्रीकरण शान्ति के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व को बचाकर रखने के लिए भी आवश्यक है।

भारत ने महासभा में नि शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक बार पहल की। भारत के दो प्रस्तावो को अत्यधिक बहुमत से स्वीकार किया गया जिनमें क्रमश परमाणुविक हथियारो पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उनके प्रयोग के निषेध से सम्बन्धित अन्तिममय को सम्पन्न कराने की अपील की गई थी। नयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृति नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में 65 अन्य प्रस्तावो में से भारत ने अधिकांश का समर्थन किया तथा ऐसे केवल कुछ ही प्रस्ताव हैं जिनमें मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अन्तर्राष्ट्रीय नि शस्त्रीकरण तथा विकास सम्मेलन न्यूयार्क में 24 अगस्त, से 11 मितम्बर, 1987 में हुआ। भारत ने तैयारी समिति का अध्यक्ष होने के नाते इस सम्मेलन का सयोजन सक्रियता पूर्वक किया।

भारत छ राष्ट्रों की पहल के जरिए नि शस्त्रीकरण प्रयास करता रहा। दिल्ली घोषणा के बाद छ राष्ट्रों ने प्रयास किया कि अमेरिका और सोवियत सघ सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षणो पर रोक लगा दें तथा वह रोक व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की दिशा में पहला कदम होगा।

फरवरी, 1986 में भारत सहित छ राष्ट्रों ने अमेरिका और सोवियत सघ को एक नदेश भेजा जिनमें इस बात के महत्व पर बल दिया गया था कि वह किन्ही टोस उपायो पर अपनी सहमति व्यक्त करें ताकि अगले शिखर सम्मेलन की बैठक में नाभिकीय हथियारो की होड पर रोक लगाई जा सके। साथ-साथ उक्त सन्देश में यह भी मुझाव दिया गया था कि तब तक एच-दूमरे को विश्वास दिलाने

के रूप में सभी नाभिकीय परीक्षणों को स्थगित रखा जाए। उन्होंने अक्टूबर, 1985 में नाभिकीय परीक्षण के स्थगन के साक्षात्कार के सम्बन्ध में जो पेशकश की थी उसे भी दोहराया।

छः राष्ट्रों के नेताओं की 6 अगस्त, 1986 को इक्सतापा मैक्सिको में पुनः बैठक हुई। सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षणों को समाप्त करने के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने नाभिकीय अस्त्रों वाले दो बड़े राष्ट्रों से अपील की कि नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने पर महमति व्यक्त करें तथा ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव रखें जो साक्षात्कार के लिए पर्याप्त सिद्ध हो।

नव वर्ष सन्देश (30 दिसम्बर, 1986) में छः राष्ट्रों के नेताओं ने एक बार फिर रूस और अमेरिका के नेताओं से अपील की कि वे अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने पर और भूमि पर इसे समाप्त करने पर तथा सर्वत्र नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने पर व्यापक बातों शुरू करें।

सितम्बर, 1986 में हरारे में गुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों के आठवें सम्मेलन में अमेरिका तथा रूस को निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अपील जारी की गई। उक्त अपील में नाभिकीय निरस्त्रीकरण सम्बन्धी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की बचनबद्धता को दोहराया गया था। बड़ी शक्तियों से नाभिकीय युद्ध को रोकने के लिए कारगर अपील की गई। उक्त अपील में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया कि नाभिकीय परीक्षणों पर स्थायी प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई करार किया जाय। भारत ने इस अपील का जोरदार समर्थन किया।

भारत के वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध

किमी भी देश के वैदेशिक सम्बन्ध उसका विदेश नीति का एक प्रमुख अंग, एक प्रमुख शाखा है। आर्थिक एवं व्यापारिक हित, विश्व के देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध, देश की विदेश नीति को विशेष दिशा में अनुप्रेरित करते हैं। भारत के वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की विविधता और उसके विकास के सम्बन्ध में विदेशमन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 का विवरण इस प्रकार है—

ढाका में हुए पहले 'सार्क' शिखर सम्मेलन के निर्णय के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सभ (सार्क) के मन्त्रियों की बैठक अप्रैल, 1986 में इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद बैठक का उद्देश्य एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थापना में सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मसलों पर सयुक्त स्थिति बनाना और प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी. ए. ए. टी.) के अन्तर्गत विश्व व्यापार पद्धति और उसमें मजदूरी मसलों में सुधार लाना था। बैठक में मुद्रा, वित्त, व्यापार, ऋण, औद्योगिककरण, कृषि आदि के क्षेत्रों के विभिन्न मुख्य मसलों पर, जिनमें बहुपक्षीय व्यापार समझौता (एम. टी. एन.) की एक सुनोकरण शामिल है, घोषणा पत्र अपनाया गया, जो

कि बाद की बैठकों में, जहाँ भी इस मसले पर विचार किया गया, बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

अमेरिका और जापान ने अन्य बड़े औद्योगिकृत देशों के समर्थन से 1983 से जी ए ए टी. में बहुपक्षीय व्यापार समझौते के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए पहल की। अमेरिका ने इस बात पर बल दिया कि प्रस्तावित नए दौर में सेवाएँ, बौद्धिक सम्पत्ति और व्यापार से सम्बद्ध निवेश के पहलुओं जैसे नए क्षेत्र शामिल होंगे। विकासशील देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उनके विचार से सेवाएँ आदि जैसे विषय जी ए टी के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। आठवें गुट-निरपेक्ष शिक्षक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विकासशील देशों को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई रियायतों में कोई सम्बन्ध न स्थापित किया जाए। सितम्बर, 1986 में जी. ए. टी. टी. के सविदाकारी पक्षों की उद्योगों में पुँटा डेल एस्टे में मन्त्रियों की एक विशेष बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों में कुछ विषयों पर सहमति हुई। मन्त्रियों की बैठक ने नए एम. टी. एन. दौर के सम्बन्ध में एक दो-तरफा दृष्टिकोण स्वीकार किया जो कि उद्योगों के कहलाएगा। जी. ए. ए. टी. के सविदाकारी पक्षों द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित व्यापार की बातचीत और जी. ए. टी. टी. से औपचारिक रूप से स्वतन्त्र किमी. अलग से एक मन्त्रियों की बैठक के प्राधिकार के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली व्यापार से सम्बन्धित सेवाओं पर बातचीत के बीच स्पष्ट अन्तर कर लिया गया है। अतः विकासशील देश सेवाओं पर बहु-पक्षीय बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं किन्तु विकसित देशों ने यह स्वीकार किया कि वे जी. ए. ए. टी. के सदस्य नहीं रहेंगे। पुँटा डेल एस्टे की बैठक में सरक्षणवाद को रोकने और परिवर्तित करने और व्यापार में विसंगतियों को हटाए जाने से संबंधित अपने संकल्प को व्यक्त किया गया। घोषणा-पत्र में वस्तुओं के बाजार के सामने प्राथमिक कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिलाया गया और ऋणग्रस्त देशों को उनकी देनदारियाँ को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया और मुद्रा, वित्त तथा व्यापार के परस्पर सम्बन्ध क्षेत्रों में विदेशी सिद्धान्त की पुनः पुष्टि किए जाने और विकासशील देशों के साथ बिना कोई पारस्परिक बातचीत के उन्हें लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अधिक अनुकूलतम व्यवहार करने के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर बल दिया गया।

विकासशील देशों में भागसी लाभ के लिए विकासशील देशों के बीच निवृत्ततम आर्थिक सहयोग से लाभ प्राप्त करने की जानकारी बढ़ रही है। विश्व के आर्थिक वातावरण में लगातार गिरावट को देखते हुए विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई. सी. डी. सी.) की धारणाओं और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विकास से सम्बन्धित मुख्य मामलों पर उत्तर-दक्षिण की बातचीत की प्रगति में हुई वृत्ति से तत्कालिकता बढ़ी है। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग क

एक मुख्य घटनाक्रम यह है कि पिछले 5 वर्षों में कराकस कार्यवाही योजना (सी. पी. ए.) के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1986 में काहिरा में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर हुई दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करना और इस प्रयोजन से 77 ग्रुप के पास उपलब्ध तकनीक को मुधारने में वकाया दशक के भावी कार्यों के लिए हिदायतों को दिया जाना है। बैठक में विकासशील देशों के लाभ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की पुनः संरचना किए जाने के लिए विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग की एक अपरिहार्य माध्यम के रूप में प्रासंगिकता की पुनः पुष्टि की गई और दक्षिण-दक्षिण सहयोग द्वारा अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं में सुधार लाए जाने के लिए किए गए प्रयासों की प्रमुख भूमिका को दोहराया गया और सामूहिक आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी विकासशील देशों की राजनीतिक वचनबद्धता पर बल दिया गया और इस प्रयोजन से विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अपने प्रयासों को विस्तृत और तीव्र करने को कहा गया। काहिरा बैठक ने दो दस्तावेजों को अनुमोदित किया। (1) विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई. सी. डी. सी.) पर काहिरा घोषणा-पत्र और (2) उच्च स्तरीय बैठक की रिपोर्ट। घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई कि निश्चित अवधि के अन्दर क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं के चयन के लिए प्राथमिकताएँ विनिर्दिष्ट की जाएँ। यह भी सुनिश्चय करने का निर्णय लिया गया कि विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई. सी. डी. सी.) स्व-उत्पादक और स्व-वित्तपोषक बने। बैठक की रिपोर्ट में कराकस कार्यवाही योजना के क्रियान्वयन, सहायक यान्त्रिकी और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई. सी. डी. सी.) ट्रस्ट निधि की समीक्षा की गई। अन्तर-सरकारी अनुपूर्ति कार्यवाही और समन्वय समिति (आई. एफ. सी. सी.) के अन्तर्गत सत्र में सीपीए उसके क्रियान्वयन को और बढ़ाने की दृष्टि से क्षेत्रीय समीक्षा शुरू करेगा। सी. पी. ए. के अन्तर्गत एक मूल रूप में शुरुआत व्यापार तरजीही की विश्वव्यापी पद्धति (जी. एस. टी. पी.) है।

व्यापार तरजीह की विश्वव्यापी पद्धति की स्थापना ही जायद ई. सी. डी. सी. द्वारा की गई बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। भारत ने जुलाई, 1985 में दिल्ली में व्यापार तरजीही में विश्वव्यापी पद्धति (जी. एम. टी. पी.) के विषय पर मन्त्रियों की एक बैठक की मेजबानी की जिससे इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति मिली। बैठक में जी. एस. टी. पी. की शुरुआत किए जाने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित करने पर सहमति हुई। इसके परिणामस्वरूप ब्राजील में मई, 1986 में अन्तर-मन्त्रियों के स्तर की एक बैठक हुई जिसमें जी. एस. टी. पी. की वानचीत का दौरा शुरू हुआ।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के तहत भारत के विकासशील देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने तथा इसमें वृद्धि किए जाने के प्रयास

जारी है। जिसके लिए भारत पूर्णतः वचनबद्ध है। बहुपक्षीय स्कीमों जैसे कोतम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता के अलावा विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रचालित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के माध्यम से विकासशील देशों को द्विपक्षीय सहायता प्रदान की गई। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई. सी) कार्यक्रम की शुरुआत 1964 में 4.46 लाख रुपये के परिचय से हुई और ये निरन्तर बढ़कर विगत वर्षों में 1986-87 में 9 करोड़ रुपये हो गया ताकि एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लगभग 60 देश इसके अन्तर्गत आ जाएँ।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई. सी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी सहयोग का मुख्य रूप भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों को तैनात करना, व्यवहार्यता और तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों को शुरू करना, विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डलों के दौरो का प्रयोजन करना, कार्यशालाओं और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना और उपकरणों की आपूर्ति करना शामिल है।

पिछले वर्षों की तरह 1986-87 के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त भारतीय नर्सानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के नामांकित छात्रों के लिए 700 स्थान निर्धारित किए गए और लगभग 150 भारतीय विशेषज्ञों को विनासर्जालि देशों में कम अथवा लम्बी अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

1986-87 के दौरान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) के कुछ अन्य क्रियावलाप अग्रलिखित रहे हैं—चूने और चावल के धान के प्रयोग द्वारा सीमेन्ट के उत्पादन में परामर्श प्रदान करने के लिए पनामा को सीमेन्ट और इमारती सामग्री के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद् के दो-सदस्यीय एक दल का दौरा निवारानुष्ठा को भारतीय सहायता के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एक सरकारी तकनीकी-आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल का दौरा, मरीजों के टलाज के लिए यमन लोक जनवादी गणराज्य को एक तीन-सदस्यीय चिकित्सा विनेपज्ञों के दल (ग्रुप—1) का दौरा, और वियतनाम में दो सप्ताह की अवधि के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें से प्रत्येक को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के एक दल द्वारा आयोजित किया जाएगा। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान के दो-सदस्यीय एक दल द्वारा अगुलिय में एक छह माप्ताहिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वियतनाम के दो प्रतिनिधिमण्डलों ने चाबन की मेनी और भैंसों के प्रजनन के सम्बन्ध में समुक्त अनुसन्धान कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया। दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लघु उद्योग के क्षेत्र में और भारतीय वैज्ञानिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए। मारीनाम से एक दो-सदस्यीय दल ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण के सभ्हालयों का अध्ययन करने और मारीनाम में जातीय सभ्हालय स्थापित करने के

सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दौरा किया। अफगानिस्तान, मारीशस और वियतनाम को इन देशों के संयुक्त प्रायोगिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई। एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र की अफ्रीका आर्थिक प्रायोगिक (ई सी ए) के तत्वाधान के अन्तर्गत डक्कर में स्थापना की गई।

भारत का विदेश मन्त्रालय, विदेशी सरकारों की द्विपक्षीय आधार पर भारतीय विज्ञापनों की भर्ती कराने में भी सहायता करता है।

हिन्द महासागर और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तथा भारतीय सुरक्षा

भारत की सुरक्षा एवं रक्षा के सन्दर्भ में हिन्द महासागर का अर्थ एक विशिष्ट स्थान है। भारत के राष्ट्रीय हित इस हिन्द महासागर से भी जुड़े हुए हैं। विश्व राजनीति में हिन्द महासागर का अत्यधिक महत्त्व है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले इसके अधिनाश तटीय क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा था एव तब इसे ब्रिटेन की भीम कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नौ सेना के महत्त्व में वृद्धि हो जाने के कारण विश्व के राजनीतिज्ञों की दृष्टि हिन्द महासागर पर जा टिकी। तभी से हिन्द महासागर का महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया। पिछले कई वर्षों से विश्व की बड़ी शक्तियों का तूफान हिन्द महासागर की तरफ है। बहुत समय पहले अमेरिकी लेखक एल्फ्रेड थेयर माहन ने कहा था कि—'इकतीसवीं शताब्दी में दुनिया के भाग्य का फैसला समुद्रों से ही होगा।

हिन्द महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। यह 10,400 कि.मी. चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 30° दक्षिणी अक्षांश से लेकर 40° दक्षिण अक्षांश तक एव 26° पूर्वी देशान्तर से 115° पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। इस विमान जल-क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण द्वीप जैसे मेडागास्कर, मारीशस, श्रीलंका, भारत के अण्डमान-निकोबार और लक्षद्वीप, क्रिसमन एवं मालदीव आदि हैं। पूर्व की तरफ निगापुर एक महत्त्वपूर्ण टापू है। भौगोलिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण मोजीका द्वीप तथा फारम की खाड़ी के निकट बहरीन द्वीप समूह है।

अग्नेयों के अन्वय से लेकर 1964 तक हिन्द महासागर पर ब्रिटेन का लगभग पूर्ण अधिकार रहा। 1964 में ब्रिटेन ने यह निश्चय किया कि वह इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को सीमित करेगा। ब्रिटेन के इस निर्णय ने अमेरिका को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रामाण्य प्रेरित किया। वस्तुतः हमें अमेरिका की नीति यही रही कि जहाँ-जहाँ ने ब्रिटेन हटे वहाँ-वहाँ उसे पहुँच जाना चाहिए। इन मामलों की गुरुत्वान उस समय हुई जब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मारीशस से अर्धस्थानिक ढंग से अलग करके डियागो-गामिया द्वीप को 2016 तक के लिए अमेरिका को पट्टे पर दे दिया। इसके बाद हिन्द महासागर का पानी गर्म होना प्रारम्भ हो गया।

महाशक्तियों का संघर्ष

अमेरिका—हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति के लक्ष्य प्राप्ति का प्रकार है—

(1) तेल एवं अन्य कच्चे माल के स्रोतों पर सुदृढ़ नियन्त्रण स्थापित करना ।

(2) अरब एवं अफ्रीकी देशों में व्याप्त एकता को तोड़ना ।

(3) बड़े-बड़े सैनिक शक्ति की शृंखला द्वारा हिन्द महासागर को प्रशान्त व एटलांटिक महासागरों से जोड़ना एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु-मार्गों एवं जल-मार्गों पर नियन्त्रण स्थापित करना ।

अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमेरिका, सतत् रूप से प्रयत्नशील है । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने एक बड़ी शक्ति के रूप में साम्यवाद के प्रचार व प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पूरे विश्व में सैनिक शक्तियों की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटेन द्वारा डियागो-गार्सिया द्वीप को पट्टे पर देने के बाद अमेरिका ने इसे आधुनिकतम नौ-सैनिक तथा वायु सैनिक शक्तियों के रूप में विकसित कर लिया है । अमेरिका के 50 से भी अधिक युद्धपोत हिन्द-महासागर तथा अरब सागर में विचरण करते रहे हैं । सम्पूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका तथा उसके मित्र देशों के करीब 29 सैनिक शक्तियों पहले से ही हैं । हिन्द महासागर में अमेरिका के आगमन व शक्तियों के निर्माण का उद्देश्य वस्तुतः अमेरिकी शक्तिक्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थलों—स्वेज नहर, मलक्का, केप ऑफ गुड होप आदि क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है । अमेरिका ने हिन्द महासागर को तथा विशेषतः फारम की खाड़ी एवं अरब सागर क्षेत्र को अपने महत्वपूर्ण हितों का क्षेत्र घोषित कर दिया है । केवल फारम की खाड़ी में 40 से भी अधिक अमेरिकी लडाकू पोत गश्त लगा रहे हैं । अमेरिका का दावा है कि हिन्द महासागर में उसकी नौ-सेना की उपस्थिति से इस क्षेत्र की सुरक्षा को बल मिला है एवं यहाँ पर आबिगत्य स्थापित करने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगी है । एक अमेरिकी प्रवक्ता डेविड एडमण्डसन का कहना है कि हिन्द महासागर से महाशक्तियों की सेना को हटाए जाने से न केवल आधारभूत अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन होता है बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक सैन्य असन्तुलन के उभर जाने का खतरा है ।

वास्तव में अमेरिकी नीतियाँ हिन्द महासागर के तटीय देशों के हितों के विरुद्ध तथा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को आपस में भिड़ाने वाली है ताकि इस क्षेत्र में उसकी चौधराहत बनी रहे ।

सोवियत संघ—हिन्द महासागर में पदापेक्ष करने वाली दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ है । सोवियत संघ के पास इस क्षेत्र में जियासो-सोवियत जैसा कोई शक्ति नहीं है फिर भी उसके पोत इस क्षेत्र में निर्बाध गति में चल रहे हैं । हिन्द महासागर के तटीय देशों में मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए रूस औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक सहायता देकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है । हिन्द महासागर में रूस का प्रथम सैनिक प्रवेश 1967 में हुआ जब उसने अमेरिकी जहाजी बेड़े पर निगरानी रखने के लिए अपने कुछ जहाज भेजे थे । हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में केन्द्रीय

को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर उनका पलड़ा भारी है। हिन्द महासागर के 6 अफ्रीकी द्वीप देशों में नै मेडागास्कर एवं सेशेल्स द्वीप सोवियत संघ के प्रभाव में हैं। कमारो व जिबूती में भी सोवियत प्रभाव व्याप्त है। सोमालिया में बारबेरा के पास सामरिक सचररा स्टेशन स्थापित कर लिया है। खबर है कि सोवियत संघ ने अपना एक प्रडा भी बना लिया है जो परमाणु शक्ति-सम्पन्न विध्वंसकों से लैस है एवं इसमें लगभग 20 जहाज हैं। सोवियत संघ ने हिन्द महासागर में परमाणुध्वंसित पनडुब्बियों इलेक्ट्रॉनिक मनुसारे पोत एवं युद्धपोत भी रख छोटे हैं। ऐसा करके वह अमेरिका की घेरेबन्दी को तोड़ने पर आसादा है। दक्षिणी यमन का मोरोवा उनके युद्धपोतों के ठहरने का महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह बन गया है।

वास्तव में सोवियत संघ बातों से काफी चिन्ताग्रस्त है। पहला यह कि हिन्द महासागर में अमेरिका द्वारा तीव्र कार्यवाहियों से उसे अपने हित असुरक्षित दिखलाई दे रहे हैं। दूसरा तथा अधिक महत्त्वपूर्ण कारण है कि उत्तर-पश्चिम हिन्द महासागर में अमेरिकी नौसेना की निरन्तर उपस्थिति—वह भी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों व पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों सहित वह सोवियत संघ के लिए वास्तविक खतरा पैदा करती है क्योंकि अनेक सोवियत नगर व बन्दरगाह अमेरिकी प्रहार-क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। इन्हीं दोनों कारणों से वह मिश्रित रणनीति अपनाए हुए है। इसके अनुसार एक तरफ तो अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में शक्ति-सन्तुलन बनाए हुए है। दूसरी तरफ वह तटवर्ती देशों की दस मांग का कि हिन्द महासागर में अमेरिका की उद्दण्डतापूर्ण योजनाएँ नमान्य की जाएँ एवं इन्ने ज्ञान्ति क्षेत्र बनाया जाए, का समर्थन भी करता है ताकि यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डाला जाए व इस क्षेत्र में बहने वाली हवा में सोवियत समर्थक गंध भरी जा सके। आज स्थिति यह है कि उसके भी लगभग 50 युद्धपोत इस क्षेत्र में मण्डरा रहे हैं। रुम विश्व का यह दर्शना चाहता है कि उसके पास भी एक विश्व-व्यापी सामुद्रिक शक्ति है।

चीन—चीन इस क्षेत्र में रुम के प्रभाव से चिन्तित है। उसे भय है कि कहीं सोवियत संघ स्थल मार्ग के अलावा जलीय मार्ग को भी अवरुद्ध न कर दे। इसीलिए उसने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में लिए गए कश्मीर क्षेत्र में चीन से कराची जाने वाली सड़क बना ली है। अब यह तजानिया, जॉर्जिया, जर्जीवार में नौ-सैनिक प्रस्टे बनाना चाहता है।

जापान—जहाँ तक जापान का सम्बन्ध है, उमने अभी तक अपने व्यापारिक समुद्री वेडों का ही बिकाम किया है। वह भारत व अन्य तटवर्ती देशों से मन्त्रि व अन्य कच्चा मान आयात करता है एवं वह इन देशों को अपना औद्योगिक माल निर्यात करने की भी इच्छा रखता है। अतः कालान्तर में वह भी अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए सैनिक गतिविधियाँ बढ़ाने की बात पर गम्भीरता से विचार कर सकता है। इस महासागर में अब आस्ट्रेलिया ने भी अपने युद्धपोत रखने की घोषणा कर दी है।

फ्रांस—फ्रांस हिन्द महासागर का पुराना खिलाडो रह चुका है अतः वह महाशक्तियों पर-नजर रखते-हुए दो तरह से कार्य रहा है। एक तो खाडी-क्षेत्र में युद्धोपयोगी शस्त्रो के सौदागर के रूप में, दूसरे अपने अड्डो के संरक्षक के रूप में। फ्रांस के पास जिबोरी, रियूनियर, क्रोजेट, एम्बर्टडम एव कण्डलेन, आदि सामरिक अड्डे हैं।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रयास

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की सैन्य उपस्थिति रहे, बाह्य शक्तियों के सैनिक अड्डे तथा प्रतिद्वन्द्विता की समाप्ति हो, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सामुद्रिक स्वतन्त्रता हो और शान्ति क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त हो। हिन्द महासागर में महाशक्तियों की घुसपैठ का राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर विरोध किया जाता रहा है। सर्वप्रथम भारत ने विरोध का झण्डा खड़ा किया और धीरे-धीरे अन्य तटवर्ती देशो ने भी स्थिति की गम्भीरता आंकते हुए हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के लिए आवाज उठाई।

सबसे पहले लुसाका में सन् 1970 में आयोजित तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत ने इसे शान्ति क्षेत्र घोषित करने की मांग की। मारीशस, बंगलादेश, श्रीलका ने भी इसका समर्थन किया। यही भावना 1976 में श्रीलका में हुए पाँचवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में व्यक्त की गई। परन्तु विभिन्न प्रस्तावों के बावजूद महाशक्तियों का खेल जारी रहा। मार्च, 1979 में इस के प्रधानमन्त्री कोसीगिन ने भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ इस बात पर पूर्ण सहमति व्यक्त की कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखा जाय। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कोई अड्डा न बनाने का वचन दिया परन्तु साथ ही वह भी कहा कि जब तक अमेरिका भी ऐसा कोई वायदा नहीं करता, शान्ति की सम्भावना सदिग्ध है। अमेरिका फिलहाल ऐसी किसी सम्भावना में इन्कार करता है।

यह कहा जा सकता है कि हिन्द महासागर में बड़े देशों के अपने-अपने हित एव स्वार्थ है एव इनकी पूर्ति के लिए वे इस क्षेत्र में अब अधिक सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका एव सोवियत सघ जैसे बड़े देशों का प्रत्यक्ष घ्येय अपने राजनीतिक प्रभावों के क्षेत्र में अधिक से अधिक विस्तार करने का ही है एव यदि तटवर्ती देश उनकी हानि में हानि मिलाने से इन्कार कर दे तो वे इन पर सैनिक दबाव डालने की स्थिति में भी हैं। वे महाशक्तियाँ ऐसा अपने राष्ट्रीय हितों की आड में ही कर रही हैं। चीन तो वस्तुतः एक छोटी मछली के समान ही है जिसकी न तो कोई विशिष्ट छवि ही है एव न ही एक प्रभावी सैनिक शक्ति। हाँ, भारत जैसे देशों के लिए जिसकी सीमाएँ इस महासागर से मिलती हैं, वह सीधा खतरा उत्पन्न करने की स्थिति में अवश्य है। ब्रिटेन-फ्रांस व अस्ट्रेलिया जैसे देशों की भूमिकाएँ स्वतन्त्र रूप में न होकर महाशक्तियों ही हो सकती हैं। यदि इस महासागरीय क्षेत्र में राजनीतिक एव सैनिक प्रतिद्वन्द्विताओं को कुछ वर्षों के लिए अलग कर दिया जाय फिर भी यह कहा

जा सकता है कि इस क्षेत्र में विद्यमान असीम प्राकृतिक सम्पदा के दोहन का आकर्षण ही इन बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। अतः यह कहा जा सकता है कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के बीच जो संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा है वह न केवल पूर्ववत् कायम ही रहेगा वरन् उसमें तीव्रता होने की भी सम्भावना है।

भारत के लिए हिन्द महासागर का महत्त्व

इस महासागर का नामकरण इस बात को सिद्ध कर देता है कि इससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिश्ता भारत का ही है। भारत एक प्रायद्वीप है जिसे तीन तरफ से हिन्द महासागर विस्तृत रूप से घेरे हुए है। भारत की तटीय रेखा हिन्द महासागर ही निर्धारित करता है। प्राचीन काल से ही भारत का इतिहास इस महासागर से सम्बद्ध रहा है।

भारत के लिये हिन्द महासागर के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के आधार पर आँका जा सकता है—

(क) हिन्द महासागर पर किसी विदेशी शक्ति के प्रभुत्व का सीधा प्रभाव भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। अतः उसे अपने राष्ट्रीय हितों व अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इस महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए।

(ख) भारत अपने लगभग 3535 मील लम्बे तटीय क्षेत्र की समुचित रक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से इस महासागर की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत पर तीन दिशाओं में समुद्री आक्रमण की सम्भावना बनती है।

(ग) यह सत्य है कि अब तक भारत पर अधिकांश आक्रमण स्थल से ही होते रहे हैं फिर भी आज इस समुद्र में सशस्त्र आक्रमण की सम्भावनाएँ सर्वाधिक हैं क्योंकि यह बड़े देशों की सैनिक प्रतिद्वन्द्विता का अखाड़ा बन गया है। ये शक्तियाँ भारत के मर्मस्थल को भेदने की क्षमता रखती हैं।

(घ) हिन्द महासागर में स्थित द्वीपों का भी अपना एक सामरिक महत्त्व है। अतः भारत को अपने 1200 से भी अधिक द्वीपों की कारगर तरीके से रक्षा करने के साथ-साथ अपने 200 समुद्री मील तक के आर्थिक क्षेत्र की भी रक्षा करनी है।

(ङ) भारत का अर्थी प्रतिशत से भी अधिक व्यापार इसी समुद्री मार्ग से ही होता है एवम् इसी के माध्यम से उसका लगभग 130 देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। अतः उसे अपने इस व्यापार की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

(च) भारत के लिए तो इस महासागर का महत्त्व सर्वाधिक है ही परन्तु चालीस से अधिक तटवर्ती देशों के लिए भी यह अत्यन्त महत्त्व का है। भारत के इन तटवर्ती देशों के साथ इसी महासागर के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक एवम् व्यापारिक सम्बन्ध कायम है इसलिए वे तटवर्ती देश सहज ही भारत से इस क्षेत्र में शक्ति बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। अतः हिन्द महासागर पर प्रभाव तथा नियन्त्रण न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में ही अपरिहार्य है वरन् ऐसा अन्य तटवर्ती देशों की रक्षा के लिए भी जरूरी है।

भारत अपने सांभुद्रिक मार्गों के विकास के लिए हिन्दमहासागर पर आश्रित है क्योंकि तीन तरफ से भारतीय तटों का स्पर्श हिन्दमहासागर ही करता है। हिन्दमहासागर के अतिरिक्त किसी अन्य सागर पर भारत अपने बन्दरगाहों के लिए अवलम्बित नहीं हो सकता। भारत का 85 प्रतिशत से भी अधिक व्यापार समुद्र द्वारा सम्पन्न होता है। तटवर्ती देशों में भारत की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बाद वही सबसे बड़े क्षेत्रफल और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के सामने यह गम्भीर समस्या है कि वह हिन्द महासागर में महाशक्तियों की घुसपैठ को यथाशक्ति रोके। भारत अपने बलबूते पर तो ऐसा करने की क्षमता नहीं रखता परन्तु वह घुसपैठ के स्तर में अन्य देशों के सहयोग से थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य ला सकता है।

महाशक्तियों का प्रवेश रोकने के उपाय

(1) हिन्द महासागर के तटवर्ती देश अपना एक म्रलग संगठन बना कर यह निश्चय करें कि अपने यहां इन शक्तियों का कोई सैनिक झंडा नहीं रहने देंगे। वस्तुतः यह अत्यन्त दुष्कर काम है फिर भी यदि सम्भव हो जाए तो इतना तय है कि हिन्द महासागर में महाशक्तियों के प्रवेश का द्वार बन्द हो जाए।

(2) दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका में अपने पक्ष का प्रचार करके प्रबल जनमत बनाया जाए एव जनमत के माध्यम से उन देशों की सरकारों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि वे हिन्द महासागर में घुसपैठ न करें।

यह कहा जा सकता है कि ईरान से लेकर इण्डोनेशिया तक के हिन्द महासागरीय क्षेत्र में यदि किसी देश की विशिष्ट स्थिति है तो भारत की ही है। इस सम्बन्ध में इनकार नहीं किया जा सकता कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद से भारत दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से एक प्रादेशिक सत्ता या शक्ति के रूप में उभर चुका है। जरूरत इस बात की है कि वह अपने प्रभाव को दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पश्चिम एशिया तक बढ़ाए।

समय रहते ही यह ईरान-ईरान युद्ध समझौते नही हो जाता तो बरी, अफ़्ग़ानिस्तान, इस स्थिति से अनुचित लाभ उठा सकती है एव जिसका प्रभाव हिन्द महासागर की मोर्चाबन्दी पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि भारत समूचे हिन्द महासागर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता के लिए निरन्तर प्रयास करे।

भारत महाशक्तियों के घेरे में : एक विश्लेषण

इतिहास के इस साक्ष्य को यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता है कि भारतीय जन-जीवन पर बार-बार आने वाले वे सकट आज भी टले नहीं हैं।

विश्व की महाशक्तियों में अब भी होड़ है कि भारत किसके प्रभाव में रहे। अतः हम कह सकते हैं—भारत आज विश्व की महाशक्तियों के धरे में है। उसके चतुर्दिग ऐसे जाल बिछाए जा रहे हैं ताकि वह किसी न किसी महाशक्ति की शरण में जा जाए। अतः इस कूटनीतिक और सामरिक परिवेश पर एक दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है।

सीमा और पड़ोसी—भारत की पश्चिमी सीमा जहाँ पाकिस्तान से जुड़ती है, वही पश्चिमोत्तर से उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा तक चीन का विस्तार है। नेपाल और भूटान अवश्य ही दो स्वतन्त्र राष्ट्र हैं, किन्तु नेपाल सैनिक शक्ति नहीं है। वह यदि भारत का शत्रु नहीं है, तो कोई बड़ा मित्र भी नहीं।

रही भूटान की बात, वह भारत का सहयोगी देश है। चीन की नजर उस पर भी है, लेकिन भूटान की प्रतिरक्षा का भार भारत पर है अतः चीन सहमा हुआ है।

पूर्व के दो पड़ोसी बर्मा और बंगलादेश चीन तथा महाशक्तियों के साथ अपने समीकरण जमाए हुए हैं। भारत की दक्षिणी सीमा पर श्रीलंका का विशेष महत्त्व है जिसका झुकाव अमरीका की ओर रहा है।

भारत की सामरिक स्थिति और पाकिस्तान—पाकिस्तान भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया है। अमेरिका से मिलने वाली सारी सहायता पाकिस्तान के अनुसार अफगानिस्तान सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से प्राप्त हो रही है, किन्तु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान भारत की सामरिक घेबरेन्दी में अमेरिका की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सीमा पश्चिमोत्तर भारत (जम्मू-कश्मीर सीमा) से लेकर अरब सागर तक फैली है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसे सबेदनशील प्रदेशों में आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ जारी रहनी है। तस्करी और विध्वंसकारी गतिविधियों का पाकिस्तानी जाल भारतीय सीमा पर इतना विशाल और जटिल है कि उसे बेध पाना भारतीय सीमा-सुरक्षा बल के लिए भी कठिन पड़ रहा है। थार के रेगिस्तान का विस्तार घुसपैठ के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है इसी तरह कच्छ की नमुड़ी सीमा भीपण दल-दल और अन्धे वनराजि का क्षेत्र है। अतः उसको भी पार पाना कठिन हो जाता है। ये मारे ऐसे आधार हैं, जो सामरिक दृष्टि से भारत के विरुद्ध पड़ते हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित करके नई रणनीति तैयार की है। कराकोरम मार्ग के माध्यम से अब चीन और पाकिस्तान इस कदर जुड़ जाते हैं कि भारतीय सैनिक गतिविधि के किसी भी रहस्य को बनाए रखना दुष्कर हो जाता है।

भारत के विरुद्ध चीन-अमेरिका और पाकिस्तान का 'त्रिगुट' काम कर रहा है। भारत का मित्र सोवियत सघ अफगानिस्तान में बैठकर भारतीय उप-महाद्वीप की प्रत्येक गतिविधि का जायजा ले रहा है।

भारत की ओर उनके पड़ोसियों की भू-राजनीतिक स्थिति या विश्लेषण कर लेने के बाद अब महाशक्तियों की कूटनीतिक और सामरिक गतिविधियों पर दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है।

आज विश्व दो संतिक गुटों में विभाजित है। (1) अमेरिकी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का गुट (2) सोवियत तथा पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों का समूह। इनके अतिरिक्त चीन एक ऐसी महाशक्ति है जो कि इन दोनों गुटों को सन्तुलित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन भारत की दृष्टि से वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हों जाता है क्योंकि चीन भू-राजनीतिक दृष्टि से भारत को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प. जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए चीन को अपने साथ लेने का असफल प्रयास किया था। वे जानते थे कि चीन की ओर से आश्वस्त होने के बाद भारत न केवल एशिया अपितु विश्व में नए मानदण्ड स्थापित करने में सफल हो सकता है किन्तु अपने ही खेल में व्यस्त है।

अमेरिकी राजनीति के विविध आयाम—भारत के सन्दर्भ में अमेरिकी रणनीति दुरगी है। वह न केवल सामरिक और आयुध बल से भारत पर प्रभाव रखना चाहता है अपितु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी पूरी तरह प्रभावित कर रहा है।

पश्चिमी कूटनीति के प्रारम्भिक आधार—द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन में जो गठबन्धन हुआ था उसने इस सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया। भारत का विभाजन इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि पाकिस्तान पश्चिमी कूटनीति का केन्द्र बना रह सके। कश्मीर की समस्या भी उसी कूटनीति का अंग है क्योंकि मिलोगट जो कि विश्व का सबसे ऊँचा हवाई अड्डा कहा जाता है, पश्चिमी दूरदृष्टि का परिणाम था। अतः उसको पाकिस्तान के पास ही रहने देने की योजना पहले ही बना ली गयी थी। भारत के घेराव की दृष्टि से पाकिस्तान को भारत के दोनों ओर बनाया गया ताकि न केवल पर्वतीय क्षेत्र से अपितु समुद्री तट से भी भारत पर निगाह रखी जा सके। पाकिस्तान के साथ 1959 की द्विपक्षीय सुरक्षा सन्धि, सीटो और सेटो सन्धियों में पाकिस्तान को शामिल करने का उद्देश्य भी यही था।

इस प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन ने सामरिक दृष्टि से घेराव की जो योजना बनायी थी वह कालान्तर में प्रतिफलित हुई। चूँकि उस समय पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध नहीं थे अतः भारत कम से कम पाकिस्तान-चीन-अमेरिका की धुरी का शिकार नहीं था। पाकिस्तान और चीन एक-दूसरे से सड़क मार्ग से जुड़े भी नहीं थे। 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ी थी और वह मिली भी थी लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कर्नंडी की हत्या के बाद राजनीति ने नहीं करवट ली और जानमन ने भारत के प्रति बेरुखी दिखाई। 1965 के युद्ध में अमेरिका ने खुनकर पाकिस्तान का साथ दिया और इसी समय से चीन और पाकिस्तान भी निकट आने को आतुर हुए और अब तो कराकोरम मार्ग बन जाने के बाद स्थिति और भी बदल गयी है।

सियाचिन ग्लेशियर—इस क्षेत्र में चीन, पाकिस्तान गठबन्धन को अमेरिका और ब्रिटेन का प्राणीवाद प्राप्त है। नुब्रा घाटी का पूरा क्षेत्र है वहाँ से चीन और

पाकिस्तान संयुक्त रूप से जासूसी करते हैं। विदेशियों के लिए यह क्षेत्र खुल जाने से अब उनकी मदद अमेरिकी विशेषज्ञ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि सियाचिन ग्लेशियर उसे प्राप्त हो जाए ताकि अबसाई चिन मार्ग से उसका सम्पर्क हो सके और इस प्रकार युद्ध के समय उसे चीन से पर्याप्त सैन्य सामग्री प्राप्त हो सके।

यदि उसका यह प्रयास सफल हो जाता है तो लद्दाख में लेह जाने वाले मार्ग पर वह कब्जा कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन इस क्षेत्र को पाकिस्तान का वताने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिका को सुविधाएँ—पाकिस्तान ने अमेरिका को समुद्री सुविधाएँ देने के साथ-साथ हवाई पट्टी बनाने की भी सुविधा प्रदान की है। मामरिक महस्व के मकरान समुद्री तट पर (कराची के पश्चिम) ग्वादर, पसनी और जिबनी बन्दरगाहों पर अमेरिकी युद्धपोतों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं उनको आधुनिक बनाया जा रहा है। यहाँ पर तीन हवाई पट्टियों का भी निर्माण हुआ है। कहने के लिए यह अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी के कारण पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है किन्तु वास्तविकता भारतीय उपमहाद्वीप को निकट से परखने की अमरीकी राजनीति है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी पकड़ में और अधिक कर लेने के लिए उसे अत्याधुनिक आयुधों की पूर्ति के साथ अति आधुनिक तकनीक के हस्तान्तरण का भी आश्वासन दिया है।

दियागो गार्सिया—कन्या-कुमारी से 1200 दक्षिण हिन्द महासागर में स्थित यह नौमंनिक अड्डा अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण भारत के घेराव का एक महस्वपूर्ण केन्द्र साबित हो सकता है। यहाँ से विश्वव्यापी वायु एवं समुद्री संचार व्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सकता है। यहाँ न केवल भारी सस्त्रों में हवाई पट्टियाँ और युद्ध पोतों के ठहरने की व्यवस्था है यहाँ से कोई भी अमेरिकी विमान भारतीय क्षेत्र में आकर और बम वर्षा कर वापस जा सकता है। लीबिया पर ब्रिटिश हवाई अड्डों से हमले इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। इतना ही नहीं यहाँ परमाणु सस्त्रों का भण्डार है। यहाँ तैनात बी-52 बम वर्षक आसानी से हिन्द महासागर के किसी भी बन्दरगाह पर घण्टों तक प्रहार कर सकते हैं।

हिन्द महासागर में महाशक्तियों की होड़—हिन्द महासागर में महाशक्तियों के बीच बढ़ती होड़ के पीछे भी भारत को नियन्त्रित रखने का उद्देश्य है क्योंकि भारत इस क्षेत्र का बड़ा देश है। अतः महाशक्तियाँ उसके पड़ोसी छोटे-छोटे देशों को भारत के विरुद्ध भड़काती हैं और इस तरह उनको अपने आयुधों के बेचने तथा उन्हें अपने प्रभाव में रखने का प्रयास कर रही हैं। इसमें अमेरिका ही नहीं रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस सभी सक्रिय हैं। इन महाशक्तियों का एक बड़ा स्वार्थ इस क्षेत्र से कच्चे माल खनिज तेल, कपास, चीनी रबर, कच्चा लोहा आदि को प्राप्त करना भी है। वे इस बात से भी आतंकित हैं कि यदि भारत की तकनालाजी को और अधिक विकसित कर लिया जाता है तो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति बन्द हो सकती है और उनके कारखानों में ताले पड़ सकते हैं अतः वे छोटे-छोटे देशों को आर्थिक, मामरिक मदद के प्रलोभन भी देते रहते हैं। इतना ही नहीं इनके लिए महाशक्तियाँ अपने जहाजी बेड़े युद्ध पोतों को हिन्द महासागर में सक्रिय रखती हैं और

इस क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ मिलकर सामुद्रिक अड्डे कायम करने या छोटे-छोटे देशों से व्यापारिक एवं सैनिक सुविधाएँ प्राप्त करने के जोड़-तोड़ करते रहते हैं।

अमेरिका का कहना है कि हिन्द महासागर उसके लिए अटलांटिक महासागर और प्रशान्त महासागर को मिलाते वाला द्वार है अतः उसको सुरक्षित जलमार्ग बनाए रखना उसका और उसके मित्र देशों के लिए अनिवार्य है। वह इसी तर्क के आधार पर, फारस की खाड़ी से लेकर फिलीपीन्स तक निगरानी रखता है। उसके लिए मलक्का-जलडमरू मध्य पर नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है। इसी बात को लेकर वह एशियान देशों से अपनी दोस्ती बनाए रहा है। दूसरी ओर रुम और चीन भी हिन्द-महासागर तक पहुँचने की होड़ में है। इनमें से चीन ने तो कराकोरम मार्ग से होकर कराची पहुँचने और इस तरह से अरब सागर (अरब खाड़ी) में प्रवेश का मार्ग बना लिया है। रूस का अफगानिस्तान में आने का उद्देश्य भी यही बताया जाता है। चूँकि अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध (Land-Locked) देश है अतः उसे हिन्द-महासागर तट पर जाने के पाकिस्तानी क्षेत्र को पार करना है और इसी क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का गढ़ बन रहा है। वैसे कामरान्ठ की खाड़ी में इसका प्रवेश हो गया है और वहाँ से वह हिन्द महासागर में आसानी से प्रवेश कर गया है फिर भी पश्चिम एशिया के क्षेत्र में उसकी सीधी पहुँच नहीं हो सकी है। अतः इस दृष्टि से वह भारत को अपने प्रभाव में करके भारतीय बन्दरगाहों की सुविधा प्राप्त करना चाहता है। लियोनिद ब्रेझ्नेव ने जो एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त प्रस्तावित किया था उसका उद्देश्य यही था। इस समय इसने एक नई रणनीति चीन के माध्यम से चली है। वैसे चीन इसे स्वीकार करेगा इसमें सन्देह है, किन्तु रुम और अमेरिका चीन के हमले का लाभ उठाकर भारत को अपने प्रभाव में रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न है। चीन स्वयं उनकी कूटनीति को मात देकर भारत पर अपना दबाव बनाये रखना चाहता है।

भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और इसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव

18 मई, 1974 को एक सफल भूगर्भीय परमाणु-विस्फोट द्वारा भारत परमाणु बिरादरी का छठा देश बन गया। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह विस्फोट शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही है और भारत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही परमाणु शक्ति का उपयोग करना चाहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय विश्व के अनेक राष्ट्रों को पसन्द नहीं आया, 'दबाव की राजनीति' मुत्तर हुई और कतिपय देशों में भारत के विरुद्ध गठबन्धन पुनः अधिक उग्र रूप में प्रकट होने लगा। भारत के परमाणु विस्फोट पर सबसे तीव्र प्रतिक्रिया अमेरिकी क्षेत्र में हुई। अमेरिका ने न केवल अपनी अग्रगण्यता व्यक्त की, बल्कि यह भी कहा कि भारत के परमाणु विस्फोट से विश्व में स्थायित्व को

आघात पहुँचेगा। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि वह नहीं चाहता कि कोई अन्य देश परमाणु शस्त्र बनाए।

भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन

इस सन्दर्भ में भारत सरकार की परमाणु-नीति पर कुछ अधिक स्पष्ट विचार अपेक्षित है।

भारत में सफल भूमिगत परमाणु-परीक्षण की घोषणा करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहा था कि यह उस कार्यक्रम का अंग है जिसका उद्देश्य परमाणु-प्रायोगिकी के क्षेत्र में, विशेषकर खनन और मिट्टी हटाने के कार्य में, परमाणु शक्ति के उपयोग में भारत को अन्य देशों के समकक्ष रखना है। भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि भारत का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है और परमाणु विस्फोटों के सैनिक उपयोग के सख्त खिलाफ है।

न्यूजवीक को दिए गए इण्टरव्यू में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने भारत की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। परमाणु टेक्नोलॉजी में सक्षम देश और परमाणु हथियार रखने वाले देश में अन्तर है। हमारा देश परमाणु हथियार वाला देश नहीं है, हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है। हमारा इरादा इस जानकारी का या इस शक्ति को ज्ञान्तिपूर्ण कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में इस्तेमाल का नहीं है। हमारे पड़ोसियों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि हम इस परीक्षण को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के समकक्ष रहने के लिए किए जा रहे अपन अनुसंधान कार्य का एक अंग मानते हैं। इसके लिए कोई नई बजट-व्यवस्था नहीं की गई, इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई और इसके लिए हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं थे।

भारत ने परमाणु-शस्त्र निषेध सन्धि 1968 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह सन्धि पक्षपातपूर्ण है। एक तरफ तो यह परमाणु हथियारों वाले राष्ट्रों को इस बात की छूट देती है कि वे आणविक हथियारों का परीक्षण करते रहे और दूसरी ओर अन्य राष्ट्रों को इस बात की छूट नहीं देती कि वे शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण, टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें। भारत ने वायु-मण्डल में या समुद्र में परीक्षण नहीं किया क्योंकि इससे वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है और आसपास के जन-जीवन को खतरा भी हो जाता है, हालाँकि इस तरह के परीक्षण भारत दस वर्ष पहले भी कर सकता था।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरम्भ में ही दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं— ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग, चिकित्सा, कृषि-अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपन आणविक प्रयत्नों के लिए कौशल, साज-सामान और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जाए।

भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन

भारत की विदेश नीति पर अत्यधिक आदर्शवादी और भावना-प्रधान होने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह भी कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति

मोबियत नष्ट से प्रभावित है और इजरायल, ज़रब राज्यों आदि के सन्दर्भ में इसका खूबसाफ़ा पक्षपातपूर्ण रहा है। यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि हमारी नीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल मिद्ध हुई है।

भारतीय विदेश नीति की आलोचनाएँ नेहरू और शम्भू में अधिक तीव्र थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के मौलिक सिद्धांतों की पूर्ण रक्षा करते हुए उसे यथार्थवादी दिशा दी और राष्ट्रीय हितों के सर्वथा अनुकूल मिद्ध कर दिखाया। किन्ती भी नीति की सफलता उसके कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। नेहरू-काल में आवश्यक था कि नवोदित भारत-राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला रखी जाए, विभाजन-जन्य परिस्थितियों को निपटाया जाए और पड़ोसी शत्रु-राष्ट्रों के प्रति भी तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए युद्ध की सम्भावनाओं को यथासाध्य टाला जाए। इसीलिए चीन के साम्राज्यवादी इरादों को कुछ-कुछ भाँपते हुए भी और पाकिस्तान की शत्रुता को भली-भाँति समझते हुए भी श्री नेहरू ने भारत को ऐसे नैतिक धरातल पर पड़ा करने की चेष्टा की जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत को प्रतिष्ठा भी मिले, पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही शिविर उनकी आवाज सुनें और उसकी महत्ता के लिए तत्पर रहे, साथ ही युद्ध की सम्भावना भी टलती रहे ताकि भारत भविष्य में शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण कर सके। श्री नेहरू को अपने उद्देश्य में 1962 से पूर्व तरु पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। 1962 के चीनी आक्रमण ने उनकी साम्यवादी नीति को गहरा आघात पहुँचाया, लेकिन गुट-निरपेक्षता की उपयोगिता में उनकी आस्था समाप्त नहीं हुई क्योंकि सबटकाल में सोवियत गुट और पश्चिमी गुट दोनों ने भारत को अपना समर्थन दिया। फिर भी इस आक्रमण ने श्री नेहरू को वह अनुभूति करा दी कि अब विदेश नीति को यथार्थवाद की ओर मोड़ा जाए तथा गुट-निरपेक्षता पर अमल करते हुए संनिव दृष्टि से भी भारत को शक्तिशाली बनाया जाए। श्री नेहरू यथार्थवादी नीति का अनुसरण कर भारत को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से आवश्यक आर्थिक और नैतिक उद्योगों तथा कल-कारखानों की आधारभूमि का पहले ही निर्माण कर चुके थे।

लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू नीति को आगे बढ़ाया और भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय रिया। पाकिस्तान को उसके आक्रमण का मुहूर्तोड उत्तर देकर तथा अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव के आगे न झुककर जहाँ श्री शास्त्री ने यथार्थवादी नीति का परिचय दिया वहाँ ताशकन्द समझौता करके आदर्शवाद को भी कायम रखा। यद्यपि ताशकन्द-समझौता व्यावहारिक रूप में सफल नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक युद्ध के बाद इस प्रकार के समझौते नूनानाधिक हेर-फेर के साथ करने ही पड़ते हैं। यदि पराजित राष्ट्र पर वर्नापि ही सन्धि जैसा कोई समझौता घोषा जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम निम्न सक्त है, इसका इतिहास साक्षी है।

श्री शास्त्री का प्रधानमन्त्रित्व-काल अत्यल्प रहा उनके निधन के बाद भारत की वागडोर श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में आई। बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन, बंगलादेश को मान्यता, अमेरिका के प्रति दृढ़ता, रूस के साथ सम्मानजनक तथा गुट-निरपेक्षता पर आधारित मैत्री सन्धि, पाक शत्रुता का मुँह तोड़ उत्तर आदि कार्यों द्वारा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की कुशलता से रक्षा की। शिमला-समझौते द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बिलकुल समर्थक नहीं है तथा पड़ोसी देशों के साथ और विपक्ष के हर राष्ट्र के साथ मैत्री का ड्युति है।

भारत उन गिने-बुने देशों में म था जिन्होंने गुरु से ही कम्बोडिया और वियतनाम के मुक्ति-ग्रान्दोलनों का समर्थन किया था। ऐसा करते हुए भारत ने अमेरिका तथा कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की अप्रसन्नता भी मोल ली, लेकिन बदले में उसे दक्षिणी एशिया की जनता से जो सद्भावना प्राप्त हुई वह कुछ कम नहीं थी। अब कम्बोडिया का गृह-गुट समाप्त हो चुका है, वियतनाम से अमेरिका पलायन कर चुका है और उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो चुका है। सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों का अधिनाधिक दृढ़ होने जाना भारत की विदेश नीति की प्राश्चर्यजनक सफलता है। वास्तव में भारत का विकास सोवियत विदेश नीति का भी एक आवश्यक अंग बन गया है। सोवियत रूस चाहता है कि एशिया में चीन एकमात्र महाशक्ति न रहे। उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम एक देश का होना जरूरी है। सोवियत नेता इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि यह देश केवल भारत ही हो सकता है, और इसीलिए न केवल यान्त्रिकी के क्षेत्र में बल्कि वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में भी सोवियत रूस भारत की सहायता कर रहा है। यह कहना गलत होगा कि भारत ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुवाई है। सोवियत रूस से सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी प्रभुसत्ता को दाब पर नहीं लगाया है।

गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की व्यापक पृष्ठभूमि में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। चीन और पाकिस्तान के प्रति भी भारत का रवैया बहुत ही रचनात्मक रहा है। उसके फलस्वरूप 1976 से दोनों देशों के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो सके हैं। पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति का लक्ष्य सदैव यही रहा है कि परस्पर विश्वास, समझ-बूझ और सहयोग के आधार पर उनके साथ घनिष्ठ मैत्री, सम्बन्ध विकसित किए जाएँ। भारत ने विश्व के सभी भागों में राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय का सदैव स्वागत किया है। इसी प्रकार कोरिया और वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए स्वागत-योग्य रही है। भारत का निश्चित मत है कि विक्रमशील राष्ट्रों के सहयोग न केवल वृहत्तर आत्म-विश्वास के लिए अनिवार्य हैं बल्कि बड़े राष्ट्रों के उन दबाव का मुकाबला करने के लिए भी प्राश्चर्यक हैं जो विक्रमशील देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने

के लिए डाला जा रहा है ताकि विश्व के विभिन्न भागों में उनके अपने हित अधिकाधिक विस्तृत हो सकें। विकासशील देश आत्मविश्वास, सहयोग और विकास के माध्यम से ही शान्ति और स्थिरता की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं और सभी वं एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो सकते हैं जो विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग और मित्रता के आधार पर स्थित हो।

मार्च, 1977 में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली। नई सरकार ने भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में मौलिक परिवर्तन नहीं किया। नई सरकार ने भारत-रूस मैत्री के समर्थन द्वारा भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को यथावत् कायम रख कर रूसी शासकों को आश्वस्त कर दिया। अमेरिका के प्रति विगत वर्षों का सम्बन्ध-शैथिल्य टूटना शुरू हुआ और चीन के साथ भावी सम्बन्ध स्थापना के बारे में सावधानीपूर्वक कदम उठाने की तैयारी की गई। किसी भी देश की विदेश नीति वस्तुतः उसके मूल राष्ट्रीय हितों और आकांक्षाओं के अनुकूल होती है और भारत भी अपने व्यवहार में यही कर रहा है। बंगलादेश के साथ गंगाजल पानी के विवाद के हल में भारत ने जो उदारता दिखाई वह पड़ोसी देशों के प्रति उसकी सहयोगी नीति का उदाहरण थी।

जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ होने के बाद देश की विदेश नीति और भी प्रभावो हुई। श्रीमती गांधी के प्रयत्नों में महाशक्तियों, बड़ी शक्तियों और अन्य राष्ट्रों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत के रूप को ज्यादा अच्छी तरह समझा। श्रीमती गांधी की अमेरिका-यात्रा ने भारत के प्रति अमेरिका की गलतफहमियों को बहुत कुछ दूर किया और उनकी सोवियत सघ की यात्रा ने दोनों देशों की मैत्री को और मजबूत बनाया। श्रीमती गांधी के प्रधान-मन्त्रित्व काल में भारत गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन का अध्यक्ष चुना गया और भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं और निकायों का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में भारत की विदेश नीति की छाप स्पष्ट परिलक्षित होने लगी।

31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती गांधी की निर्मम हत्या के बाद भारत का नेतृत्व श्री राजीव गांधी के हाथों में आया और उन्होंने भारत की विदेश नीति को उनके परम्परागत आधारे पर बनाए रखा है, अफ़ो-एशियाई देशों तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में गहरी दिलचस्पी ली, तथा सोवियत सघ के साथ भारत की मैत्री को मजबूत बनाने के साथ-साथ अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारने की भरपूर चेष्टा की है।

विदेश नीति की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है उसके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि। निश्चय ही भारत पिछले चालीस वर्षों में शक्ति की दिशा में अग्रसर हुआ है और आज वह एक ठोस आधार पर खड़ा है।

साम्यवादी चीन अथवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर, 1949 को हुई। च्यांग-काई-शेक और उसका राष्ट्रवादी दल चीन के गृह युद्ध से साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने च्यांग-काई-शेक को वर्षों तक भरपूर सहायता दी, लेकिन माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरी नहीं होने दी। च्यांग-काई-शेक ने भाग कर चीन की मुख्य धरती से कुछ ही मील दूर फारमोसा द्वीप में शरण लेकर वही चीन की 'निर्वाणित सरकार' स्थापित कर ली। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रमण इसी सरकार को अर्थात् राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे। चीन की मान्यता का प्रश्न 1949 से 25 अक्टूबर, 1971 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विवादास्पद विषय बना रहा। वामनव में दो चीन की स्थिति कायम रही। दुनिया के लगभग 35 राज्यों की मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश च्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देते थे। भारत ने प्रारम्भ से ही एक चीन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी थी। अक्टूबर 26 अक्टूबर, 1971 को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी (ताइवान या फारमोसा) सरकार के स्थान पर जनवादी (साम्यवादी) सरकार के प्रतिनिधि मण्डल को चीन का वैधानिक प्रतिनिधि मानने का अल्पानिधायक प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 22 वर्ष का यह सघर्ष समाप्त हो गया जो चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधि बनाने के लिए चल रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का रुच्य मदा आक्रामक रहा, पर माओ की मृत्यु के बाद नया नेतृत्व उदार होता गया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम

चीन न साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की घटना थी जिसने सम्पूर्ण विश्व-राजनीति को गम्भीर रूप में प्रभावित किया और उन

परिवर्तनो को जन्म दिया जो विश्व-राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करते रहेगे—

प्रथम, स्वयं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा है। साम्यवादी क्रान्ति में पूर्व भी यद्यपि चीन का पाँच बड़ी शक्तियों में स्थान प्राप्त था, तथापि मही अर्थों में वह एक बड़ी शक्ति नहीं था। साम्यवादियों के नेतृत्व में एक मुसगठित और शक्तिशाली चीन का उदय हुआ जो आज न केवल एक बड़ी शक्ति है बल्कि अमेरिका और रूस के बाद तीसरी महाशक्ति भी गिना जाने लगा है।

दूसरे, साम्यवादी चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक नया शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर लिया है। जिधर वह भुक्त जाए, सन्तुलन का पलड़ा उधर ही भुक्त जाएगा। चीन के समक्ष भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो चीन-विरोधी पक्ष के साथ मिलकर शक्ति-सन्तुलन के दोनों पलड़ों को बहुत कुछ बराबर ता सकता है। आज जबकि चीन सोवियत संधि का प्रतिद्वन्द्वी बनकर अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत का एक सन्तुलनकारी शक्ति के रूप में विशेष महत्त्व हो गया है।

तीसरे, साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप पश्चिमी देशों की नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और चीन की शक्ति तथा प्रभाव आज भी उनकी नीति में नित नए मोड़ लाने में सहायक है। लाल चीन के उदय के उपरान्त साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ही अमेरिका ने ताइवान अथवा फारमोसा में च्यांग की राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा का उत्तरदायित्व सम्भाला, एशिया में साम्यवादी-अवरोध की नीति पर आचरण शुरू किया और गैर-साम्यवादी तत्वों को अधिकाधिक आर्थिक तथा सैनिक सहायता दी। साम्यवादी चीन के उदय से सोवियत गुट के शक्ति-सन्तुलन का जो पलड़ा भुक्त गया उसी से चिन्तित होकर साम्यवाद विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना के मार्ग का अनुसरण किया गया। चीन और रूस के बीच मतभेदों तथा प्रतिद्वन्द्विता का लाभ उठाते हुए अमेरिकी गुट का सर्वोपरि लक्ष्य यही है कि चीन को तोड़ कर पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया जाए। पेकिंगपिण्डी-बाशिगटन धुरी के सुट्ट और सबल होने की आशंका से रूस का चिन्तित हो उठना और फलस्वरूप भारत की मैत्री के महत्त्व को अधिकाधिक अनुभव करना स्वाभाविक है।

चौथे, लाल चीन के उदय ने अमेरिका और उनके साथी-राष्ट्रों के बीच कुछ मतभेद भी पैदा कर दिए, जो अब कम हो गए हैं। अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने से इन्कार कर दिया था जबकि ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अपने व्यापारिक लाभों के कारण उसे मान्यता प्रदान की और इसके साथ सम्पर्क बनाए। अतः उनके और अमेरिका के बीच कुछ मन-मुटाव हो जाना स्वाभाविक था। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों से विवक्षित होकर अमेरिका स्वयं चीन की मैत्री के लिए तानाशित है, अतः चीन के सम्बन्ध में जो मतभेद पैदा हुए वे वे शिथिल पड़ गए हैं।

पाँचवें, चीन में साम्यवादियों की विजय सोवियत संघ के लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही सिद्ध हुई है। वरदान इसलिए कि इससे जनसंख्या, साधन-शक्ति और सैन्य-शक्ति की दृष्टि से साम्यवादी जगत् अत्यधिक शक्ति-सम्पन्न हो गया और विश्व में शक्ति-सन्तुलन स्थापित हुआ। अभिशाप इसलिए कि मायो-त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन सोवियत संघ का घोर प्रतिद्वन्दी बन गया और आज सैद्धान्तिक संघर्ष की आड़ में दोनों देश शक्ति-संघर्ष के भय से आशंकित हैं। 1949 तक सोवियत संघ साम्यवादी जगत् का एकछत्र असदिग्ध नेता था और विश्व के सभी साम्यवादी देश उसके अनुयायी थे, लेकिन साम्यवादी चीन के उदय ने रूसी नेतृत्व को चुनौती दी है।

छठे, चीन की साम्यवादी क्रान्ति ने एक ओर तो एशिया तथा अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर एशियाई एकता के विकास में बाधा पहुँचाई। चीन का नेतृत्व 'फूट डालो और अपना उल्लू सीधा करो' की नीति में विश्वास रखता है। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वन्दी मानकर इस नीति पर चल रहा है कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में भारत-विरोधी वातावरण पैदा करे। भारत उपमहाद्वीप में शान्ति की स्थापना में चीन की कोई रुचि नहीं है, इसलिए वह पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देकर भारत के विरुद्ध उकसाता रहता है।

सातवें, चीन न केवल साम्यवादियों के लिए बल्कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों के लिए साम्यवादी सिद्धान्त और कुटिल दावपेचों के विकास का परीक्षण स्थल बन गया है।

आठवें, साम्यवादी चीन के उदय का पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। चीन स्वयं को पूर्ण रूप से एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहता है और इसके लिए उमने संघर्ष तथा दबाव नीति का मार्ग चुना है। मुदुरपूर्व में जो संघर्ष है वह बहुत कुछ चीन की महत्त्वाकांक्षा का भी परिणाम है। चीन में साम्यवाद के उदय ने एशिया में चीन और अमेरिका को तथा अब चीन, अमेरिका और रूस को एक-दूसरे का प्रमुख प्रतिद्वन्दी बना दिया है जिससे यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय नीति का विस्फोटक केन्द्र बना हुआ है।

1921 में जनरल म्मटन ने कहा था—“विश्व-राजनीति का रगमच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर में पहुँच गया है।” ये शब्द सम्भवतः उस समय सत्य नहीं थे, लेकिन साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप विश्व-राजनीति में उत्पन्न परिवर्तनों से घाबरा सत्य सिद्ध हो रहे हैं।

साम्यवादी चीन की विदेश-नीति के आधारभूत तत्त्व

साम्यवादी चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में जो नीति अपनाई है उसे भली प्रकार तभी समझा जा सकेगा जब हम चीनी विदेश नीति के सैद्धान्तिक आधार को समझ लें और इस बात में परिचित हो जाएँ कि वह किन तत्त्वों, साधनों और लक्ष्यों पर आधारित है।

प्राधारभूत तत्त्व

साम्यवादी विचारधारा—रूस की भांति चीन की विदेश नीति भी मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों से पूर्णतः प्रभावित है। ल्यूसाओची के शब्दों में, 'हमारी सफलताएँ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की नवीन पुष्टियाँ और नवीन सफलताएँ हैं।' साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, पूँजीवाद का साम्राज्यवादी रूप आदि से चीन की विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित है, इसलिए एशिया एवं अफ्रीका में साम्यवाद के प्रचार को चीन अपना उत्तरदायित्व मानकर व्यवहार कर रहा है। चीनी नेताओं का विश्वास है कि विजय की प्राप्ति के लिए किसी एक और झुकना होगा—साम्राज्यवाद की ओर अथवा समाजवाद की ओर तटस्थता या केवल घोषा है, तीसरा मार्ग पाया ही नहीं जाता। माओ-त्से-तुंग ने मार्क्स लेनिन के सिद्धान्तों को चीनी संस्करण का रूप दिया, उनका चीन के इतिहास और उसकी समस्याओं के समाधान से उपयोग किया। माओ की मान्यता रही कि मार्क्सवाद निराधार नहीं है बल्कि ठोस रूप में है जिसे राष्ट्रीय रूप में ग्रहण किया जाना तथा देशकालीन परिस्थितियों की अनुरूपता के सन्दर्भ में अपनाया जाना चाहिए। राज्य शासक वर्ग के हाथ में दमन का एक साधन है।

राष्ट्रीय हित—चीन की विदेश नीति में सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय हित साथ-साथ चलते हैं। सिद्धान्त राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय हित के अनुसार ही सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है। (चीनी नेतृत्व के प्रत्येक कार्य का मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर (Power-status) में वृद्धि होना है। माओ की स्पष्ट धारणा रही कि जो देश चीन को महान् शक्ति न माने उसे मानने के लिए बाध्य किया जाए अथवा कोई बड़ी शक्ति उसे अपने समान न समझे तो उसको इसका पाठ पढ़ाया जाए। शक्ति की प्राप्ति और अभिवृद्धि के लिए साम्यवादी चीन किन्हीं भी बलिदान को बड़ा नहीं मानता।)

पूँजीवाद का विरोध—चीन की विदेश नीति पूँजीवादी देशों के साथ घोर प्रतिद्वन्द्विता की है। माओ पूँजीवाद के विनाश पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता था। विश्व के देशों में राष्ट्रवादी तत्त्वों को उभारकर वहाँ साम्यवादी क्रान्ति के उपयुक्त वातावरण बनाना चीन की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त है जो माओ के बाद भी जीवित है।

माओ का अनुगमन—अपने जीवनकाल में माओ चीन की सम्पूर्ण नीतियों का निर्माता और संचालक रहा और उनकी सीख को चीन शायद ही कभी भूल सकेगा। माओ ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद की नीतियों की व्याख्या की, चीन के साहित्य और कला के आदर्श एवं स्तर निर्धारित किए तथा सभी राजनीतिक-सैनिक आर्थिक कार्रवाइयों को उनके नाम से प्रचारित होती रही। माओ के नेतृत्व में चीन द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई हैं वे शायद ही किसी अन्य नेता के नेतृत्व में अपनाई जा सकती थीं। (माओ का यह अभिमत चीनी विदेश नीति का केन्द्र-बिन्दु है कि राजनीतिक शक्ति वन्दूक की नली में प्रादुर्भूत होती है। आणविक प्रायुधों से भी

माओ के अनुयायियों को भयभीत न होने की शिक्षा दी गई है। माओ का कहना था कि इन आयुधों के प्रयोग के बाद भी इतनी बड़ी सरथा में चीनी बच जायेंगे कि वे अपने स्वप्न की पूर्ति द्वारा एक उत्कृष्ट सम्यता का मृजन कर सकेंगे। माओ ने विदेश नीति को लचीला बनाया ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसे ढाला जा सके इसलिए चीन की विदेश नीति में कभी एकरूपता या स्थायित्व नहीं रहा है।

राष्ट्रवादिता—चीन की विदेश नीति राष्ट्रवादिता से प्रोत्-प्रोत् है। साम्यवादी चीन को अपने देश की प्राचीन सम्यता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का गर्व है जिसकी पुनः प्राप्ति के लिए वह हर बलिदान के लिए तैयार है। माओ ने 1949 में कहा था—“हमारा राष्ट्र अब कभी भी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा, हम उठ खड़े हुए हैं।” उग्र राष्ट्रवादिता से प्रोत्-प्रोत् होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की नीति दूसरे देश की नीति से मेल नहीं खाती।

चीनी विदेश नीति के साधन

साम्यवादी चीन विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का आकांक्षी है। जिस किसी भी भू-भाग पर चीन का कभी अस्थायी या नाममात्र का भी अधिकार रहा था, उसे वर्तमान चीन अपना ‘खोया हुआ भाग’ मानता है। चीन की विदेश नीति के साधन नैतिक सीमाओं से प्रतिबद्ध नहीं हैं, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चीन कोई भी साधन अपनाने में स्कोच नहीं करता। चीनी विदेश नीति के मुख्य साधन ये हैं—

1. युद्ध एवं हिंसा—माओ ने लिखा है—“हम साम्यवादी युद्ध को सर्व-व्यापक मानते हैं। युद्ध अनुचित होकर भी मार्क्सवादी होने पर सर्वथा उचित हो जाता है। माओ की सीख है कि सारा ससार बन्दूक की सहायता में ही बदला जा सकता है। शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति क्रान्ति के विरुद्ध तथा मशोधनवाद की प्रतीक है।

2. लम्बे संघर्ष की योजना—चीन के साम्यवादी नेताओं के अनुसार विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लिए संघर्ष की योजना का अनुसरण करना होगा। यह योजना साम्यवादी सिद्धान्तों पर आधारित है, लेकिन इसकी व्याख्या माओ की अपनी है। माओ का मत है कि पूँजीवादी देशों में रूढ़ निश्चय और साहम नहीं होता, अतः जब उनके विरुद्ध मावयानी के माध्यम से लम्बा संघर्ष छेड़ा जाएगा तो वे टिक नहीं सकेंगे। साम्यवादी राष्ट्रों के पीछे सिद्धान्त का बल होता है और राजनीति का अवलम्बन, इसलिए पूँजीवादी देशों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं। लम्बे संघर्ष की योजना के अधीन पश्चिमी देशों का तीव्र विरोध किया जाता है और दूसरे देशों में मार्क्सवादी दलों की सहायता की जाती है।

3. साम्यवादी प्रचार—माओ चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी गैर-साम्यवादी देशों में—विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में साम्यवादी प्रचार का पक्ष-पोषक रहा है और नए नेतृत्व का

दृष्टिकोण भी कुछ विपरीत प्रतीत नहीं होता। माओ का कहना था कि विश्व के साम्यवादी आन्दोलन चीन को आदर्श मानकर सशस्त्र रूप धारण कर लेंगे।

4. सैनिक सहायता कार्यक्रम—साम्यवाद की स्थापना के लिए चीन दूसरे देशों को सैनिक सहायता देने का पक्षधर है, लेकिन उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उस समय देश के लक्ष्य लगभग बही हैं जो स्वयं चीन के हैं तथा चीनी सहायता की प्रतिक्रिया स्वरूप यथासम्भव किसी बड़े देश का मुकाबला न करना पड़े और सहायता से चीन की सुरक्षा को खतरा पहुँचने की सम्भावना न हो।

5. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व—इस साधन का उपयोग प्रायः लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चीनी नेताओं ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति की व्याख्या इस प्रकार की है कि वे समय के अनुकूल युद्ध और शान्ति दोनों ही मार्ग अपनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

6. दोहरी नीति—चीन की विदेशी नीति पर विचारधारा और राष्ट्रीय हित इन दो तत्वों का विशेष प्रभाव है जिनमें असन्तुलन पैदा हो जाने अथवा सामञ्जस्य न रहने पर जो नीति बन जाती है उसका अनुमान चीन और रूस के सम्बन्धों को देखकर लगाया जा सकता है। इन दोनों देशों की नीति एक ही साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा की है। दोनों ही देश साम्यवाद का प्रसार करना चाहते हैं और दोनों ही पूँजीवाद के शत्रु हैं लेकिन दोनों ही के हित परस्पर विरोधी हैं। चीन रूसी नेतृत्व का अनुचर नहीं रहना चाहता। नेतृत्व की होड़ व्यापक राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक सघर्षपूर्ण हो गई है और दोनों साम्यवादी राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध तोड़-फोड़ के कूटनीतिक दाँव-पेच खेल रहे हैं। सैद्धान्तिक धरातल पर भी सहयोग-असहयोग का विचित्र संघर्ष है। रूस की वर्तमान विदेश नीति चीनियों की दृष्टि में मशोधनवादी, बुजुर्गवादी तथा प्रतिक्रियावादी है पर यह समझ में नहीं आता कि चीन फिर स्वयं अमेरिका की घोर मित्रता का हाथ क्यों बढाने लगा है।

चीनी विदेश नीति के लक्ष्य या उद्देश्य

सितम्बर, 1949 में जन-परामर्श सम्मेलन में साम्यवादी चीन की विदेश नीति का निरूपण इन शब्दों में किया गया—

“चीनी गणराज्य की विदेश नीति का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता व प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करना, स्थायी विश्व शान्ति को सुरक्षित रखना, विभिन्न राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा आक्रमण व युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना है। चीनी गणराज्य विदेशों में बसने वाले चीनियों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा। वह उन सभी लोगों को राजनीतिक भरण प्रदान करेगा जो जन-हित, शान्ति तथा जनतन्त्र के लिए मंचालित संघर्ष में भाग लेने के कारण अपनी सरकारों द्वारा पीड़ित हों।”

जब 1 दिसम्बर, 1949 को चीन की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो विदेश नीति के ये लक्षण घोषित किए गए—(1) चीन की स्वतन्त्रता और

अखण्डता की रक्षा करना, (2) स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सब देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रयत्न करना, (3) उन विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुकी हो; (4) साम्राज्यवादियों और विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का साथ देना, एवं (5) प्रवासी चीनियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना, आदि ।

चीनी विदेश नीति के उपर्युक्त सभी लक्ष्य बड़े व्यापक हैं, लेकिन इनकी व्याख्या चीन स्वैच्छाचारी विस्तारवादी दृष्टि से करता है जिसका कोई भी शान्तिप्रिय राष्ट्र स्वागत नहीं करेगा । स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा से अभिप्राय है कि साम्यवादी चीन उन भागों पर अपना ही अधिकार मानता है जिन पर अधिराष्ट्रीय सरकार का अधिकार है । वे भाग जिन पर चीन का अधिकार था और जो कालान्तर में चीन से पृथक् हो गए तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार वापस नहीं ले सकी, उन्हें भी चीन अपना मानता है । चीन सुदूरपूर्व मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियायी क्षेत्रों में साम्राज्यवादी आन्दोलनों को प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन देकर विस्तारवाद आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है । भारतीय जनतन्त्र को वह अपने मार्ग में बाधा समझता है और उसके शत्रुओं को अपना मित्र । वह भारत और बर्मा द्वारा नियन्त्रित सीमावर्ती क्षेत्र तथा मंगोलिया और कोरिया पर अपना अधिकार चाहता है । उमने मेकमहोन रेखा को मान्यता न देकर भारत के साथ सीमा-संघर्ष छेड़ रखा है । अपनी विदेश नीति में साम्यवादी चीन न स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की बात बही है । इस सम्बन्ध में चीन का विशेष मन्तव्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में स्थायित्व तभी आ सकता है जबकि विश्व में साम्राज्यवाद की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना हो जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र उपाय युद्ध है । मैत्रीपूर्ण भावना वाले देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना की नीति से साम्यवादी चीन का आशय यह है कि गैर-साम्यवादी देशों में अस्थायी मित्रता स्थापित कर साम्राज्यवादी देशों की शक्ति को कमजोर किया जाए । अन्तिम रूप में चीनी विदेश नीति का लक्ष्य विश्व में साम्यवादी चीन के एकद्वय नेतृत्व की स्थापना है । इस दिशा में चीन रुन का कठोर प्रतिद्वन्द्वी है । चीन की विदेश नीति में प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा का भी उल्लेख है । चीन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम उत्तर वियतनाम, इण्डोनेशिया, बर्मा, लाओस आदि देशों को, प्रवासी चीनियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में घातकित करता रहा है । किन्तु इसके विपरीत वे प्रवासी उन देशों को खतरा पैदा किए हुए हैं जहाँ वे रह रहे हैं ।

चीन की विदेश नीति की व्याख्या के उपरान्त हमें उन लक्ष्यों पर दृष्टिपान करना उपयुक्त होगा जिनकी पूर्ति के लिए आज चीन प्रयत्नशील है । वे लक्ष्य प्रप्र प्रकार हैं—

1. सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रचार हसी ढंग का न होकर चीन प्रणाली का हो ।

2 हिमा, छल, बल और कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाए और एशिया में पूर्वी यूरोपीय ढंग के कठपुतली राष्ट्रों की स्थापना की जा सके ।

3. एशिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक नियन्त्रण स्थापित किया जाए ।

4 सम्पूर्ण एशिया और सुदूरपूर्व में महाशक्तियों का प्रभाव समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी (चीन की) सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े ।

5 एशिया ही नहीं अपितु समस्त विश्व का एकछत्र साम्यवादी नेता बनने की दिशा में हर उपाय से ग्रामे बढ़ा जाए, चाहे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे नोबियन मघ से ही सपर्यं क्यो न मोल लेना पड़े । रूस-चीन अन्तर्विरोध का यही एक मुख्य कारण है ।

6 सेना को आधुनिकतम और आणविक शस्त्रास्त्रों एवं सैनिक उपकरणों से सुसज्जित करके तथा चीन की राष्ट्रीय शक्ति का सैनिक आधार पर पूर्णतः गठन करके उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाए ।

7 एशिया में प्रभुत्व की स्थापना के लिए भारत को घेरने की नीति अपनाई जाए और इस दृष्टि से भारत के पड़ोसी राज्यों को पूरी तरह अपने पक्ष में किया जाय । पाकिस्तान के साथ पूरा सैनिक गठबन्धन करने में तो चीन सफल हो ही चुका है ।

चीनी विदेश नीति की प्रधान अवस्थाएँ (Main Stages of China's Foreign Policy)

साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए डाक बार्नेट ने ठीक ही लिखा है कि—“पेकिंग की नीति कभी भी केवल चिकनी-चुपड़ी बातों अथवा दवावों की नहीं रही । इसमें प्रलोभन, धमकी और तोड़-फोड़ का विभिन्न अनुपात में सम्मिश्रण रहा है ।” चीन अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देन, कान और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तत्त्व पर तो कभी दूसरे तत्त्व पर विशेष बल देता रहा है । उसका मूलभूत उद्देश्य यही रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों को अधिकाधिक अपने अनुकूल बनाकर उनका भरपूर लाभ उठाया जाए और अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया जाए । इस दृष्टि से चीनी विदेश नीति प्रभी तक चार प्रधान अवस्थाओं में होकर गुजरी है, चौथी अवस्था जारी है—

(1) आन्तरिक पुनर्गठन एवं उग्र नीति का युग (1949-1953)

(2) उदारतावादी युग (1954-1959)

(3) नया उग्रवादी एव क्रान्तिकारी युग (1959-1969)

(4) सहयोग और मैत्री की नई कूटनीति का काल (1970 के अब तक)
प्रथम युग : आन्तरिक पुनर्गठन का युग (1949-1953)

इस युग में चीन ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति देश की आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा दी। इस अवधि में उसकी विदेश नीति कठोर और उग्र रही—विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति। चीन ने सर्वप्रथम दिसम्बर, 1949 में मोन्त्रियत संधि से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए और तत्पश्चात् उसके साथ विभिन्न मैत्रीपूर्ण सुरक्षा एव पारस्परिक सहायता सम्बन्धी तथा आर्थिक सन्धियाँ सम्पन्न की। चीनी नेताओं ने सोवियत महायुता से विश्व के अन्यान्य देशों में, विशेषकर अफ्रीशियायी राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रसार का बीड़ा उठाया। इसी उद्देश्य से नवम्बर, 1949 में ट्रेड-यूनियनों के विश्व-संघ के तत्वावधान में पेकिंग में एशिया और आस्ट्रेलिया के देशों का ट्रेड-यूनियन सम्मेलन बुलाया गया। इसमें उपर्युक्त महाद्वीपों के वामपथी श्रमिक नेता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में श्री ल्यू-शाओ-ची द्वारा यह घोषणा की गई कि इस सम्मेलन को सम्पूर्ण एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति-संग्रामों का समर्थन करना चाहिए। श्री ल्यू-शाओ-ची ने वियतनाम, बर्मा, इण्डोनेशिया, मलाया, फिलीपाइन आदि के मुक्ति-संघों की ओर संकेत करते हुए सम्मेलन के प्रतिनिधियों को उपदेश दिया कि—“चीनी जनता के पथ का अनुसरण करते हुए संशय भर्ष द्वारा एशिया के अधिकांश भागों में क्रान्ति का प्रसार किया जाना चाहिए।” चीनी नेता ने चीनी जनता के पथ का स्वरूप भी स्पष्ट किया। (उसने इस सम्बन्ध में चार बातों पर विशेष बल दिया—(i) श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी सभी दलों और संगठनों के साथ मिल जाना चाहिए, (ii) श्रमिक वर्ग को केन्द्र बनाकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा स्थापित किया जाना चाहिए और इनका केन्द्र साम्यवादी दल होना चाहिए, (iii) साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में मरुतता प्राप्त करने के लिए मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित और जनता से घनिष्ठतम सम्बन्ध रखने वाला साम्यवादी होना आवश्यक है, एव (iv) साम्यवादी दल के नेतृत्व में संग्रामों में लड़ने के लिए राष्ट्रीय सेना का संगठन भी किया जाना चाहिए।)

आन्तरिक पुनर्गठन की दिशा में चीनी साम्यवादियों ने दो उद्देश्यों पर विशेष बल दिया—चीन में विदेशी प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देना और चीन का एकीकरण कर मध्य चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाना। इस समय में ही चीनियों ने रूसियों को छोड़कर पाश्चात्य देशों के अन्य सभी लोगों को चीन से निकालना आरम्भ कर दिया। चीन के एकीकरण के लिए ‘चीनी प्रदेशों’ को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य में 1950 में पेकिंग द्वारा तिब्बत पर आक्रमण और कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप किया गया, तथाविच वृत्तिपय कारणों से चीन ने अपनी युद्ध-नीति में परिवर्तन बाध्यनीय समझा। पहला कारण व्यापारिक प्रतिबन्धों से उत्पन्न आर्थिक कठिनाईयाँ थीं। इन्हें हल करने के लिए अप्रैल, 1952 में मार्क्स

में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिससे साम्यवादी देशों का गैर-साम्यवादी देशों के साथ व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा कारण-1952 की स्टालिन की यह घोषणा थी कि—“पूँजीवाद और साम्यवाद का प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व सम्भव है।” अपने एक लेख में स्टालिन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि समाजवाद के प्रसार के साथ-साथ पूँजीवादी देशों की मण्डियाँ कम हो रही हैं। परिणामतः पूँजीवादी विश्व नाना सफटों और सघर्षों का शिकार बनेगा और अन्ततः समाजवाद से पराजित होगा, अतः साम्यवादियों को पश्चिम के साथ आर्थिक प्रतियोगिता करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बिना युद्ध किए ही पूँजीवाद की इतिश्री हो जाएगी। तीसरा कारण चीन द्वारा यह अनुभव लिया जाना था कि एशिया में समुक्तराज्य अमेरिका की शक्ति का विस्तार हो रहा है। चौथा कारण कोरिया-युद्ध के कारण चीन की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना था। अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं के सफल मंचालन के लिए हमारे देशों का सहयोग अपेक्षित था और इसके लिए उदार नीति अपनायाना अधिक उचित था। इन्हीं सब कारणों से प्रभावित होकर साम्यवादी चीन के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् के सम्मुख भी उपस्थित हुए और उन्होंने 1951 में 1953 तक कोरिया में युद्ध-विराम सम्बन्धी बातों की।

1949 से 1953 तक की अवधि में साम्यवादी चीन ने विदेश नीति के क्षेत्र में प्रधानतः रूस का अनुसरण किया। उसका अपना कोई स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं था (रूस में मित्रता और अमेरिका से शत्रुता—ये दो बातें उनके सम्पूर्ण कार्यों का आधार रही।)

द्वितीय युग उदारवादी युग (1954-1959)

यह युग 1954 से 1959 तक रहा, यद्यपि इसका शीर्षक 1952-53 में ही हो चुका था। चीन की उग्र और युद्धवादी क्रान्तिकारी नीति में परिवर्तन की पहली सूचना पेरिस में अक्टूबर, 1952 में होने वाले एशियायी और प्रशान्त क्षेत्रीय शान्ति-सम्मेलन में मिली। इसमें 1954 के ट्रेड-यूनियन-सम्मेलन के सर्वथा विपरीत क्रान्ति और हिंसा के स्थान पर शान्ति एवं सह-अस्तित्व की चर्चा की गई। इस सम्मेलन ने समुक्त राष्ट्रमण्डल से अनुरोध किया कि वह वियतनाम, मलाया एवं अन्य देशों में युद्ध समाप्त कर सन्धि-वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौता कराने की दिशा में प्रयत्नशील हो। सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा की गई कि विभिन्न सामाजिक पद्धतियों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव है। जून, 1953 में कोरिया की युद्ध-विराम-सन्धि से चीन की इस परिवर्तित नीति की पुष्टि हुई। 1954 में चीन ने विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। इस वर्ष उमन जेनेवा सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाग लिया और शान्तिवादी नीति का अनुसरण करते हुए 17वीं प्रस्ताव रक्षा पर वियतनाम का विनाश तथा लाओस और कम्बोडिया की गृहयुद्ध व्यवस्था स्वीकार कर ली। इस प्रकार चीन ने अपनी शान्तिवादिता का दिशारा पीटा जबकि वास्तविकता यह थी कि उसने समझौता दमलिये स्वीकार

किया था कि इससे, आगे वियतनाम के साम्यवादी राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो रही थी और इसे बड़ा बनाकर चीनी साम्यवाद आगे बढ़ सकता था। इस सम्मेलन में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ ने यह अनुभव किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध और सन्धियों द्वारा चीन की शक्ति-वृद्धि के प्रयास करने चाहिए ताकि अवसर आने पर चीन उस शक्ति या अपने पक्ष में उपयोग कर सके। इस नीति का अनुसरण कर चीन ने सर्वप्रथम अप्रैल, 1954 में तिब्बत के बारे में सन्धि की और पचशील के सिद्धान्तों में 'हादिक' ग्रास्था प्रकट की।

पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की नेकनीयती पर भरोसा नहीं किया और पचशील की घोषणा को कूरा प्रचार बताया। फिर भी एशिया के विभिन्न देशों को अपने शब्दजाल और अपनी कुशल कूटनीति द्वारा प्रभावित करने में चीन को उत्तलक्षणीय सफलता प्राप्त हुई। कोरिया-युद्ध में अमेरिका को टक्कर देकर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में अपनी सैनिक शक्ति का आतक वह पहले ही पैदा कर चुका था, अतः उन्हें शक्तिशाली चीन को अपना मित्र बना लेने में क्या मकोच हो सकता था। चीन को अपनी छद्मवेशी उदार नीति में सफलता इसलिए भी प्राप्त हुई कि चीन ने पश्चिमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो जिहाद छेड़ा था उससे सभी एशियायी देशों को सहानुभूति थी क्योंकि वे सब उससे पीड़ित रह चुके थे। चीनी सफलता का एक और भी कारण था। कोरिया-युद्ध के बाद से ही संयुक्तराज्य अमेरिका साम्यवाद से सुरक्षा के लिए सैनिक-सन्धियों का जाल बुन रहा था और भारत जैसे देशों की मान्यता थी कि इन सैनिक-सन्धियों द्वारा 'शीत-युद्ध' को एशिया के इस भाग में लाया जा रहा है। चीन ने एशियायी राष्ट्रों को इस मनोदशा का पूरा लाभ उठाया। उसने पश्चिम द्वारा समर्थित सैनिक-सन्धियों और ब्रह्मों के विरुद्ध आग उगली, पश्चिम की इस नीति को नवीन साम्राज्यवादी चाल की सजा दी और शान्ति का क्षेत्र विस्तृत करने पर बल देते हुए विदेशों के साथ दोस्त सम्बन्ध विकसित करने आरम्भ किए। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में चीनी राजदूत प्रतिष्ठित हो गए। अप्रैल, 1955 में चीन ने बॉडुग-सम्मेलन में भाग लिया और एशिया तथा अफ्रीका के 29 राष्ट्रों के सम्मुख कूटनीतिज्ञता का प्रदर्शन करते हुए शान्तिवादी उदार नीति का समर्थन किया। बॉडुग-सम्मेलन में चाऊ-एन-साई ने दो कार्यों से अपने राष्ट्र को शान्ति-प्रेमी सिद्ध करने में सफलता पाई— (i) प्रवासी चीनियों के बारे में इण्डोनेशिया के साथ सन्धि करके उसने एशियायी देशों को आश्चस्त किया कि उन्हें अपने यहाँ के चीनी प्रवासियों से प्रायकित नहीं होना चाहिए, एव (ii) ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए चाऊ ने सन्धि-वार्ता का प्रस्ताव रखा। बॉडुग-सम्मेलन के अवसर पर चीन की बहुत प्रशंसा हुई और बाद में 1958 तक चीन की शान्तिप्रियता का यह ढोंग ब्यस्तूर चमता रहा।

तृतीय युग नया उग्रतावादी युग (1959 से 1969 तक)

यह युग 1959 से आरम्भ हुआ, यद्यपि इसके लक्षण 1957 के उत्तरार्ध से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। 1957 से ही पश्चिमी देशों के साथ-साथ एशियाई

देशों के प्रति भी चीनी व्यवहार में कठोरता आने लगी। नवम्बर में मास्को में बोलशेविक क्रान्ति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर सप्ताह के सभी साम्यवादी दलों के सम्मेलन में चीन की नवीन उग्र नीति का स्पष्ट संकेत मिला। माओ-त्से-तुंग ने 18 नवम्बर के अपने भाषण में पूर्व और पश्चिम के सघर्ष पर बल देते हुए चीन की नवीन नीति का सिहनाद इन शब्दों में किया—“इस समय विश्व में दो हवाएँ हैं—पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा। चीन में एक कहावत है ‘यदि पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हावी नहीं होगी तो पश्चिमी हवा पूर्वी हवा पर हावी हो जाएगी।’ मेरे विचार में वर्तमान स्थिति की यह विशेषता है कि पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हावी है अर्थात् समाजवाद की शक्ति पूंजीवाद की शक्ति से अधिक है।”

अपनी नई उग्रवादी नीति का श्रीगणेश करते हुए चीन ने सर्वप्रथम उन मांगों का प्रबल विरोध किया जिनके अनुसार साम्यवादी नीति में कुछ संशोधन होना चाहिए था। तत्पश्चात् 1958 के लेबनान-संकट में चीन के तटवर्ती टापुओं के संकट में तथा 1959 के लाओस-संकट में पेंगिंग ने कठोर रुख अपनाया। 1959 से तो चीन की विदेश नीति में प्रति स्पष्ट रूप में एक नया मोड़ आया और वह अधिकाधिक उग्र, आक्रामक तथा साम्राज्यवादी बनती गई। 1959 में अपने वचनों का उल्लंघन कर चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता को नष्ट कर दिया और दलाईलामा को अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा। इसी समय से चीन भारत के साथ सीमा-विवाद में कठोर नीति का अनुसरण करने लगा और शन-शन भारतीय सीमा पर उसके अतिक्रमण बढ़ते गए। 1959 में ही श्री ख़ुश्चेव ने संयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा की जिसे चीनी नेताओं ने पसन्द नहीं किया और उनका दृष्टिकोण रूस के प्रति आलोचनात्मक हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे रूस अधिकाधिक शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थक बनता गया और चीनी दृष्टिकोण इस नीति तथा रूस का अधिकाधिक विरोधी होता गया। 1962 में चीन के आक्रमण ने उसके साम्राज्यवादी स्वरूप को पूरी तरह उजागर कर दिया।

अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर, 1963 से एक नवीन कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया। अफ्रीका महाद्वीप को क्रान्ति के लिए एकदम अनुकूल समझ कर वहाँ अपने प्रभाव का तीव्र गति से विस्तार करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1963 में चाऊ-एन-लाई ने विभिन्न अफ्रीकी देशों की 8 सप्ताह की यात्रा की। चीनी प्रधान मंत्री संयुक्त अरब गणराज्य, अल्जीरिया, मलावी, ट्यूनीशिया, याना, माली, गिनी, सूडान, इथोपिया, सोमालिया आदि देशों में गए और फरवरी, 1964 में बर्मा, पाकिस्तान और श्रीलंका की यात्रा भी की। अपनी यात्रा के दौरान श्री चाऊ ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि प्रथम तो इन देशों पर सोवियत व पश्चिमी प्रभाव क्षीण होकर चीनी प्रभाव में वृद्धि हो जाए और दूसरे, भारत और रूस के साथ सीमा विवाद में उसे इन देशों का समर्थन प्राप्त हो जाए, परन्तु 1965 के अन्त तक होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने चीन की विदेश नीति और नवीन कूटनीतिक अभियान की असफलताओं को उजागर कर दिया। वह अल्जीरिया में

अफ्रीशियायी राष्ट्रों का वांडुग जैसा सम्मेलन बुलाने में असफल रहा। अफ्रीका में अपने शिष्य बेनबेल्ला द्वारा शामिल अल्जीरिया में सम्मेलन का आयोजन कर माओ-त्से-तुंग अफ्रीशियायी देशों पर चीन की घाक बँठाना चाहता था, परन्तु सम्मेलन आरम्भ होने से पहले ही बेनबेल्ला का पतन हो गया। सम्मेलन के आयोजन में सफलता पाने के उद्देश्य से चीन ने अल्जीरिया की नई सरकार का समर्थन किया परन्तु भारत आदि राष्ट्रों ने सम्मेलन को स्थगित करवा दिया। बेनबेल्ला के विरोधियों का समर्थन कर चीन ने यह मिद्ध कर दिया कि अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए चीन साम्यवाद की भी उपेक्षा कर सकता है। इससे अफ्रीशियायी देशों में उसे बदनामी मिली। पाकिस्तान के प्रति चीन की सहानुभूति की पोल भी उस समय खुल गई, जब भारत-पाक संघर्ष के समय चीन भारत को केवल धमकी देता रहा और इस तरह उसने पाकिस्तान की आशा को आघात पहुँचाया कि चीन भारत को गहरी क्षति पहुँचाकर पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती का सबूत देगा। चीन के इस हल से पाकिस्तान को मन ही मन बहुत अप्रसन्नता व निराशा हुई। इसके प्रतिरिक्त साम्यवादी देशों को भी इस बात से बड़ी ठेस पहुँची कि चीन अपने घोर शत्रु सयुक्तराज्य अमेरिका के पिटू और उससे मैत्रिक सहायता पाने वाले पाकिस्तान का खुल्लम-खुल्ला समर्थन कर रहा था। 1965 में ही इण्डोशिया में चीन प्रेरित साम्यवादी क्रान्ति असफल हुई और इण्डोनेशियायी सेना ने साम्यवादियों का पूरी तरह दमन कर दिया। विश्व के साम्यवादी दलों में इण्डोनेशियायी साम्यवादी दल का एक विशिष्ट स्थान था। उसके अध पतन से विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को गहरा आघात पहुँचा और साथ ही पेंकिंग-पिडी-जकार्ता घुरी छिन्न-भिन्न हो गई। अफ्रीशियायी देशों में भी चीन का प्रभाव क्षीण हो गया और वे चीनी साम्यवाद के खतरे को समझने लग गए। दिसम्बर, 1965 में मलावी के प्रधानमन्त्री डॉ हेस्टिंग्स बाण्डा ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की—

चीनी यह समझते हैं कि अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद की समाप्ति के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति उन्हीं के द्वारा होनी है। पेंकिंग के लोग चनेजर्सी की कल्पना से भी बड़ा ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सम्पूर्ण एशिया तथा अफ्रीका सम्मिलित हो तथा यदि जनता आपत्ति न करे तो दसमें यूरोप और अमेरिका भी सम्मिलित हों। जब मैं अफ्रीका के बारे में विचार करता हूँ तो मुझे रूसियों से उतना भय नहीं लगता जितना कि चीनियों से समय की गति के साथ हमी नरम पड़ गए हैं, किन्तु चीनी नरम नहीं पड़े हैं।

अफ्रीका महाद्वीप में चीन तेजी से अपनी प्रतिष्ठा खोता गया और पेंकिंग से कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद का क्रम आरम्भ हो गया। इसी बीच चीन तथा रूस के सम्बन्धों में भी काफी बिगाड़ आ गया। दोनों के मतभेद उग्र हो गए। चीन सोवियत संघ को नशानवादी और सोवियत संघ चीन को बट्टरपथी कहकर एक-दूसरे को बदनाम करने लगे। वान्जव में साम्यवादी जगत् के नेतृत्व की होड़ शुरू हो गई क्योंकि चीन ने हमी नेतृत्व अस्वीकार कर दिया। दोनों देशों में बट्टु सीमा-

विवाद भी उत्पन्न हो गए और मार्च, 1969 में सोमा पर सैनिक झड़पें भी हुईं। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों देशों के सम्बन्ध विच्छेद के बग़ार पर पहुँच गए।

चतुर्थ युग सहयोग और मैत्री की कूटनीति का युग (1970 से अब तक)

उग्रतावादी एवं क्रान्तिकारी युग में साम्यवादी चीन ने अतक और तोड़-फोड़ की जिस विदेश नीति का अनुसरण किया उससे वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में काफी बदनाम हो गया और उसके दो पुराने मित्र भारत और रूस उसके विरुद्ध हो गए। चारों ओर से उसका विरोध होने लगा और वह लगभग अलग-थलग पड़ गया। चीन ने अपनी इस पृथक्ता की स्थिति को तोड़ने के लिए एशिया और अफ्रीका के छोटे देशों में अपने प्रभाव-विस्तार की चेष्टाएँ की, किन्तु उनमें भी वह लगभग असफल रहा। नासिर के नेतृत्व में अरब जगत् चीनी कूटनीति का शिकार होने में बचा रहा। अतः यह आवश्यक हो गया कि चीन अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन कर अतक एवं तोड़-फोड़ के स्थान पर सहयोग, मैत्री एवं सह-अस्तित्व की नीति अपनाएँ—चाहे मौलिक रूप में उसका इनमें विश्वास नहीं था। 1970 के प्रारम्भ से ही चीन ने अपनी विदेश नीति का संचालन पुनः इस रूप में प्रारम्भ किया ताकि अधिकाधिक मित्र और समर्थन प्राप्त किया जा सके तथा पुरानी नीति के कारण विदेश नीति के स्वरूप में जो बिगाड़ पैदा हुए थे, उन्हें सुधार कर विश्व के देशों को अपनी 'सद्भावयता' में विश्वास दिलाया जा सके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने कुछ ऐसी करवट ली कि चीन का मार्ग सुगम हो गया। राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका ने अपना चीन-विरोधी रवैया शिथिल कर दिया, चीन की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया तथा अमेरिकी महयोग से रूसी नेतृत्व का मुबावला करने के लिए चीन को आकर्षित किया। चीन को समुक्त राष्ट्रसंघ में भी प्रवेश मिल गया जिससे उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक क्रान्ति की सफलता आर्थिक और सैनिक शक्ति में तीव्र विकास तथा महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने की आकांक्षा ने चीन को प्रेरित किया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उच्छ्वलता त्याग दे।

मैत्री, महयोग और समय की नई कूटनीति अपनाते हुए चीन ने एक ओर अमेरिका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने शुरू किए तथा दूसरी ओर रूस के विरुद्ध अपना प्रचार-प्रभियान शिथिल किया। 1970 में ही रूस और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके बाद से एक-दूसरे पर कठोर शब्दों का प्रयोग कम होता गया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की तथा दूसरे देशों के साथ भी चीन 'पिंग-पॉंग कूटनीति' के मार्ग पर चलने लगा। भारत के प्रति चीनी रवैया यद्यपि पूर्ववत् रहा। दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक नधर्प में इनमें सोमा पर सैनिक हलचल द्वारा तनाव पैदा किया। कूटनीतिक क्षेत्र में चीन का

भारत विरोधी रवैया किसी भी अनुपात में रहा हो, लेकिन व्यवहार में उसने भारत को सैनिक दृष्टि से भड़काने वाली कार्यवाही करने में सयम रखा है। पाकिस्तान को सैनिक महायत्ना और कूटनीतिक समर्थन देकर अपने पक्ष में करने की चीनी नीति पूर्ववत् सक्रिय है, लेकिन चीनी नेताओं ने अपने व्यवहार से यह संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके कारण वह भारत से सैनिक संपर्क में उलझने की भूल करेगा। 1976 में पेरिस में भारतीय राजदूत की नियुक्ति के बाद दोनों देशों में कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए।

फरवरी, 1979 में वियतनाम पर चीनी आक्रमण के विरुद्ध विश्व के विभिन्न देशों और अधिकांश अफ्रेशियाई राष्ट्रों में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई उसने चीन को पुनः यह सोचने को मजबूर कर दिया कि उसे अपनी आक्रामकता पर मकुश लगाना होगा। यद्यपि चीन की विदेश नीति आज भी विस्तारवादी, सैनिकवादी और 'मेमना-भेड़िया, क्हावत को चरित्रार्थ करने वाली है, तथापि प्रत्यक्ष आक्रमण की दिशा से वह विमुख हो रहा प्रतीत होता है। इस के साथ सीमान्त झड़पे लगभग बन्द हैं, भारत के साथ सीमान्त विवाद को शान्ति वार्ताओं द्वारा हल करने की उत्सुकता चीनी नेतृत्व दिखा रहा है, विश्व राजनीति में चीन का व्यवहार पूर्वापेक्षा अधिक सयत हो रहा है, ताईवान के प्रश्न पर हथियारों की बात करने की अपेक्षा वह ताईवान को मुख्य भूमि में मिलाने की समस्या पर कूटनीतिक प्रयास कर रहा है और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर वह कूटनीति की भाषा में बात करने लगा है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने हित होते हैं और राष्ट्रीय हितों तथा लक्ष्यों के अनुरूप उसे अपनी विदेश नीति का संचालन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मर्यादाओं के भीतर करना होता है। चीन में भी यही अपेक्षा है।

1970 के बाद से सहयोग और मैत्री के तए कूटनीतिक काल में चीन ने विभिन्न देशों के साथ सवाद की नीति भी अपनाई और चीनी नेताओं तथा अधिकारियों ने विभिन्न देशों की यात्राएँ कीं। 26 अक्टूबर, 1971 को चीन की साम्यवादी सरकार को सयुक्त राष्ट्रसंघ में भी मान्यता मिल गई। अनेक प्रमुख देशों के साथ चीन के व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्भौते हुए। विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के नाम पर चीन ने जून, 1981 में अमेरिका के साथ एक समभौता किया। इस युग में चीनी विदेश नीति की दो सर्वप्रमुख प्रवृत्तियाँ रही—अमेरिका से अधिकाधिक दोस्ती और पाकिस्तान को सय महायत्ना देते हुए भी भारत के साथ सन्तुलित सहयोग और सवाद का प्रारम्भ।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हमें देखना चाहिए कि प्रारम्भ में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कैसे रहे, विभिन्न देशों के साथ उसकी विदेश नीति किस रूप में संचालित हुई तथा वर्तमान चीनी नीति का व्यावहारिक रूप क्या है ?

चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations of China)

विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के साथ चीन के जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रहे हैं उनका विवेचन समुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत की विदेश नीति के सन्दर्भ में विस्तार से किया जा चुका है। अतः यहाँ चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सांकेतिक विवेचन ही अपेक्षित है।

अमेरिका-चीन सम्बन्ध (U. S A -China Relations)

राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता और न कोई स्थायी शत्रु होता है। अमेरिका और चीन पहले एक-दूसरे के घोर शत्रु थे किन्तु अब एक-दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं।

वर्तमान साम्यवादी चीन अथवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर, 1949 को हुई। च्यांग-काई-शेक और उसका राष्ट्रवादी दल चीन के गृह-युद्ध में साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। समुक्त राज्य अमेरिका ने च्यांग-काई-शेक को वर्षों तक भरपूर सहायता दी, लेकिन माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरी नहीं होने दी। च्यांग-काई-शेक ने भाग कर चीन की मुख्य धरती में कुछ ही मील दूर चीन के फारमोसा द्वीप में प्ररण लेकर वही चीन की 'निर्वासित सरकार' स्थापित कर ली। अमेरिका और उसकी हठधर्मियों के कारण समुक्त राष्ट्रसंघ इसी सरकार को अर्थात् राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे। चीन की साम्यवादी सरकार की मान्यता का प्रश्न 1949 से 25 अक्टूबर, 1971 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय रहा। वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही। दुनिया के लगभग 35 देशों की मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश च्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देते थे। भारत ने आरम्भ से ही एक चीन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी थी। अखिर 26 अक्टूबर, 1971 को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई। समुक्तराष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान या फारमोसा) की मान्यता समाप्त करके उसके स्थान पर जनवादी (साम्यवादी) सरकार को चीन की वैधानिक सरकार के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 22 वर्षों का यह संघर्ष समाप्त हो गया जो साम्यवादी चीन को विश्व-संस्था का सदस्य बनाने के लिए चल रहा था। समुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह पहला अवसर था जब संघ के किसी सदस्य और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को संघ की सदस्यता से निष्कासित कर उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य बनाया गया हो। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का एक सदा आक्रामक रहा, पर माओ की मृत्यु के बाद नया नेतृत्व उदार बन रहा है।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध (1944-68) . उग्रवादी नीति

राष्ट्रपति निक्सन द्वारा चीन के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाने से पूर्व दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त शत्रुतापूर्ण थे । अमेरिका ने नवोदित साम्यवादी चीन को न केवल मान्यता देने से इन्कार कर दिया बल्कि संयुक्तराष्ट्र में उसके प्रवेश के विरुद्ध भी मोर्चाबन्दी की । अमेरिका की नीति मुख्यतः यह रही है कि साम्यवादी चीन के साथ मैत्री और सहानुभूति रखने वाले देश अमेरिका के मित्र नहीं माने जा सकते । 1950 में कोरिया-युद्ध में संयुक्त राष्ट्रमधीय सेनाओं ने अमेरिकी कमान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा । जब संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाएँ 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर बाल नामक स्थान पर पहुँची तो उत्तर कोरिया की ओर से चीनी सैनिक टिङ्डी दल की भाँति उन पर टूट पड़े । कोरिया का युद्ध अब प्रधानतः अमेरिका व चीन का युद्ध बन गया । अक्टूबर, 1951 में माओ-त्से-तुंग ने कहा—“हम अपने देश की रक्षा के लिए ही ‘साम्राज्यवादी आक्रमणों’ के विरुद्ध लड़ रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि अमेरिकी सेनाओं ने हमारे ताइवान (फारमोसा) पर बमबाँ न किया होता और हमारे साम्यवादी मित्र-राज्य पर दक्षिणी कोरिया ने आक्रमण न किया होता तथा स्वयं अपनी कार्यवाहियों का विस्तार हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा तक न किया होता तो हम आज अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध लड़ रहे होते ।”

कोरिया-युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका ने फारमोसा को साम्यवादी चीन के सम्भावित आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए खुलकर सैनिक सहायता देने का निश्चय कर लिया । अमेरिका के इस निश्चय ने दोनों देशों के सम्बन्धों को और भी अधिक कटु बना दिया । चीन में वाशिंगटन—विरोध प्रचार-अभियान तीव्र कर दिया गया । क्लाड बस (Claud Buss) के शब्दों में—“चीनवासियों ने अमेरिका पर जापान में फासिस्टवाद तथा सैनिकवाद की पुनर्स्थापना करने तथा एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान का एक माघन के रूप में प्रयोग करने के आरोप लगाए । इसी तरह उन्होंने अमेरिका को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगमन री की सहायता करने एवं कोरिया में गृह-युद्ध छेड़ने के लिए भी दोषी ठहराया ।”¹ चीन के साम्यवादी नेताओं ने कोरिया-युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि—“यह युद्ध कोरिया, फारमोसा, हिन्द-चीन एवं फिलीपाइन्स पर बमबाँ करने तथा उसके पश्चात् एजिप्तायी मामलों में हस्तक्षेप करने के अमेरिकी पट्यन्त्र का ही अग्रिम भाग है ।”

साम्यवाद के प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका ने विभिन्न सैनिक और प्रतिरक्षात्मक सगठनों का निर्माण किया । अमेरिका द्वारा निर्मित और प्रेरित नाटो, सीटो, अजुप्रस (ANZUS), बगदाद पंचट (अब नैटो) तथा मध्य-पूर्वी कमान सन्धियों की साम्यवादी चीन ने यह नज़र तीव्र भरसंन्या की

कि इन सबका उद्देश्य विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना करना है। अमेरिकियों के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बन्द कर दिए गए। अनेक बार तो अमेरिकी पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। चीन स्थित अमेरिकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। अमेरिका के साथ व्यावहारिक सम्बन्ध पूर्णतः भंग कर दिए गए। उसके साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों पर—चाहे वे सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों या कूटनीतिक हों—रोक लगा दी गई। कोरियाई युद्ध में जिन अमेरिकी चालकों को बन्दी बना लिया गया था, उन्हें भी सोवियत रूस के माध्यम पर बड़े वाद-विवाद के बाद मुक्त किया गया।

1954 में हिन्द-चीन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया। चीन-विन-पू में फ्रेंच सेनाओं की निर्णायक पराजय के उपरान्त जब वाशिंगटन ने फ्रान्स की सहायतायें भारी सख्या में अपनी सेनाएँ भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और साम्यवादी चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा पैदा हो गया। जिनेवा सम्झौता सम्पन्न हो जाने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टल गई। 1959 में चीन और अमेरिका के बीच सधर्य के नए-कारण उत्पन्न हो गए। लाओस में सधर्य के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने के लिए ही सुदूर पूर्व में सधर्य चाहता है। तिव्वत की क्रान्ति के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के रवैयें से भी चीन को भारी शोक हुआ। इसके अतिरिक्त जनवरी, 1960 में जापान तथा अमेरिका के बीच जो पारस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि सम्बन्ध हुई, उससे भी चीन के सम्बन्ध कटु बने। चीन ने हर सम्भव प्रयत्न द्वारा जापान व अमेरिका के गठबन्धन को निरस्त करने का प्रयास किया। पीकिंग रेडियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादी पद्धन्त रचने का आरोप लगाया। 9 सितम्बर, 1962 को साम्यवादी चीन की वायु सेना के एक डू-2 सैनिक जॉन्ग वायुयान को चीन की मुख्य भूमि पर मार गिराया। चीन सरकार ने इस घटना पर एक विभूत बक्तव्य प्रसारित किया और अमेरिका को इस विमान की उड़ान के लिए उत्तरदायी ठहराया। अक्टूबर, 1962 में 'क्यूबा-सकट' के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध भारी विप-बमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विज्ञान प्रदर्शन सगठित किए गए, क्यूबा समर्थक नारे लगाए गए और क्यूबा के नेताओं का चित्रो का प्रदर्शन किया गया। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत को जो प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी, उससे भी साम्यवादी चीन के आक्रोश में वृद्धि हुई।

1965-66 में वियतनाम-मस्यथा के प्रश्न पर दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता में और भी वृद्धि हुई। वियतनाम में शान्ति-स्थापना के हर प्रयास को चीन ने असफल बनाने की कोशिश की। चीन की प्रेरणा से ही उत्तर वियतनाम ने सभी शान्ति प्रस्तावों के विरुद्ध कठोर हल अपनाते हुए केवल अपने ही प्रस्ताव को मानने पर बल दिया। जब हवाई सरकार घने-घने, पीकिंग की प्रेषणा मास्को के अधिक

निकट आने लगी तो यह भी चीन को बुरा लगा और उसका प्रयत्न यही रहा कि हनोई चीन के सैनिक निर्देशन में दक्षिण वियतनाम से युद्धरत रहे।

राष्ट्रपति जॉनसन ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। वे यह मानते रहे कि जिस लाल चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का महारा लिया है, समुक्त राष्ट्रसंघ से युद्ध किया है, तिब्बत की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे संघ में प्रवेश के योग्य एक शान्तिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता।

1966 तक चीन अमेरिका पारम्परिक विरोध की भावनाओं में परिवर्तन नहीं हुआ। ताइवान और वियतनाम मध्यस्थी प्रश्न दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण थे। अमेरिका विदेश मंत्री डीन रस्क और चीनी प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई के दो वक्तव्यों से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों देशों की एक-दूसरे के प्रति क्या नीति थी, दोनों राज्य पारस्परिक विरोध की भावनाओं से कितना ग्रस्त थे—

अमेरिका विदेश मंत्री डीन रस्क ने 16 मार्च, 1966 को अपने एक वक्तव्य में चीन के प्रति अमेरिकी नीति का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित 10 मुख्य सूत्रों का वर्णन किया—

प्रथम, अमेरिका को उन राष्ट्रों की सहायता करने के लिए, जो चीन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी और बल प्रयोग का विरोध कर पाने के लिए, अमेरिका की सहायता मांगते हैं बड़ निश्चय रहना चाहिए।

द्वितीय, अमेरिका को एशिया में गैर-साम्यवादी सरकारों की स्थापना और समर्थन करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।

तृतीय, ताइवान के प्रति अपने वचन पूरे करने चाहिए और चीन की भी ताइवान क्षेत्र में बल प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए।

चौथे, समुक्त राज्य को समुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता का विरोध करते रहना चाहिए।

पाँचवें, चीन के साथ युद्ध का भय होते हुए भी अमेरिका चीन पर आक्रमण करना नहीं चाहता।

छठे, चीन की नीति में कभी परिवर्तन आ सकता है अतः समुक्त राज्य को दोनों देशों में निश्चित और स्थायी विरोध की स्थिति को महत्त्व नहीं देना चाहिए।

सातवें, साम्यवादी चीन के साथ गैर-सरकारी सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे समुक्त राज्य के प्रति पीकिंग के विचारों में परिवर्तन आ सके।

आठवें, वारसा में अमेरिका को चीन के साथ प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए।

नवें, अमेरिका, पीकिंग और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निःसस्त्रीकरण और परमाणु सशस्त्रों के अत्यधिक उत्पादन पर रोक लगाने की गम्भीर समस्याओं पर विचार करने के लिए तत्पर है।

दसबे, अमेरिका की सरकार को साम्यवादी चीन से सम्बन्धित सूचना को हूँडने और उसके विश्लेषण के प्रयत्न में रहना चाहिए। जब पीकिंग बल-प्रयोग को त्याग देता है और सयुक्त राज्य के प्रति विरोध समाप्त करने को तैयार हो जाता है तो दोनों में विस्तृत और सुबरे हुए सम्बन्धों की सम्भावना हो सकती है।¹

डीन रस्क के इस वक्तव्य के प्रति चीन सरकार की प्रतिक्रिया विरोध पूर्ण थी। 1 अप्रैल, 1966 के 'पीकिंग रिव्यू' ने आरोप लगाया कि 15 वर्ष से अमेरिकी साम्राज्यवाद चीन के प्रति विरोध की नीति अपनाए हुए है, उसने बलपूर्वक चीनी क्षेत्र 'ताइवान' पर कब्जा कर रखा है, चीन के विरुद्ध नौ-सैनिक शक्ति तैनात कर रपी है और चीन में विध्वंसकारी कार्यवाहियों के लिए गुप्त एजेंट भेज रहे हैं, पत्र में कहा गया—“सयुक्त राज्य साम्राज्यवाद की कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह चीन के लोगों का बहुत बड़ा शत्रु है। चीन के प्रति सयुक्त राज्य सरकार की नीति ट्रूमैन और आइजन्हावर के समय से लेकर कनेडी और जॉनसन प्रशासन तक वही रही। जॉनसन प्रशासन ने भी आक्रमण और चीन के प्रति विरोध की नीति में कभी कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। वास्तव में अब इस नीति का धालन अधिक कठोरता और निलंजिता से किया जा रहा है। यह सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी है कि चीन सयुक्त राज्य का मुख्य शत्रु है। अमेरिका ने अपनी विश्व-नीति का प्रभाव-क्षेत्र अब एशिया को बना लिया है और चीन के घेराव के लिए सैनिक गतिविधियों को तीव्र कर दिया है। वियतनाम युद्ध को चीन की ओर लाने का भी बहुत गम्भीरता से प्रयत्न किया है। उच्च अमेरिकी सैनिक और नागरिक अधिकारी चीन के साथ शक्ति-परीक्षण की बात खुलेप्राय कर रहे हैं। जॉनसन प्रशासन के कहने और करने में अत्यधिक विरोधाभास था।

चीन ने आरोप लगाया कि विश्व के सभी भागों में चीन के प्रति घृणा का प्रचार किया जा रहा है। 'चीन-विरोधी मोर्चे' में सयुक्तराज्य अमेरिका के साम्राज्यवादी, सोवियत सशोधनवादी, जापानी-मन्यवादी और भारतीय प्रतिक्रियावादी सम्मिलित हैं। तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई ने अमेरिका के प्रति अपने देश की नीति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य में कहा—

(1) चीन सयुक्त राज्य के साथ युद्ध छेड़ने में पहल नहीं करेगा। चीन ने हवाई (Hawaii) में कोई सेनाएँ नहीं भेजी हैं जबकि सयुक्त राज्य ने ताइवान प्रदेश पर कब्जा कर लिया है फिर भी चीन इस मर्प को वार्तालाप द्वारा मुलभाने के पक्ष में है। (2) चीन के लोग जो महसूस करते हैं, वही कहते हैं। यदि एशिया, अफ्रीका या किसी अन्य देश के किसी भाग पर साम्राज्यवादियों द्वारा आक्रमण किया गया तो चीन की सरकार उसे अवश्य ही सहायता और आश्रय प्रदान करेगी। यदि इस न्यायोचित कार्य में सयुक्त राज्य चीन पर भी आक्रमण कर दे तो वह बिना हिचकिचाहट के उनका भी मुकाबला करेगा और अन्त तक युद्ध करना रहेगा।

(3) यदि सयुक्त राज्य चीन को युद्ध के लिए मजबूर करता है तो चीन उसके लिए भी तैयार है। चाहे सयुक्त राज्य कितने ही सैनिकों को भेज दे और परमाणु तथा कैंसे भी अस्त्रों का प्रयोग कर लें, चीन के लोग सयुक्त राज्य की सेनाओं को वापिस जाने नहीं देंगे। यदि वियतनाम के 14 लाख लोग सयुक्त राज्य के बीस लाख सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं तो चीन के 650 लाख लोग निश्चिततया ही अमेरिका के दस लाख सैनिकों का सामना कर पाएँगे। (4) एक बार युद्ध आरम्भ हो जाने पर, उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकेगी। कुछ सयुक्त राज्य-योजना-निर्माता नौ-मेना और वायु-सेना की सहायता से चीन पर दम गिराकर स्थल युद्ध से बचना चाहते हैं। यह तो केवल कल्पना है। एक बार वायु या जल की दिशा से युद्ध आरम्भ हो जाए तो फिर यह निर्णय केवल सयुक्त राज्य के हाथ में नहीं होगा कि युद्ध किस प्रकार जारी रखा जाएगा। यदि अमेरिका की सेनाएँ आकाश की ओर से आती हैं तो उसका प्रत्युत्तर चीन स्थल-युद्ध से क्यों नहीं दे सकता? यह सयुक्त राज्य को स्पष्ट चेतावनी थी कि चीनी क्षेत्र पर सयुक्त राज्य द्वारा दम गिराए जाने का अर्थ होगा कि चीन स्वलीय शक्ति द्वारा इण्डोचीन सघर्ष में हस्तक्षेप आरम्भ कर देगा।¹

चीन-अमेरिका विरोध पर अपनी टिप्पणी और फँयरबैंक तथा टेलर के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए डॉ मिथ एव खन्ना ने लिखा है—इन विवादों के विनिमय की अपेक्षा भी चीन और सयुक्त राज्य ने एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध आरम्भ नहीं किया। फँयरबैंक और टेलर (Fairbank and Taylor) ने 1960 के दशक में चीन की नीतियों के दो विभिन्न परीक्षण किए। फँयरबैंक का कहना था कि चीनी साम्यवादी मुख्यतः चीनी ही थे और अपनी प्रशासनिक परम्पराओं के प्रति वफादार थे। टेलर का विचार था कि वे मुख्यतः साम्यवादी थे और उनमें राष्ट्रीयता के कोई गुण नहीं थे। फँयरबैंक ने इस बात पर बल दिया कि चीन में जातीय तत्त्व शक्तिशाली थे और विश्व-क्रान्ति में अधिक योगदान नहीं दिया जा रहा था। टेलर ने इस विचार से इन्कार किया और कहा कि साम्यवादी विरव बहुकेन्द्रीय बन रहा था। फँयरबैंक ने चीन के विस्तारवाद को न मानते हुए माओ के विश्व-क्रान्ति के कार्यक्रम को साहित्यिक ही बताया। टेलर ने लिन प्यौ (Lin Piao) की विश्व-क्रान्ति की पुकार और चीन द्वारा तीसरे विश्व-देशों में वियतनाम जैसे उपद्रव छेड़ देने की धमकी को गम्भीरता से लिया। टेलर माक्षात्कार की नीति बनाए रखना चाहता था। फँयरबैंक का सुभाव था कि चीन के प्रति अमेरिका की नीति पर फिर से विचार किया जाए और वियतनाम के प्रति नम्रभोता, पोकिय शासन को मान्यता, सयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता और थ्यांग-नाई शेक शासन को प्राथम्य देने की समाप्ति इसके लिए आधारभूत रखे जाएँ।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध (1969-1987)

तनाव-शैथिल्य तथा अमेरिका से दोस्ती

20 जनवरी, 1969 को रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बने। निक्सन ने ऐसे प्रयत्न प्रारम्भ किए जिनका उद्देश्य चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना था ताकि एक ओर तो वियतनाम युद्ध से अमेरिका समझात पीछा छुड़ा सके और दूसरे, सोवियत प्रभुत्व को सफल चुनौती देते हुए राजनीतिक्षेत्र में पीकिंग-पिण्डो-वाशिंगटन धुरी का निर्माण कर, शक्ति-सन्तुलन अपने पक्ष में कर ले। अमेरिका को यह लालसा भी रही कि लगभग 70 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले देश से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करके अमेरिका व्यापक व्यापारिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। चीन की यह आकांक्षा थी कि सोवियत रूस के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए वह अमेरिका जैसे सबल राष्ट्र को अपने पक्ष में कर ले।

संयुक्त राज्य और चीन पर 'आगामी दशक' (Next Decade) नामक प्रथम राष्ट्रीय समारोह न्यूयार्क में 20-21 मार्च, 1969 को हुआ। लगभग 2500 व्यक्तियों ने, जिनमें चीन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे, इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुरानी नीति का पुनः परीक्षण किया और नए निर्देशों का सुझाव दिया। एडवर्ड कनेडी ने समारोह में घोषणा की—“पिछले बीस वर्षों से चीन के प्रति हमारी नीति युद्ध की नीति की रही है। हमने बहुत देर से विश्व के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक विरोध की नीति अपनाई है। अब हमें एक नई नीति ढूंढनी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी वर्तमान स्थिति में कोई बमजोरी है या हम चीन के प्रति नरम हो गए हैं, परन्तु इसलिए कि ऐसा करना हमारे तथा अन्य सभी राष्ट्रों के हित में है।”

सम्बन्ध-सुधार के प्रयत्न शुरू हुए और चीन-अमेरिका के बीच 'पिंगपोंग कूटनीति' का उदय हुआ। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार, यात्रा और अहाजराती सम्बन्धी कानूनी रुकावटों में ढील दे दी तथा अपनी टेबल टेनिस टीम को पिंगपोंग खेलने के लिए चीन भेजा। 1970 में माओ-त्से-तुंग ने अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत चीन में करने की इच्छा प्रकट की। दोनों देशों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु वारमा, पेरिस आदि स्थानों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ताओं का दौर प्रारम्भ हुआ जिनकी प्रगति के आधार पर 15 जुलाई, 1971 को बहुत ही नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति निकसन ने मई, 1972 के पूर्व अपनी चीन यात्रा की घोषणा की। भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इस घोषणा का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ करने वाली घटना बतलाया। 21 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति निकसन दबल सहित पीकिंग पहुँचे। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों में अनेक विषयों

पर मतभेदों के बावजूद मोहाद्रंपूर्ण वार्ता हुई। दोनों देशों ने ज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय और सम्पर्क का निश्चय किया। आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि सामान्य हित के विषयों पर दिवार-विनिमय और सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए विभिन्न माध्यमों से अघिकाधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए। निवसन की पीकिंग यात्रा के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध तेजी से सामान्य बनते गए। बंगलादेश के प्रश्न पर समुक्त राष्ट्रमण में दोनों ने आपस में सहयोग किया। फरवरी, 1973 में निक्मन के निजी सलाहकार हेनरी किंसिगर ने पीकिंग में चाउ-एन-त्साई तथा अन्य नेताओं से वार्ता की। अमेरिका और चीन द्वारा एक-दूसरे के यहाँ सम्पर्क कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया। यद्यपि इन कार्यालयों को दूतावास की सजा नहीं दी गई तथापि व्यवहार में इनका कार्य दूतावास जैसा ही रखा गया। दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग ने वृद्धि हुई। पारस्परिक व्यापार-विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया। चीन ने अमेरिका के दो बन्दी वायुयान-चालकों को मुक्त कर और अमेरिका ने ताइवान में अपनी मेना में पर्याप्त कटौती का संकेत देकर यह प्रदर्शित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों देश अघिकाधिक निकट आने को उत्सुक हैं।

दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब कुछ मन्द हो गई जब चीन ने देखा कि अमेरिका रूस के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्नों में महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता में चीन की उपेक्षा कर रहा है। नवम्बर, 1974 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री डॉ किंसिगर चीन गए तो उनके स्वागत में उदामीनता प्रकट कर चीनी नेताओं ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। इस अप्रसन्नता के दो प्रमुख कारण थे—अमेरिका द्वारा ताइवान सम्बन्धों उम गथाई ममभीते को त्रियान्वित न किया जाना जो साल भर पहले दोनों के बीच हुआ था, एवं अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेझेव द्वारा वार्ता के लिए ब्लाडीवोस्टक की चुनना। ब्लाडीवोस्टक कभी चीन का हिस्सा था अत चीन ने सोचा कि उसे चिढ़ाने के लिए इसे वार्ता-स्थल चुना गया है। 1972 की गथाई विज्ञप्ति में किए गए वायदों में एक महत्वपूर्ण वायदा यह था कि अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान लेगा। अप्रैल, 1975 में च्यांग-काई-शेक की मृत्यु के बाद ताइवान फिर से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आकर्षण केन्द्र बन गया। मार्शल च्यांग के निधन का न केवल ताइवान की अन्तरिक राजनीति पर बलिक अन्य देशों के सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वंस च्यांग के उत्तराधिकारी उनके पुत्र तथा प्रधानमंत्री च्यांग-चुंग-कुओ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने देश पर कभी भी साम्यवाद की छाया नहीं पड़ने देंगे और चीन की मुख्य भूमि को साम्यवाद से मुक्त करने के लिए निरन्तर मर्षण करने रहेंगे।

निवसन के हटने के बाद से ही अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में कुछ निधिनता उत्पन्न हो गई जैसा कि अमेरिकी विदेश-नीति के सन्दर्भ में बताया जा

घुका है, जय डॉ किसिंगर ने अक्टूबर, 1975 में और राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर, 1975 में चीन की यात्रा की तो उनका बहुत ही फीका स्वागत हुआ।

निक्सन काल में अमेरिका-चीन सम्बन्धों का मूल्यांकन करते हुए डॉ मिथ एव खन्ना ने लिखा है कि निक्सन प्रशासन ने किसिंगर की व्यक्तिगत वृद्धनीति का प्रयोग करते हुए 1970 के दशक में चीन अमेरिकन सम्बन्धों की नींव रखी। संयुक्त राष्ट्र ने 'दो चीन' की नीति त्याग दी। पीकिंग को चीन की वैधिक सरकार के रूप में मान्यता दी, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता का समर्थन और सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान दिए जाने का बचन दिया। ताइवान से सेनाएँ निकाल लिए जाने को स्वीकार कर लिया तथा वियतनाम सघर्ष के मुद्दा के लिए वार्तालाप की स्वीकृति दे दी। अन्त में दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेनाएँ पूर्णतया हटा लेने का बचन दिया। धीरे-धीरे सभी इण्डोचीन राज्यों से अमेरिकन प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया और दक्षिणी वियतनाम, कम्बोडिया और फिर लाओस में साम्यवाद पक्षीय शासन स्थापित हो गए। जापान और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य अमेरिकन साथी देशों ने चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर लिए। चीन के साथ साक्षात्कार की अमेरिकन नीति तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया में हस्तक्षेप से संयुक्त राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ।

20 जनवरी, 1977 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जिम्मी कार्टर आरूढ़ हुए। अगस्त, 1977 में विदेश मंत्री साइरस वेन्स ने चीन की यात्रा की। ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग से अन्य मुद्दों पर मतव्य नहीं हो सका। कुल मिलाकर यह यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधार में सहायक नहीं हुई। इसके बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिस्वी ने पीकिंग की यात्रा की। कार्टर ने चीन के प्रति अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और चीन को विभिन्न किस्मों के हथियारों तथा विद्युत घ्राणविक उपकरणों के निर्यात पर तय प्रतिबन्धों में ढील देने का निश्चय किया। ताइवान के प्रश्न पर मतभेद घटते गए और 1 जनवरी, 1979 को कार्टर ने चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की। कार्टर ने अपने वक्तव्य में यह मान लिया कि चीन केवल एक है और उसकी एक सरकार है, तथापि यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-सरकारी तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। दोनों पुराने शत्रु देश एक-दूसरे के निकट आते गए और फरवरी, 1979 में डेग किसिंगरों विंग अमेरिका की यात्रा पर गए। डेग-कार्टर संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि चीन एक अमेरिका जैसी एक देश या कुछ देशों के समूह द्वारा अन्य देशों पर आधिपत्य या बन्धनकारी शक्ति स्थापित करने के विरुद्ध है। स्पष्ट था कि यह वक्तव्य रूस को ध्यान में रखते हुए दिया गया। अमेरिका ने फ्रांस द्वारा चीन को अनुसक्ति यन्त्र दिए जाने का समर्थन किया। चीन ने अमेरिका की विश्वव्यापी नैतिक गतिविधियों को स्वीकार किया और अमेरिका ने भी विश्वास प्रकट किया कि शक्तिशाली तथा सुरक्षित चीन विश्व-सम्बन्धों में रचनात्मक भूमिका निभा सकता

है। जुलाई, 1980 में टोकियो में राष्ट्रपति कार्टर और प्रधानमंत्री हुआ-कुओ-फेंग में पहली बार वार्ता हुई। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध दोनों देशों ने एक स्वर से किया। कार्टर ने एक दूरदर्शन भेटवार्ता में कहा कि रूसी सैनिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, चीन और जापान को एक हो जाना चाहिए। यद्यपि चीन के प्रति अमेरिकी नीति में परिवर्तन बहुत पहले हो गया था। और दोनों देशों के बीच अभी तक व्यापारिक तथा अन्य अर्थनैतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता जा रहा था लेकिन सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए वह नया सहयोग दोनों देशों को सैनिक क्षेत्रों में भी ले आया। इस बात को नजरअन्दाज कर दिया गया कि सोवियत संघ ने यदि कोई दवाबी कार्यवाही की तो अन्ततः एशिया की शान्ति खतरे में पड़ जाएगी।

20 जनवरी, 1980 को रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। रीगन प्रशासन के दौरान 1982 के अन्तिम चरण तक दोनों देशों के सम्बन्ध लगभग वैसे ही रहे जैसे कार्टर प्रशासन के दौरान थे। 'वाशिंगटन-पीकिंग-पिण्डी-धुरी' को रीगन प्रशासन ने और शक्तिशाली बनाया तथा उस बात के अनुसार स्पष्ट हो गए कि निकट भविष्य में रूस के विरोध में 'वाशिंगटन-टोकियो-पीकिंग-पिण्डी-धुरी' शक्तिशाली रूप में अस्तित्व में आ जाएगी। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात में काफी चिन्ता बनी रही कि पीकिंग और इस्लामवाद (पाकिस्तान) के बीच ऐना गुप्त समझौता है कि जिसके अन्तर्गत परमाणु बम तथा आणविक शस्त्र बनाने की जानकारी चीन से पाकिस्तान पहुँच रही है। राजनीतिक क्षेत्र में यह घटकने तक लगाई गई कि पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण चीन में कर चुका है या करने जा रहा है। अमेरिका कांग्रेस की विदेश सम्बन्ध समिति के सामने साक्ष्य देते हुए अमेरिका के परमाणु नियन्त्रण संस्थान के अध्यक्ष डॉ. पाल लेवेन्थाल ने इन तथ्यों की पुष्टि की कि परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी जानकारी पीकिंग से इस्लामवाद हस्तान्तरित ही नहीं हो रही, बल्कि उमका स्तर अत्यन्त खतरनाक और नाजुक होता जा रहा है। अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रों का यह स्पष्ट मत है कि चीन के साथ सहयोग और मैत्री पथ पर आगे बढ़ते हुए भी अमेरिका की पाकिस्तान पर पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए। अमेरिका को यह डर भी है कि चीन से पाकिस्तान आई गुप्त जानकारी भारतीयों के हाथ न पड़ जाए। अप्रैल, 1984 के अन्त में राष्ट्रपति रीगन ने पीकिंग की पाँच दिवसीय यात्रा की। उन्होंने एक सभारोह में कहा कि अमेरिका को चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर गर्व है और मनभेदों के बावजूद दोनों देश पिछले 14 वर्षों से उत्तरोत्तर एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग बढ़ाने के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। रीगन की यात्रा का एक उद्देश्य यह भी रहा कि चीन में अमेरिकी उत्पादन की सप्ट बढ़ाई जाए।

रोनाल्ड रीगन पुनः राष्ट्रपति चुने गए और उनका नया कार्यकाल 20 जनवरी, 1985 में आरम्भ हुआ। रीगन प्रशासन चीनी के प्रति अपनी मंथी

आधार को मजबूत बनाता रहा। दोनों देशों के बीच गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान चलता रहा और चीन ने अमेरिकी नौ-सेना के जहाजों को अपने बन्दरगाहों में आने की अनुमति देने की घोषणा की। यह पहला अवसर था जब चीन ने अमेरिका को ऐसा अवसर दिया। अमेरिकी नौ-सेना के जहाज अब प्रशान्त महासागर में रूस के नौ-सैनिक जहाजों पर नजर रखने की स्थिति में पहुँच गए। चीन ने यह शर्त अवश्य लगाई कि अमेरिकी जहाज चीनी बन्दरगाहों में चीन की पूर्व-स्वीकृति से ही आ सकेंगे। चीन ने अमेरिका से बड़ी सख्या में सिपोरस्काई हेलीकोप्टर प्राप्त करने का अनुबन्ध किया।

1985-86 में यह अली प्रकार स्पष्ट हो गया कि अमेरिका चीनी नौ-सेना के आधुनिकीकरण के लिए अस्त्रास्त्र तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने को तैयार है। दोनों देशों के बीच 1987 में भी सम्बन्ध सुधार की सामान्य प्रक्रिया जारी रही और इस बात के संकेत मिलते रहे हैं कि 'वाशिगटन-पीकिंग-मैत्री' और अधिक मजबूत हुई है।

सोवियत संघ और चीन के सम्बन्ध : चीन-सोवियत संघघ (U. S. S. R. & China Relations Sino-Soviet Conflict)

(सोवियत संघ और चीन—इन दो साम्यवादी राष्ट्रों के सम्बन्ध मंत्री और मन्त्रता, सहयोग और स्पर्धा, भाईचारे और कटु-वैमनस्य की कहानी रहे हैं।) 1 फरवरी, 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद रूसी-चीनी मंत्री तेजी में निकसित हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद दोनों के बीच साम्यवादी जगत् के नेतृत्व के लिए तीव्र स्पर्धा छिड़ गई, विभिन्न स्थानों पर सैद्धान्तिक मतभेद उभरने लगे, भीमा-विवाद उठ खड़े हुए और सशस्त्र सीमा-संघर्ष भी हुए। आज स्थिति यह है कि एक ओर तो चीन और अमेरिका, जो एक-दूसरे के घोर शत्रु थे, रूसी शक्ति के विरुद्ध अपने हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका और रूस सह-अस्तित्व और सहयोग की बात करते हुए चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं पर अकुश लगाने की सचेष्ट हैं। रूस-चीन-अमेरिका का यह त्रिकोणात्मक संघर्ष विश्व-राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रहा है। यह शक्ति सन्तुलन की राजनीति है।

रूस-चीन सहयोग काल

चीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना होते ही सोवियत रूस ने उसे अपनी मान्यता दी और माओ-त्से-तुंग ने फरवरी, 1950 में रूस की यात्रा कर 24 फरवरी को दोनों देशों के बीच तीन सन्धिवा सम्पन्न की—(1) 30 वर्ष के लिए मैत्री और पारस्परिक सन्धि, (2) चांग्चियांग रेलवे, पोर्ट आर्थर तथा दाइरन से सम्बन्ध सन्धि, एवं (3) ऋण सम्बन्धी सन्धि। प्रथम सन्धि के अन्तर्गत जापानी अथवा उसके सहयोग से किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों देशों ने एक-दूसरे की सहायता करने तथा साथ ही पारस्परिक हितों पर आँच लाने वाली किसी भी सन्धि में शामिल न होने का निश्चय किया। जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए प्रयास करने, समान हितों के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी विचार-विमर्श करते रहने

तथा पारस्परिक निकटतम आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी सहमति प्रकट की गई। द्वितीय सन्धि द्वारा सोवियत सघ ने च्यांग चुन-रेल्वे को जापानी शान्ति-सन्धि के बाद और अधिक से अधिक 1952 के अन्त तक चीन को हस्तान्तरित करने का वचन दिया। यह भी निश्चित हुआ कि 1952 तक सोवियत सघ की सेनाएँ पोर्ट आर्थर से वापिस बुला ली जाएँगी। तृतीय सन्धि द्वारा सोवियत सघ ने चीन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ डालर का ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण को 5 किश्तों में दिया जाना तथा 31 दिसम्बर, 1954 के पश्चात् 10 किश्तों में लौटाया जाना निश्चित हुआ।

सन्धियों के सम्पन्न होने के उपरान्त कुछ वर्षों तक रूस-चीन मैत्री विकसित होती रही। सितम्बर, 1952 में च्यांग चुन-रेल्वे चीन को लौटा दी गई, परन्तु पोर्ट आर्थर के बारे में यह निश्चय हुआ कि वह तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक रूस और चीन के साथ जापान की शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती। बाद में 1954 में यह तय किया गया कि पोर्ट आर्थर 1955 में चीन को दे दिया जाएगा। मई, 1955 में इसे चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि में सोवियत सघ द्वारा चीन को दी जाने वाली वित्त, वाणिज्य और प्रारंभिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। चीन का लगभग 70% व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसे 1950 के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई। 1954 में ही रूस ने चीन को अणुशक्ति-उत्पादन में भी सहयोग देना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा रूस की पूर्व-अनुमति के बिना अणु-परीक्षण नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चीन-रूसी मैत्री सगठन स्थापित किए गए।

सोवियत सघ ने चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किया। 1954-55 में दोनों देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका स्थापित प्रादेशिक सैनिक सगठनों की कटु आलोचना की। 1956-57 में दोनों ने मित्र पर ब्रिटेन व फ्रांस के आक्रमण की निन्दा की। हंगरी और पोलैण्ड में जब दक्षिणपंथी दंगे हुए तब भी दोनों देशों में नियमित रूप से विचार-विमर्श होते रहे। 1958 में टीटो के सशोधनवाद की कटु आलोचना भी दोनों ही देशों द्वारा की गई। सोवियत सघ की भाँति ही अन्य समाजवादी देशों के साथ चीन ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे।

रूस-चीन में मतभेद और कटु वैमनस्य का काल

रूस और चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में तनाव का बीजारोपण 1954 में ही स्पष्ट हो गया। सोवियत साम्यवादी दल की 23वीं कांग्रेस में श्री ख्रुश्चेव ने युद्ध की अवश्यम्भाविता और हिंसात्मक क्रान्ति की अनिवार्यता से इन्कार करते हुए विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और ससदीय पद्धति से समाजवाद की स्थापना की वकालत की। ख्रुश्चेव की ये मान्यताएँ चीनी नेताओं के गले नहीं उतरती। चीनी साम्यवादी दल ने ख्रुश्चेव पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया और आलोचना प्रत्यालोचना की खुली शुरुआत हुई। 1956 में और तत्पश्चात् 1961 में रूसी

साम्यवादी दल की कांग्रेस में ख्रुश्चेव द्वारा स्टालिन की निन्दा ने दोनों देशों में मतभेद और सैद्धान्तिक सघर्ष उग्र कर दिए। ख्रुश्चेव के स्टालिन विरोधी अभियान को विस्तारित करने की सलाह दी गई। जब मास्को यूगास्लाविया को साम्यवादी धातृत्व में वापस बुलाने को तत्पर हुआ तो भी चीन को बुरा लगा। मितम्बर, 1959 में ख्रुश्चेव की अमेरिका-यात्रा चीन को पसन्द न आई और इसलिए चीन की यात्रा के समय सोवियत नेता का कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। 1959 में अपनी चीन-यात्रा के समय ख्रुश्चेव ने पुनः यह बात दोहराई कि साम्यवादी चाहे कितने ही सशक्त हो जाएँ, उन्हें पूँजीवादी जगत् के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने से बचे रहना चाहिए। चीनी मार्क्सवादियों को ख्रुश्चेव का उपदेश 'प्रतिक्रियावादी शक्तियों की प्रगतिशील शक्तियों पर विजय' जैसा लगा। 1959-60 में भारत-चीन सीमा विवाद पर ख्रुश्चेव की यह टिप्पणी भी चीनी नेताओं को अखरी कि दोनों देश अपना सीमा-विवाद शीघ्र ही शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा ले।

दोनों देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद तीव्र होते गए। जून, 1960 में बुखारेस्ट में रूसियों-कर्मचारी-दल के तृतीय सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने पुनः कहा कि लेनिन का 'पूँजीवाद के विरुद्ध युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त' अब लागू नहीं होता। दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्धों का गतरा बना रहेगा। जुलाई, 1960 से रूस द्वारा चीन की विकास योजनाओं में कार्यरत सोवियत वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया गया। चीन को मामूरी, मशीनें आदि भेजना भी बन्द अथवा सीमित कर दिया गया। 1961 में प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यक्रम के माध्यम से 20 वर्षों की अवधि में रूस में साम्यवाद का अर्थ वस्तुओं की प्रचुरता बतलाया गया। चीनी साम्यवादी दल की यह व्याख्या अचूरी लगी। 1962 में रूस द्वारा भारत को मिग विमान देने और उन्हें बनाने के ऋणियों में सहायता देने का समझौता चीनी नेताओं को अपने लिए घातक प्रतीत हुआ। 1962 में ही क्यूबा काण्ड के सम्बन्ध में चीनी नेताओं ने कहा कि रूस का पहला दोष 'दुस्माहस' का था और दूसरा दोष 'कागजी शेर' अमेरिका के प्राये 'घृणित आत्म-समर्पण' करने का। 1962 में ही भारत पर चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में अपनाई गई रूसी नीति ने भी चीन को नाराज किया।

जुलाई, 1963 में मास्को में रूसी और चीनी साम्यवादी दलों की वार्ता न केवल असफल हुई बल्कि दोनों देशों ने एक-दूसरे की कटु आलोचना की। रूस ने पश्चिम के साथ सह-अस्तित्व के विचार का पोषण किया जबकि चीन ने कहा कि साम्राज्यवाद के पूर्ण विनाश के लिए युद्ध अत्याज्य है और तृतीय महायुद्ध अमेरिका तथा रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं। 25 जुलाई, 1963 को महाशक्तियों में हुई अणु-परीक्षण-निरोध-सन्धि का चीन ने बहिष्कार किया। रूस पर आरोप लगाया गया कि वह अमेरिका के साथ मिश्रित आणविक जस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार कायम रखना चाहता है।

अक्टूबर, 1964 में ख़ुश्चेव के हटने पर पीकिंग में खुशियाँ मनाई गईं लेकिन जब रूस के नए नेतृत्व ने भी पश्चिमी जगत् के साथ सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास प्रकट किया तो चीनियों को बड़ी निराशा हुई। रूसी बोल्शेविक क्रान्ति के 47वें वार्षिक उत्सव के समय चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की कूटनीतिक वार्ता भी असफल रही क्योंकि रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के क्रांतिकारी प्रयामों में चीन का साथ देने से इन्कार करते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में आस्था प्रकट की।

सैद्धान्तिक संघर्ष के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद भी उभरे जिन्होंने शस्त्र सीमा-संधियों का रूप ले लिया। मार्च, 1969 में पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के टापू दक्षिण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में सैनिक मुठभेड़े हुए। रूस और चीन की वर्तमान सीमाओं का निश्चय रूस के जारों और चीन के मुंचू सम्राटों के बीच हुई सन्धि द्वारा हुआ था। ये सन्धियाँ 1858 और 1860 में की गई थी, जिनके अन्तर्गत चीन ने लगभग 5 लाख वर्गमील क्षेत्रफल रूस को सौंपा था। चीन ने आरोप लगाया कि उस समय चीनी निर्बलता का लाभ उठाकर रूस ने ये सन्धियाँ लाद दी थी। रूस का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और रूसी भूमि ही रूस ने प्राप्त की थी। चीन और रूस में भगड़े का असली कारण बस्तुतः मंगोलिया रहा है। चीन अपनी बढ़ती हुई आवादी को बसाने के लिए मंगोलिया पर दाँत गड़ाए हुए है जो चीन की सरहद पर है तथा बहुत कम बसा हुआ है। मंगोलिया का पूर्वी भाग चीन के पास है और चीनी नेता चाहते हैं कि दोनों मंगोलियाँ मयुक्त होकर चीन का एक प्रदेश बन जाएँ। रूस इसे मनाने को तैयार नहीं है। पीकिंग ने मंगोलिया पर अपना दावा पहले पहल 1964 में किया था कि रूस ने इस 'स्वतन्त्र राज्य' को हडप लिया है, लेकिन रूसी चीनी दावे को ठुकराते रहे हैं।

विवाद तब पराकाष्ठा पर पहुँच गया जब 1965 में पहली बार यह चीनी आरोप पूरी तरह स्पष्ट किया गया कि प्रथम साम्यवादी क्रान्ति का जन्मस्थल सोवियत संघ पूँजीवाद के पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति-सयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मित्रता के लिए लालायित है। एक ऐसे राज्य के विरुद्ध जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद में विश्वास करता था, सम्भवतः इनसे अधिक गम्भीर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। इस समय तक स्थिति यह हो गई थी कि दोनों देश मुलमखुल्ला एक-दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को विफल करने वाली विदेश नीतियों का अनुसरण करने लगे थे। दोनों ही देश इस बात के लिए भी प्रयत्नशील थे कि उन्हें साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत अधिकधिक समर्थन मिले।

रूस और चीन के मध्य मतभेदों की नई निरन्तर गहरी जीर चौड़ी होनी जा रही है। फरवरी, 1979 में वियतनाम पर चीन का आक्रमण यदि लम्बा चलता तो इस बात की पूरी आशंका थी कि चीन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में रूसी सैनिक

भी बियतनामी संनिको के साथ कन्वे मे कन्धा भिडा कर लडते । नवम्बर, 1982 मे ब्रंभनेव की मृत्यु के बाद सोवियत राष्ट्रपति यूरी आन्ड्रोपोव के समय भी रूस-चीन सम्बन्धो की कटुता कम नही हो पाई । वैसे फरवरी, 1983 मे चीन के उप-विदेश मन्त्री क्यान कुचेन की मास्को यात्रा का उद्देश्य सम्भवत यही था कि रूस के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा मे आगे बढा जाए । यूरी आन्ड्रोपोव के बाद सोवियत राष्ट्रपति चेरनेन्को के समय रूस-चीन सम्बन्धो मे व्यवहार मे कोई सुधार नही आ सका । चेरनेन्को की मृत्यु के बाद 11 मार्च, 1985 को मिखाइल गोर्बाच्योव महासचिव बने । गोर्बाच्योव ने कम्युनिस्ट, पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन मे बोलते हुए सभी बिरादराना कम्युनिस्ट, मजदूर तथा क्रान्तिकारी जनवादी पार्टियों के साथ धनिष्ठ सहयोग की बात की । इस प्रकार गोर्बाच्योव ने यह मकेत दिया कि वह चीन और अन्य साम्यवादी जगत् के साथ मधुर सम्बन्धो का पक्षधर है । सीमा-विवाद सुलभाने के सम्बन्ध मे भी दोनो देश कुछ आगे बढे हैं ।

रूस-चीन विवाद के मुख्य कारण

1. दोनो देशो के बीच सैद्धान्तिक मतभेद है । स्टालिनोत्तर युग की सोवियत नीति विश्व-क्रान्ति और युद्ध की अनिवार्यता से विश्वास नही करती, जबकि लाल चीन क्रान्ति, हिंसा और युद्ध द्वारा पूंजीवादी जगत् के विनाश मे विश्वास करता है । रूसी सरकार के सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय 'इन्टरनेशनल अफेयर्स' के दिसम्बर, 1971 के अंक मे प्रकाशित एक लेख म रूसी लेखक जी. एपलिन ने लिखा था कि—“माओ की विदेश नीति लडाकू, सतरनाक तथा रक्तरजित है जिससे चीनी लोकतन्त्र को भारी हानि हुई है । यह न तो मार्क्सवादी है और न ही लेनिनवादी ।”

2. नेतृत्व का नशा दोनो ही देशो पर छाया हुआ है । रूस द्वारा साम्यवादी जगत् का एकछत्र नेतृत्व सहन करने को चीन तैयार नही है । एशिया मे रूस के प्रभाव-विस्तार को चीन सन्देह की दृष्टि से देखता है ।

3. भूमध्यसागर रूस और चीन के तनाव का एक केन्द्र है । रूस और अमेरिका के जहाज ता भूमध्यसागर मे घूमते ही है, चीन की पनडुब्बियो ने भी इस सागर मे घूमना आरम्भ कर दिया है । भूमध्यसागर मे चीन की कुछ सैनिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं । चीन चाहता है कि—(i) भूमध्यसागरीय देशो पर उसकी बात का बजन रहे, (ii) रूसी मसूवो को हर क्षेत्र मे चुनौती दी जाए या उसके मार्ग मे कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न की जाए, (iii) अल्बानिया जैसे साम्यवादी देशो को चीन ने अपने प्रभाव मे ले लिया है, उन पर और रोब प्रातकित रखा जाए, (iv) प्रधेपास्तो'से सज्जित, जिन पनडुब्बियो का बिकास चीन कर रहा है उनकी सैनिक गतिविधियो का क्षेत्र पहले से ही तैयार कर लिया जाए ताकि इन और अमेरिका के मुख्य क्षेत्र चीन की मार मे आ सके ।

4. चीन का 1969 से पहले तक का नारा था विश्व के दो भाग हैं— साम्यवादी और समाजवादी । लेकिन 1969 मे चीनी साम्यवादी दल ने जो

साम्यवादी व्याख्या नी उमने सोवियत रुस को भी अनमाज्रवादी अथवा माम्राज्यवादी राष्ट्रों की श्रेणी में ला दिया ।

5. एक परमाणु शक्ति के रूप में चीन के विकास को न केवल रुस वल्लि अन्य देश भी एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं । प्रारम्भ में सोवियत मघ ने चीन को परमाणुविक्रु जानकारी दी, लेकिन ज्यो-ज्यो चीन के इरादे स्पष्ट होते गए, रुस ने इम सम्बन्ध में प्राधुनिकतम प्रविधि के बारे में गोपनीयता बरती । 1959 में 1957 के उस समझौते को भंग कर दिया गया जिसमें रुस द्वारा चीन को परमाणु यम की प्रक्रिया का ज्ञान कराने का प्रावधान था । परमाणु अस्त्रों के प्रश्न पर चीन और रुस के मतभेद बढते ही गए ।

6. विवाद का एक बड़ा कारण मंगोलिया है । चीन अपनी बढती हुई आबादी को बसाने के लिए प्रादेशिक विस्तारवाद के मार्ग का अनुसरण कर रहा है । रुसी मंगोलिया पर, जिसे 'स्वतन्त्र मंगोलिया प्रजातन्त्र' कहते हैं, चीन की धाँस है । मंगोलिया का पूर्वी भाग चीन के अधिकार में है । चीन चाहता है कि दोनों मंगोलिया एक होकर चीन का प्रदेश बन जाएँ । चीन का आरोप है कि रुस ने 'स्वतन्त्र मंगोलिया' को हृष्य लिया है । मंगोलिया के कारण दोनों देशों की सीमाओं पर भारी सैनिक जमाव रहता है और कितनी ही बार सैनिक झड़पे भी हो चुकी है जिनमें पराजित होकर धीनियों को पीछे हटना पडा ।

7 अमेरिका भी रुस और चीन के मतभेदों को उरुसाने के लिए उत्तरदायी है । जब 1969 के बाद रुस-चीन सीमा पर झड़पें हुई तो अमेरिकी समाचार-पत्रों में प्रचार किया कि 1969 में रुसी सैनिक अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे थे कि चीन पर आकस्मिक हमला किया जाए ताकि उनकी परमाणु शक्ति सनाप्त हो जाए । वास्तव में अमेरिका यह तो नहीं चाहेंगा कि रुस और चीन के बीच बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो क्योंकि इसका प्रभाव रुस और चीन के बाहर दूर-दूर तक पडेगा । इसके प्रतिरिक्त चीन की ममाप्ति से रुस की शक्ति बड जाएगी । मगर अमेरिका यह अवश्य चाहता है कि दोनों के बीच इस प्रकार का तनाव बना रहे जिससे अमेरिका लाभान्वित हो ।

8 चीन दुनिया के हर देज में रुस विरोधी प्रचार कर रहा है । यूरोपीय कम्युनिष्ट देशों में उसने रुस के प्रति आग भडकाने की हर सम्भव चेष्टा की है । अल्बानिया को रुस से विमुक्त करने में चीन को सफलता प्राप्त भी हुई है । रुसी नेतृत्व चीन की इन कार्यवाहियों में परेज्ञान है और अपने प्रभुत्व की रक्षा के लिए व्यग्र है ।

9 चीन को विद्वाम होने लगा है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति अस्थायी है जबकि जापान निरन्तर शक्तिशाली होकर पूर्वी एशिया में स्थाई रूप में छा जाने को प्रयत्नशील है अतः अमेरिका से मन्तव्यन वायम रखकर पूर्वी एशिया में सौविदन मघ की उपस्थिति को असम्भव बनाकर, चीन को सैनिक

उपस्थिति की सम्भावनाओं को सुधड़ कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोवियत सघ द्वारा नहीं होनी चाहिए।

10 पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सम्बन्धों में सुधार रूस को अभीष्ट है, लेकिन वह चीन और अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार को पसन्द नहीं करता।

11 रूस का विचार है कि युद्ध अवश्यम्भावी नहीं है और विध्वंसक अस्त्रों के निर्माण के कारण यह वांछनीय भी नहीं है जबकि चीन का मत है कि समाजवाद की तथाकथित सैनिक सर्वोच्चता के कारण सशस्त्र नीति व्यावहारिक है। चीनी नेतृत्व का यह विश्वास था कि साम्राज्यवादियों को भुक्तने के लिए विवश किया जा सकता है और यदि ऐसा न हो तो युद्ध द्वारा उसके भाग्य का निर्णय किया जाना चाहिए चाहे उसमें एक-तिहाई या आधी मानव सभ्यता ही नष्ट क्यों न हो जाए। सितम्बर, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर आया है तथा ऐसा आभास होने लगा है कि नया नेतृत्व सघर्ष की बजाय सहयोग की राजनीति पर चलने का प्रयत्न करेगा।

12 रूसियों का अपने समाज के सम्बन्ध में तर्क है कि वर्ग-सघर्ष की विजय पूर्ण हो चुकी है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को सम्पूर्ण जनता के राज्य का रूप दे दिया गया है। चीनी उसको मात्र कुतर्क कहकर अस्वीकार करते हैं। उनके विचार से यह सोवियत सघ के अन्तर्गत प्रचुरता से बड़े नौकरशाही तत्वों पर आबरोस डालने की एक योजना है जो सर्वहारा तानाशाही एवं वर्ग-सघर्ष सम्बन्धी लेनिनवादी विचारधारा के लिए खतरा है।

13 चीन सोवियत सघ से प्राप्त आर्थिक सहायता से कभी भी संतुष्ट नहीं रहा। कोरिया युद्ध के लिए प्राप्त ऋण के दायित्व ने उन्हें और भी अप्रसन्न कर दिया। जब रूस ने चीन की सहायता बन्द कर दी तो चीन ने इसका अर्थ यह लगाया कि रूस उस पर साम्यवादी दल से बातों के लिए अधिक दबाव डालना चाहता है। रूसी नेतृत्व को यह विश्वास हो गया कि चीन को आर्थिक सहायता देने का वही सर्वोच्चनीय परिणाम होगा जो सैनिक सहायता का हुआ है।

14 अल्बानिया का प्रश्न विदेश नीति का विषय होते हुए भी दल का प्रश्न बन गया। प्रश्न था कि क्या सोवियत साम्यवादी दल को यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौनसा शासक दल साम्यवादी गुट में है और वास्तविक समाजवादी देश कौनसा है? सोवियत साम्यवादी दल ने अल्बानिया को एक-पक्षीय कार्यवाही द्वारा गुट से निकाल दिया क्योंकि उमने मास्को की अवज्ञा की थी। चीनियों ने रूस की इस कार्यवाही की भत्सना की और अल्बानिया चीनी गुट में शामिल हो गया।

15 सोवियत सघ के विरुद्ध चीन के अविश्वास का एक बड़ा ऐतिहासिक आधार भी है। राजनीतिक विचारकों और इतिहासकारों का तर्क है कि अभी तक इतिहास में चीन की ओर से सोवियत सघ पर कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जबकि

इसके विपरीत क्रान्ति के पूर्व रूसी शासको ने चीन पर कई बार आक्रावण करके उसके भू-भाग को हडप लिया था। वास्तव में सोवियत सघ मूलतः यूरोपीय देश है और एशिया में उसका इतना विस्तार क्रान्ति के पूर्व रूसी शासको की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का ही फल है।

इस प्रकार सोवियत-चीन वंमनस्य साधारण और तथ्यपूर्ण है। सीमा पर दोनों ओर सैनिक जमाव है और जब तक झड़पे हो जाती हैं। विगत कुछ वर्षों में चीनी नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि सोवियत सघ ने उसकी सीमा पर भारी सैनिक जमाव कर रखा है जिससे चीन की प्रभुमत्ता एवं अखण्डता को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से सामरिक तैयारियाँ कर रहा है पर यह कहना कठिन है कि सोवियत रूस की ओर से यह तथाकथित खतरा वास्तविक है या काल्पनिक। ट्राम ही के वर्षों का इतिहास चीनी विस्तारवादी मनोवृत्ति की पुष्टि करता है। चीन ने जिम प्रकार भारत की भूमि हडपी, पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से दी गई कश्मीर की भूमि को हडपा उसे देखते हुए चीन के बारे में कुछ कहना वस्तुतः कठिन है। जो भी हो, सोवियत-चीन सघर्ष आज राजनीतिक और राजनयिक पर्यवेक्षकों के लिए विचारणीय, विषय बना हुआ है। जहाँ तक सीमा पर सैनिक जमाव का प्रश्न है, यह एक स्थापित तथ्य है। सोवियत सघ के अनुसार चीन-सोवियत सीमा पर नियमित चीनी सेना बनी हुई है। चीन के वहाँ प्रक्षेपास्त्र, तोपे और राइफले हैं जिनके मुँह उत्तरी पड़ोसियों की ओर हैं।

चीन और सोवियत सघ में सीमा सम्बन्धी दर्जनो लिखित और अलिखित सन्धियाँ और समझौते हैं। ये सन्धियाँ और समझौते 1889 और 1915 के बीच हुए थे। इन सन्धियों और समझौतों का समय-समय पर जायजा भी लिया जाता रहा है लेकिन चीनी अधिकारियों की मान्यता है कि बहुत-सा इलाका अभी भी विवादास्पद है। चीन के अनुसार उसके 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक किसी न किसी पड़ोसी देश का अधिकार है। इसमें से 15 लाख वर्ग किलोमीटर सोवियत सघ के अधीन है। चीन के अनुसार जब तक इस विवादास्पद क्षेत्र को मुलभूत नहीं लिया जाता तब तक किसी भी तरह की वार्ता या सवाद बेमतलब और प्रभावहीन मानित होगी। चीन ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि सोवियत सघ समुचित शान्ति चाहता है तो प्रमुख मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए। सीमा पर यथास्विति बनाए रखने पर सहमति और सशस्त्र सेनाओं को एक-दूसरे से दूर रखने का आश्वासन, उसके बाद परस्पर वार्ता द्वारा विवाद को मुलभूत की कोशिश की जानी चाहिए। चीन ने यह भी माँग की है कि सोवियत सेनाएँ मंगोलिया से भी हट जाएँ। 1960 की सोवियत-चीन सीमा को ही वास्तविक सीमा माना जाए। इन्हीं दो प्रस्तावों को चीन अपने ठोस मुझाव बताता है।

कम्प्युनिस्ट खेम में चीन लगभग अलग-थलग पड़ गया है। यूरोप में उमका एकमात्र साथी अल्बानिया भी उनसे अलग हो गया है। इसलिए सोवियत सघ में

त्रिगाह के बाद अल्बानिया से उसे जो थोड़ा-बहुत सहयोग और समर्थन मिलता था वह भी अब तकरार में बदल गया है। एशियाई देशों में भी विद्यतनाम पर उसका दखलबा नहीं है और कम्बोडिया विद्यतनाम के मुकाबले कमजोर है। यही कारण है कि उसका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर अधिक होता जा रहा है और पश्चिमी प्रारंभिकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी इंजीनियर और वैज्ञानिक इन देशों में देखे जा रहे हैं। अब इन मसले में और व्यापक रूप अस्तित्थार कर लिया है। चीन में नेतृत्व परिवर्तन जरूर हुआ है लेकिन सोवियत मध्य की मान्यता है कि अभी भी मार्शवादा का हीवा चीन पर हावी है और जब तक मार्शवादा का हीवा रहेगा चीन-सोवियत सम्बन्धों में अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं है।

वस्तुतः रूस और चीन के बीच सघर्ष के मूल कारण उतने सैद्धान्तिक नहीं हैं जितने कि राजनीतिक और सामरिक। साम्यवादी जगत् का नेतृत्व कौन करे— यह झगड़े की मूल जड़ है।

सोवियत संघ और चीन के बीच समझौते के प्रयास)

तीव्र मतभेदों के बावजूद रूस और चीन दोनों समझते हैं कि वे एक-दूसरे के शत्रु नहीं बने रह सकते, क्योंकि उससे अमेरिका की 'बन्दर-बांट' नीति सफल हो जाएगी। पश्चिमी जगत् विशेषतः अमेरिका के निहित स्वार्थों और वास्तविक इरादों से दोनों ही देश अच्छी तरह परिचित हैं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने-अपने वर्चस्व हेतु तथा 'शक्ति-संतुलन' को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही अमेरिका की मैत्री के आकांक्षी हैं। वस्तु स्थिति को समझ कर ही रूस और चीन समय-समय पर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करते रहे हैं तथा 1970 से दोनों के बीच सैनिक सघर्ष की सम्भावना बहुत-कुछ कम हुई है। 1970 की 13 जनवरी को दोनों देशों ने सीमा-समस्या के समर्थन के लिए घोषणा में जो वार्ता की उससे उनके बीच मतभेद कुछ कम हुए हैं। अक्टूबर, 1970 में हुई सोवियत-चीन व्यापार सन्धि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार की दिशा में एक कदम था जिसके अनुसार सोवियत रूस ने चीन से अपने व्यापार में 1971-72 में 200% वृद्धि कर देने का आश्वासन दिया था।

9 सितम्बर, 1976 को मार्श-त्से-तुंग की मृत्यु के बाद चीन के नए नेतृत्व का अन्तर्राष्ट्रीय स्टिचोण कुछ उदार बनता जा रहा है और पत्तरवरूप रूस-चीन विवाद में बटुटा कुछ कम हुई है। यद्यपि विरोध बदस्तूर चानू है। समय-समय पर दोनों देशों के झेंझ-झसकाता झगड़ें भी झलकी हैं, ज्यकारि कोई जोर तर्कीजा नहीं निकला। 24 जुलाई, 1981 को चीन ने अफगान-सोवियत सघ की सीमा सन्धि को प्रवर्ध घोषित किया। वास्तव में लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर रूस-चीन मतभेद जरकरार हैं और निकट भविष्य में कोई ऐसी आशा नहीं दिखाई देती कि दोनों देशों का विवाद समाप्त हो सकेगा। चीन अनेक अवसरों पर एशिया में 'रूसी विस्तारवाद' की बात बह चुका है और उसे रोकने के लिए अमेरिका के सहयोग की उसे अपेक्षा है।

1982 में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हुआ, फलस्वरूप दोनों के बीच सीमा-व्यापार शून्य से बढ़कर 1984 में 14 अरब डॉलर तक पहुँच गया और 1990 तक 5 अरब डॉलर तक पहुँच जाने की सम्भावना है। चीन के दक्षिण-पश्चिम में सीमा पर स्थित चीनी नगर सिकियांग में सबके एक-दूसरे के यातायात के लिए खोल दी गई हैं जिनसे माल के अतिरिक्त सीमा के दोनों ओर रहने वाले भग्ने-सम्बन्धियों तथा मित्रों को आने-जाने की अनुमति मिल गई है।

लगभग 1982 से दोनों देशों में आपसी सम्बन्ध सुधारने के जो ठोस प्रयत्न शुरू हुए उसका एक अन्य अच्छा परिणाम तब निकला जब 6 जून, 1986 को दोनों देशों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के यहाँ कान्मुलेट स्थापित करने पर सहमत हुए। रूसी कान्मुलेट शघाई में और चीनी कान्मुलेट लेनिनग्राड में खोलने का निश्चय हुआ। 1960 में दोनों देशों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के बाद यह कान्मुलेट बन्द कर दिए गए थे। सीमा-विवाद मुलभूतों की दिशा में भी दोनों देश आगे बढ़े। 21 अगस्त, 1987 को पेकिंग में रूस और चीन के मध्य सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह तब हुआ कि दोनों देशों के बीच पूर्वी क्षेत्रों की सीमा उन नदियों के मध्य में होगी जिनमें जहाज नहीं चलते हैं और जिन नदियों में जहाज चलते हैं उनमें उस क्षेत्र के मध्य की रेखा होगी जिस क्षेत्र में जहाज चलते हैं। सीमा-निर्धारण करने के लिए दोनों देश विशेषज्ञों की टीम बनाने को सहमत हो गए हैं। यह समझौता सोवियत नेता गोर्बाच्योव के जुलाई, 1986 में किए गए उस प्रस्ताव द्वारा हो सका जो चीन के 'थालवेक' सिद्धान्त के समान ही था। इस समझौते से चीन को उमुरी में कई टापू प्राप्त हो जाएंगे।

अब तक रूस और चीन के बीच सम्बन्धों में इतना सुधार हो चुका है कि रूस में संकड़ों चीनी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। दोनों देशों ने चीन में शघाई और रूस में लेनिनग्रेड में वाणिज्य दूतावास स्थापित कर लेने के लिए समझौता कर लिया है। रूस के प्रधान मन्त्री श्री चेरनेको की शव-यात्रा में सम्मिलित होकर पीकिंग लॉट आने पर चीन के उप-प्रधान मन्त्री ली पेंग ने पत्रकारों को बताया कि सोवियत रूस का साम्यवादी दल चीनी साम्यवादी दल के साथ भाई-बारे के आधार पर सम्बन्ध बनाने का इच्छुक है और कुछ समय बाद दोनों देशों के बीच मुला व्यापार होने नगेगा। बीजिंग और शघाई के जो समाचार-पत्र पहले रूस की कटु आलोचना छापने से बाज नहीं आते थे वही पत्र आज रूस को साम्यवादी भाई बताने लगे हैं। कदाचित् इसी आधार पर रूस के कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव श्री गोर्बाच्योव ने कह दिया था कि चीन से सम्बन्ध अच्छे हो जाएंगे।

मैत्री स्थापित करने के लिए चीन ने रूस से तीन माँगें की हैं—अफगानिस्तान से रूसी सेना हटा ली जाए, रूस-चीन सीमा और मंगोलिया में मैत्रिक संध्या बहत कम कर दी जाए और कम्पूचिया में सेना हटा लेने के लिए रूस वियतनाम पर और आगे। हांगकांग के पत्र बताते हैं कि बीजिंग ने अपनी शर्तों की संध्या पढ़ाकर केंवत

एक कर दी है कि वियतनाम पर दबाव डालकर कम्पूचिया से वियतनामी सेना हटवा दी जाए। दूसरी तरफ रूस द्वारा चीन से समझौता करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रूस चीन को अमेरिका की गोद में जाने से रोकना चाहता है।

सोवियत रूस ने अफगानिस्तान से सेना हटाना शुरू कर दिया है और कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं की वापसी शुरू हो गई है। चीन सोमा पर रूस ने तनाव कम किया है। दोनों के बीच समझौता-वार्ता जारी है।

चीन ने पहले सोचा था कि अमेरिका उसकी मैत्री के लिए ताइवान को छोकर मार देगा परन्तु ऐसा न होने और चीन की इच्छानुसार अमेरिका से वस्तुएँ न मिल पाने के कारण चीन ने रूस का दरवाजा फिर खटखटाया है। बिना रूस की सहायता के रूसी डिजाइनों पर आधारित चीनी विमानों और हेलीकोप्टरों में कोई तकनीकी उन्नति नहीं की जा सकती है।

चीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन द्वारा प्रवर्तित स्टार वार कार्यक्रम से भी घबरा गया है, इस कारण वह अपना पक्ष सम्भालना चाहता है। यही हाल रूस का है। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अमेरिका-चीन-जापान धुरी रूस के लिए खतरनाक हो सकती है।

चीन और भारत

भारत और चीन के सम्बन्धों पर विस्तार से प्रकाश भारतीय विदेश नीति के पिछले अध्याय में डाला जा चुका है। लगभग 1960 तक दोनों देशों के सम्बन्ध सामान्य थे, यद्यपि सीमा-विवाद अधिक उग्र हुआ और अक्तूबर, 1962 में भारत पर चीन के विशाल मुनियोजित आक्रमण के उपरान्त अब तक दोनों देशों के सम्बन्ध कटुतापूर्ण ही हैं। चीन की परराष्ट्र नीति का एक मुख्य तत्व यह रहा है कि वह उन सभी राष्ट्रों के माध्यम से भारत की नाकाबन्दी करे जो या तो उनकी नीतियों के समर्थक हैं या प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उससे सहायता चाहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान चीन का अच्छा साथी बन गया है और चीनी नेता भारत के विरोध में हिन्द महासागर की जल-सीमा का प्रतिक्रमण करने देखे गए हैं। यह स्थिति भारत के लिए चिन्ताजनक है। सोवियत-भारत मैत्री-सन्धि के बाद तो चीन का यह पूर्ण प्रयास रहा है कि पेकिंग-पिण्डो-वाशिंगटन धुरी का मुद्द निर्माण नो जाए। चीन भारत के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने में नहीं चूकता। सिबिर में भारत में विषम के अवसर पर चीन और पाकिस्तान ने तूफान मचा

दिया था। पिछले कुछ वर्षों से भारत-चीन में कटुता कम हुई है और अपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने की दिशा में दोनों ही देश प्रयत्न कर रहे हैं। भारत की ईमानदारी पर तो कोई सन्देह नहीं है लेकिन चीन की कूटनीतिक पँतरवाजियाँ कुछ इस प्रकार की हैं जिनसे ऐसा लगता है कि 1962 के आक्रमण में हड़पी हुई भारत की जमीन का महत्वपूर्ण हिस्सा वह अपने कब्जे में रखना चाहता है अथवा सोदेबाजी करना चाहता है।

भारत की चिन्ता का एक विषय यह है कि तिब्बत को चीन ने सैनिक शिविर में बदल दिया है। चीन ने तिब्बत में भारत तिब्बत सीमा पर प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं। इन परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का निशाना भारत की ओर है। इनसे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

भारत-चीन सीमा-वार्ता का सिलसिला 1981 से निरन्तर चल रहा है लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है और चीन नए-नए मुद्दे उठाता रहा है। यही नहीं, भारत के अरुणाचल प्रदेश के वांग-वांग क्षेत्र में चीनी प्रतिक्रमण को भी चीन की सरकार मही ठहराती रही है। (इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए भारत की विदेश नीति देखें)।



चीन और पाकिस्तान

भारत की स्वाधीनता के प्रथम दशक में और उसके कुछ समय बाद तक भी चीन ने भारत के प्रति का स्वाँग अच्छी तरह निभाया। इस अवधि में पाक-चीन सम्बन्धों में कोई 'विशेष प्रेमालाप' नहीं हुआ, यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न 1956 से ही शुरू हो गए थे। 1955 में तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री श्री सुह्रावर्दी ने चीन की और प्रधानमंत्री श्री चाऊ ने पाकिस्तान की यात्रा की। इस पारस्परिक दौरे के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान शुरू हुए। चीन ने पूर्वी पाकिस्तान को अपना कार्यक्षेत्र चुनकर ढाका में एक पाक-चीन सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की, पर यह क्रम अधिक नहीं चल सका और अक्टूबर, 1958 में पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया।

पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीति भूनिर्बन्धित तानाशाही के युग में निरन्तर उग्र होती गई। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दुनिया के हर देश से संन्य सामग्री प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। भला चीन ऐसे मौकों को कब नुक़ने वाला था। उगने पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक पामं फँके। जब

अमेरिकी राष्ट्रपति कॅनेडी ने भारत से सम्बन्ध बढ़ाने के प्रयास शुरू किए तो पाक राजनेताओं ने इसे पसन्द नहीं किया और चीनी शासकों ने परिस्थितियों का लाभ उठाया। सीमा-विवाद के फलस्वरूप भारत-चीन संधि की आशंका बढ़ने पर अमेरिका ने भारत को अधिक आर्थिक और शस्त्र सहायता देना आरम्भ किया तथा पाकिस्तानी अग्रगता की उपेक्षा कर दी तो पाकिस्तान ने चीन की ओर झुकते हुए पहली बार संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन की सदस्यता के प्रश्न पर अमेरिका ने विरोध में मतदान दिया।

चीन पाकिस्तान को अपने ग्रक में समेटने को तैयार हो बैठा था। तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने पाक-चीन संधि की पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी कि 1964 में सैंटो सगठन की बैठक होने से पहले ही अयूब खान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान चीन के साथ सीमा सम्झौता करेगा। 1960 में पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में पहल की गई और चीन से उसे हर तरह भड़का कर 1962 में उसके साथ एक सीमा-समझौता सम्पन्न किया। पाकिस्तान इस समझौते के माध्यम से अमेरिका को और चीन सोवियत मध्य को विडाना चाहता था। यह सीमा-संधि भारतीय हितों पर कठोर प्रहार थी। इसके अन्तर्गत सिकरियांग और पाक-अधिकृत कश्मीर के बीच सीमा-निर्धारण की व्यवस्था थी। संधि द्वारा पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर का 2050 वर्ग मील क्षेत्र अर्द्ध रूप से चीन को सौंप दिया। समझौते के बहुत गम्भीर परिणाम निकले क्योंकि एक तो चीन की सीमा-प्रतिरक्षा सुदृढ़ हो गई और दूसरे इस उपमहाद्वीप में प्रवेश करने की सुविधा मिल गई। दोनों देशों ने एक सड़क का भी निर्माण किया जो हिमालय के दर्रे में होकर जाती है और सर्दियों में भी खुली रहती है। इस सड़क से दानो देश जुड़ गए, विशेष लाभ चीन को मिला। चीन भारी अग्रत्याजित लाभ के बदले पाकिस्तान को पूर्ण राजनीतिक और सैनिक समर्थन देने लगा।

पिण्डी-पेकिंग धुरी की स्थापना को विश्व के देशों ने प्रारम्भ में अनपेक्षित विवाह की दृष्टि में देखा और उस पर सन्देह किया, लेकिन दोनों के बढ़ते हुए प्रेमालाप ने उनकी आँखें खोल दी। चीन से विपुल सैनिक सहायता प्राप्त कर पाकिस्तान ने सैंटो और सिएटो सगठनों की उपेक्षा शुरू कर दी तथा मनीला में आयोजित सिएटो की बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया। दिसम्बर, 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय पाकिस्तान ने खुले आम अपने 'बड़े भाका' चीन का समर्थन किया और भारत को आक्रामक टहराया। भारत की पराजय पर पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई गईं।

पाक-चीन की दोस्ती बढती गई और दिसम्बर, 1963 में चीन के विदेश व्यापार उपमन्त्री श्री नानहान चैन ने अपनी पाक-यात्रा के समय यह आश्वासन दिया कि किसी भी भारत-पाक युद्ध में चीन पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन देगा। 1964 में चीनी प्रधानमन्त्री ने पाक-यात्रा के समय उपयुक्त आश्वासन की पुष्टि की। पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल से जो सेवाएँ की उसने पुरस्कार स्वरूप जुलाई, 1964 में चीन ने पाकिस्तान को 6 करोड़ डॉलर का व्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया। चीन की भारी मात्रा में सैनिक सामग्री भी पाकिस्तान को अनुदान स्वरूप मिलती रही। उधर अमेरिका भी पाकिस्तान को चीन की ओर विमुख करने हेतु आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करता रहा, ये समझते हुए भी कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान चीन के विरुद्ध नहीं बल्कि भारतीय लोकतन्त्र के विरुद्ध करेगा।

चीन से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाकर पाकिस्तान ने अप्रैल, 1965 में कच्छ पर आक्रमण कर दिया। इस समय और बाद में भी कुछ माह तक प्रमुख चीनी राजनेता पाकिस्तान में उपस्थित रहे। दोनों देशों में एक हवाई समझौता भी हुआ जिसके अधीन चीन को पूर्वी पाकिस्तान से होकर बर्मा तथा दक्षिण एशिया तक विमान उड़ाने की सुविधा प्राप्त हो गई। यह एक ऐसी सुविधा थी जिसका प्रयोग चीन भारत के विरुद्ध आसानी से कर सकता था। तत्पश्चात् नौकायन और संचार सम्बन्धों के विषय में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए। चीन को पूरी तरह अपनी पीठ पर पाकर पाकिस्तान ने मितम्बर, 1965 में भारत पर आकस्मिक रूप से भीषण आक्रमण कर दिया। रूसी भय एवं अन्य कतिपय कारणों से तथा भारत की विकसित सैन्य-शक्ति का अनुमान लगाकर चीन ने यद्यपि भारत के उत्तरी सीमान्त पर पाकिस्तान के समर्थन में कोई आक्रमण नहीं किया, तथापि वहाँ सैनिक गतिविधि तेज करके तथा भारत को तीन-दिवसीय अल्टीमेटम देकर पाकिस्तान को 'आश्वस्त' करने की चेष्टा की। कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान को चीन से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी अल्टीमेटम भी तब दिया गया जब पाक विदेश मन्त्री न्यूयार्क में थे। यदि सचुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयत्नों ने 23 सितम्बर को युद्ध-विराम न होता तो सम्भवतः चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए सैनिक कार्यवाही कर बैठता।

1965 में पाक-चीन सम्बन्धों में एक नया चरण शुरू हुआ जिसके अनुसार चीन ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक और सामरिक सहायता देने की नीति अपनाई। लगभग दस वर्षों में पाकिस्तान ने अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ दिया

अप्रैल 1966 में स्पष्ट रूप में घोषित किया कि उसे चीन से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र, विमान और टैंक मिल रहे हैं। चीन से पाकिस्तान को जो सामरिक सहायता मिली, वह अमेरिका संघ्य सहायता से कहीं अधिक थी।

दिसम्बर 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् पिण्डी-पेरिंग सम्बन्धों में एक नए चरण का सूत्रपात हुआ। युद्ध काल में चीन ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सहायता और राजनीतिक समर्थन देने तक ही अपने को सीमित रखा। चीन पाकिस्तान की इस आशा को मिटाना चाहता था कि अमेरिका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता करेगा। पाक-अमेरिका प्रतिरक्षा-सन्धि के अन्तर्गत अमेरिका ने वचन दिया था कि वह पाकिस्तान की अखण्डता और प्रभुसत्ता की रक्षा करेगा, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अमेरिका का वचन जोरा कागजी सिद्ध हुआ। इस प्रकार चीन को पाकिस्तान से यह कहने का अवसर मिल गया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान के रक्षा बजटों में चीन तथा अन्य मित्र देशों से बिना मूल्य प्राप्त हथियारों और उपकरणों की चर्चा नहीं की जाती। गैर-कम्युनिस्ट देशों में चीन ने पाकिस्तान को जितनी सैनिक सहायता दी है उतनी किसी दूसरे को नहीं दी गई है।

अप्रैल-मई 1984 में अमेरिका तक को इन बातों से चिन्ता होने के समाचार प्राप्त हुए कि पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसा गुप्त समझौता है जिसके अन्तर्गत परमाणु बम तथा आणविक शस्त्र बनाने की जानकारी चीन से पाकिस्तान को पहुँच रही है। चीन ने 1983 में पाकिस्तान को परमाणु बम सम्बन्धी जानकारी देनी शुरू की। परमाणु क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सहयोग पर चिन्ता प्रकट करते हुए अमेरिका सीनेटर अलेन कंस्टन ने कहा था कि बगैर विस्फोट किए ही 1990 तक पाकिस्तान के पास 30 यूरेनियम बमों का भण्डार होगा। विस्फोट ही करना हो तो पाकिस्तान के बमों का विस्फोट चीन में भी हो सकता है।

चीन और पाकिस्तान में राजनीतिक एवम् सैनिक गठबंधन निरन्तर मजबूत होता जा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री भाओ भिघांग ने 20 से 23 जून, 1987 तक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जिया और प्रधानमंत्री जुनेजो से भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया तथा ईरान-इराक युद्ध के बारे में बातचीत की। बातचीत में प्रत्येक मामले पर दोनों देशों के समान दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया। प्रधान मंत्री भाओ और राष्ट्रपति जिया ने अफगानिस्तान से नोबियन सेनाओं की वापसी की मांग की। दोनों नेताओं ने सार्क देशों द्वारा क्षेत्रीय

सहयोग पर बल दिए जाने की प्रशंसा की है। यही नहीं प्रधान मंत्री भाओ ने कहा कि दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र घोषित किया जाए। भाओ ने एशिया के उस क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं किया जिसमें चीन स्वयं एक परमाणु शक्ति के रूप में है।

13 जुलाई, 1987 को सम्पन्न हुए एक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान और चीन अपनी सेनाओं के बीच और अधिक मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने इस समझौते के द्वारा चीन से लडाकू जेंट विमान, टैंक, तोप और अन्य सैनिक सामान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। चीन पाकिस्तान को 2001-7 H विमान देने को तैयार हो गया जिसमें अमेरिका GE404 इंजन लगाने को तैयार है।

चीन और अन्य राष्ट्र

साम्यवादी चीन के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न राष्ट्रों के साथ अधिकांशतः उतार-चढ़ाव और मन-मुटाव के सम्बन्ध रहे हैं। पूर्वी यूरोप के एक छोटें से देश अल्बानिया ने 1961 में तब एक धमाका किया था जब उसने साम्यवादी आन्दोलन के एकमात्र मुन्धिया सोवियत संघ से मतभेदों के कारण सम्बन्ध-विच्छेद करके चीन से नाता जोड़ा था। चीन ने सोवियत संघ की आलोचना करते हुए तब एक सच्चे और विश्वमनीय मित्र के रूप में अल्बानिया का स्वागत किया था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के भीतर एक घोर धुरी के निर्माण की सम्भावना उत्पन्न हुई जिसने घागे चलकर अक्टूबर, 1962 में चीन और सोवियत संघ के बीच सम्बन्ध-विच्छेद के बाद साकार रूप ग्रहण कर लिया। अल्बानिया ने दूसरा धमाका जुलाई, 1977 में किया जब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार-पत्र 'जेरी पापुलिन' ने अप्रत्यक्ष रूप में चीन की विदेश नीति के कई तत्वों की सैद्धान्तिक आवार पर कटु आलोचना की। सम्पादकीय में 'तीसरी दुनिया' के सिद्धान्त की भी भर्त्सना की गई जिसका प्रतिपादन माओ-त्से-तुंग ने किया था और अप्रैल, 1974 में मसुक्त राष्ट्र में चीन के भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री तैट मियाओ पिङ ने प्रथम बार अधिकारिक तौर पर उसकी मार्क्सजिक अभिव्यक्ति की। तब से विकासशील देशों को 'तीसरी दुनिया' के देश रहकर सम्शोधित किया जा रहा है। सम्पादकीय में 'तीसरी दुनिया' के सिद्धान्त को लेनिनवाद विरोधी कहकर उसके समर्थकों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्हें अनेक विकासशील देशों में वास्तविक मार्क्सवाद विरोधी, शान्तिकारी शक्तियों और मार्क्सवाद नसर्भक,

प्रतिक्रियावादी फासीवादी शक्तियों के बीच पहचान नहीं है। इस प्रकार समाचार-पत्र ने चीन पर खुला प्रहार किया जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष में एक प्रमुख शक्ति माना जाता था। अल्बानिया रातों-रात चीन विरोधी नहीं बन गया जब 1974 में चीन ने 'शत्रु का शत्रु अपना मित्र' का सिद्धान्त अपनाकर अमेरिका में सम्पर्क स्थापित किया तभी से इस विरोध का अभास होने लगा था। फिर भी मई, 1976 तक अल्बानिया और चीन मित्र बने रहे। अक्टूबर, 1976 में चीन में सत्ता-परिवर्तन के साथ ही दोनों की 'पक्की मित्रता' में दरार पड़ गई जो उत्तरोत्तर चौड़ी होती गई है। चीन के प्रति अल्बानिया के रवैये को एक माधारण घटना नहीं माना जा सकता। यह अल्बानिया के साम्यवादी आन्दोलन सम्बन्धी सैद्धान्तिक सघर्ष की ही एक कड़ी है। अल्बानिया नहीं मानता कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के केवल कोई एक या दो केन्द्र-बिन्दु ही हो सकते हैं।

चीन और सोवियत सघ के बीच बिगाड़ पैदा होने से पहले तक सोवियत नेतृत्व स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन का एक मात्र नेता मानता था, किन्तु चीन ने उसकी इस प्रतिमा को खण्डित कर दिया। कुछ वर्ष पहले तक साम्यवादी आन्दोलन के दो केन्द्र रहे जिनमें सख्या और प्रभाव की दृष्टि से चीन का स्थान निश्चय ही सोवियत सघ के बाद था। पिछले कुछ वर्षों में साम्यवादी आन्दोलन का एक और केन्द्र उभरा जिसे यूरोपीय केन्द्र की मजा दी गई और जिसके प्रबन्धक पश्चिमी यूरोप के साम्यवादी दल हैं।

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने सितम्बर, 1977 में चीन की राजकीय यात्रा करके चीन-यूगोस्लाविया के रिश्ते में एक नए मोड़ का सूत्रपात किया। नि सन्देह मार्शल टीटो की चीन-यात्रा चीन-यूगोस्लाविया सम्बन्धों की एक महान् घटना थी क्योंकि मार्शल टीटो चीन की दृष्टि में 'सशोधनवादी' थे और चीनी नेताओं को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। यात्रा की समाप्ति पर किभी सयुक्त विज्ञप्ति का प्रसारित न किया जाना इस बात का संकेत था कि दोनों पक्षों के बीच अनेक विषयों पर मतभेद नहीं था। मार्शल टीटो की मृत्यु के बाद सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया शिथिल हो गई और अभी तक दोनों देशों के सम्बन्ध लगभग यथापूर्वक हैं।

बाह्य मंगोलिया पूर्वी एशिया का छोटा-सा देश है जो यद्यपि सयुक्त राष्ट्रसघ का सदस्य है, तथापि व्यवहारतः सोवियत रूस के प्रभाव और संरक्षण में है। मंगोलिया पर प्रभुत्व के मामले में चीन रूस का प्रतिद्वन्दी है। सत्तार की छत कहे जाने वाले तिब्बत की स्वायत्तता चीन ने समाप्त कर दी है। अरब-जगत् में भी वह अपने पैर फैलाने को प्रयत्नशील है हालाँकि इस दिशा में उसे कोई उल्लेखनीय

सफलता नहीं मिल सकी है। चीन की दृष्टि हिन्द महासागर पर भी है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, जाम्बिया आदि को सहायता देने के नाम पर चीन हिन्द महासागर के जल-मार्गों का प्रयोग अपने हित में कर रहा है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें घनिष्ठ बनाने की दिशा में चीन काफी समय से प्रयत्नशील है। रूमानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि से चीन के सम्बन्ध यथावत् चलते आ रहे हैं। ये राष्ट्र सोवियत रूस के प्रभाव में हैं तथा रूस विरोधी किसी भी चीनी कार्यवाही के प्रति सजग हैं। पिछले लगभग 15 वर्षों से चीन ने जापान की ओर भी दृष्टिपात किया है। 1972 में चीनी प्रधानमंत्री द्वारा जापान के नए प्रधानमंत्री को पीकिंग आने का निमन्त्रण इस बात का सूचक था कि चीन जापान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करके जापानी सैन्यवाद के खतरे से अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। 1978 में चीन-जापान संधि हुई जो दोनों देशों के बढ़ते हुए सम्बन्धों की द्योतक है। चीन बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को प्रत्येक क्षेत्र में कम करना चाहता है।

चीन और पुर्तगाल भी निकट आए हैं। 13 अप्रैल, 1987 को चीन के दौरे पर गये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बवाको सिल्वा और चीन प्रधान मंत्री श्री भाओ झियांग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार पुर्तगाल द्वारा शासित मकाओ द्वीप 20 दिसम्बर, 1999 को चीन को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। चीन के शासन में आ जाने के पश्चात् मकाओ एक विशेष प्रशासनिक एकाई के रूप में ही रहेगा, जिसकी रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़ कर हर क्षेत्र में काफी स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी। चीनी प्रधान मंत्री के अनुसार एक देश दो प्रणाली का सिद्धान्त वास्तविक और व्यवहारिक दृष्टियों से उपयुक्त है।

अफ्रीका में चीन की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य हैं—नव स्वतन्त्र अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना, इन राष्ट्रों में अमेरिका, रूस और क्यूबा के प्रभाव को कम करते हुए चीनी प्रभाव का विस्तार करना, इन देशों में साम्यवाद का विस्तार करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये चीन ने जिन नीतियों और साधनों का सहारा लिया है, उनमें मुख्य हैं—आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार-समझौते, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शान्ति के चीनी सिद्धान्तों का निर्वात चीन को सोवियत गण की तुलना में शान्तिकारी आन्दोलन के अधिक सक्षम नेता के रूप में प्रस्तुत करना, मुक्ति आन्दोलनों को समर्थन देना और रूसी प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका का प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन करना।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीनी महत्वाकांक्षा और रूस-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न

चीन के नेताओं ने कई बार कहा है कि रूस हमारे चारों ओर घेरा डालने की चेष्टा कर रहा है। वे कहते हैं कि चीन के पड़ोसियों को रूस एक चीन-विरोधी मोर्चे में बांधना चाहता है। इसका प्रमाण, उनके अनुसार, 1978 की रूस वियतनाम संधि है। यह चीन-विरोधी है, जिसके द्वारा रूस, वियतनाम की सहायता से, चीन को दक्षिण-पूर्वी एशिया से अलग करना चाहता है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में करोड़ों चीनी लोग बसे हुए हैं। यह चीन से प्रभावित क्षेत्र समझा जाता रहा है। चीन अपनी भाषा में इसे नानयांग (बादल आच्छादित प्रदेश) कहता है। चीन को यह पसन्द नहीं है कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो। यही कारण है कि जब वियतनाम पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होकर चीन तथा रूस के साथ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, सामान्य व्यवहार करने लगा तो चीन के नेता अप्रसन्न हो गए। उन्हें आशा थी कि स्वतन्त्र होने पर वियतनाम अपने निकटवर्ती देश चीन के प्रति अधिक निकटता का प्रदर्शन करेगा और रूस-विरोधी संघर्ष में उसका साथ देगा लेकिन जब वियतनाम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तथा अन्य कारणों की वजह से रूस से सामीप्य बनाए रहा तो चीन हष्ट होकर वियतनाम को दक्षिण-पूर्व का न्यूवा या रूस का दक्षिण-पूर्वी एजेंट कहने लगा।

चीन ने यह कोशिश भी की कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का रूस-विरोधी मोर्चा बनाया जाए। इस प्रयास में चीन के उप-प्रधानमंत्री तेङ्ग सियाघो पिङ् 1978 में थाईलैण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर की यात्रा पर निकले।

रूस-विरोधी मोर्चा-बन्दी—चीन के अनुसार अगर रूस-विरोधी मोर्चा बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि रूस की प्रमुख विरोधी शक्ति के साथ सामान्य तथा अच्छे रिश्ते कायम किए जाएँ, यह शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसका प्रभाव विश्वव्यापी है। बहुत से देशों को इसने सन्धिघो से बांध रखा है। एशिया के देशों में इसके सैनिक जड़ें विद्यमान हैं। प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में इसकी नीमेना गूँथ लगाते हुए मर्दें सचेत हैं। इसमें रिश्ते कायम करने पर अनेक छोटे-मोटे देशों के साथ, जो इस पर आश्रित हैं, अपने आप सम्बन्ध बन जाते हैं। अमेरिका के पास एक तर्क तैयार रूस-विरोधी मोर्चा है। चीन को अगर रूस का विरोध करना है तो उसके लिए एक नया मोर्चा खड़ा करने की जरूरत नहीं है।

उसे पहले से ही स्थित मोर्चे को मान लेना चाहिए। चीन का अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ता कायम करना उसका आज की स्थिति में रुस-विरोधी मोर्चे की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम है।

अमेरिका और चीन बहुत बड़े देश हैं। वे एक-दूसरे की सहायता बिना रह सकते हैं। पिछले तीस सालों में वे इस तरह रहे हैं। इन तीस सालों में वे बीस वर्ष तक एक-दूसरे को अपना दुश्मन समझते रहे तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में कोरिया, ताइवान तथा वियतनाम में लड़ते रहे।

लेकिन अब चीन के लिए दुश्मन की परिभाषा बदल गई है। उसने घोषित कर दिया है कि सोवियत रुस उसका सबसे बड़ा खूंखार दुश्मन हो गया है। उसको सबसे पहले इस दुश्मन से लड़ने की आवश्यकता मालूम होती है। उसे यह भी स्पष्ट मालूम है कि यह लड़ाई वह अकेले नहीं लड़ सकता। यह तो एक मोर्चे के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है।

तटस्थ-पड़ोसी—इस कार्य के लिए अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ते कायम करना काफी नहीं है। अपने मित्र तथा पड़ोसी देशों को रुस-विरोधी मोर्चे में शामिल करने की चीन की आवश्यकता महसूस होती है। इसको पूरा करने के लिए वह अब सचेष्ट है, लेकिन चीन के निकटवर्ती देश ऐसे मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहते हैं, साथ ही चीन से दुश्मनी भी मोल लेना नहीं चाहते। चीन उनका समीपवर्ती देश है और उसकी वे अचहेलना नहीं कर सकते।

इस क्षेत्र की राजनीतिक समस्याएँ बहुत जटिल हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के करीब-करीब सभी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ मजबूत लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। इन सब का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसकी स्थापित राज्यमत्ता के साथ अन्तरंग सम्बन्ध है।

1949 में कम्युनिस्टों के सत्तारूढ़ होने पर चीन लगातार दक्षिण-पूर्वी एशिया की कम्युनिस्ट पार्टियों की सहायता हथियारों तथा अन्य प्रकार में करता चला आ रहा है। ये सब कम्युनिस्ट पार्टियाँ दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों में, जिनके साथ चीन अब मित्रता स्थापित करना चाहता है, मजबूत टक्करें ले रही हैं।

पेचीवा सवाल—चीन एक तरफ शस्त्र इत्यादि प्रदान कर इस क्षेत्र की कम्युनिस्ट पार्टियों से घनिष्ठता बनाए हुए है और दूसरी तरफ इस क्षेत्र की सरकारों में, जिनके उन्मूलन तथा विनाश के लिए यह कम्युनिस्ट पार्टियाँ कटिबद्ध हैं, मित्रता कायम करना चाहता है। यह एक अन्तर्विरोधपूर्ण विदेश नीति है।

इस घोर घाईलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर ने चीन का ध्यान आकर्षित किया। चीन का उत्तर था कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी से दक्षिण-पूर्वी एशिया की कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। ये सम्बन्ध उस समय के हैं जब चीन तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोग पश्चिमी उपनिवेशवादियों से सघर्ष कर रहे थे। स्वतन्त्र होने पर चीन दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। लेकिन इस नई चेष्टा में उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इस क्षेत्र की कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अपने रिश्ते एकदम खत्म कर दे। ये रिश्ते समयानुकूल धीरे-धीरे जम किए जा सकते हैं, लेकिन उनको अचानक खत्म करना सम्भव नहीं है।

दूसरी ओर आज स्थिति यह है कि यदि चीन इन कम्युनिस्ट पार्टियों की सहायता देना बन्द कर दे तो उससे इन पार्टियों का अन्त नहीं हो जाएगा। वे तब रूस से सहायता मांगने लगेंगी और रूस ऐसी स्थिति के इन्तजार में है।

रूसी सहायता दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। इसका उदाहरण रूस द्वारा अफ्रीकी देशों को दी गई सहायता है। जिस पार्टी को रूस ने सहायता दी (इथोपिया, अंगोला, मोजाम्बिक इत्यादि) वह अपने विपक्षियों को नष्ट करके सत्तारूढ़ हो गई।

तटस्थ पड़ोसी—इस तरह की सामरिक तथा आर्थिक सहायता यदि रूस दक्षिण-पूर्वी एशिया की कम्युनिस्ट पार्टियों को देना आरम्भ करेगा तो निश्चय ही ये पार्टियाँ अधिक बलवान हो जाएँगी और मौजूदा सरकारों का अन्त करने में अधिक समर्थ होंगी। अतः इन पार्टियों का चीन के साथ सम्बन्ध रखना दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों के हित में है।

मलेशिया का विचार है कि कोई भी स्वतन्त्र देश दूसरे किसी भी देश को अपने अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दे सकता। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। चीन द्वारा मलेशिया कम्युनिस्ट पार्टी को दी जा रही सहायता चीन का मलेशिया के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप है, जिसे मलेशिया कभी भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। चीन यदि मलेशिया से पूर्ण मित्रता चाहता है तो उसे मलेशियाई कम्युनिस्टों को सहायता देना सर्वथा बन्द करना पड़ेगा।

तब यदि रूस मलेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता देना शुरू करेगा तो उनका अन्त रूस घोर मलेशिया के रिश्ते पर अक्षय पड़ेगा। मलेशिया रूस या किसी भी देश को अपने अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देगा। चीन ने मलेशिया को आर्थिक प्रलोभन दिए और कहा कि चीन मलेशिया से

अधिक खड तथा ताड का तेल (पाम ऑयल) खरीदेगा, ताकि चीन-मलेशिया व्यापार, जो अभी तक चीन के पक्ष में है, सन्तुलित हो सके। परन्तु मलेशिया ने स्पष्ट कर दिया कि व्यापार की बात राजनीतिक रिश्तों से भिन्न है और व्यापारिक लाभ के लिए मलेशिया अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता कभी नहीं वेचेगा।

सिंगापुर—सिंगापुर की 76 प्रतिशत जनसंख्या चीनी नस्ल की है। सिंगापुर अमेरिका-जापान-चीन गठबन्धन के पक्ष में है लेकिन वह भी खुलेमार्ग रूस-विरोधी संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहता।

इस प्रकार चीन द्वारा रूस-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयास विफल रहा है। अब अमेरिका से सामान्य रिश्ते कायम कर चीन वही कार्य दूसरे रूप में करना चाहता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका के प्रभाव का इस्तेमाल करके चीन रूस को इस क्षेत्र से दूर रखना चाहता है।

चीन का सैन्यवाद और साम्राज्यवाद गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए एक जबरदस्त चुनौती है। 1962 में भारत पर और 1979 के प्रारम्भ में वियतनाम पर आक्रमण करके चीन ने अपनी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया है। वह ऊपर से सहयोग और मैत्री का स्वांग रचता है, लेकिन उसकी वास्तविक मशा दूसरे देशों के भू-भागों को हड़पने की है।

वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को कुछ समय पहले तक बुरा-भला कहता था परन्तु अब उसका प्रशंसक बन गया है, यही नहीं, पीकिंग के नेताओं ने यह स्पष्ट संकेत भी दिया है कि चीन इस आन्दोलन का अभिभावक और यहाँ तक कि नेता भी बनने के लिए तैयार है। जिन लोगों को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मस्थापकों पर पीकिंग के हमलों की आज भी याद है, जिन पर चीन पूर्व में एक 'नई म्यूनिसि सौदेबाजी' के पडयन्त्र में शामिल होने का आरोप लगता था, वे चकित होकर यह पूछ रहे हैं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की निन्दा से सहसा एवदम उलट कर उसकी प्रशंसा करने लगने का क्या अर्थ है ?

ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को ही द्वितीय महायुद्ध में प्रबल आघात सहने पड़े और उनके हितों को कल्पनातीत क्षति पहुँची। उनकी स्थिति तीसरी श्रेणी के राष्ट्रों से सदृश हो गई। धुरी राष्ट्र तो अपना साम्राज्य खो ही बैठे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस आदि विजेता राष्ट्र भी अपने साम्राज्यों की रक्षा नहीं कर सके और एक-एक करके उनके अधीनस्थ लगभग सभी प्रदेश स्वतन्त्र हो गए।

ब्रिटेन की विदेश नीति (British Foreign Policy)

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन की विदेश नीति दो सिद्धान्तों पर आधारित थी—प्रथम, यूरोप में सन्तुलन की शक्ति (Balance of Power) को कायम रखना तथा द्वितीय, अपनी बस्तियों (Colonies) में अपना प्रभुत्व स्थापित रखना, परन्तु इस दूसरे महासमर ने तो उसका चित्र ही परिवर्तित कर दिया। किसी ने लिखा है “इंग्लैंड जो दूसरों को जीतने के लिए था, उसने स्वयं को विजित कर लिया।” चूँकि ब्रिटेन में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि वह यूरोप में सन्तुलनकारी सत्ता के रूप में रह सके, अतः उसके शान्तिकाल में ही सुरक्षा-सन्धियों की व्यवस्था करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु इस सन्धि व्यवस्था में भी उसके मस्तिष्क में शक्ति-सन्तुलन का भूत समाया रहा ताकि वे तो आपस में लड़ें और ब्रिटेन अछूता रह सके।

ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल

युद्धोपरान्त अपने साम्राज्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने एक नई नीति का अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ देश स्वतन्त्र तो हो गए पर ब्रिटेन के माथ उनका सम्बन्ध कायम रहा। पुगने ब्रिटिश साम्राज्य ने अब ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (British Commonwealth) का स्वरूप ग्रहण किया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन अपना महत्त्वपूर्ण स्थान कायम रख सका। आज ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का जो रूप है उसमें सब सदस्य-राज्यों की स्थिति बराबर है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता

को अक्षुण्ण रखते हुए वे राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। यदि वे चाहे तो इसमें पृथक् भी हो सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यता आज भी ग्रहण किए हुए हैं। राष्ट्रमण्डल में कतिपय ऐसे प्रदेश भी हैं जिन्हें अभी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई है। हिन्द महासागर और भूमध्यसागर में अनेक ऐसे द्वीप हैं जिन पर ब्रिटिश प्रभुत्व विद्यमान है।

अक्टूबर, 1987 में कनाडा के बैकुवर में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। फिजी को औपचारिक रूप से राष्ट्रकुल से निकाले जाने से राष्ट्रमण्डल की सदस्य संख्या 49 से घटकर 48 रह गई है। दक्षिणी अफ्रीका पर और अधिक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर सम्पूर्ण सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान ब्रिटेन की प्रधान मंत्री मार्ग्रेट थर्चर की अडगा नीति के कारण विवाद बना रहा। तथापि सम्मेलन में ब्रिटेन इस प्रश्न पर अलग-पलग पड गया। जिस राष्ट्रकुल का गठन लगभग 60 वर्ष पूर्व स्वयं ब्रिटेन ने किया था, उसी सगठन में वह न केवल अकेला पड गया बल्कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, तथा न्यूजीलैण्ड देशों ने भी उसका साथ नहीं दिया।

ब्रिटेन और कोलम्बो योजना

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्यों की आर्थिक उन्नति के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों में कोलम्बो योजना का विशेष महत्त्व है। जनवरी, 1950 में ब्रिटेन के प्रयत्नों से श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों की आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए एक योजना तैयार की गई। इस योजना में प्रारम्भ में केवल ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्य ही सम्मिलित थे, पर अब पश्चिमी एशिया के भी अनेक राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

ब्रिटेन और अमेरिका

युद्धोत्तर-काल में ब्रिटेन ने अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी नीति अपनाई। ब्रिटेन आर्थिक विपन्नता की अवस्था में था और उसे अपने पुनर्निर्माण तथा आर्थिक स्थिरता के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, अतः यह स्वाभाविक था कि ब्रिटेन ने अमेरिका या मध्योपग प्राप्त किया और अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार अमेरिका का समर्थन करना बना लिया। यद्यपि पेरिस शान्ति-सम्मेलन में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि हम किसी भी गुट में मिलना नहीं चाहते, लेकिन कथनी और करनी में अन्तर यह रहा कि अपनी आर्थिक दवा सुधारने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से मार्शल-योजना के अन्तर्गत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की। अमरीकी विदेश मंत्री श्री बेचिन ने ट्रूमैन मिढान्त को भी स्वीकार कर लिया। यद्यपि ब्रिटेन अमेरिकी गुट में एक महायुक्त के रूप में ही रहा, तथापि यह स्पष्ट हो गया कि पारस्परिक जगत् का नेतृत्व ब्रिटेन के नहीं, अमेरिका के हाथ में है। अनेक क्षेत्रों में ब्रिटेन का स्थान अमेरिका लेता गया। न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया जैसे पुराने दोमिनियनों ने राष्ट्रमण्डल से बाहर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 'अजुयम पैक्ट'

(Anzus Pact) करना उचित समझा। मध्य-पूर्व में भीत, फिलिस्तीन, टर्की और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटेन के चले जाने से जो शक्ति-शून्यता पैदा हो गई उसे अमेरिका ने भरा। नाटो (NATO) में सम्मिलित होकर ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ खुला सैनिक गठबन्धन कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि साम्यवाद के विरुद्ध जेहाद में वह पूरी तरह अमेरिका के साथ है।

निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सभी वार्ताओं में ब्रिटेन और अमेरिकी नीति में सामान्यता सामञ्जस्य रहा और लन्दन ने वाशिंगटन को पूर्ण समर्थन दिया। सितम्बर, 1954 में ब्रिटेन ने संयुक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाईलैण्ड आदि के साथ पारस्परिक सहायता और सामूहिक सुरक्षा-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि सगठन (SEATO) को जन्म दिया (जो 30 जून, 1977 को विघटित कर दिया गया)।¹ ब्रिटेन ने 1957 में प्रतिपादित ब्राइजनहॉवर सिद्धान्त के प्रयोग में पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित की और जोर्डन में तो इस सिद्धान्त के प्रयोग की दिशा में उसका व्यावहारिक व सक्रिय सहयोग रहा। जर्मनी के प्रश्न पर भी ब्रिटेन का अन्य सम्बन्धित पश्चिमी शक्तियों के साथ पूर्ण सहयोगी रुख है। 1953 में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन द्वारा मास्को में अणु-परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए और फिर 1968 की परमाण्विक सन्धि पर भी ब्रिटेन प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र था।

अमेरिका के साथ अपना घनिष्ठ सहयोग करते हुए भी अनेक विषयों पर ब्रिटेन का अपना स्वतन्त्र दृष्टिकोण रहा है। विरोध करते समय दोनों देश यह मान कर चले हैं कि एक व्यक्ति को अपने मित्र की आलोचना करने का अधिकार है। अगस्त, 1945 में ब्रिटेन को तब अप्रसन्नता हुई जब अमेरिका द्वारा एकदम लैण्ड-लीज (Land-Lease) को बन्द कर दिए जाने से ब्रिटिश अर्थ-नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। युद्धोत्तरकाल में ब्रिटेन में जो समाजवादी आन्दोलन छिड़ा और थर्मिक सरकार द्वारा नीतियाँ अपनाई गईं उनके प्रति अमेरिका में सन्देहपूर्ण वातावरण पैदा हुआ। साम्यवादी रूस के प्रति अमेरिका की बंदोर नीति की ब्रिटेन ने विशेष सराहना नहीं की। ब्रिटेन की यही धारणा रही कि रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के साथ अधिनाधिक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए और रूस तथा चीन को समझौतेपूर्ण रवैये द्वारा अपने निबट लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रिटेन ने अमेरिका की अप्रसन्नता की परवाह न कर जनवरी, 1950 में ही चीन की साम्यवादी

1 साम्यवाद के विरुद्ध शीतयुद्ध के लिए गठित दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि सगठन सीटो को शान्ति-पूर्वक हल्का शाक मानने हुए 30 जून, 1976 को समाप्त कर दिया। 23 वर्ष पुराने इस सगठन को छ सदस्य-देशों के इस दृष्टिकोण के बावजूद बन्द किया गया कि हिन्दोचन में कम्युनिस्टों की विजय के कारण परिस्थितियाँ बदलती हैं तथा 1950 से अब तक साम्यवाद के प्रति पाश्चात्य देशों में दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है। सीटो का जन्म कम्युनिस्ट विरोधी संयुक्त सुरक्षा सन्धि के रूप में 1954 में मनीला सम्मेलन के अधीन हुआ था। सैनिक गठनों को मर्याप्त करने के बावजूद मनीला सम्मेलन अभी भी कायम रहा।

सरकार को मान्यता देने के विचार की घोषणा कर दी। उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भी अमेरिकी हल के प्रति ब्रिटेन में असन्तोष रहा। उसका यही मत है कि हिन्द चीन, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया आदि प्रदेशों में ब्रिटिश लक्ष्य और हितों के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण विशेष सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। स्वेज का 1956 में नासिर द्वारा राष्ट्रीयकरण किए जाने पर ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जो आक्रामक नीति अपनाई गई उसका अमेरिका ने समर्थन नहीं किया। अमेरिका का यह दृष्टिकोण ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा अनपेक्षित था। अरब-इजरायल के 1967 के संघर्ष में भी ब्रिटिश और अमेरिकी नीतियों में विशेष निकटता नहीं थी। 1982 में बेरुत (लेबनान) पर इजरायल के भयंकर हमले और बेरुत में फिलिस्तीनियों के नृशंस हत्याकाण्ड के मन्दर्भ में भी दोनों देशों के बीच मतभेद का अभाव रहा।

अगस्त, 1980 में अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी में आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों के विकास पर सहमति हुई और अप्रैल-मई, 1982 में फाकलैण्ड की समस्या के हल के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग मध्यस्थता-प्रयास करते रहे। फाकलैण्ड विवाद पर अमेरिका ने ब्रिटेन को सहयोग और समर्थन दिया परन्तु उसकी नीति प्रारम्भ में स्पष्ट नहीं रही। ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्रीमती थ्रोचर ने राष्ट्रकुल के सदस्य ग्रेनाडा पर अक्तूबर, 1983 में अमेरिकी आक्रमण को लेकर इस बात पर अपनी नाराजगी प्रकट की, कि अमेरिका ने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन से कोई परामर्श नहीं किया। 13 मार्च, 1985 को संयुक्त राष्ट्रसभ की सुरक्षा परिषद् में भारत के प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अन्तर्गत लेबनान पर कब्जा जमाने वाली इजरायली फौजों के व्यवहार और उसही वर्ष हरकतों की निन्दा की गई। फ्रांस, चीन, मोरियत सभ, मिस्र, पेरू और थाईलैण्ड सहित 11 देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिकी खेमे के तीन प्रमुख देशों—आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और डेनमार्क ने वोट नहीं डाला। इस तरह अमेरिका सुरक्षा परिषद् में विस्कुल अकेला पड़ गया और ब्रिटेन तक का उसें समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के अधिकतर प्रश्नों पर ब्रिटेन की नीति अमेरिका के समर्थन की है। 1987 की समाप्ति तक निःशस्त्रीकरण, खाड़ी-युद्ध, चीन से सहयोग के विस्तार आदि मामलों में ब्रिटेन और अमेरिका के दृष्टिकोणों में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर परिलक्षित नहीं हुआ है।

परन्तु विभिन्न मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के मौलिक हित परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और 1954 में चर्चिल द्वारा कहे गए ये शब्द आज भी बजन ररते हैं—“हमारे अस्तित्व की सम्पूर्ण नींव संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मन्धि, मित्रता और बढ़ती हुई भाई-चारे की भावना पर आधारित है।” कुल मिलाकर ब्रिटिश नीति संयुक्तराज्य अमेरिका की नीतियों की यथासम्भव सम आलोचना करने की रही है। विशेषकर ब्रिटेन के वजरवेटिव राजनेता इसका अधिक ध्यान रखते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में यह भी लगभग मुनिभिन्न माना जाता

है कि जब तक पूर्व और पश्चिम के बीच सघर्ष विद्यमान है, तथा त्रिनेन द्वितीय कोटि की शक्ति है, तब तक ब्रिटेन को अमेरिका के साथ सहयोग करना होगा।

ब्रिटेन के फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों से सम्बन्ध

ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त अन्य पश्चिमी देशों को भी साथ लेने की कोशिश की और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रीय योजनाओं का विकास किया। 4 मार्च, 1947 को उसने फ्रांस के साथ डकर्क-सन्धि (Dunkirk Treaty) सम्पन्न की जो भावी जर्मन आक्रमणों के विरुद्ध एक-दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से हुई। इसके बाद 17 मार्च, 1948 को ब्रिटेन ने बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और फ्रांस के साथ मिलकर ब्रूसेल्स सन्धि की जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोपियन गप (Western European Union) का निर्माण हुआ। इस सन्धि-संगठन के सदस्यों में यह निश्चय हुआ कि हस्ताक्षरकर्ता देशों में से किसी देश पर यदि यूरोप में सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 51 के अनुसार अपनी सम्पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण के शिकार देश को प्रदान करेंगे।

डकर्क, ब्रूसेल्स और नाटो सन्धियों का सदस्य बन जाने के बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय परिषद् (Council of Europe) के निर्माण में रुचि ली। 5 मई, 1949 को इस परिषद् की स्थापना हुई।

जनवरी, 1958 में यूरोपियन सामान्य मण्डी या साझा बाजार की स्थापना हुई जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग सम्मिलित हुए। ब्रिटेन इस मण्डी में सम्मिलित नहीं हुआ। परन्तु जब यूरोपियन सामान्य मण्डी से ब्रिटेन और अन्य देशों को काफी हानि पहुँचने लगी तो इसके दुःप्रभावों को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने यूरोपियन मुक्ति व्यापार गप (European Free Trade Association) का निर्माण किया। यह सघ यूरोपियन सामान्य मण्डी का मुकाबला न कर सका। 1961 तक ब्रिटेन का यूरोप के साथ निर्यात व्यापार घट गया, उनकी वृषि वस्तुओं की मण्डी समाप्त प्राय हो गई, अतः विवश होकर उसने यूरोपियन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का प्रयत्न किया किन्तु फ्रांस की हठधर्मि के कारण उसके सदस्य बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटेन यूरोपियन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा और उसका सदस्य बन जाना लगभग निश्चित-सा हो गया। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विल्सन ने मई, 1967 में ब्रिटिश संसद् में इस बात की घोषणा भी की, किन्तु डिगॉल का हृत्त इस निश्चय को क्रियान्वित करने में सहायक नहीं हुआ। अप्रैल, 1969 में डिगॉल ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और अन्ततः दस वर्षों से भी अधिक समय के प्रयास के बाद ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन ही गया।

28 सितम्बर, 1971 को ब्रिटेन और साझा बाजार के सदस्यों के बीच समझौता हो सका। साझा बाजार के विस्तार में सम्बन्धित रोम की सन्धि पर 22 जनवरी 1972 को ब्रिटेन, नार्वे, डेनमार्क और एयरे (उत्तर आयरलैंड) तथा

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वर्तमान छ सदस्य देशों (पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम) ने ब्रूसेल्स में हस्ताक्षर किए। साम्राज्य बाजार का विधिवत् विस्तार जनवरी, 1973 में हुआ और नए चार सदस्यों ने अपने-अपने देश की समझ में सन्धि की पुष्टि कराई। ब्रिटेन में नसद तथा नार्वे, डेनमार्क और एयरे में वहाँ के मतदाताओं ने उसकी पुष्टि की। पुष्टि से सम्बन्धित प्रपत्र 31 दिसम्बर, 1972 तक साम्राज्य बाजार के मुख्यालय में जमा कराए गए। सन्धि के अनुसार नए सदस्य देशों को साम्राज्य बाजार की भविष्य में होने वाली बैठकों में भाग लेने का अधिकार मिल गया।

ब्रिटेन एवं साम्यवादी देश

अमेरिकी गुट में रहते हुए विभिन्न अवसरों पर साम्यवादी देशों की कटु आलोचना करने पर भी युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन ने साम्यवादी गुट के देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित किए हैं। वास्तव में साम्यवादी देशों में प्रमुखतः रूस और चीन के प्रति ब्रिटेन ने द्विमुखी नीति का अनुसरण किया है। एक ओर तो यूरोप में बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को तथा विश्व के अन्य भागों में साम्यवादी प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए वह 'शीत-युद्ध' में सम्मिलित हो गया और प्रादेशिक संगठनों द्वारा साम्यवादी प्रस्ताव का विस्तार रोकने में तत्पर होने लगा और दूसरी ओर उसने साम्यवादी देशों के साथ अपने व्यावसायिक सम्बन्ध विकसित करने की चेष्टा की। संयुक्तराज्य अमेरिका का अनुगमन करते हुए भी ब्रिटेन ने चीन का विरोध नहीं किया है क्योंकि चीन में उसकी अपार संपत्ति तथा बृहद् व्यवसाय है। उसने चीन को, अमेरिकी विरोध के बावजूद कूटनीतिक मान्यता भी प्रदान कर दी है। चीन के व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलों ने ग्रेट ब्रिटेन का भ्रमण किया और ब्रिटेन द्वारा चीन से विभिन्न देशों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए गए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक-दूसरे के देशों की यात्राएँ की। दोनों के मध्य समय-समय पर प्रतिनिधि मण्डलों के जाने-जाने का क्रम भी जारी है। 3 मई, 1976 को ब्रिटिश विदेश मन्त्री क्रॉसलैंड ने चीन की यात्रा की और चीन को विमानों की विक्री, वैज्ञानिक साज-सामान देने के बारे में बातचीत की। क्रॉसलैंड ने चीनी नेताओं से आग्रह किया कि मितम्बर में ब्रिटेन में होने वाले फार्मोसो विमान प्रदर्शनी में चीन अवश्य शामिल हो। विश्व की विभिन्न गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। चीनी नेताओं ने तीसरे विश्व-युद्ध का भय प्रकट करते हुए कहा कि दो बड़ी शक्तियों के बीच सन्धि की स्थिति बढ़ती जा रही है और युद्ध-स्पर्ध एक बार फिर यूरोप की धरती ही बनेगा। क्रॉसलैंड ने चीन के इन भय को निराधार बताते हुए अपने भाईचारे के विचार में चीनी अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार हर हालत में पश्चिमी यूरोप में एकरा और सुरक्षा कायम रखना चाहती है। हमारा भविष्य यूरोपीय समुदाय के सही या है। समुदाय विनाम की स्थिति में है और भावी विकास के लिए सभी सदस्य देश पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते हैं तथापि समुदाय के भीतर रह कर

हम सब सहयोग के प्रति प्रतिबद्ध है और हम सब का प्रयास रहता है कि यूरोप की एकता किसी भी तरह से खण्डित न होने पाए। पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन की हर सरकार—कजरवेटिव या लेबर—ने यह अनुभव किया है कि हमारी सुरक्षा नाटो पर आधारित है और यही कारण है कि हम उसकी उपयोगिता को महत्व देते हैं। क्रासलैण्ड की यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित संयुक्त विज्ञप्ति में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि नेतृत्व में परिवर्तन के बावजूद ब्रिटेन और चीन में सहयोग और मंत्री पर किसी तरह का अन्तर नहीं आया है।

मार्च, 1979 में ब्रिटेन और चीन ने 14 अरब डॉलर के व्यापार समझौते पर पीकिंग में हस्ताक्षर किए। नवम्बर, 1977 में लन्दन में दोनों पक्षों में एक वायु-सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन और चीन में परस्पर सम्पर्क और सहयोग का विस्तार होता गया। ब्रिटेन की महारानी व उसके पति राजकुमार फिलिप ने अक्टूबर, 1986 में चीन की यात्रा की। चीन सरकार ने उनका अचूका सम्कार किया। यद्यपि यह यात्रा मात्र एक औपचारिकता थी तथापि ब्रिटेन के व्यापारियों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन के साथ करोड़ों पौण्ड मूल्य के समझौते विविध क्षेत्रों में किए। इन समझौतों में 70 से अधिक ब्रिटिश कंपनियाँ शामिल थी। ब्रिटेन अब चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों में दसवें स्थान पर आ गया। उसमें ऊपर प जर्मनी, इटली व फ्रांस का स्थान था।

सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन अधिक व्यावहारिक और उदार नीति अपनाने का पक्षधर है। जब दिसम्बर, 1981 में पोलैण्ड के मामले को लेकर अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध अर्थिक प्रतिबन्ध की चेतावनी दी गयी तो ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों ने इस चेतावनी पर कोई उस्ताहजनक हय नही दिखाया। बंमे सुरक्षा परिषद् में सोवियत विरोधी प्रत्येक कदम पर ब्रिटेन और अमेरिका में लगभग पूरा सहयोग रहा है। 28 मार्च, 1987 को श्रीमती ग्रेचर ने अपनी मास्को यात्रा से पूर्व उन्होंने एक वयान में सोवियत संघ से अपील की कि वह असन्तुष्टों को छोड़ दे और यहूदियों को देश के बाहर जाने की अनुमति दे। एक तरह से उन्होंने रूस में मानव अधिकारों की स्थापना की माँग की। मास्को में श्रीमती ग्रेचर ने रूस के नेता गोर्बाचोव व प्रधानमंत्री आदि से भेंट की। श्रीमती ग्रेचर ने परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कहा कि रूस का दृष्टिकोण काल्पनिक है हम परमाणु हथियारों को समाप्त करके अपने परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते। उल्लेखनीय है कि श्री गोर्बाचोव ने मुस्काव रखा या कि बीसवीं सदी के अन्त तक विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त कर दिया जाए। इस यात्रा के अवसर पर सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच कुछ समझौते भी हुए। इनमें एक समझौता अन्तरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग का व दूसरा लन्दन व मास्को में दूतावास के लिए भूमि प्राप्त करने सम्बन्ध में था।

ब्रिटेन और अन्य देश

संयुक्त राष्ट्रसंघ में ब्रिटेन पश्चिमी गुट का उपनेता है और अधिकांशतः उसने संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन को अधिकांशतः एशिया और अफ्रीका के राज्यों का विरोध सहना पड़ा है। इस विरोध का प्रमुख कारण एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के प्रति अपनाई जाने वाली उसकी विरोधी नीति रही है। भारत के साथ कश्मीर के मामले में और मित्र अथवा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ स्वेज एव इजरायल विवाद पर ब्रिटेन ने न्याय का गला घोटने की कोशिश की है। 1956 में स्वेज-विवाद पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मित्र के विरुद्ध जो आक्रामक कार्यवाही की उससे मिस्र और ब्रिटेन के सम्बन्ध तनावपूर्ण बन गए और 1967 में अरब-इजरायल संघर्ष में उसके द्वारा अरब विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के कारण ये सम्बन्ध और भी कटु बन गए हैं। मनभेदों के बावजूद कतिपय अवसरों पर ब्रिटेन का हल भारत के प्रति उदार रहा है। चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन ने भारत को अखिलम्व सैनिक सहायता प्रदान की थी और वैसे भी ब्रिटेन से विक्रमशील देशों को जो आर्थिक सहायता दी जाती रही है उसमें सबसे अधिक राशि भारत को प्राप्त हुई है।

जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी ने पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद से 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी निर्मम हत्या तक और उसके बाद राजीव सरकार के अभी तक के अल्पकाल में ब्रिटेन और भारत में आर्थिक एव सैनिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को अधिक मजबूती तरह समझा है और गलतफहमियों के मुद्दे कमजोर पड़े हैं। दोनों पक्षों में उच्च स्तर की राजकीय यात्राएँ हुई हैं। 1981 और 1982 की गांधी एव श्रेचर की मुलाकाती तथा नवम्बर 1983 में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक के अवसर पर महारानी एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री मारग्रेट श्रेचर की भारत-यात्राएँ काफी फलप्रद सिद्ध हुईं। 1986 के हारारे राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन और अक्टूबर 1987 के बैंकॉवर के राष्ट्रमण्डल निम्न सम्मेलन में श्रीमती श्रेचर और राजीव गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रश्न पर तीव्र मतभेद के बावजूद एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया। भारत ने ब्रिटेन को यह मुझाव देने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया है कि आतंकवादों, गतिविधियों पर कड़ा नियन्त्रण रखना चाहिए। विदेश मन्त्रालय की 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में आतंकवादी गतिविधियों को कारगर रूप में नियन्त्रित करने के लिए भारत का मुझाव दोनों देशों के लिए यह था कि एक प्रत्यक्ष सन्धि सम्पन्न की जाए। दोनों देशों के बीच आर्थिक-प्रौद्योगिक सहयोग बढ़ा है तथापि कुल मिलाकर ब्रिटेन का आर्थिक समर्थन पाकिस्तान के पक्ष में है। हिन्द महासागर में भी वह भारत की नीति और भारत के वचनवादी पक्षधर नहीं है। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के हितों के पोषण में भारत की नाराजगी ही उसने बहुत कम परवाह की है।

ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने की नीति पर पूर्ववत् चल रहा है। जुलाई, 1981 में ब्रिटेन ने बेल्जिज को अगस्त, 1981 में आर्टिगुआ को स्वाधीनता प्रदान करने का निर्णय लिया था और फलस्वरूप 1981 में ही वे दोनों सम्प्रभु के राज्यों के रूप में उदित हुए।

चीन के प्रति ब्रिटेन की नीति व्यावहारिक सहयोग की रही है। ब्रिटेन चीन के साथ राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्धों के विकास का समर्थन है। हाल ही में 19 दिसम्बर, 1984 को ब्रिटेन और चीन ने पीकिंग में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 1997 में ब्रिटेन हांगकांग चीन को सौंप देगा। इस प्रकार हांगकांग पर 156 वर्ष पुराना ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थीमती मारग्रेट थेचर विशेष रूप से पीकिंग गईं। समझौते पर ब्रिटेन की ओर से थीमती थेचर ने और चीन की ओर से प्रधानमंत्री भाओ जियांग ने हस्ताक्षर किए।

समुक्त राष्ट्रसभ में दक्षिणी अफ्रीका की रगभेद नीति के प्रति ब्रिटेन ने कोरा प्रदर्शनात्मक प्रदर्शन किया है। एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के सन्दर्भ में ब्रिटिश विदेश नीति अधिकांशतः अस्थिर और अस्पष्ट रही है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में कभी ब्रिटिश शक्ति की सबसे अधिक धाक थी लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र से अपनी सैनिक उपस्थिति हटा लेने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिकी नीति का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए वह उसका आलोचक भी रहा है। शीतयुद्ध के चरम दिनों में ब्रिटिश सरकार ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया सन्धि सगठन का सदस्य होते हुए भी अपने सैनिक नहीं भेजे और दबे स्वर में जब तक अमेरिकी हस्तक्षेप नीति तथा युद्ध का स्तर बढ़ाने की आलोचना भी की। मलयेशिया एवं सिंगापुर के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध हैं। इण्डोनेशिया में पिछले दशकों के नागरीय मुकाबलों युग में ब्रिटेन जैसे देशों के लिए कोई स्थान नहीं था। बाद में मुकाबलों का पतन हुआ एवं मुहातों के नेतृत्व में पश्चिमी समर्थक लोग सत्तासूट हुए एवं तदनुसृत नीति अपनाई गई तो ब्रिटेन अपने प्रभाव का यहाँ प्रत्यावर्तन नहीं कर सका। इस क्षेत्र में बर्मा का किचिन् प्रयुक्त स्थान है। बर्मा के साथ ब्रिटेन के कभी बड़े ही घनिष्ठ सम्बन्ध थे किन्तु 1946-47 में बर्मा को स्वतन्त्रता प्रदान करने के बाद रगून से ब्रिटेन का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। बर्मा क्योंकि चीन का निकटतम पड़ोसी है इसलिए भी आंग्ल-अमेरिकी चीन विरोधी नीति के दशकों में बर्मा ने ब्रिटेन से घनिष्ठता बढ़ाने से अपने को बर्चित रखा।

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर युग के साम्राज्य विघटन के क्रम में श्रीलंका को भी औपनिवेशिक स्वराज्य हासिल हुआ, यद्यपि ब्रिटेन ने कुछ असें तक वहाँ अपना सैनिक अड्डा बनाए रखा तथा उसकी आन्तरिक राजनीति पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रखा। फिर भी यह स्थिति चिरकाल तक नहीं चल सकती थी। सदी के छठे दशक के अन्त तक ब्रिटिश सैनिक अड्डा यहाँ से हटा लिया गया, पर ब्रिटेन तथा कामनवेल्थ के साथ उसके प्राथिक सम्बन्ध बने रहे। ब्रिटेन तथा कामनवेल्थ के अन्य देश

कोलम्बो योजना के सदस्य हैं। इसके अन्तर्गत श्रीलंका पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहा है।

फारस की खाड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश नीति विशेषकर शेखों के कतिपय आधिपत्य क्षेत्रों से विशेष रूप में सक्रिय है। उन्सवीं शताब्दी की सन्धि-शर्तों के अनुसार कई ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के ऊपर है। आज जब ब्रिटेन के पास अपनी शक्ति नहीं रह गई है फिर भी अमेरिका के सहयोग से वह इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखने को प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र में उसकी नीति संयुक्त राज्य को वरीय सहभागी बनाने की रही है क्योंकि किसी भी महाशक्ति के साथ सामना करने में संयुक्त राज्य ही खड़ा हो सकता है।

पिछले दशक से दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन की नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, सम्भवतः होगा भी नहीं। वैसे ब्रिटेन, मित्र तथा अन्य अरब राज्यों के साथ जहाँ कहीं भी उसे किंचित् भी अनुकूल सुनवाई मिलने की आशा दिखती है, अपना सम्बन्ध सुधारने के लिए अभिमुख होता है। अपनी इसी नीति के तिलतिल में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इजरायल से अपने सम्बन्ध विगाड़ रखे हैं। दोनों ही, विशेषकर ये फ्रांस इजरायल को युद्ध के साज-सामान की आपूर्ति करने में हिचकते हैं। बढते हुए विश्व ऊर्जा संकट के मन्दर्भ में यह नीति और भी उजागर हुई है। ब्रिटेन ने अरब-इजरायल संघर्ष में अरबों के पक्ष का समर्थन किया है। दूसरी ओर लीबिया जैसे देशों को खुलेआम युद्ध के साज-सामान का विक्रय करते हैं। उम सम्पूर्ण क्षेत्र में ब्रिटेन की नीति सतर्कता की रही है।

ब्रिटेन की विदेश नीति का एक विहंगावलोकन

डॉ. अरविंद नारायण सिन्हा ने लगभग दो सदियों की ब्रिटिश विदेश नीति का विहंगावलोकन करके उसमें निरन्तरता और परिवर्तन के जो निष्कर्ष प्रस्थापित किए हैं और द्वितीय महायुद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश नीति के जिन दिशा-मूचक पक्षों का उद्घाटन किया है, अध्ययन की दृष्टि में वे महत्त्वपूर्ण हैं। डॉ. सिन्हा का विहंगावलोकन इस प्रकार है—

“द्विगत लगभग दो सदियों की ब्रिटानी परराष्ट्र नीति के अध्ययन से कुछ बातें प्रमुख रूप से प्रकट होती हैं। ब्रिटानी परराष्ट्र सम्बन्धों में तारनम्यता रही है, विकल्पों के दौर भी आए हैं। ब्रिटेन यूरोपीय मुख्य भूमि से सटा, पर समुद्र से सुरक्षित-द्वीप समूह है। यूरोपीय मुख्य भूमि पर के सधर्षों तथा बदलती स्थिति के प्रति वह निरपेक्ष भी नहीं रह सकता, साथ ही उनमें उलभते रहने में यथासम्भव अपने को बचाने के प्रयत्न भी करता है। ब्रिटेन एक यूरोपीय मुख्य भूमि की ओर अभिमुख, दूसरी ओर विश्व राजनीति में उभरा रहा है। समुद्रों में घिरा द्वीपसमूह होने के कारण अपने इतिहास के काफी प्रारम्भिक चरण में ही मछिमारों तथा नाविकों का देश हो गया एवं समुद्री जलस्युधों का जड़ा भी बना। कालान्तर में यही सब उसकी नैसर्गिक शक्ति का आधार बन गए। सोलहवीं सदी से उन्नीसवीं

सदी तक के बीच ब्रिटेन ने क्रमशः पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैण्ड, और फ्रांस की नौसैनिक शक्तियों को चुनौती दी, कई को सर्वथा विध्वस्त करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में प्रकट हुआ।

इसके साथ-साथ ब्रिटेन ने विश्वव्यापक साम्राज्य तथा उपनिवेश अर्जित किए। लूट-मार, छल-प्रपञ्च, चोरी तथा सीनाजोरी के द्वारा अर्जित ब्रितानी साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल तथा आबादी में विस्तृत साम्राज्य था। इसके कई भागों से अपार सम्पदा का प्रवाह ब्रिटेन आता रहता था। केवल भारत से प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये की अदृश्य आय ब्रिटेन को होती थी। दुनिया के अनेक देशों में उसकी पूँजी न्यस्त थी। लन्दन विश्व-मुद्रा बाजार में गर्वोली अधिस्वामिनी थी।

ब्रितानी परराष्ट्र नीति इन सभी कारकों की सन्तति थी। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में उसके एक प्रमुख राजनेता लॉयड जॉर्ज ने काइजर को गर्वोक्तियों चुनौती देते हुए कहा था—

“यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए .. जिसमें ब्रिटेन को सदियों के पराक्रम से अर्जित अपना महान् स्थान छोड़ना पड़े .. मानो राष्ट्रों की परिपदा में उसका कोई महत्त्व ही नहीं हो तो .. वह अपमान हमारे जैसे महान् देश के लिए असहनीय होगा।”

यूरोपीय मुख्यभूमि की ओर से अपनी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए सतर्क, उसके विश्व-व्यापक साम्राज्य के किसी भाग, विशेषकर भारतीय साम्राज्य की ओर किसी की वक्र दृष्टि अभिमुख नहीं हो तथा उनके बाणिज्य-व्यवसाय के लिए जलमार्ग के समीप सम्भावित शत्रुदेश का पाँव नहीं जमने पाए, ब्रितानी नीति-निर्धारक इन विषयों पर सवेदनशील रहते आए हैं। हमारी नौसैनिक शक्ति को चुनौती नहीं दो, हॉलैण्ड-बेल्जियम तट की ओर हाथ मत बढ़ाओ और मिस्र की ओर नजर नहीं डालो क्योंकि इनमें से किसी के भी पृथक् होने पर ब्रितानी धीरज नहीं रख सकता जिन शक्तियों को ब्रिटेन की ओर से चेतावनी दी गई थी। कालक्रम में ये तीनों ब्रितानी परराष्ट्र नीति की आधारशिला रही हैं।”

उपर्युक्त आधारशिलाओं पर प्रस्थापित नीति में अधिक परिवर्तन के लिए अधिक स्थान नहीं, किन्तु परराष्ट्र-नीति के मूलधार को उपर्युक्त हितों के संरक्षण में कई अन्य कारकों का ध्यान रखना होगा, नदरुत्तर अपनी नीति, रवैया तथा कार्यपद्धति बनानी होगी। उदाहरणार्थ, उसे अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर शक्ति के वितरण तथा ब्रिटेन का शक्तियों की पक्ति में कहां स्थान है, इसका ध्यान रखना होगा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, गुटबन्दी तथा तनाव-केंद्रों पर दृष्टि रखनी होगी, नदरुत्तर अपना स्थान बनाना होगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तथा कुछ बाद तक प्रमुख कामनवेल्थ देशों की प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखना होता था। समय-समय पर तथा अपने स्वार्थ एवं मुविधा के अनुसार ब्रितानी नीति-निर्धारकों ने

अन्तर्राष्ट्रीय विधान, परम्परा, प्रचलन, मान्यता तथा नैतिकता का भी आदर (या उन्मूलन) किया है या दुहाई दी है।

इसके अतिरिक्त ब्रितानी परराष्ट्रमन्त्री को अपने देश के लोकमत या उसके मुखर श्रम के प्रति सवेदनशील रहना पड़ेगा, अपनी पार्टी के स्वीकृत तथा घोषित लक्ष्यों, आदर्शों एवं कार्य-पद्धतियों की भी हमेशा अवमानना नहीं करनी होगी, उसे अपनी नीति मन्त्रिमण्डल से भी स्वीकार करानी होगी तथा देश के प्रकट या गुप्त सन्धि-दायित्वों का ध्यान रखना होगा। अन्त में राष्ट्रीय हित की आवश्यकताओं के साथ राष्ट्र की क्षमता (भौतिक, वित्तीय तथा अन्य) की परिभाषाओं के भीतर ही अपनी नीतियाँ निर्धारित करनी होंगी।

परराष्ट्र नीति के सूत्रधार को दैनन्दिन उठने वाली समस्याओं तथा परिवर्तित होने वाली स्थितियों में निर्णय लेने होते हैं, साथ ही भविष्य के लिए लक्ष्य भी निर्धारित करने होते हैं। अक्सर इन दोनों में विरोध दिख पड़ेगा, नीति-निर्धारक के लिए ये कठिन क्षण होने हैं। पर उसे निर्णय तो लेना ही होता है और यथासम्भव अविजम्ब।

ब्रितानी परराष्ट्र-नीति की पिछली सदियों का इतिहास चतुर राजनय, महत्वाकांक्षी अहम्न्यता, अनावश्यक झूठवादिता, घोर अयसरवादिता, अनुकूल सयोग तथा चरम सकट के मध्य उतार-चढ़ाव की रोमांचक कहानी है। उन दो सदियों में वह कम से कम दो बार नेपोलियनवादी युद्धों के दरम्यान तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्पूर्ण यूरोप की शक्ति तथा साधनों के विरुद्ध लगभग अकेला खड़ा हुआ है। घोर सकट तथा किञ्चित् निराशा के इन अयसरों पर उसके राजनय के कौशल या शक्ति सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि मात्र शुभ सयोग—शत्रु की गलतियों या अन्य किसी कारक—ने उमकी रक्षा की है। प्रथम विश्वयुद्ध में भी कई अयसरों पर सयोग या मात्र सौभाग्य ही था कि उसके प्रतिशतियों के हाथ में आई हुई विजय उमके हाथ से निकल गई।

यूरोपीय उलझनों से यथासम्भव तटस्थ, उन्नीसवीं सदी के शेष दशकों में ब्रितानी शासक पृथ्वी के शेष नज़रे पर प्राधिपत्य की सीमान्त-रेखाएँ खींचने में अधिक व्यस्त रहे, किन्तु मदी के अन्तिम वर्षों में 'गरिमाय तटस्थता' की चमक फीकी पड़ती दीख पड़ी और आगामी और कुछ वर्षों में आश्रितों तथा साधियों की तलाश फिर जारी हुई। जर्मनी के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र जोड़ने के प्रयत्न में विफल होने पर वह पहले जापान, फिर फ्रांस और अन्त में रूस के साथ आवद्ध होता गया। बीसवीं सदी के प्रथम दशक का अन्त होने-होते ब्रिटेन की गरिमाय तटस्थता बहुत हट चुकी थी। डेललासे तथा पायवारे की दुरभि-सन्धियों के जाल में ब्रितानी नीति पूर्णतया अनुस्यूत हो चुकी थी। दूसरे दशक के आरम्भ तक यूरोप की छोटी से छोटी उलझन से भी ब्रिटेन पृथक् नहीं रह सकता था। यही प्रथम विश्वयुद्ध की भूमिका तैयार हुई—एक ऐसा युद्ध जो सर्वथा आवश्यक था तथा जिसे सर दिव्ययुद्ध की भूमिका तैयार कर दी।

दो विश्व-युद्धों के मध्यवर्ती वर्ष ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर प्रतिष्ठा तथा प्रभाव के थे, यद्यपि जमी वेडे में उसने संयुक्त राज्य के साथ समानता का दरजा मान लिया तथा युद्धोत्तर दशक में उसकी अर्थव्यवस्था भारी दबावों के मध्य लड़खड़ाती रही। फिर भी संयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक उलझनों से सन्यास ले लेने तथा सोवियत संघ के विश्व रगमच पर परम्परागत ढंग से प्रवेश नहीं करने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर ब्रिटेन की धावाज ही सबसे भारी पड़ती थी।

इन वर्षों में फ्रांस की हठवादिता, दुराग्रह तथा अग्रहमन्यतापूर्ण दुरभि-सन्धिया के प्रतिकूल जर्मनी को जीवित रखने तथा उस पर वर्साय के अन्यायपूर्ण प्रतिवादी बन्धनों को ढीला करने का अधिक विरोध नहीं करके ब्रितानी नीति ने प्रौढता तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया पर उमके तथा विश्व के दुर्भाग्य से वर्साय के गर्भ से नात्मीवाद तथा उसका मसीहा हिटलर पैदा हो चुका था। फलतः ब्रिटेन के चौथे दशक में किञ्चित् मून्घ चुका कर भी युद्ध रोकने का प्रयत्न किया था, फिर भी स्थिति के चक्रव्यूह में ग्विच कर उमने पुनः जर्मनी के विरुद्ध भेदान में उतरना पड़ा।

अफेले, केवल फ्रांस के साथ इस युद्ध में बिजयी होना ब्रिटेन के लिए असम्भव था। 1940-41 के जाडो में ब्रिटेन के लिए स्थिति सर्वथा निराशाजनक थी। हिटलर ने उस समय ब्रिटेन के साथ युद्ध समाप्त करने के सम्भवतः प्रयत्न भी किए थे। ब्रितानी नीति का सूत्रधार विस्टन चर्चिल पराजित होकर युद्ध समाप्त करने को तैयार नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। एक बार फिर नियति ने ब्रिटेन का साथ दिया, जर्मन भाग्य-विधाता एक के बाद दूसरी गलतियाँ करता गया। जापान ने संयुक्त राज्य को युद्ध में खींच लिया, प्रगल्भ में डच, फ्रांसीसी तथा ब्रितानी साम्राज्यीय सेनाएँ पूर्णतया घबस्त कर दी गईं, फिर भी 1945 में, जब द्वितीय विश्वयुद्ध की घाग बुझी तो ब्रिटेन—संयुक्त राज्य और सोवियत देश के कन्धों पर तथा फ्रांस, ब्रिटेन के कन्धों पर—विजेताओं की पक्ति में था। ब्रितानी नीति निर्धारक को एक बार फिर अपनी वृद्धिमत्ता, कुशल राजनय संचालन तथा मनोबल पर गर्व करने का अवसर मिला।

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर युग ब्रितानी नीति के सूत्रधारों के लिए सर्वथा नई स्थितिवा लिए प्राया था। ब्रिटेन अब अनुयायी देश था। शक्ति केन्द्र पश्चिमी यूरोप से मुद्दूर पश्चिम या पूरव में चले गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर फंसे मास्को या वाशिंगटन में होने लगे थे। ब्रिटेन ने प्रथम विश्वयुद्ध में अपने सर्वो-कूट जवानों को खोया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में वह अपनी पूरी सम्पदा तथा शक्ति के स्रोत गँवा चुका था। अपने पाँवों पर खड़ा होने के लिए भी उसे अमेरिकी सहारे की जरूरत थी। 1946 से ही माअ्र जय के एक-एक घग विरटिन होन लगे थे। सदी के मध्य तब ब्रिटेन अपने ताज का सर्वाधिक दीप्तिमान रत्न खोकर निष्प्रभ हो चुरा था। स्टर्लिंग वैंबेन्स उमके गते में फामी की तरह बंधे थे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरव-पश्चिम प्रतिद्विन्दिता तथा सामान्यीकरण का युग शुरू हो गया था। इस प्रकार

शक्ति एव सम्पदा से हीन, दुनिया भर के पिछड़े तथा पराधीन लोगों में राष्ट्रवाद के अदम्य ज्वार तथा एक नई शक्ति-राजनीति के अन्तर्राष्ट्रीय शतरजी विसात पर ब्रितानी नीति-निर्धारक को बड़ी ही मतर्कता के साथ अपने लक्ष्य तथा शैली निर्धारित करनी थी।

परिवर्तित परिप्रेक्ष्य पर ब्रिटेन ने अपनी नियति अतलांतक पार की महाशक्ति के साथ जोड़ देने का निर्णय किया। इससे उसे कुछ सम्बल भी मिला और थोड़ी दुर्बलता भी आई। छठे दशक के उत्तरार्द्ध में, जब ब्रितानी शासकों ने उन्नीसवीं सदी की शैली में अपना अनुमानित राष्ट्र हित हासिल करना चाहा तो उसके अमेरिकी साथी ने उसका समर्थन नहीं किया और ब्रिटेन की घोर अपमान की घूंट पीकर वापस लौटने को बाध्य होना पड़ा।

ब्रितानी नीति तब से कोई नया दायित्व नहीं लेने, नई उलझन में नहीं फँसने की कृतमकल्प रही है। 1960-61 में अफ्रीका से अपने औपनिवेशिक क्षिराजा समेट लेने के बाद ब्रिटेन पुनः अपने प्रकृत रूप में यूरोपीय मुख्य भूमि से मटा एक लघु द्वीपसमूह सा हो गया है। आणविक बम तथा प्रक्षेपणास्त्रों के युग में समुद्री परिधि उसकी रक्षा नहीं कर सकेगी। इस कठोर मरत्य को वह अनदेखा नहीं कर सकता था, अतः यूरोप से विच्छिन्न होकर रहने का विलास अब खतरनाक होगा। अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भी यह आश्वस्तिकर्षण नहीं, हम अभियुक्ति ने ब्रितानी शासकों को यूरोपीय समुदाय में अपने को अनुस्यूत करने को बाध्य किया है।

ब्रितानी पराराष्ट्र-नीति अब पहले का शक्तिदर्प, राजनयिक बचकता तथा साम्राज्यवादी अनुप्रेरणा से प्रायः मुक्त हो चुकी है। सदी ज्यों-ज्यों अन्तिम दशकों की ओर अभिमुख हो रही है ब्रिटेन एक द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति में अपने को ढाल रहा है। फिर भी उसके कामनवेल्थ सम्बन्ध, मुदीर्घ परम्परा, राजनीतिक प्रौढ़ता तथा जीवन्त एव उद्यमी जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर उसका महत्त्व नितान्त तिरोहित नहीं होने देगी। अन्तर्राष्ट्रीय परिपदों में उसकी आवाज निर्णायक नहीं किन्तु वह ध्यान से सुनी जाएगी तथा नितान्त अप्रभावी भी नहीं होगी। महाशक्तियाँ आपस में नहीं उलझे, ब्रिटेन का इसमें सर्वाधिक तथा मार्मिक हित है। यदि उनके मूलधार पागल हो जाएँ तो वह उन्हें रोक तो नहीं सकता किन्तु विरत करने में शक्ति भर जोर लगा सकता था। सदी के अन्तिम दशकों के ब्रितानी नीति-निर्धारक शक्ति और मह-प्रस्तित्व के पन्वानुयायी होंगे, उनके तथा विश्व के लिए इसी में आशा है।

ब्रिटेन और अर्जेंटीना फाकलैण्ड विवाद

(अप्रैल-मई, 1982)

2 अप्रैल, 1982 को अर्जेंटीना द्वारा अपने समीप की ब्रिटिश वस्ती फाकलैण्ड पर कब्जे की कार्यवाही में जिस फाकलैण्ड विवाद ने उग्रता धारण की वह फाकलैण्ड-युद्ध में परिणत हो गया और तीसरे महायुद्ध के बाद स्वेज-नाण्ड के

सिलसिले में हुए युद्ध के बाद ब्रिटेन को फाकलैण्ड के प्रश्न पर अर्जेंटायना के साथ सबसे बड़े नौ-सैनिक और हवाई एव स्थलीय युद्ध में जूझना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के बाद किसी भी देश द्वारा की गई इस सबसे बड़ी नौ-सैनिक कार्यवाही में ब्रिटिश नौ-सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। यद्यपि 15 जून, 1982 को अर्जेंटायना की सेनाओं द्वारा आत्ममर्ण के बाद फाकलैण्ड-युद्ध समाप्त हो गया और फाकलैण्ड पर ब्रिटेन ने पुनः अधिकार जमा लिया, लेकिन यह युद्ध आर्थिक और सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन को बहुत ही मँहगा पड़ा। बहुत ही बठिनाई से ब्रिटेन अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचा सका।

फाकलैण्ड द्वीपसमूह दक्षिण अटलांटिक में केपहार्न के 480 मील (772.5 कि.मी.) उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह 200 द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल कोई 4700 वर्गमील (12173 वर्ग कि.मी.) का है। दो बड़े द्वीप समूह हैं पूर्वी फाकलैण्ड और पश्चिमी फाकलैण्ड। 31 दिसम्बर, 1978 तक यहाँ की आबादी 1867 थी। सभी ब्रितानी मूल के हैं। 80 प्रतिशत द्वीपसमूह में ही जन्म है। स्टेनल यहाँ की राजधानी है। फाकलैण्ड का वर्तमान संविधान 1 जनवरी, 1949 को लागू हुआ था। प्रबन्ध परिषद् की सहायता में गवर्नर-यहाँ का शान सचलाता है। साउथ जाजिया और साउथ सैण्डविच फाकलैण्ड द्वारा शासित होते हैं। फाकलैण्ड सरकार इन दोनों द्वीपों के लिए कानून बनाती है। लगभग 120 वर्ष से फाकलैण्ड पर ब्रिटेन का आधिपत्य है और वही उसका शासन चला रहा है।

अर्जेंटायना के राष्ट्रपति जनरल गालतियेरी की माँग थी कि फाकलैण्ड द्वीपसमूह अर्जेंटायना को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने 1833 में बलपूर्वक हमारे फाकलैण्ड द्वीपसमूह पर कब्जा किया था। वार्ता के द्वारा समस्या का कोई हल नहीं निकला और अर्जेंटायना की सैनिक सरकार ने 2 अप्रैल, 1982 को फाकलैण्ड पर कब्जा कर लिया। सुरक्षा परिषद् ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अर्जेंटायना फाकलैण्ड से, जिसके पास-पास खनिज तेल पाए जाने की सम्भावना है, अपनी फीजे हटा लें। आशंका थी कि चीन या सोवियत संघ कहीं निपेयाधिकार का प्रयोग न कर बैठें, क्योंकि इनका रुख यही था कि ये द्वीप हैं तो अर्जेंटायन के ही।

फाकलैण्ड पर अर्जेंटायना से कब्जे को ब्रिटेन ने एक चुनौती के रूप में ग्रहण किया और 3 अप्रैल, 1982 को फाकलैण्ड द्वीपसमूह में भारी माना में सैनिक साज-समाज का भेजना शुरू कर दिया। लगभग 40 जलपोतों का शक्तिशाली नौ-सैनिक वेडा फाकलैण्ड रवाना कर दिया गया। लगभग 12,874 किलो मीटर चलकर 15 अप्रैल, 1982 को इस नौ-सैनिक वेडे के फाकलैण्ड के आमपास पहुँच जाने की सम्भावना थी। यह वेडा अर्जेंटायना की नौ-सेना की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली युद्ध हथियार और उर्मत ब्रिटेन की विजय हुई। महाशक्तियों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा समझौते की सभी चेष्टाएँ विफल हो गयीं।

वास्तव में फाकलैण्ड युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि ब्रिटेन की विदेशनीति अभी

तक साम्राज्यवादी छाधारों पर टिकी हुई है। साउथ जात्रिया, माउय ग्रेण्डविन द्वीप तथा फाकलैंड के प्रश्न पर ब्रिटेन को देर-सवेर से इन द्वीपों के निवासियों और अर्जेंटायना से चर्चा करनी होगी।

फ्रांस की विदेश नीति (French Foreign Policy)

फ्रांस की 1958 तक कमजोर स्थिति

यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित यह देग उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः उत्तरी नागर व इंग्लिश चैनल, ग्रटलांटिक महानगर तथा भू-मध्यनागर में घिरा हुआ है। इसके पूर्व में जर्मनी है, पूर्वोत्तर में हॉलैंड-बेल्जियम, दक्षिण-पूर्व में इटली और दक्षिण-पश्चिम में स्पेन। मद्यपि फ्रांस की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के प्रति परिवर्तनशील रही है, तथापि घनिष्ठ मित्रता के बावजूद भी फ्रांस ब्रिटेन की ओर नया मजबूत रहा है। ब्रिटेन ने कभी फ्रांस को यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नहीं बनने दिया। प्रथम महायुद्ध के बाद फ्रांस ने जो कुछ भी शक्ति और शक्ति प्रकृत की, वह द्वितीय महायुद्ध में घूल में मिल गयी। युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की नई सरकार की अध्यक्षता जनरल डिगॉल के हाथों में आ गई, परन्तु फ्रांस के संविधान में ऊबकर तथा मन्त्रिमण्डलों की अस्थिरता में परेशान होकर डिगॉल ने त्याग-पत्र दे दिया और राजनीति से सन्यास ले लिया। जब फ्रांस की अस्थिरता का वही पुराना चक्र पुनः आरम्भ हो गया। 1946 से 1958 तक 22 मन्त्रिमण्डल बने। युद्ध और अस्थिर नामन ने फ्रांस को इतना निश्चिन्त बना दिया कि वह किसी प्रकार की प्रभावशाली विदेश नीति नहीं अपना सका। मार्च, 1947 में उसने ब्रिटेन के साथ डकक की सन्धि की, नत्पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मार्शल योजना में भागीदार बनकर उसने अमेरिका से पर्याप्त सहायता प्राप्त की। पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक एकीकरण की विभिन्न योजनाओं में उसने सहयोग दिया। वह ब्रुसेल्स पैक्ट और नाटो का भी सदस्य बना। अन्य पाँच राष्ट्रों के साथ मिलकर फ्रांस ने यूरोपियन माभा बाजार का निर्माण किया और इनमें ब्रिटेन के प्रवेश रोकने का सफल प्रयास किया। माभा बाजार में ब्रिटिश प्रवेश मुख्यतः डिगॉल के विरोधी रव के कारण ही रका रहा।

फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मन्त्रियों ने सितम्बर, 1950 में जर्मनों के प्रश्न पर विचार कर जर्मन लोगों की एकीकरण की भावना का समर्थन किया। रूस के अलहाजेय के कारण जर्मनी का एकीकरण सम्भव न हो सका। अन्त में तीनों राष्ट्रों ने जर्मन-मधीय गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) को ही जर्मन जनता का वास्तविक प्रतिनिधि मानने का निश्चय किया। एशियायी विवादों में फ्रांस ने सक्रिय भाग नहीं लिया क्योंकि हिन्द चीन की समस्या में फ्रांस को निरन्तर पीछे हटना पड़ा तथा जुलाई, 1954 के जिनेवा शिखर-सम्मेलन में विद्यतनाम के विभाजन को मान्यता मिल गई। फ्रांस कोरिया-युद्ध में भी कोई भाग इसलिए नहीं ले सका था क्योंकि वह उन समय हिन्द चीन में भाग्यवादियों से युद्ध में उलझा हुआ था। 1956

में फ्रांस और ब्रिटेन ने इजरायल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, किन्तु उनके साम्राज्यवादी इरादे परास्त हो गए, यहाँ तक कि उन्हें मयुक्तराज्य अमेरिका तक के कठोर विरोध का सामना करना पडा ।

डिगॉलकालीन विदेश नीति

1958 के मध्य तक फ्रांस अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका, किन्तु इसके बाद स्थिति में परिवर्तन आया । मई, 1958 में पियरे फिलमिन सरकार का पतन हो जाने के बाद डिगॉल के प्रधानमन्त्रित्व में फ्रांस में पाँचवें गणतन्त्र का उदय हुआ । असेम्बली ने डिगॉल को 6 मास के लिए समदीय हस्तक्षेप से मुक्त समस्त अधिकार सौंप दिए । उन्होंने 3 जून, 1959 को एक संविधानिक कानून का निर्माण किया जिसके समदीय सुधारों को राष्ट्रीय असेम्बली में प्रस्तुत न कर सीधे इलेक्टोरेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता था । 4 सितम्बर, 1959 में पाँचवें गणतन्त्र का नवीन संविधान प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार समद की अनेक शक्तियाँ राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दी गईं । दिसम्बर, 1959 को राष्ट्रपति के चुनाव में डिगॉल पहले ही बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे । डिगॉल ने फ्रांस की समस्याओं का दृढ़ता से सामना किया और उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान दिलाया ।

अल्जीरिया-फ्रांस संघर्ष का अन्त—फ्रांस ने नवीन संविधान के अनुसार 2 अक्टूबर, 1958 को गिनी राज्य को स्वतन्त्र मान लिया और 23 नवम्बर को वह मयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया । राष्ट्रपति डिगॉल ने शासन की बागडोर हाथ में लेते ही अपना ध्यान अल्जीरिया की तरफ केन्द्रित किया । डिगॉल के पूर्ववर्ती सभी फ्रेंच नेता कह चुके थे कि फ्रांस अल्जीरिया में अपने अधिकारों को कभी समाप्त नहीं करेगा । अपने साम्राज्यवादी अधिकारों की रक्षा के लिए फ्रांस अल्जीरिया के स्वाधीनता आन्दोलन को बुरी तरह कुचलता रहा, किन्तु इससे अल्जीरियावासियों के स्वातन्त्र्य-संघर्ष में कोई कमी नहीं आई । राष्ट्रपति डिगॉल ने विद्रोहियों को शान्त करने और अल्जीरिया युद्ध को रोकने के लिए समझौता कराने का निश्चय किया । विद्रोहियों को शान्त करने में तो वे सफल हो गए, किन्तु दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई । डिगॉल ने अल्जीरिया-वासियों को फ्रेंच नागरिकता का प्रलोभन दिया, किन्तु वे तो अल्जीरिया की नागरिकता चाहते थे, फ्रांस की नहीं । तब सितम्बर, 1959 में डिगॉल ने घोषणा की कि अल्जीरिया निवामी शान्ति का मार्ग स्वीकार कर लेंगे तो 4 वर्ष के अन्दर ही वहाँ निर्मांकित नुभावों पर जनमत लिया जाएगा—

1 फ्रांस अल्जीरिया पर अपने समस्त अधिकारों को त्याग देगा ।

2 फ्रांस के साथ अल्जीरिया का एकीकरण कर लिया जाएगा और अल्जीरिया निवामियों को मेट्रोपोलियन फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त मुविधाएँ प्रदान की जाएँगी ।

3 अल्जीरिया निवामी ही वहाँ का शासन करेगे, किन्तु इसके पीछे फ्रॉम की भी आर्थिक-शैक्षिक तथा वैदेशिक सहयोग रहेगा।

परन्तु ये सुझाव उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। प्रथम तो ये सुझाव शान्ति स्थापना के बाद ही क्रियान्वित किए जा सकते थे और शान्ति की स्थापना तभी हो सकती थी जब अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाए। दूसरे, चुनाव-परिणामों को फ्रॉच सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी ही थी जो वहाँ की जनता की राष्ट्रीय भावना के लिए अपमानजनक बात थी। अल्जीरियन गणतन्त्र की अन्तर्कालीन सरकार ने इस विषय पर फ्रॉच सरकार से वार्तालाप करना स्वीकार किया, परन्तु डिगॉल ने उन्हे अल्जीरिया के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। जनवरी, 1960 में अल्जीरिया में डिगॉल-विरोधियों ने भीषण विद्रोह कर दिया जिनसे समस्या का समाधान और भी दुष्कर हो गया। फरवरी, 1960 में फ्रॉच ससद् द्वारा राष्ट्रपति डिगॉल को अल्जीरिया-विवाद के मन्वन्ध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए गए। उन्होंने अल्जीरिया तथा फ्रांस में जनमत-संग्रह कराने का प्रस्ताव किया। यद्यपि यह जनमत-संग्रह 'अल्जीरिया-अल्जीरिया वालों के लिए' विषय पर होना था किन्तु अल्जीरिया की अन्तर्कालीन सरकार (स्वातन्त्र्य आन्दोलन की संचालक) के अध्यक्ष अब्बाम ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया और अपने अनुयायियों को मतदान में भाग न लेने का आदेश दिया। 1961 में जनमत-संग्रह हुआ जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने अल्जीरिया में स्वायत्त शासन स्थापित होने के पक्ष में तथा 50 लाख लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिया। परन्तु समस्या यह थी कि स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भी अल्जीरिया पूर्ण स्वतन्त्र नहीं होता क्योंकि किसी न किसी रूप में उस पर फ्रांस का अधिकार बना ही रहता, तथापि पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कोई समाधान निकल आने की सम्भावना अवश्य बढ़ गई। किन्तु अप्रैल, 1961 में, डिगॉल-विरोधी कुछ अवकाश प्राप्त फ्रॉच सैनिक अधिकारियों ने सहसा आक्रमण कर अल्जीरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। डिगॉल ने इस सैनिक विद्रोह को दबा दिया और अल्जीरियायी राष्ट्रवादियों के साथ वार्ता शुरू कर दी। अन्त में, 1 जुलाई, 1962 को अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई और इस प्रकार राष्ट्रपति डिगॉल ने अल्जीरिया-फ्रांस मघर्ष का अन्त कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय गौरव की पुन प्राप्ति की चेष्टा—राष्ट्रपति डिगॉल की प्रमुख चिन्ता सदैव यही रही कि फ्रांस किन्हीं न किन्हीं प्रकार अपने विनुष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को पुन प्राप्त कर ले। इसीलिए गर्न-शने वह अपने राष्ट्र को अमेरिकी प्रभाव में मुक्त करने लगे और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकने की चेष्टा में लगे रहे तथा दूमिनिण साम्यवादी देशों के साथ उन्होंने मधुर मन्वन्ध स्थापित किए। साम्यवादी चीन के साथ फ्रांस के मित्रतापूर्ण मन्वन्धों में विकास हुआ। मास्को की अणु-परीक्षण निरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर न करने व लें बैबन से ही बड़े देश के चीन और फ्रांस। दोनों ही ने यह तर्क दिया कि मन्धि का उद्देश्य सोवियत मध, मसुकराज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा अणु-शस्त्रों के क्षेत्र में अपना

एकाधिकार स्थापित करना है एव उनका यह प्रयोजन है कि अन्य देश इस शक्ति का विकास न कर पाएँ।

फ्रांस ने वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यवाही की निन्दा जिन शब्दों में की, उनमें चीन आलोचना की गन्ध थी। यूरोपियन साभा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी गुट में फूट का संकेत दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने बहुत चाहा कि ब्रिटेन को यूरोपियन साभा बाजार की सदस्यता प्राप्त हो जाए। इसके लिए उसने फ्रांस पर दबाव डाला, किन्तु डिगॉल अपने हठ पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, कुछ और बातों पर भी फ्रांस तथा ब्रिटेन-अमेरिका के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया तो उसने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसमें भी बढ़कर घटना नाटो की पोलरिस यंत्रों से युक्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में घटी। 1962 में अमेरिका और ब्रिटेन में एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि नाटो राज्यों की सेनाओं को पोलरिस प्रक्षेपणास्त्रों से लैस किया जाए परन्तु फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा। 1963 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर देने और दोनों राष्ट्रों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो जाने की घटना से यह और भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति डिगॉल का अपना पृथक् मार्ग है जो नाटो राज्यों से भिन्न है।

चीन को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति डिगॉल ने विश्व के समक्ष एक और सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डवाडोल है, अतः इस क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता पर तटस्थीकरण (Neutralisation of S E Asian Region) कर दिया जाए। संयुक्तराज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों ने डिगॉल के सुझावों का तीव्र विरोध किया। वास्तव में फ्रांस की ये सभी कार्यवाहियाँ अटलांटिक समुदाय की एकता भंग करने वाली थीं। इस एकता को भीषण आघात तो 12 मार्च, 1966 की डिगॉल की इस घोषणा से पहुँचा कि फ्रांस नाटो संगठन से पृथक् होना चाहता है। फ्रांस द्वारा यह निश्चय व्यक्त किया गया कि तीन वर्षों के अन्दर वह अपने सभी अफसरो को नाटो-सेवा से वापस बुला लेगा और उसके साथ ही नाटो के साथ अपने मारे सम्बन्धों को समाप्त कर देगा। फ्रांस की माँग पर ही संयुक्तराज्य अमेरिका को फ्रांसीसी भूमि पर स्थित नाटो अड्डों को खाली कर देना पड़ा। वास्तव में फ्रांस के नाटो के परित्याग के निर्णय से पश्चिमी गुट पर एक महान् तक्लक घा गया। नाटो में पश्चिम जर्मनी को इस शर्त पर 1955 में शामिल किया गया था कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। इस शर्त के लिए स्वयं फ्रांस का विशेष आग्रह था, परन्तु जब फ्रांस ही नाटो से निकल जाना तो पश्चिम जर्मनी भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तब वहाँ सैन्य-शक्ति में वृद्धि का कार्यक्रम तीव्र गति से चलने की सम्भावना हो जाती। पश्चिम जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति

बढ़ाने के प्रयास की प्रतिक्रिया सोवियत गुट के देशों से होती थी और इस तरह हथियार बन्दी की होड़ का कुचक्र फिर से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल का यह निर्णय कई भयंकर परिणामों से युक्त था। इनके कारण यूरोप की कूटनीतिक स्थिति खराब हो सकती थी और पश्चिम जर्मनी के प्रश्न पर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती थी।

बन्तुत जनरल डिगॉल कई वर्षों से अपने विचित्र व्यवहार से राजनीतिक जगत् को चौंकाते रहे। कुछ लोगों ने इसे 'बृद्धावस्था' का मनव का नाम दिया। मगर जो लोग इन कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य खोजने के पक्ष में थे, उनके अनुसार यूरोप और सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरल डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था—“अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और स्वभावतः वह अपनी शक्ति को बढ़ाने पर तुला हुआ है। इस शक्ति-विस्तार से बचने के लिए उनके अनुसार दो ही उपाय थे, पहला यह कि उनी गुट का एक सदस्य बन जाए, जहाँ अमेरिकन शक्ति नर्वॉपरि है और यह मानें नुगम था। दूसरा उपाय था अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा। इसके लिए आवश्यक था कि फ्रांस और जर्मनी एक-दूसरे के निकट आएँ, अन्यथा अमेरिकी प्रभाव से नहीं बचा जा सकता। इसलिए फ्रांस और जर्मनी में राजनीतिक घनिष्ठता के प्रति सश्रिय कदम उठाए जाने रहे। जनरल डिगॉल का विश्वास था कि फ्रांस ने जिन आर्थिक ढाँचे को पिछले 6 वर्षों में गड़ा किया है, उसे नष्ट न होने दें ताकि उसे अमेरिकी पद्धति द्वारा आत्ममात् न लिया जा सके। अपने व्यक्तित्व की कायम रखने के लिए ही उनकी तीसरी चर्चा यह थी कि विश्व में इस बात को समाप्त कर दिया जाए कि शक्ति के कुल दो ही गुट थे उसके बाहर कुछ नहीं है। तीसरे गुट की रचना के लिए उन्होंने फ्रांस की पूर्वी यूरोपीय देशों के निकट जाना चाहा ताकि 'विश्व राजनीति में दो गुटों की पद्धति के अनिश्चित भी कुछ हो।’ इसी नीति को अपनाकर ब्रिटेन के यूरोपीय नाभ्रा बाजार में सम्मिलित होने का उन्होंने विरोध किया था।

यद्यपि अनेक राजनीतिको ने यह मत व्यक्त किया कि विश्व की राजनीति को अपने विचारों के अनुकूल परिवर्तित करना और अपनी इच्छानुसार गुटों का निर्माण और विनाश करना फ्रांस के वृत्तों की वान नहीं है तथा डिगॉल में विश्व की राजनीतिक घटनाओं को नियन्त्रित करने की शक्ति नहीं है, तथापि जनरल डिगॉल ने जस्थान सदिग्ध और विवादाम्पद परिस्थितियों में भी फ्रांस की प्रतिष्ठा का निरन्तर विकास किया। उन्होने 1962 में अल्जीरियाई स्वतन्त्रता के समय अपने मन्त्रिमण्डल में कहा था—‘मित्रो, फ्रांस का जहाज बहुत ही नूफार्ना यात्रा पर प्रयत्न है, किन्हे यात्रा की धरान महसूस होनी है वे जहाज में उतर जाएँ और दूसरों को तूफ़ान के धोड़े नान दें।’ डिगॉल ने अपने राष्ट्रपति काल में फ्रांस को वास्तव में नूफार्नी यात्रा पर चलाने और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस रूपी जहाज की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत कुछ सफल चेष्टा की।

डिगॉल के बाद फ्रांस की नीति

यद्यपि राष्ट्रपति डिगॉल ने फ्रांसीसी शासन को स्थायित्व प्रदान किया, तथापि उसकी कुछ नीतियों के प्रति देश में अमनोत्पत्ति तीव्र होता गया। 29 अप्रैल, 1969 को फ्रांस में एक जनमत-संग्रह के परिणामों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति डिगॉल ने त्याग-पत्र दे दिया। इस तरह न केवल फ्रांस के इतिहास में ही वरन् वास्तव में समस्त यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ। 1 जून को फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और जॉर्ज पोम्पिडू ने निर्वाचन में विजय प्राप्त की।

नई सरकार ने परिस्थितियोंबश, डिगॉल-शासन की अपेक्षा, ब्रिटेन के प्रति नरम रुख अपनाया है, फलस्वरूप वह साझा बाजार में शामिल हो सका। चैंकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप की घटना के बाद फ्रांस ने नाटो संगठन में बने रहना सम्भव अधिक उपयोगी और आवश्यक अनुभव किया। राष्ट्रपति पोम्पिडू ने अपेक्षाकृत अधिक महयोगपूर्ण और नरम रुख अपनाते हुए भी डिगॉल की इस मुख्य माँग का निर्वहन किया कि राष्ट्रीय सम्प्रभुता किसी भी कीमत पर दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राष्ट्रपति पोम्पिडू ने अमेरिका से सम्बन्ध-विच्छेद करने में विश्वास नहीं किया तथापि यह अनुभव किया कि यूरोप अपनी राजनीतिक आशाओं परम्पराओं और विशेषताओं के कारण अमेरिका से भिन्न है। फ्रांस का यह दृष्टिकोण भी रहा कि उनमें अथ डम्पिड से अमेरिका के साथ स्वाभाविक सम्बन्धों को 'यूरोपीय दृष्टिकोण' के विरुद्ध नहीं माना। दिसम्बर, 1970 में स्वयं पोम्पिडू ने अपने इस अभिमत का संकेत दिया। डिगॉल की तरह ही पोम्पिडू ने भी फ्रांस को एक परमाणु-शक्ति के रूप में देखना चाहा और इसीलिए सभी तरह के अन्तर्राष्ट्रीय विरोधों के बावजूद जून, 1972 में फ्रांस ने दक्षिण प्रशांत महानगर में अपने परमाणु परीक्षण शुरू डाले।

1974 में फ्रांस के राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। अक्टूबर 1973 में अरब-इजरायल युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाकर तेल की मर्यादा नियन्त्रित करने से विश्व में जब तेल मकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने तेल का उपयोग करने वाले देशों की समुक्त कार्यवाही द्वारा उसका सामना करने की योजना बनाई। फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिडू ने उससे फ्रांस को पृथक् रखा।

2 अप्रैल, 1974 को पोम्पिडू की मृत्यु के बाद जिस्कार द एस्सें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने भी अरब देशों पर समुक्त रूप से दबाव डालने की बजाय द्विपक्षीय आधार पर सहयोग बढ़ाने की नीति चालू रखी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड के साथ जिस्कार की भेंट के बाद फ्रांस ने भी तेल उपभोक्ता देशों के साथ सहयोग करने पर महमति व्यक्त कर दी। फ्रांस ने अरब-इजरायल युद्ध के समय में पश्चिम अजिया के देशों के लिए शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जो अगस्त, 1974 में उठा लिया। भारत के साथ जिस्कार के कार्यकाल से ही

फ्रांस के सम्बन्ध पूर्ववत् भधुर बने रहे। दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डल एक-दूसरे देश की यहाँ यात्रा करते रहे। जनवरी, 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री की यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली। दोनों देशों ने भारत-फ्रांस तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को मन्त्रिस्तरीय तक लाने और आपसी लाभ के लिए आर्थिक आदान-प्रदान, उद्योग एवं औद्योगिकीय सहयोग का विस्तार करने के लिए इस ढाँचे का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। अक्टूबर, 1976 में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल ने फ्रांस की यात्रा की। मार्च, 1977 से भारत में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार कायम हुई। नई सरकार भारत को परंपरागत मैत्री-नीति के अनुकूल फ्रांस के साथ भारत के सभी सम्बन्धों का विकास करती रही। जून, 1977 में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन से लौटते समय भारत के प्रधानमन्त्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया। इसी माह पेरिस में एक भारत-फ्रांसीसी अन्तरिक्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए। जुलाई, 1978 में फ्रांस और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक करार सम्पन्न हुआ। दिसम्बर, 1978 में फ्रांस के विदेश-व्यापार मन्त्री नई दिल्ली आए। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि अगले 4 वर्षों के अन्दर द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना किया जाए और अन्य देशों में समुक्त उद्यम स्थापित किए जाएँ। राष्ट्रपति जिस्कार ने जनवरी, 1980 में भारत की यात्रा की। वे भारत की यात्रा पर आने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा 27 जनवरी, 1980 को समुक्त घोषणा की गई। समुक्त विज्ञप्ति में कहा गया— 'ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिसमें सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता तथा प्रादेशिक अखण्डता सुरक्षित रह सके और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें।' नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समुक्त विज्ञप्ति में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया कि फ्रांस द्वारा 'तनाव शैथिल्य' की नीति और भारत द्वारा 'गुट-निरपेक्षता' की नीति अपनाए जाने के कारण दोनों देशों पर विशेष दायित्व है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में यह यात्रा बहुत सफल रही और सात प्रोटोकॉलों तथा समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति जिस्कार ने यह घोषणा की कि फ्रांस अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के प्रश्न पर समुक्तराज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों को बिना जर्मन समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्रांस ऐसा कोई भी उग्र दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में नहीं है जिससे शीत युद्ध फिर से भड़क उठे। फ्रांस अपने दृष्टिकोण का निर्धारण अपने महाद्वीप के हितों और विश्व-मान्यता तथा सुरक्षा के मन्दर्भ में ही करता है। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों की जो वंठक हुईं उनमें फ्रांस ने भाग नहीं लिया। राष्ट्रपति जिस्कार ने स्पष्ट किया कि फ्रांस ऐसी किसी वंठक के पक्ष में नहीं है और न ही ऐसी

जिमी भी बंठक में भाग लेना चाहता है जो विरोधी गुट-दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता हो। गुटों की पुनः स्थापना का विरोध आवश्यक है क्योंकि इससे केवल अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ेगा और फ्रांस द्वारा स्वतन्त्र नीति अपनाए जाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी।

मई, 1981 में फ्रैंकोइस मित्ररां फ्रांस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति मित्ररां की समाजवादी सरकार भी पहले की ही भाँति अमेरिका से पृथक् अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फ्रांस द्वारा स्वतन्त्र नीति अपनाई जाने की ओर अग्रसर हुई। नए राष्ट्रपति ने अमेरिकी नीति की अनेक सन्दर्भों में कटु आलोचना की और कहा कि 'तृतीय विश्व' (Third World) के देशों के प्रति अमेरिका की नीति मुख्यतः अपने सामरिक हितों में प्रेरित है। राष्ट्रपति मित्ररां ने लेटिन अमेरिकी देशों के प्रति अमेरिका की नीति की आलोचना की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पश्चिम जगत् को इस क्षेत्र के अत्याचारी तथा अलोकतान्त्रिक शासकों को समर्थन देने के बजाय इस क्षेत्र के पीड़ित लोगों का समर्थन करना चाहिए।

राष्ट्रपति मित्ररां ने भी राष्ट्रपति जिस्कार की भाँति ही 'गुट-टकराव' (Block Confrontation) की नीति का विरोध किया। फ्रांस और भारत के बीच सहयोग के आयामों का और अधिक विस्तार हुआ। श्रीमती गांधी ने नवम्बर, 1981 में फ्रांस की यात्रा की। मयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों द्वारा एक 'तीसरी शक्ति' (Third Force) के रूप में कार्य करने पर बल दिया गया। फ्रांस ने तृतीय विश्व के गरीब राष्ट्रों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की और भारत के साथ 'सर्वोच्च शक्तियों' (Super Powers) से दूरी बनाए रखने का निश्चय किया। दोनों पक्षों ने मयुक्त घोषणा में 'भय, प्रभुत्व और अहंकार पर आधारित सम्बन्धों के आचरण' का विरोध करते हुए विदेश प्रभुत्व या बाहरी हस्तक्षेप से देशों की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कर्तव्य पर जोर दिया। अक्टूबर, 1982 में भारत और फ्रांस के बीच भिराज विमान सम्बन्धी समझौता सम्पन्न हुआ और आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्रांस के साथ आर्थिक सम्बन्ध और मजबूत हुए। जून, 1983 में इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर तथा सूचना विज्ञान में सहयोग से सम्बद्ध भारत-फ्रांस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उस समय तक भारत और फ्रांस के बीच 14 समझौता-ज्ञापन/प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर हो चुके थे जो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग से सम्बन्धित हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे के यहाँ उच्च स्तरीय यात्राएँ संपन्न कीं। 1984-85 में भी भारत-फ्रांस के सम्बन्ध निरन्तर विविधित होते रहे। विदेश मन्त्री की अग्रणी, 1984 में पेरिस-यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता हुई। एक-दूसरे के यहाँ उच्च स्तरीय यात्राएँ संपन्न की गईं जिनमें फ्रांस की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष की फरवरी 1984 में भारत-यात्रा और भारत के उप-राष्ट्रपति की जुलाई, 1984 में फ्रांस-यात्रा विशेष महत्त्वपूर्ण थीं। अगस्त, 1984 में फ्रांस ने भारत के साथ आनुनिश्चय सम्बन्धी दूरी के हवा में हवा में मार करने वाले तथा इन्फा रैंड

सीकर प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति के लिए समझौता किया। वर्ष 1987 तक दोनो देशों के बीच सहयोग के अनेक क्षेत्रों का विस्तार हुआ है।

फ्रांस ने अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप (1979) और पोलैण्ड के प्रश्न (1981) पर अमेरिकन नीति का समर्थन नहीं किया और ऐसे विकल्प का मुकाबला दिया जिसे सधर्म तीव्र न हो तथा विश्व शान्ति की स्थापना हो।

संसार में युद्ध और तनाव को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रपति मित्ररां ने घोषणा की कि फ्रांस अपनी 'शस्त्र-विक्रय नीति' (Arms Sales Policy) में परिवर्तन करेगा। फ्रांस तानाशाही शासनो तथा ऐसे शासनो को, जिनकी नीतियाँ दूसरे देशों की स्वतन्त्रता के लिए खतरा प्रस्तुत करती हो, शस्त्र नहीं देगा। वास्तव में इस प्रकार का निर्णय फ्रांस की समाजवादी सरकार की नीति में नैतिक पक्ष का द्योतक है। फ्रांस ने भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति की हमेशा सराहना की और यह मत प्रस्तुत किया कि ऐसे विश्व में, जो दो विरोधी गुटों में विभाजित है, ऐसी नीति का विशेष महत्त्व है।

फ्रांस द्वारा दोनो महाशक्तियों—अमेरिका और रूस के प्रति स्वतन्त्र नीति अपनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति मित्ररां ने कहा—“फ्रांस अपनी भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एक सैनिक गठबन्धन से सम्बद्ध है। हम पिछले दो विश्व-युद्धों के केन्द्र रहे हैं। हम एक छोटे-म महाद्वीप यूरोप पर स्थित हैं, जहाँ एक सर्वोच्च शक्ति की सैनिक सर्वोच्चता पूर्ण रूप से स्थापित है। फिर भी हम रूस को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। किन्तु हम यह देखना है कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। मेरा दृष्टिकोण केवल सुरक्षात्मक है। किन्तु इसमें एक गठबन्धन निहित है। इस गठबन्धन में केवल हम ही एक ऐसे राष्ट्र हैं, जिसने अपने निर्णय की स्वतन्त्रता को बनाए रखा है। हम नाटो के सैनिक कमान से सम्बद्ध नहीं हैं तथा मैं ऐसी स्वतन्त्रता बनाए रखने पर बल देता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि अटलांटिक सगठन हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं को निर्धारित करे। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि यह गठबन्धन विश्व राजनीति के दौबरेच का एक तत्त्व समझा जाए। मैं अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार की नीति में विश्वास नहीं करता हूँ। इस स्थिति ने अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्धों में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी है। किन्तु मैं अपने दृष्टिकोण को बदलने नहीं जा रहा हूँ।”

सोवियत सघ के साथ फ्रांस के समाजवादी सरकार के सम्बन्ध अच्छे हैं। जून, 1973 में ब्रेझ्नेव ने फ्रांस की और अक्टूबर, 1975 में राष्ट्रपति जिस्कार ने सोवियत सघ की राजकीय यात्रा की थी, जिनसे दोनो देशों के सहयोग-मूत्र विकसित हुए। जून 1977 में ब्रेझ्नेव ने सोवियत सघ के राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहली यात्रा पेरिस की सम्पन्न की। अमेरिका और रूस के सम्बन्धों में दुराव की स्थिति को देखते हुए सोवियत सघ ने फ्रांस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की और फ्रांस ने भी यह रुच स्पष्ट किया कि वह रूस को यूरोप में एक महत्त्वपूर्ण मित्र और भागीदार मानता है। राष्ट्रपति मित्ररां ने

23 जून 1984 को अपनी सोवियत संघ की यात्रा समाप्त की। यात्रा का कोई विशेष परिणाम तो नहीं निकला परन्तु दोनों देशों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति से एक-दूसरे को अवगत कराया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वार्ता के दौरान श्री चैरॉको को स्पष्ट किया कि फ्रांस परमाणु शस्त्रों की स्पर्धा को कम करने का पक्षधर है। वह चाहता है कि जेनेवा वार्ताएँ पुनः आरम्भ हों। परन्तु सोवियत संघ ने इस विचार से सहमति प्रकट की परन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि वार्ताएँ तभी आरम्भ हो सकती हैं, जब अमेरिका अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे।

यूरोप के अन्य देशों के साथ भी फ्रांस सहयोग और मंत्री के आयामों का विस्तार कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस में युद्धवालीन कटुता तेजी से समाप्त हो रही है। जब अक्टूबर, 1978 में फ्रांस के राष्ट्रपति जिस्कार और जर्मनी के चांसलर स्कोमिड आचेन शहर में तम्राट शालमैन को श्रद्धाञ्जलि देने को एकत्र हुए हुए तो दोनों देशों के मध्य यूरोप की राजनीति में सहयोग और मंत्रों का एक नया युग शुरू हुआ। यूरोपीय देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से दोनों नेताओं ने पश्चिमी यूरोपीय मुद्रा संघ (Monetary Union for Western Europe) की स्थापना पर महमति व्यक्त की। जर्मन नेता ने कहा—“पश्चिमी यूरोप का हित बहुत कुछ फ्रांस जर्मनी सम्बन्धों पर निर्भर करता है। जर्मनी में ऐसा कोई बग्न नहीं है जो इसका विरोध करे। यह कोई नाटक या राजनीतिक नारा नहीं है, बरन् अब हम जो भी निर्णय बोन (Bonn) में लेते हैं फ्रांस से जरूर पूछते हैं।” राजनयिक सम्बन्धों के साथ दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों का विकास हो रहा है। फ्रांस जर्मनी का सबसे बड़ा गरीबदार है और जर्मनी फ्रांस का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। दोनों ही देश औद्योगिक क्षेत्र में भी सहयोग कर रहे हैं।

फ्रांस की विदेश नीति का एक विहंगावलोकन

डॉ रवीन्द्र नारायण सिन्हा ने फ्रांस की विदेश नीति के विहंगावलोकन में प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर फ्रांस की नीतियों का चित्रण करते हुए उसकी विदेश नीति में निरन्तरता और परिवर्तन के तत्त्वों पर जो प्रकाश डाला है और वर्तमान शताब्दी के अन्तिम चरण में फ्रांसीसी विदेश नीति के जिन दिशा-सूचकों को इंगित किया है, वह सब अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है—

राष्ट्र-राज्यों की परराष्ट्र-नीति को उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विश्व-रगमच पर विशेष कहा गया है। इस उक्ति में सत्य का कुछ अंश तो अवश्य ही है। कई इतिहासकारों ने फ्रांस के द्वैध व्यक्तित्व की चर्चा की है—(1) शक्ति, महत्ता एवं गरिमा का पूजक तथा (2) क्रान्तिवाद, प्रतिवाद एवं जनवाद के तत्त्वों से प्रनुप्रेरित। फ्रांस वीरपूजक भी रहा है, मूर्तिभजक भी। लुई चौदहवाँ, नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन तृतीय, चार्ल्स द गॉल के चरणों पर हृदय चढ़ाने को फ्रांस धक्कर उचल हो जाता है। दंबवोग में फ्रांसीसी इतिहास के कई सर्वाधिक अविस्मरणीय पृष्ठ इन्हीं की छत्रछाया में लिखे गए। फ्रांस में समाजवादी चेतना भी विचित् व्यापक तथा प्रबल रही है पर देश की आन्तरिक या वैदेशिक नीतियों पर उभरी

प्रभावी हाथ घायद ही कभी रहा। शक्तिशाली नेता जारेस की चेतावनियों के बावजूद सदी के प्रारम्भिक दशक में फ्रांस युद्ध के आह्वान की भूमिका तैयार करता रहा। सदी के चौथे दशक के मध्य में फ्रंट पापुलायर का मन्त्रिमण्डल कर्वेटिव ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाकर गणतन्त्रवादी स्पेन के गले में नागफाँस कसने में योगदान करता रहा। सदी के छठे-सातवें दशक में दक्षिणपन्थी द गॉल को फ्रांस को ह्रास की दलदल में डूबते जाने की प्रक्रिया को रोकने का श्रेय मिला।

प्रथम विश्वयुद्ध के विजेता फ्रांस ने वस्तुतः पराजित की चेतना लेकर विश्व-युद्धोत्तर में प्रवेश किया था। युद्ध में जन-धन की भीषण क्षति, अप्रबुद्धमान आवादी जर्मनी की तुलना में औद्योगिक उत्पादन तथा क्षमता में पीछे पड़ जाना इन सबों का समवेत परिणाम था विश्व की शक्ति प्रतियोगिता में उमका पीछे छूटते जाना।

प्रथम विश्व-युद्धोत्तर युग में फ्रांसीसी राजनय सामूहिक सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सश्रयो की शृंखला में अपने दुर्दमनीय राईनपार के पडोसी के विरुद्ध अपने को सुरक्षित करने के अनवरत प्रयत्न में लगा रहा। इसके लिए रोम, मास्को, बार्सा, प्राग, वेलग्राड आदि के साथ मध्य सम्बन्ध स्थापित करके, इनमें कई के उचित-अनुचित आग्रहों का अज्ञ समर्थन करके, जर्मनी को अकेला किए रखने की कोशिश करता रहा। इन सभी वर्षों में उसकी नीति का आधारभूत ध्रुव ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा-व्यवस्था में प्रतिबद्ध रखना रहा है। निश्चय ही इतने कमजोर धागों से जर्मनी की नई घेराबन्दी का जाल बुनने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित किंवा बुद्धिमत्तापूर्ण नीति होती, उमी देश के साथ स्वाभाविक तथा मुक्तियुक्त आधार पर सम्बन्ध विकसित करने का प्रयत्न करना, किन्तु इसके लिए वर्साय की विसर्गियों को समाप्त करने को दूरदर्शिता तथा साहस होना आवश्यक था, जर्मनी के साथ समानता के स्तर पर मिलकर रहने को उद्यत होने का प्रश्न था और इसके विरुद्ध अनेक सदियों का इतिहास खड़ा था।

दूसरे विश्व-युद्ध में फ्रांस बिना तैयारी के ही खिच घाया, ब्रिटेन के साथ अपनी नीतियो-नियति को सम्बद्ध कर देने की यह मजा थी, दुर्निवार तथा बठोर। इतिहास की कितनी बुर विडम्बना स्पेन, अवीसीनिया, चंकोस्लोवाकिया के बंध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागी होने के बाद दौस्तिसग तथा गलियारे के लिए आरम्भ किए गए सधर्ष में फ्रांस को उतरना पड़ा। इन समय समरुनैतिक तथा राजनयिक स्थिति फ्रांस के नितान्त प्रतिकूल तथा जर्मनी के अनुकूल थी। युद्ध घोषणा जर्मनी पर फ्रांस और ब्रिटेन ने की। दूसरे विश्व-युद्ध की भट्टी से फ्रांस पूर्णतया ध्वस्त एवं पराजित होकर निकला, यद्यपि या वह विजेताओं की पंक्ति में।

इन दशकों में जर्मनी पर राष्ट्र-नीति का अध्ययन एक ह्रासोन्मुख तथा फिर उत्कर्षों मुख राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं नीतियों का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर फ्रांस का सर्वप्रथम मन्त्रप या—अपने को दुनिया के बड़े देशों के मध्य पंक्तिय रखना। इसके लिए उमके

प्रतिनिधि प्रत्येक सम्भव अवसर पर अपने देश की मर्यादा के अनुरूप स्थान प्राप्त करने को यत्नशील रहते। सुरक्षा परिपद में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से लेकर अतलांत सन्धि मगठन की सुरक्षावाहिनी के हेतु फ्रांसीसी सेनापतियों के मनोनयन अथवा यूरोपीय परिपद में अपने लिए प्राप्त स्थानों की सख्या पर बल देने तक विभिन्न तरीकों से अपनी आवाज ऊँची करते रहते। अपार धन-जन खर्च करके दक्षिण-पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका अथवा अन्यत्र फ्रांसीसी साम्राज्य को विस्तार नहीं देने के दृढ़ संकल्प के मूल में भी उनकी यह भावना क्रियाशील रही होगी।

परराष्ट्र सम्बन्धों में फ्रांस का महत्त्व दिखाने हेतु फ्रांसीसी राजनेता अक्सर किसी निर्णय को टालते रहने का रवैया अपनाते रहे हैं। उद्देश्य तो होता यह दिखाना कि यदि फ्रांस दुनिया की उलझनों को सुलझाने में अधिक योगदान करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी उसकी एकदम उपेक्षा की जा सके, यह भी बड़े राष्ट्रों के लिए हितकर नहीं था। अक्सर फ्रांसीसी सरकार किसी मसले पर तभी निर्णय लेती—अन्तिम क्षण में, काफी टालमटूल करने अथवा झड़गा लगाने के बाद जब वह देखती कि अब और अधिक विलम्ब करने से उसको छोड़कर अन्य देश एक-तरफा निर्णय ले लेंगे।

प्रभावी परराष्ट्र-नीति की सर्वप्रमुख विशेषता व्यावहारिकता होनी चाहिए। फ्रांसीसी राजनेता इसकी उपेक्षा नहीं करते थे। अपनी शक्ति या दक्षता की परख उन्हें नहीं थी, यह कहना गलत होगा, किन्तु फ्रांस की महत्ता अथवा गरिमामय स्थान पाने का अधिकार वे दुनिया की सभ्यता-संस्कृति को अपनी देन, गौरवमय अतीत तथा यूरोपीय मुख्यभूमि पर महत्त्वपूर्ण स्थान (उनकी दृष्टि में नेतृत्व प्रदान कर सकने वाला एकमात्र देश) पर आधारित मानते।

फ्रांसीसी यह प्रयत्न करते हैं कि दुनिया की महाशक्तियाँ अथवा अन्य देश उनकी उपेक्षा नहीं करें। सुरक्षा केवल एक देश की समस्या नहीं थी वे इस उक्ति को अक्सर दुहराया करते थे। फ्रांस के साथ सश्रय केवल फ्रांस को ही नहीं अन्य सश्रय सदस्यों के लिए भी लाभकर होगा, फ्रांसीसी सरकारें यह दशनि को व्यग्र रहतीं। चतुर्थ गणतन्त्र के ह्रासोन्मुख काल में फ्रांस सीधे किसी महाशक्ति के साथ सश्रय करने पर बल देता, उममें उसे हीनता का बोध होने की आशंका कम रहती। अपनी महत्ता बनाए रखने हेतु, या उसका मुसौटा नहीं उतारना पड़े इसके लिए फ्रांसीसी राजनेता अपनी औपनिवेशिक उलझनों को भी सुरक्षा सश्रयों में गीचने के प्रयत्न करते। हिन्द-चीनी युद्ध के सन्दर्भ में फ्रांसीसी स्पष्टतः बहते हैं कि वे वैसे ही युद्ध में उसी उद्देश्य के लिए तथा वैसे ही जन्तु के साथ सलग्न थे। उन्हें कोरिया तथा वियतनाम में कोई भेद नहीं जान पड़ता था। वियतनाम या स्वेज संकट में सुरक्षा मन्त्रि मगठनों का समर्थन नहीं मिलने पर इनकी उपयोगिता उनकी दृष्टि में बहुत कम रह गई थी। तदनु रूप दिशा परिवर्तन उनकी नीतियों में होना अवश्यम्भावी था।

चतुर्थ गणतन्त्र की नीतियाँ अधिकतर आत्मरक्षात्मक थीं इसके अनुप्रेरक थे जर्मनी के अन्वुदय का भय, साम्राज्यीय शिराजा दिखरने का भय, विश्व के

राजनीतिक समुदाय में प्रतिष्ठा का आसन खो देने का भय आदि। इन दिनों फ्रांस बहुदलगत राजनीतिक पगुता अथवा बहुव्यष्टित व्यक्तित्व से भी जर्जर था। सदी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस एक जर्जर, ह्रासोन्मुख राष्ट्र बन गया था—यूरोप का मरीज—यह कहना कुछ अगो में ठीक ही था। इस सर्वतोमुखी ह्रास का आरम्भ, इतिहासकारों के अनुसार, नेपालिजनाई युद्धों में जन-धन की अपार हानि से हुआ। इसके साथ-साथ पहले पराक्रमी प्रथम नरिहर जर्मन साम्राज्य के उदय ने फ्रांस का आत्मविश्वास ही समाप्त कर दिया। सदी के आरम्भ में डेलकासे, काम्बा, पायकारे जैसे कुछ राजनयिकों तथा उग्र राष्ट्रवादी ज्वार ने ह्रास की इस प्रक्रिया को कुछ बाल के लिए रोके रखा। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के प्राणान्तरक अनुभवों ने उसे पुन सक्रिय कर दिया। दो विश्वयुद्धों के बीच फ्रांस हर पहलू से एक ह्रासोन्मुख राष्ट्र बन गया था। कोई भी मूष्य चुका कर अपना साम्राज्य तथा वर्साय सन्धि व्यवस्था से प्राप्त अपनी सुरक्षा आश्रय बनाए रखना ही उसकी नीतियों का लक्ष्य रह गया था। इस अवधि के अन्तिम चरण में उमरों अपनी परराष्ट्र-नीति भी रह गई थी, यह सन्देहास्पद है। अनेक अर्थ में वर्तमानवी नीतियों का अनुगमन करना ही उमरों की एकमात्र नीति थी।

सदी के चौथे दशक के मध्य तथा उत्तरार्द्ध में जब बड़े ही अद्यवसाय तथा आजा विश्वास के साथ गठित फ्रांस की द्विपक्षीय सञ्चय-व्यवस्थाएँ ताश के महल की तरह ढहने लगी थी, उन दिनों फ्रांस दयनीय पगुता की सीमा तक पहुँच गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान पराजय के बरों में तथा उसके बाद में विजेता शक्तियों की पक्ति में भी उसकी स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु छठे दशक के अन्तिम बरों में द गॉल के सुदृढ नेतृत्व लक्ष्य की स्पष्टता तथा बोक बने औपनिवेशिक साम्राज्य के भार में मुक्ति के न केवल फ्रांस के ह्रास की प्रक्रिया को रोका, बल्कि उसके पुनरुत्कर्ष के युग की सूचना भी दी। इसके मूल में थे दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक—स्थायी सरकार (आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता) तथा अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।

सातवें दशक की दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर एक नया सितारा उदित हो चुका था : जनवादी चीन। 1949 से 1959—एक दशक में जनवादी चीन एक महाशक्ति का रूप ग्रहण करने लगा था। कोरिया में बराबरी पर युद्ध समाप्त करने की बाध्य, हंगरी के सहायताार्थ कुछ भी कर सकने में असमर्थ तथा वियतनाम में बुरी तरह उलझा सर्वशक्तिमान अमेरिका का विश्व नेतृत्व का अपना दूटने लगा था, यद्यपि उसका आत्मोह धर्मो पूरा समाप्त नहीं हुआ था। द गॉल के फ्रांस ने पेरिस की ओर सद्भावना का हाथ बढ़ाकर जैसे पुराने शक्ति-सन्तुलन अखिल विश्व स्तर पर का खेप शुरू किया। संयुक्त राज्य की नीतियों से स्वतन्त्र अपनी नीति—जर्मनी, सोवियत संघ तथा पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के सन्दर्भ में पाँचवें गणतन्त्र की नीतियों में पुनरीक्षण की ताजगी तथा दिशा परिवर्तन स्पष्ट था। अमेरिकी नेतृत्व वाले सन्धि सगठनों—नाटो, सेटो, मिवाटो आदि के प्रति उसके रवैर में परिवर्तन हुआ। सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय उलभन के सन्दर्भ

फ्रांस की प्रतिक्रिया स्वतन्त्र रूप में व्यक्त की जाने लगी। अपने छोटे-से आर्थिक अस्त्रागार की व्यवस्था करके द गॉल के फ्रांस ने तत्काल के लिए लगभग क शताब्दी पुरानी सुरक्षा समस्या का भी बहुत कुछ समाधान कर लिया था।

यह सत्य है कि पाँचवे गणतन्त्र को जिस बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश का भ्रम उठाने का अवसर मिला उसके उद्भव में उसका कोई श्रेय नहीं था। वह तो नवयुद्धोत्तर नई लहर की अभिवृत्ति थी किन्तु विश्व परिपेक्ष्य तथा शक्तियों के अंतःप्रतिस्पर्धा में लाभ उठाना कुशल राजनेता की विभूति होती है। पाँचवें गणतन्त्र जनरु ने ठीक यही काम किया। स्वतन्त्र नीतियों से सयुक्त राज्य को रोप तथा भ्रम दोनों ही हुए, ब्रिटेन की कुछ उलझने बढ़ी, किन्तु कुल मिलाकर फ्रांस का हित था। अल्जीरिया उलझन को समाप्त करके तथा अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दान करके द गॉल ने अपने देश के राजनयिक सम्बन्धों के एक नए युग का प्रयास किया।

द गॉल के फ्रांस की नीति अवसर तथा स्थिति की आवश्यकता के अनुसार या दिशासूचक करती रही। जर्मनी के विरुद्ध सोवियत सघ से, सोवियत सघ के विरुद्ध सयुक्त राज्य से, सयुक्त राज्य के विरुद्ध चीन से वह हाथ मिलाता रहा। गॉल के बाद भी फ्रांस की नीतियों का सहजा तथा शैली बहुत कुछ वही है। उसके विवादों का परित्याग किया जाने लगा है। स्वतन्त्र परराष्ट्र-नीति ने फ्रांस की तिष्ठा में वृद्धि की है, आर्थिक अस्त्रागार ने उसे सुरक्षा का आत्मविश्वास प्रदान किया है।

आज भी फ्रांस सयुक्त राज्य, सोवियत सघ या जनवादी चीन का प्रतिस्पर्धी होने की स्थिति में नहीं है, सम्भवतः कभी यह उसके लिए सम्भव भी नहीं होगा किन्तु मध्यम स्तर के देशों में यह अग्रगण्य है, इसमें सन्देह नहीं। इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी गणराज्य, जापान जैसे देशों की पक्ति में फ्रांस अग्रणी अथवा आदरणीय हो रहा है, पाँचवे गणतन्त्र की यह महत्त्वपूर्ण सफलता है और इसका बहुत कुछ श्रेय नवी स्वतन्त्र परराष्ट्र-नीति को ही दिया जाना चाहिए।



सोवियत विदेश नीति : विचारधारा का प्रभाव (Russian Foreign Policy : Impact of Ideology)

सोवियत मध्य की विदेश नीति अन्य देशों की भाँति उस देश के बानावरण, राजनीतिक परम्परा, ऐतिहासिक अनुभव, नेताओं के व्यक्तित्व, विश्व राजनीति की रूप-रचना, राष्ट्रीय स्वार्थ, राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति आदि अनेक तत्त्वों पर निर्भर है। इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सोवियत विदेश नीति के स्वरूप निर्धारण में साम्यवादी विचारधारा का विशेष प्रभाव है। सोवियत मध्य एक साम्यवादी राष्ट्र है जहाँ मार्क्स के विचारों और सिद्धान्तों को सर्वप्रथम कार्य रूप में परिणत किया गया था। साम्यवादी विचारधारा इस देश के राष्ट्रीय जीवन, व्यवहार, आस्था एवं विश्वास को प्रभावित करती है क्योंकि विदेश नीति प्रायः किसी देश की गृह नीति की अभिव्यक्ति है, उनलए साम्यवादी विचारधारा ने विभिन्न स्तरों पर सोवियत नीति को प्रभावित किया है। सोवियत मध्य के नेता किमी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति एवं प्रश्न पर विचार करते समय किन्तु न साम्यवाद की स्थापना और मार्क्स तथा लेनिन के सिद्धान्तों की कार्यविधि को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं। विचारधारा के अतिरिक्त प्रभाव के कारण सोवियत विदेश नीति स्वच्छाचारी एवं गूढांचक बन जाती है। इस विषय के मान्य विद्वानों द्वारा समय-समय पर दिए गए वक्तव्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ए जेड रोबिन्स्टीन (A Z Robinsstein) ने लिखा है कि सोवियत विदेश नीति की व्याख्या करने के उलझे हुए कार्य को अधिक उत्तमपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण बनाने का सर्व विचारधारा द्वारा किया जाना है। विचारधारा की अवहेलना करके सोवियत नीति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता।¹

सोवियत विचारकों की मान्यता है कि पूँजीवादी देशों की विदेश नीति भी उनकी विशेष मान्यताओं और हितों पर निर्भर करती है किन्तु वे उन्हें प्रकट नहीं करते और आम जनता से इन तथ्य को छिपाते हैं कि उनकी विदेश नीति शान्ति वगैरे या साधन-सम्पन्न वर्ग के हितार्थ संचालित की जा रही है। इसके साथ ही सोवियत मध्य एक समाजवादी समाज है जहाँ राज्य-शक्ति धर्मिकों के हाथ में है और विदेश नीति का निर्धारण मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा एवं दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना है। 1972 में सोवियत मध्य के साम्यवादी दल की केन्द्रीय

समिति के महासचिव एल. ब्रेझ्नेव ने कहा था कि "हमारी विदेश नीति लक्ष्य और विषयवस्तु की दृष्टि से एक वर्ग नीति अथवा एक समाजवादी नीति रही है और रहेगी।"¹ सोवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना के लिए अनुकूल बाहरी परिस्थितियाँ निर्मित करना है। सोवियत सघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति ने मई, 1972 में यह स्वीकार किया था कि परिस्थिति के अनुसार यह नीति कई रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियाँ अपना सकती है। यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय वादी कही गई है क्योंकि समाजवाद के निर्माता विश्व की क्रान्तिकारी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करने हुए सभी देशों के श्रमिक वर्ग के हितों में महायत्न करना चाहते हैं। साम्यवादी आन्दोलन का अग्रगामी राष्ट्र होने के नाते सोवियत सघ अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का भौतिक राजनीतिक विचारधारागत मार्ग-दर्शन प्रदान करना चाहता है। उसी दृष्टि से यहाँ की विदेश नीति को इस प्रकार मंचालित किया जाता है कि यह विश्व-रगमच पर वर्ग-सघर्ष का सक्रिय तत्त्व बन सके और सभी क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील शक्तियों को सहयोग दे सके।

विचारधारा पर आधारित होने के कारण सोवियत सघ की विदेश नीति को अन्तरतम रूप से वैज्ञानिक कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह नीति समाज के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रकाशित करने वाले वस्तुगत कानूनों के ज्ञान पर आधारित है। सामाजिक विकास के इन नियमों के ज्ञान के कारण सोवियत विदेश नीति भविष्य के सम्बन्ध में विश्वस्त है और इसके निष्कर्षों में वैज्ञानिकता रहती है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी दालद्रष्टा भविष्य को प्रत्यक्षदर्शी की भाँति जान लेता है और ऐतिहासिक परिवर्तनों की रूपरेखा उसे स्पष्ट हो जाती है। रॉबिन्सटीन के कथनानुसार सामान्यतः सोवियत विचारधारा अभिजन वर्ग के लक्ष्यों, विचारों और मान्यताओं का एक व्यवस्थित संग्रह है जो उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है।² उसकी सहायता से वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का रूप निर्धारण करते हैं और यह इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या एवं घटनाओं के द्वन्द्वात्मक रूप से निरीक्षण, मूल्यांकन और बौद्धिककरण के लिए शब्दावली एवं प्रविधि सम्बन्धी औजार प्रदान करती है। विचारधारा के आधार पर तथ्यों का चयन किया जाता है और उन्हें एक विशेष परिस्थिति में नेतृत्व का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सोवियत विदेश नीति का सही परिप्रेक्ष्य में साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करने तथा समझने के लिए सोवियत प्रधानमंत्री एवं साम्यवादी दल के प्रमुख नेता लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेझ्नेव, कोसीगिन आदि के साम्यवादी विचार का अध्ययन किया जाए।

1 Brezhnev The Fifteenth Anniversary of the Union of Soviet Socialist Republic, Moscow, 1972, p. 41.

2 A. Z. Robinstein : op. cit., p. 6.

सोवियत विदेश नीति की लेनिनवादी विचारधारा (The Leninist Ideology of Soviet Foreign Policy)

सोवियत विचारधारा के अनेक मौलिक सिद्धान्त कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किए गए थे किन्तु लेनिन ने मार्क्स के दृष्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अभिव्यक्त किया और उसे तात्कालिक औचित्य प्रदान किया। लेनिन एक क्रान्तिकारी रणयोद्धा था। उसकी सैद्धान्तिक रचनाएँ मार्क्सवादी विचारों में विशेष विकास को अभिव्यक्त करने का एक प्रयास हैं। लेनिन का यह कहना था कि बिना विचारधारा के कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं हो सकता।¹ लेनिनवादी विचारकों के लेखों में विचारधारा और व्यवहार को एक एकीकृत समग्र के रूप में प्रकट और अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ प्रत्येक कार्य को हमेशा विचारधारा के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है और विचारधारा का प्रयोग कार्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया जाता है।² विचारधारा और व्यवहार के बीच इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही यह आवश्यक हो जाता है कि सोवियत विदेश नीति की प्रकृति, लक्ष्य, प्रक्रिया आदि की सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए विचारधारा का अध्ययन किया जाए। इस विचारधारा की अभिव्यक्ति व्यावहारिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में सर्वप्रथम लेनिन द्वारा हुई।

सोवियतों की द्वितीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार की गई 'डिक्री ऑन पीस' (Decree on Peace) सोवियत सभ की विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रथम महत्वपूर्ण लेख है। इसमें लेनिन के सर्वहारा वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और विभिन्न व्यवस्थाओं वाले राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति के मार्गदर्शन बन चुके हैं।³ इस 'डिक्री ऑन पीस' में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रजातान्त्रिक मूल्य घोषित किए गए हैं जैसे—सभी देशों की प्रादेशिक अखण्डता और राष्ट्रीय सम्प्रभुता का सम्मान, स्वतन्त्र राज्य बनने के लिए सभी राष्ट्रों के अधिकारों की मान्यता, विभिन्न देशों और लोगों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सभी छोटे-बड़े राज्यों की समानता, आक्रमण और क्षेत्रीय प्रसार की नीति का विरोध, व्यापक और पारम्परिक लाभ के लिए सहयोग आदि। इस डिक्री को स्वीकार करके सोवियत सभ ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध सवर्ष कर रहे लोगों का नेतृत्व स्वीकार किया। स्वयं लेनिन ने विश्व-मंच पर सोवियत नीति को परिभाषित करते हुए यह कहा था कि "हमारे सामने मुख्य कार्य साम्राज्यवाद से लड़ना है और हम इस

1 "Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement"

—V I Lenin

2 "Action is always explained in terms of ideology, ideology is used to justify action."

—A. Z. Robinstein, op cit., p. 6.

3 A Study of Soviet Foreign Policy, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 13.

लड़ाई में विजयी होंगे।¹ लेनिन के काल में सोवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में स्वतन्त्रताप्रिय राज्यों का समर्थन करना रहा। राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का अनुशीलन करते हुए सोवियत सरकार ने फिनलैण्ड को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। सोवियत गणराज्य और अन्य समाजवादी राज्यों के बीच भाईचारे के सम्बन्ध स्थापित किए। लेनिनवादी सिद्धान्तों अथवा विचारधारा ने सोवियत विदेश नीति पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव डाले उनमें से उल्लेखनीय ये हैं—

(1) सोवियत सघ ने अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में समाजवादी आन्दोलन का समर्थन किया। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, चीन मंगोलिया आदि देशों के तथाकथित स्वतन्त्रता सघों को समर्थन दिया।

(2) लेनिन ने विश्व के भावी विकास को देखते हुए यह जान लिया था कि दुनिया में अनेक समाजवादी देश बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने इन राज्यों के बीच सम्बन्धों के लिए वैज्ञानिक रूप से विभिन्न सिद्धान्तों की रचना की। समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का प्रतिपादन किया गया।

(3) समाजवादी राष्ट्रों की स्थापना से पूर्व सोवियत विदेश नीति का उद्देश्य विभिन्न पूंजीवादी देशों के श्रमिक वर्ग के साथ एकता स्थापित करना बताया गया। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जब विश्व के मानचित्र पर अनेक समाजवादी राष्ट्र बन गए तो उनके साथ सोवियत विदेशी नीति उसी रूप में मबालित की गई जिसकी कल्पना लेनिन ने की थी।

(4) लेनिन ने अपने चिन्तन का यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया था कि विश्व के पूंजीपतियों से लड़ने और उनके विरुद्ध आत्मरक्षा के लिए विश्व के साम्यवादी सर्वहारा वर्ग को शक्तिशाली सोवियत राज्य की आवश्यकता होगी। तदनुसार सोवियत सघ की आर्थिक सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया गया और प्रत्येक क्षेत्र में सोवियत उपलब्धि को विश्व की साम्यवादी शक्तियों की विजय माना गया।

(5) सोवियत विदेश नीति मानवतावादी होने का दावा करती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भावी विश्व-युद्ध से मानवता को बचाना, साम्राज्यवादी आक्रमणों का अन्त करना और सभी वर्तमान समस्याओं को समाप्त करना है।

(6) सोवियत विदेश नीति लेनिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार पर अरोसा करती है। लेनिन की मान्यता थी कि सभी राज्य एक साथ समाजवादी नहीं हो जाएंगे और इसलिए बहुत लम्बे समय तक समाजवादी और पूंजीवादी राज्य साथ-साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में अनेक विभिन्नताएँ होने हुए भी इन राज्यों के बीच परस्पर व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ेंगे। यही मान्यता शान्तिपूर्ण

1 "The chief task facing us is to fight imperialism, and this fight we must win."

—V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 28, p. 125

सह-अस्तित्व की नीति का आधार है। सोवियत सरकार के एक परिपत्र में यह दावा किया गया है कि अन्य सरकारों के साथ चाहे वे कोई भी क्यों न हों, हमारी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपरिवर्तनीय रहेगी। इस नीति के अन्तर्गत साम्राज्यवादी आक्रमणों का विरोध और क्रान्तिकारी शक्तियों का समर्थन यथावत बना रहता है। इसमें विचारधारागत संघर्ष को किसी प्रकार ढीला नहीं किया गया किन्तु सोवियत संघ मानता है कि स्थाई शान्ति उस समय तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख अधिकारों का आदर न किया जाए।

कुल मिलाकर लेनिन की विचारधारा ने सोवियत नीति को जो मोड़ दिए उनके अनुसार यह विदेश नीति सोवियत संघ में साम्यवादी भवन के लिए अनुकूल शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा करना चाहती है, समाजवादी देशों में एकता को बढ़ावा देना चाहती है, स्वतन्त्रता और क्रान्तिकारी आन्दोलनों का समर्थन करती है, एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के स्वतन्त्र राज्यों के साथ एकता और सहयोग को प्रोत्साहन देती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त मानवता को हर कीमत पर तृतीय विश्व युद्ध से बचाना भी इसका एक उद्देश्य है।

(7) लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा की नए समय और परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए उनके श्रोत्रिय को सिद्ध किया और उसे असामयिक बनने से बचाया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आधिक व्याख्या, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के अन्तर्विरोध, समाजवाद की विजय, धर्मिकों के कण्ठों में वृद्धि आदि पर नवीन विकासों के कारण पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। लेनिन ने इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए मार्क्स की आधारभूत मान्यताओं को मत्स्य स्वीकार किया और युग के नए विकासों को इस विचारधारा के आधार पर समझाने की चेष्टा की। अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र को साम्यवादी विचारधारा के चश्मे से देखते हुए लेनिन ने कुछ नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जैसे—साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च स्थिति है, पूंजीपतियों के साथ युद्ध अनिवार्य है, साम्यवादी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय है।

स्टालिनवादी नीति पर विचारधारा का प्रभाव (Impact of Ideology on Stalinist Policy)

लेनिन के बाद 1953 में अपनी मृत्यु तक मार्शल स्टालिन सोवियत विदेश नीति का नूतनधार रहा। वह साम्यवादी विचारधारा का कट्टर समर्थक और तदनुसार पूंजीवाद का पूर्ण विरोधी था। उसकी विदेश नीति में विचारधारागत कट्टरता के कारण पूंजीवादी राष्ट्रों के प्रति उग्रता परिलक्षित होती है। इमने पश्चिमी देशों की मंत्री के प्रति प्रकानू होकर ऐसी उग्र और हठधर्मपूर्ण नीति अपनाई जिमके परिणामस्वरूप शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। पामर तथा परकिंस ने लिखा है कि "युद्धोत्तर सोवियत नीति कम से कम 8 वर्ष—1953 तक, पश्चिम

के प्रति बढ़ती हुई शत्रुता, असहयोग और अलगाव की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ सोवियत प्रभाव क्षेत्र के दृढीकरण तथा सामान्य हठधर्मिता की विशेषताओं से युक्त रही थी।" साम्यवादी विचारधारा के प्रभावस्वरूप स्टालिन की विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ये थी —

(1) साम्यवादी क्रान्ति का विश्व में प्रसार करने हेतु और पूँजीवादी राज्यों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का प्रसार किया गया। इसके साथ ही इन देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं औद्योगिककरण पर बल दिया गया। 1949 में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक सहायता हेतु एक परिषद् की स्थापना की गई। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मंत्री और पारस्परिक सहायता की अनेक सन्धियाँ हुईं। 14 मई, 1955 को नाटो सन्धि की भाँति वारसा सन्धि की गई।

(2) विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लिए एक संस्था कोमिनफार्म (Communist Information Bureau—Cominform) स्थापित की गई। इस संस्थान की स्थापना के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा पिछला युद्ध विश्व की मण्डियों में प्रतिव्योगिता की समाप्ति के लिए लड़ा गया था लेकिन रूस ने यह युद्ध लोकतन्त्र के पुनर्निर्माण और उसे मुद्दू बनाने के लिए लड़ा था। कोमिनफार्म का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था।

(3) साम्यवादी विचारधारा में पूँजीवाद के साथ मंत्री अथवा सहयोग के लिए कोई स्थान नहीं है इसलिए महायुद्ध के बाद स्टालिन ने पश्चिम के साथ युद्ध-कालीन मंत्री को समाप्त कर दिया और शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। ट्रूमैन सिद्धान्त मार्शल योजना, बर्लिन के घेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान और जर्मनी का पुन. शस्त्रीकरण, शूमेन तथा प्लेवन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि कार्यों को सोवियत संघ ने पश्चिम के शत्रुतापूर्ण कार्यों का परिचायक माना। यद्यपि स्टालिन अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति कहा करता था किन्तु वास्तव में इस नीति का अर्थ केवल दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध का नहीं होना था।

(4) साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार के लिए उग्रवादी नीति के साथ ही स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में स्थापित साम्यवादी व्यवस्थाओं और स्वयं सोवियत संघ को सभी प्रकार के पश्चिमी प्रभावों में अछूता रखने के लिए लौह छावरण की नीति का आश्रय लिया। स्टालिन की मान्यता थी कि रूमियों तथा विदेशियों के पारस्परिक सम्पर्क साम्यवादी व्यवस्था पर प्रतिरूल प्रभाव डालेंगे।

(5) स्टालिन ने एशिया और अफ्रीका के राज्यों में साम्यवादी प्रचार और प्रसार की नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप ये देश साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए और पश्चिम की अपेक्षा सोवियत संघ को अधिक शान्तिप्रिय तथा उपनिवेशवाद-विरोधी मानने लगे।

मोलेन्कोव (1953-55) की नीति और विचारधारा (Policy of Molotov and Ideology)

स्टालिन के बाद उसके उत्तराधिकारी मोलेन्कोव ने सोवियत विदेश नीति को उग्रता तथा पश्चिम के प्रति शत्रुतापूर्ण दुराग्रह से मोड़कर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर उन्मुख कर दिया। पद ग्रहण करते ही उसने यह घोषणा की थी कि लेनिन तथा स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूँजीवादी देशों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाएगा। परिवर्तित परिस्थितियों एवं नेतृत्व के कारण सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन आया किन्तु विचारधारागत आश्रय को उसने भी नहीं त्यागा। 15 मार्च, 1953 को सुप्रीम सोवियत के सम्मुख बोलते हुए मोलेन्कोव ने कहा—“अब सोवियत विदेश नीति का संचालन व्यापार की वृद्धि और शान्ति को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे शान्तिपूर्वक हल नहीं किया जा सकता हो। यह सिद्धान्त सयुक्तराज्य अमेरिका सहित विश्व के सभी देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।” मोलेन्कोव की उदारवादी विचारधारा ने सोवियत विदेश नीति के दृष्टिकोण तथा कार्यरूप को प्रभावित किया और इस काल में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निदान के लिए दोनों ही पक्षों ने सहयोगपूर्ण भावना से प्रयास किए।

ख़रुश्चेव की विदेश नीति और विचारधारा का प्रभाव (Foreign Policy of Khrushchev and Impact of Ideology)

मोलेन्कोव के बाद सोवियत विदेश नीति के कर्णधार ख़रुश्चेव बने। इनके काल में (1955 से 1964 तक) सोवियत विदेश नीति में गम्भीर परिवर्तन हुए। लौह आवरण की नीति में पर्याप्त जिधिलता आई तथा बाना-कूटनीति का महत्त्व बढ़ा, विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध घटे, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्वक तय करने पर जोर दिया गया, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध यथावत् रहा, अतिरिक्त देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई गई। ख़रुश्चेव के काल में सोवियत मध्य द्वारा अपनाई गई विदेश नीति एक नई विचारधारा की परिचायक थी। यह नई विचारधारा 20 फरवरी, 1956 को आयोजित 20वीं पार्टी काँग्रेस में स्वीकार की गई नीति के अनुसार थी। ख़रुश्चेव की प्रेरणा से अपनाई गई सोवियत विदेश नीति की 6 मुख्य विशेषताएँ थी—

(1) अब शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ बदल गया था। स्टालिन के समय में इसका अर्थ केवल युद्ध का न होना माना था किन्तु ख़रुश्चेव ने इसके अर्थ को व्यापक बताते हुए यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी राष्ट्र विशेष रूप से एशिया तथा अफ्रीका के गुट-निरपेक्ष राज्य सोवियत सघ के शत्रु नहीं हैं।

(2) अब सोवियत सघ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल देने लगा।

(3) यात्राओं की कूटनीति स्वीकार की गई और यह माना गया कि हमारे देशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की यात्राएँ करना चाहिए तथा लोह आवरण को शिथिल करके साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के साथ सम्पर्क की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(4) सोवियत सघ द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

(5) पश्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी कहकर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ खुले मधर्प की नीति का परित्याग कर दिया गया। ख्रुश्चेव का स्पष्ट कहना था कि, 'सोवियत सघ शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति को माता है। हम सयुक्तराज्य अमेरिका अथवा अन्य किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध करने की नहीं सोच रहे हैं। हम शान्तिपूर्ण निर्माण में तथा रचनात्मक कार्यों में प्रतियोगिता करना चाहते हैं। नई नीति के अनुसार गैर साम्यवादी देशों को तीन वर्गों में बाँटा गया—सयुक्तराज्य अमेरिका, अमेरिका के समर्थक तथा सहयोगी और गुट-निरपेक्ष राज्य।'

इस नई नीति के प्रति विचारधारागत परिवर्तन 1956 की 20वीं पार्टी कांग्रेस में किया गया। इस पार्टी कांग्रेस में ख्रुश्चेव ने स्टालिन की उग्रवादी नीतियों का विरोध किया। उसने युद्ध की अनिवार्यता और हिंसात्मक क्रांति की अनिवार्यता को प्रसिद्धि करके विक्रम की स्वाभाविक प्रक्रिया और मसदीय तरीके से समाजवाद की स्थापना का समर्थन किया। इसके बाद अनेक बार सोवियत नेताओं ने इस बात को दोहराया कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में पूँजीवादी जगत् के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जून, 1960 में बुखारेस्ट में रूमनिया कर्मचारी दल के तृतीय सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने पुनः इस बात को दोहराया कि लेनिन का 'पूँजीवाद के प्रथम युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त' अब लागू नहीं होता। सोवियत सघ की यह परिवर्तित नीति विचारधारा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी कि साम्यवादों चीन के नेताओं ने इसे सशोधनवाद का प्रतीक कहकर प्रशंसा की। चीनी नेताओं का मत था कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है युद्ध का खतरा बना रहेगा।

ख्रुश्चेव के समय परिवर्तित विचारधारा के कारण सोवियत विदेश नीति में प्राण उल्लेखनीय परिवर्तन निम्नलिखित थे—

(1) 1961 में प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यकाल में 20 वर्षों की अवधि में रूस में साम्राज्यवाद की स्थापना का नारा दिया गया और साम्यवाद का अर्थ वस्तुओं की प्रचुरता से लगाया गया।

(2) 1962 में क्यूबा के प्रश्न पर उग्रवादी नीति न अपनाकर सोवियत संघ ने वास्तव में शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति का परिचय दिया। 1962 में ही भारत पर चीनी आक्रमण के समय सोवियत सघ ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे।

(3) सोवियत नेता ने अमेरिका की यात्रा की तथा कोरिया, वियतनाम, टर्की आदि से सम्बन्धित अपने विवादपूर्ण दृष्टिकोण को त्याग दिया।

(4) 18 अप्रैल, 1956 को कामिनफा, मंग कर दिया गया। जुलाई-अगस्त, 1963 में जणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि सम्पन्न हुई। मास्को और वाशिंगटन के बीच मीघा टेलीफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता हुआ।

(5) सोवियत सघ ने विकासशील देशों को आर्थिक, प्रावधिक और मैनिक सहायता देने की नीति अपनाई। इस क्षेत्र में वह पश्चिमी राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा। वाल्टर लिपमेन ने लिखा है कि "पहले सोवियत सघ ने अणु-प्रायुधों पर पश्चिम से एकाधिपत्य को भंग किया और अब वह अर्द्ध-विकसित देशों का आर्थिक नेतृत्व ग्रहण करने में पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने लगा है।"

(6) सोवियत सघ ने उत्पादन और मैनिक शक्ति की दृष्टि से भी स्वयं को पश्चिमी देशों में श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया। इस नीति के अनुसार सोवियत सघ के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, सैनिक शक्ति में भी सोवियत सघ तेजी से आगे बढ़ा। अन्तरिक्ष की खोज और अणु-शस्त्रों की दौड़ में वह अमेरिका से भी आगे निकल गया।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन तथा ब्रेझ्नेव-तिखोन्वोव की नीति और विचारधारा
(The Policy and Ideology of Brezhnev-Kosygin
and Brezhnev Tekhonov)

अक्तूबर, 1964 में ख्रुश्चेव के पतन के बाद सोवियत सघ का नेतृत्व ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के हाथ में आया। इस नए नेतृत्व के साथ ही यह आशय की गई थी कि अब स्टालिनवाद का प्रभाव बढेगा और सोवियत नीति पुनः प्रतिगामी बन जाएगी। इसके विपरीत नए सोवियत नेताओं ने साम्यवादी विचारधारा के प्रति अपने पूर्वगामी जैसा ही दृष्टिकोण बनाए रखा। इस काल में सोवियत विदेश नीति विचारधारागत मान्यताओं से विशेष प्रभावित नहीं हुई वरन् इस पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का निर्णायक प्रभाव पड़ा। वर्तमान नेता भी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास करते हैं। यात्राओं की क्रमबद्धता की परम्पराएँ उन्होंने जारी रखी हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में सोवियत नेताओं ने पश्चिमी नेताओं के साथ समझौता वार्ताएँ की हैं। अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में भारत के साथ मैत्री के महत्त्व को सोवियत नेता भली प्रकार समझ चुके हैं। 1971 में भारत-सोवियत मंत्री सन्धि और बंगलादेश के प्रश्न पर भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय अपनाए गए भारत-समर्थक दृष्टिकोण इसी बात के प्रतीक हैं। भारत और सोवियत सघ की मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इनकी स्वाभाविक बन चुकी है कि भारत में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी जनता सरकार ने सोवियत सघ के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने का मुकल्प लिया है। सोवियत सघ भी भारतीय मित्रता को महत्त्वपूर्ण मानता है। अप्रैल, 1979 में कम्पूचिया पर चीनी आक्रमण के बाद

सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव भारत आए थे और उन्होंने चीन की निन्दा के लिए भारतीय संसद से अपील की थी ।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्धों में सोवियत मंच ने विचारधारा का महारा निया । 1968 में सोवियत मंच ने चैकोस्लोवाकिया में बढ़ती हुई उदारवादी प्रवृत्ति को इस आधार पर दबा दिया क्योंकि ब्रेझ्नेव के कथनानुसार, "प्रत्येक देश में समाजवाद की स्थापना का स्वरूप मौलिक होना चाहिए लेकिन समाजवादी देशों को सामान्य मूल सिद्धान्तों को भंग्यता अवश्य देनी चाहिए अन्यथा साम्यवाद का अस्तित्व मिट जाएगा ।" 21 अगस्त, 1968 की रात्रि को सोवियत मंच, पोलैण्ड हंगरी, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया की शक्तिशाली सेनाओं ने चैकोस्लोवाकिया पर हमला करके उसके बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया और उदारवादी नेता दुम्चेक को गिरफ्तार कर लिया । इस घटना के कारण सोवियत मंच का साम्यवादी और गैर-साम्यवादी जगत् में कटु विरोध हुआ । यह घटना यद्यपि पुरानी पड़ चुकी है और अब तक दोनों देशों के सम्बन्ध पर्याप्त सामान्य बन चुके हैं किन्तु यह इस बात का प्रमाण है कि सोवियत नीति में विचारधारा के स्थान पर राष्ट्रीय स्वार्थ का प्रभाव बढ़ा है ।

अक्टूबर, 1980 में श्री कोसीगिन की बिदाई के बाद श्री तिखोनोव प्रधान मन्त्री बने । ब्रेझ्नेव तिखानोव काल में भी सोवियत विदेश नीति की पूर्व-धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया ।

अमेरिका और पश्चिमी जगत् के साथ ब्रेझ्नेव काल में इस के सम्बन्ध उदार-चढाव के वावजूद व्यावहारिक सहयोग के रहे । इसी नेतृत्व में यह विश्वास पनपा कि अमेरिका और माधी राष्ट्रों से सोवियत मंच को तत्कालीन कोई नैतिक अथवा राजनीतिक खतरा नहीं है । निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर अमेरिका के साथ मतभेद बने रहे और रीगन के प्रशासन के दौरान तनाव बढ़े । ब्रेझ्नेव काल में कई बार ऐसे अवसर आए जबकि अमेरिका के साथ उलभकर शीतयुद्ध को पुनः तीव्र बनाया जा सकता था किन्तु इन अवसरों पर सोवियत नेताओं ने समयपूर्व व्यवहार किया तथा स्थिति को विगड़ने से बचाया । सोवियत मंच ने न केवल मर्घ के क्षेत्रों को कम करने का प्रयास किया वरन् पश्चिमी राज्यों के साथ अनेक व्यापारिक, नैतिक तथा राजनीतिक सहत्व के समझौते किए । जिन अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के कारण इन दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव एवं विरोध की स्थिति थी उनको मुनभाने का प्रयास किया गया । बियतनाम, पश्चिम एशिया आदि क्षेत्रों में हुए विकास इसके उदाहरण हैं । सोवियत विचारधारा के वर्तमान विन्दुओं के अनुसार पूंजीवादी राज्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसके विपरीत चीन जैसे साम्यवादी भेदों के मुख्य देशों के साथ सोवियत सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं । इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर साम्यवादी विचारधारा के तीन रूप दिखाई देते हैं—चीन का मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी दृष्टिकोण, सोवियत मंच का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देने वाला

दृष्टिकोण तथा युगोस्लाविया जैसे राज्यों का गुट-निरपेक्षवादी दृष्टिकोण। सोवियत विचारधारा में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की परिधियों की परिभाषा भी राष्ट्रीय स्वार्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों के अनुसार कर ली जाती है।

स्पष्ट है कि सोवियत विदेश नीति पर 1917 की बोलशेविक क्रांति के बाद से ही साम्यवादी विचारधारा का निर्णायक प्रभाव रहा है।

ग्रान्द्रोपोव, चेरनेन्को, गार्बोच्योव की नीति और विचारधारा

ब्रेझ्नेव की मृत्यु के बाद 23 नवम्बर, 1982 को यूरी ग्रान्द्रोपोव उनके उत्तराधिकारी बने। ग्रान्द्रोपोव की मृत्यु हो जाने पर नेतृत्व 13 फरवरी, 1984 को चेरनेन्को पर आया। 11 मार्च, 1985 को, चेरनेन्को की मृत्यु हो जाने पर, नेतृत्व गार्बोच्योव के हाथ में आया। ग्रान्द्रोपोव और चेरनेन्को का शासनकाल बहुत ही अल्पावधि का रहा और इस दौरान सोवियत विदेश नीति की विन्तनधारा बही रही जो ब्रेझ्नेव के समय थी। गार्बोच्योव के नेतृत्व में सोवियत संघ का दृष्टिकोण अधिक उदारवादी बन रहा है।

आधुनिक जगत में लेनिनवादी विदेश नीति

(ग्रांड्रेई ए प्रोमिको, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं सोवियत संघ के विदेश मन्त्री)

समाजवादी राज्य की विदेश नीति को सुनबद्ध और क्रियान्वित करने में पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका के सम्बन्ध में लेनिन की प्रस्थापना का परिपालन करते हुए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी केन्द्रीय समिति तथा उसका राजनीतिक ब्यूरो निरन्तर विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं को निरूपित करते रहते हैं। वे विश्व में शक्तियों की पक्षिबद्धता तथा विश्व के विकास की मुख्य धाराओं और सम्भावनाओं को निर्धारित करने वाले नियमों और हेतुओं को पूरी तरह दृष्टि में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के गहन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्लेषण के आधार पर सोवियत संघ की विदेश नीति को सुनबद्ध और निर्देशित करते हैं। इसमें बहुत श्रेय लियोनिद ब्रेझ्नेव को जाता है जो हमारे युग के एक असाधारण राजनेता और राजनीतिक नेता हैं, जो अपनी शक्ति और व्यापक बहुमुखी गतिविधियों के कारण सोवियत जनता का गहन सम्मान और आभार प्राप्त कर चुके हैं और उच्च अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार रखते हैं।

सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की 1976 में आयोजित 25वीं कांग्रेस ने शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जो पार्टी की 24वीं कांग्रेस द्वारा सूचित विदेश नीति कार्यक्रम की अगली बड़ी और मृजनात्मक विषय था। इसमें अचरज की बात नहीं कि दोनों कार्यक्रम शान्ति कार्यक्रम के

रूप में सर्वत्र विख्यात हो गए हैं। वे सोवियत विदेश नीति का सक्षिप्त सारांश हैं जो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के यथार्थवादी समाधान प्रस्तावित करते हैं, वे मेहनतकशों के वर्ग हितों, सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं और विश्व की आबादी के विशाल बहुमत की आकांक्षाओं के धनुरूप हैं।

पार्टी की 25वीं कांग्रेस ने विदेश नीति के क्षेत्र में हथियारों की होड़ रोकने और निरस्त्रीकरण को क्रियान्वित करने, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवहार में बल प्रयोग न करने की नीति को प्रतिष्ठित करने तथा शान्तिप्रिय राज्यों के प्रयत्नों को विश्व के विविध क्षेत्रों में, और खासतौर पर एशिया में युद्ध के पोषक ठिकानों को समाप्त करने और शान्ति सुनिश्चित करने की दिशा में केन्द्रित करने की आवश्यकता पर विशेष महत्त्व दिया।

कांग्रेस के प्रस्तावों में तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया के विस्तृत और गहन किए जाने और राज्यों के बीच सहयोग के क्षेत्र में इसे व्यवहार में केन्द्रित की जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था।

कांग्रेस ने निर्णय किया कि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों में एक है औपनिवेशिक उत्पीड़न के समस्त अवशेषों को समाप्त करना, नस्लवाद के अन्तिम अवशेषों को नष्ट करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से ऐसी हर चीज का सफाया कर देना जो राष्ट्रों की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता को क्षति पहुँचाती हो। कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव, असमानता, शोषण और फरमानशाही समाप्त करने तथा विश्व की आर्थिक सम्बन्धों की वर्तमान प्रणाली को न्यायपूर्ण और जनवादी आधार पर नए रूप में ढालने का कर्तव्य भी प्रस्तुत किया।

सोवियत सभ कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने विरादराना पार्टियों और समाजवादी देशों के साथ मिलकर 25वीं कांग्रेस के विदेश नीति कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए आठवें दशक के पूरे उत्तरार्द्ध में बहुत अधिक परिमाण में कठोर परिश्रम किया है। इस परिश्रम के फलस्वरूप तनाव-शैथिल्य, शान्ति तथा क्रान्तिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के प्रति समर्थन को आगे बढ़ाने में ठोस प्रगति की गई।

इस कार्यक्रम को अमल में लाने का काम जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में किया गया, जो आठवें दशक के उत्तरार्द्ध में खास तौर पर और भी बिगड़ गई। यह सबसे आक्रामक साम्राज्यवादी शक्तियों और समग्र रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद की गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम था। उन्होंने तनाव शैथिल्य की नीति, समाजवाद की स्थितियों के मुड़ोकर तथा शान्ति के लिए सधर्म और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के विकास के विरोध में हथियारों की होड़ तेज करने, अन्य देशों के मामलों में दखलदाजी करने और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में तेजी लाने की नीति प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये विश्व के विकास की वस्तुगत प्रगति को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

खास तौर पर नाटो द्वारा इस शताब्दी के लगभग अन्त तक हर साल अपने सदस्य देशों का सैनिक खर्च बढ़ाते जाने तथा पश्चिमी यूरोप में मध्यम भार के नए अमेरिकी नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती करने के लिए किए गए फंडसले से साम्राज्यवादी नीति उजागर हो गई है। ये निर्णय नि सन्देह इस बात के प्रमाण हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ, खास तौर पर अमेरिका, दोनों विरोधी सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों के बीच सैनिक रणनीतिक सन्तुलन को अपने हक में बदलने को लालायित हैं। 'संमित नाभिकीय युद्ध' की नई अमेरिकी रणनीति के साथ भी यही बात लागू होती है।

साम्राज्यवादी शक्तियों ने कथित सोवियत छतरे के अनगुल प्रचार को हवा देकर उसे धोखे की टट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हुए मध्य और निकट पूर्व, फारस की खाड़ी, हिन्द महासागर, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य अमेरिका में स्थित राज्यों के आन्तरिक मामलों में अपनी खुल्लमखुल्ला दखलदाजी में तेजी लाना शुरू कर दिया है। कॅम्प डेविड का अरब-विरोधी सौदा जो शान्ति के विरुद्ध जाता है, अफगानिस्तान के विरुद्ध निरन्तर भडकावे की कार्यवाहियाँ तथा ईरान के विरुद्ध जोर-दबाव और बल-प्रयोग की धमकियाँ इस नीति के सबसे ज्वलत उदाहरण हैं।

वाशिंगटन ने विश्व के कई प्रदेशों को अमेरिका के 'महत्वपूर्ण हितों' वाले क्षेत्र घोषित कर दिया, अपने सैनिक अड्डों को तेजी के साथ और भी पुस्तु करना और इन प्रदेशों और उनसे लगे क्षेत्रों में अपने सैनिक प्रतिष्ठानों के लिए नए ठिकाने खोजना शुरू कर दिया, ईरान के तट पर नौसैनिक बेड़ा भेज दिया तथा लड़खड़ाते जन-विरोधी शासनो को अवलम्ब प्रदान करने, स्वाधीन राज्यों को डराने धमकाने की और लोभी साम्राज्यवादी इजारेदारियों की हित रक्षा के लिए 'सत्वर तैनाती मंत्र्य दल' का निर्माण कर लिया।

साम्राज्यवादी और चीनी प्रभुत्ववाद के बीच मेल-मिलाप, शान्ति और राष्ट्रों को स्वतन्त्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा उपस्थित करता है। साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर बीजिंग नेतृत्व अपनी महाशक्तिवादी और अन्ध राष्ट्रवादी योजनाओं को अमल में लाने का प्रयत्न कर रहा है। पड़ोसी देशों और खास तौर पर इण्डोचीन के विरुद्ध उसकी भडकावे की कार्यवाहियाँ तथा विद्यतनाम ममाजवादी जनतन्त्र पर उसका शर्मनाक आक्रमण इसके प्रमाण हैं। बीजिंग की विस्तारवादी नीति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के मुख्य स्रोतों में एक है। इस नीति से प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद और साम्राज्यवाद में चश्मपोशी की छाप मिटाने की सारी कोशिशें व्यर्थ हैं।

बिरादराना ममाजवादी देश साम्राज्यवाद और बीजिंग के प्रभुत्ववाद की भडकावे की कार्यवाहियों का प्रतिरोध करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर अपना सक्रिय विदेश नीति का अनुसरण करते जा रहे हैं। इस व्यापक और जटिल कार्य के क्रम में वे हमेशा शान्ति मन्त्रियों रचनात्मक पहलपदमियाँ करते रहे हैं जो

उनके समुक्त दस्तावेजों में, खास तौर पर बारसा सन्धि की राजनीतिक सलाहकार समिति के निर्णयों में सूत्रित किए गए हैं ।

इसका एक और प्रमाण था मई, 1980 में पोलिश राजधानी में हुए अपने अधिवेशन में बारसा सन्धि राजनीतिक सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई घोषणा और वक्तव्य जिनमें तनाव को खत्म करने, अन्तर्राष्ट्रीय मर्च पर प्रतिकूल घटनाक्रम को रोकने और तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को मुखिर बनाने और फिर से बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यापक प्रस्ताव सम्मिलित थे ।

युद्ध का खतरा कम करने के लिए कुछ खास फौरी उपायों के सम्बन्ध में शीर्षक सोवियत प्रस्ताव भी इसी उद्देश्य की सिद्धि करता है, जिसे मयुक्त राष्ट्र महासभा के 35वें अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था ।

सोवियत सभ ने समुक्त राष्ट्र महासभा के उस अधिवेशन में शान्ति, निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सघर्ष के विविध मोर्चों पर स्थिति का विश्लेषण करते हुए तथा इस सघर्ष में प्रगति को सुनिश्चित बनाने के व्यावहारिक तौर-तरीकों की रूपरेखा पेश करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था ।

समुक्त राष्ट्र महासभा के 35वें अधिवेशन में रखे गए सोवियत प्रस्तावों का महत्त्व और फौरी आवश्यकता की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि अधिवेशन ने उस पर विचार-विमर्श किया और उसे स्वीकृत किया । विश्व में उनका व्यापक रूप में प्रकाशन हुआ ।

यह सच है कि सोवियत सभ स्वयं अपनी सुरक्षा और अपने बन्धुओं और मित्रों की सुरक्षा की हिफाजत के लिए हर प्रयास कर रहा है । लियोनिद ब्रेझ्नेव ने बार-बार जोर देकर कहा है कि ऐसा करने में सोवियत सभ हमेशा प्रतिरक्षा के विचारों से निर्दिष्ट होता है । उसने कभी सैनिक बरिष्ठता हासिल करने का प्रयास नहीं किया । साथ ही हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि सोवियत सभ और अन्य समाजवादी देश किसी को भी समाजवाद और पूंजीवाद के बीच वर्तमान सैनिक सन्तुलन को अस्त-व्यस्त करने की इजाजत नहीं देंगे ।

हमारा देश समान सुरक्षा के विद्वान्त का कड़ाई से पालन करते हुए विश्व में सैनिक मुठभेड़ की स्थिति के स्तर को नीचे लाने के लिए अविरल रूप में कार्य कर रहा है ।

यहाँ सामरिक तथा आक्रामक अस्त्रों के परिशीमन के सम्बन्ध में सोवियत-अमेरिका सन्धि (साल्ट-2) के हस्ताक्षरित किए जाने जैसे महत्त्वपूर्ण कदम की चर्चा करना भी आवश्यक है । यह सन्धि सबसे विनाशकारी और महँगे किस्म के अस्त्रों की ज्युरेवन्दी के समने में एक कारगर अवरोध बन सकती है । इस सन्धि के अभी तक क्रियान्वित न किए जाने की मारी जिम्मेदारी अमेरिकी पक्ष पर है । जहाँ तक सोवियत सभ का सम्बन्ध है, उमने बार-बार दुहराया है कि वह साल्ट-2 सन्धि की सम्पुष्टि करने और इसके मभी प्रावधानों का निर्वाह करने को तत्पर है ।

यूरोप में रणनीतिक अस्त्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में सोवियत सघ की पहल पर आरम्भ की गई सोवियत-अमेरिकी वार्ता निश्चय ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की सकारात्मक घटनाओं में से एक है।

सोवियत सघ राज्यों की सामरिक शक्ति को सीमित और बाद में कम करने की आवश्यकता के प्रति भली-भाँति सजग है।

सोवियत सघ इस बात के हक में है कि नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण का नावर्धनीय और पूर्ण निषेध करने, विकिरणास्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने, रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाने और उनके भण्डार नष्ट करने, उन गैर-नाभिकीय राज्यों के खिलाफ जिनके भू-भाग पर नाभिकीय अस्त्र नहीं है, नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग न करने, तथा जिन राज्यों में नाभिकीय अस्त्र अभी तक नहीं है उनके भू-भाग पर उनकी तैनाती न करने के सम्बन्ध में वर्तमान वार्ताएँ शीघ्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हों।

सोवियत सघ का यह भी प्रस्ताव है कि बल का प्रयोग न करने, नाभिकीय अस्त्रों का उत्पादन बन्द करने और उनके भण्डारों में तब तक क्रमिक रूप में कटौती करते जावे जब तक कि वे पूरी तरह नष्ट न हो जाएँ, सामूहिक विनाश के अस्त्रों की नई किस्मों और नई प्रणालियों के विकास पर रोक लगाने, राज्यों के और सबसे पहले बड़ी शक्तियों के सैनिक वजह में कटौती करने आदि के सम्बन्ध में एक विश्व सन्धि सम्पन्न करने के लिए अविलम्ब वार्ता आरम्भ की जाए।

एक ऐसा विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने का सोवियत प्रस्ताव भी सर्वथा उचित है जिसके निर्णयों का सभी राज्यों के लिए पालन करना अनिवार्य हो। यह निःसन्देह वास्तविक निरस्त्रीकरण की दिशा में सफलतापूर्वक मोड़ लाने में सहायक होगा।

हमारा विश्वास है कि वह दिन निश्चय ही आएगा जब विश्व में सचित आधुनिकतम हथियारों के विराट भण्डारों की भारी भरकम और तेज धार वाली तलवार, वह तलवार जो खतरनाक ढंग से मानव जाति पर लटक रही है, तोड़ डाली जाएगी।

'वी. जिस्कार द' एस्तां और एच शिमड्ट के साथ लियोनिद ब्रेझ्नेव की मुलावातें फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के साथ सोवियत सघ के परस्पर लाभकारी द्वि-पक्षीय सहयोग की दृष्टि से तथा यूरोप में और विश्व के दृश्यपटल पर विद्यमान स्थिति की नकारात्मक घटनाओं के निवारण के लिए प्रयत्नों की सामबन्धी वी दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

सोवियत-अमेरिकी सम्बन्धों को जर्जर करने में विश्व में तनाव बढाने के उद्देश्य से चली जाने वाली वाशिंगटन वी चानों का उचित जवाब देते हुए सोवियत सघ अमेरिका के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने और मुधारने के लिए तत्परता व्यक्त करता है जो दोनों देशों के जनगण और सार्वभौम शान्ति के हित में है।

अमेरिका में कुछ लोग, या ज्यादा सही होगा यह कहना कि अमेरिकी विदेश नीति को निर्धारित करने वाली में कुछ लोग, हाल में इस प्रस्थापना का बहुत

मुक्तहस्त होकर उपयोग करने लगे है कि किसी विशिष्ट मसले पर विचार करते समय अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की अन्य समस्याओं और घटनाओं से, खास तौर पर सोवियत सघ की कार्यवाहियों से, उसके अन्तःसम्बन्ध को अवश्य मद्देजर रखा जाना चाहिए।

आम तौर पर देखा जाए तो शायद ही कोई इस बात से इन्कार करेगा कि विश्व में और यहाँ तक कि ब्रह्माण्ड में भी हर चीज अन्तःसम्बद्ध होती है।

यह सर्वविदित है कि ऐसी स्थिति का कभी अस्तित्व नहीं रहा जिसमें सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सभी राज्यों की राय समान रही हो। मानव-जाति के सम्पूर्ण इतिहास में ऐसे मसले अस्तित्व में रहते आए हैं जो राज्यों के बीच अन्तर्विरोध, विवाद और टकराव का कारण बनते रहे हैं।

अन्तः जीवन, स्वतः किसी विशिष्ट समस्या के समाधान को अन्य मसलों के निपटारे पर प्रत्यक्षत आश्रित मानने की दिवालिया अवधारणा के विरुद्ध है। इसके ठीक विपरीत अवधारणा, अर्थात् यह विचार कि विशिष्ट समस्या खास तौर पर महत्वपूर्ण समस्या का समाधान अन्य मसलों के निबटारे को सुगम बना सकता है, सर्वथा सही है। उदाहरण के लिए क्या साल्ट-1 समझौते के सम्पन्न होने पर विश्व में शान्तिदायी हवा नहीं बहने लगी थी और लोगों ने राहत की सांस नहीं ली थी? क्या उसके बाद खास तौर से यूरोपीय सम्मेलन में, सकारात्मक नतीजे नहीं हासिल किए गए?

हम इसी अवधारणा के आधार पर अग्रसर होते रहे हैं और आज भी होते हैं क्योंकि यथार्थ में चीजे इसी तरह घटित होती हैं।

सोवियत सघ पृथक् कैंप डेविड समझौते के विरुद्ध अरब देशों के सघर्ष का सुसंगत रूप में समर्थन करता है क्योंकि यह उनके पीछे धीरे धीरे किया गया था और उनके न्यायसंगत हितों के प्रतिकूल है। यह बात बिल्कुल आरम्भ से ही काफी स्पष्ट थी कि इसके आधार पर मध्यपूर्व समस्या को हल कर सकना असम्भव है।

मध्यपूर्व के फँसले को निबटाने और इसी कारण उस क्षेत्र में भरोसेमन्द शान्ति की पक्की व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य तत्त्वों पर आधारित समझौते पर पहुँचा जाए। ये मुख्य तत्त्व हैं—1967 में अधिकृत सम्पूर्ण अरब भूखण्डों से इजरायली सैनिक वापस जाएँ, फिलिस्तीनी अरबों के जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा की जाएँ जिनमें राज्यत्व का उनका अधिकार भी शामिल है, तथा शान्ति की स्थितियों में इजरायल समेत उस क्षेत्र के सभी देशों के स्वतन्त्र अस्तित्व और विकास के अधिकारों की गारण्टी की जाए।

हमारा देश पड़ोसी अफगानिस्तान की जनता को अप्रैल क्रान्ति की उपलब्धियों को बरकरार रखने और अपने राज्य की सम्प्रभुता की रक्षा करने में अपने आन्तरिक मामलों में वाशिंगटन और बीजिंग द्वारा प्रोत्साहित और सगठित मर्यादित हस्तक्षेप को, बाहर से अफगान भूभाग में सैनिक घुसपैठ को समाप्त करने के

उसके प्रयत्नों में आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। अफगान सरकार के अनुरोध पर स्वीकृत यह सहायता सोवियत सघ और अफगानिस्तान जनवादी जनतन्त्र के बीच हुई 1978 की मंत्री सन्धि तथा सयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के सर्वथा अनुरूप है।

अफगानिस्तान एक गुट-निरपेक्ष राज्य है और उसे निश्चित रूप में गुट-निरपेक्ष बने रहना चाहिए। उससे सम्बद्ध स्थिति के समाधान का सही रास्ता सोवियत सघ की दृष्टि में 14 मई, 1980 को अफगानिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राजनीतिक कार्यक्रम में निहित है। सचमुच शान्ति समाधान चाहने वाले देशों को अफगानिस्तान सरकार के साथ उचित सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

सबसे पहले तो यह बात पाकिस्तान के साथ लागू होती है, बशर्ते वह, जैसा कि उसका नेतृत्व विश्व समुदाय को आश्वासन देता है, सचमुच अफगानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी जैसे सम्बन्ध रखना और इस क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाना चाहता है। निश्चय ही अफगानिस्तान के गिरे उत्पन्न स्थिति के बाह्य पहलू ही बहम का विषय बन सकते हैं, आन्तरिक प्रश्न कतई नहीं, जो कि सर्वथा और पूर्णतः उसकी जनता और उसकी सरकार से प्राधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

अफगानिस्तान जनवादी जनतन्त्र से सोवियत सैनिक दस्ते की वापसी का प्रश्न भी तत्सम्बद्ध समझौते के सम्पन्न हो लेने के बाद हो सकता है। यह विदित है कि इस दस्ते का एक हिस्सा अभी हाल ही में अफगानिस्तान में स्थिति के सामान्य होने की प्रक्रिया के सिलसिले में सोवियत सघ के क्षेत्र में वापस भेज दिया गया था।

यहाँ कोई भी उन लोगों की नीति में विरोधाभासमूलक अंतर्विरोध की ओर इंगित करने को बाध्य हो जाता है जो अफगानिस्तान के विरुद्ध बाहर से दखलदाजी को तो बड़ावा देते हैं लेकिन अफगानिस्तान जनवादी जनतन्त्र से सोवियत दस्ते की वापसी के बारे में सबसे ज्यादा चील-पुकार मचाते हैं। मूलतः उनकी करनी ने यही लगता है कि वे नहीं चाहते कि सोवियत दस्ता वापस लौट जाए।

ईराक और ईरान के बीच जो सघर्ष भड़क उठा है हमारा देश बाहर से बिना किसी हस्तक्षेप के उसके यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र हल का समर्थन है। इसके लम्बा खिंचते जाने से इन्हीं देशों को नए विनाश और कुर्बानियाँ भेलनी पड़ती हैं और वे साम्राज्यवादी राजनीति की चक्की के पाटों के बीच भोक दिए जाते हैं।

साम्राज्यवादी नीति की वर्तमान दिशा हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित अनेक देशों की स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा पैदा करती है। यहाँ खासतौर पर इतना ही कहना काफी होगा कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों का एक जवईस्त बेडा ईरानी तटों के समीप घूम-फिर रहा है। सोवियत सघ हिन्द महासागर में अमेरिका की युद्धप्रिय योजनाओं के समाप्त किए जाने की इतनापूर्वक माँग करते हुए नटवर्नी देशों के इस विचार का समर्थन करता है कि इस महासागर को शान्ति क्षेत्र में बदला जाए, तथा यह इसमें दिनचरपी रखने वाले तमाम राज्यों

के साथ इसकी चरितार्थता के लिए सहयोग करने की तत्पर है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्द महासागर उसके किनारे स्थित देशों के महत्वपूर्ण हितों का क्षेत्र था और बना हुआ है, अन्य किसी राज्य के हितों का नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हितों से निःदिष्ट होते हुए समाजवादी समुदाय ने मई, 1980 में यह सुझाव दिया था कि राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में, चाहे वह अटलांटिक हो, या हिन्द या प्रशान्त महासागर, या भूमध्य सागर या फारस की खाड़ी हो, सैनिक उपस्थिति और सैनिक गतिविधि को परिसीमित करने और कम करने पर विचार शुरू कर देना चाहिए।

दुनिया उन लोगों की अनर्गल अटकलवाजियों से लम्बे अर्से से ऊब चुकी है जो सोवियत सघ की सीमा से—और अब कुछ समय से अफगानिस्तान की सीमा से भी—फारस की खाड़ी की दूरी को परकार से नापते हैं और बनावटी भय के साथ अनुमान लगाते हैं कि सोवियत प्रक्षेपास्त्रों, विमानों और टैंकों को इस खाड़ी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, साथ ही यह दावा भी करते हैं कि हमारा देश अन्य जनगण के तेल स्रोतों के लिए धावा बोलने वाला है और रास्ता बनाते हुए 'गर्म सागरों' तक पहुँचने ही वाला है।

फारस को खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो अब अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का अधिकाधिक खतरनाक स्थान बनता जा रहा है। वहाँ के देशों के मामलों में आक्रमण और फरमानशाही के साम्राज्यवादी सिद्धान्त के जवाब में तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र सोवियत सीमा के नजदीक स्थित है, सोवियत सघ ने पिछले माल के अन्त में यह प्रस्ताव रखा कि—

1. फारस की खाड़ी क्षेत्र में और उससे लगे द्वीपों पर कोई विदेशी सैनिक अड्डा न कायम किया जाए तथा वहाँ नाभिकीय अस्त्र या सामूहिक विनाश के कोई अन्य हथियार न रक्षे जाएँ,

2. फारस की खाड़ी के देशों के विरुद्ध बल प्रयोग न किया जाए या बल प्रयोग की धमकी न दी जाए तथा उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए,

3. फारस की खाड़ी के राज्यों द्वारा चुनी गुटनिरपेक्षता की हैसियत का सम्मान किया जाए तथा उन्हें ऐसे सैनिक जत्थे बन्दियों में घसीटने का कोई प्रयत्न न किया जाए जिनमें नाभिकीय शक्तियाँ सम्मिलित हों,

4. अपने प्राकृतिक समाधनों पर इस क्षेत्र के राज्यों के सम्प्रभु-अधिकार का सम्मान किया जाए,

5. सामान्य व्यापार अथवा इस प्रदेश को विश्व के अन्य देशों से जोड़ने वाले मार्गों संचार के उपयोग के रास्ते में कोई बाधा या कोई खतरा न उत्पन्न किया जाए।

इस सम्बन्ध में समझौते पर पहुँचने के विषय में लियोनिद ब्रॉम्नेव ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में जो सोवियत पहलकदमी

पेश की, वह अमेरिका, अन्य पश्चिमी शक्तियों, चीन, जापान और इसमें हथि दिखाने वाले तमाम राज्यों को सम्बोधित है। जाहिर है, उस प्रदेश के राज्यों को इसमें पूर्ण भागीदार होना चाहिए। ऐसा समझौता उनके महत्त्वपूर्ण हितों की पूर्ति करेगा तथा इन देशों के सम्प्रभु अधिकारों की ओर उनकी सुरक्षा की विश्वसनीय गारण्टी सिद्ध होगा।

रक्तपिपासु, बीजिंगपरस्त गुट के शासन से कम्पूचियाई जनता की मुक्ति में, तथा वियतनाम समाजवादी जनतन्त्र के विरुद्ध बीजिंग द्वारा किए गए आक्रमण को सफल मुहत्तोड जवाब में दिया गया उसे मुनिश्चित बनाने में एक निर्णायक उपादान था विरादराना देशों का कारगर समर्थन।

सोवियत सघ बीजिंग की विस्तारवादी प्रवृत्तियों तथा सोवियत विरोध से भरी हुई उसकी रणनीति की आक्रामक प्रकृति का मुसगत विरोध करने के साथ-साथ यह आवश्यक समझता है कि सोवियत-चीन अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्तों के आधार पर सामान्य बनाए जाएँ और वह इस दिशा में अपने हिस्से की दूरी तक आगे बढ़ने को तैयार है।



सोवियत विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति, साम्यवादी दल की भूमिका

(Formation, Administration and Execution
of Russian Foreign Policy, Role of the
Communist Party)

प्रभावक तत्त्व

(The Influential Elements)

प्रत्येक देश की विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति पर अनेक बातों का मिलाजुला प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सम्बन्धित देश का राष्ट्रीय हित, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन, उन देश की विचारधारागत प्राथमिकताएँ, राष्ट्रीय राजनीति, सस्थागत रूप रचना, विदेश मन्त्रालय प्रथवा अन्य निर्णायक अभिवरण, विदेश नीति के निर्णायकों एवं प्रशासकों के व्यक्तित्व का प्रभाव आदि। सोवियत विदेश नीति भी अपनी रचना प्रशासन एवं कार्यान्विति के स्तरों पर इन सभी तत्त्वों से निर्णायक रूप से प्रभावित होती रही है। सोवियत विदेश नीति पर साम्यवादी विचारधारा एवं लेनिनवादी-भावसंबादी दृष्टिकोण के अतिरिक्त पामर तथा परकिन्स ने चार अन्य प्रभावों का उल्लेख किया है—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वर्तमान संरचना, घरेलू परिस्थितियाँ, व्यक्तित्व एवं सरकार की संरचना।¹

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वर्तमान संरचना—जब सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो इस सरकार ने अपने प्रारम्भिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के उन नियमों को मानने से इन्कार कर दिया जो पूँजीवादी शक्तियों द्वारा स्थापित किए गए थे। अपने इस दृष्टिकोण को सोवियत नेताओं ने अपने व्यवहार द्वारा प्रमाणित किया। उन्होंने जारशाही शासन के राष्ट्रीय ऋणों को चुकाने से मना कर दिया, उस शासन द्वारा की गई गुप्त सन्धियों को प्रकाशित कर दिया गया तथा अन्य देशों की सरकारों के अध्यक्षों की अन्वेषण करते हुए उन देशों की जनता को अपील की। किन्तु यह दृष्टिकोण अधिक समय तक नहीं चल सका क्योंकि सोवियत संघ को अन्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनेक

1 *N D Palmer and Howard C Perkins . International Relations, 2nd ed. 1965, Calcutta, p. 652.*

प्रकार में सम्बन्ध रखने पड़े। वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी देश अपने आपको अलग-थलग रखकर अस्तिन्व बनाए नहीं रख सकता। सोवियत संघ को भी अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से अपने सिद्धान्तों में सामञ्जस्य करना पड़ा। वॉरिंग्टन मूर ने लिखा है कि "सोवियत नीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की उस मरचना के साथ निरन्तर समायोजन की विशेषता से पूर्ण रही है जिसे मिटा कर सोवियत मघ इसके स्थान पर नवीन कितान राज्यों के विश्व समुदाय की स्थापना करने में असमर्थ रहा था।"¹ पामर तथा परकिन्स के शब्दों में "इस प्रकार सोवियत नेता विश्व राजनीति के सन्देहशील, अभिसूचिहीन तथा गैर-अनुभवी सहभागी रहे हैं फिर भी उनको सन्धियाँ, सामूहिक सुरक्षा के प्रयास, हस्तक्षेप, शक्ति-मन्तुलन के कार्य तथा पाश्चात्य राजनय के अन्य मापक तरीके अपनाते वी बाध्य होना पड़ा था।"² स्पष्ट है कि प्रारम्भ में विश्व राजनीति के स्थापित मूल्यों एवं व्यवहारों के प्रति विरोधाभाव रखते हुए भी बाद में क्रमशः सोवियत संघ को इन्हे स्वीकार करना पड़ा। आज यह विश्व राजनीति का प्रमुख खिलाड़ी है। उसके विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों पर विश्व के साम्यवादी राज्यों, गैर-साम्यवादी महाशक्तियों, एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों के दृष्टिकोण तथा मान्य सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ता है, यह अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं, कानूनों एवं नैतिकताओं से प्रभावित होती है, विश्व जनमत एवं विश्व संगठन इसके व्यवहार को परिसीमित करते हैं।

(ख) घरेलू परिस्थितियाँ—सोवियत संघ की राष्ट्रीय राजनीति साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण एक रूप, मुसगठित तथा अनुशासित है। इस पर सरकार एवं दल का एकीकृत नियन्त्रण रहता है। इतने पर भी यहाँ की विदेश नीति के स्वरूप पर प्रभाव पड़ना है। यही कारण है कि सोवियत सरकार आन्तरिक प्रचार पर इतना अधिक ध्यान देती है ताकि विदेश नीति पर विरोधी प्रभाव डालने वाली प्रक्रियाओं को रोका जा सके। देश में एक प्रभावशाली आर्थिक आधार बनाने के पक्ष में जनमत तैयार किया जाता है ताकि देश को महाशक्ति बनाए रखा जा सके। इसके लिए अनुशासन तथा उच्च मनोबल पर

1 "On the whole Soviet policy has been characterized by a series of adjustments to the existing structure of international relationship, which the U.S.S.R. has been unable to overthrow and replace by a new world community of toilers' states"

—Barrington Moore Soviet Politics—the Dilemma of Power, The Role of Ideas in Social Change, 1950, p. 405

2 Thus the Soviet leaders, through suspicious, reluctant and inexperienced participants in world politics, have resorted to alliances, measures of collective security, intervention, balance of power practices, and other standard techniques of Western diplomacy,"

—N. D. Palmer and H. G. Perkins . op. cit , p. 653.

विशेष जोर दिया जाता है। साम्यवादी दल सोवियत सघ में एकाधिकारी शक्ति रखता है तथा उसके प्रभाव और अधिकारों की दृष्टि से कोई चुनौती नहीं है किन्तु दल के अन्दर नेतृत्व की दौड़ में अनेक बार मनमुटाव तथा सघर्ष पैदा हो जाते हैं। ये आन्तरिक सघर्ष यहाँ की विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति को प्रभावित करते हैं। समय-समय पर सोवियत सघ द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ तय की जाती हैं तथा आन्तरिक प्रशासन की दृष्टि से अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये सब देश की विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव रखते हैं। पामर तथा परकिन्स ने यहाँ के उन महत्त्वपूर्ण आन्तरिक विकासों का उल्लेख किया है जिनकी अवहेलना करते हुए सोवियत विदेश नीति के ध्ववहार को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, ये हैं—1921-28 की नवीन आर्थिक नीति, स्टालिन तथा ट्रॉट्स्की का सघर्ष, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि का सामूहिकरण, 1936-38 के राजनीतिक शुद्धिकरण, युद्धोत्तरकाल में सांस्कृतिक शुद्धिकरण, समय-समय पर आर्थिक संकट, बाद वाले नेताओं द्वारा स्टालिन की अवमानना आदि। इन सभी तथा इसी प्रकार की अन्य घटनाओं एवं विक्रमों ने सोवियत विदेश नीति पर निर्णायक प्रभाव डाला है।

(ग) व्यक्तियों का प्रभाव—यद्यपि साम्यवादी विचारधारा व्यक्ति की अपेक्षा समूह को महत्त्व देती है तथा व्यक्ति को एक समूह के सदस्य के रूप में ही महत्त्वपूर्ण मानती है किन्तु फिर भी सोवियत विदेश नीति के स्वरूप निर्धारण में व्यक्तियों का प्रभाव विशेष रहा है। सोवियत सघ में साम्यवाद के मूला लेनिन का व्यक्तित्व एक विचार यहाँ की विदेश नीति पर छाए हुए है। लेनिन के विचारों ने सोवियत विदेश नीति को मूल्य दिए, आस्थाएँ दी, मित्र और शत्रु पहचानने का मापदण्ड दिया, कार्य के लिए आदर्श दिया तथा अपने पक्ष को अतिशाली मुस्थापित पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना में सशक्त एवं उचित सिद्ध करने का आधार दिया। लेनिन के बाद स्टालिन अपने सत्ताकाल तक सोवियत विदेश नीति पर छाया रहा। जिन नेताओं ने उसके विचारों के साथ असहमति प्रकट की उनको उसने या तो देश से निकाल दिया अथवा शुद्धिकरण के नाम पर परलोक भिजवा दिया। स्टालिन के बाद नेतृत्व की प्रवृत्तियाँ बदली और तदनुरूप ही सोवियत विदेश नीति में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आ गए। ख्रुश्चेव के समय यहाँ की विदेश नीति ने पुराने मिद्धान्ती को नए परिवेश में पुनर्व्याख्या करके अपना प्रारम्भ किया तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, पश्चिम के साथ सम्पर्क की वृद्धि, एशिया तथा अफ्रीका के राज्यों के साथ सम्बन्धों का विस्तार, गुटनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि सोवियत विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य बन गए। विभिन्न निर्णायक स्तरों पर जब धीरे-धीरे नया नेतृत्व उभरने लगा तथा युवकों का प्रभाव बढ़ा तो सोवियत कूटनीति में भी नए दृष्टिकोण पर जोर दिया जाने लगा। सोवियत व्यवस्था में ऊपर से तो सब कुछ शान्त लगता है किन्तु गहराई में व्यक्तियों के बीच भयानक सघर्ष रहता है। यह

सपने जैसा कि थियोडोर ह्लाइट ने लिखा है, कभी-कभी ऊपर उठे बुलबुलों से आभासित होता है।¹

(घ) सरकार की संरचना—सोवियत सभ में दल सर्वोच्च है तथा दलीय संगठन ही सरकार की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्देशन करता है। स्टालिन का कहना था कि पॉलिट ब्यूरो (Politburo) न केवल राज्य की वरन् दल की भी सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है। वास्तविक व्यवहार में भी यह सच था कि पॉलिट ब्यूरो ही साम्यवादी सत्ता का केन्द्र तथा सोवियत शक्ति का मूल आधार था। अक्टूबर, 1952 में पॉलिट ब्यूरो तथा ग्रॉगंब्यूरो (Orgburo) का स्थान प्रेनीडियम ने ले लिया तथा अब यह आन्तरिक दलीय मामलों का नियन्त्रण करती है। प्रेनीडियम ही सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय लेती है। इसके निर्णयों को कहीं कोई चुनौती नहीं दे सकता किन्तु ये निर्णय गुप्त दलीय बैठकों में लिए जाते हैं जहाँ बड़े नेता परस्पर सघर्षरत रहते हैं। इस प्रकार सारी शक्तियाँ दल एवं दलीय अभिकरणों के हाथों में केन्द्रित हो जाती हैं। विदेश नीति के निर्णय-निर्माण, प्रशासन एवं कार्यान्विति का दायित्व दल द्वारा ही निभाया जाता है।

विदेश नीति की रचना एवं प्रशासन तथा दल की भूमिका (The Formation and Administration of Foreign Policy, Role of the Party)

सोवियत सभ में विदेश नीति की रचना एवं प्रशासन की प्रक्रिया पर वहाँ की राजनीतिक सस्कृति का व्यापक प्रभाव रहता है। यहाँ की सर्वाधिकारवादी साम्यवादी व्यवस्था में जो विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं वे बताए नहीं जाते तथा जिनका वास्तव में प्रचार किया जाता है वे लिए नहीं जाते। यहाँ की विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया पर सांविधानिक व्यवस्था एवं सरकार की औपचारिक सत्थाओं का प्रभाव पारचाय्य देशों की अपेक्षा कम रहता है। इससे भिन्न यहाँ की विदेश नीति का स्रोत एवं उसे कार्यान्वित करने की शक्ति साम्यवाद दल की तानाजही में है। सोवियत सचिवालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रशासित करने की सामान्य प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को सौंपा गया अर्थात् गणराज्यों को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे इच्छानुसार सभ छोड़ सकते हैं तथा विदेशों से स्वयं सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रावधान के आधार पर सोवियत सभ ने प्रारम्भ में यह प्रयास किया था कि उसके इन सभी

1 "Of all these areas which Russian secrecy guards, none is more jealously sheltered than the inner area of decision making where personalities, ambitions, rivalries and emotions clash.like subterranean mousturs Russia's masters grapple with each other in the deep, beyond the range of sight and only in occasional striking bubble breaking to the surface tell us, that a struggle is going on at all."

गणराज्यों को मधुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया जाए। किन्तु यह स्वतन्त्रता केवल दिखावटी है तथा वास्तविक तथ्य यह है कि मास्को स्थित केन्द्र सरकार ही विदेश नीति के समस्त पहलुओं का नियन्त्रण करती है। केन्द्रीय स्तर पर दलीय संगठन तथा सरकारी अभिकरण दोनों ही निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

(क) दलीय संगठन का योगदान

सोवियत संघ में साम्यवादी दल में सत्ता का वास्तविक केन्द्रीयकरण है। स्टालिन का कहना था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र वस्तुतः उसके उस प्रहरी दल का अधिनायकतन्त्र है जो सर्वहारा वर्ग का निर्देशन करने वाली शक्ति है। सोवियत संघ में साम्यवादी दल का संगठन लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद (Democratic Centralism) के आधार पर किया जाता है। फेन्सोड के कथनानुसार, "साम्यवादी दल का संगठन उत्तरोत्तर सैनिक संगठन के समान है जिसमें समस्त नीति सम्बन्धी निर्णय केन्द्रीय कमान से आते हैं और निम्नतर अधिकारियों का कार्य उन निर्णयों तथा आदेशों को कार्यान्वित करना होता है।" दल की समस्त शक्तियाँ इसके पॉलिट ब्यूरो में केन्द्रित रहती हैं। दल की केन्द्रीय समिति दल तथा सरकार का नियन्त्रण और निर्देशन करने में असमर्थ रहती है क्योंकि इसका आकार बड़ा है तथा इसकी बैठकें भी वर्ष में केवल चार बार होती हैं। यद्यपि महत्त्वपूर्ण निर्णय हमेशा ही केन्द्रीय समिति के नाम से लिए जाते हैं किन्तु वास्तव में इस शक्ति का प्रयोग अन्य दलीय श्रमों द्वारा किया जाता है जिनमें पॉलिट ब्यूरो मुख्य है। पॉलिट ब्यूरो अथवा राजनीतिक समिति रॉबर्ट न्यूनमैन के कथनानुसार "पार्टी पिरामिड का वास्तविक शिखर और समस्त शक्तियों तथा निर्णयों का स्रोत है।"¹

स्टालिन ने अपनी मृत्यु से पूर्व पॉलिट ब्यूरो तथा ग्राम्ब्यूरो दोनों को समाप्त करके इनके स्थान पर एक प्रेसीडियम की स्थापना कर दी थी जिसमें 25 सदस्य होते थे। 1966 में कम्युनिस्ट दल की 23वीं कांग्रेस द्वारा प्रेसीडियम को समाप्त करके पुनः पॉलिट ब्यूरो की स्थापना कर दी गई। यह एक छोटी संस्था है। 1952 में इसकी सदस्य संख्या 24 तथा बैकल्पिक सदस्य 12 थे। ख्रुश्चेव के पतन के बाद से नवीन पॉलिट ब्यूरो में 18 सदस्य तथा 8 बैकल्पिक सदस्य होते हैं। इनका प्रधान दल का महानिचय होता है। सिद्धान्त रूप में पॉलिट ब्यूरो का निर्वाचन दल की केन्द्रीय समिति द्वारा होता है तथा उसी के प्रति यह उत्तरदायी है किन्तु वास्तविक व्यवहार में यह स्वयं केन्द्रीय समिति पर नियन्त्रण रखता है। वास्तव में यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दल की प्रतिम नीति का निर्धारण करता है। इसके सभी सदस्य प्रभावशाली होते हैं तथा दल में उनका विशेष प्रभाव एवं समर्थन रहता है। इसकी बैठक गुप्त रूप से की जाती है। निर्णय के समय पर्याप्त दिवार-दिभर्ज

1 "Politbureau is the real top of the party pyramid, the source of all powers and decisions"

किया जाता है किन्तु निर्णय हो जाने के बाद वह सभी पर बाध्यकारी होता है। इसके प्रभाव के बारे में स्टालिन का कहना था कि "पॉलिट ब्यूरो राज्य का नहीं वरन् दल का सर्वोच्च अंग है तथा दल राज्य को निर्देशित करने वाली सर्वोच्च शक्ति है।"¹ पॉलिट ब्यूरो की निर्णय लेने की शक्ति पर सांबंधानिक प्रतिबन्धों, जनता की आलोचनाओं तथा भावी चुनावों के प्रभावों आदि की मर्यादाएँ नहीं रहती। सूचना एवं प्रसारण के साधनों पर सरकारी नियन्त्रण तथा दल की एकाधिकारी प्रकृति के कारण इसके निर्णयों का कहीं भी विरोध नहीं किया जाता। पॉलिट ब्यूरो के सदस्य प्रायः मन्त्रिपरिषद् एवं सर्वोच्च सोवियत के भी सदस्य होते हैं इसलिए इस मस्या का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है।

विदेश नीति सम्बन्धी सभी छोटे-बड़े निर्णय पॉलिट ब्यूरो द्वारा लिए जाते हैं। विदेश मन्त्रालय द्वारा इसे सभी विषयों पर सारी सूचनाएँ नियमित रूप से प्रदान की जाती है। विदेश मन्त्री इसका सदस्य तो नहीं होता किन्तु वास्तविक निर्णय के समय परामर्श हेतु उसे आमन्त्रित किया जाता है। पॉलिट ब्यूरो की व्यापक शक्तियाँ देखते हुए इसकी तुलना ग्रेट ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल में की जाती है। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि इसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है किन्तु यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

दलीय सचिवालय की शक्तियाँ पॉलिट ब्यूरो से कम हैं तथा यह विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय स्थापना में भी कम भाग लेता है। इसका कार्य दलीय मंच को निर्देशित करना तथा सहयोग देना है। यह दल के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का रिकार्ड रखता है तथा उनके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह दल के निर्णयों को सम्बन्धित व्यक्तियों से पालन कराने की व्यवस्था करता है। इस दृष्टि से विदेश नीति के प्रशासन से सचिवालय की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। इसका अध्यक्ष महासचिव कहा जाता है जो कि साम्यवादी दल का निर्विवाद रूप से नेता होता है। हाल ही में (अप्रैल, 1979 में) ल्योनिद ब्रेझ्नेव को दल के महासचिव पद पर पुनः चुन लिया गया था। सचिवालय में 11 सदस्य हैं जो आवश्यकतानुसार घटाये अथवा बढ़ाए जा सकते हैं।

यहाँ के दलीय मगठन में अखिल संघीय कांग्रेस (All Union Congress) सर्वोच्च अंग मानी जाती है। इसकी सदस्य संख्या हजारों में है। दल के विधान के अनुसार यह दल की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यह दल की नीति निर्धारित करती है तथा उच्च कार्यपालिका अंगों द्वारा समय-समय पर जो नीति सम्बन्धी परिवर्तन या मसौदा किए जाते हैं उन सभी की पुष्टि मधोय कांग्रेस द्वारा की जाती है। विदेश नीति की दृष्टि से इसे ये सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसकी एक निर्वाचित कार्यकारिणी समिति होती है जिसे केन्द्रीय समिति कहा जाता है। इसमें

1 "The Politbureau is the highest organ, not of the state but of the party and the party is the highest directing force of the state."
—J. Stalin

195 सदस्य तथा 165 प्रत्याग्नी होते हैं। इसमें विभिन्न हितों एवं रक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। यह समिति दल का महत्त्वपूर्ण अंग है तथा इससे साम्यवादी दल एवं रूस की सरकार के सभी कार्यों का निर्देशन करने की आशा की जाती है। यह अखिल सघीय कांग्रेस के अधिवेशनों के अन्तराल में उनके सभी कार्य सम्पन्न करती है। यह पॉलिट ब्यूरो तथा मन्त्रिवालय की नियुक्ति करती है तथा उन नीतियों पर पुन विचार करती है जो पॉलिट ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह अखिल सघीय कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार जनता, साम्यवादी दल तथा सरकार को आदेश देती रहती है।

(ख) सरकारी अभिकरणों का योगदान

सोवियत विदेश नीति की रचना की दृष्टि में सरकारी अभिकरण दलीय नेतृत्व से कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। कारण यह है कि दल को शक्ति का प्रमुख केन्द्र माना गया है। जो सरकारी अभिकरण विदेश नीति की रचना एवं प्रशासन में योगदान करते हैं उनमें उल्लेखनीय हैं मन्त्रि-परिषद्, सर्वोच्च सोवियत, विदेश मन्त्रालय, सुरक्षा मन्त्रालय, विदेशी आर्थिक मामलों आदि। यहाँ प्रत्येक के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है।

(1) मन्त्रि-परिषद्—यह सोवियत सरकार का प्रमुख कार्यपालिका अंग है। संविधान की धारा 64 के अनुसार सोवियत सघ की मन्त्रिपरिषद् सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ की राज्य की शक्ति का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अंग है। इसके सदस्यों का चुनाव सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में करते हैं। इसमें अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री कहलाता है, कई उपाध्यक्ष, राजकीय योजना आयोग, सोवियत नियन्त्रण आयोग, कला समिति, उच्च शिक्षा समिति और राजकीय बैंक परिषद् के अध्यक्ष तथा 15 सघीय गणराज्यों के मुख्य मन्त्री आदि शामिल हैं। इसकी सदस्य संख्या लगभग 90 है। प्रशासनिक नीति-निर्माण की सुविधा के लिए एक अन्तर मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिमण्डल की प्रेसीडियम जिसमें प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त 11 सदस्य होते हैं, बन जाती है। मन्त्रि-परिषद् विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों का निर्देशन करती है। यह नए राज्यों को मान्यता देने का निर्णय लेती है। इसके द्वारा थल, जल और वायु सैन्य का संगठन किया जाता है और इसकी शक्ति में अपेक्षित वृद्धि की जाती है। इसी का उत्तरदायित्व है कि वह विदेशी राज्यों में सम्बन्ध स्थापित करे और सघ के अन्तर्गत विभिन्न गणराज्य विदेशों में जो सम्बन्ध स्थापित करे, उसे नियन्त्रित और निर्देशित करे। यह बाहरी तथा अन्तरिक मकड़ों से देश की रक्षा करती है। विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करती है। विदेश नीति की रचना प्रक्रिया में इसका महत्त्व अत्यन्त बड़ा जाता है क्योंकि उच्च शिखर के दलीय नेता एवं इसके सदस्य प्रायः महान व्यक्ति होते हैं।

(2) सर्वोच्च सोवियत—सोवियत संविधान की धारा 30 के अनुसार सोवियत सघ में राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग यहाँ की सर्वोच्च सोवियत है। जनता

द्वारा यह द्विसदनीय व्यवस्थापिका निर्राय सिद्धान्ततः सर्वोच्च होते हुए भी नीति-निर्धारण में बहुत कम योगदान कर पाता है। इसमें निम्न सदन में 767 और उच्च सदन में 750 सदस्य होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल 4 वर्ष है। इसकी बैठके वर्ष में दो बार होती है। इसका एक सत्र एक से लेकर तीन सप्ताह तक होता है जिसमें यह मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनो और निर्णयों को सुनती है। बड़े आकार और अधिवेशन काल की कमी के कारण इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रायः प्रेसीडियम द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत यहाँ के विदेश सम्बन्धों को नियमित और नियन्त्रित करने का अधिकार रखती है। यही अन्तिम रूढ़ि से निर्णय लेती है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सोवियत सभ किस सीमा तक भाग ले। युद्ध और शान्ति सम्बन्धों प्रश्नों का निर्णय विदेशों से की गई सन्धियों की स्वीकृति, युद्ध की घोषणा और देश की रक्षा के लिए सेना के संगठन का अधिकार सर्वोच्च सोवियत को प्राप्त है। सशौर गणराज्य द्वारा विदेशी राज्यों से जिस प्रकार अपने सम्बन्धों का संचालन किया जाता है उसकी रूपरेखा सर्वोच्च सोवियत ही बनाती है। यह देश के रक्षा साधनों की व्यवस्था करती है और सशस्त्र सेनाओं का नियन्त्रण और संचालन करती है।

(3) विदेश मन्त्रालय—विदेश नीति की रचना और प्रशासन में विदेश मन्त्रालय का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह विदेश नीति सम्बन्धी सभी निर्णयों को कार्यान्वित करता है। यह साम्यवादी दल के शीर्षस्थ अधिकारियों और राजनयजों की सहायता से कार्य करता है। सोवियत विदेश मन्त्री की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मन्त्रियों से नहीं की जा सकती क्योंकि इन देशों के विदेश मन्त्री आवश्यक रूप से वहाँ के मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। सोवियत सभ के विदेश मन्त्री का पॉलिट ब्यूरो का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उसका सम्मान और शक्तिस्थिति बहुत कुछ दलीय नेतृत्व पर निर्भर करती है। स्टालिन ने बहुत समय तक इस पद पर अपने व्यक्तिगत विश्वासपात्र मोतोतोव को रखा था जो पॉलिट ब्यूरो का सदस्य भी था और कभी-कभी मन्त्रिपरिषद् का प्रथम सभापति भी बन जाता था। इसके बाद आने वाले विशिन्की और ग्रोमिको दोनों ही विदेश मन्त्री पॉलिट ब्यूरो के सदस्य नहीं रहे। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत विदेश नीति में विदेश मन्त्रालय का सम्मान बढ़ गया है और इसकी भेवाएँ पर्याप्त सम्मानजनक बन गई हैं।

(4) सुरक्षा मन्त्रालय—सोवियत विदेश नीति की रचना और प्रशासन की दृष्टि से यह एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णायक इकाई है। यह एक मैनिक सम्भान है जिसमें एक सामान्य स्टाफ और एक मुख्य राजनीतिक निदेशालय होता है जो मजस्र सेनाओं पर दलीय नियन्त्रण रखने वाला मुख्य साधन है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रमुख नीति विषयक निर्णय पॉलिट ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं, किन्तु ऐसा करते समय ब्यूरो मैनिक विशेषज्ञों से विचार-विमर्श और तर्कों की परामर्श करती है। देश की सेना दलीय नेतृत्व द्वारा स्वीकृत योजना के अधीन कार्य करती है।

1937-38 में स्टालिन ने शुद्धिकरण करते हुए अधिकांश महत्वपूर्ण नैतिक पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद नैतिक अधिकाारियों और राजनेताओं के बीच कुछ विरोध पैदा हुआ था। कभी-कभी पॉलिट ब्यूरो के नीति सम्बन्धी निर्णयों से भी सेना में असन्तोष हो जाता है।

सोवियत सभ में सेना का सम्मानजनक स्थान है और यह आशा नहीं की जाती कि उसके द्वारा राष्ट्रीय हित के विह्वल नीतियाँ अपनाई जाएँगी। सोवियत सभ में पॉलिट ब्यूरो नैतिक शक्ति, विदेश नीति, आर्थिक विकास और सोवियत साम्यवाद प्रसार आदि की दृष्टि से एकीकृत कार्यक्रम बनाया जाता है और एक बड़ी रणनीति अपनाई जाती है ताकि सोवियत सभ को महान् शक्तिशाली देश बनाया जा सके, कमजोर विरोधी को नष्ट किया जा सके और अर्द्ध-विकसित दुनिया के नए क्षेत्र में साम्यवाद को प्रसारित किया जा सके।

(5) विदेशी आर्थिक मामले—सोवियत विदेश नीति की रचना और प्रशासन पर विदेशी आर्थिक मामलों का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। यहाँ विभिन्न देशों के साथ आर्थिक और नैतिक सहयोग के कार्यक्रमों पर पर्याप्त जोर दिया जाता है ताकि उपनिवेशों में होने वाली क्रान्ति एवं विकासशील राष्ट्रों के उदय से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। विदेशी आर्थिक सम्बन्धों को एक राज्य समिति को इन कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। यह समिति विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों का विकास करती है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग का पर्यवेक्षण करती है, विदेशों से वैज्ञानिक सहयोग का प्रबंध करती है और विदेशों में उद्यमों की रचना के लिए मदद करती है। विदेशी व्यापार मन्त्रालय द्वारा विदेश व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। सोवियत सभ ने आर्थिक और व्यापारिक नीतियों द्वारा अनेक बार विदेश नीति सम्बन्धी उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सोवियत विदेश नीति की रचना और प्रशासन में विभिन्न दलीय और सरकारी अभिकरणों का उल्लेखनीय प्रभाव रहता है। विदेश नीति के क्षेत्र में निर्णय निर्माण के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। नीति निर्णय के प्रस्ताव या तो सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा दलीय सचिवालय में तैयार होते हैं। इन प्रस्तावों को प्रारम्भ में मन्त्र-परिषद् स्वीकार करती है और उसके बाद विभिन्न नीतियों तथा उनसे सम्बन्धित अभिकरण विचार-विमर्श करते हैं और तत्पश्चात् निर्णय लिया जाता है। निर्णय रचना के बाद उनके प्रशासन हेतु उन्हें वापस मन्त्र-परिषद् तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों और दलीय सचिवालय को भेजा जाता है ताकि उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। इन नीतियों सम्बन्धी प्रतिवेदन और इनके अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूचना सर्वोच्च सोवियत को प्रदान की जाती है। सभी स्तरीय पक्ष-नीतियों की एका और अनुसरण का ध्यान रखा जाता है। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं को एक ही पक्ष में रखकर एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है।

विदेश नीति की कार्यान्विति (The Execution of Foreign Policy)

1917 की अक्टूबर क्रान्ति के बाद से सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति को मोटे रूप से (i) स्टालिन काल की विदेश नीति, (ii) स्टालिन के बाद की विदेश नीति, तथा (iii) आधुनिक तनाव शैथिल्य के युग में सोवियत विदेश नीति के शीर्षको में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सोवियत विदेश नीति की आधारशिलाएँ लेनिन द्वारा रखी गईं। उमी के द्वारा सोवियत विदेश नीति की विचारधारागत परिमीमाएँ स्थापित की गईं। स्टालिन के समय में सोवियत संघ एक शक्तिशाली राज. के रूप में उभरा। स्टालिन ने सैनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रभारवादी नीतियाँ अपनाईं। देश और विदेशों में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के अक्षरशः पालन पर जोर दिया और शीतयुद्ध का प्रोत्साहन दिया। स्टालिन के समय में सोवियत संघ ने यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की नीतियाँ अपनाईं। स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव के प्रधानमन्त्रित्व में सोवियत संघ ने उन नीतियों का बहिष्कार कर दिया जो स्टालिन के समय अपनाई जा रही थीं। अस्तालिनीकरण के नाम पर विदेशों के साथ नए सम्बन्धों का सूत्रपात किया गया। अब सोवियत विदेश नीति विश्व राजनीति के परिवेश के अनुकूल बनाई गई। इस प्रकार सोवियत संघ की विदेश नीति में स्टालिन का नेतृत्व एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति के सम्बन्ध में यहाँ हम स्टालिन के समय इसकी मुख्य विशेषताओं और स्टालिन के बाद विभिन्न राज्यों में इसके सम्बन्धों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे।

(i) स्टालिन काल में सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति—10 मार्च, 1939 को स्टालिन ने सोवियत विदेश नीति के लक्ष्य एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि (1) हम स्वतन्त्रता चाहते हैं और सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं। इस नीति का पालन सोवियत संघ उस समय तक करेगा जब तक कि दूसरे देश भी ऐसा करे और सोवियत हितों को घाँव न पहुँचाएँ, (2) हम सभी पड़ोसी देशों के साथ, जो सोवियत संघ के साथ समान सीमाएँ रखते हैं, शान्तिपूर्ण घनिष्ठ तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहते हैं और ये सम्बन्ध तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि पड़ोसी देश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत सीमाओं की एकता एवं अखण्डता को चुनौती न दें, (3) हम उन देशों का समर्थन करेंगे जो आक्रमण वा शिकार बने हैं अथवा जो अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं; (4) हम आक्रमणकारियों की धमकी में नहीं डरते तथा युद्ध छेड़ने वाले के प्रत्येक मुक्के का जवाब दो मुक्के से देने को तैयार रहते हैं। इन मूलभूत सिद्धान्तों के साथ ही स्टालिन का कहना था कि सोवियत विदेश नीति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से अपने देश की बढ़ती हुई राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, सोवियत समाज की नैतिक और राजनीतिक एकता, देश की लाल सेन और जहाजरानी शक्तिवादी नीति, सभी देशों के मजदूरों के नैतिक

समर्थन आदि पर निर्भर करती है। स्टालिन के समय विदेश नीति की दृष्टि से राजनीतिक दल केन्द्रीय भूमिका निभाता है। दल से यह आशा की गई थी कि वह शान्ति की नीति को जारी रखे तथा सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाए, हमेशा जागरूक रहे और अपने देश को युद्ध प्रेमियों के प्रयासों से सघर्ष में पड़ने से रोके, लाल सेना और लाल जहाजरानी की शक्ति को सत्ता के उच्च शिखर तक पहुँचा दे, सभी देशों के मजदूरों के साथ मित्रतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बन्धनों को सुदृढ़ बनाए।

स्टालिन ने अपनी सुदृढ़ विदेश नीति से देश का अन्तरिक विकास किया, विदेशों में उसका प्रभाव बढ़ाया, रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, गैर-साम्यवादी शक्तियों के विरोधी प्रयामों से अपनी रक्षा की तथा एशिया और अफ्रीका के राज्यों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। यह कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी नीतियों से सोवियत सघ जैसे पिछड़े और अवििकसित देश को विश्व की महान् औद्योगिक एवं सैनिक शक्ति बना दिया। उसके द्वारा निर्धारित विदेश नीति के लक्ष्य, साधन एवं क्षमताएँ असाधारण थे। स्टालिन की नीतियों के सम्बन्ध में रॉबिन्सटोन ने लिखा है कि "उसने पीटर महान् की स्वेच्छाचारी परम्पराओं के अनुसार शासन किया और सोवियत सघ की अर्थव्यवस्था का पाश्चात्यीकरण कर दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में उसने मुख्यतः विस्तारवादी जारों के पदचिह्नों का अनुसरण किया। उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी परम्पराओं को निभाना पड़ेगा।"¹

(ii) स्टालिन के बाद सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति—5 मार्च, 1953 को स्टालिन की मृत्यु के साथ ही सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति का एक युग समाप्त हो गया। स्टालिन के बाद तीन मुख्य विकासों ने यहाँ की विदेश नीति को प्रभावित किया—पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य में स्थायित्व सोवियत सघ की आर्थिक और सैनिक शक्ति में तेजी से वृद्धि और रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसके प्रभाव में वृद्धि। स्टालिन के उत्तराधिकारी को मुख्य रूप से इन तत्वों का निर्वाह करना पड़ा—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में सोवियत शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य स्वीकृति प्राप्त करना और जहाँ सम्भव हो सके वहाँ देश की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना सोवियत शक्ति का विस्तार करना। बदली हुई परिस्थितियों और नवीन चुनौतियों के सन्दर्भ में सोवियत सघ की विदेश नीति में अनेक नई विशेषताएँ आ गईं। अब स्थानीय इकाइयों को अधिक स्वायत्तता दी गई, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणमुक्त बनाया गया तथा जीवन स्तर के आधुनिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया। स्टालिन के बाद सोवियत सघ की

1 "He ruled in the autocratic tradition of Peter the Great and modernized the economy of the Soviet Union, in the realm of Foreign Policy, he followed in the footsteps of the most expansionist of Czars. His successors have sought to maintain his tradition"

बर्लिन समस्या का सामना करना पड़ा। साम्यवादी चीन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, मार्शल टीटो के साथ मतभेदों में उतार-चढ़ाव आया, पोलैंड तथा हंगरी में क्रान्तियाँ हुईं, एशिया और अफ्रीका में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, वियतनाम में लम्बे सघर्ष के बाद अमेरिका रणमंच से हट गया, अरब-इजराइल सघर्ष ने मिन्र और इजराइल के बीच सन्धि के बाद एक नया मोड़ लिया।

स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव ने नवीन विदेश नीति का मूलपात करते हुए स्टालिन युग के अपराधों का विस्तार से उल्लेख किया। 20वीं पार्टी कांग्रेस में उसने स्टालिन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया। यह कांग्रेस पूंजीवादी देशों के प्रति नवीन दृष्टिकोण एवं नीति की परिचायका मानी जाती है। अब इन राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति सोवियत विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त बन गया। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अर्थ यह है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाएँ साथ रहें और अपने-अपने गुणों के प्रभाव से साम्यवादी व्यवस्था विश्वभर में व्याप्त हो जाए। शेपिलोव (Shepilov) के कथनानुसार "शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व सघर्षहीन जीवन नहीं है। जब तक विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएँ कायम रहेगी तब तक उनके बीच मन-मुटाव होना अपरिहार्य है। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एक राजनैतिक, आर्थिक और सैद्धान्तिक सघर्ष है। सहअस्तित्व का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता नहीं है, वह अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को हथियारों से सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता किन्तु शान्तिपूर्ण कार्यों तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रतियोगिता करता है। हम यदि जीवन के मूलभूत नियमों अर्थात् वर्ग सघर्ष के नियमों को नुला देगे तो हम मार्क्सवादी और लेनिनवादी नहीं रह जायेंगे।"¹

(iii) प्राधुनिक तनाव-शैथिल्य (Detente) के युग में सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विति—वर्तमान काल में बदली हुई परिस्थितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन के कारण वह शीतयुद्ध का वातावरण समाप्त हो चुका है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ के बीच छिड़ा था। अब इसके स्थान पर तनाव शैथिल्य का वातावरण है। इस समय सोवियत सघ विश्व की एक महान् शक्ति है। प्रायः सभी देशों के साथ इसके घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र सघ जैसी विश्व सन्स्थाओं में इसके प्रतिनिधि पर्याप्त सक्रिय भूमिका प्रदा करते हैं। अमेरिका के साथ तनाव शैथिल्य की नीति के अन्तर्गत मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के बाद सोवियत सघ इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। फरवरी-मार्च, 1976 में आयोजित सोवियत साम्यवादी दल की 25वीं कांग्रेस में यह दावा किया गया था कि सोवियत नर द्वारा अपनाई गई शान्तिपूर्ण नीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार हुआ है। स्वयं सोवियत सघ इतना शक्तिशाली राज्य बन चुका है इसकी विदेश नीति ने विश्व के विचलन को मकारात्मक

रूप में प्रभावित किया है। बिना सोवियत सघ के आज विश्व की कोई समस्या मुक्त नहीं जा सकती। अप्रैल, 1971 में सोवियत सघ के साम्यवादी दल की 24वीं कांग्रेस ने शान्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और मार्च, 1976 की 25वीं कांग्रेस में एक नया शान्ति कार्यक्रम घोषित किया गया। इस दृष्टि से 25वीं कांग्रेस को विश्व की परिस्थितियों में सुधार एवं प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 25वीं कांग्रेस के प्रतिवेदन में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को मक्षेप में बर्णित करते हुए कहा गया कि "सोवियत सघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कभी इतनी दृढ़ नहीं रही। हम शान्ति की चौथी गताब्दी में प्रविष्ट हो चुके हैं। समाजवाद की स्थिति अधिक मजबूत हो चुकी है और तनाव शंथित्य प्रभावशाली प्रवृत्ति बन चुका है।"¹

यह सच है कि अतीत काल में भी समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आई है किन्तु वर्तमान तनाव शंथित्य की भावना अपने आप में मूलतः भिन्न परिवेश है। सोवियत विचारकों के मतानुसार यह स्थिति पूंजीवादी घेराबन्दी की नीतियों की असफलता एवं शीत युद्ध और सैनिक सघर्ष की नीति के दिवालियेपन की प्रतीक है। 25वीं कांग्रेस की बैठक में ब्रेझ्नेव ने स्पष्टतः यह घोषित किया था कि अब सोवियत सघ नवीन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सका है। ये उद्देश्य हैं—बढ़ती हुई शस्त्रों की दौड़ को रोकना, निःशस्त्रीकरण के लिए सक्रमण-काल, युद्ध के सम्भावित स्थलों की समाप्ति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव शंथित्य पर निर्भरता, एशियाई सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग न करने की विश्व व्यापी सन्धि, जातिवाद और उपनिवेशवादी शोषण की प्रत्येक व्यवस्था की समाप्ति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों में असमानता की अभिव्यक्ति की समाप्ति आदि। 25वीं कांग्रेस के प्रतिवेदन में इन उद्देश्यों को स्वतन्त्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भावी सघर्ष के कार्यक्रम कहा गया है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण मानवता के हित में होने के साथ-साथ विनामशील एवं स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के लिए विशेष महत्व का है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस (विदेश नीति के क्षेत्र में पार्टी के तात्कालिक कर्तव्य)

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की नियमित 26वीं कांग्रेस 23 फरवरी से 3 मार्च, 1981 तक मास्को में हुई। पार्टी के नियमों में पाँच वर्ष में एक बार कांग्रेस आयोजित करने का प्रावधान है।

1 "The international position of the Soviet Union has never been firmer. We have entered the fourth decade of peace. Socialism's positions have grown stronger. De'erte has become the leading trend." Quoted by Jagjit Singh Soviet Union in World Affairs, Sterling Publishers, 1977 p. 11-12.

सोवियत सभ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेझ्नेव ने 23 फरवरी, 1981 को सोवियत सभ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस के लिए तथा गृह और विदेश नीति के क्षेत्र में पार्टी के तत्कालिक कर्तव्यों के बारे में सोवियत सभ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को रिपोर्ट पेश की। यहां इस रिपोर्ट का विदेश नीतिक विवरण प्रस्तुत है।

शान्ति कार्यक्रम का विस्तार

सोवियत सभ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेझ्नेव ने पार्टी को 26वीं कांग्रेस में सोवियत सभ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए और गृह तथा विदेश नीति के मामले में पार्टी के तत्कालिक कर्तव्यों की रूपरेखा बताते हुए कहा ' भविष्य की कुञ्जी — युद्ध की तैयारियाँ करना नहीं है, जो जनगण को उसकी भौतिक और आत्मिक सम्प्रदायों के निरर्थक विनाश से अभिभङ्ग कर देनी है, बल्कि शान्ति का ढकीकरण करना है।'

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने युद्ध के खतरे को नमान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्द बनाने के लिए नए, अतिरिक्त कदमों की एक सम्पूर्ण शृंखला पेश की।

सोवियत सभ ने पहल ही यह सुझाव दिया कि विश्वास निर्मित करने वाले कदमों का सैनिक क्षेत्र में भी विस्तार किया जाए। विशेष रूप से उनमें यह सुझाव दिया कि नौसैनिक और वायु-सैनिक अभ्यासों की, और बड़े पैमाने पर सैन्य संचालन की पहले से सूचना दी जाए और अब हम यह प्रस्ताव करना चाहते हैं कि इन उपक्रमों की सीमा को ठोस रूप में विस्तार प्रदान किया जाना चाहिए। हम इन्हें सोवियत सभ के सम्पूर्ण यूरोपीय भाग में लागू करने को तैयार हैं, वगैरें कि पश्चिमी राज्य भी इसी के अनुसार विश्वास के इस क्षेत्र का विस्तार करें।

सोवियत सभ सुदूरपूर्व में भी इन विश्वास प्रेरक कदमों में दिलचस्पी रखने वाले सभी देशों के साथ ठोस समझौता-वार्ता चलाने के लिए तैयार है।

सोवियत सभ फारम की खाड़ी क्षेत्र के बारे में एक स्वतन्त्र समस्या के रूप में समझौता-वार्ता के लिए तैयार है। निश्चित ही वह अफगानिस्तान को लेकर उत्पन्न स्थिति के एक पृथक् समाधान में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है—लेकिन हमें अफगानिस्तान की समस्या पर फारम की खाड़ी की सुरक्षा के प्रश्न के साथ-साथ विचार करने पर भी प्राप्ति नहीं है। स्वभावतया यह बात अफगान समस्या के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष पर लागू होती है, उसके आन्तरिक मामलों पर नहीं।

सामरिक हथियारों को सीमित करना और उनमें कटौती करना सबसे प्रथम समस्या है। अपनी ओर से हम इस क्षेत्र में उपलब्ध सकारात्मक तत्त्वों की रक्षा करते हुए मयुक्तराज्य अमेरिका के साथ सम्यक् समझौता-वार्ता तत्काल शुरू कराने के लिए तैयार हैं। बहने की आवश्यकता नहीं कि ये वार्ताएँ केवल समझौता और

समान सुरक्षा के आधार पर हो सकती है। हम ऐसे किसी भी समझौते पर सहमत नहीं होंगे जो अमेरिका को किसी प्रकार का एकपक्षीय लाभ देने वाला होगा। इस मामले में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।

सोवियत सभ हथियारों के किसी भी प्रकार से परिमोदन पर वार्ता करने के लिए तैयार है। एक समय हमने अमेरिका में नौसैनिक ट्रिडेण्ट मिसाइल प्रणाली के विकास पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप मयुक्त राज्य अमेरिका ने नई ओहियो पनडुब्बी का निर्माण किया है जो ट्रिडेण्ट-1 प्रक्षेप्यस्त्रों से लैस है और एक ऐसी ही शस्त्र प्रणाली तार्डफून (तूफान) का हमारे यहाँ भी निर्माण किया गया।

हम नई पनडुब्बियों—अमेरिका की ओहियो पनडुब्बी और वंसी ही सोवियत सभ की पनडुब्बियों की गतिविधियों को सीमित करने के सम्बन्ध में समझौता करने के लिए तैयार है। हम इन पनडुब्बियों के लिए वर्तमान प्रक्षेप्यास्त्रों के आधुनिकीकरण अथवा नए प्रक्षेप्यास्त्रों के निर्माण पर भी रोक लगाने पर महमत हो सकते हैं।

हम इस मामले में समझौता करने का प्रस्ताव करते हैं कि अब यूरोप में नाटो देशों और सोवियत सभ के नए मध्यम परास वाले नाभिकीय के प्रसार को अन्तिम रूप से सीमाबन्दी की जाए, अर्थात् इन हथियारों के परिमाणात्मक और गुणात्मक स्तर में कोई और वृद्धि न की जाए। स्वभावतया इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में अमेरिका के अग्रिम ठिकानों पर तैनात नाभिकीय हथियार भी आते हैं।

हम सुझाव देते हैं कि एक समुचित अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जाए जो नाभिकीय महाविनाश को रोकने की परम आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाए। इस समिति का गठन विभिन्न देशों के सर्वाधिक प्रत्यात वैज्ञानिकों को लेकर किया जाना चाहिए।

हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार के मूत्र तलाशने और युद्ध को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद् का विशेष अधिवेशन बुलाने का भी सुझाव देते हैं जिसमें परिषद् के सदस्य देशों के सर्वोच्च नेतागण भाग लें और जाहिर है कि यदि चाहे तो अन्य देशों के नेतागण भी इस अधिवेशन में भाग ले सकते हैं।

एल. आई ब्रॉक्नेव ने कहा कि नए सोवियत प्रस्ताव वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की सबसे ज्वलन्त और सामयिक समस्याओं के बारे में हमारे शान्ति कार्यक्रम की ही अग्रणी कड़ी और विकास है।

अपनी रिपोर्ट में एल. आई ब्रॉक्नेव ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली वॉरिस में जो वर्तव्य निश्चित गए थे वे कुल मिलाकर, सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं।

हम जिस अवधि की समीक्षा कर रहे हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर विषम और जटिल रही है। इसकी सर्वोपरि विशेषता विश्व घटनाक्रम में दो नीतियों का तीव्र संघर्ष रही है। इन में से एक हथियारों की होड पर लगाम लगाने, शान्ति और

तनाव-शैथिल्य को सुदृढ़ करने और राष्ट्रों के सम्प्रभु अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा की नीति रही है तो दूसरी तनाव शैथिल्य को भंग करने, हथियारों की होड़ को बढ़ाने, अन्य देशों को धमकी देने तथा उनके घातक मामलों में हस्तक्षेप करने और मुक्ति सघर्षों को दबाने की नीति रही है।

जनगण के क्रान्तिकारी सघर्ष के खाते में विजयों की सख्या अधिक रही है। इथोपिया, अफगानिस्तान और निकारागुआ की क्रान्तियों को देखिए। ईरान में जनविरोधी शाही हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया। औपनिवेशिक साम्राज्यों का उन्मूलन आठवें दशक में लगभग पूरा हो गया।

एल आई ब्रेझ्नेव ने कहा कि यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सोवियत सघ और उसके दोस्त आज पहले से कहीं अधिक, शान्ति के प्रमुख रक्षक हैं।

विचारों को मूलभूत समानता

एल आई ब्रेझ्नेव ने कहा, इन समस्त वर्षों के दौरान पार्टी, उसकी केन्द्रीय समिति और राजनीतिक ब्यूरो ने समाजवादी देशों के साथ और सहयोग को मजबूत बनाने की ओर अविचल रूप से ध्यान दिया है। हम उनके साथ हाथ में हाथ मिला कर एक नई समाजवादी दुनिया का और राज्यों के बीच सचमुच इस प्रकार के न्यायोचित, समान और भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्धों का निर्माण कर रहे हैं जैसा इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। समाजवादी समुदाय के अन्य देशों—बुर्गारिया, हंगरी, वियतनाम, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, क्यूबा, लाओस, मंगोलिया, पोलैण्ड, रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ हमारे सम्बन्ध इसी भावना के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।

हमारे बीच सामाजिक और आर्थिक विद्वानों के सभी प्रमुख पक्षों पर और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विचारों की एक मूलभूत एकता स्थापित हो चुकी है। यह हमारी भ्रातृत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच निरन्तर सहयोग और हमारी सामाजिक उपलब्धियों का परिणाम है।

पिछले कुछ वर्षों में कुछ समाजवादी राज्यों के राष्ट्र अर्थतन्त्र के सर्वाधिक अनुकूल वर्ष नहीं रहे हैं। फिर भी पिछले दस वर्षों में पारस्परिक आर्थिक महायोजना परिषद् (सी एम ई ए) के देशों में आर्थिक विकास की दरे विकसित पूँजीवादी देशों की अपेक्षा दूनी रही है। सी. एम ई ए के सदस्य देश, निरन्तर विश्व के सर्वाधिक गतिशील विकास वाले देश बने रहे हैं।

लियोनिड ब्रेझ्नेव ने आगे कहा, हमारे सहयोग की प्रक्रिया में जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें समुक्त रूप से सुलझा लिया जाता है और हम मिलजुल कर प्रत्येक विवादराना देश के हितों को सामान्य हित के साथ समन्वित करने के सबसे सही तरीकों की खोज करते हैं। अन्य बातों के अलावा यह चीज सी एम ई ए देशों द्वारा एक-दूसरे से सप्लाई किए जाने वाले तेल, गैस और अन्य आवश्यक तथा विनिर्मित मालों की बीमते बम करने पर भी लागू होती है।

ऐसे विशेष अवसर भी आते हैं जब मित्रों को अत्यावश्यक सहायता की जरूरत पड़ती है। यही वियतनाम के मामले में हुआ था जो 1979 में पीकिंग के बंद कार्यक्रम का शिकार हो गया था। सोवियत संघ तथा समाजवादी समुदाय के अन्य देशों ने उसे तत्काल जहाजों से खाद्य सामग्रियों, दवाओं, भवन निर्माण सामग्री और हथियार भेजे। यह कम्पूचिया के मामले में भी हुआ जो पीकिंगपरस्त पोल पोत गिरोह द्वारा तबाह कर दिया गया।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा कि समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद व्यवहार में यही है। सोवियत जन इस व्यवहार को समझते और उसे अपनी स्वीकृति देते हैं।

हम पश्चिम के साथ भी व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के पक्ष में हैं। यह हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कारक है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता लाता है लेकिन यहाँ हम अन्य बातों के अलावा, पूँजीवादी राज्यों की नीति का लेखा-जोखा लेने के लिए बाध्य हैं। वे बहुधा हमारे साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों को हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव डालने के एक साधन के रूप में इस्तमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या विभिन्न समाजवादी देशों के साथ व्यापार में तरह-तरह के भेदमूलक प्रतिबन्ध और बन्दिजें लगाने से यही स्पष्ट नहीं होता ?

पोलैण्ड की घटनाओं की चर्चा करते हुए लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा कि जहाँ वही भी साम्राज्यवादी भीतरघाती कार्यवाइयों का, गृह नीति में गलतियों और गलत आकलनों के साथ मिलान हो जाता है, वही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जो समाजवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण तत्त्वों को उभारने का मौका देती हैं। विरादराना पोलैण्ड में यही हुआ है, जहाँ समाजवादी राज्य के स्तम्भ खतरे में पड़ गए हैं। पोलिश कम्युनिस्ट, पोलैण्ड की मेहनतकश जनता अपने दोस्तों और मित्र देशों पर दृढ़तापूर्वक भरोसा कर सकती है।

एल आई ब्रेझ्नेव ने जोर देकर कहा, हम विरादराना पोलैण्ड को, समाजवादी पोलैण्ड को उसकी सकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके समर्थन में खड़े होंगे।

पिछली कांग्रेस ने समाजवादी देशों के सह-मिलन की प्रक्रिया को लक्षित किया था। यह प्रक्रिया जारी है लेकिन यह समाजवादी देशों की खास राष्ट्रीय विशेषताओं या उनकी ऐतिहासिक विजिष्टताओं को मिटाती नहीं है। समाजवादी जीवन पद्धति की स्थापना के नाना मार्गों और विधियों के लिए इनके सामाजिक जीवन और आर्थिक संगठन के विविध रूपों से उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए।

वक्ता महोदय ने आगे कहा कि चीन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पीकिंग की विदेश नीति में किसी बेहतर परिवर्तन की बात करने का भी कोई आधार नहीं है। पहले की भाँति ही यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को

बिगाडने की ओर उन्मुख है और साम्राज्यवादी शक्तियों की नीति के साथ मेल खाती है।

चीन के साथ अपने सैनिक और राजनैतिक सम्बन्ध बढ़ाने की अमेरिका, जापान और कई नाटो देशों की तत्परता का सीधा कारण यही है कि वे सोवियत संघ और समाजवादी समुदाय के विरुद्ध उसकी शत्रुता को स्वयं अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।

अगर सोवियत-चीनी सम्बन्ध अभी भी जड़ीभूत बने हुए हैं तो उसका हमारी स्थिति से कुछ भी लेना-देना नहीं है। सोवियत संघ ने न तो चीनी लोक जनतन्त्र के साथ कभी टकराव चाहा है और न अब चाहता है। हम उसी दिशा पर चल रहे हैं जिम्का निर्धारण सोवियत संघ की 42वीं कांग्रेस में किया गया था, और उस देश के साथ अपने सम्बन्धों को अच्छे पड़ोसीपन पर आधारित रखना चाहते हैं। चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए अपने प्रस्तावों पर हम अभी भी कायम हैं और चीनी जनता के प्रति हमारी मित्रता और आदर की भावना में कोई परिवर्तन नहीं है।

सोवियत संघ और नवस्वतन्त्र देश

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा है कि समीक्षाधीन अवधि में पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण परिणामों में हम इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्त हो चुके देशों के साथ हमारा सहयोग स्पष्ट रूप से विस्तृत हुआ है। अपनी मुक्ति के बाद उनमें से कुछ देश क्रान्तिकारी जनवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और कुछ में पूँजीवादी सम्बन्धों ने जड़े जमा ली हैं। उनमें से कुछ सच्ची स्वतन्त्र नीति पर चल रहे हैं जबकि दूसरे आज साम्राज्यवाद की नीति से नतुत्व ले रहे हैं।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा, समाजवाद की दिशा में उन्मुख देशों की, अर्थात् ऐसे देशों की संख्या बड़ी है जिन्होंने समाजवादी विचारों का मार्ग अपनाया है। निश्चित ही प्रगतिशील मार्ग पर अलग-अलग देशों का विकास एक जैसा नहीं है और कठिन परिस्थितियों के अन्तर्गत हो रहा है, फिर भी उनकी मुख्य नीतियाँ समान हैं। इनमें साम्राज्यवादी इच्छाकारों की स्थितियों का, स्थानीय बड़े पूँजीपतियों और मामूली तत्त्वों का दमन उन्मूलन और विदेश पूँजी पर बन्दिशें, जादियाँ शामिल हैं। इनमें जनता के राज्य द्वारा अर्घतन्त्र में प्रमुख स्थान प्राप्त करने का प्रयास और उत्पादक शक्तियों के योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया गया प्राथमिक क्षेत्रों में महत्कारिता आन्दोलन को बढ़ावा देना शामिल है। इन नीतियों में समाज में मेहनतकश श्रमिकों की भूमिका को बढ़ाना और राज्य के तन्त्र को जनता के प्रति वफादार राष्ट्रीय कमिटीयों में क्रमशः प्रबलित बनाना शामिल है। साथ ही इनमें साम्राज्यवाद-विरোধी विदेश नीति भी शामिल है। इन देशों में मेहनतकश जनता के व्यापक श्रमिकों के हितों को अभिव्यक्त करने वाली क्रान्तिकारी पार्टियाँ मजबूत हो रही हैं।

समीक्षाधीन अवधि में सोवियत संघ ने अगोला, इथोपिया, मोजाम्बिक, अफगानिस्तान और यमन लोक जनवादी जनतन्त्र के साथ मित्रता और सहयोग की सन्धियाँ सम्पन्न की हैं। हाल ही में हमने सीरिया के साथ भी मंत्री व सहयोग की सन्धि पर हस्ताक्षर किए हैं।

नवस्वतन्त्र देशों के साथ हमारे व्यापक परस्पर लाभदायक आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रारंभिक सहयोग के सम्बन्ध कायम हैं। उनके साथ हमारे सम्बन्धों में मुख्य जोर इस बात पर होता है कि उन देशों में किसी न किसी प्रकार के सोवियत सहयोग से बड़ी परियोजनाओं का निर्माण हो। हाल के वर्षों में ऐसी अनेक विशाल परियोजनाएँ पूरी हुई हैं और यहाँ तक कि कुछ तो सम्बद्ध देश के अर्थतन्त्र के लिए प्रति महत्त्वपूर्ण हैं।

अन्य विराटराना समाजवादी देशों के साथ हम नवस्वतन्त्र देशों की रक्षा-क्षमता को भी मुद्द बनाने में, यदि वे इसका अनुरोध करते हैं तो, सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए अगोला और इथोपिया के मामले में यही हुआ था। इन देशों में धरेनू प्रतिक्रान्ति को उभार कर या बाहरी आक्रमण द्वारा जनता की क्रान्तियों को नष्ट करने की कोशिशों की गई थी।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा, हम क्रान्ति के निर्यात के विरुद्ध हैं, लेकिन हम प्रतिक्रान्ति के निर्यात से भी सहमत नहीं हो सकते।

साम्राज्यवाद ने अफगान क्रान्ति के विरुद्ध एक वास्तविक, अधोपित युद्ध छेड़ दिया। हमने हमारे दक्षिणी सीमान्त पर एक प्रत्यक्ष खतरा भी उत्पन्न कर दिया। इन हालात में हम वह सैनिक सहायता देने के लिए बाध्य हो गए जो उस मैत्रीपूर्ण देश ने हमसे माँगी थी।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा, अफगानिस्तान के शत्रुओं की योजनाएँ विफल हो गई हैं। जहाँ तक सोवियत संघ के सैनिक दस्ते की उपस्थिति का सवाल है हम अफगान सरकार की सहमति से उसे वापस बुलाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसके पहले कि यह किया जाए, अफगानिस्तान में प्रतिक्रान्तिकारी गिरोहों की घुसपैठ पूरी तरह बन्द हो जानी चाहिए। यह बात अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच करारों में सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए भरोसेमन्द गारण्टियों की जरूरत है कि कोई दखलन्दाजी नहीं की जाएगी। यही सोवियत संघ की बुनियादी स्थिति है और हम इस पर मजबूती से डटे हुए हैं।

ईरान की क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पटित हाल के वर्षों की प्रमुख घटना है। उसका एक विशेष स्वरूप है। ईरान की जनता स्वतन्त्रता और समृद्धि का स्वयं अपना रास्ता तलाश कर रही है। हम हृदय से उसकी सफलता की कामना करते हैं और उन देश के साथ सम्मानता और निश्चित ही पारस्परिकता के आधार पर अच्छे सम्बन्धों का विकास करने के लिए तैयार हैं।

हाल के वर्षों में पूर्व के कुछ देशों में इस्लामी तारों की सक्रियता के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम कम्युनिस्ट लोग इस्लाम या किसी भी अन्य धर्म के

अनुनायियों के धार्मिक विश्वासों का पूरा आदर करते हैं। मुख्य बात यह है कि विभिन्न नारों को उद्घोषित करने वाली शक्तियाँ किन् उद्देश्यों का अनुसरण करती हैं। इस्लाम का परचम मुक्ति सघर्ष की ओर ले जा सकता है। इतिहास ने, बहुत हाल के इतिहास ने भी यह प्रमाणित कर दिया है, लेकिन यह इस बात को भी दिखाता है कि प्रतिक्रिया भी प्रतिक्रान्तिकारी बगावतों भडकाने के लिए इस्लामी नारों को इस्तेमाल करने की दुरभिसन्धि करती है। अन्ततः सारी बात किसी आन्दोलन की वास्तविक अन्तर्वस्तु पर निर्भर करती है।

नवस्वतन्त्र देशों के साथ सोवियत सघ के सम्बन्धों में, एक बड़ा स्थान, निस्सन्देह भारत के साथ हमारे सहयोग को दिया गया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उस विशाल देश के द्वारा अदा की जाने वाली बढ़ती हुई भूमिका का स्वागत करते हैं। उसके साथ हमारे सम्पर्क लगातार विस्तृत हो रहे हैं। हमारे दोनों देशों में सोवियत-भारत मित्रता एक लोकप्रिय परम्परा बन चुकी है जिसकी जड़ें गहरी हैं।

हम इण्डोनेशिया और वही नहीं, वस्तुतः एशियान के किसी भी सदस्य देश के साथ मंत्रीपूर्ण सहयोग के सम्बन्धों की स्थापना में कोई बाधा नहीं देखते।

अफ्रीका, कैरीबियन और प्रशान्त महासागरीय द्वीपपुञ्ज में पिछले पाँच वर्षों में दस नए राज्यों ने स्वतन्त्रता हासिल की है। उन्हें सोवियत सघ ने तत्काल मान्यता प्रदान की। जिम्बाब्वे गणतन्त्र का जन्म, नामीबिया में और अब दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में भी मुक्ति सघर्ष का निरन्तर तेज होते जाना इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि 'क्लामिक' उपनिवेशवादियों और नस्लवादियों का शासन अपने खात्मे के नजदीक आ रहा है।

एन आई ब्रेभनेव ने ईरान-ईराक युद्ध को दोनों देशों के हितों को दृष्टि से एकदम निरर्थक बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह साम्राज्यवाद के लिए जो उस क्षेत्र में अपनी स्थिति को किसी भी प्रकार फिर से कायम करने के लिए व्यग्र और उत्सुक है, बहुत फायदेमन्द सिद्ध हो रहा है। सोवियत सघ निश्चित ही चाहता है कि यह आतृषाती युद्ध जल्दी खत्म हो।

कैम्प डेविड नीति की अफलता को नोट करते हुए एल. आई ब्रेभनेव ने घोषित किया कि मध्यपूर्व की समस्या का समाधान हासिल करने के क्षेत्र में मामले को आगे बढ़ाने का यही उचित समय है। समय आ गया है कि एक सर्व-स्वीकृत, न्यायोचित और यथार्थपरक समाधान की ईमानदारी के साथ और मामूहिक रूप से फिर से तलाश शुरू की जाए। उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थितियों में यह विशेष रूप से आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के ढाँचे के अन्तर्गत किया जा सकता है।

सोवियत सघ ऐसे कार्य में रचनात्मक भावना तथा स्वेच्छा के साथ भाग लेने के लिए तैयार है। एल. आई ब्रेभनेव ने कहा कि हम अन्य सम्बद्ध पक्षों—अरबों (जिनमें निश्चय ही फिनिश्टीनी मुक्ति संगठन भी शामिल होगा) और इजरायल के साथ संयुक्त रूप से ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका के

साथ मिलकर ऐसे समाधान की तलाश करने के लिए तैयार है। हम यूरोपीय देशों के साथ और उन मजदूरों के साथ इस मिलसिले में मध्यपूर्व में न्यायोचित और टिकाऊ शांति हासिल करने की सच्ची भावना दर्शाते हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

स्पष्ट ही समुक्त राष्ट्रसंघ इन सभी में अपनी उपयोगी भूमिका जारी रख सकता है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन जो इस वर्ष अपनी बीसवीं जयन्ती मनाएगा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण चरण रहा है और बना हुआ है। सो स क पा की केन्द्रीय समिति के महासचिव ने जोर देकर कहा कि इसकी शक्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध, युद्ध और आक्रमण के विरुद्ध निर्देशित इसकी नीतियों में निहित है। हमें विश्वास है कि विश्व राजनीति में इसकी भूमिका की और अधिक वृद्धि की कुञ्जी इन बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति इसकी निष्ठा ही है और हम इसकी भूमिका में इस वृद्धि का स्वागत करेंगे।

आठवें दशक के मध्य में मूलपूर्व औपनिवेशिक देशों ने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का सवाल उठाया था। समता की नीति पर चलते हुए जनवादी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों का पुनर्निर्माण इतिहास के दृष्टिकोण से स्वभाविक है। इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए और निश्चय ही, इस समस्या को जैसा कि कभी-कभी किया जाता है, 'समृद्ध उत्तर' और 'निर्धन दक्षिण' के बीच केवल अन्तर करने तक विकृत नहीं कर देना चाहिए। हम न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की स्थापना में योगदान करने को तैयार हैं और सचमुच योगदान कर भी रहे हैं।

किसी को इस बात में सन्देह नहीं होना चाहिए कि सो स क पा सोवियत संघ तथा नव-स्वतन्त्र देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और विश्व समाजवाद तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के बीच एक को मजबूत बनाने की नीति पर चलना प्रविचल रूप से जारी रखेगी।

विश्व को युद्ध के खतरे से मुक्त करना

पूँजीवादी देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए तियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा मकीएँ और स्वायत्तपूर्ण उद्देश्यों के लिए दुस्साहसिकता और मानवता के अत्यावश्यक हितों को दाँव पर लगाने की तत्परता—ये तत्त्व अधिर आक्रामक साम्राज्यवादी गुटों की नीति में विशेष रूप से खुले तौर पर सामने आए हैं। राष्ट्र के अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए असीम धृष्टता के साथ वे अक्षय से मुक्ति सघर्ष को 'प्रातःकवाद' के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहा जाए तो वे वह हामिल करना चाहते हैं जो हासिल ही नहीं किया जा सकता—अर्थात् यह कि वे विश्व के प्रगतिशील रहोवदल के रास्ते में दीवार खड़ी करना और एक बार फिर जनगण के भाग्यविधाता बन जाना चाहते हैं।

साम्राज्यवादी क्षेत्र दूसरे राज्यों और जनगण के बारे में प्रभुत्व और जबरिया दबाव डालने के दृष्टिकोण से सोवते हैं।

इजारेदारियों को दूसरे देशों के तेल, यूरेनियम और ग्लोह धातुओं की जरूरत है—और तब तुरन्त ही मध्यपूर्व, अफ्रीका और हिन्द महासागर मयुक्तराज्य अमेरिका के 'मुख्य हितों' के क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं। अमेरिकी सैनिक तन्त्र सरगमों के साथ इन क्षेत्रों में पंठता जा रहा है और वहाँ लम्बे असें तक के लिए इतमीनान से टिक जाना चाहता है। हिन्द महासागर में डिआगो गार्सिया, ओमान, केनिया, सोमालिया, मिस्र—इसके बाद अब वे और वहाँ अपने पैर जमाना चाहते हैं ?

इसे उचित ठहराने के उद्देश्य से मध्यपूर्व की तेल सम्पदा या तेल परिवहन मार्गों के लिए 'सोवियत खतरे' की झूठी कहानी फैलाई जा रही है। यह जानबूझ कर गढ़ी गई एक नकली कपोल-कल्पना है, क्योंकि उसके रचयितागण अच्छी तरह जानते हैं कि सोवियत मध्य न तो मध्यपूर्व की तेल सम्पदा को और न ही तेल-परिवहन मार्गों को हड़पने का कोई इरादा रखता है। इस विषय में, ऐसा मोचना निरर्थक है कि पश्चिम के तेल हितों की 'रक्षा' उस क्षेत्र की वास्तविकता का ढेर बना कर की जा सकती है।

नहीं, फारस की खाड़ी तथा इसके निकटवर्ती स्थानों में शान्ति को सुनिश्चित बनाना वास्तव में कैसे सम्भव है, इस सम्बन्ध में हमारे विचार बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ पर नित नए नौ-सैनिक तथा वायु सेना निर्माणों, फौजी टुकड़ियों तथा शस्त्रास्त्रों के एकत्र किए जाने के बदले एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सम्पन्न करके हम इन क्षेत्र में खतरे को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं। सभी पक्षों के न्यायोचित हितों की ध्यान में रखते हुए सयुक्त प्रयत्नों द्वारा इस क्षेत्र में स्थायित्व तथा शान्ति की परिस्थिति का निर्माण सम्भव है। इस क्षेत्र के राज्यों के सम्प्रभु अधिकारों तथा जहाजरानी और इस क्षेत्र को ससार के शेष भाग में जोड़ने वाले अन्य मार्गों की सुरक्षा की गारण्टी देना सम्भव है। सोवियत मध्य द्वारा हाल में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का यही सारतत्त्व है।

इस पहल को समार में, विशेष रूप से फारस की खाड़ी के अनेक राज्यों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है।

एल आई ब्रेम्नेव ने कहा कि अमेरिका के नायब अपने सम्बन्धों के मामले में हम इन मारे वर्षों के दौरान पहले की भाँति निदान्तिष्ठ और रचनात्मक नीति पर चलते रहे हैं। यह दुःख की बात है कि वाशिंगटन के पिछले प्रशासन ने सम्बन्धों को विरुद्ध बनाने या पारस्परिक मदभावना की जगह किन्हीं अन्य बातों पर दौब लगाया था।

दुर्भाग्य से ह्वाइट हाउस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी वाशिंगटन ने स्पष्ट रूप से युद्धप्रिय नारे और वक्तव्य घोषित किए जा रहे हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है, कि हमारे देशों के बीच सम्बन्धों के वातावरण को विपाक बनाने के लिए गाननीर पर तैयार किए गए हैं।

लेकिन हम यह आशा करना चाहेंगे कि जो लोग आज अमेरिका की नीतियाँ निर्धारित कर रहे हैं, वे तथ्यों को अधिक यथार्थपरकता के साथ देख सकेंगे। सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच, बारसा सन्धि और नाटो के बीच विद्यमान सैनिक और रणनीति सन्तुलन वस्तुपरक रूप से विश्व शान्ति का एक रक्षक प्रहरी है। हमने दूसरे पक्ष पर न तो कभी सैनिक श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश की है और न करते हैं। एल आई ब्रेझ्नेव ने कहा, यह हमारी नीति नहीं है लेकिन हम किसी को अपने मुकाबले में इस श्रेष्ठता का निर्माण भी नहीं करने देंगे। ऐसी कोशिशें और हमसे शक्ति की स्थिति से बात करना एकदम फिजूल है।

एल आई ब्रेझ्नेव ने पश्चिमी देशों से 'सोवियत खतरे' के जीर्ण-शीर्ण होने को गम्भीर राजनीति की परिधि से निकाल फेंकने का आग्रह किया। चाहे हम यूरोप में सामरिक नाभिकीय अस्त्रों को, दोनों ही मामलों को एक-दूसरे के मुकाबले अधिकतम समता शामिल है।

अमेरिका के लिए भी उसी तरह युद्ध का खतरा मौजूद है जिस तरह कि विश्व के अन्य सभी देशों के लिए, लेकिन यह खतरा सोवियत संघ से नहीं उत्पन्न होता और न ही किसी काल्पनिक सोवियत सैनिक श्रेष्ठता से उत्पन्न होता है, बल्कि यह हथियारों की उम होंड और तनाव से उत्पन्न होता है जो विश्व में अभी भी कायम है। हम किसी काल्पनिक नहीं, बल्कि इस सच्चे खतरे का अमेरिका के साथ, यूरोपीय देशों के साथ और विश्व के सभी देशों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

एल आई ब्रेझ्नेव ने आगे कहा कि हम इस सम्बन्ध में सम्वाद करने के लिए तैयार हैं।

एल आई ब्रेझ्नेव ने सोवियत संघ और अनेक पश्चिमी देशों, फ्रांस, जर्मन गणराज्य, इटली, ब्रिटेन, जापान आदि के साथ विकसित होते सम्बन्धों के चरित्र की विशेष रूप में चर्चा की।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने आगे कहा कि यूरोपीय मामलों की चर्चा करते हुए हमें यूरोप की शान्ति के लिए उत्पन्न हो गए नए और गम्भीर खतरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में नए अमेरिकी प्रक्षेप्यास्त्र रखने के नाटो के निर्णय में सम्बन्धित है। यह निर्णय किसी काल्पनिक सोवियत चुनौती के 'जवाब' में नहीं है और न ही यह शत्रुागारों का कोई सामान्य प्राधुनिकीकरण है, जैसा कि पश्चिम हमें विश्वास दिलाता चाहेगा। यह यूरोप के विद्यमान सैनिक सन्तुलन को नाटो के पक्ष में भुजाने के सुस्पष्ट इरादे का सूचक है।

वक्ता महोदय ने जोर देकर कहा कि विश्व घटनाक्रम में मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और पेरू आदि लैटिन अमेरिकी देशों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हमें यह लक्षित करते हुए खुशी हो रही है कि लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ सावियत संघ के परस्पर लाभदायक सम्बन्ध विस्तृत हुए हैं और हम उनमें और अधिक विस्तार करने रहने के लिए तैयार हैं।

एल. आई. ब्रेझ्नेव ने हथियारों की होड़ के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक आवाज बुलन्द की। उन्होंने कहा कि इस होड़ को कोई भी नया चरण अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व को क्षिप्त-भिन्न कर देगा और एक नए युद्ध का खतरा बहुत अधिक बढ़ा देगा।

एल. आई. ब्रेझ्नेव ने पेटागन द्वारा पश्चिमी यूरोप में न्यूट्रान हथियारों को रखने की कोशिशों की चर्चा करते हुए घोषित किया अपनी ओर से सोवियत नथ इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि यदि ये हथियार किसी दूसरे देश में प्रकट न हों तो सोवियत सभ उनका निर्माण कभी आरम्भ नहीं करेगा और इन हथियारों पर सदा सर्वदा के लिए प्रतिबन्ध लगाने का नमःभौता सम्पन्न करने के लिए तैयार है।

एल. आई. ब्रेझ्नेव ने जोर देकर कहा कि 'हमारी पार्टी के लिए, हमारी जनता के लिए और वस्तुतः विश्व के समस्त जनगण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर शान्ति की रक्षा करने से अधिक महत्त्वपूर्ण कोई कार्य नहीं।'

सोवियत विदेश नीति के वर्तमान मोड़ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिणाम हैं। इन परिस्थितियों की मुख्य बातें हैं—अमेरिका की हिन्द चीन के देशों से वापसी, दक्षिण-पूर्व एशिया में युद्ध के तनावपूर्ण क्षेत्त्रों की समाप्ति, इन क्षेत्रों में शान्तिपूर्ण स्थिति का स्वामित्व, अरब-इजरायल, विवाद, नवोदित राज्यों की स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता की रक्षा, द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप यूरोप में आए परिवर्तनों की अन्तिम रूप से मान्यता, यूरोप महाद्वीप में तनाव-अस्थिरता और शान्तिपूर्ण सहयोग की दिशा में प्रगति, अणु हथियारों के नियन्त्रण सम्बन्धी अनेक नमःभौते, सोवियत सभ और पश्चिमी राज्यों के सम्बन्धों में क्रान्तिकारी प्रगति आदि।



अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के कुछ पहलुओं पर सोवियत दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति महाशक्तियों के दृष्टिकोण से निरन्तर प्रभावित होती रहती है। यहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोवियत सभ का अधिवृत्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले निम्न लेख उद्धृत कर रहे हैं—

- (A) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य उपादान (एन. सिमोनिया)
- (B) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन—शान्ति और प्रगति के संघर्ष में स्वाभाविक मित्र (वी गेलेपिन)
- (C) अन्तर्राष्ट्रीय तनाव तथा विकासमान देश सोवियत दृष्टिकोण (के ब्रूतेन्स)
- (D) मध्य पूर्व समस्या के निपटारे के बारे में सोवियत सभ के प्रस्ताव
- (E) सोवियत नीति की अविचलता (निकोलाई आबोतोव)
- (F) नवोदित राज्यों मित्र और शत्रु (धेन्वोलोद ओवचिस्निवोव)

(A) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य उपादान —एन सिमोनिया (फरवरी, 1983)

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मात्र के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक मुख्य उपादान बन चुका है। गुट-निरपेक्ष देशों में इस समय सयुक्त राष्ट्र के लगभग एक-तिहाई सदस्य सम्मिलित हैं तथा इनके गमयन के बिना सयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता।

विश्व में दर्जनों नवोदित स्वाधीन राज्यों के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप मातृ देश के प्रारम्भ में आन्दोलन की शुरुआत होने के बाद से गुट निरपेक्ष आन्दोलन

में सम्मिलित देशों ने सम्मिलित प्रयासों से अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की रक्षा करने तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध, शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मुट्ठ बनाने के लिए सघर्ष में योग देने के अपने दृढ़ सकल्प को प्रदर्शित किया है।

आठवाँ दशक इस आन्दोलन में गुणात्मक परिवर्तनों की अवधि सिद्ध हुआ। प्रथमतः इन्हीं वर्षों में यह अपनी संरचना की दृष्टि से एक वास्तविक भू-मण्डलव्यापी आन्दोलन बना, जबकि लुसाका (सितम्बर, 1970) में गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के तृतीय सम्मेलन में 54 देशों के प्रतिनिधियों और नौ प्रेक्षकों ने भाग लिया था, तब हवाना (सितम्बर, 1979) में छठे सम्मेलन में इस आन्दोलन के सहभागियों की संख्या बढ़ कर 94 हो गई। इस सम्मेलन में 20 देशों, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रेक्षकों के रूप में तथा 18 देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने अतिथियों के रूप में भाग लिया था। इस आन्दोलन में लगभग सभी महाद्वीप सम्मिलित हैं।

द्वितीयतः, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो गई है। चौथे सम्मेलन (अलजीरस, 1973) में शुरू करके यह आन्दोलन आर्थिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष पर जोर दे रहा है और इसने एक 'नई विश्व आर्थिक व्यवस्था' की स्थापना के बारे में संघर्ष का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मांगें पेश की गई हैं वे मुख्यतया विकासमान देशों द्वारा उन विकसित पूँजीवादी देशों के प्रति सम्बोधित हैं जो अपने बंदेशिक आर्थिक सम्बन्धों में नव-उपनिवेशवादी तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं।

तृतीयतः, आन्दोलन की संगठनात्मक संरचना में सुधार है। पहले केवल सम्मेलनों के दौरान और सम्मेलनों की तैयारी की अवधियों के दौरान ही यह एक संगठित शक्ति के रूप में काम करता था। आठवें दशक में आन्दोलन के सदस्य देशों की गतिविधि, जिससे संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी गतिविधि भी सम्मिलित है, के समन्वयन के लिए एक समन्वय ब्यूरो स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र में ही स्थित है।

इस आन्दोलन के विकास का और साथ ही उसके गम्भीर परीक्षण का एक महत्वपूर्ण मार्गचिह्न था 1979 का हवाना सम्मेलन। इस सम्मेलन में इस आन्दोलन ने अपने मुख्य सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि की तथा अपनी साम्राज्यवाद-विरोधी रुझान को काफी गहरा और मघन बना लिया। इस सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अन्तिम दस्तावेज के राजनीतिक अनुभाग में जोर दिया गया है कि गुट-निरपेक्ष नीति के मूल सिद्धान्तों और मुख्य चरित्र के अनुसार इसका मारतन्त्र है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, रंगभेद और नस्लवाद तथा जियनवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा तथा जाक्रमण, आधिपत्य, प्रभुत्व, हस्तक्षेप या अधिनायकता के सभी रूपों के विरुद्ध और महाशक्तिवादी एवं गुटवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष। अन्तिम दस्तावेज के आर्थिक अनुभाग में विकासशील देशों के अपने प्राकृतिक ससाधनों पर, विशेष

रूप से इनके तनन, निर्माण, मूल्य-निर्धारण और विक्री सम्बन्धी उनके अनन्य अधिकार की पुन पुष्टि की गई। घोषणा-पत्र में साम्राज्यवाद द्वारा विकसित देशों के प्राकृतिक ससाधनों की निर्मम लूट की जोरदार ढंग से भर्त्सना की गई तथा इस बात को दोहराया गया कि इन देशों को अपने ससाधनों पर नियन्त्रण रखने और इनकी हिफाजत करने का पूरा अधिकार है जिसमें बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करने तथा उनके साथ हुए अनुबंधों को रद्द करने का अधिकार सम्मिलित है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पंचमेल सरचना को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता जो इसके विकास के कुछ चरणों में कठिनाइयों और बाधाओं का कारण भी बन जाती है। बात यह है कि इस आन्दोलन के सदस्य देशों में भिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों वाले राज्य सम्मिलित हैं, जिनमें समाजवादी जनतन्त्रों में लेकर पूर्ण राजतन्त्र तक शामिल हैं। इस आन्दोलन के विकास का गतिविज्ञान ही ऐसा है कि यह जितना ही व्यापक होता जाता है, उतने ही विविध प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोणों का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ता जाता है। इन स्पष्ट कठिनाइयों और विरोधाभासों का लाभ उठाकर समाजवादीयों द्वारा इसे आन्दोलन की नीतियों में भीतरघात करने तथा इसके साम्राज्यवाद-विरोधी स्वरूप को कम करने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे सिद्धान्त पेश किए जाते हैं जिनमें सोवियत संघ और अमेरिका से 'समान दूरी' बनाए रखने की बात की जाती है, तथा इस आन्दोलन को एक ऐसी तृतीय शक्ति का रूप दे देने के उद्देश्य से विचारों का प्रचार किया जाता है जिससे साम्राज्यवादी प्रचार समाजवाद और साम्राज्यवाद दोनों का ही समान रूप में विरोधी बताने की कोशिश करता है। साम्राज्यवादी और समाजवादी राज्यों को एक समान बताने की ये कोशिशें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की आधारभूत अवधारणाओं तथा इसके दस तावेजों की भावना और उनके मूल स्वरूप के ही विपरीत हैं।

वास्तविकता यह है कि सच्ची साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों के लिए 'समान दूरी' बनाए रखने का तात्पर्य होगा समाजवादी समुदायों के देशों से दूर हट जाना और संपर्क में अपने सहयोगियों के साथ सम्बन्धों को कमजोर बना देना और यह नव-उपनिवेशवाद के हितों के पूर्णतः अनुकूल सिद्ध होगा। जहाँ तक उन रुढ़िवादी ताकतों का प्रश्न है जो लम्बे समय से ऐसा समझती आ रही हैं कि उनके हित और विकसित पूँजीवादी देशों के सत्ताधारी अर्थिकों के हित समान हैं, लेकिन जो यह महसूस करती हैं कि वे अभी इन देशों का 'समान भागीदार' बन सकने के लिए पर्याप्त मात्रा में मजबूत नहीं हैं, उनके लिए गुट-निरपेक्षता के आधार पर 'समान दूरी' बना सिद्धान्त एक मुविधापूर्ण कार्यनीति के समान है तथा उनके अपने लिए एक प्रकार के 'प्रति-तन्तुलन' को हासिल करने का एक माध्यम है।

'नकारात्मक तटस्थता' की धारणा, अर्थात् हथियारों की होड़ का विस्फोट, निरस्त्रीकरण और तनाव में कमी के लिए संपर्क के समान विश्वव्यापी महत्त्व की

समस्याओं के समाधान में सहभागी बनने से इन्कार करने की धारणाओं में भी यह 'समान दूरी' वाला सिद्धान्त एक विशिष्ट रूप में प्रतिबिम्बित होता है। इसे मही मिद करने के लिए इस आशय की दलीले दी जाती हैं जैसे 'पहले विकास की जरूरत है और निरस्त्रीकरण में बाद में निपटा जा सकता है', या 'निरस्त्रीकरण में विकास-मान देशों का शायद ही कोई लाभ होगा', अथवा 'यह तो महाशक्तियों का मामला है' आदि। लेकिन विकास और निरस्त्रीकरण का अन्त सम्बन्ध ऐसा है कि निरस्त्रीकरण के बिना विकास अपने ऐतिहासिक अर्थों को ही खो देता है। हथियारों की होड़ को खत्म किए बिना और निरस्त्रीकरण के बिना विकास की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ताप-नाभिकीय विस्फोट होने पर विकास के परिणामों का लाभ उठाने के लिए कोई बाकी नहीं बचा रह सकेगा। इसलिए निरस्त्रीकरण का समस्त मानवजाति से सम्बन्ध है, और किसी भी राष्ट्र को इसका अधिकार नहीं है कि वह इस समस्या के समाधान से अपने आप को अलग-थलग बनाए रखे।

भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने एक वक्तव्य में निरस्त्रीकरण और विकास के अन्त सम्बन्ध पर जोर दिया था। उन्होंने सितम्बर, 1982 में सोवियत मध्य की अपनी यात्रा के ठीक पहले एक सोवियत सवाहदाता के साथ मेट-वार्ता के दौरान कहा था कि "मेरे विचार में हर एक को इसमें सहमत होना चाहिए कि सतार के लिए शान्ति परमावश्यक है, और केवल एक उच्च आदर्श के रूप में नहीं बल्कि उस व्यावहारिक कारण से भी हम सभी विकास में लगे हुए हैं और यह बात हम विनाशशील देशों पर ज्यादा लागू होती है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि श्रौद्योगीय देशों के लिए भी यही सही है। युद्ध हमेशा ही एक बड़ा भयानक मामला होता है, और अब जब कि नाभिकीय और अन्य प्रतिक्रियाशील हथियारों का आविष्कार किया जा चुका है, उसमें मानवजाति का ही अन्त हो सकता है। इसलिए शान्ति और तनाव-रहित्व भी, जो शान्ति की प्राप्ति में महायुक्त होता है, हमारे लिए परमावश्यक है।"

निरस्त्रीकरण और विकास के अन्त सम्बन्ध के प्रश्न का एक अन्य महत्वपूर्ण हालांकि अधिक सीमित पक्ष भी है। वह यह कि विकास के लिए वित्तीय और आर्थिक साधनों और समाधानों तथा अतिरिक्त तकनीकी सम्भावनाओं का मार्ग प्रगस्त हो जाना है वगैरें कि निरस्त्रीकरण की दिशा में सफलता का पदम धीमे बढ़ाया जाए। यह निम्नन्देह उन सभी राज्यों के, जो हथियारों की होड़ का मुख्य भार उठा रहे हैं तथा उन विकासमान देशों के हित में है, जिन्हें सहायता क नए समाधानों तथा महलों के नए स्वरूपों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उपलब्ध साँझों से एक नई और व्यापक अन्तनीय प्रवृत्ति स्पष्ट होती है विश्व के मैनिक व्यय में विकासमान देशों के धन में होने वाली तीव्र वृद्धि—1965 के 33 प्रतिशत न 1970 के 72 प्रतिशत तथा 1980 के 161 प्रतिशत तक।

वास्तव में विश्व के मैनिक व्यय का 16 प्रतिशत अपने आप में एक विनाश

राशि है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विकासमान देशों के लिए, जो पिछड़ेपन और गरीबी से पीड़ित हैं और जिनके लाखों-करोड़ों लोग भूख मर रहे हैं, तथा जहाँ भौतिक और वित्तीय समाधानों का अभाव है, विश्व के सैनिक व्यय का एक प्रतिशत भी किसी भी हालत में अत्यधिक विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकता। इसके अलावा यह एक तथ्य है कि ढाई दशकों से इस व्यय में विकासशील देशों का अंश बराबर बढ़ता ही जा रहा है और 1981-82 के आँकड़ों को देखते हुए यह प्रवृत्ति अब भी बराबर जारी है। विकासमान देश अब विश्व बाजार में हथियारों के मुख्य तुरीयदाता बन गए हैं, उनकी नियमित सशस्त्र सेनाओं में सैनिकों की संख्या मतार के सैनिकों की संख्या का 38 प्रतिशत है। 1980 में उनका सैनिक व्यय 73 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। इन तथा अन्य आँकड़ों से जाहिर है कि हथियारों की यह 'छोटे पैमाने पर होड़' विकासमान देशों के लिए बहुत खर्चीली सिद्ध हो रही है तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुत हानि पहुँच रही है।

यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हथियारों की होड़ के परिसीमन और तदन्तर निरन्त्रीकरण से न केवल भौतिक और मानव-शक्ति सम्बन्धी सहायनमुक्त हो सकेंगे बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की सम्भावनाएँ भी बहुत अधिक बढ़ सकेंगी जिससे विकासमान देश भी लाभान्वित होंगे। यही नहीं, इससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन की सम्भावनाएँ भी बढ़ेंगी।

सोवियत सच और समाजवादी समुदाय के अन्य देश भिन्न समाज व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहजीवन के तथा इनके मध्य न्यायोचित और समुचित आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के प्रबल समर्थक हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की माँग को समाजवादी सत्तार की पूरी सद्भावना प्राप्त है। इसके साथ ही जैसा कि सोवियत सरकार के 3 अक्टूबर, 1976 के उम वक्तव्य में जिसे सयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वितरित किया गया था, कहा गया है, विकसित पूँजीवादी राज्यों के प्रति विकासमान देशों द्वारा जो दावे पेश किए जाते हैं वे ही दावे सोवियत सच और अन्य समाजवादी देशों के प्रति पेश करना नहीं है। इन दावों को सर्वोपरि उम क्षति की पूर्ति के रूप में जो भूतपूर्व शासक देशों द्वारा औऽनिवेशित शोरा के जरिए सफ़ीकी-एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों को पहुँचाई गई है, तथा विकासमान देशों की उम क्षति की पूर्ति के रूप में ही मना जाना चाहिए जो अममान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के फलस्वरूप और बहुराष्ट्रीय निगमों की हरपतों के फलस्वरूप हुई है।

सोवियत सच और अन्य समाजवादी देश दर्जनों विकासमान देशों को आधारभूत सहायता प्रदान कर रहे हैं, और इस प्रकार उनके स्वाधीन राष्ट्रीय अर्थतन्त्रों के सुदृढीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तथा मुख्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के नम धान में उनकी मदद कर रहे हैं।

मोवियत सघ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य उपादान मानता है तथा विश्व राजनीति में गुट-निरपेक्ष देशों की बढ़ती हुई भूमिका और उनके कार्यक्रमों का स्वागत करता है। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के 22 नवम्बर, 1982 के पूर्णाधिकेशन में बोले हुए पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव यूरी आन्द्रोपोव ने कहा था— 'राज्यों के उस समूह का जिसने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को शुरू किया था, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इनमें अनेक के साथ सोवियत सघ के चौमुन्नी मंत्री सम्बन्ध कायम हैं जो दोनों ही पक्षों के लिए लाभप्रद हैं और ससार में स्थायित्व को और अधिक दृढ़ कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है भारत के साथ सोवियत सघ का सम्बन्ध। उन राज्यों के साथ जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति हासिल कर ली है, उन लोगों के साथ जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर रहे हैं, एकजुटता सोवियत विदेश नीति का एक आधारभूत निदान्त रहा है और आज भी बरकरार है।'

(B) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन : शान्ति और प्रगति के संघर्ष में स्वाभाविक भिन्न
—बी शेलैपिन (फरवरी, 1983)

आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विश्व में एक सबसे बड़ी और प्रभावशाली शक्तियों में है जिसमें लगभग 100 देश और संगठन शामिल हैं जिनकी प्रावादी डेढ़ अरब से अधिक है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का, विश्व की परिस्थिति को स्थिर रखने और साम्राज्यवादियों के अधिनायकत्व की तथा विनाशमान जगत् सहित विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्यवादी जोर-जबरदस्ती लादने की योजनाओं के कार्यान्वयन को नाकाम करने का महत्त्वपूर्ण कारक बन चुका है। आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन साम्राज्यवादियों द्वारा तेज की जा रही हथियारों की हॉंड के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण कारक है, शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सत्रप का एक कारक है।

गुट-निरपेक्ष देश उन ताकतों के पड़वन्धों का अधिनायकत्व बढ़ता के साथ मूह्तोड जवाब देते हैं जो विश्व को ताप-नाभितीय युद्ध की लाई में धकेल रहे हैं। फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का उद्देश्य नाभितीय हथियारों की हॉंड को रोकने के आन्दोलन के प्रयासों को मजबूत करना और अन्ततः राज्यों के शस्त्रागारा में नाभितीय हथियारों का पूरी तरह हटाया जाना सुनिश्चित करना था। मयुक्त राष्ट्र महामन्त्री के 37वें अधिवेशन में गुट-निरपेक्ष देशों ने ठीक यही रण्य प्रपनाया। सोवियत सघ, भारत आदि देशों की पहल का समर्थन गुट-निरपेक्ष देशों ने किया पर अमेरिका और नाटो के दूसरे सदस्यों ने उसके प्रति उदासीन रण्य प्रपनाया।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को सर्वोच्च महत्त्व देता है। दृढ़तापूर्वक माँग करता है कि बहुराष्ट्रीय इजारेदारियों के मनमाने शासन पर रोक लगाई जाए जो नवोदित राज्यों के प्राकृतिक ससाधनों को लूट रहे हैं और उनकी जनता का निर्भरतापूर्वक शोषण करते हैं। इन मसलों का सर्वांगीण रूप में विश्लेषण मार्च, 1981 में हवाना में आयोजित आन्दोलन के सम्बन्धित ब्यूरो के सम्मेलन में किया गया। अन्तिम दस्तावेजों में न केवल विकासमान देशों में इजारेदारी पूंजी की खतरनाक घुसपैठ का उल्लेख किया गया है, बल्कि विकासमान देशों के बीच आर्थिक सम्पर्क के बहुमुखी सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जहाँ तक सोवियत संघ और दूसरे सभी समाजवादी देशों का सम्बन्ध है तो इजारेदारियों की जोर-जबर्दस्ती के विरुद्ध संघर्ष में विकासमान देशों का साथ देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। इसके अलावा इसका भी बारम्बार उल्लेख किया गया है कि वे अपनी प्रतिष्ठा और सहायता से ऐसी स्थितियाँ निर्मित करते हैं जिनमें नवोदित राज्यों के लिए पश्चिमी देशों से पारस्परिक विनिमय की अधिक अच्छी शर्तें पाना आसान हो जाता है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की स्थितियों के राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषण में यह पता चलता है कि समकालिक समस्याओं पर गुट-निरपेक्ष देशों और समाजवादी देशों के रुखों के बीच व्यापक एकरूपता या मरझ्यता है। वास्तव में विश्व में एक मंच पर यह महत्त्वपूर्ण हितों की सर्वतोमुखी एकरूपता है।

साम्राज्यवाद इस प्रकार की दोस्ती को पसन्द नहीं करता है जो गुट-निरपेक्ष देशों और समाजवादी देशों की स्थिति को अत्यधिक मजबूत कर देती है। इसलिए यह न केवल गुट निरपेक्ष आन्दोलन को बल्कि प्रथमतया शान्ति, राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक प्रगति की शक्तियों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उभर आई है। इस दोस्ती को खत्म करने के लिए आर्थिक दबाव, राजनीतिक धम-पट्टी और परिष्कृत विचारधारात्मक कार्रवाई के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देश गुट-निरपेक्षता के विचार का समर्थन करते हैं। समाजवादी देशों ने सैनिक, राजनीतिक गठबन्धन को एक साथ खत्म करने का प्रस्ताव बार-बार पेश किया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में उन लोगों ने सुझाव दिया है कि मौजूदा गुटों में नए सदस्य नहीं भर्ती किए जाएँ और न उनके कार्यक्षेत्र विस्तृत किए जाएँ। लेकिन साम्राज्यवादी इस रचनात्मक प्रस्ताव के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाने के विपरीत नाटो के नए सदस्य शामिल करने, उत्तरी अटलांटिक में बहुत दूर तक उसका कार्य-क्षेत्र फैलाने, और नाटो जैसे नए पौजी-राजनीतिक समूह स्थापित करने (दक्षिण अटलांटिक सन्धि संगठन) के लिए कदम उठा चुके हैं। इसने नए रूप में सीएटो और सेन्टो जैसे गठबन्धनों को पुनर्जीवित किया है जो मृतप्राय हो चुके थे।

ईरान-ईराक भगड़े, अफगानिस्तान में सम्पन्न अप्रैल-क्रान्ति और उसे सोवियत

सघ द्वारा दी गई अन्तर्राष्ट्रीयतावादी सहायता के साथ ही कम्युनिस्टों की घटना के प्रति सदस्य देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण तथा आन्दोलन की सामाजिक विविधता का इस्तेमाल करते हुए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के शत्रु पुनः उसमें फूट डालने और उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आन्दोलनों के अन्दर विभिन्न रुझानों में पतभेद और असहमति को बढ़ावा देने की योजना तैयार करते हैं और प्रमत्ततापूर्वक उसके विघ्न खलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पर ये आंकलन भ्रमपूर्ण हैं। इस आन्दोलन के अनेकानेक निर्णयों में एकता के लिए सैन्यवाद का सामूहिक रूप से मुंहतोड़ जवाब देने और युद्ध को टालने के लिए प्रयत्नों की अभिव्यक्ति हुई और प्रथमतया दिल्ली में शिवर सम्मेलन आयोजित करने के सर्वसम्मति निर्णय में उसकी अभिव्यक्ति हुई है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि कुछ उन समस्याओं पर सर्वसम्मति हासिल की जा सकती है जो आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण हैं और "हम लोग विश्व-शान्ति कायम रखने के पक्षधर हैं।"

इस दृष्टिकोण का सोवियत सघ ने पूरा समर्थन किया है। सोवियत सघ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव यूरी आन्द्रोपोव ने नवम्बर, 1982 में आयोजित सोवियत सघ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन में कहा, "जिन राज्यों के समूह ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को जन्म दिया उनकी महत्ता अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में बढ़ती जा रही है। उनमें बहुत-से देशों के साथ सोवियत सघ के चहुँमुखी मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है तथा विश्व में और ज्यादा स्थिरता आती है। इसका एक उदाहरण भारत के साथ सोवियत सघ के सम्बन्ध हैं। जिन राज्यों ने औपनिवेशिक उत्पीड़न से आजादी हासिल की है, उस जनगण के साथ जो अपनी स्वाधीनता का कायम रखे हुए है, एकजुटता सोवियत विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धान्त रहा है और आज भी है।"

(C) अन्तर्राष्ट्रीय तनाव तथा विकासमान

देश : सोवियत दृष्टिकोण

—प्रो. के. चूत्तेन्तस (अक्टूबर, 1983)

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के जून में आयोजित पूर्णाधिवेशन तथा सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन न पुनः यह दिखला दिया कि सोमबपा और सोवियत सरकार शान्ति की सुरक्षा को वर्तमान समय में तथा निरन्तर भविष्य में मानव-जाति की महत्वपूर्ण समस्या मानती है। इन प्रस्तावों का अत्यधिक महत्त्व न केवल सोवियत कम्युनिस्टों और समग्र रूप में सोवियत जनता के लिए है बल्कि विश्व की जनता के लिए तथा तमाम देशों की सरकारों और जनगण के लिए है जिसमें विकासमान देश भी शामिल हैं। जहाँ तक युद्ध और शान्ति की सार्वभौमिक समस्या का सम्बन्ध है, विकासमान देशों की स्थिति का प्रायः उम समय बहुत महत्त्व है जब विश्व में दो प्रकार की नीतियों—शान्ति की

सुरक्षित रखने और मुहड़ करने की नीति तथा वह नीति जिसका उद्देश्य शान्ति की नींव को कमजोर करना है—के बीच टकराव हो रहा है।

केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए यूरी ग्रान्दोरोव ने कहा कि वर्तमान विश्व की एक बुनियादी विशेषता यह है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जिन्होंने औपनिवेशिक या अर्द्ध-औपनिवेशिक दासता में अपने को मुक्त कर लिया है, अधिकाधिक दृढ़ती हुई भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। इन देशों में जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं वे पेचीदा और बहुरूपीय हैं।

सोवियत संघ और भूतपूर्व औपनिवेशिक देशों के बीच में जो समाजवाद की ओर मनुष्यता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, विशेष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। साम्राज्यवादी ताकतें प्रभुत्व और जोर-जबर्दस्ती की जिस आक्रामक नीति का अनुसरण कर रही हैं, वह उन नव-स्वतन्त्र देशों के भी हितों के विपरीत है जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है। चूँकि ये देश चाहते हैं कि उनका आर्थिक पिछड़ापन दूर हो अतः उन्हें न्यायपूर्ण सहयोग और स्थायी शान्ति की आवश्यकता है। इनमें अनेक देश समाजवादी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को अपनी स्वाधीनता के दृढीकरण के साधन के रूप में मानते हैं। विकसित देशों के साथ अपने सम्बन्धों में सोवियत संघ ऐसी नीति का अनुसरण करता है जिसका उद्देश्य उनकी प्रभुसत्ता के लिए पूर्ण सम्मान और उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के आधार पर परस्पर लाभदायक सहयोग सर्वाधिक करना है।

साम्राज्यवादी राज्य भिन्न नीति का अनुसरण करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मुठभेड़ की अपनी सामान्य रणनीति के अनुरूप अमेरिका ने विकसित देशों के प्रति अपनी नीति मरुत बना ली है। वास्तव में इमने शक्ति प्रदर्शन की अपनी नीति को पुनरुज्जीवित कर दिया है।

विकासमान देशों पर और उनकी स्वाधीनता पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

अपने समग्र नीति मार्ग के अनुरूप अमेरिका विकासमान देशों के साथ अपने सम्बन्धों के नैतिक और राजनीतिक पक्ष को तीव्र कर रहा है। उस क्षेत्र में अमेरिका की वर्तमान नीति का उद्देश्य सैन्यीकरण और अधिकाधिक अमेरिकी नैतिक उपस्थिति है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विगड़ने से नवोद्भूत देशों की आर्थिक सम्भावनाओं में गम्भीर रूप से गिरावट आई है। हथियारों की होड़ में अविपुल राशि व्यय की जाती है, जिसके एक अंश का उपयोग महत्त्वपूर्ण समस्याओं के सुलभाने में फलप्रद रूप में किया जा सकता है। किन्तु साम्राज्यवादी राज्य ऐसी स्थितियाँ अपनाते हैं जिससे मुविदित सोवियत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में बाधा पड़ती है जो हथियारों की होड़ सीमित करने के फलस्वरूप बची हुई राशि के एक अंश का विकासमान देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने में सम्बन्धित है।

अमेरिकी साम्राज्यवाद जिस नीति का अनुसरण करता है उससे विराममान देश हथियारों की होड़ में शामिल होने हैं। अकटाड सचिवालय के अनुसार

1971-81 के दौरान विक्राममान देशों का सैनिक व्यय लगभग ढाई गुना बढ़ गया और विश्व के सैनिक व्यय में इनका भाग 10% से बढ़कर 19% हो गया है।

निस्सन्देह बहुत-से मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थिति की विशिष्टताओं में खास तौर से कुछ हकूमतों की अपनी जनता के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए हथियार खरीदने की इच्छा में, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध वे जो नायकत्ववादी मनुष्य रखते हैं, उनमें तथा प्रथमतया राष्ट्रीयतावादी आधार पर नवोदित राज्यों में उभरी मुठभेड़ों और प्रतिद्वन्द्विताओं में भी जिन्हें साम्राज्यवादी कारगर ढंग से बढ़ावा देते हैं, इस घटना की जड़ें जमी हुई हैं किन्तु अधिकांश मामलों में साम्राज्यवादी नीति से सम्बन्धित कारक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। विस्तृत होते हुए भी सैनिक औद्योगिक समुच्चय को-ग्राम तौर में आजकल जबकि आधुनातन शस्त्रों की कीमते ग्राममान छू रही हैं—अधिकाधिक बृहत्तर एवं अधिक लाभप्रद बाजारों की आवश्यकता होती है। साम्राज्यवादी आपूर्तिकर्ताओं के मसूवों के अनुसार हथियारों के निर्यात के कारण भी विक्राममान राष्ट्रों की सैनिक साज-सामान के विनिर्माताओं पर सैनिक और प्राविधिक निर्भरता बढ़ती जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ने की वर्तमान अमेरिकी नीति के अग्रिम अंग के रूप में विश्व के विभिन्न भागों-दक्षिण-पूर्व एशिया से मध्य अमेरिका तथा अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक में तनाव कायम रखने और उसे तेज करने की रणनीति है और इस कारण बिस्फोटक केन्द्र सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनमें काफी केन्द्र विक्राममान देशों के क्षेत्र में हैं। इसकी वजह से इन राज्यों में हथियारों की होड़ फैलती है। उदाहरणार्थ, यह सभी जानते हैं कि मध्य-पूर्व उन क्षेत्रों में है जहाँ हथियारों का जमावड़ा सबसे अधिक है। यह भी ज्ञात है कि यह मुख्यतया इजरायल की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ जिसका अमेरिका समर्थन और पृष्ठपोषण करता है।

पिछले अनेक वर्षों से मध्य-पूर्व विवाद के न्यायपूर्ण और सर्वांगीण समाधान के उद्देश्य से की गई सभी राजनीतिक पेशकशियों को अमेरिका ठुकराता आ रहा है। इनमें मोनियत मध्य के उम प्रस्ताव के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखलाई जिसमें इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ खत्म करने की समस्या के समाधान की तलाश करने की बान निस्सन्देह मध्य-पूर्व की सभी समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित थी। इतना ही नहीं अमेरिका उदारतापूर्वक आक्रमणकारी को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण उसके इस कदम की घोषणा है जो सैनिक रूप में महत्वपूर्ण है यानी 75 एफ-16 विमानों की डिलेवरी।

अन्य के सैनिक पक्ष पर जोर और विक्राममान देशों को नाटो और वारसा सन्धि के बीच 'लड़ाई के क्षेत्र' के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशों को एक और नश्व की सिद्धि के लिए साम्राज्यवाद इस्तेमाल कर रहा है। भारी जोर-शरारत मचाकर तथा मोक्षित-विरोधी लक्ष्यी कर व विक्राममान देशों को साम्राज्यवादी राज्यों

से की गई इस जनवरत मांग की आवाज बन्द कर देना 'चाहते हैं कि उन्हें आर्थिक सम्बन्धों में न्यायपूर्ण हिस्सा मिले। यह किसी भी प्रकार से संयोग की बात नहीं है कि वही अमेरिकी प्रशासन जिम्मेदार मुठभेड़ का रास्ता अपनाया है, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग के प्रति नकारात्मक रूप में, अ-सरचनात्मक रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है।

इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान विगड़ो हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो हथियारों की बेलगाम होड़ कायम रखने तथा तनाव बढ़ाने की साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न हुई है, अधिक निर्मम ढंग से विकासमान देशों के उन बुनियादी हितों पर आघात करती है, जो, मानव-जाति के लिए एक समान है क्योंकि उसमें विश्व-शान्ति कायम रखने तथा ताप-नाभिकीय युद्ध रोकने की बात शामिल है और जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रणाली में विशिष्ट रूप में उनकी वस्तुगत स्थिति में भी उत्पन्न होती है क्योंकि वे किसी जमाने में साम्राज्यवाद के उपनिवेश और आश्रित देश रहे हैं।

हाल की अवधि में विकासमान देशों की वैदेशिक नीति की स्थिति के विकास का विशिष्ट स्वरूप यह है कि बहुमध्यक देशों की जनता और सरकारों में यह जागरूकता बढ़ती जा रही है कि साम्राज्यवाद की आक्रामक नीति नव-स्वतन्त्र राज्यों के विरुद्ध भी निर्देशित है।

हाल में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की इस केन्द्रीय समस्या पर सर्वप्रथम शान्ति और तनाव-शैथिल्य की रक्षा तथा हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने पर ध्यान केन्द्रित किया तथा यह निर्धारित किया कि इन उद्देश्यों की मिट्टि के लिए सघर्ष गुट-निरपेक्ष देशों की वैदेशिक नीति का बुनियादी लक्ष्य है।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने दिखा दिया कि राष्ट्र साम्राज्यवाद की आक्रामक और सैन्यवादी नीति का विरोध अधिकाधिक कर रहे हैं। अन्तिम घोषणा में दिल्ली में जमा होने वाले राज्यों और सरकारों के प्रधानों ने साम्राज्यवादी राज्यों को मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, हिन्द महासागर आदि में तनाव के स्रोत के मूजने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका द्वारा सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के प्रयत्न, 'शक्ति द्वारा प्रतिकार' और 'सीमित' नाभिकीय युद्ध के अमेरिका सिद्धान्त और वाशिंगटन की विशिष्ट सैनिक-राजनीतिक जिम्मेदारियों की प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में निन्दा की गई।

गुट-निरपेक्ष देशों की इस राजनीतिक लाइन की पुनर्पुष्टि व्यूनोस आयर्स में आयोजित ग्रुप 77 की पाँचवी बैठक में, अप्रैल के मध्य में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की बैठक में भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषण में तथा मोनाम्बिक लोक जनतन्त्र के राष्ट्रपति समारो मार्वेल और अंगोला लोक जनतन्त्र के राष्ट्रपति जोसे एदुआदो दोस मान्तोस की समाजवादी देशों की यात्राओं के दौर में हुई।

साम्राज्यवादी राज्य दिवास्मान देशों को ज्ञाति और तनाव-अभिरुचि के लिए होने वाले भ्रष्ट में भाग लेने से रोकने के लिए तुल्य बँडे हैं। वे उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोवियत विरोधी उर्हेंव्यों का अनुसरण करते हुए उनकी धाक्रामक ऊरंवाई विकानमान राष्ट्रों को प्रभावित नहीं करती। इन नमूनों को नाकाम करना स्वयं विकासमान राष्ट्रों के हितों में है, और हर चीज यह दिखलाती है कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूक दांन बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन्हें दबाकर करने का इरादा वे नहीं रखते। ज्ञान्ति के ध्येय की हिफाजत करन, हथियारों की होड के विरुद्ध, साम्राज्यवाद की धाक्रामक नीति के विरुद्ध सघर्ष गहन करने में विकानमान देशों का योगदान बढ़ाने में उनकी क्षमता के सम्बन्ध में जायद ही किमी से सन्देह हो सकता है। पश्चिम यूरोप में अमेरिकी पणिय-2 और क्रूज क्षेपणास्त्रों की प्रस्तावित तैनाती जैसे मूलभूत नस्ते के बारे में भी यही बात सच है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह नमस्या विकासमान देशों से भौगोलिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में बहुत अलग है। किन्तु वास्तव में इसका उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। वस्तुतः इन क्षेपणास्त्रों की कारंवाई के क्षेत्र के अन्तर्गत अफ्रीकी राज्या का एक पूरा नमूह धाता है।

किन्तु मुख्य बात यह है कि यूरोप में अमेरिकी योजना के कार्यान्वयन में युद्ध का नतरा तेजी से बढ जाएगा, यह सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को पूरी तरह जहरीला बना देगा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगा जिसमें विकानमान देशों के महत्त्वपूर्ण हितों की रक्षा और अधिवृत्ति हो जाएगी।

सोवियत नय अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी भूमिका बढ़ाना मुगम बनाता है। यूरी आन्ड्रोपोव ने बताया, "संक्षेप में, हमारे युग में समाजवाद ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्वस्थ तत्त्वों का सबसे अडिग रक्षक है, तनाव-अभिरुचि और ज्ञान्ति के हितों का, प्रत्येक जनगण और नमूरुं मानव-जाति के हितों का रक्षक है।"

और-जवरदन्ती और गुनाम बनाने की साम्राज्यवादी नीति के मुनाबले सोवियत नय विकानमान देशों के साथ सच्ची समानता मित्रता और सहयोग की नीति प्रस्तुत करना है।

(D) मध्य-पूर्व समस्या के निपटारे के बारे में सोवियत संघ के प्रस्ताव

मध्य-पूर्व में मौजूदा विस्फोटक स्थिति पर चिन्तित होने हुए सोवियत नय इस बात के प्रति गहन रूप से धाश्वस्त हो गया है कि इन क्षेत्र के जनगण के महत्त्वपूर्ण हित तथा इसी प्रकार सर्वोपरि, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मध्य-पूर्व समस्या के यथाशीघ्र विस्तृत न्यायपूर्ण तथा न्यायी निपटारे की आवश्यकता की ओर उचित करते हैं।

इसी तरह यह इन बात के प्रति धाश्वस्त है कि सभी सम्बन्धित पक्षों की सहभागिता सहित सामूहिक प्रयासों के जरिए ही विस्तृत, सच्चे अर्थों में न्यायपूर्ण तथा वास्तव में न्यायी निपटारे की रूपरेखा निर्धारित की जा सकती है और उसे शिथिल बनाया जा सकता है।

इस बात को ध्यान में रखकर मध्यपूर्व में शान्ति की स्थापना में अशदान करने की इच्छा के साथ यह मध्यपूर्व की समस्या के निपटारे में सम्बन्धित सिद्धान्तों एवं इसकी ओर अग्रसर होने के तरीकों के बारे में निम्न प्रस्ताव रखता है—
मध्य पूर्व समस्या के निपटारे से सम्बन्धित सिद्धान्त

1 आक्रमण के जरिए विदेशी धरती पर अधिकार करने की अस्वीकार्यता के सिद्धान्त का बड़ाईपूर्वक पालन करना चाहिए। तदनु रूप, इजराइल द्वारा 1967 से हथियाए गए ममस्त क्षेत्रों—गोलान हाइट्स जोर्डन नदी का पश्चिमी तट तथा गाजा क्षेत्र लेबनान की धरती—को तुरन्त अब जन को लौटा देना चाहिए। इजराइल द्वारा अब क्षेत्रों में 1967 के बाद स्थापित की गई वस्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। इजराइल तथा इसके अरब पड़ोसियों के बीच सीमाओं को प्रलम्ब घोषित करना चाहिए।

2 फिलिस्तीनी जन के, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जिनका एकमात्र बंध प्रतिनिधि है आत्म-पनर्दाय के, फिलिस्तीनी धरती, जिसे इजराइली कब्जे से मुक्त कराया जाएगा, जोर्डन नदी के पश्चिमी तट पर तथा गाजा क्षेत्र में, अपने स्वयं के स्वतन्त्र राज्य का नृजन करने के अधिकिष्ठ अधिकार के व्यवहार रूप में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसी कि फंड में आयोजित शिखर-स्तरीय अरब बैठक के निर्णय में परिकल्पना की गई है तथा स्वयं फिलिस्तीनियों की सहमति से, जोर्डन नदी के पश्चिमी तट तथा गाजा क्षेत्र को इजराइल द्वारा मक्षिप्त सक्रमण-काल के दौरान—जो कुछ महीनों से ज्यादा की अवधि नहीं होगी—सयुक्त राष्ट्र-संगठन के नियन्त्रण के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जा सकता है।

स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्य के नृजन के बाद यह स्वाभाविक ही, स्वयं प्रत्येक में अन्तर्निहित सम्प्रभु अधिकारों के तहत, पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों का स्वरूप निर्धारित करेगा जिसमें परिसर का गठन करना भी शामिल है।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपने घरों को लौटने का या उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए समुचित मुआवजा पाने का अधिकार स्वीकृत करना चाहिए जैसी कि मसुक्त राष्ट्र के निर्णयों में व्यवस्था है।

3 यहूशालम का पूर्वी भाग, जिस पर 1967 में इजरायल ने अधिकार कर लिया था और जहाँ मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ-स्थल मौजूद है, अरब जन को लौटा देना चाहिए। इसे फिलिस्तीनी राज्य का अधिकिष्ठ अंग बन जाना चाहिए। सम्पूर्ण यहूशालम में तीनों धर्मों के पवित्र तीर्थ-स्थलों तक धर्मावलम्बियों की पहुँच को स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करना चाहिए।

4 इस क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के सुरक्षित रहने के तथा स्वतन्त्र अस्तित्व व विनाम के अधिकार को वास्तव में, निश्चय ही, पूर्ण पारस्परिकता के पालन के अनुसार, सुनिश्चित बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ जंगलों की वास्तविक सुरक्षा को दूसरों की सुरक्षा की अवहेलना के जरिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

5 अरब राज्यों व इजरायल के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त करना

चाहिए तथा शान्ति स्थापित करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि इजरायल व फिलिस्तीनी राज्य समेत संघर्ष से सम्बन्धित सभी पक्षों को एक-दूसरे की सम्प्रभुता स्वतन्त्रता व क्षेत्रीय अखण्डता का परस्पर सम्मान करने के लिए, मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत के जरिये तय करने की वचनबद्धता ग्रहण करनी चाहिए।

6 निपटारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों की व्यवस्था करनी चाहिए तथा इन्हें स्वीकृत करना चाहिए। गारण्टीदाता की भूमिका, मिताल के तौर पर, सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों अथवा पूरी सुरक्षा परिषद् द्वारा निर्भाई जानी चाहिए। मोवियत संघ इस प्रकार की गारण्टियों में सहभागिता करने के लिए तैयार है।

समझौते का मार्ग

अनुभव से अरब जन पर इजरायल के साथ अलग-अलग समझौते करने के लिए दबाव डालने के जरिए मध्यपूर्व समस्या को हल करने की निरर्थकता तथा साथ ही इसमें निहित खतरा अत्यन्त सन्तोषजनक ढंग से प्रदर्शित हो गया है।

समस्त सम्बन्धित पक्षों के सामूहिक प्रयास, दूसरे शब्दों में, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आयोजित मध्यपूर्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संरचना के तहत बातचीत मध्यपूर्व समस्या के आमूल समाधान को सुनिश्चित करने का एकमात्र उचित तथा प्रभावशाली तरीका है। मोवियत संघ की राय में ऐसे सम्मेलन का आयोजन करने के लिए निम्न व्यवस्थाओं से निर्दिष्ट होना आवश्यक है।

सम्मेलन का उद्देश्य

मध्य-पूर्व समस्या के समस्त पहलुओं का हल खोजना इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

सम्मेलन की परिणति सन्धि या सन्धियों पर हस्ताक्षरों के रूप में होनी चाहिए जिनमें समझौते से सम्बन्धित निम्न तत्त्व शामिल होने चाहिए—1967 से अधिभूत ममस्त अरब प्रदेशों से इजरायली सैनिकों को हटाना, फिलिस्तीनी अरब जन के अपने स्वयं के राज्य का सृजन करने के अधिकार सहित बंध राष्ट्रीय अधिकारों का क्रियान्वयन, शान्तिपूर्ण स्थिति की स्थापना तथा ममस्त राज्यों की सुरक्षा एवं उनके स्वतन्त्र विकास को सुनिश्चित बनाना। इसके साथ ही, ऐसे समझौते की शर्तों के परिपालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियाँ दी जानी चाहिए। सम्मेलन में होने वाले ममस्त समझौतों को इसके समस्त सहभागियों द्वारा एकीकृत रूप में स्वीकार करना चाहिए।

सहभागियों की संरचना

उन ममस्त राज्यों को, जिनकी इजरायल के साथ सीमाएँ लगती हैं, अर्थात् सीरिया, जोर्डन, मिस्र, लेबनान तथा स्वयं इजरायल को सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।

फिलिस्तीनी मुक्ति मगठन को फिलिस्तीनी जन के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में ममान रूप से भाग लेना चाहिए। यह संद्वान्तिक महत्त्व का प्रश्न है क्योंकि फिलिस्तीनी समस्या को हल किए बिना मध्य-पूर्व समस्या का निपटारा नहीं हो सकता और इसे फि स की सहभागिता के बिना हल नहीं किया जा सकता।

सोवियत मध तथा अमेरिका को भी सम्मेलन में भी भाग लेना चाहिए क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर ये मध्यपूर्व सम्बन्धी मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा ये मध्यपूर्व सम्बन्धी पहले सम्मेलन के सह-अध्यक्ष थे।

मध्य-पूर्व के तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के कुछ अन्य राज्यों को, जो मध्य-पूर्व समस्या के समाधान में सकारात्मक अशदान करने में सक्षम हैं, सामान्य सहमति से सम्मेलन के सहभागियों में शामिल किया जा सकता है।

सम्मेलन की कार्य-पद्धति

पिछले सम्मेलन की भांति, मध्य-पूर्व-द्विपक्षक सम्मेलन समुक्त राष्ट्र सगठन के तत्त्वाधान में आयोजित किया जाना चाहिए।

निपटारे के प्रमुख मुद्दों की जाँच करने के लिए (इजरायली सैनिकों की वापसी तथा सीमा रेखा, फिलिस्तीनी समस्या, यरूशलम का प्रश्न, गुद्ध-स्थिति की समाप्ति तथा शान्ति की स्थापना, उन राज्यों की सुरक्षा की समस्या जिन्होंने इस सघर्ष में भाग लिया, समझौते के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियाँ, इत्यादि) सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच से कार्य-टोलियों (आयोगों) का गठन सम्मेलन के कार्य का मुख्य आधार हो सकता है।

आवश्यकता पडने पर केवल इन दो देशों से सम्बन्धित समझौते का ब्यौरा तैयार करन के लिए द्विपक्षीय टोलियाँ गठित की जा सकती हैं।

सम्मेलन के कार्य के प्रारम्भिक चरण में, इसमें भाग लेने वाले राज्य का प्रतिनिधित्व विशेष मन्त्रियों द्वारा तथा आगे चलकर विशेष रूप से नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है, आवश्यक होने पर मन्त्रिगण समय-समय पर सम्मेलन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं।

मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शान्ति की स्थापना तथा इस क्षेत्र में विस्फोटक स्थिति समाप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर सोवियत सघ इस सघर्ष में सम्बन्धित मामस्त पक्षों में एक-दूसरे के वैध अधिकारों व हितों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने हुए आगे बढने की अपील करता है, क्योंकि अन्य सभी राज्यों को इस समस्या के समाधान के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे समाधान के लिए किए जा रहे प्रयास में अशदान करना चाहिए।

(E) सोवियत नीति की अविचलता

निकोलाई ओबोतोव (मार्च, 1985)

11 मार्च, 1985 को आयोजित सोसकपा की केन्द्रीय समिति के विशेष

पूर्णाधिकेवन मे निर्वाचित महासचिव मिखाइल गोर्बाच्योव न जैसा कहा प्रदेस नान के क्षेत्र मे सोवियत सघ का मार्ग स्पष्ट और मुसगत है। यह शान्ति और प्रगति का मार्ग है।

इन शब्दों ने पुन विस्वसनीय रूप से शान्तिपूर्ण सहजीवन के लिए सबने बड़े समाजवादी राज्य की नीति की अविचलता की पुष्टि कर दी। रूसका वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में और भी ज्यादा महत्त्व है, क्योंकि अमेरिका के सैन्यवादी क्षेत्रों द्वारा जानबूझ कर की गई गलत कार्यवाई के कारण वह परिस्थिति बिगड़ गई है।

वास्तव में उन अमेरिकी क्षेत्रों के अलावा दूसरे गोंगों ने हथियारों की होड़ जारी रखने और गहन करने, एशिया, अफ्रीका एवं लातीनी अमेरिका के अनेक स्वतन्त्र देशों के विरुद्ध राज्य द्वारा संचालित आतङ्कवाद की नीति का अनुसरण करने और उस नीति को जारी रखने तथा स्थानीय मुठभेड़ भड़काते रहने तथा आम सुलगाते रहने का काम नहीं किया है।

उदाहरणार्थ, गुटनिरपेक्ष अफगानिस्तान के विरुद्ध आघोषित युद्ध में हिन्द महासागर में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में सब प्रकार में वृद्धि इसका एक गद्यून है। एशिया और अफ्रीका के अनेक देश इसमें अपनी स्वाधीनता के लिए भीषा अंतरा समझते हैं जो उचित ही है।

वास्तव में, हिन्द महासागर में अमेरिका ने सैनिक अड्डों और केन्द्रों की शृंखला स्थापित की है और नाभिकीय अस्त्र तैनात किए हैं जिनकी मार की परिधि में सोवियत सघ और उसके मित्र देशों के भू-भाग ही नहीं आते हैं। एशिया में ही वाशिंगटन पुन सैन्यवादी गठबन्धन और गुट कायम करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वाशिंगटन, टोकियो सियाले गुट जिनका आक्रामक रूप आज भी एशियाई देशों में चिन्ता पैदा कर रहा है।

सामान्यतया विश्व की और विशेष रूप में एशिया की परिस्थिति ने मास्को को आशङ्कित कर दिया था और आज भी आशङ्कित कर रही है। किन्तु वह इस परिस्थिति को अटल नहीं मानता है, इसके विपरीत यह परिस्थिति ऐसी जटिल हो गई है जो सोवियत नेताओं की राय में लोगों को शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति के अनुपालन करने में दूना प्रयास करने के लिए बाध्य करती है।

सोवियत सघ में इस बात का श्ठ विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को सुधारना, अधिग्रहणों की होड़ रोकना, अस्थिरता मुक्त हो आराम और श्ठि उर पूरी तरह पत्म करना सम्भव है। जहाँ तक एशियाई महाद्वीप का सम्बन्ध है, मास्को का विश्वास है कि उसके बारे में भी शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सकता है। इस सम्बन्ध में सोवियत सघ भारत तथा दूसरे शान्ति वा भी एशियाई देशों की प्रगतिशील विदेश नीति की अत्यधिक मराहना करता है।

एशिया की समस्याओं को शान्तिपूर्ण रूप में सुलझाने का यथासंवादी आधर मौजूद है। शान्तिपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध कायम करने के, वन प्रयोग

को परित्याग करने, विवादग्रस्त मामलो और टकरावों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने, समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का पालन करने, प्रभुसत्ता और सीमाओं की अनुत्लघनीयता का सम्मान करने और आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की इच्छा मौजूद है। अन्तिम बात यह है कि समस्या के हल का यह आधार परस्पर लाभदायक आर्थिक और अन्य सहयोग का विकास तथा सामाजिक प्रगति के मार्ग का स्वतन्त्र व मनपसन्द चुनाव हो सकता है।

सोवियत सघ की विदेश नीति सम्बन्धी सभी कार्यकलाप इन्हीं उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहले भी और आज भी उन्मुख है। सोमकपा की केन्द्रीय समिति के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा, "हम लोग दृढ़तापूर्वक शान्ति और शान्तिपूर्ण सहजीवन के लेनिनवादी मार्ग का अनुसरण करेंगे। सोवियत सघ सद्भावना के बदले सद्भावना और विश्वास के बदले विश्वास देगा।" निश्चय ही इस मार्ग की अविच्छिन्नता की पुष्टि के रूप में कोई भी व्यक्ति उनके कथन में यह अर्थ निकाल सकता है कि सोवियत सघ आठवें दशक में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी करने में हासिल सफलताओं को मूल्यवान मानता है और वह समानता, पारस्परिक सम्मान और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के आधार पर राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण, परस्पर लाभदायक सहयोग स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भाग लेने के लिए तैयार है।

मास्को ने हमेशा उन जनगण के साथ एकजुटता को अपनी विदेश नीति का बुनियादी सिद्धान्त माना है जिन्होंने औपनिवेशिक दासता के जुए को उतार फेंका है और जो स्वाधीन विकास के मार्ग पर बढ चले हैं। विशेष रूप से उनके साथ जिन्हे साम्राज्यवाद की आक्रामक शक्तियों के हमले को नाकाम करना पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा दृढ़ करने के लिये में सोवियत सघ विश्व में शान्ति की सभी शक्तियों के साथ सहयोग करता है। जैसा कि सोवियत नेताओं ने ज़ोर देकर कहा कि जनगण के अधिकार और मानव जाति का शान्तिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयास में सोवियत सघ विकासमान देशों को अपना सहज मित्र और साथीदार मानता है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की युद्ध-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी और उपनिवेशवादी विरोधी उन्मुखता की, जिसकी पुष्टि नई दिल्ली में दो वर्ष पहले आयोजित गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर-सम्मेलन में हुई थी, सोवियत जनता अत्यधिक मराहना करती है। सोवियत सघ में इस बात का विश्वास किया जाता है और जैसा कि स्वयं नव-स्वाधीन देशों के सम्बन्ध में हुआ, पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता पाना, राष्ट्रीय अर्थतन्त्र का विकास और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में जनवादी पुनर्संरचना सुनिश्चित करना तभी सम्भव है जब इन लक्ष्यों को हथियारों की हड़ और युद्ध के खतरे के विरुद्ध सशर्त के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ने के प्रयास किए जाएँ।

कोई भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि सोवियत राज्य की इस सिद्धान्तनिष्ठ विदेश नीति को जो सोमकपा की वाशिंगटन और सोमकपा की

केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशनो में, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों और सोवियत नेताओं के भाषणों में सूत्रबद्ध हैं, आगे जारी रखा जाएगा। इसका स्पष्ट प्रमाण सोसकपा की केन्द्रीय समिति के महासचिव द्वारा कही गई बातों में है।

मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा है, "सोवियत संघ ने औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए जनगण के सघर्ष का सर्वदा समर्थन किया है और आज हमारी सहानुभूति एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के देशों के प्रति है जो अपनी स्वाधीनता मजबूत करने तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे लिए वे स्थायी शान्ति के सघर्ष में, जनगण के बीच देहतर और न्यायपूर्ण सम्बन्धों के सघर्ष में मित्र और साभेदार हैं।"

(F) नवोदित राज्यों के मित्र और शत्रु —स्वेवोलोद ओवचिन्निकोव (जनवरी, 1983)

सोसकपा की 26वीं कांग्रेस के तुरन्त बाद सोवियत संघ ने एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के नव-स्वतन्त्र देशों के साथ अपने सम्बन्ध कायम रखने में पाँच मूलभूत सिद्धान्त सूत्रबद्ध किए। इस 'आचार संहिता' का पालन सोवियत संघ अविचल रूप से करता है और अमेरिका का आह्वान करता है कि वह भी इस प्रकार काम करे। वर्तमान परिस्थिति में 'आचार संहिता' का तात्पर्य निम्नलिखित बातों से है—

हर जनता को अपने आन्तरिक मामले का प्रबन्ध बिना बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं करने के अधिकार की मान्यता, उनके ऊपर प्रभुत्व या अधिनायकत्व स्थापित करने अथवा उन्हें किसी शक्ति के 'हितों के प्रभाव क्षेत्र' में शामिल करने की कोशिशों का परित्याग,

इन देशों की क्षेत्रीय प्रखण्डता तथा उनकी सीमाओं की अनुकूलनीयता का सम्मान, इन देशों को विभाजित करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले किसी अलगवादी आन्दोलन का बाहर से समर्थन नहीं करना,

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के हर एक राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के समान अधिकार के साथ सहभागी होने के तथा किसी देश के साथ सम्बन्ध विवक्षित करने के अधिकार को बिना शर्त मान्यता,

अपने प्राकृतिक ससाधनों पर इन राज्यों की प्रभुत्ता की पूर्ण और बिना शर्त मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में उनकी पूर्ण समानता की भी यथासंभव मान्यता संयुक्त राष्ट्र के सुविदित प्रस्तावों के अनुसार उपनिवेशवाद के अवशेषों को नष्ट करने तथा नस्लवाद और पृथक्वासन का उन्मूलन करने के उद्देश्य से किए गए उनके प्रयासों का समर्थन करना,

अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार की गई गुट-निरपेक्षता की हैसियत का सम्मान करना।

सोवियत-भारत सम्बन्ध इन सिद्धान्तों के पालन में किए जाने के स्पष्ट उदाहरण का काम करते हैं। वे यह दिखाते हैं कि मित्र सामाजिक व्यवस्थाओं

वाने राज्यों के बीच यह सहयोग किन्ना फलप्रद हो सकता है वशर्तें कि वे सद्भावना और एक-दूसरे के हितों के सच्चे सम्मान पर आधारित हो ।

हमारे आर्थिक सम्बन्ध सामञ्जस्यपूर्ण ढंग से समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों पर भारत को भारी उद्योग की नींव का निर्माण करने तथा देश की र्इधन और ऊर्जा क्षमता को मजबूत बनाने जैसी उसकी कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याओं को मुलभाने में सहायता करने के साथ सम्बद्ध करते हैं ।

इसके अलावा, भारत इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत है कि सोवियत सघ ने कभी इन सम्बन्धों का इस्तेमाल लाभ हासिल करने या राजनीतिक दबाव और जोर-दबर्दरती के औजार के रूप में नहीं किया है । इस बात को नोट करना चाहिए कि सोवियत सघ और भारत के बीच मित्रता और सहयोग का विकास किसी दूसरे देश के हितों को या उसकी सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुँचाता है । वास्तव में यह एशिया और समग्र रूप में विश्व में पणिस्थिति पर अनुकूल प्रभाव डालता है ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका बढ़ रही है, जिसका भारत एक सस्थापक और मान्यता प्राप्त नेता है । अधिकांश राज्यों द्वारा गुट-निरपेक्ष हैमियत अपनाने के कारण उसके प्रति अपना सम्मान फिर से दुहराते हुए सोवियत सघ ने यह प्रस्ताव किया कि नाटो और वारसा सन्धि के अग्रणी निम्नय ऐसा वक्तव्य दे कि वे इन गठबन्धनों का कार्यक्षेत्र एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका तक नहीं फैलाएँगे । सोवियत प्रस्ताव का दूसरे समाजवादी देशों ने वारसा सन्धि के विदेश मन्त्रियों की ममिति के अधिवेशन में समर्थन किया ।

• सोवियत सघ ने शान्ति सम्बन्धी जो दूसरी पेशकदमी की है, वह भी नव-स्वाधीन देशों के महत्त्वपूर्ण हितों में है, जो पूर्व-पश्चिम संनिध मुठभेड का मच नहीं बनना चाहते हैं । उदाहरणार्थ, सोवियत सघ ने सागरी और महानागरी के बडे भाग में विश्वास-निर्माण सम्बन्धी पगों को विन्तृत करने की जो अपील की है, वे हिन्द महासागरीय देशों के उन प्रयासों के अनुरूप हैं जो इस क्षेत्र को शान्ति के क्षेत्र में बदलना चाहते हैं । इस प्रश्न पर मयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के कार्यान्वयन रोकने की कुछ शक्तियों की, विशेष रूप में अमेरिका की कोशिश के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जिससे इस विशाल क्षेत्र को ठोस लाभ मिलते, अथ तक आयोजित नहीं किया जा सका जो बहुत पहले आयोजित हो गया होता ।

यहाँ तक कि आज भी सम्मेलन के आयोजन का इन्तजार किए बिना सोवियत सघ ने उन तमाम राज्यों से अपील की है जिनके पोत हिन्द महासागर के जल का इस्तेमाल करते रहे हैं कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएँ जिससे इस क्षेत्र की परिस्थिति पेचीदा बन जाए । इसका यह अर्थ होता है कि वे उसमें जल-मना की बडी इकाइयाँ नहीं भेजे, वहाँ नैम्य प्रशिक्षण अभ्यास संचालित नहीं करें, और वे गैर-तटवर्ती राज्य जिनके हिन्द महासागर के क्षेत्र में ऐसे अड्डे हैं, अपने युद्ध के अड्डों का विस्तार नहीं करें और न उनका आधुनिकीकरण करें ।

लगभग दो वर्ष पहले सोवियत संघ ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तनाव खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा। वहाँ जल-सेना और वायु-सेना के नए दस्ते, सेना और हथियार तैनात करने के बदले में जैसा कि नाटो की अग्रणी शक्तियाँ, विशेष रूप से अमेरिका कर रहा है, सोवियत संघ ने उस क्षेत्र के राज्यों के सम्प्रभु अधिकारों की तथा इसे दुनिया के शेष भागों से सम्बद्ध करने वाले सागरीय और संचार मार्गों की सुरक्षा की गारण्टी करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सम्पन्न करने का प्रस्ताव किया है।

जीवन के भूमध्यसागर में शान्ति का क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य में की गई सोवियत पहल की समयोचितता की पुष्टि कर दी है। परिस्थिति और भी भयावह हो जाएगी यदि अमेरिका के नए मध्यम-परास वाले नाभिकीय शस्त्रों को इटली तथा दूसरे पश्चिम-यूरोपीय देशों में तैनात किया गया, क्योंकि इन प्रक्षेप्यास्त्रों का हस्त न केवल पूर्व की ओर रखा जा सकता है बल्कि इन्हें दक्षिण की ओर भी उन्मुख किया जा सकता है और अफ्रीका के भूमध्यसागरीय राज्यों तथा मध्य-पूर्व के लिए भी नाभिकीय जोर-जबर्दस्ती के औजार बन सकते हैं। सोवियत प्रस्ताव में उन विश्वास निर्माण सम्बन्धी पगों को प्रसारित करने की परिकल्पना है जिनमें वहाँ सहमति के आधार पर हथियारबन्द सेनाओं में कटौती करने तथा भूमध्य सागर के गैर-नाभिकीय राज्यों के भू-भाग पर नाभिकीय शस्त्र तैनात नहीं करने और भूमध्यसागर में नाभिकीय सस्त्र ढोने वाले पोत हटाने की बात वही गई है।

मध्य-पूर्वीय समस्याओं को हल करने के लिए सोवियत योजना की अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। सोवियत संघ की राय में मध्य-पूर्व में सच्चा स्थायी, उचित और सर्वांगीण शान्तिपूर्ण समाधान यह प्रपेक्षा करता है कि 1967 से जितने अरब भू-भाग पर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है वहाँ से पूरी तरह हट जाए जिनमें यरूशलम का पूर्वी भाग शामिल है, इस क्षेत्र के तमाम राज्यों के अपना स्वतन्त्र अस्तित्व सुरक्षित रखने के अधिकार की हिफाजत हो, अरब राज्य और इजरायल के बीच युद्ध की स्थिति समाप्त हो तथा शान्ति स्थापित हो, ऐसे समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों को निरूपित किया जाए तथा उसे स्वीकृति दी जाए।

दक्षिण-पूर्व एशिया की परिस्थिति में सुधार करना दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। सोवियत संघ इस क्षेत्र को शान्ति के क्षेत्र में बदलने की दिशा में निर्देशित प्रयासों का समर्थन करता है। जैसा कि वियतनाम, लाओस और कम्बुजिया ने प्रस्तावित किया है, दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ विद्यमान परिस्थिति पर विचार-विमर्श करने तथा परस्पर स्वीकार्य निर्णय पर पहुँचने का उपयुक्त मंच हो सकता है। उससे उनके तथा एशियान राष्ट्रों के बीच फलप्रद बातें करने का और समग्र रूप में परिस्थिति को सामान्य बनाने की सम्भावनाएँ उन्मुक्त होती हैं।

समाजवादी देश पूरे एशिया के पैमाने पर सुरक्षा दृढ़ करने में नेतृत्व करते हैं। मंगोलियाई लोक जनतन्त्र के एशिया और प्रशान्त महासागर के राज्यों के बीच सम्बन्धों में शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने तथा परस्पर जनक्रमण सम्बन्धी सम्मेलन सम्पन्न करने के प्रस्ताव का यही उद्देश्य है। सोवियत सघ इस प्रश्न पर चीन लोक जनतन्त्र और जापान के साथ ठोस बातचीत करने के लिए तैयार है।

सोवियत सघ की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों के सम्बन्ध में जो नीति है, वह दृढ़ और सुसंगत है। सोवियत सघ उन देशों और जनगण के साथ एकजुटता और सहयोग विकसित करता रहेगा जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न का जुआ उतार फेंका है और जो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।



हिन्द महासागर में सोवियत सैन्य उपस्थिति।

सोवियत सभ हिन्द महासागर में सीमित सैन्य उपस्थिति बरकरार रखने के लिए कृत मकल्प दिग्दर्श देता है। इस सामुद्रिक परिप्रेक्ष्य में सोवियत सभ का उद्देश्य राजनैतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक अधिक है, सैनिक कम। सोवियत नौ-सेनाओं का उद्देश्य सैन्य न होकर मान अपना प्रभाव दर्ज रखना है। 1970 के पूर्वार्द्ध में जब तब सोवियत समर नीति अभेरीनी कार्यवाहियों की प्रक्रिया स्वल्प निर्धारित होती आई है। सोवियत नौ-सेना विगत दो दशकों के दौरान एक तटवर्ती बेड़े से बढ़कर एक ऐसी नौ-सेना के रूप में परिवर्तित हो चुकी है जो दूर समुद्रों में कहीं भी युद्ध-संचालन में सक्षम है। पश्चिमी समर विटा विशारदों का मानना है कि मास्को की कोशिश है कि सही अर्थों में एक सन्तुलित बेड़े का निर्माण किया जाए जो अमरीकी तथा अन्य बड़ी ताकतों की सामुद्रिक श्रेष्ठता को विश्व में बढी भी चुनौती देने में सक्षम हो और 1960 में प्रारम्भ करके अब सोवियत नौ-सेना विश्व की दूसरी सर्वाधिक ताकतवार नौ-सेना बन चुकी है। फिर भी संचालन सम्बन्धी सम्भारण क्षमता के सीमित होने के कारण सोवियत नौ-सेना अब भी अपने तटवर्ती बन्दरगाहों से बहुत दूर गहरे समुद्रों में कार्य करने में एक सीमा तक ही सक्षम है।

हिन्द महासागर में सोवियत नौ-सेना के बढ़ते बढकों ने प शक्तियों को 1960 में ही चिन्तित करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी शक्तियों का मानना है कि रूस की बढती हुई ताकत अन्तर्राष्ट्रीय गतिवारों, मचार व्यवस्थाओं और सामुद्रिक मार्गों के लिए खतरा बन सकती है। सोवियत सभ की अपनी नौ-सेना को मार्ग समुद्रों में प्रबल ताकत के रूप में उभारने की आकांक्षा को पश्चिमी शक्तियों ने अपने लिए चुनौती समझा और पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों ने तर्क देना शुरू किया कि सोवियत द्वारा पश्चिमी प्रभाव-क्षेत्र में घुसपैठ की चुनौती को स्वीकार न

करना पश्चिमी राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। 28 जुलाई, 1974 को मास्को में नौ-सेना दिवस के अवसर पर बोलते हुए सोवियत नौ-सेना के कमाण्डर इन चीफ एडमिरल सरगेई गोसकोव ने कहा—हमारी नौ-सेना न तो किसी के हितों के लिए खतरा है और न ही किसी के हितों को मिटाने जा रही है। सोवियत संघ के 'राज्य-हितों' को सुरक्षित रखना और सामुद्रिक सीमाओं की रक्षा करना तथा विश्व-शान्ति को स्थायित्व प्रदान करना हमारे राष्ट्र के प्रमुख हितों में से एक है। विदेशी बन्दरगाहों पर मोहार्द्र-वृद्धि हेतु की गयी कार्यवाहियों से हमारे राष्ट्र और सम्बन्धित राष्ट्र के बीच भाई-चारा तथा विश्व-बन्धुत्व का भाव हट जाता है। अतएव प्रकारान्तर से सोवियत संघ नौ-सेना शान्ति दूत का ही कार्य करती है। "इसके पहले भी सोवियत नौ-सैनिक स्टाफ के चीफ एडमिरल ध्लादीमीर एलबमीच ने 19 फरवरी, 1971 को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि—सोवियत नौ-सेना की कोई योजना किसी को हानि पहुँचाने की नहीं है। पर सोवियत संघ सातों समुद्रों में घूमने की अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेगा।" उन्होंने यह आरोप लगाया कि आक्रामक साम्राज्यवादी ताकतें सोवियत खतरे का गलत हौवा खड़ा कर रही हैं जबकि असलियत यह है कि अमरीकी सामुद्रिक ताकत सोवियत हितों के लिए सदा से ही एक खतरा रही है।

सोवियत संघ का हिन्द महासागर में प्रवेश

सोवियत संघ की हिन्द महासागर में उपस्थिति मार्च, 1968 में उस समय शुरू हुई जब ग्रेट ब्रिटेन ने 1967 में स्वेज के पूर्व से अपनी सभी सेनाओं को हटाने का निर्णय लिया। सोवियत नौ-सेना 4 या 5 जहाजों की एक स्वाइन हिन्द महासागर में बराबर बनाए रखती है जिसमें मुख्यता 1 क्रूजर, 1 या 2 डिस्ट्रायर तथा सहायता देने वाली वेसेल्स रहती हैं जो प्रायः मिन एशियायी तथा अफ्रीकी बन्दरगाहों पर सौजन्य प्रदर्शन हेतु ब्लाडीमोस्टक स्थित प्रशान्त बेडें से आती-जाती रहती हैं। कभी-कभी कुछ जहाज काला मागर से भी आ जाते हैं। सोवियत नौ-सैन्य उपस्थिति क्षेत्रीय संपर्कों से घटने-बढ़ने के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए सोवियत उपस्थिति 1971, 1974, 1981 के दौरान अमरीकी नौ-सेना की ताकत के बढ़ने पर उसके प्रतिकार स्वरूप कुछ पनडुब्बियों और थल आरक्ष वायुयानों के द्वारा बढ़ा दी गई थी।

सोवियत संघ की पहली 5 जहाजों वाली स्वाइन मद्रास बन्दरगाह पर 28 मार्च, 1968 को आयी थी जिनका नेतृत्व दिमित्रो पोर्भाशकी नामक (16,000—19,200 dwt) क्रूजर कर रहा था। इन जहाजों में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर, 1 तय-मेरीन क्रूजर और 1 आयल टैंकर सम्मिलित था। इसके बाद 1969 में एडमिरल फोकिन नामक मिमाइल क्रूजर के नेतृत्व में, जिमकी स्वाइन में दिमित्र पोर्भाशकी क्रूजर भी सोवियत संघ ने सिगापुर, मद्रास, कोलम्बो, बम्बई, बराची, बन्दर अब्बास, बनरा, उमरुत्त, अदन, हुदैदा, स्वेज, पोर्ट सूडान, बेवेरा, मोगाविजू, मोम्बासा और पोर्ट लुइस की सौजन्य यात्राओं पर अपनी नौ-सेनाओं को

भेजा। मालागासी और मोजास्वीक के स्वतन्त्र हो जाने के बाद सोवियत नौ-सेना मोजास्वीकचैनल के बन्दरगाहों तक भी जाने लगी। आस्ट्रेलियन इस्टीमेट्स आर इन्टरनेशनल अफेयर के डायरेक्टर टी. वी. मिलर के अनुसार 30 जहाजों का एक बेड़ा 1970 के पूर्वार्द्ध में हिन्द महासागर में तैनात था, जिसका एक-तिहाई युद्धक जहाज, एक-तिहाई पनडुब्बी और बाकी इटेलीजेंट और संचार जहाज, आक्जीलरीज तथा सालवेज जहाज थी। यद्यपि सी आई ए. डायरेक्टर विलियम के. सी. ने 11 जुलाई 1974 को कहा था कि सोवियत संघ के सिर्फ 6 सरफेम जहाज उपस्थित हैं जिसमें से प्रत्येक में 1 क्रूजर, 2 डिस्ट्रायर, 3 छोटी नौकाएँ, 1 पनडुब्बी और कुछ सहायक वेसेल्स हैं। अप्रैल 1972 में वागला देश की सरकार के अनुरोध पर सोवियत नौ-सेना ने चटगांव के बन्दरगाह को सुरगो और डूबी हुई नौकाओं से खाली करने का काम 20 सालवेज नौकाओं और माइन स्वीपर्स के द्वारा अपने हाथ में लिया। राष्ट्रसंघ की सहायता, जिसका अर्थ अमीरीकी सहायता होता, इसीलिए नहीं ली गई क्योंकि अमीरीका फिर इसके सहारे अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता। भारतीय नौ-सेना ने पहले ही काफी सीमा तक सुरगो खोजकर मष्ट करने का काम पूरा कर लिया था। 1974 में स्वेज की खाड़ी में 6 सोवियत माइन स्वीपर और 5 सालवेज वेसेल्स टूटी और डूबी हुई नौकाओं को ढूँढने के कार्य में लगे रहे। स्वेजनहर के दक्षिणी हिस्से की सफाई का काम सोवियत हेलीकाप्टर क्रूजर (15000-18000 dwt) जिस पर 18 हेलीकाप्टर तैनात थे, ने किया। अगस्त, 1984 में लान सागर के दक्षिणी किनारे पर इस्लामी जहाद मगठनों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरगो को खोजने का काम दो सोवियत सेना की नौकाओं ने किया। इसके पहले जुलाई में एक सोवियत जहाज इन बारूदी सुरगो की मार न फट गया था। सोवियत संघ की कुछ नौकाएँ, जहाज अंटार्कटिक सागर तथा हिन्द-महासागर में मछली मारने के कार्य में भी लगे हुई हैं। एक या दो जहाज आसन्नोद्यमिक तथा हाइड्रोग्राफिक शोध कार्य में भी मलग्न हैं। कुछ जहाज अन्तरिक्ष यात्रा पर गए उन अन्तरिक्ष कंप्यूटों को खोजने का कार्य करते हैं जो समुद्रों में गिर जाते हैं। ऐसा ही कार्य 1968 में ZOND-6 और ZOND-8 की खोज करके किया गया।

1970 के दशक में सोवियत अड्डे एवं सैन्य सुविधाएँ

पेटागन प्रधिकारियों का मानना है कि सोवियत नौ-सेना के पाम प्रदन, उम्मुकतन (इराक) और बरबेरा (मोमानिया) जैसे भारी पैमाने पर कार्यकारी अड्डे मौजूद हैं जबकि सोवियत संघ हिन्द महासागर में उम प्रकार के किसी भी अड्डे की उपस्थिति से इनकार करता है। 7 मार्च, 1972 को भारत की अरबी सागर यात्रा पर आए हुए सोवियत नौ-सेना के कमाण्डर इन चीफ गूडमिरर पोसैकोव ने कहा था कि—“सोवियत संघ ने हिन्द महासागर के किसी भी तटवर्ती राष्ट्र में न तो कोई अड्डा बनाया और न ही कोई बनाने की योजना रखता है।” यद्यपि सोवियत नौ-सेना ने हिन्द महासागर की तटवर्ती परिधि में और अन्तर्राष्ट्रीय जल के समीप स्थित द्वीपों में मोरोक्को के आसपास भारतीय, पाकिस्तानी तथा

कारगोडोस द्वीप समूह और सिमली तथा दिजेगोसासिया एटाल के समीप लगर सुविधाएँ या तो ली हैं या मूरिंग वायोस स्थापित किए हैं। सोवियत संघ ने अफ्रीकी तट पर ऐसे छोटे-छोटे वायोस स्थापित किए हैं माथ ही डरवन के लगभग दक्षिणी किनारे तक मोजम्बिक चैनल में मूरिंग वायोस की शृंखला ली स्थापित कर रखी है जिससे निरन्तर बढ़ रहे सोवियत सामुद्रिक व्यापार को मरलता से चलाया जा सके। इस दूर दराज इलाके में स्थापित लगर की यह सुविधाएँ सोवियत संघ के उन जहाजों के लिए प्राण वायु सावित हो सकती हैं जो टूटे-फूटे भागों की मरम्मत करवाना चाहती हैं, क्योंकि सोवियत संघ के पाम इस क्षेत्र में कोई स्थिर अड्डा नहीं है जिसकी बजह से वहाँ उसके जहाजों की सम्भारारामक समस्या हमेशा मुँह बाये खड़ी रहती है। दूसरी तरफ अमरीका और इसके सहयोगी मिन राष्ट्रों के पाम इस क्षेत्र में संचार स्टेशन, ट्रांजिट आउट पोस्ट अड्डे उपलब्ध हैं। फरवरी, 1972 में सोवियत रक्षा मन्त्री की मोंगादिशू यात्रा के बाद सोमालिया के बरवेरा बन्दरगाह और हवाई अड्डे को परिष्कृत करने हेतु एक समझौता किया गया तब अमरीकियों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गई कि सोवियत संघ इस अड्डे द्वारा क्षेत्र में अपने प्रभाव का जाल फैला सकता है। 1975 में मामला उभरकर तब मामले आया जब 10 जून, 1975 को संघ्य ममिति के सामने गवाही देते हुए अमरीका रक्षा मन्त्रि जेम्स स्कलेसिंगर ने नाटकीय ढंग में उद्घाटित किया कि सोवियत संघ ने बरवेरा में एक मिसाइल अड्डा बना लिया है तथा दूरपरसा का एक रिमीवर ट्रांसमीटर स्थापित कर दिया है जो अमरीकी जहाजों और वायुयानों के लिए खतरा हो सकता है। सोमालिया और सोवियत संघ दोनों ने ही इस प्रकार की क्तिमी भी सुविधा से इन्कार किया। सोमालिया के रेड स्टार नामक अगवार ने लिखा है कि इनका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना मात्र है न कि सोवियत संघ के साथ मिलकर किसी आक्रामक कार्यवाही में सलग्न होना। बरवेरा में सोवियत संघ को जो भी सुविधा उपलब्ध रही हो, हार्न आफ अफ्रीका में छिड़े 'मोंगादन' के युद्ध के बाद से सोमालिया और सोवियत संघ के सम्बन्धों में तनाव आ जाने के कारण नवम्बर, 1977 में सोवियत संघ को अपना सब कुछ समेट लेना पडा। इस आशय की खबरें पश्चिमी समाचार जगत् में छपती रही हैं कि सोवियत संघ सोकोत्रा द्वीप समूह, दक्षिण यमन के पास अड्डों की सुविधा पाने की कोशिश करता आया है। दक्षिण यमन की सरकार ने इसे यहूदी प्रोवेगण्डा मात्र कहा है।

1980 के दशक में उपलब्ध सुविधाएँ

पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी प हिन्दी महासागर में 1980 के दशक में सोवियत नौ-सेना तीन आघार स्तम्भों को मजबूत करने में जुटी रही है ये हैं— "लाल सागर में दहलक दीप समूह अदन की खाड़ी सोकोत्रा के पास लगर डालने की सुविधा और अदन में सैन्य अड्डा।" अदन, जो 1967 तक ब्रिटिश नौ सैनिक एवं वायु सैनिक अड्डा था। सोवियत जहाजों के लिए सौजन्य बन्दरगाह बना हुआ है। सोवियत संघ के एण्टी सब मैरीन बार फेयर और टोह लगाने वाले वायुयान

अदन के हवाई अड्डे तथा अल अलाण्ड की उड़ान पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी मूनो के अनुसार। अगस्त, 1980 तक अदन में मोवियत सघ की 5 हवाई स्वाइने मौजूद थी। यद्यपि दक्षिण यमन के रक्षा मन्त्री कर्नल सलीह उगायद ने फरवरी, 1987 में इस प्रकार की किसी सुविधा को काल्पनिक बताया। पेटागन के अनुसार मोवियत स्वाइन दहलक द्वीप समूह का उपयोग लाल सागर में रख-रखाव और यातायात सम्भारण हेतु करती है। इस द्वीप में 8,500 टन की तर्रने वाली शुष्क गोदी उडन पट्टियाँ, ईंधन और पानी की सुविधाएँ, आपूर्ति डिपो, पनडुब्बी शरण-स्थली एवं मरम्मत की सुविधा उपलब्ध हैं। सोवियत सघ ने 1975 से लेकर अब तक इथोपिया को 3 खरब की नैनिक सहायता दी है। मिमली में भी नौ-सैनिक और वायु-सैनिक सुविधाएँ पाने की कोशिश सोवियत सघ करता आया है। 1979 में चीन-वियतनाम सीमा मधर्ष के बाद वियतनाम के साथ मोवियत सम्बन्ध प्रगाढतर होते गए और मोवियत सघ को पूर्व अमेरिकी अड्डों कामरान्त वे नौ-सैनिक अड्डा तथा डा नांग वायु अड्डे पर सुविधाएँ मिली। वारसा सन्धि देशों के बाहर 'कामरान्त वे' को सोवियत सेना का सबसे बड़ा माना जाता है। यह सोवियत सघ के लिए हिन्द महासागर के साथ ही प्रशान्त महासागर में घुमने के लिए महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। अमेरिका रक्षा सचिव कॅम्पर वाइन बर्गर के अनुसार कामरान्त वे अड्डा सोवियत आक्रामक क्षमता में महत्त्वपूर्ण कारक साधिन होगा। डा नांग-वायु अड्डा मोवियत सघ के टोहक वायुयानों के लिए अड्डा मोवियत सघ के टोहक वायुयानों के लिए उडन-स्थली है। वियतनाम में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को भी स्थापित किया गया है। सोवियत स्ट्रेटिजिक रॉकेट फोर्सेज द्वारा संचालित एक भू-स्थापित उपग्रह स्टेशन भी हनोई में है। कम्प्यूचिया में दम्पान सोम में सोवियत सघ अपने नौ-सैनिक अड्डे को बड़ी जहाजों के लिए बृहत्तर कर रहा है।

यह स्मरणीय है कि सोवियत सघ ने हिन्द महासागर के अनेक तटवर्ती राष्ट्रों को आर्थिक और सैन्य सहायता दी है जिनमें मिस्र, भारत, वियतनाम, दण्डोनेशिया, अफगानिस्तान, मोजाम्बीक, दक्षिणी यमन, ईराक, सोमालिया प्रमुख हैं। मोवियत सघ के कुछ सैन्य विशेषज्ञ कुछ देशों में विद्यमान हैं जैसे इथोपिया में दहलक द्वीप और अममारा में 1,500, द यमन में अदन और सोकोत्रा में 500, ईराक में 600, मोजाम्बीक में 300, वियतनाम में सोवियत नौ सैनिक 7,000 हैं और वायु सैनिकों की संख्या 2,500 है (स्रोत मिलिटरी बॅलेन्स 1986-87) 1970 के दशक में मिस्र मूडान और सोमालिया में काफी सहायता में सोवियत गलाहकार विद्यमान थे परन्तु बाद में इन देशों के साथ सोवियत सघ के सम्बन्ध विगड जाने के कारण सोवियत सघ को अपने सलाहकारों को वापस बुलाना पडा।

सोवियत हित एर उद्देश्य

1. सोवियत सघ द्वारा अफ्रीकी-एशियाई बाजार में व्यापार और सैनिक साज-साजान की सपत में वृद्धि करना।

2 हिन्द महासागर नोवियत सघ के यूरोपीय भाग और एशिया तथा इन्डोचाइना के पूर्वी बन्दरगाहो के बीच एक पुल सरूब है। सोवियत सघ के लिए यह आवश्यक है कि सारे जल-डमरू-मन्य और सामुद्रिक गलियारे निर्बाध गति से सर्वदा खुले रहे।

3 तृतीय विश्व मे सोवियत सघ के प्रभाव में वृद्धि हो रही है, इस हेतु नोवियत सघ मुक्ति आन्दोलन को समर्थन देता है और आवश्यकता पडने पर मित्र देशो को हर प्रकार की सहायता पहुँचाने की कोशिश करता है। इसकी उपस्थिति पश्चिमी राष्ट्रो या क्षेत्रो में उनके पिट्टुओ को किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा मयादोहन की रोकती है।

4 अपने दक्षिणी हिस्से की सुरक्षा—सोवियत सघ तुर्की, पाकिस्तान, ईराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, से जुडे दक्षिणी सीमा भाग को कभी भी अनुरक्षित नहीं छोड सकता। विशेषकर तब जब कि इनमे से कुछ राष्ट्रो के साथ अमेरिका और उसके मित्र देशो के घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा जिसके सहारे अमेरिका क्षेत्र मे यदा-कदा हस्तक्षेप करता रहता है।

5 मार्वाजनिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हिन्द महासागर मे बँठायी गई अमेरिकी पनडुब्बियो पर लगी मिसाइलो की प्रभाविता को कम करना है। सोवियत सघ का कमजोर पेदा समझा जाने वाला हिन्द महासागरीय भू-भाग सम्प्रति अमेरिकी SLBM की मारक क्षमता के भीतर है। कुछ मिसाइले तो ऐसी हैं जो हिन्द महासागर से परिचालित किए जाने पर समस्त सोवियत शहरो को विनष्ट कर सकती है। उदाहरणार्थ—पोसीडान और ट्राउडेन्ट मिसाइले।

एक और दूसरा सम्बन्धित कारक अमेरिका द्वारा हिन्द महासागर का नक्षत्र युद्ध परिषोजना में सम्भावित प्रयोग है। नोवियत सघ के आरोप के अनुसार नक्षत्र युद्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला स्पेश ट्रैंक हिस्सा दियागोगामिया में बनाया जा रहा है। अमेरिका ने 1987 के प्रारम्भ में ही उपग्रह टोह स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। नोवियत सघ द्वारा अमेरिका नक्षत्र युद्ध परिषोजना के खिलाफ प्रतिकारात्मक शस्त्र प्रणाली के विकास का दावा अब भी अमेरिकी वैज्ञानिको एवं युद्ध विद्या विशारदो को झूठ प्रतीत होता है।

6 मत्स्य उद्योग का विवास, सामुद्रिक सर्वे, अन्तर्िक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियाँ, अन्टार्कटिका अभियान और अन्य खोजबीन कार्यक्रमो को सफलतापूर्वक चलाने हेतु भी सोवियत सघ के लिए हिन्द महासागर महत्त्वपूर्ण है।

7 एक विद्वज्जनीन महाशक्ति के रूप में अपनी नौ-सैनिक क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु हिन्द महासागर में अपने नौसैनिक बेडे को बरकरार रखना जरूरी है।

अमेरिकी दृष्टिकोण

दूसरी तरफ सोवियत उद्देश्यो पर टिप्पणी करने हुए अमेरिका रक्षा विभाग ने नोवियत मिलिटरी पावर नामक अपने एक प्रकाशन के माध्यम से कहा है—

‘सोवियत संघ का उद्देश्य पश्चिमी तथा चीनी प्रभाव को खत्म करके अपना राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है। सोवियत संघ अपने पिछड़े देशों में सामरिक मुक्ति, मुद्देय रचना चाहता है तथा पश्चिम-विरोधी ताकतों को सत्ताहीन होते देखना चाहता है, इसलिए वह अपने को विश्व-मुक्ति घन्दोलनों के सैद्धान्तिक ममीहा के रूप में पेश करता है। सोवियत सलाहकार शस्त्र और अन्य उपकरणों के सहारे अन्त में सत्ता पर अपनी एकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। सोवियत संघ को विगत दिनों तृतीय विश्व के देशों में मात्र अपनी थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति के बल पर भरपूर प्रभाव उठाने का मौका मिला। अमवान बाँध, जोकारा स्टील मिल, दजना-तरात बाँध जैसे कुछ निर्माण करके सोवियत संघ काफ़ी कुछ हासिल कर गया। सोवियत संघ अपनी अर्थ सहायता को राजनीतिक उद्देश्यों की अभिपूति के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। मित्र सेनाओं को अपनी शक्ति के रूप में कई जगह भुनाया है। उदाहरण के लिए क्यूबा और पूर्वी जर्मनी। अपने इन पिछड़े राष्ट्रों के सहारे सोवियत संघ अपना राजनीतिक उद्देश्य भी पूरा कर लेता है और खतरे में प्रत्यक्ष नहीं उलभता।’

इसके साथ ही सोवियत संघ न कम विरुद्ध देशों के साथ 1971 से लेकर अब तक कई सैन्य और सहयोग सन्धियों की हैं, जैसे—‘शरणागतिस्तान, भारत, हनोई, अंगोला, इथोपिया, कांगो, सीरिया, ईराक, तन्जानिया और मोजाम्बीक सम्बन्धित हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को रूस आर्थिक और सैनिक सहायता देता है तथा इन सन्धियों के माध्यम से एक वैधानिक हथियार पाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है।’ नेशनल मिन्गोरिटी स्ट्रेटजी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स नामक प्रकाशित एक सत्र में अमेरिकन सरकार मानती है कि ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ सिद्धान्तों का मुगौटा छोड़ कर सोवियत संघ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलकर अपने राष्ट्र का प्रभाव समूचे विश्व पर फैलाना चाहता है। रूसो-अमेरिकी क्रिया-प्रतिक्रिया

सोवियत संघ का तर्क है कि उनकी नौसैनिक उपस्थिति रक्षात्मक है। सोवियत जहाज, जहाज तटवर्ती राष्ट्रों के खिलाफ कार्य करने की क्षमता नहीं रखते और न ही उन्हें स्थायी तौर पर वहाँ रखा जाता है। उनकी मर्यादा घटती-बढ़ती भी रहती है। भौतिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक जरूरतों के अनुसार अमेरिकी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही सोवियत संघ अपने जहाजों को हिन्द महासागर भेजता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका द्वारा अपने वायुयानवाही आणुबिक पोल इन्टरप्राइज के नेतृत्व में मानवों के 10 से अधिक जहाजों को भेजने की कार्यवाही के प्रतिकार स्वरूप ही सोवियत संघ ने 17 दिसम्बर, 1971 को अपने प्रगान्त महासागरीय बेड़े से 2 क्रूजर, 3 पनटुनिया जिनमें 1 पनडुब्बी अनुगमि चालित थी, भेज दी ताकि अमेरिकी पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप करने की हिमायत न करे। स्थिति में एक परिवर्तन 9 अगस्त, 1971 को हस्ताक्षरित भारत-सोवियत सन्धि एवं सैन्य सन्धि में आया। वास्तव में सन्धि

सन्तुलनात्मक दृष्टि से की गई 'अग्नि-कार्यवाही' थी क्योंकि अमेरिकी-पाकिस्तानी चीनी धुरी का निर्माण हो चुका था। इसी सन्धि के चलते भारत अपनी शक्ति-सामर्थ्य का भरपूर उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ कर सका और न तो चीन ने और न ही अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप किया।

इसी प्रकार का प्रतिकारात्मक कदम सोवियत संघ ने 1973 में अरब-इजरायल युद्ध के दौरान किया था। उस समय अक्टूबर, 1973 में अमेरिका ने अपने विमानवाही पोत हैनकाक के नेतृत्व में 7 जहाजों का बड़ा भेज दिया था जिमकी काट हेतु सोवियत संघ भी 10 सरफेस कम्बेटेण्ट्स और 4 पनडुब्बी लेकर उतर आया। तब से अब तक अमेरिकी और सोवियत नौ-सेना में हर घटना को लेकर शक्ति प्रदर्शन की होड़-भी बनी हुई है। 1975-79 के दौरान लाल सागर और अदन की खाड़ी में महत्वपूर्ण भू-स्वातजिक परिवर्तन हुए। पेट्रागन अधिकारियों और अमेरिकी कमाण्डरों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि स्वेज नहर के जून, 1975 में खुल जाने के बाद सोवियत नौ-सैनिक सामर्थ्य बन जाएगी क्योंकि तब सोवियत संघ हिन्द महासागर में अत्यल्प समय में ही काला सागर के बन्दरगाहों में से अपनी नौ-सेना को उतार दिया करेगा पर इसके बाद भी सोवियत संघ ने अपनी उपस्थिति ज्यादा नहीं बढ़ायी। अमेरिका का छठा बड़ा मान तीन या चार दिन में ही अपने भूमध्य-सागरीय अड्डों तथा मित्र राष्ट्रों के बन्दरगाहों के सहारे अरब सागर में अपनी टास्क फोर्स आसानी से उतार सकता है। साथ ही अमेरिकी नौ-सेना को फ्रॉम तथा ग्रेट ब्रिटेन का भी सहयोग मिलेगा। 1979 में उत्तरी तथा दक्षिणी यमन के बीच हुए सीमा संघर्ष में अमेरिका तथा सऊदी अरबिया ने उत्तरी यमन को सहायता दी और सोवियत संघ ने दक्षिण यमन को। इसी प्रकार इथोपिया के इरीट्रिया प्रान्त के विद्रोहियों को नूडान तथा कुछ अन्य अमेरिका परास्त अरब राष्ट्र सहयोग कर रहे हैं। जबकि इथोपिया के साथ सोवियत संघ जुटा हुआ है। अमेरिका के साथ नए रिश्ते बनाकर मित्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात ने सोवियत मंत्री सन्धि को मार्च, 1976 में भंग कर दिया। हार्न, आफ्री अफ्रीका में हुआ 'ओगाडन युद्ध' हम मायने में अति विचित्र रहा कि इथोपिया सोवियत संघ का मित्र बन गया और सोमालिया अमेरिका का जबकि इसके पूर्व रिश्ते ठीक उल्टे थे। इथोपिया की मार्क्सवादी सरकार ने पाँचो अमेरिकी सैन्य स्थानों को बन्द कर दिया तथा असमारा के निकट स्थित कागन्धू में स्थापित सामरिक संचार स्टेशन और मनावा की नौ-सैनिक सुविधाओं को 23 अप्रैल, 1977 में सोमालिया की सरकार ने सोवियत संघ के साथ अपने आठ वर्षीय विशिष्ट रिश्ते को खत्म कर अमेरिका के साथ मंत्री जोड़ ली। मिस्र और सोमालिया में सोवियत संघ ने जो कुछ रोजा था उसे उसने इथोपिया, दक्षिण यमन, मालागामी और मोजाम्बीक के रूप में पा लिया।

स्वातजिया प्रतिक्रिया

ईरानी समस्या, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, चीन विद्यतनाम सीमा-

सर्प आदि ऐसी घटनाएँ हैं कि महाशक्तियों के बीच तनाव पुन बढने लगा। 1970 के दशक का 'देता युग' इतिहास की गाथा बनकर रह गया प्रतीत होता है सम्प्रति फारस की खाड़ी तनाव का ज्वलन्त स्थल बनी हुई है। अमेरिका ने 25 जहाजों के दो बेड़े तैनात कर रखे हैं। 1983 में अमेरिका ने एक नई अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड स्थापित की। सोवियत संघ ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की है। सोवियत संघ ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की है। जनवरी, 1980 में सोवियत संघ का गायडेड मिसाइल क्रूजर पेट्रोपेवलोवस्की (8,200-10,000 dwt) 5 सोवियत जहाजों का नेतृत्व करता आया जिसके साथ ब्रेजीना नामक रोप्लेनिंगमेंट जहाज भी था (40,000 dwt.) साथ ही मार्च, 1980 में इवान रोगोव जिम पर 400 नौ-सेना के इन्फेन्ट्रि जवान थे तथा जिमके साथ 2 डिस्ट्रायर लगे थे, खाड़ी में घा पहुँचा। पश्चिमी स्रोतों के अनुसार सोवियत संघ की 25-30 जहाज खाड़ी में मौजूद थे जिसमें 10-11 लडाकू जहाज थे। सोवियत संघ का कहना है कि सोवियत सैन्य उपस्थिति मात्र 1 विमानवाही पोत के 40% टनिज के स्तर का है। निश्चित रूप से सामुद्रिक वायु शक्ति और नौ-सैन्य क्षमता की दृष्टि से अमेरिका सोवियत संघ के पास दियागोगार्सिया जैसा सामुद्रिक अड्डा है और न ही बीच समुद्र में अपनी जहाजों की सम्भारात्मक सहायता प्रदान करने की क्षमता। सोवियत संघ क्षेत्र के साथ लगी अपनी सीमा के तहत पर ही पश्चिमी राष्ट्रों की नौ-सैनिक क्षमता का मुकाबला कर सकता है।

पूर्वी छोर पर पश्चिमी स्रोतों के अनुसार सोवियत संघ के 20-25 जहाज हैं जिनमें 3-4 पनडुब्बियाँ तथा 12 कम्बेट यमेल्ल है जो प्रायः दक्षिणी चीन सागर में कामरान्ह नौ-सैनिक अड्डे के इर्द-गिर्द तैनात रहती हैं। इन्हीं में से कुछ यदा-कदा हिन्द महासागर में उतर जाते हैं। दूरी तरफ अमेरिका का ताफतवर सातवाँ बेडा फ्लिपीपीन्स के मुविक के नौ-सैनिक अड्डे पर मौजूद रहता है। हिन्द महासागर में आने वाले अधिवाशि टास्क फोर्स इसी बेड़े से निकाले जाते हैं। यद्यपि अमेरिकी रक्षा विभाजन सोवियत संघ की उपस्थिति का हौवा प्रायः खडा करने की कोशिश करते हैं पर अमेरिकी-सामर्थ्य के मुकाबले सोवियत सामर्थ्य यही अधिक नहीं ठहरती। भले ही विगत दो दशकों में सोवियत संघ अमेरिका की ही तरह का सही मायने में विश्व-शक्ति बन गया हो। सोवियत संघ ने 1962 के क्यूबाई मिनाइल मकट के तत्काल बाद से ही अपने अघमानजनक डग में पीछे हटने की घटना को राष्ट्रीय अघमान मानकर अपनी नौ सैनिक सामर्थ्य को उत्पापनात्मक स्तर पर लान हेतु जो राष्ट्रीय मकल्प लिया था, वह 1980 के दशक में आकर लगभग पूरा हो गया है। फिर भी यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सही नौ-सैन्य क्षमता पर अमेरिकी नौ-सैन्य अघ भी मशकत सारित होगी।

अफगान हस्तक्षेप एवं खाड़ी युद्ध

हिन्द महासागरीय शक्ति वियोजन का विघ्नपरत तब तक अघूरा रह जाना है जब तक अफगान-समस्या और खाड़ी युद्ध को एक साथ सम्बद्ध करके न देखा

जाए। अफगानिस्तान मे सोवियत उलभाव तथा चीन-अमरीका पाक धुरी द्वारा सोवियत सघ को अफगानिस्तान मे रक्त-विहीन कर देने की कूटयोजनात्मक चाले यदि हस्त के लिए भयकर निरदरद बनी हुई है तो ईरान द्वारा ईराक के साथ चल रहे सघर्ष मे विद्यमान त्रापूति व्यवस्था मे व्यवधान डालने की धमकी से अमरीका के लिए एक नया मिरदरद बना हुआ है। अमरीका खाडी क्षेत्र मे अपनी तमाम शक्ति को स्थापित करने के बावजूद ईरान को एक निश्चित सीमा तक ही डरा-धमका सकता है क्योंकि सोवियत मत्र यह कभी नहीं चाहेगा कि अमरीका उसकी द प सीमा पर स्थित ईरान को पूर्णतया पराभूत करके वहाँ पर पश्चिमोन्मुखी शानत मत्ता स्थापित कर दे। अतएव सोवियत सघ ईरान पर घाने वाले किसी भी सम्भावित अमरीकी आक्रमणात्मक वियोजन के प्रतिवार हेतु निश्चित ही अपनी नौ-सेना के माध्यम से और यदि आवश्यकता पडी तो अफगानिस्तान के रास्ते या फिर सीधे अजर बैजान प्रान्त के रास्ते लाल सेना की ब्रिगेडो को ईरान मे उतार देने से नहीं हिचकेगा। इस दृष्टि से देखने पर दो तथ्य सामने आते हैं—

- 1 अमरीका हिन्द महासागर मे अपनी सैन्य प्रभाविता को यथाशक्ति बरकरार रखने तथा उसकी वृद्धि हेतु हर सम्भव कदम उठाने के लिए दत्त चित्त रहेगा।
- 2 सोवियत सघ अफगानिस्तान के माध्यम से हिन्द महासागर मे निरापद रूप से शोघ्रातिशीघ्र उतरने का लोभ कभी नहीं छोड पाएगा। इस प्रकार वह अफगानिस्तान से कभी पलायन नहीं करेगा क्योंकि अब तक अमरीका-चीन-पाक धुरी अफगान मुजाहिदो के माध्यम से सोवियत सघ को इतना नुक्सान नहीं पहुँचा पायी है वह उसे सहन करने मे असमर्थ हो।

अमरीका अफगानिस्तान को लाल चाहने के बावजूद हस्त के लिए दूसरा वियतनाम नहीं बना पाया वही दूसरी ओर यदि अमरीका ईरान मे सशस्त्र हस्तक्षेप करने की हिमाकत करता है तो सोवियत सघ को ईरान को अमरीका के लिए दूसरा वियतनाम बनाने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पडेगी। यह भी सम्भव है कि ईरान मे उतर आये अमरीकी और रूसी सैनिक तृतीय विश्व-युद्ध की रणभेरी बजा दे।

हिन्द महासागर मे सोवियत सामर्थ्य की सीमाएँ

अन्तिम विश्लेषण के तौर पर कहा जा सकता है कि सोवियत सैन्य उपस्थिति कई कारणो से आक्रमणात्मक भूमिका निभाने मे असमर्थ है—

- 1 इसका आकार अमरीकी नौ-सेना के आकार से छोटा है।
- 2 इसके पास पराप्त सम्भारात्मक सहायता उपलब्ध नहीं है।
- 3 हिन्द महासागर मे उतरने वाले सभी गलियारो पर सोवियत विरोधी ताकतो का प्रभुत्व है। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर से होकर हिन्द महासागर मे प्रवतरण करने से पहले सोवियत सघ को ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, टर्की तथा

अन्ततः अमरीका से उलभना पड़ेगा। प्रज्ञान्त वेडे मे घाने वाली किसी भी वियोजित नौ-सेना को ब्लाडी वोस्टक के आगे जापानी वेडा, चीन सागर मे चीनी समुद्री शक्ति और मलबका प्रायद्वीप के आसपास आस्त्रियायी, इण्डोनेशियायी और समग्र अमरीकी सैन्य शक्ति के अवरोध को हटाना पड़ेगा।

स्पष्टतः सोवियत सघ का हिन्द महासागर मे उतरने वाला हर गतिवारा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नियन्त्रित रहेगा, दूसरी तरफ अमरीका, चीन, नाटो और अपने अन्य मित्र राष्ट्रों के सहारे सोवियत सघ को सामुद्रिक युद्ध करने के पूर्व ही उसके वेडों को नष्ट करने मे सक्षम हो सकेगा। उस प्रकार हिन्द महासागर मे सोवियत नौ-सेना उपस्थिति को मात्र प्रतिकारी सेना के रूप मे समझा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी स्तर पर पाश्चात्य शक्तियों की मिली-जुली सामर्थ्य का प्रतिकार करने मे सक्षम नहीं है। अपनी इस मजबूरी को समझते हुए भी सोवियत सघ अब तक हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र घोषित करने तथा बाह्य शक्तियों के हिन्द महासागर से दूर रहने के तटवर्ती राष्ट्रों के प्रस्तावों को राष्ट्रसघ न अपना समर्थन देता आया है।



ब्रिटिश विदेश नीति : राष्ट्रीय पृष्ठभूमि;
राजनीतिक अनुभव; नीति-निर्माण की
प्रक्रिया; विदेश नीति पर गृह नीति का
प्रभाव; राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध;
सांस्कृतिक एवं विचारधारागत बन्धन

(British Foreign Policy : National Background;
Political Experience; Policy-making Process;
Impact of Domestic Policy on Foreign Policy;
Commonwealth Relations; Cultural and
Ideological Ties)

राष्ट्रीय पृष्ठभूमि (National Background)

प्रत्येक देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल, सामाजिक और आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक अनुभवों से प्रभावित होती है। यह सभी तत्त्व विदेश नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन करने की दृष्टि में निर्णायक प्रभाव डालते हैं। ब्रिटेन की विदेश नीति के सम्बन्ध में इन तत्त्वों का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्रेट ब्रिटेन में विदेश नीति की रचना प्रक्रिया एवं उसमें भाग लेने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों पर विचार करने में पूर्व, यहाँ हम उसकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि (National Background) के रूप में ग्रेट ब्रिटेन के भूगोल, सामाजिक और आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक अनुभव का संक्षेप में अध्ययन करेंगे।

1. भू-गोलिक स्थिति

(The Geographical Situation)

ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल लगभग 94307 वर्ग मील है जो समूचे समार के स्थलीय क्षेत्र का 0.2% है। यह फ्रांस का दो पाँचवाँ, अमेरिका का 30वाँ तथा सोवियत रूस का 80वाँ भाग है। 1947 तक ग्रेट ब्रिटेन का विश्वव्यापी साम्राज्य था। यह इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी था कि इसमें नही क्षिपता था।

लगभग डेढ़ करोड़ वर्गमील के भू-भाग पर इसका अधिकार था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ब्रिटेन के ये उपनिवेश क्रमशः स्वतन्त्र हो गए तथा इस देश का भौगोलिक आकार केवल इसकी सीमाओं में सिमट कर रह गया। अपनी वर्तमान भौगोलिक स्थिति में ग्रेट ब्रिटेन एक छोटा-सा द्वीप है जिसकी लम्बाई लगभग 750 मील तथा चौड़ाई किसी भी स्थान पर 300 मील से अधिक नहीं है। यह यूरोप के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित है तथा लगभग 20 मील चौड़े इंगलिश चैनल द्वारा इसे यूरोप महाद्वीप से अलग कर दिया गया है। इस चैनल का ब्रिटेन की विदेश नीति में प्रारम्भ से ही विशेष महत्त्व रहा है। इसके माध्यम से यह देश 17वीं और 18वीं शताब्दियों में बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सदा है। इनके अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों में भी देश की रक्षा की दृष्टि में इस चैनल का विशेष योगदान रहा है। इंगलिश चैनल द्वारा यूरोप से अलग होने के कारण यूरोप के विभिन्न देशों में घटने वाली विभिन्न क्रान्तियों का इस देश पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सका। यहाँ की राजनीति एवं विदेश नीति में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का प्रभाव होने की अनेक विकासवादी तथा सांविधानिक दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक रहा है। भौगोलिक दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन विदेश व्यापार का केन्द्र बना रहा है।

मध्यकाल से ही ब्रिटिश विदेश नीति के मुख्यतः दो लक्ष्य रहे हैं—प्रथम, अपनी शक्तिशाली नौ-सेना द्वारा समुद्रों पर स्वामित्व बनाए रखना तथा द्वितीय, यूरोप महाद्वीप में शक्ति-सन्तुलन की स्थापना करना। इसके लिए वह किसी एक देश की सैनिक शक्ति को सर्वोच्च न होने देने तथा ऐसा हो जाने पर उसके विरुद्ध अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर गुटबन्दी करने की नीति अपनाता रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्रिटिश नीति के दो परम लक्ष्य मुख्यतः उसकी भौगोलिक स्थिति के परिणाम थे। ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए आत्म-रक्षा तथा शक्तिवर्द्धन दोनों दृष्टियों से यहाँ के शासकों ने ऐसी नीतियाँ अपनाईं ताकि ब्रिटेन समुद्र की लहरों पर शासन कर सके। अतीत काल में ग्रेट ब्रिटेन की नौ-सेना को जिन देशों द्वारा भी चुनौती दी गई है वही उमका शत्रु बन गया है। प्रथम विश्व-युद्ध में पूर्व जर्मनी ने शक्तिशाली नौ-सेना का निर्माण किया तो ग्रेट ब्रिटेन विलियम कैसर द्वितीय का विरोधी बन गया। शक्ति-सन्तुलन की नीति भी उसके विनाश साम्राज्य का परिणाम थी। ग्रेट ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि यूरोप में कोई एक राज्य शक्तिशाली बन कर उसके साम्राज्य के लिए सबूत उत्पन्न कर दे। यदि कोई राज्य शक्तिशाली बनता भी था तो ग्रेट ब्रिटेन उसके विरुद्ध अन्य राज्यों के साथ गुटबन्दी करके शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर देता था। जुई 16^{वें} तथा नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रांस तथा हित्स्लर के समय जर्मनी जब शक्तिशाली हो गए तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसी प्रकार की नीति का अनुशीलन किया। इस नीति के अनुसार ब्रिटेन ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता एवं सह्यता के सम्बन्ध गतिशील बनाए रखा। यह कहा जाना है कि इंग्लैंड का कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं है, केवल

स्थायी स्वार्थ एवं उद्देश्य है। इनसे अनुकूलता रखने वाले राज्य उसके मित्र बन जाते हैं तथा प्रतिकूलता रखने वाले शत्रु बन जाते हैं।

भौगोलिक स्थिति का प्रभाव ब्रिटेन की विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित करने पर भी रहा है। इसने समुद्रों की स्वतन्त्रता, इंग्लिश चैनल के सामने वाले यूरोपीय प्रदेशों में किसी शक्ति को प्रभावशाली न होने देना, इस प्रदेश के बेल्जियम, हॉलैण्ड आदि देशों को तटस्थ बनाए रखना आदि अपनी विदेश नीति के गौण लक्ष्य स्वीकार किए थे जो सम्भवतः भौगोलिक कारणों से ही प्रेरित थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही ब्रिटेन द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण सागरों तथा उनके तटवर्ती प्रदेशों पर अपनी प्रभुता बनाए रखने की चेष्टा करता रहा।

II सामाजिक-आर्थिक संरचना

(Socio-Economic Structure)

ग्रेट ब्रिटेन प्रजातान्त्रिक मूल्यों के जनक के रूप में स्वतन्त्रता एवं समानता के प्रति गहरी आस्था रखते हुए भी आर्थिक एवं धार्मिक आधार पर सामाजिक भेदभाव के दोषों से मुक्त नहीं रहा है। ब्रिटिश समाज को श्रेष्ठता के सिद्धान्त एवं पारिवारिक व्यवस्था ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। नार्मन विजय के बाद श्रेष्ठता का सिद्धान्त स्थापित हुआ जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश समाज में एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ। राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के समय यह सामाजिक असमानता पर्याप्त प्रभावी थी। राजपरिवार से सम्बन्धित तथा धनी-मानी एवं कुलीन लोग समाज के जेप सदस्यों की अपेक्षा अधिक उच्च स्थिति रखते थे तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर उनका निर्णायक प्रभाव रहता था। धीरे-धीरे प्रजातान्त्रिक परम्पराओं के विवसित होने तथा श्रमिक दल की सरकार द्वारा प्रगतिशील नीतियाँ अपनाने के कारण ग्रेट ब्रिटेन के जन-जीवन में सामाजिक असमानता की मात्रा में क्रमशः कमी आई है। इतने पर भी यहाँ की राजनीति समानता-असमानता के प्रश्नों से अभी तक मुक्त नहीं हो सकी है। यहाँ आर्थिक दृष्टि में असमानता है। राष्ट्रीय आय का 25% भाग यहाँ केवल 10% जनसंख्या को ही मिल पाता है। राष्ट्र की कुल सम्पत्ति के 80% भाग पर केवल 9% जनसंख्या का ही अधिकार है। यह तथ्य यहाँ की आर्थिक असमानता की स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इस असमानता के कारण यहाँ के राजनीतिक व्यवहार पर वर्गीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दलों का गठन, दबाव समूहों की कार्य प्रक्रिया, निर्वाचनों में प्रत्याशियों का चयन, मतदाता का निर्णय, बहुमत प्राप्त दल की रीति-नीति आदि सभी बातें वर्गीय दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति भी यहाँ की सामाजिक संरचना एवं वर्गीय असमानता से प्रभावित होती है। सम्पन्न वर्ग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की विदेश नीति अपनाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। जब सरकार मजदूर दल की बनती है तो समाजवादी राज्यों के साथ ग्रेट ब्रिटेन के

सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हो जाते हैं तथा रूढ़िवादी दल को मरकार बनने पर ये सम्बन्ध कम हो जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं प्रश्नों पर ग्रेट ब्रिटेन का दृष्टिकोण वहाँ की सामाजिक संरचना से प्रभावित होता है। वहाँ की सरकार जनमन के प्रति पर्याप्त संवेदनशील है अतः यह प्रभाव निश्चित रूप से होगा है।

घाथिक संरचना की दृष्टि से उल्लेखनीय है कि ग्रेट ब्रिटेन एक औद्योगिक देश है। पुनर्जागरण के युग में औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणेश मस्तुत इसी देश में हुआ था। औद्योगीकरण की अपेक्षाओं ने वहाँ की विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ग्रेट ब्रिटेन प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एक अभावग्रस्त देश है। यहाँ खोहा तथा कोयला तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है किन्तु रबर, तेल, लकड़ी तथा औद्योगिक एवं खाद्य कृषि उत्पादनों की दृष्टि से उसे अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छे माल की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश पूँजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने वहाँ की मरकार को साम्राज्यवादी विदेश नीति अपनाते को प्रेरित किया। ब्रिटिश कारखानों में बने माल को बेचने के लिए बाजार खोलने हेतु भी एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में ब्रिटेन ने साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी नीति अपनाई। सम्भवतः ब्रिटेन के उदाहरण को ध्यान में रख कर ही लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद का अगला कदम माना था। विश्व में विनाश साम्राज्य की स्थापना ब्रिटेन ने अधिक कारणों से की थी तथा घाथिक कारणों से ही वह इसे छोड़ने को बासानी से सहमत हो गया। अभी भी ब्रिटेन की विदेश नीति अन्य तत्वों के साथ ही मुख्यतः घाथिक दृष्टि से प्रभावित होती है।

औद्योगीकरण के साथ ही ब्रिटेन की घाथिक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। ब्रिटेन में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में मध्यम वर्ग का प्रभाव रहा है तथा इस वर्ग के प्रभाव में वहाँ की राजनीति में उदारवादी दल का जन्म हुआ। जब औद्योगीकरण के कारण वहाँ बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे लग गए तथा पूँजी संचय एवं पूँजी के एकाधिकार का प्रोत्साहन मिला तो पूँजीपति वर्ग प्रभावशाली बन गया तथा मध्यम वर्ग का प्रभाव घट गया। इसके बाद घाथिक आधार पर समाज में ध्रुवीकरण की प्रवृत्तियाँ पनपी। तदनुसार वहाँ की राजनीति में भी ध्रुवीकरण हो गया—रूढ़िवादी दल (Conservative Party) तथा श्रमिक दल (Labour Party) के रूप में। इनमें से प्रथम को पूँजीपति वर्ग का तथा द्वितीय को श्रमिक वर्ग का समर्थन प्राप्त है।

पिछले दो दशकों में ब्रिटेन की सामाजिक घाथिक संरचना में पुनः परिवर्तन आ रहा है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी घ.विप.रों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश उद्योगों में स्वचालन (Automation) की घनिष्टता हुई है तथा इसके फलस्वरूप वहाँ का श्रमिक घ.व. अधिक कुशल, तकनीकी विवेकपूर्ण एवं उच्च वेतनवादी हो गया है। फलतः वहाँ मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा है। इनके

अतिरिक्त श्रमिक दल की सरकार द्वारा द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद किए गए राष्ट्रीय-करण एवं ग्रन्थ आर्थिक सुधारों के माध्यम से पूंजीपति वर्ग का प्रभाव घटा है तथा श्रमिकों के प्रभाव में वृद्धि हुई है। लोकव्यत्यागकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार राज्य द्वारा समाज के निम्न वर्गों को दी गई सामाजिक सेवाओं के कारण उनका स्तर भी ऊँचा उठा है तथा श्रमिक संगठनों की सख्या एवं प्रभाव बढ़ा है। आर्थिक तरक्की में आने वाले इन परिवर्तनों ने ब्रिटेन की विदेश नीति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है।

III राजनीतिक अनुभव (Political Experience)

ग्रेट ब्रिटेन का वर्तमान राजनीतिक रूप एवं व्यवहार एक क्रमिक विकास तथा अनुभव का परिणाम है। इसके वर्तमान राजनीतिक रूप में इंग्लैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। 1707 में Act of Union द्वारा इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड को संयुक्त किया गया तथा एक ही ससद द्वारा दोनों के लिए कानून का निर्माण किया जाने लगा। उत्तरी आयरलैंड में अभी भी एक पृथक् ससद तथा कार्यपालिका है जो कुछ आन्तरिक विषयों पर क्षेत्राधिकार रखती है। ब्रिटिश ससद में उत्तरी आयरलैंड से 12 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। ब्रिटिश ससद ही यहाँ के प्रतिरक्षा विदेशी मामलों, समुद्रपारीय व्यापार, सिक्के, डाक सेवाएँ, कराधान आदि महत्त्वपूर्ण मामलों पर विधि निर्माण करती है।

ब्रिटेन के राजनीतिक अनुभवों की प्रचुरता एवं श्रेष्ठता के सम्बन्ध में मुनरो का यह कथन उल्लेखनीय है—“पूर्व ने सम्य मानव जाति को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया है, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की है, मूर ने बीजगणित तथा यूनान ने मूर्तिकला की शिक्षा दी है और रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए हैं, ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार तथा सांविधानिक पद्धति प्रदान की है।”

ब्रिटिश राजनीतिक अनुभव में हमें तीन प्रमुख विचारधाराओं का समन्वय मिलता है—रूढ़िवाद, उदारवाद एवं समाजवाद। ब्रिटेन के निवासी यद्यपि रूढ़िवादी, परम्परागत संस्थाओं और सिद्धान्तों के पोषक हैं तथापि उन्होंने आवश्यक परिवर्तनों को नदैव स्वीकार किया है। नवीन परिस्थितियों के साथ समझौदा करने की प्रवृत्ति ब्रिटिश सांविधानिक विकास और व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण देन है। औद्योगिककरण के बाद ब्रिटेन का समाज पूंजीपति एवं श्रमिक वर्गों में बँट गया है। देश का दलीय ढाँचा इसी विभाजन पर आधारित है। रूढ़िवादी दल पूंजीपतियों एवं उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा श्रमिक दल कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों एवं दुकानदारों की एक बड़ी सख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन का जनमानस स्वभाव से ही परम्परावादी होने के कारण एवदम आकस्मिक परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। फलतः यहाँ की राजनीतिक संस्थाएँ एवं शासन-प्रणाली सदियों के अनवरत परिश्रम का परिणाम हैं। ब्रिटिश जनता की प्रवृत्ति

ममभीतावादी है। यह मँदांतिक भगडो में न पड़ कर केवल व्यावहारिक पहलू की ही विशेष रूप से ध्यान में रखती है।

परम्परावादी स्वभाव के कारण ब्रिटेन के पूर्वजों का राजनीतिक आचरण एक बड़ी सीमा तक यहाँ के वर्तमान आचरण को निश्चित करता है। प्रारम्भ में ब्रिटेन की शासन-शक्ति एक उत्तरदायित्व राजतन्त्र एवं कुलीनतन्त्र के हाथों में केन्द्रित थे किन्तु धीरे-धीरे ये जनता के हाथों में आ गए तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना हो गई। ब्रिटेन में राजनीतिक सत्ता का यह हस्तान्तरण प्राकम्भिक अथवा क्रान्तिकारी रूप में नहीं हुआ बल्कि क्रमिक विकास द्वारा हुआ है। कुलीनतन्त्र ने समयानुकूल अपना रंग बदला तथा प्रजातन्त्र से सामंजस्य कर लिया। यह कृत्रिम प्रजातन्त्र के मार्ग में बाधक नहीं बना है बल्कि इसके विपरीत इसने प्रजातन्त्र को गति एवं नेतृत्व प्रदान किया है। ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक अनुभव की इस कृति को हृदयगत करने के लिए मधोप में इसके राजनीतिक इतिहास का अवलोकन आवश्यक रहेगा।

ग्रेट ब्रिटेन की वर्तमान राजनीति क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में जमी हुई हैं। ब्रिटेन का निपिबद्ध इतिहास केल्ट जाति के समय से प्रारम्भ होता है जिन्होंने ईसा से 600 वर्ष पूर्व आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित किया था। केल्ट जाति के बाद ब्रिटेन रोमन साम्राज्य के अंगुल में फँस गया तथा पाँचवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में एंग्लो-सैक्सन जाति ने इस पर अधिकार कर लिया। आंग तथा जिंक के मतानुसार ब्रिटेन की राजनीतिक सम्भाव्यताओं के विकास का यह प्रथम काल था।¹ राजपद एवं स्थानीय स्वशासन ये दो मस्यौएँ इस युग की बहुत बड़ी देन हैं।

ब्रिटेन पर एंग्लो-सैक्सन जाति का प्रभाव 1066 तक रहा जबकि नार्मन देश के विलियम ऑफ नारमण्डो ने आक्रमण करके यहाँ नार्मन राज्य की स्थापना की। नार्मन काल में सामन्तशाही की स्थापना हुई। विलियम ने एक Great Council अथवा Magnum Council की स्थापना की। इसकी एक अन्तरिम समिति Curia Regis नाम से स्थापित की गई। कालान्तर में यह एक उपयोगी म्स्था बन गई तथा इसके से एक लघुतर समिति Privy Council के नाम से गठित हो गई। बाद में इसने Council of Ministers तथा Cabinet का विकास हुआ। Great Council से धीरे-धीरे मजद के द्वितीय मदन लॉर्ड सभा का विकास हुआ। हेनरी द्वितीय ने नार्मन-कालीन शासन-व्यवस्था में परिष्कार किया। 1199 में 1216 तक ब्रिटेन का राजा जॉन था। इसके अत्याचारों का सभी सामन्तों ने ध्यापक रूप से विरोध किया तथा अन्त में जॉन को मैग्नाकार्टा (1215) के रूप में स्वयं की शक्तियों को सीमित करके कुछ जनआधिकार स्वीकार करने पड़े। आंग तथा जिंक के कथनानुसार 'इसके द्वारा सामन्तों ने राजा पर यह प्रतिबन्ध लगाकर

कि वह अमुक कार्य न करे, देश की निरकुशवाद की ओर प्रवाहित होती हुई धारा को जनतन्त्र की दशा में मोड़ दिया।”

ब्रिटिश ससद् का विकास भी क्रमिक प्रथ्याम तथा अनुभवों के माध्यम से हुआ है। हेनरी तृतीय के समय ‘महान् परिपद’ को आधुनिक ससदीय व्यवस्था की दिशा में घागे बढ़ने का अवसर मिला। एडवर्ड प्रथम के समय 1275 में ससद् ने वंस्टमिस्टर की प्रथम सविधि पारित की। 1295 में एडवर्ड प्रथम ने मांडल ससद् आमन्त्रित की तथा इसके बाद धीरे-धीरे इस सस्था में जन प्रतिनिधियों की मख्या बढ़ती गई। बाद के दस बर्षों के विकास में यह एक सदनीय ससद् द्विसदनीय बन गई। प्लानटेगेनेट वंश के शासन काल (1154 से 1399) में ससद् की शक्तियाँ काफी बढ़ गईं। इसने 1327 में एडवर्ड द्वितीय को मिहासन से उतार दिया। रिचार्ड द्वितीय को इसके सामने झुकना पडा तथा लकास्ट्रीयन वंश के राजा हेनरी को राजा बना दिया गया। इस वंश के शासन काल (1399 से 1485) में ससद् को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुए। ट्यूडर काल (1485 से 1603) में राजाओं की निरकुश नत्ता स्थापित हो गई तथा ससद् की शक्तियों को आघात लगा। इस काल में राजकीय शक्ति पोप के नियन्त्रण से मुक्त हो गई। स्टुअर्टकाल में राजा तथा ससद् एक-दूसरे के विरोधी रहे। 1688 में यहाँ गौरवपूर्ण क्रान्ति हुई। अब राजा की निरकुशता समाप्त हो गई तथा अनेक अधिनियमों के माध्यम से ससद् की प्रभुता स्थापित हो गई। 1714 में हैनोवर वंश के जॉर्ज प्रथम को राजा बनाया गया। उसके बाद में ब्रिटेन में सदैव के लिए ससद् की सर्वोच्चता स्थापित हो गई।

हैनोवर वंश के राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे अतः उन्होंने ससद् तथा मन्त्रिमण्डल को स्वेच्छानुसार व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया। फलतः कैबिनेट व्यवस्था का विकास हुआ। ससद् ने 1714 के बाद अनेक सुधार अधिनियमों के माध्यम से अपनी शक्ति एवं मताधिकार का विस्तार किया है। 1969 में एक जनप्रतिनिवित्व अधिनियम द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है।

ब्रिटिश राजनीतिक अनुभव के इस सक्षिप्त इतिहास के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन की वर्तमान राजनीति एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसके विकास का यह क्रम अभी रखा नहीं है तथा निरन्तर गतिशील है। जिस प्रकार ब्रिटेन की राष्ट्रीय राजनीति में हलचलें रही हैं उनसे उसके विदेश सम्बन्धों पर भी प्रभाव पडा है। न केवल स्वेच्छाचारी राजाओं ने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए बरन् ससद् जैसी प्रजातान्त्रिक सस्थाओं ने भी औद्योगीकरण के हितों को ध्यान में रखकर साम्राज्यवादी नीति का अनुशीलन किया है। ब्रिटिश नाविकों एवं उद्यमियों ने जनजन्य प्रदेशों पर उपनिवेश बनाए तथा एशिया, अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका के देशों में साम्राज्य का विस्तार किया। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ तक ग्रेट ब्रिटेन अपने विशाल साम्राज्य, औद्योगिक शक्ति एवं शक्तिशाली नौसेना के कारण विश्व की महाशक्ति था किन्तु द्वितीय

विश्वयुद्ध के घटनाचक्रों ने उसकी स्थिति को बदल दिया। उसका साम्राज्य ममाप्त प्राय हो गया तथा उद्योग धन्धों को भारी धक्का लगा।

नीति-निर्माण प्रक्रिया सरकारी और गैर-सरकारी अधिकरण तथा विदेश नीति पर गृह नीति का प्रभाव

(The Policy-Making Process : Government and Non-Government Agencies and Impact of Domestic Policy on Foreign Policy)

किसी भी देश की भाँति ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति की रचना पर उसके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्णायक प्रभाव रहता है। एक राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो और उसके बाह्य वातावरण के सम्बन्ध में उसके पास चाहे कितनी ही मूचनाएँ क्यों न हो किन्तु वह सम्प्रभुता की नीमाओं के बाहर विशेष प्रभाव नहीं रखता। एक शक्ति सम्पन्न और सामर्थ्यवान राज्य भी अपनी विश्वव्यापी राजनयिक एवं गुप्तचर सेवाओं के माध्यम से अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सभी बातें नहीं जान पाता। इसके अतिरिक्त देश के अन्य राजनीतिक तत्त्व वहाँ की राजनीति पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं जैसे राज्य की कृषि, विज्ञान, उद्योग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, अपराध-दर, शिक्षा की स्थिति आदि सभी चीजें वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती हैं और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नीति रचना को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय पहलू का उसकी सम्पन्नता एवं सैनिक क्षमता पर प्रभाव होता है।

विदेश नीति रचना की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व देश के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक उद्देश्य का निर्धारण करना है। वास्तव में इसी अर्थ में एक देश की विदेश नीति की दृष्टि से वहाँ की राष्ट्रीय राजनीति को महत्त्व दिया जाता है। जब हम किसी देश की विदेश नीति की रचना प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः विदेशी मामलों में उस राज्य के प्रमुख उद्देश्यों को परिभाषित और पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं।

आदर्श रूप में एक विदेश नीति निर्माता का कार्य बाह्य एवं आन्तरिक हितों के बीच समझौता स्थापित करना है। यह विभिन्न मूल्यों/क्यों और व्याख्याओं के बीच चयन करता है तथा प्रशासनिक यन्त्र के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करता है। डेविड वाटल (David Vital) के कथनानुसार एक पूर्ण विदेश नीति निर्माता यन्त्र की तुलना एक कम्प्यूटर से की जा सकती है।¹ यह यन्त्र अपने बाह्य परिवेश अथवा वातावरण से प्रभावित होता है।

ब्रिटिश विदेश नीति का बाह्य वातावरण

(The External Environment of British Foreign Policy)

ग्रेट ब्रिटेन वर्तमान काल में जिन बाह्य परिस्थितियों और परिवेशात्मक

तत्त्वो मे प्रभावित है वे यहाँ की विदेश नीति के स्वरूप, रचना-प्रक्रिया एवं कार्यान्विति को प्रभावित करते हैं। अतीतकाल में ब्रिटेन का विशाल साम्राज्य था और उस साम्राज्य की रक्षा के लिए उसकी शक्तिशाली जन-सेना थी। आज यद्यपि ब्रिटेन की विदेश नीति का बाह्य वातावरण अतीतकाल की भाँति सम्पन्न, प्रभावशाली और व्यापक तो नहीं है किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है। सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से विश्व के विभिन्न राज्यों के साथ की गई सैनिक सन्धियों और मजबूत सैनिक व्यवस्था के कारण यह देश अपनी रक्षा में पूर्णतः समर्थ है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् का निपेधाधिकार प्राप्त सदस्य है। विश्व के अनेक भागों में कभी भी इसका प्रादेशिक एवं सैनिक प्रभाव है। यह राष्ट्रमण्डल का मुख्य सदस्य है। यह अनेक देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखता है तथा पाँचों महाद्वीपों के अनेक राष्ट्रों के साथ इसके आर्थिक, तकनीकी, सैनिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। यह विभिन्न राज्यों का बैंकर, पूँजी का आपूर्ति-कर्ता, व्यापारिक सहभागी तथा सैनिक हथियारों आदि की व्यवस्था करने वाला राज्य है। ब्रिटेन को बाह्य परिस्थितियों की दृष्टि से उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए निकट अतीत में इसकी महानता और वैज्ञानिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उपलब्धियाँ, स्थाई घरेलू समाज एक सम्मानजनक राजनयिक सेवा आदि। वर्तमान ब्रिटिश विदेश नीति के बाह्य वातावरण की दृष्टि से कुछ बातें निम्नलिखित हैं—

(i) ब्रिटेन की शक्ति स्थिति—ग्रेट ब्रिटेन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 11वाँ राष्ट्र है किन्तु उत्पादन और शक्ति के उपभोग की दृष्टि से वह तीसरा राज्य है। व्यापारी जहाजों की दृष्टि में यह प्रथम, कोयला उत्पादन में तृतीय, भवन निर्माण की दृष्टि से द्वितीय, लोहा एवं इस्पात की दृष्टि से पाँचवाँ, सीमेंट उत्पादन में सातवाँ, स्वचालितों के उत्पादन में पाँचवाँ तथा रेडियो एवं टेलीविजन के उत्पादन में पाँचवाँ राज्य है। यह विश्व का द्वितीय महान् व्यापारिक राष्ट्र है। यदि यहाँ के लोगों के रहन-सहन के स्तर की दृष्टि में देखा जाए तो ब्रिटेन का सातवाँ स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की शक्ति स्थिति में अन्तर आया है किन्तु इससे पूर्व यह विश्व की महाशक्ति था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में ग्रेट ब्रिटेन अन्य बड़े औद्योगिक राज्यों जैसे जापान, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और इटली की अपेक्षा पिछड़ गया। आज उसका राजनीतिक और सैनिक प्रभाव विश्वव्यापी नहीं है।

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या—ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे अन्य देशों के साथ तनाव से मुक्त करती है। कोई महाशक्ति उसके विरोधी पडोसी के रूप में नहीं है और विशेष गम्भीर समस्याएँ भी उसके सामने नहीं हैं। विश्व के विभिन्न सैनिक नष्टपं ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सीमाओं से पर्याप्त दूर हैं। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ की चुनौती का सामना करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ सैनिक सन्धि करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है।

(iii) संरचनात्मक समस्याएँ—ग्रेट ब्रिटेन की प्रमुख संरचनात्मक कमजोरियाँ और कठिनाइयाँ अन्य प्रकार की हैं। मुख्य समस्या यह है कि ग्रेट ब्रिटेन का आकार छोटा है तथा इसकी जनसंख्या विखरी हुई है। इसे प्रकृति से प्राप्त उपहार मर्यादा और गुण की दृष्टि से पर्याप्त सीमित हैं। यहाँ को कृषि योग्य भूमि केवल आधी जनसंख्या का ही भरण-पोषण करने योग्य है। पेट्रोल को प्राथमिकता देने वाले इस युग में शक्ति के साधनों की दृष्टि से ब्रिटेन में केवल कोयला उपलब्ध होता है। प्राकृतिक गैस और अणु शक्ति के साधनों का क्रमशः विकास हो रहा है। यहाँ लोहे का कुछ भण्डार है किन्तु अन्य महत्वपूर्ण खनिज मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं। इन कमियों के परिणामस्वरूप इस देश की आर्थिक सम्पन्नता के लिए विदेश व्यापार का उल्लेखनीय महत्त्व है। यही कारण है कि आर्थिक एवं वित्तीय मामलों से सम्बन्धित मन्त्री और अधिकारी ब्रिटिश विदेश नीति पर उल्लेखनीय प्रभाव रखते हैं।

(iv) विदेश नीति के दो संवेदनशील क्षेत्र—ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति में कम से कम दो क्षेत्र ऐसे हैं जो उसकी मूलभूत परिस्थितियों से निर्णायक रूप से प्रभावित होते हैं। नीति निर्माताओं को इन क्षेत्रों में वातावरण के प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होते हैं। ये दो क्षेत्र हैं—राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कल्याण की देखभाल। प्रथम की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन नाटो सन्धि सगठन का सदस्य बना और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसने विशेष सम्बन्ध स्थापित किए। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों, समस्याओं, कठिनाइयों और संघर्षों के सम्बन्ध जो दृष्टिकोण अपनाया गया उस पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के बाह्य वातावरण ने उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं हितों पर गम्भीर रूप से प्रभाव डाला है। बाह्य वातावरण के प्रभाव में ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं में स्वयं भागीदार बनता है। यह भागीदारी पुनः उसके घातक साधन स्रोतों से मर्यादित होती है।

(v) विश्व शक्ति न होना—आज ग्रेट ब्रिटेन विश्व शक्ति बनने का न तो संकल्प रखता है और न इसके लिए इसके पास साधन स्रोत हैं। 1947 में भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने की जो कहानी प्रारम्भ हुई थी वह अब तब कुछ पूरी हो चुकी है। जहाँ-तहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ अवशेष उनकी उपलब्धि अथवा सम्पन्नता के प्रतीक न रहकर उसके लिए समस्या बने हुए हैं।

अतीत काल में ब्रिटेन का विश्व शक्ति का स्तर मुख्यतः उसके साम्राज्य का प्रभाव था। इस काल में वह साम्राज्यवादी व्यवस्था के सम्प्रभु सदस्यों पर अपने राजनीतिक नेतृत्व के लिए आवश्यक शक्ति अपने साम्राज्य से ही प्राप्त करता था। 1947 में ब्रिटिश शक्ति का यह स्रोत समाप्त हो गया। भारत को स्वतन्त्रता देने के साथ ही ब्रिटेन अपने अस्तनीय दायित्वों से मुक्त हो गया, किन्तु हिन्द महासागर और उसके परे के अपने शेष मित्रों एवं प्राथितों की सुरक्षा की शक्ति भी अब ब्रिटेन

में नहीं रही। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रादेशिक सुरक्षा की गारण्टी देने में प्रथम होने के कारण इन राज्यों के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध मौलिक रूप से बदल गए। इस प्रकार के अनेक परिवर्तनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन की राजनीतिक और सैनिक शक्ति गम्भीर रूप में घट गई।

(ii) अमेरिका के साथ विशेष सम्बन्ध - राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण की दृष्टि से ब्रिटेन सरकार पर पड़ने वाले दबावों ने उसे अमेरिका के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश विदेश नीति में समय-समय पर असमरमता एवं असंगतियाँ भी दिखाई दी हैं। असंगति का एक उदाहरण यह है कि एक ओर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यथा सम्भव घनिष्ठ, राजनीतिक और सैनिक सम्बन्ध रखता है तथा दूसरी ओर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों के साथ इससे घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रिटेन के विशेष सम्बन्धों की एक विशेषता यह है कि ये सम्बन्ध अत्यन्त दीर्घकालीन हैं। दूसरे, ब्रिटेन की दृष्टि से इन सम्बन्धों का मूल्य सैनिक प्रकृति का है और तीसरे, यह इस प्रकार के सम्बन्ध हैं कि दोनों ही पक्ष इनका अर्थ अपनी दृष्टि से लगाते हैं। 19वीं शताब्दी के अन्त में जब अमेरिका की शक्ति बढ़ी तभी से उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिश विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्त बन गए और संयुक्त राज्य के साथ सघर्ष को हर कीमत पर रोकने की चेष्टा की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका से सन्धि तथा विश्वयुद्ध के बाद विकसित सोवियत संघ के साथ सघर्ष आदि की स्थिति में यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सन्धि सम्भव और आवश्यक है। ब्रिटेन अमेरिका के साथ बहुपक्षीय नाटो सन्धि संगठन में शामिल हो गया और उसके बाद व्यापारिक, आर्थिक एवं अणुशक्ति की दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच निरन्तर सम्बन्धों का विस्तार हुआ। ब्रिटेन के साथ सहयोग में अमेरिका की रुचि व्यवहारवादी रही है।

ब्रिटेन के राजनयिक और सैनिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिश विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप के राज्यों के साथ ब्रिटेन के घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने में ब्रिटिश अधिकारियों की रुचि रही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रथम औपचारिक प्रस्ताव 1961 में रुडिवादी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुनः 1967 में मजदूर दल के प्रभावशाली नेताओं ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। अन्त में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गया। ब्रिटिश नीति के व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटेन के राजनय और सुरक्षा पर आर्थिक एवं वित्तीय तत्वों ने उन्लेखनीय प्रभाव डाला है और तदनुसार आर्थिक एवं वित्तीय प्रशासन सम्बन्धित राजकीय एवं अन्य मस्यानों का विदेश नीति की रचना पर प्रभाव रहता है।

नीति-निर्माता : सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरण तथा
विदेश नीति पर गृह नीति का प्रभाव

(The Policy Makers Governmental & Non-
Governmental Agencies & Impact of
Domestic Policy on Foreign Policy)

विदेश नीति के निर्माता केवल कुछ व्यक्ति नहीं होते बल्कि कुछ अर्थवाद स्वल्प परिस्थितियों को छोड़कर अकेले कार्य करने वाले छोटे समूह भी नहीं होते। यह हो सकता है कि कोई विशेष निर्णय बल्कि नीति सम्बन्धी कोई विशेष क्षेत्र कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धित किया जाए किन्तु ये लोग भी अपनी नीति के आधार के रूप में आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भी उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। घरेलू नीतियों की भाँति विदेश नीति की दृष्टि से भी स्पष्ट और अन्तिम निर्णय लेना असम्भव होता है। अनेक छोटे-छोटे निर्णयों द्वारा नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। परिस्थितियों के प्रति समायोजन और विभिन्न अवस्थाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं के कारण विदेश नीति का रूप निर्धारित होता है। विलियम वालास के कथनानुसार "अन्य बड़े औद्योगिक राज्यों की भाँति ब्रिटेन में विदेश नीति एक मगठनात्मक रूप-रचना में विकसित होती है जिसमें अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों का व्यक्तित्व, कार्य, लक्ष्य, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव आदि सभी बातों परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया करती है।"

नीति निर्माण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अन्तिम निर्णय हमेशा छोटे-छोटे निर्णयों और अनिर्णयों के अवसरों का योग मात्र होता है। अन्तिम निर्णय भी छोटे निर्णयों की भाँति श्रृंखला की प्रथम बड़ी होता है। निर्णयों की इस श्रृंखला में अनेक सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण अपना योगदान करते हैं। इन नीति निर्माताओं पर बाहरी दुनिया के तत्त्वों और स्वयं नीति निर्माताओं की प्रशासनिक और मानसिक दुनिया के आन्तरिक तत्त्वों की क्रिया-प्रतिक्रियाएँ होती हैं। उल्लेखनीय है कि यदि हम विदेश नीति की रचना प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला कदम यह होगा कि व्यक्तियों के उस समूह को पहचाना जाए जो नीति रचना के कार्य में भाग लेते हैं। इन अधिकारियों की सम्पूर्ण राज्य प्रशासन में गतिविधियों को परिभाषित करना भी आवश्यक है। यह कार्य निश्चय ही अत्यन्त जटिल है। उस दृष्टि से प्रत्येक देश के लिए और प्रत्येक समय के लिए कोई एक सार्वभौमिक समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विदेश मन्त्री और विदेश मन्त्रालय के अन्य उच्चकारी जिन्हें औपचारिक रूप से यह कार्य सौंपा जाता है, विदेश नीति की प्रक्रिया के सबसे सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं कर पाते। उनके अतिरिक्त मुख्य मन्त्री, विदेश मन्त्री एवं उनके अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी नीति के विकास पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। नीति रचना के विकास का उत्तम बनाना निश्चय ही जटिल है फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि एक विदेश नीति

के प्रारम्भिक जीवाणु, दूरस्थ राजदूतों, विधायकों, पत्रकारों एवं शिक्षा शास्त्रियों के विचारों में निहित रहते हैं। यद्यपि इनमें से कोई भी नीति-निर्माताओं की औपचारिक सूची में शामिल नहीं होता किन्तु फिर भी सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए इनको ध्यान में रखना आवश्यक है।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि विदेश नीति रचना की प्रभावपूर्ण सत्ता हो सकता है कि औपचारिक सरकारी यन्त्र से बाहर कहीं निहित हो। उदाहरण के लिए रटालिन कालीन रूस में यह स्थिति थी। अतः केवल औपचारिक सरकारी यन्त्र के अध्ययन मात्र से ही हम विदेश नीति की रचना-प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त सरकारी यन्त्र में भी वरिष्ठ अधिकारियों एवं वनिष्ठ कर्मचारियों के बीच अन्तर किया जाना चाहिए। विदेश नीति की रचना में सरकार के वनिष्ठ अधिकारी, विदेशी पदों पर कार्य करने वाले राजनयज्ञ, सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी पदसोपान के निम्नस्तरीय अधिकारी, हित नमूहों एवं लॉबीज के प्रवक्ता, पत्रकार, अपने सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रवक्ताओं के माध्यम से विदेशी सरकारें तथा प्रभावशाली सत्ता एवं दायित्व रखने वाले निर्णय-निर्माता आदि सभी भाग लेते हैं।

विदेश नीति के निर्माताओं सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि छोटे एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के अनुसार नीति-निर्माता भी बदल जाते हैं। छोटे विषयों पर निर्णय पद-सोपान के निम्न स्तर पर ही अपेक्षाकृत छोटे समूह में विचार-विमर्श करने के बाद ले लिया जाता है जबकि प्रमुख प्रश्नों पर निर्णय से पूर्व उस पर प्रत्येक लोगों के बीच अधिक सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है। अनेक निर्णय बौद्धिक तर्क-वितर्क की अपेक्षा अन्तरात्मा एवं अनुभूति के साधारण पर लिए जाते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी जब यह अनुभव करता है कि प्रमुख निर्णय को उसके उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह निर्णय ले लिया जाता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक नीति-निर्माता अधीनस्थ अधिकारी बन जाता है। इन सभी सामान्य तथ्यों का उल्लेख यहाँ हम कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्माता केवल औपचारिक सरकारी अभिकरण भी हैं।

ब्रिटिश विदेश नीति के आचरण का औपचारिक दायित्व विदेश मन्त्री (Secretary of State for Foreign Affairs) तथा उसके अधीन विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय (Foreign and Commonwealth Office) का होना है। ब्रिटिश संविधान की परम्पराओं के अनुसार विदेश मन्त्री के कार्यों पर मन्त्रिमण्डल तथा उसके माध्यम से प्रधानमन्त्री की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। जहाँ विदेश नीति सम्बन्धी विषयों का राज्य के अन्य विभागों से सम्बन्ध रहता है वहाँ विदेश मन्त्री तथा उसका कार्यालय उन विभागों के साथ मिलकर नीति रचना करते हैं। इन प्रकार निर्मित विदेश नीति को विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष

रूप से अथवा विदेशों में स्थित ब्रिटिश दूतावासों एवं मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

ब्रिटेन में विदेश नीति रचना की वास्तविक प्रक्रिया उच्च स्तर की अपेक्षा निम्न स्तरों पर औपचारिक संरचना का अधिक अनुगमन करती है। कनिष्ठ अधिकारी एवं पद-सोपान द्वारा निर्णय लेते समय औपचारिक नियमों का अधिक ध्यान रखा जाता है तथा केवल गम्भीर एवं शीघ्रतापूर्ण लिए जाने वाले निर्णय उच्च अधिकारियों पर छोड़े जाते हैं। उच्च स्तरों पर औपचारिकताओं का निर्वाह कम होता है। यहाँ जिन लोगों को विदेश नीति रचना का दायित्व सौंपा जाता है उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों, दुराग्रहों एवं हितों का संचार के अनौपचारिक माध्यमों की रचना एवं नीति के प्रतिफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। गम्भीर संकट के अलावा अन्य अवसरों पर निर्णयों की स्वीकृति वम से कम औपचारिक तरीकों से होती है यद्यपि उन्हें लिया अनौपचारिक रूप में जाता है।

विदेश नीति रचना के औपचारिक अभिकरणों में प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, अन्य मन्त्री, विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय आदि मुख्य हैं तथा अनौपचारिक अभिकरणों में जनमत, संसद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही, दबाव समूह, निजी मस्याओं आदि का नाम लिया जा सकता है। यहाँ ब्रिटिश विदेश नीति के निर्माता इन सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरणों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे।

(i) प्रशासनिक यन्त्र—ब्रिटिश विदेश नीति की रचना जिस सरकारी यन्त्र द्वारा की जाती है उसमें केन्द्रीय एवं अन्तःसम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। मन्त्रिमण्डल, विदेश कार्यालय एवं राजनयिक सेवा, विदेश नीति की रचना और उसकी कार्यान्विति में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। ब्रिटिश राजकोप का प्रभाव भी पर्याप्त व्यापक और निर्णायक रहता है। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था में नीति सम्बन्धी प्रत्येक पहलू पर परम्परा विचार-विमर्श किया जाता है और उसके आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य पहलुओं की दृष्टि से विचार होता है। सामूहिक विचार-विमर्श की स्थिति में विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत दबाव और प्रभाव का परिणाम नहीं है। ब्रिटिश राजनयिक इतिहास में केवल दो उदाहरण ऐसे हैं जबकि शान्तिकालीन विदेश नीति की रचना पर भी एक दो प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव रहा है। उदाहरण के लिए हिटलर के समय चेम्बरलेन एवं ईडन दोनों व्यक्तियों ने ब्रिटेन की विदेश नीति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है।

ग्रेट-ब्रिटेन में विदेश नीति रचना का कार्य एक सामूहिक गतिविधि है और इसके लिए प्रभावशाली समूह में राजनीतिज्ञ एवं नागरिक सेवक दोनों ही होते हैं। राजनीतिज्ञ राजमुकुट के मन्त्रियों के रूप में अपनी सांविधानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और नागरिक सेवक मन्त्रियों के सूचनादाता एवं प्रशासनिक यन्त्र के नियन्त्रणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देन की

शक्ति रखते हैं, किन्तु उनके आदेश की सीमा यह है कि वे मूलतः प्रशासनिक अधिकारियों पर आश्रित रहते हैं। वे अपना पद प्राप्त करने के बाद भी अपने पूर्ववर्ती के सरकारी कागजातों से अपरिचित रहने के कारण वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं रखते। उनका वर्तमान का ज्ञान भी विशेष नहीं होता। गैर-विशेषज्ञ होने के कारण मन्त्रीगण लोक-सेवकों पर निर्भर रहते हैं। लोक-सेवकों का ज्ञान और अनुभव एव सेवा की संरचना उन्हें विदेश नीति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बना देती है।

विदेशी मामलों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित मन्त्रियों एवं अधिकारियों पर कार्यभार अत्यन्त व्यापक रहता है। विदेश कार्यालय में आने वाले विभिन्न प्रतिवेदनों की मात्रा से इस कार्यभार की गुह्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। 1962 में टम कार्यालय को परम्परागत प्रकार के 14500 औपचारिक राजदूतों पत्र, 75000 तार और 25000 पत्र प्राप्त हुए थे। इस व्यापक संचार से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारी परिवर्तन आ गया है। इसका कारण यह है कि नए राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, सरकारों तथा व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों जैसे गैर-राजनीतिक कार्यों के प्रति ध्यान दिया जाने लगा है, अन्तर्राष्ट्रीय सफटो की संख्या में वृद्धि हुई है जिस पर एक साथ विचार किया जाना आवश्यक है। विदेश नीति के रचनाकार इन सभी नए विकासों से प्रभावित होते हैं। विदेश मन्त्री को अपने सभी दायित्वों का निर्वाह स्थिर करना होता है क्योंकि जब तक वह विश्व में घटन वाली प्रत्येक घटना का ज्ञान नहीं रखता तब तक स्वागत में वह कुछ भी नहीं कर सकता।

विदेश नीति रचना में राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के कार्यभार के कारण जो परिणाम फलित होते हैं वे इस प्रकार हैं—(1) अधिकांश विषयों पर उनका ज्ञान ऊपरी तथा साधारण प्रकार का होता है। यदि कोई समस्या उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव डालती है तो वे अन्य पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं। (2) नौकरशाही द्वारा स्थायित्व अथवा यथास्थिति को विशेष महत्त्व दिया जाता है। (3) विदेश सम्बन्धों के नौकरशाही कृत प्रशासन में समरसतापूर्वक विदेश नीति की रचना कठिन बन जाती है। (4) सामूहिक निर्णय होने के कारण विदेश नीति सम्बन्धी विभिन्न निर्णयों के लिए कोई विशेष अधिकारी उत्तरदायी नहीं बन पाता।

(ii) मन्त्रिमण्डल—विलियम वालास ने लिखा है कि विदेश नीति के संचरण का अन्तिम उत्तरदायित्व सम्पूर्ण सरकारी नीति की नीति मन्त्रिमण्डल का होता है।¹ मन्त्रिमण्डल में लगभग 20 सदस्य होते हैं। इनमें विदेश मन्त्री, सुरक्षा मन्त्री, व्यापार-मण्डल का अध्यक्ष, चांसलर ऑफ एक्सचेंज तथा प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय नीति की रचना सम्बन्धी अपने

1 "The ultimate responsibility for the conduct of overseas policy, as for the whole range of government policy, rests with the cabinet."

मुख्य दायित्व को सम्पन्न करने के अतिरिक्त अनेक मन्त्रालयों के कार्यों तथा नीतियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है ताकि सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मन्त्रिमण्डल की विभिन्न समितियाँ सम्बन्धित मन्त्रालयों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करती हैं। इनमें सुरक्षा समिति तथा नीति समिति का नाम उल्लेखनीय है।

मन्त्रिमण्डल की साप्ताहिक बैठकों में विदेशी मामलों को प्रायः सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। कभी-कभी सम्पूर्ण बैठक में केवल ममभौता वार्ताओं की प्रगति के प्रतिवेदनो और अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सामान्य स्थिति को ही विचारणीय विषय बनाया जाता है। इसकी बैठकों में विदेश मन्त्री अपने निर्णयों एवं कार्यक्रमों पर मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की राय जानता है और उनका समर्थन प्राप्त करता है। दूसरे देशों के साथ कोई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि करने से पूर्व मन्त्रिमण्डल की बैठक में विचार कर लिया जाता है। यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के सन्दर्भ में अनेकानुशा होता है तो मन्त्रिमण्डल में उस पर पहले से ही विचार कर लिया जाता है।

मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण सभी कूटनीतिक कार्यों को मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। यहाँ मन्त्रिमण्डल केवल परामर्शदाता की भूमिका नहीं निभाता बल्कि यह एक निर्णायक निकाय है और इसके लिए सभी सदस्यों के पास समुचित सूचना पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। डेविड वाइटल के कथनानुसार, कार्यपालिका मन्त्र में मन्त्रिमण्डल सर्वोच्च सत्ता है तथा इसकी सर्वोच्चता पूर्ण एवं अन्तिम प्रकृति की है।¹ मन्त्रिमण्डल किसी भी विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि नहीं लेता बल्कि सम्बन्धित मन्त्री को ही ये कार्य सौंप देता है। इस प्रकार विदेश मन्त्री ही विदेश नीति की दृष्टि से निर्णायक भूमिका निभाता है। मन्त्रिमण्डल का अभिमत एवं विचार-विमर्श विदेश नीति का स्वरूप तब करने में प्रभाव अवश्य रखता है। विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर विदेश मन्त्री के अतिरिक्त दूसरे मन्त्री प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार वित्त मन्त्री, वाणिज्य मन्त्री, यातायात मन्त्री आदि सभी मन्त्रियों का किसी न किसी अर्थ में विदेश नीति पर प्रभाव रहता है। ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति रचना में मन्त्रिमण्डल एकीकृत दृष्टिकोण से कार्य करता है। ब्रिटेन सरकार एवं प्रजासैन की यह एक मूलभूत विशेषता है कि यहाँ एक व्यक्ति द्वारा निर्णय कदाचित् ही लिए जाते हैं और ऐसे निर्णय भी कम होते हैं जिनमें सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

1 'In this sense the Cabinet is the supreme authority within the executive machine and its paramountcy within the executive domain as of an absolute and final character'

(iii) प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री—ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहाँ की सरकार और मन्त्रिमण्डल का नेता होता है। अतः विदेश नीति की रचना एवं कार्यान्विति के लिए वह अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। कुछ ब्रिटिश प्रधानमन्त्रियों ने अपनी इस भूमिका को इतने प्रभावशाली तरीके से निभाया है कि उनका नाम व्यक्तिगत कूटनीति के लिए चिरस्मरणीय बन गया है। इनमें फॉर्मसटन, लॉयड जॉर्ज, चर्चिल तथा मैकमिलन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विदेश नीति सम्बन्धी प्रत्येक निर्णय के लिए प्रधानमन्त्री का उत्तरदायित्व इतना अन्तिम और मौलिक है कि विदेश नीति के प्रत्येक बिन्दु की घालीचना एक नेता के रूप में उसके सम्मान एवं प्रभाव को घूमिल कर देती है।

मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री और विदेश मन्त्री का सम्बन्ध पर्याप्त उल्लेखनीय होता है। ईडन के बाद प्रायः सभी प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्री के रूप में अनुभव प्राप्त कर चुके थे। हीथ का अनुभव मुख्यतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वार्ताओं तथा विल्सन का विदेशी वाणिज्यिक सम्बन्धों तक ही रहा है। विदेश नीति की रचना में प्रधानमन्त्री का योगदान नया नहीं है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद लॉयड जॉर्ज ने बहुत कुछ अपनी विदेश नीति को सञ्चालित किया। चेम्बरलेन ने विदेश कार्यालय एवं विदेश मन्त्री दोनों की अवहेलना करते हुए विदेश नीति का सञ्चालन किया था। विदेशी मामलों के प्रति विभिन्न प्रधानमन्त्रियों का आकर्षण रहा है और इसलिए वे अपने महत्त्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर भी शिखर सम्मेलनों एवं विदेशी यात्राओं में भाग लेते रहे हैं।¹ उदाहरण के लिए जुलाई, 1966 के आधिकारिक सत्र के समय विल्सन मास्को चले गए थे तथा उनके लौटने पर ही सत्र निवारण के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। यदि आज कोई प्रधानमन्त्री विश्व के दूसरे देशों में कम रुचि ले तो भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनय एवं अन्य देशों के व्यवहार के कारण यह सम्भव नहीं रहा है। राजनयिक परम्पराओं के कारण राष्ट्रपति डिगॉल से समझौता-वार्ता करने के लिए विदेश मन्त्री की अपेक्षा स्वयं प्रधानमन्त्री मैकमिलन को जाना पड़ा था। इसी प्रकार मि. हीथ ने राष्ट्रपति निक्सन से भेंट की। शिखर सम्मेलनों की राजनीति और दूसरे देशों के प्रधानमन्त्रियों एवं राष्ट्रपतियों की विशेष राजनीतिक रुचि के कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व भी चाहे-अनचाहे रूप में बढ़ जाते हैं। अपनी विदेश यात्राओं के कारण तथा अन्य देशों के राज्य एवं सरकार के अध्यक्षों का स्वागत करने में प्रधानमन्त्री का बहुत-सा समय व्यय हो जाता है।

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से सर्वोच्च है किन्तु प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूप से उस पर प्रभुत्व रखता है। प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल का चयन किया जाता है और वही विभिन्न मन्त्रियों को काम बाँटता है। प्रधानमन्त्री की इच्छा-पर्यन्त ही वे अपने पद पर कार्य करते हैं। दलीय नेता के रूप में उसकी सार्वजनिक स्थिति अद्वितीय रहती है। प्रचार और प्रसार के माध्यमों पर नियन्त्रण होने के कारण वह

अत्यन्त लोचप्रिय बन जाता है। मन्त्रिमण्डल के कार्य व्यापार, मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय, सुरक्षा सेवार्थे एव उच्च सरकारी पदों पर नियन्त्रण के कारण वह प्रशासनिक स्तर पर उल्लेखनीय शक्ति रखता है। विदेश सम्बन्धों के प्रबन्ध में प्रत्यक्ष योगदान करता है तथा विदेश नीति की रचना में उच्च स्तर पर उसका दृढ़ता प्रभाव रहता है कि वह सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी बन जाता है। यद्यपि विदेश सम्बन्धों के संचालन का कार्यभार विदेश मंत्री को सौंपा जाता है किन्तु वास्तविक व्यवहार में प्रधानमंत्री की भूमिका किसी प्रकार कम नहीं होती। उन सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि आजकल की परिस्थितियों में कोई भी विदेश मंत्री स्वयं विदेश सम्बन्धों का संचालन अकेला रह कर नहीं करता बल्कि प्रधानमंत्री उसकी शक्तियों का भागीदार रहता है। मन्त्रिमण्डल के महापति और समस्त सरकारी कार्य व्यापार का अध्यक्ष होने के कारण प्रधानमंत्री ही प्रमुख राजनयिक समस्याओं में व्यक्तिगत रूप से भूमिका धरा करता है। राजनयिक रिवाजों के अनुसार मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वयं प्रधानमंत्री ही भाग लेता है। यह अन्य राज्यों की राजधानियों के दौरे करता है, शिखर-सम्मेलनों में भाग लेता है, राजदूतों के साथ अन्य राज्यों के उच्च अधिकारियों से मिलता है। उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण ही वह डेविड वाइटल द्वारा उच्चतर विदेश मंत्री कहा गया है।¹

प्रधानमंत्री ही वह निर्धारित करता है कि सरकार में किसे विदेश मंत्री बनाया जाए, उसे क्या कार्य सौंपे जाएँ, निर्णय की दृष्टि से उसे कितनी स्वतन्त्रता दी जाए और सैनिक समस्याओं के समाधान में उसे प्रधानमंत्री का कितना सहयोग दिया जाए। यहाँ अतीत का अनुभव और सम्बन्धित व्यक्ति के राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय की पर्याप्त प्रभावित करने हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आपसी सम्बन्ध विदेशी मामलों के संचालन में अन्य दृष्टि से भी महत्त्व रखते हैं। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन गति से विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहे हैं उनके कारण दृढ़तापूर्वक निर्णय आवश्यक बन गए हैं। यह व्यवहार में सम्भव नहीं है कि अल्पकालीन सूचना के आधार पर पूरे मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलाई जाए। यदि यह तकनीकी स्तर से सम्भव हो तो भी सर्वेकार्यक नहीं होता। मन्त्रिमण्डल में विचारणीय समस्या पर विभिन्न पहलुओं से सोचने के लिए मन्त्रियों को कम से कम दो दिन का समय चाहिए। उनके प्रतिरिक्त अन्य मन्त्रियों जिन्हें विदेशी मामलों का विशेष ज्ञान नहीं होता वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर समुचित विचार प्रकट नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री किसी विषय पर समय मन्त्रिमण्डल में विचार करने की अपेक्षा केवल प्रधानमंत्री के साथ विचार-विनिमय कर लेता है।

अकेले प्रधानमंत्री से विचार-विमर्श करने तथा पूरे मन्त्रिमण्डल के साथ विचार करने के मध्य विदेश मंत्री के सम्मुख एक तीसरा मार्ग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय

1 "The Prime Minister is, and is likely to remain, a Super-Foreign Secretary"
—David Vital: The Making of British Foreign Policy, 1968, p. 45,

समस्याओं पर मन्त्रिमण्डलीय समितियों में विचार-विमर्श करना है। यह मन्त्रिमण्डल की स्थायी समिति हो सकती है अथवा विशेष समस्या पर विचार के लिए तदर्थ समिति भी बनाई जा सकती है। ये तदर्थ समितियाँ निरन्तर विचार-विमर्श एवं निर्णय रचना का कार्य करती हैं। इन समितियों के सदस्य प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि केवल विदेश मन्त्री ही ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए उत्तरदायी विभाग का अध्यक्ष नहीं होता बल्कि उसके अतिरिक्त राष्ट्रमण्डलीय मन्त्री (Commonwealth Secretary) एवं समुद्रपारीय विकास के मन्त्री भी होते हैं। 1956 तक एक उपनिवेश मन्त्री (Colonial Secretary) तथा विदेशी मामलों में विशेष परिभाषित उद्देश्यों से युक्त विभिन्न मन्त्री भी रहे हैं। मंकमिलन के मन्त्रिमण्डल में केन्द्रीय अफ्रीकी मामलों से सम्बन्धित एक मन्त्री तथा साक्षात् बाजार के साथ सम्बन्धित करने के लिए मन्त्री भी हुआ करते थे। ये दोनों मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। प्रधान मन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल समन्वय के रूप में विदेशी मामलों पर विशेष नियन्त्रण रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा मन्त्री और विदेश मन्त्री के कार्यक्षेत्र अतिशय पूर्ण होते हैं। अतः प्रधान मन्त्री उनकी सीमा निर्धारित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं।

विदेशमन्त्री मन्त्रिमण्डल में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक सम्मान की दृष्टि से इसे उच्चतर के दो या तीन मन्त्रियों में गिना जाता है। उसके आचरण में स्वतन्त्रता का अनुपात कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे उमका व्यक्तित्व, प्रधान मन्त्री के भाव उसके सम्बन्ध, जनता पर प्रभाव, अपने दल में स्थिति आदि। वह विदेशी कूटनीतिज्ञों से सम्बन्ध बनाए रखता है और विचार सम्मेलनों में प्रधान मन्त्री की सहायता करता है।

(iv) अन्तर्विभागीय समन्वय—मन्त्रिमण्डल के विभिन्न विभाग जो विदेशी मामलों एवं विदेश नीति रचना में भाग लेते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना एक समस्या बन जाती है। इस समन्वय की समस्या का मूल कारण यह है कि कोई भी एक मन्त्रालय अथवा एक मन्त्री ब्रिटेन के विदेशी मामलों के लिए उत्तरदायी नहीं है। विदेश कार्यालय, राष्ट्रमण्डल कार्यालय, समुद्रपारीय विकास मन्त्रालय एवं सुरक्षा सेवाएँ सभी का यहाँ के विदेशी मामलों में योगदान रहता है। विदेश नीति की रचना की दृष्टि से ऐसे तीन बड़े क्षेत्र हैं जहाँ अन्तर्विभागीय समन्वय अपेक्षित होता है। ये निम्नलिखित हैं—

(क) विदेश नीति के समर्थन में धावटिक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय साधनों की हिस्सेदारी की दृष्टि से समन्वय आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय साधन स्रोतों, कल्याण एवं सुरक्षा की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यों में भी समन्वय अपेक्षित है—

(ख) यदि आन्तरिक एवं बाह्य के प्रश्नों को विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा सामूहिक मध्यम का विषय बना लिया जाए अथवा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पारस्परिक सहयोग अपेक्षित हो तब भी समन्वय की व्यवस्था की जाती है।

(ग) विदेशी मामलो के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी चार मन्त्रालयों नीतियों और गतिविधियों के बीच समायोजन एवं समन्वय की आवश्यकता होती है क्योंकि विदेशी मामले मूल रूप से अविभाज्य प्रकृति के होते हैं और इसलिए अन्तर की रेखाओं एवं उत्तरदायित्व के क्षेत्राधिकार में अतिराव रहता है।

(घ) विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय—यह कार्यालय नवीन रूप में 1968 में गठित किया गया था। 1964 से 1974 तक ग्रेट ब्रिटेन के कार्यपालिका विभागों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। यद्यपि 1968 में विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय का नामकरण हो चुका था किन्तु अभी तक इसे विदेश कार्यालय (Foreign Office) के नाम से पुकारा जाता था। 1970 में व्यापार मण्डल और तकनीकी मन्त्रालय डी टी आई (D. T. I.) बन गया। यह 1974 में पुनः व्यापार विभाग एवं उद्योग विभाग के रूप में पुनर्गठित कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि समय-समय पर विभागीय संगठन एवं उनके नामों में जो परिवर्तन हुए उनके परिणाम स्वरूप बरिष्ठ अधिकारियों से नीचे स्तर पर नीति रचना के प्रशासनिक स्वरूप पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय के सदस्य कई दशाब्दियों तक परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के साथ समायोजन करते रहे। इसके फलस्वरूप प्रशासनिक पुनर्गठन, कार्य का निरन्तर दबाव एवं स्थायी रूप में मानव शक्ति की कमी आदि समस्याएँ बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विदेश कार्यालय की इकाइयों का प्रसार हुआ, नव स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यों का उदय हुआ, व्यय पर राजकोष का निरन्तर दबाव बना रहा तथा समुद्र पार के मिशनो की सत्या निरन्तर बढ़ती रही। इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध मानव शक्ति अपेक्षित मात्रा के अनुरूप नहीं हो सकी।

जो समुद्रपारीय विभाग इस कार्यालय में विलय कर दिए गए उनके कार्यों में वृद्धि हुई है तथा उनका पुनर्गठन किया गया है। विदेश कार्यालय के कार्य एवं योगदान में परिवर्तन काफी तीव्र गति से हुआ। ट्रेजरी की भाँति विदेश कार्यालय भी मुख्य रूप से एक नीति-परामर्शदाता एवं नीति-निर्माता निकाय है जिसको अनेक कार्यपालिका कार्य भी सौंपे गए हैं जिन्हें इसकी ओर से सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विलियम वालास के शब्दों में यह अपेक्षाकृत एक छोटा विभाग है किन्तु यह ह्वाइट हॉल में एक स्त्रात्मिक योगदान करता है।¹

विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय का मुख्य कार्य अभी भी अन्य देशों में विकासो पर मूचनाओं का संग्रह करना और उनकी व्याख्या करना है। वह कार्यालय नीति सम्बन्धी प्रस्तावों एवं परामर्शों का आत का कार्य करता है तथा सम्बन्धित मित्रियों को विदेश जान की आवश्यकता तैयारी करने में सहयोगी होता है। यह समुद्र-

1 "It therefore remained a relatively small department but with a claim to play something of a strategic role in white hall."

पारीय देशों का पर्याप्त एवं जीवन्त ज्ञान रखता है। इस ज्ञान का उपयोग निरन्तर गृह विभाग, ब्रिटिश उद्योग एवं वाणिज्य तथा सामान्य जनता द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं आन्तरिक संगठन में पर्याप्त लोचशीलता है। इनमें विभिन्न विभागों के मदस्यों के बीच अनौपचारिक सम्पर्क के लिए अधिक प्रशासनिक कर्मचारी नहीं है। बरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के बीच आसानी से सम्पर्क हो पाता है। इस कार्यालय में आवश्यकता के अनुसार विभागों की रचना, विभाजन विलय एवं समाप्ति की जाती है। विदेश नीति की रचना और प्रबन्ध के कार्य के अतिरिक्त यह कार्यालय ह्वाइट हॉल तथा समुद्रपारीय कार्यालयों के बीच संचार के प्रमुख माध्यम का कार्य करता है।

(ii) समुद्रपारीय मिशन—अनौपचारिक रूप में दूतावास एवं समुद्रपारीय मिशन विदेश कार्यालय के माध्यम से सम्पूर्ण ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिवेदन भेजते हैं। 'राजदूत' राजमुकुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवहार में समुद्रपारीय मिशन विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। प्रमुख ब्रिटिश दूतावास अनेक कार्य सम्पन्न करते हैं जैसे अन्त सरकारी सम्बन्धों का संचालन, विदेश नीति पर परामर्श का प्रावधान, ब्रिटिश प्रजा एवं ब्रिटिश कम्पनियों की सहायता, राजनीति प्रतिवेदन का कार्य, समुद्रपारीय मत को प्रभावित करना, ब्रिटेन की ओर सम्भावित यात्रियों को आकर्षित करना एवं स्व-प्रशासन आदि। इन कार्यों में से कुछ कार्य प्रत्यक्ष रूप से नीति रचना से सम्बन्ध रखते हैं।

समुद्रपारीय कार्यालयों में गैर-राजनयिक सेवा के बीच अनेक लोग सैनिक अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। दो महायुद्धों के बीच दूतावासों में व्यापारिक कार्य एक पृथक्, व्यावसायिक, राजनयिक सेवा द्वारा सम्पन्न किए जाते थे। अर्सेनिक शर्टची इन समुद्रपारीय कार्यालयों में पहले कम हुआ करते थे किन्तु अन्त सरकारी सम्बन्धों के विकास और विज्ञेय रूप से ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद यह प्रवृत्ति बदल गई है। गृह विभागों तथा समुद्रपारीय मिशनों के बीच बढ़ते हुए सम्पर्क के कारण यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि पृथक् से राजनयिक सेवा की रचना की जाए।

(iii) गृह विभागों का योगदान—विदेश नीति की रचना के यन्त्रों में समुद्रपारीय मिशनों से विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्ताव विदेश कार्यालय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तथा विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री और शेष मन्त्रीमण्डल तक पहुँचते हैं। इनके अतिरिक्त विदेश नीति रचना की इस प्रक्रिया में अनेक विभागों द्वारा गम्भीर रूप से भाग लिया जाता है। इस समय ह्वाइट हॉल का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो विदेशी मरकारों से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखता हो। विदेश नीति की रचना में भाग लेने वाले गृह विभागों में तीन मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं—राजकोष (Treasury), व्यापार एवं उद्योग विभाग, कृषि, मत्स्यपालन एवं साध

ब्रिटिश राजकोष का विदेश नीति की रचना में योगदान काफी पुराना तथा प्रत्यक्ष है। सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने वाले अभिकरण के रूप में यह समुद्रपारीय नीति पर होने वाले व्यय पर नजर रखता है। राजकोष के तीन सम्भाग (Divisions) में से एक वित्त समूह (Finance Group) है जिसका अध्यक्ष द्वितीय स्थायी अवर सचिव होता है तथा विदेश आर्थिक नीति की रचना एवं कार्यान्विति जिसका मुख्य उत्तरदायित्व है। समुद्रपारीय वित्त की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम राजकोष सम्भाग 1914 के अन्त में बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष मि. जे. एम. कोन्स थे। वित्त समूह का आकार पर्याप्त छोटा होना है। इसमें कुल 50 से भी कम प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। राजकोष के सरकारी धन एवं राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था समूह उच्चस्तरीय नीति सम्बन्धी मामलों में कदाचित् ही भाग लेते हैं किन्तु बढ़ती हुई आर्थिक अन्तर्निर्भरता के कारण वे भी अब विदेश सम्बन्धों के क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। समुद्रपारीय वित्तीय सम्बन्धों का संचालन करते समय राजकोष बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ सहभागि के रूप में कार्य करता है। इन दोनों के मध्य सरकारी सम्बन्ध तो यह है कि राजकोष नीति बनाता है तथा बैंक उसके अभिकरण के रूप में उस नीति को कार्यान्वित करता है। वास्तव में बैंक द्वारा नीति रचना के समय राजकोष को सुझाव दिए जाते हैं। बैंक का गवर्नर पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है तथा प्रधानमंत्री एवं चांसलर तक उसकी सीधी पहुँच होती है किन्तु विदेश मंत्री के साथ इसका विशेष सम्पर्क नहीं रहता।

व्यापार एवं उद्योग विभाग (Deptt. of Trade and Industry) विदेशी व्यापारिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, समुद्रपारीय व्यापार आदि के लिए उत्तरदायी है। अनेक ब्रिटिश उद्योगों का स्थापक विभाग होने के कारण यह समुद्रपारीय नीति पर विचार करते समय औद्योगिक हितों का प्रतिधित्व करता है तथा दूसरे देशों में कार्य करने वाली ब्रिटिश कम्पनियों के हितों की रक्षा करता है।

कुछ अन्य सरकारी विभाग भी विदेशी मामलों के सम्बन्ध में कार्य करते हैं। इसके लिए इन विभागों में पृथक् सम्भाग रहते हैं। उदाहरण के लिए टृपि, मत्स्यपालन एवं खाद्य मन्त्रालय अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों तथा आयोगों में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। इस मन्त्रालय का अन्तर राष्ट्रीय दृष्टि से अपेक्षाकृत नीचा होना है किन्तु इससे विदेश सम्बन्धों में कार्य करने वाले सेवा वर्ग का स्तर पर्याप्त उँचा होता है। समझौता वार्ता करने की इसकी योग्यता का राजकोष एवं विदेश कार्यालय दोनों के द्वारा सम्मान किया जाता है।

(iii) राजनीतिक दृष्टि—ग्रेट ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। इन दोनों दलों के बीच विदेश नीति की दृष्टि में कुछ विषयों में समानता और एकरूपता है। दोनों ही दल साम्यवादो राज्यों को पश्चिमी प्रजातन्त्रों के लिए खतरनाक मानते हैं, दोनों ही अमेरिका में विशेष सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं, दोनों अस्त्र-शस्त्रों की दौड़ को कम करवा देना चाहते हैं, दोनों ही जर्मन समस्या के बारे में कुछ-कुछ समान मत प्रकट करते हैं, दोनों का प्रयास यह है कि ब्रिटेन को उसका सोचा हुआ

स्तर एवं सम्मान प्राप्त हो जाए। इतने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से दोनों दलों की नीतियों में उल्लेखनीय असमानताएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारणों के सम्बन्ध में ब्रिटेन के दोनों राजनीतिक दल अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। श्रमिक दल की विदेश नीति फेब्रियनवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। उसकी मान्यता है कि सर्वव्यापी कल्याण एवं सामाजिक समानता की स्थापना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष और तनाव कम किए जा सकते हैं। अपने इस दृष्टिकोण के कारण श्रमिक दल विकसशील देशों का स्तर ऊँचा उठाने की नीति पर जोर देता है। दूसरी ओर रूढ़िवादी दल शक्ति के लिए सघर्ष को मुख्य मानकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का मूल कारण मानता है। संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति दोनों दलों का दृष्टिकोण भिन्न है। श्रमिक दल इसे अपनी विदेश नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सरथा मानता है, किन्तु रूढ़िवादी दल इसकी उपयोगिता में कम विश्वास रखता है। विकसशील देशों के प्रति दोनों दलों के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जहाँ तक राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है दोनों ही दल प्रायः एक जैसे विचार रखते हैं। दोनों के बीच विरोध की अपेक्षा सहमति का क्षेत्र अधिक है।

ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के आपसी विरोध राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रकट होते हैं किन्तु देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावना के कारण राष्ट्रीय हित को दलीय हित से ऊपर माना जाता है।¹

(iv) ससद् — ग्रेट ब्रिटेन में सिद्धान्ततः ससद् को एक सम्प्रभु संस्था माना जाता है। मसदोय मंच पर सरकारी नीति की आलोचना एवं आलोच्य करने के लिए तर्क-वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। औपचारिक रूप से ससद् के दोनों सदनों द्वारा नियमित तरीके से ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं जिनके फलस्वरूप सरकार की विदेश नीति पर उसका समुचित नियन्त्रण हो जाता है। कामन्स सभा की परम्परा के अनुसार सम्राट् के भाषण पर सुली बहस के प्रथम दिन विदेशी मामलों पर ही बहस की जाती है। वैसे प्रत्येक सत्र में एक बार तो विदेशी मामलों पर बहस ही होती जाती है। इसके अतिरिक्त स्थगन प्रस्ताव या अन्य अवसरों पर ससद् विदेशी मामलों पर विचार करती है। प्रश्न काल में ससद् के सदस्य विदेश मन्त्री अथवा अन्य मन्त्रियों से प्रश्न करते हैं तथा प्रधान मन्त्री द्वारा विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। विभिन्न ससदोय समितियों के माध्यम से भी सदन के बाहर विदेश नीति पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है।

ससद् सरकार की नीतियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कानून बनाती है तथा उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार यद्यपि मन्त्रिमण्डल को है किन्तु इस विषयक अन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए ससदोय कानून अपेक्षित होता है। ससद् एक ऐसा स्थान है जहाँ से विदेश नीति के कर्णधारों का चयन किया जाता है, जिसके द्वारा

1 "A rebel against foreign policy is, if any thing, in a more difficult situation than a rebel against domestic policy". —David Vial : op cit., p. 77.

सरकार की नीतियों एवं कार्यों की छान-रीन की जाती है, आलोचना एवं समर्थन किया जाता है, इन्हे जनता में प्रचारित किया जाता है और विदेश नीति की दृष्टि से सरकार को नियन्त्रित किया जाता है। प्रत्येक मन्त्रिमण्डल केवल तभी तक अपने निर्णयों को कार्यान्वित कर सकता है जब तक कि इसे ससद् में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। मशरूफ़ विरोधी दल की उपस्थिति के कारण छाया मन्त्रिमण्डल का भय सदैव सरकार के कार्यों को नियन्त्रित करता है। ग्रेट ब्रिटेन की यह स्वस्थ राजनीतिक परम्परा है कि विरोधी दल केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करता वरन् अनेक अवसरों पर वह सरकारी नीति का समर्थन भी करता है। इसका कारण यह मान्यता है कि सकट के समय राजनीति को एक जाना चाहिए।

(x) जनमत—विदेश नीति के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में सगदीय गतिविधियाँ एवं पत्र-पत्रिकाओं में लेख एवं समाचार देश के जनमत को सहभागी बनाते हैं। रुचिशील एवं विशेषतापूर्ण जनमत विदेश नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर बहस करता है। ग्रेट ब्रिटेन का शिक्षित एवं जागरूक जनमत केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं वरन् व्यवहार में भी विदेश नीति की रचना और कार्यान्विति पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। अतीत-काल में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर ब्रिटेन के जनमत ने गम्भीर वाद-विवाद द्वारा निर्णयों को प्रभावित किया है। पैडलफोर्ड तथा लिंकन का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि “सरकार को विदेश नीति का संचालन उन सहनीय परिमीमाओं में करना चाहिए जो कि जनता को स्वीकार्य हो।”¹ यदि किसी प्रश्न पर जनमत अस्पष्ट होता है अथवा असमजस में होता है वहाँ सरकार द्वारा प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करके निर्णय लिए जाते हैं। यदि विन्ही अवसरों पर सरकार जनमत के विरुद्ध व्यवहार करती है तो या तो उसे जनमत को अपने अनुकूल करना पड़ेगा अथवा त्यागपत्र देना पड़ेगा।

विदेश नीति सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने वाला जनमत प्रायः सूचित प्रवृत्ति का होता है जिसमें न केवल मुख्य संस्थानों एवं विश्वविद्यालय के विभागों के अधिकारी और गैर-अधिकारी अभिजन वर्ग के लोग ही होते हैं वरन् अनेक सगठित समूहों के प्रभावशाली सदस्य एवं परामर्शदात्री भी होते हैं। इनमें विदेशी पत्रकार, विदेशी शैक्षणिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता आदि का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। सेवा निवृत्त राजनयन भी विदेश नीति के प्रश्नों पर अपना अभिमत प्रकट करते हैं। विभिन्न शोध संस्थान विदेश सम्बन्धा के विशेष पहलुओं पर सम्मेलन तथा अध्वयन दल आयोजित करते हैं।

जनमत का प्रभाव सगठित अथवा व्यक्तिगत विचार के रूप में भी हो सकता है और विभिन्न सगठित संस्थाओं के रूप में भी। ग्रेट ब्रिटेन में विदेश नीति सम्बन्धी प्रश्नों को प्रभावित करने वाले 300 से भी अधिक गैर-सरकारी सगठन हैं। इनमें जो सर्वाधिक सम्प्रभता प्राप्त समूह है वे किसी न किसी विशेष सरकारी

1 *Padelford and Lincoln*, op. cit., p. 260.

विभाग के साथ निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखते हैं। अनेक ऐच्छिक सगठन अपने विभागों से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ सगठन विदेशों में आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अन्य विशुद्ध रूप से उन्नतिकारी, आदर्शवादी होते हैं। अनेक सगठन विदेशी सगठनों एवं सरकारों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं तथा उनसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विदेशी सरकारों और विदेशी गैर-सरकारी सगठन भी ब्रिटिश विदेश नीति के घरेलू सन्दर्भों को बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

ब्रिटिश विदेश नीति की रचना से पूर्व विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में सम्बन्धित हित समूह एवं विशेषज्ञों के बीच समुचित विचार-विनिमय किया जाता है। इस दृष्टि से उल्लेखनीय तथा प्रभावशाली संस्था स्ट्रेटेजिक अध्ययनों के लिए संस्थान (Institute for Strategic Studies) है। यह संस्थान विदेश नीति एवं सुरक्षा सम्बन्धी विषयों का गहन अध्ययन करता है। इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की रेण्ड कॉर्पोरेशन तथा हूडसन संस्थान से की जाती है। इस संस्थान में सदस्य एवं प्रशासकों के रूप में विदेशी नागरिकों का भी चयन किया जाता है। इसके सदस्य सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें प्रायः सशस्त्र सेनाओं के सेवा निवृत्त अधिकारी, विदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा मन्त्रालय एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के अधिकारी लिए जाते हैं। यह संस्थान विशेषज्ञता-पूर्ण अध्ययन को प्रोत्साहन देता है, इसका अपना पुस्तकालय है और यह नियमित रूप में विचार-विनिमय के लिए बैठकें आयोजित करता है। कुल मिलाकर यह संस्थान विदेश नीति रचना पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है।

अन्त में ब्रिटिश विदेश नीति की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि इस कार्य में विभिन्न अन्त सम्बन्धित प्राधिकारी भाग लेते हैं। मन्त्रिमण्डल, विदेश कार्यालय, राजनयिक सेवा आदि को प्रमुख नीति की रचना एवं कार्यान्वित के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। अनेक व्यक्ति इस कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। विदेश नीति रचना एक सामूहिक गतिविधि है और इसके प्रभावशाली समूह में राजनीतिक एवं लोक मेधक दोनों रहते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, सगठित और असगठित जनमत एवं स्वदेशी तथा विदेशी हित समूह सभी मिलकर विदेश नीति रचना की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

विदेश नीति का सार तत्त्व

(Substance of Foreign Policy)

किसी भी देश की विदेश नीति के मारभूत तत्त्व उसकी भौगोलिक पुरिस्थिति, आर्थिक माधन शक्ति, सैनिक स्थिति, जनता का मनोबल, ऐतिहासिक परम्पराएँ, नाैतिक आदर्श आदि बातों से तय होते हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार सापेक्षिक तत्त्वों का प्रभाव कम या अधिक होता रहता है। यहाँ हम ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति के सन्दर्भ में उन कतिपय सारभूत तत्त्वों की विवेचना करने की चेष्टा

करेंगे जो प्रारम्भ से ही विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं।

(i) साम्राज्यवादी विचार—ग्रेट ब्रिटेन एक छोटा-सा देश है। इसकी भौगोलिक क्षमता एवं साधन-स्रोत इतने पर्याप्त नहीं हैं कि वे यहाँ के विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त शक्ति के साधनों में ब्रिटेन में केवल कोयला उपलब्ध होता है। तेल के लिए उसका अन्य देशों के प्रति मुखामेखी बनना अनिवार्य है। औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए ग्रेट ब्रिटेन को अन्य देशों में बाजार ढूँढना अनिवार्य है। आर्थिक कारणों से ग्रेट ब्रिटेन ने विदेशों के साथ अपने सम्पर्क बढाए और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही उनमें साम्राज्यवादी नीति अपनाई तथा एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक सत्ता को अपने अधीन किया।

ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति में उसकी स्वयं की विचारधारा, जातीय श्रेष्ठता की भावना, असम्य जातियों को नम्य बनाने का स्वरूप आदि बातों का भी योगदान रहा है। अपने देश की रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति मन्तुलन की स्थापना के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने महाशक्तियों के विरुद्ध अपना प्रादेशिक और सैनिक प्रभाव बढाया। अपनी बडती हुई जनसंख्या को पमान की समस्या भी ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति का एक कारण बही जा सकती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक ब्रिटेन का साम्राज्य इतना व्यापक हो चुका था कि उसमें कभी सूर्य नहीं छिपता था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति-वृद्धि में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। ग्रेट ब्रिटेन अब महाशक्ति के स्तर से द्वितीय अथवा तृतीय स्तर की शक्ति बन गया। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में विश्व-राजनीति के मंच पर पदार्पण हुआ। ब्रिटेन का विगत साम्राज्य क्रमशः क्षिण-भिन्न हो गया, अधिकांश उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और धीरे-धीरे एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के नवोदित राज्य तीसरी दुनिया के रूप में उभरने लगे। युद्ध में क्षत-विक्षत होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन की क्षमता उनीची नहीं रह गई कि वह अपने विश्वव्यापी साम्राज्य की देखभाल कर सके और वहाँ साम्यवादी प्रसार को रोकने की दृष्टि में प्रभावशाली भूमिका निभा सके। ब्रिटेन द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान की पूर्ति जहाँ-तहाँ समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। इन समय यद्यपि ब्रिटेन का विश्वव्यापी साम्राज्य नहीं रहा है किन्तु उस काल की अनेक विरासतें नीति निर्माता मर्यादों, प्रक्रियाओं एवं दृष्टिकोणों के रूप में वर्तमान हैं।

(ii) शक्तिशाली नीमेता की स्थापना—ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर शक्तिशाली नीमेता द्वारा समुद्रों पर स्वामित्व बनाए रखने की नीति का अनुशीलन किया है। यह नीति न केवल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में बल्कि उसके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। अतीतकाल में अपने विगत साम्राज्य की रक्षा हेतु ग्रेट ब्रिटेन नौसेना को शक्तिशाली बनाए रखने की नीति अपनाता रहा है। चारों ओर समुद्र गिरा होने

के कारण यह नीति ब्रिटेन के लिए स्वाभाविक बन जाती है। जब किसी देश में नौ सेना की शक्ति बढ़ती है तो ग्रेट ब्रिटेन उसे चिन्तित दृष्टि से देखने लगता है। वह पारस्परिक सन्धियों और समझौतों के माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने तथा अपनी नौ-सैनिक प्रभुता को बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन सम्मेलन (1921-22) में विभिन्न देशों की नौ-सैनिक शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सन्धियाँ की गईं। इस समय की गई सान सन्धियों में सबसे महत्त्वपूर्ण सन्धि पाँच शक्तियों द्वारा नौसेना के अस्त्रों को सीमित करने के लिए की जाने वाली सन्धि थी। इस सन्धि द्वारा प्रत्येक देश के लिए बड़े युद्धपोतों और वायुयान वाहक पोतों के कुल टनों की मात्रा मर्यादित की गई। सन्धि में जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और रूस के बड़े युद्धपोतों का अनुपात 5 5 3 175 175 निश्चित किया गया। दस वर्ष तक नए युद्धपोतों का निर्माण बन्द कर दिया गया। इसके साथ ही एक सन्धि द्वारा पनडुब्बियों तथा विपत्ती गैंगों का प्रयोग नियन्त्रित करने के लिए समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त पनडुब्बियों का प्रयोग मर्यादित कर दिया गया। यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन की नौ-सैनिक प्रभुता को बनाए रखने की आशंका का स्पष्ट उदाहरण है। उस समय जर्मनी की नौसैनिक शक्ति प्रायः समाप्त कर दी गई थी। रूस और ऑस्ट्रिया की नौसेनाएँ प्रथम महायुद्ध के बाद नहीं के बराबर थीं। केवल पाँच देशों के पास ही नौसेना थी। यद्यपि ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा सख्या और टनों की दृष्टि में सबसे शक्तिशाली था किन्तु उस समय अमेरिका ने जहाजों के पुनर्निर्माण का ऐसा विशाल कार्यक्रम शुरू किया था कि कुछ ही वर्षों में अमेरिकी बेड़े के ब्रिटिश बेड़े में अधिक शक्तिशाली होने की पूरी सम्भावनाएँ थीं। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार अपने बेड़े को विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए अमेरिका के साथ युद्धपोत आदि बनाने में जो प्रतिस्पर्धा आवश्यक थी उसके लिए ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं थी। फलतः दस सन्धि द्वारा प्रतिस्पर्धा को रोकने का प्रयास किया गया। 21 जनवरी, 1930 को प्रारम्भ होने वाले लन्दन के नौ-सैनिक सम्मेलन में भी ग्रेट ब्रिटेन की यही नीति उजागर होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्यवादी दायित्व समाप्त हो जाने और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण उसकी नौ सेना इतनी प्रबल नहीं रही और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ की नौसेना का प्रभाव बढ़ रहा है फिर भी ब्रिटेन की विदेश नीति नौ-सैनिक शक्ति की दृष्टि से पर्याप्त प्रभावित होती है।

(iii) राष्ट्रीय स्वार्थ की नीति—राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा करना प्रत्येक देश की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति भी विदेशों में अपने विभिन्न राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। नी. 74. बुडहाडम के कथनानुसार, "ब्रिटिश विदेश नीति का उद्देश्य विदेशों में

ब्रिटिश हितों की रक्षा करना है।¹ विदेशों में ब्रिटेन के हित उसकी घरेलू परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। तदनुसार ब्रिटेन एक भीड़ भरा छोटा सा द्वीप है जो अपने ही साधन स्रोतों से आधी से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण नहीं कर सकता। कोयले के प्रलावा इसके पास कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल नहीं है। यह किसी भी आणविक आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति के दो मूल तत्त्व बन जाते हैं व्यापार और सुरक्षा और विशेष रूप से व्यापारी की सुरक्षा। इसका यह भी अर्थ होता है कि ब्रिटिश सन्दर्भ में विदेश नीति और नीति के अन्य पक्षों जैसे घरेलू, आर्थिक, वैज्ञानिक उपनिवेशवादी के बीच कोई कठोर विभाजक रेखा नहीं है। इनकी वर्णन की दृष्टि से पृथक् किया जा सकता है किन्तु वास्तव में ये सब एक ही नीति के विविध पक्ष हैं।

प्रत्येक परिस्थिति में ब्रिटेन की प्रत्येक सरकार का सक्षम उमके राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं प्रोत्साहन रहा है। ब्रिटेन के सन्दर्भ में ही यह कहा गया है कि इसका न कोई स्थायी शत्रु है और न स्थायी मित्र है वरन् इसके स्थायी स्वार्थ हैं। यह कथन प्रायः सभी देशों की विदेश नीति पर लागू होगा है। समय और परिस्थिति के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वार्थों के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहता है। तदनुसार दूसरे देशों से इसके सम्बन्धों का रूप निर्धारित होता है।

(iv) विश्व-शक्ति का व्यक्तित्व—ग्रेट ब्रिटेन अपनी राजनयिक कुशलता, सैनिक शक्ति, विशाल साम्राज्य, उच्च नैतिक चरित्र आदि के कारण विश्व की महाशक्ति रहा है। इस रूप में उमके अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य एवं दायित्व विश्व राजनीति के परिवेश पर निर्भर करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यद्यपि वह विश्व की महाशक्ति नहीं रहा है किन्तु आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उमकी प्रभावशाली भूमिका एक निर्विवाद तथ्य है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन शक्ति मन्तुलनकारी की भूमिका निभाना रहा है किन्तु बाद में दो गुटी-राजनीति और सामूहिक सुरक्षा का प्रभाव बढ़ने पर, उमका यह कार्य गौण बन गया। वर्तमान परिस्थितियों में ब्रिटेन अपने मित्र राज्यों एवं तटस्थ राज्यों की इच्छा और प्रतिक्रियाओं के अनुकूल व्यवहार करना है। ब्रिटेन की विदेश नीति स्वच्छन्दचारी रूप में निर्धारित नहीं होती वरन् दूसरे राज्यों के हितों एवं आसंक्षाओं का ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती है। एक शत्रु राज्य द्वारा किये गए कार्य के प्रति अपना व्यवहार निर्धारित करने में पूर्वे मित्रों एवं तटस्थ राज्यों में सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है और शत्रु राज्य की प्रतिक्रिया के प्रति मजबूत रहना पड़ता है।¹

(v) स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र का आधार—ग्रेट ब्रिटेन में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की परम्पराएँ पर्याप्त गहरी हैं। दोनों महायुद्धों में शामिल होने समय

ब्रिटिश राजनयज्ञों का यही नारा था कि वे स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवादी शक्तियों का विरोध करने में अमेरिका के सहयोग की भूमिका बढ़ा करते समय ब्रिटेन ने इन्हीं परम्पराओं को ध्यान में रखा। संयुक्त राष्ट्रसंघ, योरिया, जर्मनी एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में अमेरिका के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्ध साम्यवादी पक्ष में अधिक कटु नहीं रहे। उसने अपने हितों की रक्षा करते हुए स्वयं को शीत युद्ध की कटुता के आघात से बचाए रखा।

उक्त सभी राजनीतिक एवं अराजनीतिक तत्त्वों से प्रभावित रहने के प्रतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति मानवतावादी एवं नैतिक अभिप्रेरणाओं से भी प्रभावित होती है। सी एम बुडहाउम के कथनानुसार ब्रिटिश नीतियाँ पूर्णतः आत्महित में कभी प्रभावित नहीं रही। यहाँ तक कि उस समय भी नहीं जबकि इसका आत्म-हित दूसरों का पारस्परिक हित बन गया। यहाँ की विदेश नीति में भावना के स्थान पर सजग चिन्तन का प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है कि नाटो सन्धि मगठन का सदस्य होते हुए तथा अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभाते हुए भी इमने चीन को मान्यता दी और अनेक बार अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का परिचय दिया।

राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध सांस्कृतिक एवं वैचारिक बन्धन (Commonwealth Relations : Cultural and Ideological Ties)

अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाले निरन्तर युद्धों की पृष्ठभूमि में मानवतावादी और विश्वशान्ति के समर्थक विचारकों ने समय-समय पर चिन्तन किया है ताकि विश्व युद्धों का निराकरण किया जा सके और एक शान्ति और सहयोगपूर्ण विश्व समाज की स्थापना की जा सके। विश्व सरकार और एकीकृत राष्ट्रमण्डल का विचार एक ऐसा ही प्रयास है। विश्व के सभी राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में राष्ट्रमण्डल की तरह काम कर सकें यह अनेक आदर्शवादियों का स्वप्न रहा है। इस स्वप्न की साकार अनुभूति एक ही ससद् के अधीन कार्य करने वाली साम्राज्यवादी परिसंघ के रूप में हुई। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल इसी का परिचायक है।

राष्ट्रमण्डल की भौतिक रूप-रचना (Physical Structure of Commonwealth)

विश्व के मानचित्र पर यदि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की इकाइयों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि ये इकाइयों सारी धरती पर फैली हुई हैं। इसका सबसे प्राचीन सदस्य और वास्तव में इसका केन्द्र ग्रेट ब्रिटेन है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। आयरलैंड की स्थिति विशेष है। वहाँ के लोगों को ब्रिटिश नागरिकता के अनेक अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु प्रादेशिक दृष्टि से यह स्थान राष्ट्रमण्डल के बाहर है। राष्ट्रमण्डल में शामिल यूरोप के महत्त्व

पूर्ण राज्य वे हैं—ग्रेट ब्रिटेन, जिब्राल्टर, माल्टा, साइप्रस, । अफ्रीका के हैं—सूडान, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड, केन्या, युगाण्डा, तंगानिका, जजीवार, न्यासालैण्ड, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीका सघ, उच्चायुक्त के प्रदेश, नाइजीरिया, गोनडकोस्ट, मौरालियोन, जाम्बिया । दक्षिणी प्रदेश के राष्ट्रमण्डल के देश हैं—आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, गिल्बर्ट तथा एलिस द्वीप, सोलोमन, टांगा, न्यूहेब्रीड्स पापुआ और न्यूगिनी, पश्चिमी समोआ आदि । इनमें अधिराज्यो (Dominions) का स्तर छ. देशो को प्राप्त है । ये हैं—कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका सघ, पाकिस्तान, श्रीलंका । भारत, पाकिस्तान और घाना, तीनों देश गणराज्य हैं । एशिया में राष्ट्रमण्डलीय देश है—मलाया, भारत, श्रीलंका आदि । फिजी के निष्कासन के बाद अक्टूबर, 1987 में वैकूबर में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में सदस्य देशो की संख्या 48 थी ।

राष्ट्रमण्डल की विभिन्न इकाइयो की प्रादेशिक स्थिति को देखना सरल है किन्तु दस प्रजातान्त्रिक संस्था के अग इन विभिन्न देशो की प्रकृति और पारस्परिक सम्बन्धो को समझना इतना सरल नहीं है । प्रारम्भ में राष्ट्रमण्डल को कई प्रकार की इकाइयो के रूप में विभाजित किया जाता था, जैसे अधिराज्य (Dominions) उपनिवेश, संरक्षित राज्य (Protectorates) एवं मेन्डेट प्रदेश । आजकल इन्हें दो भागो में वर्गीकृत किया जाता है । वे आश्रित प्रदेश कनिष्ठ भागीदार माने जाते हैं और दूसरी ओर सक्षम स्वायत्तशासी इकाइयाँ हैं । आजकल यह विभाजन बहुत कुछ अब स्तविक बन चुका है ।

विभिन्नता में एकता

(Unity within Diversity)

राष्ट्रमण्डलीय देशो का जिस प्रकार भौगोलिक विभाजन हुआ है उसे देखते हुए इसे समग्र विश्व का एक सक्षिप्त रूप (Microcosm of the whole world) कहा जा सकता है । ऐसी कोई प्रजाति, रंग, धर्म तथा जलवायु नहीं है जिसका राष्ट्रमण्डल की परिधियों में प्रतिनिधित्व नहीं होता हो । इसमें हमको सभी प्रकार के इंसान तथा विश्व के सभी लोगो के प्रतिनिधि मिल जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी सारी विभिन्नताओ के रहते हुए राष्ट्रमण्डलीय देशो के बीच सामान्य मिथान्तो या लक्ष्यो को प्राप्त करना सर्वथा रुठिन है । यहाँ के लोगो के दृष्टिकोण, परम्परा, भाषा एवं रीति-रिवाजो के बीच अनेक भिन्नताएँ हैं । इन सभी भिन्नताओ के रहते हुए राष्ट्रमण्डल का एक इकाई के रूप में अस्तित्व निश्चय ही आश्चर्य का विषय है । यह एक युद्धपूर्ण जिज्ञासा है कि इतनी सारी विभिन्नताओ के रहते हुए ऐसा क्या है जो इन सघ के सदस्यो को जोड़ने का कार्य करता है । निश्चय ही यह राजनीतिक अन्धन तो नहीं है । राष्ट्रमण्डल की सभी इकाइयाँ राजनीतिक दृष्टि में ब्रिटेन की पराधीन नहीं हैं । 1914 में ब्रिटिश सम्राट ने सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की ओर स युद्ध की घोषणा की थी । 1939 में सम्राट ने ग्रेट ब्रिटेन, भारतीय साम्राज्य तथा अपने उपनिवेशो की ओर स युद्ध की घोषणा की थी, किन्तु कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा दक्षिणी अफ्रीका में प्रत्येक ने अपनी ओर स युद्ध की

घोषणा की तथा आयरलैंड गणराज्य तटस्थ बना रहा। किसी भी भावी युद्ध के समय ब्रिटिश महारानी द्वारा केवल ग्रेट ब्रिटेन की ओर से ही युद्ध की घोषणा की जाएगी तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य सभी राज्य स्वयं ही निर्णय लेंगे। यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मूल तत्त्व है।

यह सत्य है कि औपचारिक रूप से ब्रिटिश महारानी को सभी सदस्य इकाइयों द्वारा राष्ट्रमण्डल का संविधानिक अध्यक्ष माना जाता है। यहाँ तक कि भारत ने उसे ब्रिटिश सम्प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि उसे भारत की माझाजी स्वीकार नहीं किया गया है। इकाइयों के बीच एकरूपता का आधार उनकी राजनीतिक प्रणाली में खोना जा सकता है। जनतात्मिक जीवन शैली पर आधारित ससदीय संस्थाओं से युक्त शासन प्रणाली प्रायः सभी इकाइयों में स्वीकार की गई है। इसके प्रतिरिक्त सभी ने विधि के शासन को सामान्य रूप से स्वीकार किया है। सभी राज्यों की राजधानियों एवं प्रान्तीय स्तरों पर ससदीय सदनों का अस्तित्व उनके बीच एकरूपता स्थापित करता है। राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों में ससदीय शासन प्रणाली का अस्तित्व ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव का परिणाम है। इन राज्यों के नेताओं ने समुद्र पार कर इन संस्थाओं का व्यावहारिक रूप देना था और उनसे प्रभावित होकर अपने देश में भी इनको स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए कनाडा का नाम लिया जा सकता है। यह देश भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य के निकट है तथा उसके व्यापारिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का विषय है। फिर भी यहाँ सधीय एवं प्रान्तीय स्तरों पर कार्यरत ससदीय संस्था ग्रेट ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों से अधिक अनुरूपता रखती है तथा संयुक्तराज्य अमेरिका से भिन्न है। यह स्थिति कनाडा को राष्ट्रमण्डल में बनाए रखने में सहायता करती है। अन्य सदस्य राज्यों में भी यही स्थिति है। वहाँ उत्तरदायी सरकार एवं ससदीय परम्पराओं की स्थापना के कारण एक सामान्य दृष्टिकोण बनता है।

साम्राज्य की राष्ट्रमण्डल में परिणति

(Empire into Commonwealth)

1887 में ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के प्रमुख नेताओं की पहली बैठक उपनिवेशवादी सम्मेलन में हुई। इसका नाम 1907 से इम्पीरियल सम्मेलन रख दिया गया। इनमें भाग लेने वाले ग्रेट ब्रिटेन, स्वशासित उपनिवेश तथा डोमिनियन थे। इम्पीरियल सम्मेलनों ने विशेषतः व्यापार, सुरक्षा एवं संचार से सम्बन्धित सामान्य हित के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया। इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं थे वरन् परामर्शदात्री थे। इनको लेते समय किसी जोर-जबर्दस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता था वरन् पूर्णतः स्वान्त इच्छा एवं सद्-इच्छा के साथ निर्णय लिए जाते थे। इन प्रकार इम्पीरियल सम्मेलन एक ऐसे षण के रूप में बनपा जिसने स्वतन्त्रता की रक्षा करने हुए एकता स्थापित की। डूमण्ड शील्स ने लिखा है कि इस प्रकार

नाम्राज्य बराबर वालो में स्वामिभक्तिपूर्ण सहयोग की दिशा में विकसित हो गया जिसे बाद में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल कहा गया।¹

1914-18 के प्रथम महायुद्ध में राष्ट्रमण्डल के विचार को रूप एवं परिभाषा मिली। इस महायुद्ध में विभिन्न उपनिवेशों ने ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध जीतने के लिए जीवन और जन का पूरा बलिदान किया और युद्ध के बाद अधिराज्यों ने शान्ति सन्धियों पर स्वतन्त्र राज्यों के रूप में हस्ताक्षर किए। बाद में प्रायोजित इम्पीरियल सम्मेलनों में स्वतन्त्र और सहयोग की क्रमिक वृद्धि होती गई। 1926 की घोषणा और 1931 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सविधि के बाद राष्ट्रमण्डल की रचना के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह गया। राष्ट्रमण्डल का अग्रिम विकास भारत आदि देशों को पूर्ण स्तर प्रदान करने की दिशा में था। राष्ट्रमण्डल के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगपूर्ण जीवन-दर्शन का विकास हुआ है जिसके भविष्य में परिमोमित होने के अवसर नहीं हैं।

राजनीतिक भिन्नरूपता

(The Different Political Patterns)

राष्ट्रमण्डलीय देशों द्वारा महारानी को अध्यक्ष स्वीकारा जाता है। इनके परिणामस्वरूप राष्ट्रमण्डल की इकाइयों की राजनीतिक भिन्नरूपता किसी प्रकार कम नहीं हो जाती। महारानी ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ देशों की महारानी है, किन्तु सभा की नहीं है। राष्ट्रमण्डल में भारत, पाकिस्तान और घाना जैसे गणराज्य हैं और अन्य कुछ राज्य हैं जिन्होंने स्वयं को गणराज्य के रूप में मण्डित बनने की इच्छा प्रकट की है। इसमें मलाया की भाँति निर्वाचित राजतन्त्र है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्थापित परम्पराओं से भिन्न राजनीतिक व्यवहार को स्वीकार किया है। ब्रिटिश राजनीतिक परम्पराओं में मार्बेभौमिक वक्त्र मताधिकार एवं दल व्यवस्था पर आधारित संसदीय प्रजातन्त्र मुख्य है। यह व्यवस्था सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों में स्वीकार नहीं की गई है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में सार्वभौमिक वक्त्र मताधिकार कभी नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इस देश के मूल अरबोंकी निवासियों को मताधिकार ही नहीं दिया गया है। केंद्रीय अफ्रीकी मध्य में केवल कुछ घनपनस्थलों को यह अधिकार प्राप्त है। इस भेदभाव की जड़ में जातिवाद की समस्याएँ निहित हैं। दूसरी ओर वेस्ट इण्डिया के सघ में बहुजातीय समाज होने हुए भी मताधिकार की दृष्टि में कोई असमानता नहीं है। न्यूजीलैंड में यहाँ की पूर्व-यूरोपीय जननस्था मावरी (Maoris) को न केवल पूर्णतः वक्त्र मताधिकार प्राप्त है बल्कि संसद में उनके लिए चार स्थान भी सुरक्षित हैं।

राष्ट्रमण्डलीय देशों के अनुभव में ज्ञात होता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएँ हमारे देशों में तैयार होना में आसान नहीं की जा सकती बल्कि अपने ही वातावरण

1 Sir Drummond Shiels The British Commonwealth, A Family of Peoples, p. 39

मे विकसित होती है। यद्यपि राष्ट्रमण्डल के अधिकांश देशों ने स्वतन्त्रता के बाद ससदीय प्रजातन्त्र की ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया था, किन्तु इनमें से अधिकांश ब्रिटिश मॉडल से हट गए। पाकिस्तान में 1958 की क्रान्ति द्वारा संविधान को समाप्त कर दिया गया। यहाँ जनता सरकार के ब्रिटिश रूप की अपेक्षा अमेरिकी रूप को अपनाना अधिक पसन्द करती है। स्वतन्त्रता के बाद से केवल अल्पकाल के लिए ही यहाँ जनतान्त्रिक संस्थाओं ने कार्य किया अन्यथा तानाशाही और सैनिक शासन ही इस देश की नियति रहा है। अन्य देशों में ग्रेट ब्रिटेन जैसी द्विदलीय व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। भारत और घाना में लम्बे समय तक एक दल की प्रभुता रही है। इन देशों में वास्तविक विरोधी दल नहीं बन सका और यदि विरोधी दल नाम की कोई चीज है तो वह दल के अन्तर्गत ही है। विरोधी दल के अभाव में पाकिस्तान की भाँति तानाशाही व्यवस्था भी जन्म लेती है अथवा राजनीतिक दलों का विकास सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यक्तियों के आधार पर होने लगता है।

उक्त तथ्यों के होते हुए वर्तमान राष्ट्रमण्डल में राजनीतिक एकाता देखने का प्रयास करना निरर्थक है। इस दृष्टि से केवल यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों की कतिपय सामान्य आकांक्षाएँ हैं जो उनके राजनीतिक स्वभाव में एकरूपता की व्यवस्था करती हैं। उदाहरण के लिए विधि का शासन, वयस्क मताधिकार, गमदीय व्यवस्था इत्यादि। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रमण्डल को परिभाषित करते हुए सी एम वुडहाउस ने लिखा है कि यह देशों का ऐसा समूह है जिसके साथ ग्रेट ब्रिटेन अपने सम्बन्धों का संचालन विदेश कार्यालय के म्यान पर राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध कार्यालय के माध्यम से करता है।¹ इस परिभाषा द्वारा राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध कार्यालय के महत्त्व और मूल्य स्तर पर विशेष जोर दिया गया है किन्तु यह असन्तोषजनक है क्योंकि आयरलैंड यद्यपि राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं है फिर भी ब्रिटेन इसके साथ सम्बन्धों का संचालन राष्ट्रमण्डल कार्यालय के माध्यम में ही करता है। इस कार्यालय के अस्तित्व का मुख्य आधार यह है कि अन्य किसी देश में इसका समकक्ष नहीं है और इसके कारण ब्रिटेन को केन्द्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। ब्रिटेन में प्रायः इस विषय पर बहस होती रहती है कि केवल ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक देश के बीच ही सम्बन्ध नहीं होना चाहिए वरन् सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सम्बन्ध रहना चाहिए। इतने पर भी तथ्य यह है कि सभी राज्यों के लिए राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धों का अर्थ ब्रिटेन के माध्यम से सम्बन्धों से है न कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों से। अब क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्यवादी शक्ति रहा है इसलिए यह स्थिति राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकता स्थापित करने में महयोगी नहीं बनती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकाता और पारस्परिक लगाव के लिए कोई अन्य आधार खोजना वांछनीय बन जाता है।

1 C. M. Woodhouse : British Foreign Policy since the Second World War, 1961, p. 227.

राष्ट्रमण्डल की अभी तक कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इसके विभिन्न सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से मान्य सिद्धान्तों सम्बन्धी वक्तव्य जनवरी, 1971 में घोषित किया गया था। इसके कार्य करने का मुख्य तरीका अन्त सरकारी सम्पर्क है। यह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार के माध्यम से और समय-समय पर राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रमण्डल के कुछ सदस्य विदेश नीति और सुरक्षा जैसे राजनीतिक विषयों पर विचार के लिए किसी औपचारिक यन्त्र की स्थापना के विरुद्ध थे, किन्तु 1964 में राज्याध्यक्षों की बैठक में एक औपचारिक यन्त्र का समर्थन किया गया था जो इन राज्यों की सरकारों के बीच समुचित सम्बन्ध कायम कर सके। इस विषय पर अधिकारियों के प्रतिवेदन के बाद जून, 1965 में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रमण्डल सचिवालय बनाने के प्रश्न पर राज्याध्यक्ष सहमत हो गए। इसका मुख्य कार्यालय लन्दन में मानबोरो हाउस में है तथा इसका मुख्य अधिकारी राष्ट्रमण्डलीय महासचिव है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रमण्डलीय देशों के राज्याध्यक्षों द्वारा की जाती है। यह सचिवालय राष्ट्रमण्डल के सभी राष्ट्रों की सेवा करता है। इसके मुख्य कार्य ये हैं—सदस्य सरकारों के बीच बहुपक्षीय सम्पर्क को बढ़ावा देना, राज्याध्यक्षों एवं वित्त मन्त्रियों की बैठकें आयोजित करना तथा सामान्य रुचि के विभिन्न विषयों पर सम्बन्धित सरकारों की सूचनाएँ उपलब्ध कराना। इस सचिवालय के कर्मचारी सदस्य देशों में लिए जाते हैं और उनकी वित्त-व्यवस्था सदस्य सरकारों के योगदान द्वारा होती है।

ग्रेट ब्रिटेन में सरकारी संगठन

(Governmental Organisation in Great Britain)

राष्ट्रमण्डलीय देशों की सरकारों के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध में सतद् के प्रति सांविधानिक उत्तरदायित्व अक्टूबर, 1968 तक राष्ट्रमण्डलीय मामलों के मन्त्री का होता था। यही ग्रेट ब्रिटेन के अधीनस्थ प्रदेशों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी था। 15 मार्च, 1968 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने यह घोषणा की कि राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय को विदेश कार्यालय के साथ मिला दिया जाए। 17 अक्टूबर, 1968 को ये दोनों कार्यालय मिलाकर विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय के नाम से गठित कर दिए गए।

अन्य राष्ट्रों के देशों में भी इस प्रकार के सरकारी विभाग हैं। इनके विभिन्न दायित्वों में राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी दायित्व भी शामिल है और अपनी भूमि पर रहने वाले उच्चायुक्तों में सम्पर्क स्थापित करने हैं किन्तु ब्रिटिश सरकार और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों की सरकारों के बीच सम्पर्क का सामान्य मार्ग लन्दन का विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय और अन्य देशों में राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी सरकारी विभागों के बीच सम्पर्क की स्थापना है।

राष्ट्रमण्डलीय सचिवालय

(The Commonwealth Secretariat)

राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के अध्यक्षों द्वारा सचिवालय की स्थापना 1965 में

की गई। यह सचिवालय सामूहिक रूप से राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के प्रति उत्तरदायी होता है। यह उनके बीच बहुपक्षीय मंचार का मुख्य अभिकरण है। यह अनेक राष्ट्रमण्डलीय गतिविधियाँ सम्पन्न करता है तथा इन देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका प्रथम महासचिव कनाडा की राजनयिक सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी आरनोल्ड स्मिथ बना।

सचिवालय का व्यय राष्ट्रमण्डलीय सरकारों की सहमति से उन्हीं के द्वारा उठाया जाता है। इनका अशुभान इनके मुगनान करने की क्षमता पर निर्भर है जो उनकी जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के आधार पर तय की जाती है। सबसे बड़ा योगदान (लगभग 30 प्रतिशत) ग्रेट ब्रिटेन का है और इसके बाद कनाडा, भारत, आस्ट्रेलिया आदि का है।

सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव होता है जो वरिष्ठ उच्च आयुक्त के पद का होता है। इसकी नियुक्ति सामूहिक रूप से राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रव्यक्त करते हैं। इसका मुख्य कार्य सदस्य-देशों के दौरे करना है। उसकी सहायता के लिए व्यापक कर्मचारी संगठन है। सचिवालय द्वारा राष्ट्रमण्डलीय सरकारों की बैठकें, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, आदि आयोजित किए जाते हैं।

सचिवालय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न करता है। यह सदस्य राज्यों की आर्थिक समझौतों सुलझाने, विकास सहायता देने, शिक्षा का प्रसार करने, विभिन्न युवा कार्यक्रम आयोजित करने, स्वास्थ्य की देख-रेख करने तथा संचार-व्यवस्था को सक्रिय बनाने का कार्य करता है।

राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच अन्य कड़ियाँ

(Other Links between the Commonwealth Countries)

राष्ट्रमण्डल का कोई पूर्ण एवं व्यापक संगठन नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन की भाँति इसका कोई लिखित सविधान नहीं है वरन् सब-कुछ अधिममयों के आधार पर चल रहा है। यद्यपि कुछ सविधियाँ अवश्य हैं जो ब्रिटेन तथा अन्य राज्यों के बीच समान स्तर की व्यवस्था करती हैं। राष्ट्रमण्डल की भिन्नतापूर्ण शासन प्रणालियों एवं राजनीतिक इकाइयों के मध्य कोई मन्वयकारी अथवा एकीकरणकर्ता यन्त्र नहीं है। इतने पर भी राष्ट्रमण्डल का अस्तित्व है तथा यह कार्यरत है। यह एक आश्चर्य का विषय है।

राष्ट्रमण्डल की विभिन्न इकाइयों तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श होता रहता है। पहले इस सामयिक सम्पर्क को इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था जो लन्दन में आयोजित की जाती थी। यद्यपि इनको अन्य स्थानों पर आयोजित करने के बारे में भी मुझाव दिए जाते थे। इन सम्मेलनों के कार्य-व्यापार को सार्वजनिक रूप से घोषित अथवा प्रतिवेदित नहीं किया जाता था। यहाँ राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्यों के लिए सामान्य हित के विचारों पर विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मामला, व्यापार और वाणिज्य में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया जाता था।

ग्रेट-ब्रिटेन में एक सरकारी विभाग है जिसका नाम राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध कार्यालय है। इसी प्रकार के विभाग दूसरे अधिराज्यों में भी मिलते हैं। ये विभाग एक-दूसरे राज्यों को सम्पर्क में बनाए रखते हैं और ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा राष्ट्रमण्डलीय प्रतिदिन के मामलों का संचालन किया जाता है। अधिक महत्त्वपूर्ण मामले राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन अथवा विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के मध्य विचार-विमर्श के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकता की स्थापना में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ भी काम करती हैं। इनमें से उल्लेखनीय निम्नलिखित है—

(1) **आर्थिक कड़ियाँ (Economic Links)**—राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच राजनीतिक कड़ियाँ कमजोर बनी हैं किन्तु दूसरी ओर आर्थिक कड़ियाँ सशक्त हुई हैं। यह होना स्वाभाविक भी था क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को राष्ट्रमण्डल के रूप में परिणत करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभिन्न सदस्य राज्यों के बीच व्यापार तभी चलता है जबकि उसका चलना स्वाभाविक हो अथवा कृत्रिम रूप से उस पर रोक न लगाई-गई हो। तथ्य यह है कि ग्रेट ब्रिटेन अभी भी राष्ट्रमण्डल के अधिकांश देशों का सर्वश्रेष्ठ ग्राहक है। इम्पीरियल प्राथमिकता का अस्तित्व तथा स्टर्लिंग क्षेत्र व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि राष्ट्रमण्डल की नींव ठोस तथा पारस्परिक आर्थिक हितों पर आधारित है।

राष्ट्रमण्डल की इन आर्थिक कड़ियों का अन्य पहलू यह है कि ये महत्त्वपूर्ण तो हैं किन्तु पर्याप्त नहीं हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इम्पीरियल कॉन्फ़ेस का उपयोग राष्ट्रमण्डल के विभिन्न देशों द्वारा नहीं किया गया। जहाँ तक स्टर्लिंग क्षेत्र का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि यदि केवल आर्थिक आधार पर ही राष्ट्रमण्डल टिका होता तो केवल वही देश इसमें शामिल रह पाते जिनके लिए ऐसा करना लाभदायक था। स्टर्लिंग क्षेत्र में कुछ गैर-सदस्य राज्य शामिल हैं और कनाडा इस क्षेत्र के बाहर है तथा दक्षिण-अफ्रीका आधा अन्दर और आधा बाहर है। अन्य राष्ट्रमण्डलीय देश स्टर्लिंग क्षेत्र से कितना लाभ उठाते हैं इस सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्नरूपता है। इसके नए सदस्य स्टर्लिंग क्षेत्र की उपयोगिता के प्रति सन्देह प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र के सदस्यों का एक लाभ यह बताया जाता है कि वे लन्दन के मुद्रा बाजार में प्रवेश पा सकते हैं और वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत भारत का यह कहना है कि व्यवहार में यह लाभ राष्ट्रमण्डल के पुराने सदस्यों, विशेष रूप से आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा उठाया जाता है।

स्टर्लिंग मन्तुलन के समुच्चय में भी राष्ट्रमण्डल के नए राज्यों को स्वयं की प्रथमा व्यवस्था के पुराने राज्यों का लाभ दिखाई देना है। युद्धोत्तर काल में स्टर्लिंग क्षेत्र के मुख्य डालर कमान वाले राज्य प्रायः उपनिवेश थे। इनके अतिरिक्त को प्रतिवार्य रूप से ब्रिटेन द्वारा उधार लिया जाता था। यदि इन उपनिवेशों को स्वतन्त्र निर्गुण या ध्वंसर दिया जाता तो सम्भवतः वे अपने अतिरिक्त को लन्दन को

उपार देने की अपेक्षा अपने आयातों पर व्यय करने की प्राथमिकता देते। इन उपनिवेशों में मुख्यतः मलाया, घाना और नाइजीरिया ये तीनों युद्ध के बाद स्वतन्त्र हुए और स्टलिंग एरिया के बाहर रहने में इन्हें आर्थिक लाभ प्रतीत हुआ।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद स्टलिंग एरिया अथवा राष्ट्रमण्डल को पूर्णतः आर्थिक संध बनाना ब्रिटिश नीति का लक्ष्य नहीं था। संक्षेप में इसी कारण राष्ट्रमण्डल को साझा बाजार में एक इकाई के रूप में लाना सम्भव नहीं हो सकता। यदि यह सम्भव हो पाता तो इसके फलस्वरूप अपने नए राष्ट्रमण्डलीय देशों के औद्योगीकरण को आयात पहुँचता तथा वे यूरोपीय विकसित देशों के म्याई रूप से शिकार बन जाते। राष्ट्रमण्डल के सभी देशों के स्टलिंग क्षेत्र के बाहर वाले देशों के साथ व्यापारिक स्वार्थ मलग्न है। 1958 में मॉन्ट्रियल में आयोजित राष्ट्रमण्डलीय आर्थिक सम्मेलन में ब्रिटेन ने यह इच्छा प्रकट की थी कि राष्ट्रमण्डल को एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से सी एम बुडहाउस का यह कथन उल्लेखनीय है कि "आर्थिक सन्दर्भ में राष्ट्रमण्डल पारस्परिक सम्बन्धों और एक विश्वव्यापी व्यवस्था में आर्थिक लाभों की एक जटिल व्यवस्था है। यह केवल सभी कार्य करती है जब तक कि इसके सदस्यों को लाभ दिखाई देता है। यदि उन्हें लाभ दिखाई न दे तो भी आर्थिक तत्त्व उनको साथ मिलाकर रखने में समर्थ नहीं हो सकता।"

(2) सुरक्षा नीति की कड़ियाँ (The Links of Defence Policy)—आर्थिक सन्दर्भ में जो सत्य है वही बात रणनीति के सन्दर्भ में भी सत्य है। राष्ट्रमण्डलीय देशों को साथ मिलाए रखने वाली नीति सुरक्षा सम्बन्धी नहीं है। सर्वप्रथम देखने पर यह बात सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि अतीत काल में ब्रिटिश साम्राज्य की रचना में रणकौशल ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। आज भी ब्रिटिश सेना का अध्यक्ष इम्पीरियल जनरल स्टाँफ का अध्यक्ष कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार में आर्थिक अभिप्रेरणायों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है किन्तु अनेक प्रदेश ऐसे भी थे जिनका केवल रणकौशल की दृष्टि से महत्व था। जब साम्राज्य के विभिन्न देशों को स्वतन्त्रता दी गई तो रणकौशल के तत्त्व को विशेष महत्व नहीं दिया गया। राष्ट्रमण्डल में सदस्य राज्यों को अपनी सुरक्षा की गारण्टी नहीं है और किसी भी भावी युद्ध में यह एक सुरक्षा इकाई के रूप में नहीं लड़ेगा।

कुछ उदाहरणों द्वारा सुरक्षात्मक कड़ी का अस्तित्व भी प्रकट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मलाया में मास्ट्रेलिया की सेनाओं का अस्तित्व सुरक्षा के लिए सयुक्त उत्तरदायित्व का एक उदाहरण है। नए देशों की सेनाओं में ब्रिटिश अधिकारी बरिष्ठ पदों पर कार्य करते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देश अपने अधिकारियों को ब्रिटेन के सैनिक तथा स्टाँफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में भेजते हैं। जब तक इस प्रकार का आपसी लेन-देन चलता है तब तक राष्ट्रमण्डल की सशस्त्र सेनाओं में सामान्य परम्पराएँ और मिद्धान्त कार्यरत रहेंगे। यह वस्तु स्थिति युद्ध की अपेक्षा अन्य रूपों में मूल्यवान है। सम्भवतः राष्ट्रमण्डलीय देशों के पारस्परिक युद्धों को रोकने में इन्हें

भूमिका अदा की है किन्तु इसके कारण सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल के लिए सुरक्षा नीति की वाध्यकारी कड़ी नहीं बन पाती।

(3) सांस्कृतिक कड़ियाँ (Cultural Links)—राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से वास्तविक एव गहरी कड़ियाँ न होने के कारण संस्कृति के क्षेत्र में नवीन कड़ियाँ तलाश करने की अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। जब ब्रिटेन जैसी महाशक्ति ने अन्य देशों से अपने साम्राज्यवादी सम्बन्ध तोड़े ताँ स्वाभाविक रूप से अपना सांस्कृतिक प्रभाव इन राज्यों पर छोड़ दिया। यह सांस्कृतिक प्रभाव भाषा, साहित्य, शिक्षा, विचार, पहनावा आदि अनेक क्षेत्रों में था। अंग्रेजी भाषा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। अंग्रेजी केवल ग्रेट-ब्रिटेन अथवा राष्ट्रमण्डल की ही भाषा नहीं है बल्कि यह विश्व की भाषा है। उच्च शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संचार एव केन्द्रीय प्रशासन की भाषा होने के कारण अंग्रेजी भाषा ने सम्बन्धित देशों में ब्रिटिश विचार एव व्यवहार आरोपित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन इस समूची व्यवस्था के केन्द्रबिन्दु हैं। इनका संचालन निश्चय ही अनुवादकों के माध्यम से नहीं किया जाता। यह यह है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों में प्रायः विश्व की सभी भाषाएँ प्रयुक्त की जाती हैं किन्तु अंग्रेजी का प्रयोग सामान्य रूप से सभी राज्यों में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन के समय अंग्रेजी भाषा को अपनाया क्योंकि केवल मात्र यही भाषा ऐसी थी जिसे विभिन्न प्रान्तों से आने वाले सभी प्रतिनिधि समझने में सक्षम थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में विभिन्न कहानियाँ और लेखों का अध्ययन करने पर राष्ट्रमण्डलीय देशों की जनता स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता का महत्त्व समझने लगी और इन देशों में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन छेड़े गए। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा ने राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम होने के कारण राष्ट्रमण्डलीय देशों में ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार का भी माध्यम बनी। अनेक राष्ट्रमण्डलीय मन्त्रियों को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त हुई। इसके परिणाम भी महत्वपूर्ण हुए। निम्न स्तरों पर भी ब्रिटिश व्यवहार ने राष्ट्रमण्डलीय देशों में कुछ मानक निर्धारित किए। जलवायु का अन्तर होते हुए भी इन देशों में विश्वविद्यालय की उपाधि, व्यावसायिक योग्यता और यहाँ तक कि शैक्षणिक स्तरों पर भी ब्रिटिश परम्पराओं का प्रभाव पड़ा। बनीसरे, परकारों, मसदों एव अन्य व्यावसायिक तरेतरे के माध्यम में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सम्बन्धों की महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई। अंग्रेजी साहित्य भी राष्ट्रमण्डलीय देशों में लोकप्रिय रहा है। विभिन्न सम्मेलनों में गैर-ब्रिटिश वक्ताओं द्वारा अंग्रेजी साहित्य के उद्धरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रेम तथा गेहियाँ प्रसारण का भी इस दृष्टि से महत्त्व रहा है, अतः राष्ट्रमण्डलीय संचार व्यवस्था जैसे डॉक-लाइन व्यवस्था एवं विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा सभी सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने में योगदान करती हैं। ये सभी तत्त्व राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच ऐसा

सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं जिसके कारण राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य सम्पर्क मूल न होते हुए भी राष्ट्रमण्डलीय देश परस्पर सम्बन्धित रहते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाएँ कार्य करती हैं। इनमें से अनेक सस्थाएँ सामाजिक मामलों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर विचार करती हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रमण्डलीय ससदीय सस्था का भी उल्लेखनीय प्रभाव है। यह सस्था मित्रता एवं विचार-विमर्श के लिए ससदों की एक गैर-सरकारी सस्था है। राष्ट्रमण्डलीय देशों की प्रत्येक ससद् में इसकी शाखाएँ हैं। इनके अतिरिक्त एक समन्वयकारी सामान्य परिषद् भी है। इसकी ग्रेट-ब्रिटेन की शाखा के कक्षों और पुस्तकालयों में राष्ट्रमण्डल के दूसरे देशों के दर्शक आते रहते हैं। राष्ट्रमण्डल के राजधानी नगरों में से किसी एक में इस सस्था के सामाजिक सम्मेलन होते रहते हैं। इसमें प्रतिनिधि प्रत्येक शाखा से नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के संगठन और समूह राष्ट्रमण्डलीय देशों के नेताओं के बीच सद्भावना और भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करते हैं। इन सम्मेलनों को प्रमुख नेताओं द्वारा सम्बोधित किया जाता है और इनमें राष्ट्रमण्डल की सुरक्षा से लेकर दिन-प्रतिदिन की ससदीय प्रक्रिया तक के मामलों पर विचार किया जाता है।

लन्दन की रॉयल एम्पायर सोसायटी, बिकटोरिया लीग एवं आवरसीज लीग आदि सस्थाएँ अधिराज्यों एवं उपनिवेशों के ब्रिटेन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में रुचि लेती हैं। इन सस्थाओं ने महायुद्धों के समय मित्र राज्यों के सैनिकों का भरपूर मनोरंजन किया था। विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सुविधाजनक यात्रा की व्यवस्था भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इसके फलस्वरूप ज्ञान की परिधियाँ टूटती हैं और पारस्परिक जानकारी बढ़ती है।

स्पष्ट है कि राष्ट्रमण्डलीय राज्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली मुख्य कड़ियाँ सांस्कृतिक हैं। यद्यपि राजनीतिक एकरूपता, आर्थिक हित, प्रशासनिक मूल्य, सामान्य राजनीतिक आदर्श आदि के द्वारा इनके आपसी सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने में योगदान किया जाता है किन्तु भाषा, संस्कृति, शिक्षा, विचार, रहन-सहन, आपसी सम्पर्क आदि बातों के कारण इनके बीच विशेष रूप से घनिष्ठता स्थापित होती है तथा अपनेपन की भावना के प्रभाव से ये एक सामूहिक इकाई बन जाते हैं।



राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन (अक्टूबर, 1987)

अक्टूबर में 13 अक्टूबर, 1987 को राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन आरम्भ हुआ। सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका की रणभेद नीति व फिजी की ताजा घटनाओं के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के अनेक मुद्दों पर विचार किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध बाध्यकारी प्रतिबन्धों के प्रश्न पर ब्रिटेन का पूर्ववत् रुवैया रहा। श्रीमती ग्रंचर ने कहा कि वे इनके खिलाफ हैं, तथापि उनकी सरकार सीमान्त राज्यों को आर्थिक सहायता देने के विचार का समर्थन करती है। फिजी के प्रश्न पर भी ब्रिटेन ने यद्यपि घटनाक्रम पर दुःख प्रकट किया, तथापि यह बात स्पष्ट कर दी कि वह किसी भी प्रकार की सीधी कार्यवाही के विरुद्ध है।

आर्थिक घोषणा-पत्र

16 अक्टूबर को राष्ट्रकुल शासनाध्यक्षों ने एक आर्थिक दस्तावेज पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई। इसमें मांग की गई कि विकसित देश आयात के बारे में जो महीन नीति अपनाते हैं, उससे बचाव के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्याई और सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व-व्यापार में सरक्षणवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई। इसका मतलब है कि व्यापार एवं तटकर के घाम समझौते (GATT) को अधिक मजबूत, विश्वमनीय और व्यापारिक बनाया जाना चाहिए, जो कि सरक्षणवादी दवावों के प्रतिकार में उपयोग हो सकें।

घोषणा-पत्र में भारत के कई मुद्दाव स्वीकार किए गए हैं। विकासशील देशों को रियायती दरें पर अधिक सहायता बिनापकर विश्व बैंक की पूंजी को दुगुना करना और अफ्रीका तथा अन्य महाद्वीपों के गरीब देशों को आर्थिक सहायता आदि भारत के प्रमुख मुद्दाव थे।

राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में कहा गया कि विदेशी मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण विकासशील देशों को जो परेशानी होती है, उसका समाधान आवश्यक है। कनाडा और जापान जैसे समृद्ध देशों से अपील की गयी कि वे विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उदारता में धन दें।

राजनीतिक प्रस्ताव

18 अक्टूबर, 1987 को सम्मेलन की समाप्ति पर एक संयुक्त विज्ञापन जारी की गयी, इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख है—

1. विज्ञापन में भारत-शीलवा समझौते को दोनों देशों की मूल-बुद्धि व परिचायक बताया गया। यह समझौता 29 जुलाई, 1987 की कोलम्बो में हुआ

था। इस प्रस्ताव को पारित कराने में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने काफी प्रयास किया था।

2 राष्ट्रमण्डल ने हर सम्भव तरीके से आतंकवाद से सघर्ष करने तथा आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने एवं इसे रोकने के लिए, अनीपचारिक सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रमण्डल ने आतंकवादी गुटों तथा मादक पदार्थों के तस्करी के बीच बढ़ते हुए घुसित गठजोड़ का विशेष उल्लेख किया।

3. राष्ट्रमण्डल ने ईरान तथा ईराक से प्रपील की कि वे सात वर्षों से जारी युद्ध को सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सर्वसम्मत प्रस्ताव के तहत बन्द करे।

4 विज्ञप्ति में छोटे देशों की सुरक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए, इन देशों की सुरक्षा तथा स्थायित्व की दिशा में घरेलू तथा विश्व स्तर पर एक पर्यावरण महिता बनाने की कोशिश जारी रखने पर बल दिया गया।

5 राष्ट्रमण्डल देशों ने अमरीकी राष्ट्रपति रीगन तथा सोवियत नेता गोर्बाचोव से शास्त्र नियन्त्रण तथा निरस्त्रीकरण की लगातार प्रगति के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करने की अपील की।

6 शिखर सम्मेलन ने एकमत से विश्व बैंक की पूंजी दो गुनी करने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना-समायोजन सुविधा में तीन गुनी वृद्धि करने तथा विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की अपील की।

7 फिजी को औपचारिक रूप से राष्ट्रकुल से निकाल दिया गया। इससे राष्ट्रकुल देशों की संख्या 49 से 48 रह गई है। राष्ट्रकुल सम्मेलन में 45 देशों ने भाग लिया। इनमें से 37 देशों का प्रतिनिधित्व वहाँ के शासनाध्यक्षों ने किया।

8 शिखर सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध नए बाध्यकारी प्रतिबन्धों के बारे में कोई फैसला नहीं ले सका। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती थ्रंचर की विजय थी। श्रीमती थ्रंचर ने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। सन्दन तथा नसाग्रो सम्मेलनों से बँकूबर सम्मेलन उनके लिए सरल रहा।

9 अगला राष्ट्रमण्डल सम्मेलन 1989 में क्वालालम्पुर में होना निश्चित हुआ। मलेशिया सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा जो स्वीकार कर लिया गया।

भारत-चीन सम्बन्ध और चीन की सामरिक नीति

अथवा

चीन की दबाव-राजनीति एवं भारतीय रक्षा विकल्प

भारत चीन सम्बन्धों का एक वस्तुपरक मूल्यांकन करते हुए प्रबुद्ध लेखक श्री अशोक तिवारी ने चीन की दबाव राजनीति और सामरिक नीति को उजागर करते हुए यह ठीक ही चेतावनी दी है कि चीन को हम अपनी सैनिक सामर्थ्य बढ़ा कर ही समझौते की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं—श्री तिवारी का विश्लेषण उन्ही के शब्दों में इस प्रकार है—

चीन और भारत दोनों द्वारा अपनी सीमाओं पर पिछले मप्ताहों के दौरान सैन्य वियोजन करने से भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों तथा राजनीति विज्ञानियों के मन में आशंका के बादल घिर आए हैं। अधिकांश टिप्पणीकारों ने चीन द्वारा पीस की राजनीति को दूतरे की 1962 जैसी पूर्व चेतावनी का ग्रह मान दलीले देना प्रारम्भ किया है कि भारत अपनी सेनाओं को यदि अग्रगामी स्थलों से पीछे नहीं हटा नेता तो पुनः एक राङ्गड हो सकता है। कुछ हमारे ही टिप्पणीकार यह मानकर चल रहे हैं कि भारत द्वारा सेनाओं को अग्रगामी स्थलों पर लगा देने से ही चीन उत्तेजित हुआ और भारत सरकार का यह निर्णय सैनिक दृष्टि से न होकर घरेलू राजनीतिक घटनाओं में प्रेरित है। हमारे ऐसे तथास्थित टिप्पणीकार आपरेशन ग्राम टैक्स को भी इसी तरह की भडकाऊ योजना मानते रहे हैं जिसके चलते पाकिस्तान को अपनी सेनाओं को पुनः भारतीय सीमा पर लगाना पडा जबकि विश्व के सभी रक्षा विशेषज्ञ इस बात को स्थीर करते हैं कि भारत के द्वारा किया गया आपरेशन ग्राम टैक्स भारतीय सीमा में 105 से 200 किलोमीटर के भीतर था और इसका कोई इतना बडा महत्व नहीं था जिसे लेकर पाकिस्तान बावेला मचाता। इसके पूर्व विण गए आपरेशन दिग्विजय (1984) का आकार आपरेशन ग्राम टैक्स में कोई बहुत कम तो नहीं था।

हममें से अधिकांश सोचने हैं कि यदि हम नाभिक्र शक्ति में सम्पन्न चीन के साथ निरुत्तरे वीग वर्षों से रहते चले आए तो पाकिस्तान के अणु शक्तिधारी हो जान

से हम अनापाम बयो चिन्तित हो रहे हैं। इन्ही रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हम यदि चीनी सीमा पर पिछले 25 वर्ष से सेना का बिना जमाव किए रह सकते थे तो वंसी ही नीति अब क्यों नहीं अपना रहे है? यह एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव है इससे से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हमने सामन्तवाद, अल्प-विकास, धार्मिक तनाव, चेचक, अल्पायु मृत्यु जैसी विभीषिकायें क्यों सही है उन्हें हमें सर्वदा के लिए सहन करते रहना चाहिए। चीन लोग ऐसी भावना को ही कायरता कहते हैं। ऐसी कायरता जो डर से उपजी हो। चिन्तन का यह स्वरूप हमारी राष्ट्रीय मनस्थिति के पलायनवादी दृष्टिकोण का परिचायक है एवं इसमें भयभीत मानसिकता का ऐसी कमजोरी भार स्वरूप उभरती है जिसे भी ताकतवार राष्ट्र चाहे तो शोषण कर सकता है।

जो बात अग्नेयी की जा रही है वह है चीनी नीति में 1985 में आया महत्वपूर्ण परिवर्तन। चीनी लोग और उनके कुछ हिमायती चीन के लिए अक्सर चीन मार्ग के सामरिक महत्व की बात करते फिर रहे हैं और तर्क दे रहे है कि 1962 में भारत की नीति आक्रामक थी। उस समय चीन ने ऐसा प्रदर्शित किया था कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने को तैयार है। प्रधानमंत्री चाऊ इन लाई ने वर्मा के सम्बन्ध में मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया है और भारत के साथ भी स्वीकार करने को तैयार थे। यदि भारत भी चीन द्वारा 1959 में पेश की गई लद्दाख क्षेत्र पर उसकी सम्प्रभुता की बात को स्वीकार कर लेता। ध्यान देने की बात है चीन का 1995 का प्रस्ताव 1956 में उनके द्वारा किए गए प्रस्ताव में अधिक विस्तृत था और 1962 में वह उतनी जमीन नहीं हथिया पाया जितनी कि उसने 1959 के अपने प्रस्ताव में अभीप्सा की थी। यद्यपि चीनी लोग 1962 में काभेग डिवीजन तक उतर आए थे फिर भी बाद में उसे खाली करके उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर भारत की सम्प्रभुता को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया किन्तु एकाएक 1985 में चीनियों ने यह घोषणा की कि भारत और चीन के बीच मुख्य विवाद पूर्वी सेक्टर को लेकर है और कहा यदि भारत पश्चिमी सेक्टर में नियंत्रण रेखा में किमी परिवर्तन की अपेक्षा रखता है तो उसे पूर्वी सेक्टर में इसके एवज में कुछ भू-भाग छोड़ना होगा। चीनियों ने यह भी सकेत दिया कि तवांग उनकी दृष्टि में समझौते का भू-भाग बन सकता है।

अब तक जो सात वार्ताएँ चीनी और भारतीय अधिकारियों के बीच हुई हैं उनमें चीन ने इस सिद्धान्त को मानने से इन्कार किया है कि सीमांकन हेतु गैर आबादीय भू-भाग तथा भौगोलिक कारणों को मुख्य आधार बनाया जाए। यद्यपि चीन ने सोवियत संघ के साथ आमूर और उत्तरी नदियों के सीमांकन में यही नीति अपनाई है। प्राकृतिक भौगोलिक कारणों का सिद्धान्त (मैक मोहन रेखा) चीन ने वर्मा के साथ जुड़ी अपनी सीमा के सम्बन्ध में स्वीकार किया है। चीन के मुमदुरांग नू घाटी में उतरने की घटना को इन्ही वृहत्तर पैमानों पर देखा जाना चाहिए। चीन तथा उसके कुछ पक्षधर टिप्पणीकार यह तर्क देते हैं कि मुमदुरांग नू

विवादग्रस्त भू-भाग है और मैक मोहन रेखा का यहाँ पर कोई स्पष्ट अंकन नहीं है। भारतीय पक्ष ने सातवीं वार्ता के दौरान इस बात की कोशिश की कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे में चीन का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से क्या है? यह पूर्णतया विवेक सम्मत बात है कि यदि एक-दूसरे के भू-भाग में घुसपैठ तथा सैनिकों के प्रवेश की अनचाही घटनाओं को टालना है अथवा यदि दोनों पक्षों द्वारा 20 कि मी तक एक-दूसरे से दूर अपनी-अपनी सीमाओं में बने रहने की नीति पूरी करना है तो वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे में एक पारस्परिक सहमति अवश्य निकलनी चाहिए। चीनियों ने उम वार्ता के दौरान भी वास्तविक रेखा को परिभाषित करने से टालमटोल की और अब भी कर रहे हैं।

पूर्वी सीमा

इन परिस्थितियों में तथ्यों का सत्यामर्थ विश्लेषण यह निकर्ष निकालने को बाध्य कर रहा है कि पश्चिम में अपने इच्छित भू-भाग पर आधिपत्य जमा लेने के बाद चीनियों ने अब पूर्वी सीमा पर ध्यान देना शुरू किया है। जैसा कि विगत में वे पश्चिमी सीमा पर अपना ध्यान केन्द्रित करते आए थे वैसे ही वे इस समय कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि उस समय चीनी लोग पूर्वी सैक्टर के बारे में अलग-अलग समयों में अलग-अलग माँगें पेश करते रहे और भारत को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते रहे कि उनके लिए अबसाई चिन क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्वी क्षेत्र उतना नहीं जिस तरह चीनियों ने भारत द्वारा चौकमी चौकियों के निर्माण की नीतियों को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर भारत की इमेज को नुकसान पहुँचाया। उस तरह जब वे भारतीय मेनाओं द्वारा पूर्वी सावधानी हेतु उठाए गए कदमों को भी पेश कर रहे हैं ताकि भारत को भगडों की शुरुआत करने वाला सिद्ध करके 1960-62 जैसा लाभ उठा सके।

अबसाई चिन क्षेत्र में चीनियों में भू-भागीय फायदा भरपूर उठाया और अब वे प्ररणाबल प्रदेश में भी वैसे ही फायदा उठाने की सोच रहे हैं। चीनियों का यह प्रस्ताव कि दोनों ही पक्ष सीमा से एक निश्चित दूरी तक पीछे हट जाए सामान्य आदमी को आकर्षक तथा विवेकपूर्ण प्रस्ताव लग सकता है। वास्तविकता यह है कि चीनी लोग एक सपाट पटारीय भू-भाग पर हैं और उनके पास हमारी सीमा के बिल्कुल पास पहुँचने की सड़कों का एक जबरदस्त जाल सा विद्या हुआ है। हमारी तरह हमारी अपनी ही अति सावधानीपूर्ण नीतियों के नाते हमारी सड़कें सीमा में दसियों मील दूर हैं यद्यपि 1962 का युद्ध हुए एक लम्बा समय गुजर गया। यदि दोनों पक्ष पीछे हटते हैं तो चीनी लोग तो अपनी यातायात व्यवस्था के सहारे पुन बड़ी आसानी से एक अत्यल्प समय में सीमा पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे जबकि हमारे मामले यातायात की समस्या विरराल मुँह बाँधे गयी रहेगी।

इसलिए एक न्यायोचित हल यह होगा कि चीन और भारत दोनों ही बगबर दूरी पर अपनी-अपनी सीमाओं में अपनी मेनाएँ स्थापित करें न कि सिर्फ सेनाओं को उनके वर्तमान स्थान से हटाया जाए। तनाव कम करने का यही सर्वोत्कृष्ट

तरीका होगा। इसके साथ ही यदि किसी भी भविष्यगत गलतफहमी से बचना है तो चीनियों को वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे में अपने स्पष्ट विचार रखने चाहिए। 1962 का युद्ध यह बताता है कि एक बार यदि अग्रगामी चौकियाँ हाथ से फिसली तो तर्बांग पूर्णतया अरक्षित है और अगली रक्षा रेखा सीमा पर है। अतएव चीनी लोग जब हमें पीछे हटने को कहते हैं तो उनके दिमाग में यह भाव रहता है कि चीन को अरक्षित तर्बांग मिल जाए। अब, जबकि चीनियों ने तर्बांग को अपना भू-भाग कहना शुरू किया है और तिब्बत में अपनी सेनाएँ 14 डिवीजन तक बढ़ा दी हैं, तर्बांग को अरक्षित छोड़ना भारतीय नेतृत्व के लिए आत्मघात सदृश होगा।

भारत ने मैक मोहन रेखा के उत्तर में किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जताया जबकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ऐसा किया है। इसके प्रतिरिक्त चीन ने मैक मोहन रेखा के दक्षिण में आकर 1962 में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण तक किया। चीन सेनाएँ तिब्बत के पठारों पर तैनात हैं और उनके पास भारत से बेहतर आतायात महात्मक सुविधाएँ उपलब्ध हैं जबकि भारत के पास दलवाई भू-भाग है और हमारी सवहनात्मक सुविधाएँ उतनी समृद्ध नहीं हैं। चीनी हमेशा धमकियाँ देते रहते हैं भारतीय ऐसा कभी नहीं करते। अतएव तनाव शैथिल्य के पूर्व चीन द्वारा वास्तविक नियन्त्रण रेखा को परिभाषित किया जाना नितान्त आवश्यक है और चीन को यह भी आश्वासन देना होगा कि सीमा सम्बन्धी चर्चाओं के दौरान यह तर्बांग को खतरा नहीं पैदा करेगा और जब तक सीमा सम्बन्धी समझौता नहीं हो जाता वह वास्तविक नियन्त्रण रेखा को मनमाने ढंग से पार नहीं करेगा। भारत को भी चीन को ऐसा आश्वासन देना चाहिए।

दुर्भाग्य से भारत सरकार ने अपनी स्थिति को जनता के सामने नहीं रखा, यद्यपि कुछ दुरभि सन्धिर्था इस आशय की समाचार-पत्रों के माध्यम से फैलाई गई कि सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरफ से पूर्व सावधानी कदम उठाये हैं और सेना ने ऐसा बिना राजनीतिक नेतृत्व को विश्वास में लिए किया। यह सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच गलतफहमी भी पैदा करने की चाल है क्योंकि शान्तकाल में भारत का चीफ स्टॉफ बिना राजनीतिक नेतृत्व की आज्ञा के सेनाओं को नियोजित नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने ऐसी ही चाल आपरेशन ब्रास टैंक्स के दौरान चली थी और उसमें वे असफल रहे। वैसे ही चाल पुन चली जा रही है। एक राष्ट्र के रूप में हममें राष्ट्रीय गौरव विद्यमान ही नहीं है अन्यथा हमारे राजा गण ब्रिटेन की छोटी-छोटी फौजों के सामने जिनमें अधिकांशतया भारतीय सैनिक ही थे ग्रामानी से पराजय न स्वीकार कर लेते और महत्व की बात तो यह कि ब्रिटेन के लिए भारतीयों ने ही अपना खून बहाकर इस देश को ब्रिटेन के अधीन करवाया। स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन और 40 वर्षों की स्वतन्त्रता से भी हमारी यह बमजोरी दूर नहीं हुई। इस देश में कोई भी ऐसा गम्भीर मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं होगा जो उन तथ्य में इन्कार करे कि चीन के साथ शान्तिपूर्ण समझौता करके सीमा विवाद हल किया जाए। यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि इस तरह का कोई भी समझौता

एक राजनीतिक लेने-देन के आधार पर ही हो सकता है। भारत को कुछ ऐसी रियायतें और सशोधन स्वीकारने होंगे जिसके चलते भारतीय संसद ने 14 नवम्बर, 1962 को एक प्रस्ताव पारित किया था। मैक मोहन रेखा न तो नितान्त ही पवित्र है और न ब्रिटेन द्वारा खींची जाने के कारण अपवित्र। यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे तो तिब्बत पर चीन का आधिपत्य भी साम्राज्यवादी विजय पर आधारित है और चीनी लोग तिब्बत को बंसी भी स्वायत्तता नहीं देना चाहते जैसी स्वायत्तता भारत ने अरुणाचल प्रदेश को दे रखी है। यह भी शायद एक कारण है कि चीनी लोग अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सीमा विवाद पर नए दृष्टिकोण से विचार करें जो दोनों पक्षों के लिए हितकारी हो और जिसमें दोनों के सैन्य हितों को ध्यान देया न किया जाए।

चीनियों का आधुनिक चिन में सामरिक हित निहित है क्योंकि यह तिब्बत और जिनदयांग प्रान्तों को जोड़ता है। भारत का सामरिक हित यह है कि हिमालय की चोटियाँ इसकी सीमा बनी रहे। चीन ने इस सिद्धान्त को बर्मा के सीमांकन के साथ स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री चाऊ इन लाई इस बात को 1961 में स्वीकार कर रहे थे कि ऐसा समझौता किया जाय जो पश्चिमी संवर्धन में चीन के आधिपत्य को मान्यता दे दे और पूर्वी संवर्धन में भारत के आधिपत्य को। इसके पहले 50 के दशक में पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस पक्ष में थे कि ऐसी जगह जहाँ घास-पात तक न उगती हो के लिए खून बहाना निरर्थक है। अतएव वह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने लेने-देन का प्रस्ताव क्यों रखा था। इन प्रस्ताव के तहत राजनीतिक वास्तविकता भी सन्निहित है। भारत ने आधुनिक चिन क्षेत्र में तीन दशकों से अपनी सम्प्रभुता का उपयोग नहीं किया और चीन ने भी अरुणाचल प्रदेश में उस समय से अपनी सम्प्रभुता का प्रयोग नहीं किया जब से तिब्बत स्वायत्तशासी रहा है। परन्तु प्रधानमंत्री चाऊ इन लाई का लेने देन का प्रस्ताव देना सियाद्धो पिंग के प्रस्ताव से निम्न था। मुख्य घन्तर यह है कि चीन द्वारा 1962 के युद्ध में बही भू-भाग हथियाया गया जिन्हीं प्रधानमंत्री चाऊ चीनी भू-भाग कहते थे। हमें इस समस्या पर भी मुला दमाग रखना चाहिए। चूंकि भारत और चीन की सीमा ऐसी भू-भाग में गुजरती है जहाँ आवादी नितान्त ही कम है या फिर निर्जन है और जिसका बटवारा प्राकृतिक स्तर पर ही हो सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि चीनियों के लिए अपने भू-भाग की चौकसी करना आसान है जबकि भारत के लिए यह नितान्त ही कठिन है। अतएव सीमांकन हेतु प्राकृतिक भौगोलिक कारणों जैसे पहाड़ की चोटियों या जन श्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों ही देशों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसी शान्ति सन्धि हो जो दोनों को दूरगामी मंत्रों की गाँठ में बाँध दे और इसके लिये जरूरी है कि सीमांकन विषय में नैतिक आधिपत्य में न प्रभावित हो और गैर बराबरी की कोई सन्धि न की जाय। 1959 न जा बात ही वह सब नहीं है क्योंकि मई 1962 में चीनियों

ने भारत में घुसकर भारतीय भू-भाग पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत का आधिपत्य ऐसी किसी संन्य कार्यवाही का अंग नहीं है और यही बात पश्चिमी संकट में होने वाले किसी भी हल को पूर्वी संकट की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। यद्यपि भारतीय सेनाओं को 1962 के युद्ध के दौरान सैला बौमडिला क्षेत्र में भारी पराजय मिली थी परन्तु चीनियों ने पूरा कामगार डिवीजन खाली कर दिया था। जबकि पश्चिमी संकट में वे उस जमीन पर अंग भी जमे हुए हैं जिसे उन्होंने 1962 के युद्ध में जबरदस्ती हथियाया था। वार्ता शुरू करने के लिये यह जरूरी है कि हम यह भूल जायें कि मैक मोहन रेखा का कोई ब्रिटेन से सम्बन्ध भी है क्योंकि चीनियों ने चीनी बर्मा सीमा पर मैक मोहन को बंधता की चुनौती नहीं दी। पश्चिमी संकट से भी दोनों देशों को ऐसा समझौता करना चाहिए जो 1959 के चीनी दावे के अनुरूप हो ताकि अक्सार्ड चिन मार्ग सम्बन्धी चीनी सामरिक हितों को खतरा न उपस्थित हो। चीनियों द्वारा प्राप्त इस बात की शिकायत की जाती रही कि भारतीय दृष्टिकोण नितान्त ही गैर-सच्चीना है और भारत ने कोई प्रति प्रस्ताव अंग तक नहीं किया जबकि चीन ने कई प्रस्ताव रखे हैं। वार्ताओं को पुनः शुरू करने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि सीमा पर कोई गम्भीर तनाव न पैदा होने दिया जाय।

वर्तमान तनाव चीन की उस नीति से जुड़ा है जिसके तहत उन्होंने विवाद का बिन्दु पश्चिमी संकट से हटाकर पूर्वी संकट कर लिया है। चीनियों का तर्क है कि यदि अब भारत को पश्चिमी संकट में कोई रियायत पानी है तो पूर्वी संकट में कुछ रियायत देना भी होगा। चीनियों ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा को परिभाषित न करके भी स्थिति को तनावग्रस्त बनाया है जबकि भारत ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा सम्बन्धी अपना मत स्पष्ट शब्दों में दिया है। चीन 1962 में आक्रामक रहा है जबकि भारत ने निबन्ध के किसी भी भू-भाग पर अपना अधिकार नहीं बताया। चीन भारतीय मूल भाग पर प्रायः दावे पेश करता रहा है अतएव यदि भारत कुछ पूर्व मावधानों से कदम उठाता है तो इसे अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

यदि इन समय भारतीय सेनाओं को अग्रगामी स्थलों से हटा लिया जाता है तो चीन के दिमाग में यह बात बँठ जाएगी कि भारत को सैनिक दबाव से भुकाया जा सकता है तथा भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व पलायनवादी दृष्टिकोण का है जिसमें मनचाही रियायत ली जा सकती है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री चीनी अन्टीमेटम के सम्मुख नहीं झुके। 1967 में भारतीय सेना ने चीनियों को मिथिम के त्रिदिवसीय युद्ध में सशक्त धति पहुँचा कर उन्हें एक इंच नहीं बढ़ने दिया। 1971 में इन्दिरा गाँधी ने चीन की बमकी को गौडडथमकी मान उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत अब चीन के सैनिक दबाव में पीछे हट जाय। चीन सिर्फ सैनिक तावत की भाषा समझता है हमें उन उसी भाषा में उत्तर देना होगा।

सार्क--उद्देश्य तथा उपयोगिता

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को तीव्र करने एवं एक-दूसरे की प्रभुसत्ता और अखण्डता का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग से सामूहिक आत्म-निर्भरता के लिए 7, 8 दिसम्बर, 1985 को ढाका में सम्पन्न प्रथम शिखर सम्मेलन में 'सार्क' (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ) एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के रूप में स्थापित किया गया।

क्षेत्रीय सहयोग की विचारधारा का मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त उत्पन्न शीत युद्ध के फलस्वरूप राष्ट्रों में निरन्तर बढ़ती अमुरक्षा की भावना एवं युद्ध काल में नष्ट अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए हुआ है। अमुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रों ने मूलिक सगठनों का गठन किया, जिसमें नाटो, सीटो, सेन्टो, एनजस तथा वारसा पॅक्ट प्रमुख हैं। अर्थ-व्यवस्था के सुधार हेतु ऐसे सकारात्मक क्षेत्रीय सगठनों का निर्माण किया, जिससे वे क्षेत्रीय ससाधनों का समुक्त रूप से पूर्ण रूपेण दोहन एवं वितरण कर सकें। इसके अन्तर्गत ई ई सी. ई सी एस सी, कोमेकोन, ई-एफ टी ए, यूरेटम, ओपेक, ई एस आर ओ आई ए टी ए तथा एशियन हैं। स्वतन्त्रता तथा समानता के आधार पर अफ्रीकी देशों के विकास के लिए ओ ए यू है। इन्हीं सगठनों की प्रेरणा से आकर्षित होकर दक्षिण एशियाई राष्ट्रों ने 'सार्क' का गठन किया है। वास्तव में समुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 52 क्षेत्रीय सहयोग के सगठनों को अनुमति देता है। 'सार्क' कोई राजनीतिक व प्रतिरक्षा सगठन नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग का सगठन है।

'सार्क' की निर्माण प्रक्रिया का प्रारम्भ 1980 में बांग्ला देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थी जिया उर रहमान के व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के प्रस्ताव के साथ हुआ, जो 'बांग्लादेश पॅपर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थी जिया अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को अतिशीघ्र एक सम्भावित स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, किन्तु अन्य देशों के नेता इस सगठन को मूर्त रूप देने में पूर्व एक मुनिश्वित एवं मुनियोजित आधार चाहते थे, जिस पर शक्तिशाली सगठन का निर्माण हो। अतः इस परिप्रेक्ष्य में देशों के सचिव स्तर की ब्रम्श चार वार्ताएँ हुईं, प्रथम वार्ता अगस्त, 1981 में बोलम्बो में, द्वितीय वार्ता नवम्बर, 1981 में कोठमाण्डू में, तृतीय वार्ता अगस्त, 1982 में इन्डोमाबाद में तथा चतुर्थ वार्ता मार्च, 1983 ढाका में सम्पन्न हुई। इस ब्रम्श

मे नरसे महत्त्वपूर्ण सम्मेलन अगस्त, 1983 मे नयी दिल्ली मे आयोजित विदेशमन्त्री स्तरीय प्रथम बैठक थी, जिसमें सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रतिवर्ष कम से कम एक बार मन्त्री स्तरीय सम्मेलन अवश्य होगा। इसी क्रम में जुलाई, 1984 में विलिंगली (मालदीव) में व मई, 1985 में थिम्पू (भूटान) में सम्मेलन हुआ। ढाका शिखर सम्मेलन के आयोजन का निर्णय थिम्पू वार्ता में ही लिया गया था। ढाका शिखर सम्मेलन

दक्षिण एशिया के सातों देशों के शासनाध्यक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर से एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया जिसमें सदस्य देशों की समान समस्याओं, हिनों जन-आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया तथा कहा गया कि इस क्षेत्र में शान्ति, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक सम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति, आपसी सम्बन्ध बढ़ाने, आपसी सम्बन्ध बेहतर बनाने तथा सार्थक सहयोग में ही हो सकती है। सदस्य देशों के सम्बन्धों को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक बताया गया। घोषणा-पत्र में विदेश मन्त्रियों की एक मन्त्रिपरिषद् व सचिवालय की स्थापना की व्यवस्था की गयी। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि सात देशों के नेता 'सार्क' की स्थापना की स्वीकृति देने हैं, जिसमें इसके प्रारूप एवं व्यवस्थाओं का विस्तार में उल्लेख किया गया।

सार्क के उद्देश्य

1. दक्षिण एशिया के सातों देशों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और गरीबी व अज्ञानता को दूर कर जन-जीवन स्तर को सुधारना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय हित के सभी मामलों में आपसी सहयोग करना, ताकि मध मजबूत बने।
3. जापनी व्यापार को उच्च प्राथमिकता देना, मध के देशों में सहयोग की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं।
4. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और तट-कर तथा व्यापार समझौते के द्वारा विरव-व्यापार असन्तुलन को दूर करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, तथा
5. महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार हेतु वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन का आयोजन करना।

यह सगठन निम्नलिखित सिद्धान्तों पर कार्य करेगा—

1. सहयोग, सार्वभौम, समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रता व अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अहस्तक्षेप को आधार मानकर सहयोग करना।
2. सहयोग—यह सहयोग उभयपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग के बदले में नहीं होगा, किन्तु उसकी पूर्ति करेगा।
3. सहयोग उभयपक्षीय और बहुपक्षीय आधारी से असम्बद्ध नहीं होगा।

ढाका घोषणा-पत्र में यह भी व्यवस्था की गई है कि सदस्य देशों के प्रासनाध्यक्ष प्रति वर्ष एक बार अवश्य मिलेंगे। जिसके क्रम में द्वितीय सम्मेलन का आयोजन स्थल (भारत-बंगलौर) को चुना गया। ढाका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री एच. एम. इरशाद ने की। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग की दम तकनीकी समितियों का गठन हुआ।

बंगलौर शिखर सम्मेलन

'सार्क' का द्वितीय शिखर सम्मेलन बंगलौर (भारत) में 17 नवम्बर, 1986 को सम्पन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने सच के अध्यक्ष पद का भार श्री इरशाद से ग्रहण किया। इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि 'सार्क' का सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में स्थापित होगा, जिसके प्रथम महासचिव श्री अब्दुल हुसन होंगे। यह सचिवालय 16 जनवरी, 1987 से कार्य प्रारम्भ कर चुका है। सचिवालय के चार अन्य निदेशक हैं—भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। ढाका शिखर सम्मेलन में गठित दस तकनीकी समितियों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में महिला व बाल-कल्याण कार्यक्रमों के अध्ययन एवं सुझाव हेतु एक और समिति भी गठित की गयी। सहयोग के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, पर्यटन के विकास, रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रम, विपदा प्रबन्ध पर अध्ययन सम्मिलित किए गए और क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की गई। समापन पर 'सार्क' के संयुक्त घोषणा-पत्र में विश्व-शान्ति, निरस्त्रीकरण, सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता, अहस्तक्षेप सह-अस्तित्व और गुट-निरपेक्षता का समर्थन किया गया। यह भी निश्चित किया गया कि अगला शिखर सम्मेलन 1987 में काठमाण्डू (नेपाल), 1988 में कोलम्बो (श्रीलंका) में 1989 में थिम्पू (भूटान) तथा 1990 में इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में होंगे।

उपयोगिता

'सार्क' की उपयोगिता पर विचार करने से पूर्व, सदस्य देशों के भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रणालियों एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का संक्षिप्त विश्लेषण समीचीन प्रतीत होता है।

दक्षिण एशिया में सात देश आते हैं, जो पश्चिम में पाकिस्तान से पूर्व में नेपाल तक और उत्तर में भारत में दक्षिण में मालदीव तक विश्व की पाँच प्रतिशत भूमि पर विश्व की बीस प्रतिशत जनसंख्या को समेटे हुए हैं। ये देश हैं—भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एवं मालदीव।

ऐतिहासिक व राजनीतिक दृष्टि से इन देशों में परस्पर बायीं साम्य है। राजनीतिक रूप में नेपाल, भूटान, को छोड़कर शेष सभी देशों के पास ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष का समान अनुभव रहा है। सांस्कृतिक रूप में भी ये एक-दूसरे के समीप रहे हैं।

यदि हम इन क्षेत्र को प्राथिक क्षेत्र में सहयोग व सन्स्थाओं पर दृष्टिपात करें तो इनमें आपसी व्यापार नहीं के बराबर पाते हैं। बांग्लादेश और भारत जूट

के निर्यात में एक-दूसरे की होड़ करते हैं, वही श्रौतका चाय के निर्यात में भारत का प्रतिस्पर्धी है। उधर भारत व पाकिस्तान की प्रतिद्वन्द्विता सर्वविदित है। ऐसी विषम परिस्थितियों में परस्पर व्यापार बढ़ाने के लिए एक साभा बाजार की स्थापना आवश्यक है।

जहाँ तक संचार और परिवहन का प्रश्न है, इस विषय में कुछ भी कहे, बम ही है क्योंकि दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलम्बो, माले, थिम्पू के मध्य आपस में कोई हवाई सम्पर्क नहीं है। इतना ही नहीं इस्लामाबाद से किसी भी दक्षिण एशियाई देश की राजधानी को सीधी विमान सेवा तक उपलब्ध नहीं है। क्या यह सार्क देशों के क्षेत्रीय सहयोग पर कटु टिप्पणी नहीं है? किन्तु एक कठोर सत्य है, वही स्थिति डाक, संचार की भी है, यदि नई दिल्ली में ढाका के साथ टेलीफोन या टेलेक्स पर सम्पर्क स्थापित करना है तो वह हांगकांग के माध्यम से ही सम्भव है। साधारण पत्र अमेरिका, यूरोप से शीघ्र आ जाते हैं, किन्तु दक्षिण एशियाई देशों से आने में काफी विलम्ब होता है, जिसका कारण है कि आपसी अविश्वास व सैन्यरक्षण। इन देशों की परस्पर यात्रा की अपेक्षा अमेरिका, यूरोप आदि जाना सरल है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्क सदस्य देश भौगोलिक रूप से समीप होते हुए भी इतने दूर हैं कि इससे शीघ्र कोई महान् उपलब्धि प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है। इसके मूल में कुछ निम्नलिखित कारण हैं—

1. अग्रजों की 'बाटो और राज्य करो' की कुटिल नीति ने इनके बीच, जो कलह के बीज का बपन किया है, उसके समाधान में आज भी ये परस्पर अविश्वास और सन्देह के काले बादलों में उलझे हैं।

2. राजनीतिक वेमेल इन राज्यों में तानाशाही, राजतन्त्र लोकतन्त्र है, वही धार्मिक व सांस्कृतिक भिन्नता है जैसे इसमें तीन इस्लामी, दो बौद्ध एक हिन्दू व धर्म-निरपेक्ष देश है।

किन्तु इन सबके बावजूद 'सार्क' का गठन, अब तक की गतिविधियों व नेताओं के वक्तव्य व्यावहारिक स्तर पर भले ही कम महत्त्वपूर्ण हो लेकिन इसके भावनात्मक प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपयुक्त के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सार्क' का गठन किसी महाशक्ति के सकेन पर न होकर, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ है, साथ ही हमें यह भी भूलना चाहिए कि दक्षिण एशिया 'गुटनिरपेश' जैसे महान् आन्दोलन के जनको में से एक रहा है। अतः यह भाषा की जाती है कि दक्षिण एशियाई देशों का यह विशाल संगठन इक्कीसवीं मदी की शान्ति, सद्भाव एवं शोषणमुक्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध परस्पर विरोधी छवि की राजनीति

भारत अमेरिका सम्बन्धों का विश्लेषण दो मूल परन्तु परस्पर सघर्षकारी विवशताओं के बीच गतिशील अन्त क्रिया के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। भारतीय इच्छा कि उसे विश्वपरक राजनीति में एक सुनिश्चित स्थान दिया जाय और अमेरिकी इच्छा के विश्व के अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत भी अमेरिका के विश्वपरक हितों की पूर्ति में सहायक हो-यह निष्कर्षात्मक मूल्यांकन श्री नन्दलाल ने अपने विद्वत्पूर्ण लेख में किया है। उनका निबन्ध भारत-अमेरिका सम्बन्धों का एक वस्तु-परक विश्लेषण प्रस्तुत करता है—

चार्ल्स हेमसथ और सुरजीत मानसिंह ने भारत के कूटनीतिक इतिहास पर लिखी अपनी विद्वत्पूर्ण पुस्तक में लिखा कि भारत अमेरिका सम्बन्ध कभी भी योजनाबद्ध नहीं रहे और इन सम्बन्धों को एक सुनिश्चित दायरे में परिभाषित करना एक दुष्कर कार्य है। विश्व के इन दो विशालतम प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं के मध्य टेडे-मेडे रास्तों पर आधारित है। कभी इनमें यथेष्ट गर्माहट रही है कभी वे बर्फ से भी ज्यादा ठण्डे रहे हैं। यहाँ तक कि ये सबटूपूर्ण भी रहे हैं। कारण यह रहा है कि दोनों देशों के एक-दूसरे के प्रति दृष्टिकोण वैभिन्यकारी रहे हैं। द्वितीय युद्ध के बाद के भारत अमेरिका सम्बन्धों के इतिहास ने उपरोक्तलिखित विद्वानों के मत को सही सिद्ध कर दिया है। कई दशकों तक, भारत अमेरिका सम्बन्ध उन मतभेदों से प्रभावित होते रहे हैं जिनका आधार एक-दूसरे की परस्पर विभिन्न छवि और हित रहे है। एम ए जफर शाह की दृष्टि में भारत-अमेरिका सम्बन्धों का विश्लेषण दो मूल परन्तु परस्पर सघर्षकारी विवशताओं के बीच गतिशील अन्त-क्रिया है परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। भारतीय इच्छा कि उसे विश्वपरक राजनीति में एक सुनिश्चित स्थान दिया जाय और अमेरिकी इच्छा कि विश्व के अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत भी अमेरिका के विश्वपरक हितों की पूर्ति में सहायक हो।

सत्रहवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों में अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फॉर्स्टर डेलने अमेरिकी गठबन्धन व्यवस्था (Alliance System), को चीन मोक्षित क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र से प्रसारित करने का प्रयास किया। यह वह समय था जब भारत के दोनो साम्यवादी राष्ट्रों ने मधुर सम्बन्ध थे। इसी कारण से वाशिंगटन अपने को अमरुक्षित महसूस करने लगा और सुरक्षा को इस मनोवृत्ति में इस्तेमाल करने के वाशिंगटन के गठबन्धन और मैनिफेस्ट सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अमेरिकी नीति नियामक का उद्देश्य सैनिक गठबन्धनों के माध्यम से साम्यवादी प्रसार के खतरों का मुकाबला करना था। दूसरी ओर भारत उस तथ्य के प्रति पर्याप्त संवेदनशील था कि पश्चिमी शक्तियाँ पिछले दरवाजे में एशिया में घुसने का प्रयास कर रही हैं। इसी संवेदनशीलता के कारण भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करने हुए उन्हे एशिया का राजनीति में विलग रहने का प्रयास किया। चीन में मार्क्स के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना से पूर्व अमेरिका ने चीन

को एशिया में एक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास किया ताकि वह साम्यवाद का प्रतिरोध करते हुए एशिया में अमेरिकी हितों की पूर्ति में सहायक हो सके। जब चीन लाल हो गया तो इस सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया गया कि क्यों न चीन का स्थान भारत को प्रदान कर दिया जाए। लेकिन प. जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट स्वर में भौतिक गठबंधन और विशिष्ट सम्बन्धों का विरोध किया। अब अमेरिकी नीति नियामकों के पास एशिया में अपना किंचित मात्र भी प्रभाव बनाए रखने का मात्र एक विकल्प जेष रहा वह यह कि वाशिंगटन एशिया के छोटे राष्ट्रों के प्रति आक्रुष्ट हो जिसमें से कुछ चीन के प्रति परम्परागत भय और सन्देह के प्रति (जैसे कि पाकिस्तान), 1954 में जब सीटो (SEATO) की स्थापना हुई और पाकिस्तान ने उसकी सदस्यता ग्रहण की तो प. नेहरू ने इसकी स्पष्ट शब्दों में आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर टर्नी से फ्लिपिन्स तक तथाकथित शक्ति-व्युत्पत्ता की स्थिति (Power Vacuum) का पश्चिम-पश्चिम शक्तियों से भरने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि वह अयुद्ध क्षेत्र की अग्रगण्यता को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान को अमेरिका सैनिक सहायता प्राप्त होती है तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र से बाहर हो जाएगा जिसका आशय होगा कि शीतयुद्ध का आगमन पाकिस्तान अर्थात् भारत की सीमा तक हो गया है। इस प्रकार भारत की गुटनिरपेक्ष 'तीसरी शक्ति' शीतयुद्ध विशेषतः सैनिक गठबंधनों के विरोध में अधिक सक्रिय हो गई।

दिसम्बर, 1961 में भारत ने गोवा को स्वतन्त्र कराया। इस घटना से भारत-अमेरिका सम्बन्धों में गिरावट आई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के तत्कालीन प्रतिनिधि ए. ई. स्टोवेजन् ने भारत के कार्य की संयुक्त राष्ट्र के अन्त की गुरुआत कहकर निन्दा की। उन्होंने भारत पर आक्रमण का आरोप लगाया जिसकी "नेहरू ने हमेशा जोरदार शब्दों में निन्दा की।"

भारत-अमेरिका सम्बन्धों में एक और व्यक्तिगत कश्मीर की समस्या को लेकर पैदा होता रहा है। कश्मीर की समस्या ने भी पाकिस्तान को अमेरिका की ओर उन्मुख किया है। यद्यपि अमेरिका ने कश्मीर के भारत में सम्मिलित होने की रूढ़ता का प्रश्न कभी नहीं उठाया है। फिर भी अपने मित्र पाकिस्तान के कहने पर वह कश्मीर के प्रश्न को बराबर संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व मंचों पर उठाता रहा है। इससे भी भारत अमेरिका सम्बन्ध में गिरावट आई है। 1971 में बंगलादेश मकट ने भी भारत अमेरिका सम्बन्धों में विपरीत प्रभाव डाला। अमेरिका कांग्रेस को प्रेषित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रीगन ने कहा कि वर्ष 1971 के दौरान अमेरिका ने दक्षिणी एशिया में युद्ध को रोकने और राजनीतिक समाधान की दिशा में मतवत् प्रयास किया किन्तु हम सफल नहीं हुए। इसका उत्तर इस तथ्य में है कि अमेरिका ने युद्ध रोकने का तो प्रयास किया परन्तु समस्या के राजनीतिक समाधान का नहीं जिसके द्वारा युद्ध को रोका जा सकता था। भारत ने पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिक सहायता विशेष रूप से परमाणु पोत (ENTERPRISE) के प्रेषण में अपनी सुरक्षा के लिए नवरा महम्म किया। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम के क्रिया भी स्तर पर अमेरिका ने पाक गतिविधियों की निन्दा नहीं की जबकि ब्रिटेन ने ऐसा किया। बजाय इसके अमेरिका ने पकिस्तान को सैनिक सहायता न और बढ़ कर दी।

1971 के बंगलादेश संकट के बाद क्षेत्रीय शक्ति ढाँचा इतना परिवर्तित हो गया कि अमरीकी नीति नियामक यह स्वीकार करने के लिए विवश हो गए कि भारत अब क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। इसे महसूस करते हुए राष्ट्रपति निसन ने 1972 में कांग्रेस को प्रेरित अपने वार्षिक प्रतिवेदन में भारत से सम्भार वार्ता की इच्छा व्यक्त की। परन्तु इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अमेरिका यह चाहता है कि भारत किसी ऐसे राष्ट्र के साथ ऐसे गठबन्धन में आवद्ध हो जो अमेरिका अथवा उसके किसी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध उन्मुख हो। सकेत किसी सम्भावित भारत सोवियत गठबन्धन की ओर था जो पाकिस्तान अथवा चीन के विरुद्ध उन्मुख हो क्योंकि निकसन और किमिजर का मूल्यकरण की राजनीति के चलते उस समय तक अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में यथेष्ट मधुरता छा चुकी थी।

परमाणु ईंधन की आपूर्ति का प्रश्न भी दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध में गिरावट आने का एक कारण रहा है। 1963 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत अमेरिका द्वारा 1994 तक तारापुर मयत्र के लिए समर्पित यूरेनियम की आपूर्ति की जानी थी। समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि अमेरिका प्रयुक्त ईंधन को पुन शोधन के लिए वापस ले लेगा। परन्तु अमेरिका परमाणु नियामक आयोग ने इस आधार पर भारत को 76 टन सम्बन्धित यूरेनियम की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया कि भारत ने परमाणु अ-प्रसार सन्धि (N P T) पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही अन्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजेंसी के समग्र निरीक्षण अधिकार को ही स्वीकार किया है। बाद में यद्यपि कांग्रेस ने आपूर्ति को मन्जूरि दे दी और समस्या को भारत, अमरीका तथा फ्रांस के मध्य त्रिवर्षीय समझौते द्वारा सुलझाया गया (जिनके तहत यूरेनियम की आपूर्ति अमेरिका के स्थान पर फ्रांस द्वारा की जायेगी) फिर भी दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में इन घटनाक्रम से पर्याप्त कड़वाहट भर गई।

दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के बाद, अमरीका ने 1981-87 के समयकाल में पाकिस्तान को 32 बिलियन डॉलर की सैनिक सहायता प्रदान की। इससे भारतीय नीति नियामकों में अमरीकी इरादों के प्रति पर्याप्त संदेह भर गया क्योंकि पाकिस्तान द्वारा चीन के विरुद्ध इन हथियारों के प्रयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि चीन और पाकिस्तान में प्रगाढ़ मित्रता है, दूसरी ओर पाकिस्तान सोवियत मत्र के विरुद्ध इन हथियारों के प्रयोग की मोच भी नहीं सकता क्योंकि इनका अर्थ होगा पाकिस्तान का सर्वनाश। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान के पास जब-जब हथियारों का जमाव हुआ है, उमने इनका प्रयोग भारत के ही विरुद्ध रिया है। अब पुन रीगन प्रशासन आगामी 6 वर्षों में पाकिस्तान को 402 बिलियन डॉलर की सैनिक सहायता देने के लिए वृत्तसम्प है। इस निश्चिन सूचना के बावजूद कि पाकिस्तान ने परमाणु धमता का विकार कर लिया है, बहुचर्चित मिनेगटन मसौधन को नहीं लागू किया जा रहा है।

अमरीकी नीति-नियामकों द्वारा प्रायः यह कहा जाता रहा है कि यदि अमरीका पाकिस्तान को सैनिक आक्र-मागम की आपूर्ति कर रहा है तो इसमें भारत को क्या परेशानी है? यदि भारत चाहे तो अमरीका भारत को भी हथियारों की आपूर्ति

कर सकता है परन्तु तीन ऐसे ठोस कारण हैं जिनके चलते भारत अमरीका से हथियार लेना पसन्द नहीं करेगा—

(1) पाकिस्तान के विपरीत भारत, अमरीका को विश्वपरक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने को तैयार नहीं है।

(2) ऐसा नहीं है कि भूतकाल में भारत ने अमरीका से सैनिक साज-सामान खरीदने को पेशकश नहीं की, परन्तु अमरीकियों ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं प्रदर्शित की। 1964 में भारत ने सोवियत संघ से सैनिक साज-सामान खरीदने के पूर्व अमरीका से इनकी आपूर्ति का आग्रह किया था किन्तु अमरीका ने इस अस्वीकृति कर दिया। इसी प्रकार जनता शासन के दौरान सैनिक सामग्री खरीदने का एक बड़ा आदेश अमरीकी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार 1980 में अमरीका ने भारत को TOW प्रक्षेपास्त्र बेचने से इन्कार कर दिया यद्यपि इसका अपेक्षाकृत प्राथमिक प्रकार 1985 में बेचा गया।

(3) अमरीका उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं जो भारत किसी भी स्रोत से सैनिक सामग्री खरीदते समय रखता है समय की पाबन्दी, पुर्जों के दवरित आपूर्ति की गारण्टी तथा सह-उत्पादन आदि।

जून, 1985 में राजीव गांधी ने अमरीकी की 5 दिवसीय (11-15 जून, 1985) यात्रा की लेकिन कमोबेश रूप में यह यात्रा जन सम्पर्क ही सिद्ध हुई। दोनों देशों में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद पूर्ववत् विद्यमान है। यात्रा की समाप्ति पर जारी समुक्त विज्ञप्ति में उन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया गया जिस पर भारतीय और अमरीकी दृष्टिकोण में मतभेद हैं जैसे कि पाकिस्तान की अमरीकी हथियारों की आपूर्ति या पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आदि। इसी प्रकार अफगानिस्तान की भी विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इद्यपि इन सभी मुद्दों पर वार्ता में विचार किया गया था। 'टाइम' को दिए गए एक साक्षात्कार में राजीव गांधी ने कहा कि, "..... हमारे सम्बन्धों में सुधार आ रहा है। मेरी जून यात्रा के सकारात्मक और पहचान योग्य परिणाम निकले हैं, विशेष रूप से तकनीकी हस्तान्तरण के क्षेत्र में। हमारे राजनीतिक मतभेदों ने हमारे आर्थिक सम्बन्धों को प्रभावित नहीं किया है।" राजनीतिक सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका अप्रजातान्त्रिक तरीके से अपने मित्रों से बहुत आशा करता रहा है। लेकिन राजीव गांधी की उपरोक्त धारणा कि तकनीक हस्तान्तरण के क्षेत्र में अमरीका भारत के प्रति बहुत उदार रहा है, गलत सिद्ध हुई है। अमरीका और भारत में मुपर कम्प्यूटर की बिक्री पर पिछले दो वर्षों से वार्ता चल रही थी। 1986 के अन्त में भारत को अमरीका CRAY-XMP-24 मुपर कम्प्यूटर बेचने के लिए सहमत हो गया था परन्तु अप्रैल, 1987 में अमरीका अपने वायदे से मुकर गया। अब अमरीका भारत को उपरोक्त कम्प्यूटर के स्थान पर CRAY-XMP-14 देने के लिए ही सहमत है। तर्क यह दिया जा रहा है कि XMP-24 में दो ममानान्तर प्रोसेसर (Processor) हैं। इस कारण इसको परमाणु उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है जबकि XMP-14 में ऐसी कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि इनमें एक ही 'प्रोसेसर' है। यही नहीं अमरीकी प्रतिनिधि सभा की वंदेशिक सम्बन्ध समिति (Foreign Relations Committee) ने वर्ष 1987-88 के लिए भारत को दी जान वाली आर्थिक सहायता की राशि को 50 मिलियन डॉलर से घटाकर 35 मिलियन डॉलर करने की मस्तुति की है।

हमारा यह मतब्य नहीं है कि अमरीका और भारत के मध्य मात्र मतभेद ही है। परन्तु दो राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध को उनके बीच विद्यमान मतभेद के परिप्रेष्य में अधिक अच्छी प्रकार में समझा जा सकता है क्योंकि तब हम इन मतभेदों को दूर करने की सम्भावनाओं पर भी विचार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राष्ट्रों में एक-दूसरे की विशिष्ट छवि है। प्रो भवानी मैन गुप्ता के विचार में अमरीकी नीति-निर्वाहकों के मष्तिष्क में भारत की नि-पक्षीय छवि है। भारत, सोवियत मध्य के मित्र के रूप में, भारत, दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में और भारत, विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों में से एक के रूप में। अमरीका भारत की पहली और दूसरी छवि में चिन्तित है जबकि दूसरी छवि से वह नकार में है। अमरीका भारत को वह स्थान प्रदान करने में अनमर्ष ठा है ही यत्कि अनिच्छुक भी है जो भारत की शक्ति और उपलब्धियों को प्रकाशित करते हुए उसके ग्रह को मनुष्ट कर सके। भारत, अमरीका से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का इच्छुक है परन्तु दक्षिण एशिया की एक नवत शक्ति के रूप में, मानवता के 1/7 भाग के भाग्य-विधाता के रूप में, और उभरती हुई मध्यम श्रेणी की शक्ति के रूप में जिसका विश्व राजनीति में अपना स्थान और महत्त्व है। कमोवेश रूप में अमरीका की यह शिकायत तो रही ही है कि भारत, सोवियत मध्य पर आवश्यकता से अधिक निर्भर है, यह भी शिकायत रही है कि भारत विश्व के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी जहाँ इसके अपने आर्थिक या कूटनीतिक हित नहीं के बराबर हैं, उन शक्तियों के साथ अपने को भावुक करता रहा है जो अमरीकी हितों के विरुद्ध क्रियाशील हैं। भारत की शिकायत यह है कि बाह्य परिस्थितियों के दबाव में या- जानबूझ कर अमरीका भारत के हितों के प्रतिकूल व्यवहार करता रहा है।

निश्चय भविष्य के इन सम्बन्धों में सुधार आने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। रीगेन प्रशासन की यह अवधारणा है कि भारत, अमरीकी हितों के विरुद्ध सक्रिय है और इसके लिए उसे दण्डित किया जाना चाहिए। वैदेशीय सम्बन्ध समिति द्वारा भारत को दी जाने वाली महायत्ना की राशि में कटौती का मन्मति इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में अमेरिका, भारत के प्रति और कठोर नीति अपनाएगा। इसी के साथ अमरीका की सामाजिक अथवा नामरिक योजना (Strategic Planning) में पाकिस्तान का महत्त्व बढ़ गया है। आगामी 6 वर्षों में पाकिस्तान को 4 बिलियन डालर अधिक राशि की अमेरिकी सैनिक सहायता मिलना है, यह भगभग निश्चित है। व्यवहार में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम इसमें बाई बाधा नहीं बनेगा। इनके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के मध्य अन्धे सम्बन्धों की स्थापना में बाधक हैं। भारत द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा आयोग के निर्देशों को न मानना, हिन्द महासागर में अमरीकी नौमनिक गतिविधियाँ, नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रति दोनों देशों का परस्पर विरोधी नजरिया आदि। रीगेन पाकिस्तान का सैनिक दृष्टि में भारत के समर्थक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर कोई समझौता करन को वे तैयार नहीं हैं। जब तक रीगेन अमरीका के राष्ट्रपति है, भारत मूल रूप में सोवियत मध्य का मित्र और सहयोगी है अतः भारत-अमरीका सम्बन्धों में सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं है।